राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 6] ग्यारहवीं विधान सभा के छठे सत्र का छत्तीसवां दिवस [संख्या : 16

मंगलवार

01 मई, 2001

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री हीरालाल विश्नोई।

प्रश्न संख्या : 157

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद।

वक्फ सम्पत्तियों हेतु गठित समितियां

158. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कौन-कौनसी वक्फ सम्पत्तियां ऐसी हैं जहां एक लाख रुपये वार्षिक से ज्यादा आय प्राप्त होती है? गत तीन वर्षों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) गत दो वर्षों में किन-किन वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए कमेटियां गठित की गयी हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में कौन-कौनसी ऐसी वक्फ सम्पत्तियां हैं जहां कमेटी नहीं होकर वक्फ बोर्ड के कर्मचारी कार्यरत हैं? उक्त में अब कब तक विधिवत् कमेटियां गठित कर दी जाएंगी?

राज्य मंत्री, वक्फ (श्री अब्दुल अजीज) : (1) राज्य में निम्न वक्फ सम्पत्ति ऐसी है जिसकी एक लाख रुपये वार्षिक से अधिक आय प्राप्त होती है :—

वक्फ सम्पत्ति बाग नवाब कल्लन, जयपुर।

उक्त सम्पत्ति की गत तीन वर्षों की आय का विवरण निम्नप्रकार है :—

क्र.सं.	वर्ष	आय
1.	1998-99	5,76,484
2.	1999-2000	5,83,553
3.	2000-2001	10,37,747

(2) गत दो वर्षों में जिन-जिन वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए कमेटियां गठित की गयी हैं, उन सम्पत्तियों तथा गठित कमेटियों की सूची परिशिष्ट "क" में सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(राज्य मंत्री, वक्फ)

(3) राज्य में स्थित वक्फ सम्पत्तियों में केवल जयपुर में स्थित मस्जिद व मदरसा हैजम फरोशान, अजमेरी गेट, जयपुर में बोर्ड के कर्मचारी को लगा रखा है। उक्त कमेटी का वाद माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। न्यायालय के जो भी आदेश होंगे, उसकी पालना की जाएगी।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया है वह सरासर गलत है। (व्यवधान) आप सुनें तो सही। मेरा पहला प्रश्न यह था कि राज्य में कौन-कौनसी वक्फ सम्पत्तियां ऐसी हैं जहां एक लाख रुपये वार्षिक आय से ज्यादा प्राप्त होती है। उत्तर ये दे रहे हैं कि वक्फ सम्पत्ति जिससे वक्फ बोर्ड को अंशदान प्राप्त हो रहा है। क्या राज्य में केवल मात्र एक ही प्रोपर्टी है जिससे एक लाख रुपये से ज्यादा की आय हो रही है? नरहड़ शरीफ की दरगाह से छह लाख रुपये से ज्यादा साल की आय हो रही है, सरवाड़ से ज्यादा हो रही है। मेरे पास सूची है।

श्री अब्दुल अजीज : मैं आपको इसका उत्तर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा कि राज्य में कौन-कौनसी ऐसी वक्फ सम्पत्तियां हैं जिनकी वार्षिक आय एक लाख से ज्यादा है। आपने उसका उत्तर नहीं दिया। मैं एक साथ तीनों सप्लीमेंट्री पूछ लूं उसके बाद जवाब दे देना।

दूसरे खण्ड का, अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह था कि गत दो वर्षों में किन-किन वक्फ समितियों के रख-रखाव के लिए कमेटियां गठित की गयी हैं, सूची सदन की मेज पर रखें। आपने तो कमेटियों के नाम बता दिये, मैं सूची मांग रहा हूं कि आपने किन लोगों की कमेटी बनायी है उनकी सूची रखें। वह नहीं रख कर आप कह रहे हैं कि हमने अजमेर की बना दी, धौलपुर की बना दी, बाड़मेर की बना दी, करौली की बना दी और बयाना की बना दी। आपने जो कमेटियां बनायी हैं उनकी सूची रखें कि किन-किन लोगों को बनाया है। उनमें वह लोग तो नहीं हैं जिनके ऊपर वक्फ के पहले के गबन के आरोप न्यायालयों में चल रहे हों? उनमें वह लोग तो नहीं हैं जिन्होंने खुद ने वक्फ की जायदादों पर अतिक्रमण कर रखा हो? इसलिए कृपया वह सूची आप मुझे उपलब्ध करवाएं।

मेरा तीसरा सवाल था कि राज्य में कौन-कौनसी ऐसी वक्फ सम्पत्तियां हैं जहां कमेटी नहीं होकर वक्फ बोर्ड के कर्मचारी कार्यरत हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह भी पूछना चाहता हूं कि ये जो कमेटियां आपने बनायी हैं ये कमेटियां वक्फ एक्ट की किस धारा और कौनसे प्रावधानों के अन्तर्गत बनायी हैं? वक्फ बोर्ड का चेयरमैन अकेला अधिकृत है कमेटी बनाने के लिए? या पूरे वक्फ बोर्ड से या राज्य सरकार से एप्रूवल लेकर ये कमेटियां बनायी हैं? कृपया इसका जवाब दें।

श्री अब्दुल अजीज : (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, ज्ञान मैं प्राप्त कर लूंगा हर उस आदमी से जो ज्ञान देता है। मेरे दिमाग को मैंने खुला रखा है। अध्यक्ष महोदय, एक लम्बी सूची है एक लाख से ऊपर के यूनिट्स की। कुल 77 ऐसे हैं जिनमें एक लाख से ऊपर की आय होती है सालाना। मदरसा मुस्लिम इस्लाहुत मुस्लिम बिलाड़ा जोधपुर, ईदगाह गुलाब बाग, जोधपुर, वक्फ कमेटी, बारां, मदरसाहिले हदीस बड़ी, जोधपुर, जामा मस्जिद अमीरगंज, टौंक, अंजुमन इस्लामिया, बांसवाड़ा, जामा मस्जिद, भरतपुर, रातानाड़ा सेन्टर, जोधपुर, सीरतराय, भीलवाड़ा, दारूलउलुम इस्लामिया, जोधपुर, वक्फ कमेटी, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़, दारूलउलुम इस्लामिया, हनुमानगढ़...

मोहम्मद माहिर आजाद : इसकी कापी दिलवाओ। कापी नहीं मिली। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा जो मूल सवाल था उसका माननीय मंत्रीजी उत्तर दे रहे हैं, इसकी प्रति मुझे तो उपलब्ध करवाएं।

श्री अब्दुल अजीज : आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे पहले उपलब्ध करवाओ मैं पूछूंगा।

श्री अब्दुल अजीज : आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी, लम्बी सूची है। आप मेरी बात सुनें।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो इस उत्तर के साथ ही उपलब्ध करानी चाहिए थी। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : Hon'ble minister is not prepared.

श्री अध्यक्ष : इन समितियों की आय एक लाख से ऊपर है वह लम्बी है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कापी पहले मुझे दिलवाएं। (व्यवधान) पहले मेरा हो जाए।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : अध्यक्ष महोदय, जवाब अधूरा है।

श्री अब्दुल अजीज : आपको अभी कापी दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : मूल प्रश्नकर्ता ने जो सवाल किया है उसका जवाब ही पूरा नहीं आया है, इसको पोस्टपोन करवा दें।

श्री रमजान खान : इसको पोस्टपोन करवाइये ताकि ये हमको पूरी दे सकें।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं पोस्टपोन करवाने के हक में नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि मेरा यह प्रश्न दस तारीख को लगा, फिर 17 तारीख को लगा है, फिर आज बड़ी मुश्किल से नम्बर आया है, इस पर आज बहस होकर वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों का कैसे सही रख-रखाव हो, कोई नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यह लिस्ट आ जाए।

श्री अब्दुल अजीज : लम्बी सूची होने से यह कल ही आयी है मेरे पास। मैं आपको सब्मिट कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, मुझे उत्तर के साथ देनी चाहिए थी यह कापी। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, सदन के अन्दर प्रश्न आ गया, सदन की सम्पत्ति हो गयी। पूरी जानकारी इनको है नहीं, पूरा उत्तर इनका है नहीं। हम भी इसमें सवाल करना चाहते हैं, सदन की सम्पत्ति है इसको पोस्टपोन फरमाएं, अध्यक्ष महोदय।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब तक 77 वक्फों की सूची नहीं दी जाती है और उसकी तीन साल की आमदनी का रिकार्ड नहीं दिया जाता है तब तक उत्तर बिलकुल अधूरा है।

श्री अब्दुल अजीज : आठ साल में आपने किया वह सब मालूम है आप लोगों को। आप ही का लेखा-जोखा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, यह कह कर मत टालिए कि इन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या किया। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : अध्यक्ष महोदय, एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूं आपकी अनुमति से। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे प्रश्न का प्रथम खण्ड का उत्तर दिया है, लेकिन मेरे प्रश्न के दूसरे खण्ड का उत्तर जो आपने दिया है, दो साल में वक्फ कमेटियां बनायी उनमें किन-किन लोगों को बनाया है, उसकी सूची भी तो दें। वह भी अधूरी है, इससे क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : यह नहीं पूछा है आपने।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, सूची इतनी बड़ी है कि इसका जवाब दिया जाना सम्भव नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह सूची अब दीजिए आप। सवाल का जवाब तो आए।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, खण्ड दो में आपने केवल कमेटियों का प्रश्न किया है, सदस्यों का नाम नहीं पूछा है।

मोहम्मद माहिर आजाद : पूछा है, साहब। यह देखिए आप प्रश्न का खण्ड दो, गत दो वर्षों में किन-किन वक्फ सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए कमेटियां गठित की गयी हैं। यह तो आ गया कि कौन-कौनसी हैं। फिर दूसरा इसमें, सूची सदन की मेज पर रखें। तो उसकी सूची कमेटी की, और काहे की सूची मांग रहा हूं? (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राज्य में टोटल 539 कमेटियां हैं, इतनी लम्बी फेहरिस्त है। जगह-जगह राजस्थान में वक्फ की जायदादें हैं और कमेटियां बनी हुई हैं। इनका एक लम्बा रिकार्ड है और देना सम्भव नहीं है। माननीय सदस्य अगर चाहते हैं तो मैं उनको अलग से दे दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, अध्यक्ष महोदय, आपने जो उत्तर दिया है इसमें केवल 77 कमेटियां... (व्यवधान) सुनिए तो सही, आपने 77 कमेटियां गठित की हैं और आप 500 बता रहे हैं। 77 जो गठित की हैं उनकी सूची मांगी है।

श्री अब्दुल अजीज : ये और है मेरे पास।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आपके पास कुछ और है और मेरे पास कुछ है तो कैसे काम चलेगा?

श्री अब्दुल अजीज : एक तो 77 की है वह एक लाख से ऊपर की आय की सूची है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, गलत, बिलकुल गलत। (व्यवधान) आप खण्डशः पढ़ो। गत दो वर्षों में वक्फ समितियों के रख-रखाव के लिए गठित की गयी कमेटियों की सूची है, 77 हैं। मैं तो यह लिस्ट मांग रहा हूं, मैं 500-600 की नहीं मांग रहा। मैंने तो पहले भी इसी की मांगी और आज भी इसी की मांग रहा हूं।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्षजी, 539 टोटल कमेटियां हैं जिसमें 77 नयी कमेटियां बनायी हैं। यह सूची 77 कमेटियों की है।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं 539 की नहीं मांग रहा। आपने जो दो साल में गठित की हैं उसकी मांग रहा हूं, वे 77 हैं। इसलिए आप यह कह दें कि बहुत बड़ा जवाब है...

श्री अब्दुल अजीज : 762 कमेटियां अभी कार्यरत हैं जिसमें पुरानी हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, आप मेरा सवाल तो पढ़ें, मैंने पुरानी की मांगी ही नहीं। मैंने तो साफ कहा है कि गत दो वर्षों में किन-किन वक्फ समितियों के रख-रखाव के लिए...

श्री अब्दुल अजीज : सूची दे दी है आपको जो कमेटियां बनी हैं उसकी।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसकी कमेटियों की लिस्ट नहीं है इसमें।

श्री अब्दुल अजीज : यह है 77 बनी हैं कमेटियां।

मोहम्मद माहिर आजाद : उसकी लिस्ट कहां है कमेटियों की? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा रहा है और जो कुछ दिया गया है वह गलत है तो निश्चित रूप से प्रश्न को स्थगित कर देना चाहिए। सही सूचनाएं सही तौर पर आनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अगर मैम्बर चाहते हों... (व्यवधान) वह चाहते हों तो आप दुबारा बाद में...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, वो ही चाहिए। बाद में कब दे देंगे?

श्री अब्दुल अजीज : जब आप चाहेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अभी देओ न।

श्री अब्दुल अजीज : अभी तो नहीं मिल सकती है। यह एक लम्बी फेहरिस्त है कमेटियों की। रिकार्ड ले सकते हो। हजारों आदमियों का नाम है, आपको कैसे देंगे? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने तो मांगा है अभी मांगा है, आप कह रहे हैं बाद में दूंगा। मैं 500-600 की तो मांग ही नहीं रहा हूं। अभी नहीं मिल सकती?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि वक्फ महकमा है जो बहुत कम, एक परसेंट आय लेता है। उसमें से इस तरह का लिटरेचर छपाना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हमें गवर्नमैंट से पैसा नहीं मिलता। हम इस तरह के सवालों के जवाब में लम्बे पैसे के खर्चे में जा नहीं सकते। अध्यक्ष महोदय, मुझे चेयरमैन ने इस बात को बताया कि हमारे पास पैसा नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप माननीय अध्यक्षजी को निवेदन कर दो कि वक्फ से सम्बन्धित सवाल ही नहीं लिये जाएं। यह क्या जवाब हुआ?

श्री अब्दुल अजीज : हम इतने लम्बे उत्तर की फेहरिस्त बनाकर हजारों रुपये इस पर खर्च नहीं कर सकते। एक-एक पैसा हम नाप-तौल कर खर्च करते हैं।

एक माननीय सदस्य : मंत्रीजी बिलकुल ठीक कहने लग रहे हैं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और आप करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को बेच सकते हो।

श्री अब्दुल अजीज : हम पैसे को इस तरह बरबाद नहीं कर सकते हैं। एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं। (व्यवधान) इस तरह सवाल पूछते हो और आगे की बात नहीं पूछते हो। आठ साल में... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय मंत्रीजी ने बात ही ऐसी कह दी, हमारा उत्तर ही नहीं देंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जो प्रश्न हाउस के अन्दर आ गया उसका जवाब तो देना ही पड़ेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे विशेषाधिकार को चुनौती है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : यह प्रश्न आपको लगाना नहीं चाहिए था।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा विशेषाधिकार है और यह अधिकार इस सदन के द्वारा और आपके द्वारा प्रदत्त है। सदस्यों को यह अधिकार है कि वे सवाल पूछ सकते हैं। माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के पास कागज ही नहीं है, वक्फ बोर्ड के पास जवाब देने के लिए स्टेशनरी नहीं है। यह तो कोई तरीका नहीं हुआ। या तो आप व्यवस्था दें कि हम वक्फ से सम्बन्धित या और कौन-कौनसे विभाग ऐसे हैं जिनका दीवाला निकला हुआ है...

श्री अब्दुल अज़ीज : आप ऐसे सवाल कीजिए जिनका जवाब हो। आप ऐसे जनरलाइज सवाल करेंगे तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्पेसिफिक सवाल है और मेरा चार्ज है कि आपने इन वक्फ कमेटियों में ऐसे लोगों को नामजद किया है जो क्रिमिनल हैं, जो अतिक्रमी हैं। (व्यवधान) जिन्होंने वक्फ की जायदादों पर कब्जा किया है। (व्यवधान) जो वक्फ के कब्रिस्तानों को बेच रहे हैं। (व्यवधान) और जिन पर कई मामलों में मुकदमे चल रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपको प्रतिवेदन करके... (व्यवधान) करना चाहिए था। इस प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। (व्यवधान) जब मंत्रीजी से सवाल ही नहीं कर सकते... (व्यवधान) प्रश्न का उत्तर दिया जाना सम्भव नहीं है। जब तक उस क्वेश्चन को आप डिसअलाउ नहीं करेंगे प्रश्न का उत्तर दिया जाना आवश्यक है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : बात ही करते हैं, आप वक्त नहीं देते वक्फ बोर्ड के अन्दर। मैं चाहता हूं आपको मैं ऐसी कमेटी में लूं, आप आएं। अपनी खिदमत दीजिए और काम कीजिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं तो तैयार हूं। मैं तो आधी रात को भी तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : आप मुझसे चैम्बर में मिलिये, मैं आपकी सेवाएं लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अगर इस वक्फ के ढांचें में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, कोई रूपरेखा बनाना चाहते हैं...

श्री अब्दुल अजीज : अगर आप वक्फ बोर्ड की जायदाद के हितैषी हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं। आप मिलिये, मैं आपको बताऊंगा। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या + + + हो रही है? कौनसी समिति में लेने का प्रलोभन दे रहे हैं? (व्यवधान) यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह कह रहे हैं कमेटी में ले लूंगा, यह प्रलोभन क्या है?

डा. किरोड़ी लाल : यह कैसे ले सकते हैं मंत्री अपने स्तर पर? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह प्रलोभन दे रहे हैं और ये प्रलोभन में आ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा-सा निवेदन यह था...

श्री अध्यक्ष : आप लम्बी भूमिका मत बनाइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं भूमिका नहीं बना रहा।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अध्यक्ष : आप अनुपूरक प्रश्न पूछिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा पूरक प्रश्न यह है कि एक तो आपने ये जो कमेटियां बनायी हैं 77, इसकी सूची मुझे उपलब्ध कराएंगे कि किन-किन लोगों को आपने इसमें लिया है।

श्री अब्दुल अजीज : आपको सूची क्या जो कुछ चाहते हैं मैं रिकार्ड पेश कर दूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे कोई जमीन जायदाद थोड़े ही चाहिए?

एक माननीय सदस्य : आपको जो चाहिए वह मिल जाएगा। आपको जो चाहिए वह दे देंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे क्या चाहिए? मुझे आपका मंत्री पद चाहिए। बोलिये, आप देने को तैयार हैं? मुझे आपकी मिनिस्ट्री चाहिए, Are you prepared to give it to me? Can you give me your Ministry?

श्री अब्दुल अजीज : आप इस काबिल होंगे और कांग्रेस की रीति-नीति का साथ देंगे तो इससे ऊपर दिया जा सकता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या जवाब हुआ? जवाब देने का तरीका ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : अगर आप कांग्रेस की नीति पर चलेंगे और अच्छे शहरी रहेंगे तो इससे अच्छा भी पद दिया जा सकता है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या जवाब हुआ?

श्री मानिक चन्द सुराना : इस प्रश्न को स्थगित करने की कृपा करें, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता स्थगन नहीं चाहते।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रश्नकर्ता न भी चाहें, यह प्रश्न—

श्री अध्यक्ष : इन कमेटियों के मैम्बर कौन हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति बन गया है।

श्री अध्यक्ष : कमेटियों में कौन-कौन मैम्बर हैं, यह सूची आप माननीय सदस्य को दे दें। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : कोई जवाब सुने तो।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह प्रश्न सदन की सम्पत्ति हो गया है, अध्यक्ष महोदय। और जब यह सदन की सम्पत्ति हो गया है, माननीय सभी सदस्यों को उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है। मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि इस प्रश्न को स्थगित कराकर इसकी सही सूची आप सदन के पटल पर रखवाएं ताकि दूसरे माननीय सदस्य भी उसको देख सकें।

श्री अब्दुल अजीज : सही सूची तो मैं रखने वाला हूं सदन में एक दिन, लेकिन आठ साल जो आपके चेयरमैन ने और बोर्ड ने काम किये वह रखूंगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो दो साल की बात करो।

एक माननीय सदस्य : धमकियां मत दो। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : और वो रखूंगा तो आपको पता चलेगा कि आपने आठ साल में कितनी बरबादी की है वक्फ बोर्ड की जमीनों की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसा तरीका है? (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : कैसे खुद आपने + + + किया वक्फ बोर्ड का, हमारे पास लम्बा चिट्ठा है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ढाई साल में जो भट्टा आपने बैठाया, किसी ने नहीं बैठाया और अब यह सैटिंग करने लग रहे हो इधर से। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : दो साल का रिकार्ड नहीं है आपके पास, पचास साल का रिकार्ड रख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रश्न का सीधा उत्तर दें जो प्रश्न पूछा गया है, उसके जो खण्ड पूछे गये हैं उसका उत्तर दें कृपया। आपको अलग से आठ साल का रिकार्ड रखना है रखें, कौन मना कर रहा है आपको? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अपने उत्तर में यह कहा था कि वह लम्बे प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। यह इनका अधिकार नहीं है। आपने व्यवस्था के अन्तर्गत प्रश्न को लिस्ट कर दिया, इनको उत्तर देना पड़ेगा। यह सदन की सम्पत्ति है। आठ साल की बात कर रहे हैं आप, हिम्मत हों तो रखिये आप... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप क्या कहना चाहते हैं आठ साल की बात कहकर?

श्री अब्दुल अजीज : यह स्पेसिफिक सवाल करें, मैं तैयार हूं जवाब देने के लिए। अगर आप घुमा-फिरा कर बात करेंगे आपको ज़वाब नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वक्फ बोर्ड को बेच खाया आपने।

श्री अमराराम (धोद) : दो साल पहले की तो दे नहीं रहे हैं, दस साल पहले देने की बात कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह तो आसन को चुनौती है एक तरह से। यह कह रहे हैं जवाब नहीं मिलेगा। आपके संरक्षण में हम लोग हैं, हमें जवाब लेने का अधिकार है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह कह रहे हैं जवाब नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैं प्रश्न को डाइवर्ट नहीं करना चाहता।

श्री मानिक चन्द सुराना : जवाब मिलेगा तब ही सदन चलेगा।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब नहीं मिलेगा तो यह हाउस किसलिये है ?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति को बेच खाया जिन्होंने वे दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : क्या जवाब है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दीजिए इसका। (व्यवधान) यह आसन के ऊपर हैं, अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह तो सदन की अवमानना है।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह प्रश्न पूछने वालों का ही नहीं पूरे सदन का अपमान है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिये लिस्ट यह बाद में प्रोवाइड करा देंगे... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : प्रापर्टीज पर आप... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने ढाई साल में कितनी सम्पत्ति बेची है... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : बाद में क्यों प्रोवाइड करा देंगे ? प्रश्न स्थगित करके जिस दिन यह लिस्ट देंगे उसी दिन इस सवाल का... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : देना तो अभी चाहिए था... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कोई व्यक्तिगत सवाल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सदन में सवाल आ गया, हम भी पूछना चाहते हैं, हमें भी उस सूची की जानकारी चाहिए। यह कह रहे हैं उपलब्ध करवा देंगे। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अध्यक्ष महोदय, मेरी करबद्ध मांग है कि इसको स्थगित करें। अध्यक्ष महोदय, आप प्रताड़ना दीजिए मंत्रीजी को इस प्रकार से... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह विशेषाधिकार का मामला है कि सदन में प्रस्तुत नहीं किया जाए और अगले रिकार्ड की बात करें आठ साल के की। ढाई साल से कितने गबन घोटाले हो रहे हैं वक्फ बोर्ड में? वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति बेच खाई है इस ढाई साल में, उसका पूरा वो रखें मंत्री महोदय। बजाय इस बात के, वक्फ बोर्ड के पास पैसा नहीं है। पैसा नहीं है तो सदन इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। माननीय सदस्यों का विशेषाधिकार है कि इसकी जानकारी दें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्नकर्ता का मकसद यह है कि ढाई साल में जो कमेटियां बनायी हैं, जो ढाई साल से कब्जा किये बैठे हैं, उनको खुर्द-बुर्द कर रहे हैं, उनको उन कमेटियों में लिया गया है। वह कमेटी की लिस्ट है...

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानदेवजी, बैठिये।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, वह प्रोवाइड नहीं कराना चाहते। मकसद जो पूछने का था वह तो पूरा हुआ नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप बैठिये। श्री सुरेन्द्र व्यास, प्लीज टेक योअर सीट।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं—

श्री अध्यक्ष : आप स्पेसिफिक, मैंने कहा बार-बार इस तरह से व्यवधान बना रहे हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं वक्फ एक्ट को जानता हूं। मैं स्पेसिफिक सवाल मंत्रीजी से पूछ रहा हूं, बिना डिस्टरबेंस के मंत्रीजी जवाब दें। मैं मंत्रीजी से यह जानना चाह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के रख-रखाव के लिए ये जो 77 कमेटियां पिछले दो वर्षों में बनायी हैं, ये वक्फ एक्ट की कौनसी धारा के प्रावधानों के तहत बनायी हैं, पहला तो आप यह उत्तर दे दें? दूसरा मेरा सवाल यह है कि इन समितियों में जिन लोगों को आपने पदाधिकारी बनाया है और वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति का रक्षक बनाया है उनमें इतने कितने लोग हैं जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड का पहले से बकाया और गबन के मामले चल रहे हैं? और ऐसे कितने लोग हैं जो स्वयं वक्फ सम्पत्तियों के अतिक्रमी हैं? कृपया इनका जवाब दे दें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, वक्फ एक्ट, 1995 की धारा 13 पर बोर्ड का गठन होता है और तमाम् शक्तियां बोर्ड की कारगुजारी के लिए बोर्ड में निहित होती हैं। वो ही कमेटियां बनाते हैं और गांव के लोग प्रस्ताव देते हैं। ये कोई पैड सरवेंट नहीं हैं। अध्यक्ष महोदय, इनको तनख्वाह नहीं मिलती है, ये सोशल वर्कर्स हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको माल मिलता है, माल।

श्री अब्दुल अजीज : अगर कोई बदनीयत आदमी होता है उसमें तो हम उसे हटा देते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी शिकायत है किसी के प्रति तो हम उसे हटाएंगे। उसकी जांच करके हटा देंगे। आप हमें सीधे रास्ते की तरफ ले चलिये, आप घुमा-फिराकर क्यों प्रश्न पूछते हैं?

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा उत्तर नहीं आया। मेरा सवाल तो यह है कि वक्फ बोर्ड ने ये कमेटियां कौनसी धारा में बनायी हैं। ये बोर्ड ने नहीं बनायीं। चेयरमैन तो + + + वकील है, उसको तो फुर्सत मिलती नहीं, बाबूओं को जो पैसा दे गया, जिसने जो नाम दे दिये उनकी कमेटियां बन गयीं। मेरा आपसे निवेदन है कि बोर्ड की और सरकार की एप्रूवल इन कमेटियों में नहीं ली गयी है। अगर बोर्ड की एप्रूवल से बनी हैं, क्योंकि वक्फ एक्ट की धारा जो आप बता रहे हो, वक्फ एक्ट के अन्दर कमेटी बनाने का अधिकार वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को और सैक्रेटरी को नहीं होकर पूरे वक्फ बोर्ड को है। वक्फ बोर्ड कमेटी बनाएगा with the

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

pre-permission of the State Government. आप तो मुझे बताओ कि इन कमेटियों के लिए राज्य सरकार ने अनुमति दी है क्या? यदि दी है तो कब दी है?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बोर्ड कमेटियां बनाता है और बोर्ड के मैम्बरान जब किसी को अधिकार दे देते हैं, यह सदन जब आपको कोई अधिकार देता है तो आप उसके लिए सभी फैसले फरमाते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : पावर डेलीगेट नहीं हो सकता।

श्री अब्दुल अजीज : अधिकार दिया बोर्ड ने कि चेयरमैन मशविरा करके ये कमेटियां बनाए। अगर किसी में लापरवाही हुई है तो आप मुझे बताइये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह नहीं पूछ रहा, आप तो एप्रूवल की बताओ। लापरवाही तो पूरी लापरवाही है।

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, नहीं। लापरवाही आप कहते हैं, मैं कैसे स्वीकार करूं?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, आपने परमिशन दी है क्या? राज्य सरकार ने दी है क्या, यह बताओ?

श्री अब्दुल अजीज : बोर्ड ने अधिकार दे दिया। (व्यवधान) उसका एनेलिसिस होता है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर राज्य सरकार की एप्रूवल से बनी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। राज्य सरकार की एप्रूवल हुई है क्या इस पर?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, जहां-जहां सम्पत्ति है वक्फ की, वहां के अच्छे लोगों की फेहरिस्त हमारे पास आती है। (व्यवधान) आप मुझे कहने दें।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं यह नहीं पूछ रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल तो इतना सा है कि इन कमेटियों को बनाने के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट ने परमिशन दी है? बोर्ड के किस तारीख के फैसले में, प्रस्ताव में हुई है, वह बता दो? मुझे लोगों से, कमेटी ली, यह ली, वह ली, उससे कोई मतलब नहीं है।

एक माननीय सदस्य : राज्य सरकार खुद ही बोल रही है।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, इसका बहुत सीधा उत्तर है कि बोर्ड में अधिकार निहित है, बोर्ड ने कमेटियां बनायीं हैं। चेयरमैन उसका हैड होता है, उसमें विश्वास व्यक्त किया है। हमारे पास हर जगह राजस्थान से जिन कमेटियों को बदलने की इत्तला आती है उसको एनेलिसिस किया जाता है, उसको स्क्रूटनाइज किया जाता है, जांच की जाती है उसके बाद हम कमेटियों को बनाते हैं। अगर फिर उस गांव से कोई शिकायत आती है तो उस मैम्बर के बारे में, उसे हटा देते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, बोर्ड और सरकार एक चीज थोड़े ही है? बोर्ड और सरकार दोनों अलग-अलग हैं। मैं यह पूछ रहा हूं कि बोर्ड को तो बनाने का अधिकार है with the pre-permission of the State Government. आप गवर्नमेंट के मुखिया हैं वक्फ डिपार्टमैंट के, आपने परमिशन दी है क्या? आप तो इतना सा कह दो कि ये कमेटियां आप की मंजूरी से बनी हैं क्या?

श्री अब्दुल अजीज : माननीय माहिर आजाद साहब, बोर्ड मिनिस्ट्री आफ वक्फ के अण्डर में है। मैं इसको समझता हूं। ऐसा उत्तर जो आप प्रतीक्षा करते हो, नहीं मिलेगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या बात हुई कि नहीं मिलेगा? मैं प्रतीक्षा कुछ नहीं कर रहा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल का इतना सा जवाब दिला दें कि सरकार ने इन कमेटियों को मंजूरी दी है क्या? और दी है तो कब दी है? वक्फ बोर्ड ने बनायी हैं, यह तो मैं भी जानता हूं कि वक्फ बोर्ड ने बनायी हैं, राज्य सरकार ने इसको मंजूरी दी है क्या, यह बता दें?

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, अगर आप इतने ही चिंतित हैं तो मैं एक सलाहकार समिति बनाऊंगा जिसमें आदरणीय भैरोंसिंहजी की भी सलाह लूंगा, वह हमारे अपोजिशन के लीडर हैं, और आप की भी सलाह लूंगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मुझे तो कोई जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : ऐसी कमेटी तत्काल बना कर मैं आपका सहयोग लूंगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे तो इसका जवाब दे केवल। कमेटी-कमेटी बनाओ, आप वक्फ की जायदाद की सुरक्षा करो, इन्होंने गड़बड़ी की, उसने की, मतलब नहीं। मुझे तो यह बता दे कि ये 77 कमेटियां जो आपने बनायी हैं, इसको राज्य सरकार की अनुमति या आपकी एज ए मिनिस्टर इसको एप्रूवल है क्या?

श्री अब्दुल अजीज : यह माना ही जाना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं। गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, यह क्या तरीका हुआ? क्या माना जाना चाहिए? यह कोई प्रिज्यूम करने की चीज थोड़े ही है कि यह माना जाना चाहिए? आप तो स्पष्ट बोलो कि आपने मंजूरी दी है या आपकी मंजूरी के बिना अवैध तरीके से वक्फ की सम्पत्ति पर अतिक्रमण करने वाले अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को इसमें जगह दी गयी है। या तो यह मंजूर करो या आपने मंजूरी दी हो तो आप वह बताइये।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, पूरे सदन को मैं अवगत कराता हूं कि एक पैसे की भी बेईमानी हमारे वक्फ बोर्ड का मैम्बर या कोई आदमी नहीं करता। जो + + + पहले हो चुका, वैसे हम हरगिज नहीं होने देंगे, आप यकीन रखिये। अब

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री अब्दुल अजीज)

एक-एक पैसे का हिसाब रखते हैं और हमारे मुख्य मंत्रीजी इतने एलर्ट हैं... (व्यवधान) सम्पर्क में रहते हैं और हिदायत देते रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री रमजान खान, आप पूछिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि जब से आप मंत्री बने हैं और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत आयी है तब से लेकर आज तक राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड में से जितने कर्मचारी कार्यरत थे उनकी संख्या एक तो आपने आधी कर दी, आधे कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देकर उनको हटा दिया, नम्बर एक। (व्यवधान) दूसरी बात यह है कि जो कर्मचारी इस वक्त कार्यरत हैं उनको भी 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, इसके क्या कारण हैं? मंत्रीजी जवाब दें।

श्री अब्दुल अजीज : अध्यक्ष महोदय, उनकी संख्या हमने घटायी है इसलिए कि राज्यादेश थे और उसी वक्त के राज्यादेश थे जब भैरोंसिंहजी खुद राज कर रहे थे। हमने तो उसकी पालना की है।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि जो भी कमेटियां वक्फ ने बनायीं क्या सरकार ने उनको अनुमति दी है, मंजूरी दी है?

मोहम्मद माहिर आजाद : बस इतना सवाल है, साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रश्न सीधा है कि क्या उसको मंजूरी राज्य सरकार ने दी है। जो कुछ आपने अब तक कहा है कि माना ही जाना चाहिए, उसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने कोई सैंक्शन किसी कमेटी को... (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : नहीं, नहीं, आप गलत कह रहे हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : है तो आप तारीख बताएं। समय बताएं। विज्ञप्ति को रीड करें।

श्री अब्दुल अजीज : आप मेरी बात सुनिये। आप बहुत सभ्य और बुजुर्गवार विधायक हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : और आप बिलकुल + + + हैं।

श्री अब्दुल अजीज : आपको मैंने कितने तरीके से समझाया। सरकार की अनुमति जो बोर्ड का हर काम है उसकी है।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह कोई जवाब थोड़े ही हुआ, अध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, आप तो स्वयं बड़े अनुभवी हैं, यह गोल-गोल घुमाकर जवाब दे रहे हो। यह तो समझदार हैं और आपकी समझ कहां चली गयी? मकराना गयी क्या? (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री अब्दुल अजीज : हमारी समझ आपके लिए है।

श्री रमजान खान : कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उसका क्या जवाब है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं मुख्य मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि बिना सरकार की अनुमति के इस प्रकार की समितियां गठित कर दी हैं, आप इस पर क्या कार्यवाही करेंगे?

श्री अब्दुल अजीज : यह मैंने नहीं कहा है। मैंने इसको कबूल किया है कि सरकार ने बनायी हैं। जो भी काम है वह सरकार का है, सरकार की अनुमति से होता है। आप गलत बात कह रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको नहीं पूछ रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप से नहीं पूछ रहे हैं You are totally failure to give the answer and convince the House. Please sit down. मुख्य मंत्रीजी को जवाब देने दीजिये, आपके बस की बात नहीं है यह।

श्री अब्दुल अजीज : आप स्वयं यह बात इनडाइरेक्टली कह रहे हैं। जबकि मैं यह कहता हूं कि हर एक्शन मिनिस्टरी का आदेश और उसको स्वीकारना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, गलत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बोलो, मुख्य मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : नहीं, मुख्य मंत्रीजी क्यों जवाब दें? सम्बन्धित मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो आप क्यों बोल रहे हो?

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय, यह आपके शासनकाल में हुआ करता था। आपने असक्षम लोगों को मंत्री बना रखा था, उनसे जवाब सदन में नहीं लगते थे तब आप उनके एवज में जवाब दिया करते थे। अशोकजी के मंत्रिमण्डल में हर मंत्री सक्षम है। प्रश्न पूछे जाते हैं, उनका जवाब मंत्री महोदय दे रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री अमराराम (धोद) : हरिसिंहजी महुवा, उन्होंने किया इसलिए आप भी घोटाले करोगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) : घोटाले की बात नहीं है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : राज्य सरकार ने एप्रूवल किया या नहीं किया, यह बता दें।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, हम को तो यह स्पेसिफिक बता दें। अध्यक्ष महोदय, बड़ी मुश्किल से तो सवाल लगा था, मंत्रीजी यह बताएं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)
चलिये यह बता दीजिये कि इस वक्फ में जो घोटाले हो रहे हैं, क्या इसकी स्थिति को सुधारने के लिए आपका इरादा है? और यदि है तो उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं?

श्री अब्दुल अजीज : सुधार के लिए हम हर समय तैयार हैं। किसी की भी सलाह के तरीके के सुधार के लिए हम हमेशा तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री नन्दलाल मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या प्रयास करेंगे? यह मंजूरी आपने दी नहीं, बिना आपकी मंजूरी के कमेटी बन रही है। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की डायरेक्ट मुख्य मंत्रीजी से एप्रोच है, आपको तो कोई पूछता नहीं वहां।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री नन्दलाल मीणा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक पाइंटेड सवाल प्रतिपक्ष के नेता ने माननीय मुख्य मंत्रीजी से पूछा है। सवाल वक्फ सम्पत्तियों का है, अध्यक्ष महोदय, और मुख्य मंत्रीजी इस समय सदन में उपस्थित हैं, मैं समझता हूं, मुख्य मंत्रीजी अल्पसंख्यकों के खैर-ख्वाह आप खूब बनते हो, आपको इस सवाल का सीधा जवाब देना चाहिए।

श्री अब्दुल अजीज : आपको इसमें सिफारिश की क्या जरूरत है? भैरोंसिंहजी के लिए आपको क्या जरूरत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना सरकार की अनुमति के अगर समितियां बनती हैं तो आप क्या कार्यवाही करोगे?

श्री हरिसिंह (महुवा) : सवाल के रिलेवेंसी और इर्रिलेवेंसी क्या है, यह आसन तय करता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : एक मिनट, बैठिये। अधिनियम में क्या प्रावधान है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह रहा, मैं बता दूं, साहब।

श्री अध्यक्ष : यह बता दिया, आपने पहले पढ़ लिया।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं पढ़ा, वक्फ एक्ट का पढ़ा ही नहीं, नम्बर ही नहीं आया। साहब, वक्फ एक्ट तो मैंने पढ़ा ही नहीं।

श्री अध्यक्ष : इसके सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी से यह आशा नहीं लगायी जा सकती कि एक्ट का, अधिनियम का जो प्रावधान है उसमें कन्करेंस जरूरी है, अनुमति लेनी है या नहीं है। इसलिए यह तो मिनिस्टर कह रहे हैं न।

मोहम्मद माहिर आजाद : तो यह मिनिस्टर ने स्वीकार किया है कि बिना सरकार की मंजूरी के नहीं बनती है।

श्री अब्दुल अजीज : + + + कह रहे हैं आप। आप + + + कह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : इन्होंने उसको (व्यवधान) किया है। आपको मैम्बर को सूची देनी चाहिए थी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या? पहले तो आप संसदीय भाषा का इस्तेमाल कीजिये। आप असत्य कह सकते हैं या तो आप खण्डन कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं तो साफ निवेदन कर रहा हूं कि वक्फ एक्ट में प्रावधान है कि किसी भी वक्फ सम्पत्ति के रख-रखाव के लिए कोई भी कमेटी बनाने का अधिकार वक्फ बोर्ड में निहित होगा। वक्फ बोर्ड राज्य सरकार की अनुमति लेकर कमेटी बना पाएगा।

श्री अध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, यह क्वेश्चन है, क्वेश्चन में इन्फार्मेशन ली जाती है, डिबेट नहीं हो सकती यहां पर। यह डिबेट लम्बा-चौड़ा है। श्री सुरेन्द्र व्यास, बैठिये। श्री नन्दलाल मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, डिबेट की बात नहीं है, अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी यह तो बताएं कि मंत्रीजी ने परमिशन दी है या नहीं दी।

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने उन कमेटियों को परमिशन दी है या नहीं दी है? मंत्रीजी अब कह रहे हैं कि मान लो, मान कैसे लें?

श्री अध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार। (व्यवधान)

श्री अब्दुल अजीज : मैंने कह दिया अनुमति है, अनुमति है। कितनी बार कहलवाओगे_(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो यह बताइये कि कितनी तारीख को दी? अनुमति कितनी तारीख को दी? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सरकार ने अनुमति दी है तो कितनी तारीख को दी है? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : कितनी तारीख को दी है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : एक साथ दी है या अलग-अलग दी है, यह बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, मैंने आगे का क्वेश्चन_ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, केवल यह बता दें कि अनुमति कब दी है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नो। डिटेल में रिप्लाई दे चुके हैं। श्री हेमन्त कुमार।

मोहम्मद माहिर आजाद : मुझे लिस्ट ही नहीं मिली, अध्यक्ष महोदय। कोई चीज ही नहीं है, न तो पूरी लिस्ट मिली।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, सवाल का बहुत कैटेगोरिकल आरोप यह है कि जो समितियां बनायी गयी हैं उनमें मेम्बर्स ऐसे रखे गये हैं जिनमें वक्फ बोर्ड का बकाया है। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह तो सीधा सवाल है।

श्री अध्यक्ष : मैंने नैक्स्ट क्वेश्चन काल कर लिया है, सुरेन्द्रजी, बैठिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अध्यक्ष महोदय, इतना-सा स्पेसिफिक जवाब दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष : आप खड़े हो गये हैं इससे मैं अबाउट टर्न नहीं होऊंगा इस तरह से।

प्रश्न संख्या-159

श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री हेमन्त कुमार।

ललित कला अकादमी को देय सहायता

160. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर के परिसर में एक गैर सरकारी कला संस्था "पेग" द्वारा आयोजित संगोष्ठी में सरकारी अधिकारियों विशेषकर श्री सुमहेन्द्र, उप प्राचार्य राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स, श्री विद्यासागर उपाध्याय, व्याख्याता, स्कूल आफ आर्ट्स, डा. नाथूलाल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, ललित कला संकाय, राजस्थान विश्वविद्यालय आदि ने राजस्थान ललित कला अकादमी को राज्य सरकार द्वारा पर्याप्त सहायता उपलब्ध नहीं कराने पर सरकार की तीखी आलोचना करके जयपुर को कला के क्षेत्र में औरंगजेब की नगरी बताया? क्या उक्त अधिकारी/कर्मचारियों ने प्रचलित राजस्थान सेवा नियमों का खुला उल्लंघन किया है?

(2) क्या सरकार उक्त सरकारी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? अब तक इस दिशा में सरकारी स्तर पर की गई कार्यवाही का विवरण सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष : कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री।

एक माननीय सदस्य : कोई जवाब देने वाला ही नहीं है। जवाब देने वाला ही नहीं है, कैसी स्थिति हो रही है? (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : सवाल का उत्तर ढूंढ रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रश्नकाल के एक-एक क्षण की कीमत है, अध्यक्ष महोदय, एक-एक क्षण की कीमत है। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : संबंधित मंत्री इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी सवाल का जवाब लेकर नहीं आये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह सदन के प्रति भी अटेंटिव नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : शिक्षा विभाग को प्रश्न...(व्यवधान) कर दिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा : आप बहुत होशियार हैं न, मंत्रीजी... (व्यवधान) बता दें इसका उत्तर... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह कैसी विडम्बना है कि सवाल का जवाब मंत्रीजी के पास नहीं है। प्रश्नकाल का एक-एक क्षण कीमती है और यह जवाब लेकर नहीं आये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह प्रश्नकाल का मजाक बना रखा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह प्रश्नकाल का मजाक है, यह क्या हो रहा है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी के पास जवाब नहीं है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपने प्रश्नकाल कर दिया और उस प्रश्न का जवाब मंत्रीजी के पास नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कांग्रेस के + + + हरिसिंहजी क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को प्रताड़ित कीजिये, सरकार ने इस सदन को मजाक बना कर रख दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कांग्रेस के + + + हरिसिंहजी महुवा क्या कर रहे हैं? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यह क्या हो रहा है? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : यह हायर एजुकेशन का है, मैं उत्तर दे रहा हूं। मैं दे रहा हूं...(व्यवधान) यह सी.पी. जोशीजी का है...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या देंगे? (व्यवधान)

कार्मिक मंत्री (श्री बुलाकीदास कल्ला) (कला एवं संस्कृति राज्य मंत्री के स्थान पर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से। (1) जी, नहीं। दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को राजस्थान स्कूल आफ आर्ट, जयपुर के परिसर में किसी भी संस्था द्वारा संगोष्ठी आयोजित नहीं की गयी।

(2) दिनांक 26.12.2000 को किसी प्रकार की संगोष्ठी ही आयोजित नहीं होने पर कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। अध्यक्ष महोदय, चूंकि यह प्रश्न हायर एजुकेशन से संबंधित है...(व्यवधान) हमारे माननीय मुख्य सचेतकजी ने उसका उत्तर दे दिया है जो मैंने आपको पढ़कर सुना दिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : उत्तर दूसरा है। यह वह जवाब ही नहीं है, दूसरा जवाब है यह। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : अध्यक्ष महोदय, यह बिलकुल तथ्य से परे है, असत्य जवाब दिया गया है। मीटिंग हुई है, 27 तारीख का अखबार देखा जाए। यह बिलकुल गलत जवाब दिया गया है... (व्यवधान) गलत जवाब है बिलकुल, 27 तारीख का

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हेमन्त कुमार)

आप अखबार देखिये। बिलकुल गलत जवाब है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह सवाल हीं नहीं था, दूसरा पढ़ गये कल वाला। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, जो विभाग से सूचना प्राप्त हुई है उसके आधार पर दिनांक 26 दिसम्बर, 2000 को राजस्थान स्कूल आफ आर्ट्स, जयपुर के परिसर में किसी भी संस्था द्वारा कोई संगोष्ठी आयोजित नहीं की गई। यही प्रश्न है और इसका बिलकुल सही उत्तर दिया है। (व्यवधान) इसकी जानकारी नहीं है।

श्री हेमन्त कुमार : संगोष्ठी आयोजित की गयी है, 27 तारीख को अखबार में छपा है। यह जवाब बिलकुल असत्य है।

श्री अमराराम (धोद) : जानकारी तो, मंत्रीजी, आपको ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : मैं माननीय सदस्य से पूरी जानकारी करके इसकी जांच करवा लूंगा। (व्यवधान)

श्री हेमन्त कुमार : ठीक है धन्यवाद। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इस तरह का जवाब आपके सामने बैठकर दिया जा रहा है और माननीय विधायक को इशारा करके बैठाया जा रहा है मंत्रीजी द्वारा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, इन मंत्रियों को बरखास्त करें। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : यह कौनसा प्रश्न है? (व्यवधान) उसका जवाब दूसरा दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, ये मंत्री असक्षम हैं, इन मंत्रियों को बरखास्त करें। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आपकी आज्ञा से किसी का भी जवाब दे सकते हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : जिन्होंने क्वेश्चन किया है...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : कोई संतुष्ट नहीं हैं, आपने इशारा करके बैठाया है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह पूरी तरह से संतुष्ट हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने इशारा करके उनको बैठाया है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : वह संतुष्ट हैं। (व्यवधान) आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसे क्यों नहीं कर सकते हैं? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : आप आसन को संबोधित कीजिये... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने इशारा करके उनको बैठाया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री हेमन्त कुमार।

श्री हेमन्त कुमार : सरकार जांच करके जवाब दे रही है, मैं इससे संतुष्ट हूं।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट।

प्रश्न संख्या-161

श्री रामनारायण विश्नोई।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखें)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी, आप इतने असक्षम हैं कि आपसे शिक्षा मंत्रालय भी छिन गया। माननीय बी.डी. कल्लाजी, आप इतने असक्षम हैं कि शिक्षा मंत्री का पद छिन गया, अब यह भी छिन जाएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

श्री हीरालाल विश्नोई : मेरे प्रश्न का क्या हुआ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप लेट आये हो। इस प्रश्न के बाद अगर समय होगा तो देखेंगे। आप जोधपुर में शादियों में व्यस्त थे। श्री हीरासिंह चौहान।

राज्य में विद्युत दर वृद्धि से उपभोक्ताओं को लाभ

162. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) सरकार द्वारा 1 जनवरी, 1999 के बाद विभिन्न श्रेणी की विद्युत दरों तथा अन्य मदों में कब-कब कितनी-कितनी बढ़ोतरी की गई?

(2) उक्त वृद्धि से 1 जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक कितनी राशि प्राप्त हुई?

(3) क्या यह सही है कि इसका अतिरिक्त भार डालने के बाद भी किसानों को विभाग पर्याप्त बिजली नहीं दे पाया? यदि हां, तो इसके क्या कारण रहे? बारां, कोटा व पाली जिले में किसानों को अक्टूबर, 2000 से जनवरी, 2001 तक कितने-कितने घंटे बिजली उपलब्ध करवाई गयी?

(4) क्या यह भी सही है कि जब किसानों को पर्याप्त बिजली नहीं दे पाये तो विद्युत दरें व अन्य मदों में बढ़ोतरी करने का उपभोक्ताओं को क्या लाभ रहा?

ऊर्जा मंत्री (डा. चन्द्रभान) : (1) 1 जनवरी, 1999 के बाद विभिन्न श्रेणी की विद्युत दरों तथा अन्य मदों में निम्नप्रकार से वृद्धि की गई है :—

(अ) **विद्युत दरों में वृद्धि** : विद्युत दरों में वृद्धि बिलिंग माह नवम्बर, 1999 से की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(ब) **अन्य मदों में वृद्धि** : [1] स्थाई सेवा शुल्क, मीटर किराया इत्यादि में वृद्धि : यह वृद्धि बिलिंग माह मार्च, 1999 तथा बिलिंग माह मार्च, 2000 में की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(डा. चन्द्रभान)

[2] **ईंधन अधिभार में वृद्धि :** ईंधन अधिभार में बिलिंग माह जून, 1999 में 102 पैसे से 116 पैसे प्रति माह तथा मई, 2000 से 116 पैसे से 146 पैसे प्रति माह की वृद्धि की गई।

[3] **विद्युत शुल्क में वृद्धि :** यह वृद्धि बिलिंग माह अप्रैल, 1999 तथा अप्रैल, 2000 में की गई जिसका विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(2) (अ) विद्युत दरों में वृद्धि से माह जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक 605 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है।

(ब) **अन्य मदों में वृद्धि से राजस्व :**

(क) स्थाई सेवा शुल्क व मीटर किराये इत्यादि में वृद्धि से जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक 70 करोड़ का राजस्व अनुमानित है।

(ख) ईंधन अधिभार में वृद्धि से माह जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक 240 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है।

(ग) विद्युत शुल्क में वृद्धि से माह जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक 50 करोड़ रुपये का राजस्व अनुमानित है।

(3) राज्य में विद्युत आपूर्ति हेतु राज्य के विद्युत उत्पादन गृहों, अन्य राज्यों व केन्द्रीय विद्युत गृहों से मंहगी दरों पर विद्युत क्रय की जाती है। इसके अतिरिक्त सामग्री व संचालन खर्च भी बढ़ता रहता है। विद्युत आपूर्ति की दरें कम होने के कारण विद्युत वितरण में बढ़ रहे घाटे को कम करने के लिए विद्युत व अन्य दरें बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। बारां, कोटा व पाली जिले समेत राज्य में माह अक्टूबर, 2000 से जनवरी, 2001 तक किसानों को प्रति दिन औसतन 6 से 8 घंटे ब्लाक में व सायंकाल सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जाती रही है। उत्तरी ग्रिड में विद्युत उपलब्धता में कमी होने व यांत्रिक खराबी के कारण कभी-कभी इस व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है। परन्तु उस समय इस कमी को अन्य राज्यों से विद्युत क्रय करके तथा यथासम्भव उत्तरी ग्रिड में से ओवर ड्रा करके विद्युत आपूर्ति करने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

(4) विद्युत क्रय, सामग्री व संचालन खर्च में बढ़ोतरी व कम दर पर विद्युत आपूर्ति के कारण हो रहे घाटे को कम करने के लिए विद्युत व अन्य मद की दरें बढ़ाना आवश्यक हो जाता है। विद्युत उपलब्धता के अनुसार किसानों को प्राथमिकता देकर विद्युत आपूर्ति करने के हर समय प्रयास किये जाते हैं।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि एक-एक साल में दो-दो वार वृद्धि की गई। आपने प्रश्न संख्या-1 के उत्तर में परिशिष्ट "अ" लगाया है, जिसमें आपने जयपुर विद्युत

(श्री हीरासिंह चौहान)

वितरण निगम लिमिटेड के बारे में जो विवरण दिया है वह इस प्रकार का दिया है जिसको कोई समझ ही नहीं सकता। परिशिष्ट "अ" में आपने लिखा है Domestic : First 50 units/month, balance above 50 pre-revised rates 112. और आगे लिखा है 151 एवी.। और नवम्बर, 1999 में ओनवर्डस 155। इस प्रकार यह सम्पूर्ण लिस्ट है नान डोमेस्टिक, पब्लिक स्ट्रीट लाइटिंग, एग्रीकल्चर सर्विस मीटर्ड सप्लाई है। connections in Urban Areas & connections receiving supply from continuous/24 hours supply feeders. इसमें आपने जो रेट्स दी हैं सभी इस प्रकार की दी हैं कि जिसको देखने से कोई समझ ही नहीं सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे आगे जानकारी चाहूंगा कि स्थायी सेवा शुल्क, मीटर किराया, ईंधन अधिभार और विद्युत शुल्क में वृद्धि आपने किस आधार पर की? किसानों और उपभोक्ताओं को महंगी बिजली देने के लिए, अपने घाटे की पूर्ति करने के लिए इस प्रकार के अधिभार लगाने के पीछे और क्या कारण हैं, ये भी सदन को बताये जाएं।

अध्यक्ष महोदय, हमने दूसरा सवाल बहुत स्पष्ट किया था कि जनवरी, 1999 से जनवरी, 2001 तक। यह सवाल मई में लग रहा है, इस समय भी आप अनुमानित दे रहे हैं जबकि इनको तीन महीने बीत चुके हैं। हमने पूछा था, अनुमानित आय का क्या मतलब है? स्थायी सेवा शुल्क, मीटर किराये में आपने अनुमानित आय बताई 70 करोड़ रुपए और इसी प्रकार अधिभार बताया है 240 करोड़ रुपए। तीन महीने निकल गये, फिक्स अमाउण्ट कितना मिला, कितना सरकार को रिसीव करना चाहिए, कितनी आमदनी होनी चाहिए, उसके बारे में अभी भी आप डाउटफुल हैं। इन्होंने सवाल के खण्ड तीन में बताया है कि छह से आठ घण्टे बिजली दी गई, मेरा आरोप है कि कभी भी राजस्थान में छह से आठ घण्टे बिजली नहीं दी गई। मेरा यह स्पष्ट आरोप है। उपभोक्ता, किसान सब इस बिजली आपूर्ति के कारण कई प्रकार की बरबादी झेल चुके हैं। बिलकुल गलत उत्तर दिया है हाउस में, इसलिए मैं आरोप लगाता हूं। तीसरे नम्बर पर जो उत्तर दिया है कि उत्तरी ग्रिड फेल हो गया, वह फेल हो गया, इसका कोई कारण नहीं है। आपने राजस्थान के किसानों को, जनता को यह विश्वास दिलाया था कि हम छह घण्टे बिजली की आपूर्ति करते रहेंगे, लेकिन छह घण्टे की आपूर्ति, आठ घण्टे की आपूर्ति आपने नहीं की इसलिए मैं आप पर स्पष्ट आरोप लगाता हूं कि बिजली के मामले में आपने दुनिया भर के अधिभार और शुल्क बढ़ा दिये, इसके बाद भी किसानों और उपभोक्ताओं को आप बराबर बिजली नहीं दे सके। आज स्थिति बड़ी खराब हो चुकी है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं भी पूछ लूं?

डा. चन्द्रभान : नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं पहले उनके सवाल का जवाब दे दूं फिर आपके सवाल का भी जवाब दे दूंगा। अध्यक्ष महोदय, रायपुर से आने वाले माननीय सदस्य का यह कहना सही नहीं है कि विद्युत दरों में बार-बार वृद्धि की गई है। आपने जो सवाल किया था उसका मैंने स्पष्ट जवाब दिया है। जनवरी, 1999 से 1 जनवरी, 2001 तक, अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनी इसके बाद में नई दरों को भी लें तो हमें बिजली की दरों में दो बार वृद्धि की है— एक बार साढ़े सत्रह प्रतिशत और एक बार की गई 16.75 प्रतिशत पहली नवम्बर, 1999 बिलिंग माह से की थी और अब 1 अप्रैल, 2001 से की है। मीटर किराया, सर्विस चार्ज और इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी में भी केवल दो बार वृद्धि की गई है। एक जो आप कह रहे हैं विद्युत शुल्क के बारे में, मीटर्ड सप्लाई वाले फार्मर्स से विद्युत शुल्क लिया जाता है और फ्लैट रेट वालों से नहीं लिया जाता है।

आपने एक और बात कही कि जयपुर डिस्काम के बारे में परिशिष्ट में जो जानकारी दी है वह स्पष्ट नहीं है। वह स्पष्ट है, मैं पढ़ देता हूं। पहली पचास यूनिट होती है एक महीने के अंदर, दो महीने का बिल होता है वैसे, उसमें पहले 1 रुपया 12 पैसे थे, उसको रिवाइज करके नवम्बर, 1999 में 1 रुपया 55 पैसे कर दिया गया है। बैलेंस एबव 50 यूनिट्स पर मंथ 1 रुपया 51 पैसे एवरेज था, ए.वी. का मतलब एवरेज है, यह 2 रुपये 20 पैसे हो गया। नान डोमेस्टिक होटल, रेस्टोरेंट और शाप्स में जो बिजली दी जाती है उसकी दर पहले 1 रुपए 85 पैसे थी, वह 2 रुपए 64 पैसे हो गयी। 2 रुपए 38 पैसे एवरेज से 3 रुपए 44 पैसे हो गया। इसी तरह से एग्रीकल्चर में 50 पैसे था, वह 70 पैसे हो गया। नर्सरी वगैरह में जो था उसका डबल, 1 रुपया 40 पैसे हो गया। अध्यक्ष महोदय, इसमें एकदम स्पष्ट है।

एक बात और आपने कही है, इतने दिनों का समय हो गया और राजस्व अभी भी अनुमानित है। अध्यक्ष महोदय, अभी भी आप जानते हैं और माननीय सदस्य भी जानते हैं, टोटल रेवेन्यू का जो कलेक्शन होता है उसमें एनर्जी चार्ज भी होता है, मीटर चार्ज भी होता है, सर्विस चार्ज भी होता है और दूसरे कनेक्शन वगैरह के चार्ज भी होते हैं। कुल मिलाकर हमारा रेवेन्यू कलेक्शन होता है वह अनुमानित इसलिए कहा जाता है कि कितना मीटर से चार्ज हुआ, उसको अलग-अलग नहीं लिया जाता है। अगर आप कोई एक्जैक्ट मांगना चाहेंगे तो एक्जैक्ट फिगर भी इससे पता करके दिया जा सकता है।

एक माननीय सदस्य ने यह कहा कि बिजली किसानों को 6 से 8 घण्टा नहीं दी गई। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल किया है कि 1 जनवरी, 1999 से, आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 1 दिसम्बर, 1998 को हमारी सरकार ने शपथ ली थी और वह 1998-99 का वित्तीय वर्ष

(डा. चन्द्रभान)

था। 1 जनवरी, 1999 से लेकर 31 मार्च, 1999 तक किसानों को पूरे आठ घण्टे बिजली दी, इसको आपने भी स्वीकार किया है, सब मानते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1999-2000 में भी किसानों को आन एण्ड एवरेज 7 से 8 घण्टे बिजली दी गई। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार भी आन एण्ड एवरेज, मैं आपको आंकड़े दे दूंगा, एनर्जी जो कंज्यूम हुई है एग्रीकल्चर सैक्टर में वह 4 से 5 प्रतिशत प्रति वर्ष ज्यादा हुई है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : कोई कांग्रेस का एम.एल.ए. भी कह दे...(व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : 6 से 8 घण्टे बिजली हमेशा किसानों को दी है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई कांग्रेस का एम.एल.ए. भी कह दे कि 8 घण्टे बिजली दी गई है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, यह जो उत्तर दिया गया है, बिलकुल असत्य दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप 6 घण्टे की बात कर रहे हैं... (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : ठीक सप्लाई सब जगह दी गई, जनवरी-फरवरी में कुछ ग्रिड के बंद होने के कारण कमी रही होगी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आसन पैरों पर। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजिये। एक साथ खड़े होकर...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : असत्य बोल रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि कोई कांग्रेसी सदस्य कह दे...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह असत्य बात कर रहे हैं, राजस्थान की जनता को गुमराह करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : आपके आहूजा साहब खड़े हो जाते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, कोई कांग्रेस का एम.एल.ए. भी यह कह दे कि बिजली आठ घण्टे आई है तो हम मान जाएंगे। कोई भी कह दे तो।

श्री अध्यक्ष : सब कहेंगे कि मत करो...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : असत्य बोल रहे हैं, सरासर असत्य बोल रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, बात यह नहीं है, विवाद यह नहीं है...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : अध्यक्ष महोदय, आपने तो बिजली की जगह हमारी टांग तोड़ी थी। आपने तो बिजली की जगह टांग तोड़ी थी टांग, इसी सदन में। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : + + + यह नहीं चलेगा।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री अध्यक्ष : श्री मदन दिलावर, प्रश्नकर्ता। एक-एक अनुपूरक प्रश्न पूछिये आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा था कि जनवरी, 1999 और एक अप्रैल, 2001 के पहले विद्युत की दरें विभिन्न मदों को मिलाकर एवरेज प्रति यूनिट कितनी पड़ती थीं, और अब एक अप्रैल, 2001 को क्या पड़ने लग गई हैं, थोड़ा इसको बताने की कृपा करें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : इसका उत्तर आने दीजिए।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सवाल किया है, मैं बहुत संक्षेप में निवेदन करना चाहूंगा कि दो बार हमने विद्युत की दरें बढ़ायीं। जैसा मैंने कहा, 50 यूनिट से कम डोमेस्टिक में एक रुपया 12 पैसे थी उसको बढ़ाकर हमने नवम्बर, 1999 में एक रुपया 55 पैसे और अब फिर 15 पैसे की इन्क्रीज करके एक रुपये 70 पैसे किया। उसमें भी पहली बार, चूंकि गांवों में विद्युत सप्लाई सही नहीं होती है, गरीब लोग रहते हैं, उसमें 10 परसेंट की रिबेट दी है शहरों के मुकाबले। जो दरें आप कह रहे हैं उनमें हमने जो वृद्धि की है। वह दो रुपये 20 पैसे पहले थी, अब बढ़ाकर 2 रुपये 75 पैसे की है, यह बात सही है। एग्रीकल्चर में 50 पैसे थी उसको 70 पैसे किया। पहले इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी मीटर्ड जो फार्मर्स...

श्री मदन दिलावर : ये पूछ रहे हैं यह सुन ही नहीं रहे हो आप।

डा. चन्द्रभान : एक सैकण्ड।

श्री मदन दिलावर : यह पूछ ही नहीं रहे हम।

डा. चन्द्रभान : आप पूछ रहे हैं स्पेसिफिक कितनी बढ़ी। 50 की 70 हुई है। यह आपने पूछा 1999 से 2001 अप्रैल तक का। इस सवाल में नहीं है अप्रैल का। 1 जनवरी, 1999 से 2001 तक का ही आपने सवाल किया है, लेकिन मैं अप्रैल, 2001 तक का ही बता देता हूं।

श्री मदन दिलावर : मैं पूरक कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : 50 से 70, 70 पैसे से 90 पैसे, 3 पैसे की ड्योडी बढ़ी। पहले 51 पैसे टोटल था अब वो फार्मर्स को 94 पैसा देना पड़ेगा। आपकी फ्लैट रेट पहले 32, 37, 43 तीन कैटेगरी थीं। जहां गहरा पानी था उसकी दर भी ज्यादा थी पर हार्स पावर। हमने उनको एक समान करके 60 रुपये हार्स पावर किया और अब 85 रुपये प्रति हार्स पावर है। किसानों को हम यह भी छूट देने जा रहे हैं, यदि कोई फ्लैट रेट को महंगा मानता है तो वह मीटर में आ सकता है। (व्यवधान) इसी तरह से डोमेस्टिक और नान डोमेस्टिक है। इसी तरह से इंडस्ट्रीज में क्योंकि कई कैटेगरीज हैं, करीब 6 से 8 परसेंट की इन्क्रीज की थी और अबकी बार भी हमने उसका एनर्जी चार्ज तो नहीं बढ़ाया, लेकिन फिक्स चार्ज बढ़ाया। उसका एवरेज आता है 18

(डा. चन्द्रभान)

नये पैसे से 23 नये पैसे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहूंगा, पहले जो टैरिफ इन्क्रीज की थी उससे 480 करोड़ रुपये के राजस्व में प्रति वर्ष वृद्धि होने की सम्भावना थी और अब जो टैरिफ इन्क्रीज की है उससे 677 करोड़ रुपये की वृद्धि होगी। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी जानकारी सदन को देना चाहूंगा कि टैरिफ इन्क्रीज होने के बाद में जहां 480 करोड़ रुपये का रेवेन्यू इन्क्रीज होना चाहिए था उसकी जगह जो हमारा रेवेन्यू इन्क्रीज हुआ है, आपके शासनकाल में 3300 करोड़ रुपये से ऊपर नहीं बढ़ता था अबकी बार रेवेन्यू 4600 करोड़ रुपये आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : खूब लूटा।

डा. चन्द्रभान : 1300 करोड़ की इन्क्रीज हुई है। अध्यक्ष महोदय, पहली बार टी एण्ड डी लोसेज 2.23 परसेंट डिक्रीज हुए हैं। चोरी को रोकने के द्वारा टैक्नीकल लासेज को कम किया है। उससे 100 करोड़ रुपये का ए.आर.एम. हमने किया। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं—

श्री अध्यक्ष : प्रतिपक्ष के नेता। (व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी करना चाहता हूं। माननीय मंत्री महोदय, कृपया यह बताने की चेष्टा करें, आपने जो क्वेश्चन के उत्तर में बताया है कि हमने 1/99 से इतनी-इतनी रेट बढ़ायी उसका टोटल होता है 965 करोड़ रुपये। इस समय जो रैगुलेटरी कमीशन ने रेट बढ़ाने के प्रस्ताव रखें हैं, जो आपने लागू कर दिये हैं वह है 677 करोड़ रुपये। दोनों मिलाकर 1,642 करोड़ रुपया होता है। इसका मतलब यह है कि आपने पिछले दो वर्ष में किसानों पर या अन्य उपभोक्ताओं पर अपनी रेट बढ़ाकर 1,642 करोड़ रुपया बढ़ाया है, मैं यह जानकारी करना चाहता हूं?

श्री अमराराम (धोद) : मिनिमम चार्जेज और हैं इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह अलग है। मिनिमम चार्जेज इससे अलग है। लेकिन यह सारा जो आपने बढ़ाया है उसके कारण से राजस्थान की जनता को लाभ क्या होने वाला है, यह बता दो।

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने जो फिगर मैंने दिये हैं इनको जोड़ लिया। लेकिन, अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो फिगर हैं वह एक नवम्बर, 1999 से लेकर एक जनवरी, 2001 तक के हैं। उनके महीनों को आप कैलकुलेट कीजिए फिर उसका सालाना निकालिए, नम्बर एक।

नम्बर दो, जो अब आप कह रहे हैं 670 करोड़, वह तो एक अप्रैल से लागू होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको कहना

(डा. चन्द्रभान)

चाहूंगा कि हमने जो पहले साल में इन्क्रीज किया वह नवम्बर में किया, उसके चार महीने का ही इंपैक्ट आएगा। मार्च का भी अप्रैल में जाता है, उससे टैरिफ इन्क्रीज मीटर और सर्विस चार्ज से 200 करोड़ का एक्स्ट्रा रेवेन्यू आना चाहिए था उसके अगेंस्ट में 600 करोड़ रुपया आया, मतलब 4 हजार करोड़ रुपया। उसके बाद में मैं यह कहना चाहूंगा कि इस वर्ष जो रेवेन्यू था वह यदि उस समय की टैरिफ से देखें तब तो कहा गया 1,200 करोड़। अन्यथा भी वह 600 करोड़ मैंने पहले ही कह दिया, 480 करोड़ प्लस 120 करोड़। ए.आर.एम. 2.23 परसेंट टी एण्ड डी लासेज को घटाकर। तो मेहरबानी करके यह जो 965 करोड़ है इसको आप एक साल का मत मानिए। यह जो इन्क्रीज हुआ है टोटल मिलाकर करीब डेढ़ और पौने दो साल में 965 करोड़ हुआ है। यह बात तो सही है यह 670 करोड़ है। अब जो रेवेन्यू इन्क्रीज के लिए हमने कहा है अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1990 में आपने शासन सम्भाला था...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप जवाब दीजिए, प्रश्न मत कीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब दिलाइए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह बता दो 1,300 करोड़ रुपये की जो रेवेन्यू बढ़ायी है वह आपने उपभोक्ताओं को लूटकर ली है या नहीं? 1642 करोड़ की जो रेवेन्यू बढ़ी है...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : राजस्थान की जनता के साथ क्या किया है?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, लोगों को लूटा है इस सरकार ने। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अध्यक्ष महोदय, आप जो कह रहे हैं अकाल में लूट लिया है...

एक माननीय सदस्य : यह किसान विरोधी सरकार है। (व्यवधान)

कई माननीय सदस्य : + + + बिजली की दरें वापस लीजिए + + + (व्यवधान) + + +

डा. चन्द्रभान : अध्यक्ष महोदय, जब केन्द्र सरकार बिजली की दरों में वृद्धि करती है, कोयले और डीजल के दाम बढ़ाती है तो इनके प्रधानमंत्री कहते हैं दरें बढ़ाओ, तो मजबूरी में सरकार को दरें बढ़ानी पड़ती हैं।

कई माननीय सदस्य : + + +

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में लगातार नारेबाजी एवं धरना)

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : अध्यक्ष महोदय, यह जो बिजली की दरों में वृद्धि की गई है...(व्यवधान)

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं...(व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : यह किसान का मामला है, कुछ तो रहम करो।

श्री जुगल काबरा : नेशनल थर्मल कारपोरेशन द्वारा बिजली की दरों में इतनी वृद्धि की गई है और उससे...(व्यवधान)

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : अध्यक्ष महोदय, हम इस बात को लेकर सदन के बीच में धरना देते हैं।

(श्री जीतमल खांट, माननीय सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि नेशनल थर्मल कारपोरेशन द्वारा बिजली की दरों में कितनी वृद्धि की गई है? नेशनल एटोमिक पावर कारपोरेशन द्वारा बिजली की दरों में कितनी वृद्धि की गई है? और इसके कारण विद्युत मण्डल को कितनी राशि का अधिक भुगतान करना पड़ा है?

डा. चन्द्रभान : केन्द्र में जितने भी उपक्रम हैं उन्होंने बिजली की दरों में 30 प्रतिशत की वृद्धि की है। अध्यक्ष महोदय, इसी हाउस ने पावर सैक्टर रिफार्म्स एक्ट को पास किया है, राजस्थान सरकार बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस नहीं ले सकती। (व्यवधान) आपको रैगुलेटरी कमीशन के फैसले का सम्मान करना चाहिए। केन्द्र में आपकी सरकार है वह कहती है कि रैगुलेटरी कमीशन स्थापित करो, आपको उसके फैसले का सम्मान करना चाहिए। (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में निरंतर नारेबाजी)

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : + + + (व्यवधान) + + +

अनेक माननीय सदस्य : + + +

(सत्ता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : + + +

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त।

(12.00 बजे)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर

विधान सभा क्षेत्र सांचौर के विद्यालयों में रिक्त पद

157. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में

+ + + नारेबाजी अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हीरालाल विश्नोई)

व्याख्याताओं, प्रधानाध्यापकों एवं वरिष्ठ अध्यापकों के कितने-कितने पद रिक्त हैं?

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सांचौर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 04 प्रधानाध्यापक, 19 व्याख्याता एवं 11 वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं।

(2) जी, हां। रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

उप खण्ड प्रतापगढ़ (चित्तौड़गढ़) में भू-जल स्तर में वृद्धि हेतु सर्वे

159. **श्री नन्दलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या राज्य सरकार ने भू-जल स्तर में वृद्धि के लिए प्रदेश स्तर पर एनीकट, गांवाई तालाब, चैक डैम्स और सबसरफेस बैरीयर्स बनाने का सर्वेक्षण किया है या किया जा रहा है? यदि हां, तो उपखण्ड प्रतापगढ़ की किन-किन पंचायतों के गांवों में किस प्रकार के कार्य किये जाने का विचार है?

उत्तर

राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन जोधपुर स्थित स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर द्वारा हवाई छायाचित्रों के व्याख्याकरण एवं सुदूर संवेदन तकनीक द्वारा सम्पूर्ण राज्य में पंचायत समितिवार भू-जल स्तर की वृद्धि हेतु एनीकट स्थल के चयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है, जो कि भू-जल स्तर बढ़ाने हेतु अत्यन्त उपयोगी साधन है। इनसे सम्बन्धित मानचित्र 1:50,000 पैमानों पर समय-समय पर विशिष्ट योजना संगठन (ग्रामीण विकास विभाग), सम्बन्धित जिलों के पंचायत समिति मुख्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग एवं वन विभाग आदि को केन्द्र द्वारा प्रेषित किये जा चुके हैं।

स्टेट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेन्टर, जोधपुर द्वारा भू-जल स्तर में वृद्धि के सन्दर्भ में वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर (एनीकट) का सर्वे किया गया था। चित्तौड़गढ़ जिले के उपखण्ड प्रतापगढ़ क्षेत्र में वाटरशेड योजना अन्तर्गत पंचायत समिति प्रतापगढ़ एवं अरनोद के विभिन्न स्थानों पर क्रमशः 62 एवं 24 स्थानों के लिए वाटर हारवेस्टिंग स्ट्रक्चर के निर्माण कार्य प्रस्तावित किये गये थे। भारत सरकार द्वारा दिनांक 1.4.1999 से ई.ए.एस. (जलग्रहण) योजना बन्द कर दिये जाने के फलस्वरूप इन प्रस्तावों को स्वीकृत नहीं किया जा सका। ग्रामीण विकास विभाग

(विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री)

की सर्वे रिपोर्ट के प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

इनके अतिरिक्त सिंचाई विभाग द्वारा प्रतापगढ़ पंचायत समिति में कुल 339 निर्माण कार्य (187 पुराने निर्मित सुदृढ़ीकरण, 152 नये कार्य) एवं अरनोद पंचायत समिति में कुल 139 निर्माण कार्य (31 पुराने निर्मित सुदृढ़ीकरण एवं 108 नये कार्य) प्रस्तावित हैं। सिंचाई विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्यों की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा अनियमित अनुदान

161. श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या वर्ष 1997-98 व 1998-99 में सहायक निदेशक, उद्यान श्रीगंगानगर के द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्रिप संयंत्र गणना तालिका से गणना की गई और उसके अनुसार सम्बन्धित कम्पनियों को अनुदान की राशि दी गई ?

(2) उक्त राशि किस कम्पनी को कितनी दी गई ?

(3) क्या उक्त राशि भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दी गई ? यदि नहीं, तो क्यों और सक्षम अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997-98 व 1998-99 में सहायक निदेशक उद्यान, श्रीगंगानगर के द्वारा ड्रिप संयंत्रों पर कुल क्रमशः 15,07,520/- रुपये (अक्षरे पन्द्रह लाख सात हजार पांच सौ बीस) एवं 25,81,502/- रुपये (अक्षरे पच्चीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ दो) कुल 40,89,022/- रुपये (अक्षरे चालीस लाख नवासी हजार बाईस) का अनुदान भुगतान किया गया परन्तु भारत सरकार द्वारा निर्धारित ड्रिप संयंत्र, गणना तालिका के आधार से गणना न करने के कारण से सम्बन्धित कम्पनियों को वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में क्रमशः 2,61,762/- रुपये (अक्षरे दो लाख इकसठ हजार सात सौ बासठ) एवं 4,67,745/- रुपये (अक्षरे चार लाख सड़सठ हजार सात सौ पैंतालीस) कुल 7,29,507/- (अक्षरे सात लाख उन्तीस हजार पांच सौ सात) अनुदान की राशि का अधिक भुगतान कर दिया गया है जिसका कम्पनीवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) 1997-98 एवं 1998-99 में उक्त राशि का कम्पनीवार किया गया कुल भुगतान इस प्रकार से है।

(कृषि मंत्री)

वर्ष 1997-98

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	भुगतान की राशि (रुपये)
1.	अजय इण्ड. कार्पो.	13,34,928/- (अक्षरे तेरह लाख चौंतीस हजार नो सौ अठाईस)
2.	आईडीएल.	1,44,668/- (अक्षरे एक लाख चौवालिस हजार छह सौ अड़सठ)
3.	नोसिल	27,924/- (अक्षरे सत्ताईस हजार नो सौ चौबीस)
	कुल योग	**15,07,520/- (अक्षरे पन्द्रह लाख सात हजार पांच सौ बीस)**

वर्ष 1998-99

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	भुगतान की राशि (रुपये)
1.	अजय इण्ड. कार्पो.	3,01,012/- (अक्षरे तीन लाख एक हजार बारह)
2.	आईडीएल.	70,090/- (अक्षरे सत्तर हजार नब्बे)
3.	परीक्षित	13,49,595/- (अक्षरे तेरह लाख उन्नचास हजार पांच सौ पिच्चानवे)
4.	पायोनियर	6,82,704/- (अक्षरे छह लाख बियासी हजार सात सौ चार)
5.	रूंगटा	1,78,101/- (अक्षरे एक लाख अठहत्तर हजार एक सौ एक)
	कुल योग	**25,81,502/- (अक्षरे पच्चीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ दो)**
	महायोग (वर्ष 1997-98 एवं 1998-99)	**40,89,022/- (अक्षरे चालीस लाख नवासी हजार बाईस रुपये)**

(3) जी, नहीं। अधिक दी गयी अनुदान भुगतान राशि रुपये 7,29,507/- (अक्षरे सात लाख उन्नतीस हजार पांच सौ सात) को संबंधित कम्पनियों से वसूली हेतु वर्ष 2000-01 में उनका देय अनुदान भुगतान राशि रोक ली गई है। अधिक अनुदान राशि भुगतान में प्रथम दृष्ट्या कुल तीन अधिकारी क्रमशः श्री बी.के.सिंह, श्री पृथ्वीराज घिण्टाला एवं श्री राजकुमार शर्मा दोषी हैं। प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-1) विभाग से करवायी जा रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जावेगा उसके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-4 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जिला धौलपुर में कागज बनाने के कारखाने की स्थापना

299. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या जिला धौलपुर में कागज बनाने का कच्चा माल उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या सरकार धौलपुर जिले में ही कागज का कारखाना लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी, नहीं।

आवासीय महल योजना के पास उद्योगों की स्थापना

300. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या रीको द्वारा जगतपुरा जयपुर के आस-पास तथा जयपुर विकास प्राधिकरण की महल योजना के सामने कोई भूमि अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो कौन-कौनसी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्ड जो किसी पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा भूखण्डधारियों को विधिवत आबंटित कर उनको कब्जा दे दिया गया तथा उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में भी प्रस्तुत किया जाकर प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्डों को नियमित किये जाने हेतु नियमानुसार भूखण्डधारियों से राशि भी जमा करा ली है? क्या उनको अवाप्त किया जा सकता है? यदि हां, तो किस नियम एवं अधिकारिता से? विवरण मय नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या औद्योगिक कार्य हेतु भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण की अधिकृत आवासीय महल योजना के सामने या आस-पास अवाप्त कर औद्योगिक कार्य हेतु आबंटित करने व उद्योगों से होने वाले प्रदूषण से आस-पास का वातावरण दूषित होने से वहां के निवासियों के स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा? यदि हां, तो क्या सरकार इस प्रकार से रीको द्वारा अवाप्त की जा रही कार्यवाही को निरस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकार आवासीय कालोनियों के सामने एवं आस-पास औद्योगिक कार्य हेतु अवाप्त करने वाली कार्यवाही को उचित मानती है? यदि हां, तो किस आधार एवं नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त प्रकार नियम विरुद्ध भूमि अवाप्त कर औद्योगिक कार्य हेतु आबंटित करने वाले दोषी अधिकारियों को दण्डित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। रीको द्वारा जगतपुरा जयपुर के आस-पास तथा जे.डी.ए. की महल योजना के सामने ग्राम महल की 92.43 हैक्टेयर, ग्राम श्रीकिशनपुरा की 57.12 हैक्टेयर तथा जीरोता की 40.76 हैक्टेयर कुल 190.31 हैक्टेयर भूमि दिनांक 15.12.2000 को अवाप्त की गयी है।

(2) आवासीय एवं वाणिज्यिक भूखण्ड जो किसी पंजीकृत सहकारी समिति द्वारा भूखण्डधारियों को विधिवत आबंटित कर उनको कब्जा दे दिया गया तथा उक्त योजना जयपुर विकास प्राधिकरण में भी प्रस्तुत किया जाकर प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्डों को नियमित किये जाने हेतु भूखण्डधारियों से राशि भी जमा करली है। तो ऐसी भूमि को अवाप्त किया जा सकता है। अवाप्ति की कार्यवाही केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 के नियमों के अन्तर्गत की जाती है तथा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44, 45 के अन्तर्गत की जाती है। नियमों की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है, जो परिशिष्ट "क" पर है।

(3) इस भूमि का उपयोग मुख्य रूप से आवासीय/वाणिज्यिक एवं संस्थानिक किया जावेगा, जिससे कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं होगा। औद्योगिक भूखण्डों में केवल उद्योग ही नहीं स्थापित किये जाते हैं अपितु अन्य Supporting Services स्थापित की जाती है।

(4) जी, नहीं। निगम आवासीय कालोनियों के सामने एवं आस-पास आद्यौगिक कार्य हेतु भूमि अवाप्त करने की कार्यवाही नहीं करती है। नियम विरुद्ध कोई भी भूमि अवाप्त नहीं की गई, अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-5 देखें)

खिलाड़ियों को प्रशिक्षण हेतु अनुदान

301. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या खेलकूद राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गत 2 वर्षों में प्रदेश की किन-किन क्रीडा संस्थाओं व क्लबों को कितनी-कितनी राशि अनुदान बतौर दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में किन-किन खेलों के प्रशिक्षण की व्यवस्था है और कितने खिलाड़ी किस-किस खेल के कहां-कहां प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(3) क्या सरकार खेल बजट बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितना और कब? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत दो वर्षों (1998-99 एवं 1999-2000) में क्रीडा संस्थाओं व क्लबों को 1,33,80,641.00 की राशि अनुदान बतौर दी गई है। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "1")

(राज्य मंत्री, खेलकूद)

(2) प्रदेश में वालीबाल, बास्केटबाल, कुश्ती, तैराकी, टेबल टेनिस, हाकी, जिमनास्टिक, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, फुटबाल, तीरन्दाजी, हैण्डबाल, बाक्सिंग, भारोत्तोलन, कबड्डी, खो-खो, ताइकवान्डो, लान टेनिस, जूडो, साइक्लिंग एवं पर्वतारोहन खेल प्रशिक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक खेल में एक समय लगभग 15-20 खिलाड़ियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है। खेल के अनुसार प्रशिक्षण केन्द्रों की सूची परिशिष्ट "2" पर संलग्न है।

(3) राज्य की विषम आर्थिक परिस्थितियों के कारण खेल बजट फिलहाल बढ़ाया जाना सम्भव नहीं है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

न्यायालय में वक्फ बोर्ड की सम्पत्तियों के प्रकरण

302. मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : क्या वक्फ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के विवाद न्यायालयों में चल रहे हैं? यदि हां, तो उक्त विवाद किन-किन जायदादों के किन-किन अदालतों में कब से चल रहे हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या वक्फ बोर्ड 10 वर्ष से अधिक अवधि के लम्बित मामलों में शीघ्र निर्णय कराने हेतु वकील बदलने का विचार रखता है? यदि हां, तो क्यों?

(3) वक्फ बोर्ड के पैरवी कर रहे अभिभाषक कौन रहे? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या उक्त वकीलों को मानदेय दिया जा रहा है।

उत्तर

(1) जी, हां। विचाराधीन प्रकरणों में सम्बन्धित जायदादों एवं अदालतों की सूची परिशिष्ट "क" संलग्न प्रस्तुत है।

(2) जी, हां।

(3) राज्य में वक्फ सम्पत्तियों के लिए विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन प्रकरणों में पैरवी कर रहे अभिभाषकों की सूची परिशिष्ट "ख" संलग्न प्रस्तुत है।

(4) जी, हां। वर्तमान में बोर्ड की ओर से पैरवी कर रहे वकीलों को मानदेय दिया जा रहा है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

किसानों को प्रमाणित बीज की जांच

303. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार किसानों को प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो दो वर्षों में कौन-कौन सा प्रमाणित बीज कहां-कहां, किस-किस भाव से किस-किस के माध्यम से खरीदा गया व किस-किसको किस-किस दर से कितना-कितना दिया गया?

(श्री सांवर लाल)

(2) प्रमाणित बीज को तैयार करने में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है ?

(3) प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने से कृषि उत्पादन में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है ?

(4) क्या प्रमाणित बीज प्रमाण स्तर का रहे इसकी कोई व्यवस्था सरकार ने कर रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने कभी विगत 2 वर्षों में प्रमाणित बीज की गुणवत्ता की जांच करवायी है ? यदि हां, तो किस-किस बीज की किस-किस के द्वारा और जांच परिणाम क्या रहे।

(5) क्या खराब बीज प्रमाणित के नाम पर किसानं को नहीं मिले इस संबंध में सरकार कोई उपाय कर रही है ?

उत्तर

(1) जी, हां। राज्य सरकार का कृषि विभाग राजस्थान के किसानों को विभिन्न सार्वजनिक एवं निजी बीज उत्पादक संस्थाओं के माध्यम से प्रमाणित बीज उपलब्ध कराता है। विगत दो वर्षों में खरीफ एवं रबी में विभिन्न फसलों का अधिकतर बीज की खरीद एवं बिक्री कराने वाली संस्था राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड है जिसकी सूचना (प्रपत्र "अ" एवं "ब") पर अंकित है।

(2) इस संबंध में भारतीय बीज अधिनियम-1966 की धारा-8 के अन्तर्गत प्रदेश में स्थापित राजस्थान राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था है जो एक स्वायत्तशासी संस्था है और इसका कार्य बीज अधिनियम की धारा-9 एवं 10 के अन्तर्गत अधिसूचित किस्मों के बीजों का प्रमाणीकरण करना है। प्रमाणित बीज तैयार करने हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। संबंधित उत्पादक संस्था अपने बीज उत्पादक किसानों को इसके लिए संबंधित फसल की किस्मों का आधार बीज उपलब्ध कराती है एवं उनका पंजीकरण करती है। इसके लिए पंजीकरण शुल्क, निरीक्षण शुल्क एवं अन्य प्रमाणीकरण शुल्क उनसे प्राप्त करती है और निर्धारित प्रपत्र भरवाकर उत्पादन कार्यक्रम देती है। प्रमाणीकरण संस्था द्वारा उनके खेतों का कम से कम दो बार निरीक्षण किया जाता है जो न्यूनतम बीज मानक (एम.एस.सी.एस.) के अनुसार पाये जाने पर उस बीज को विधायन केन्द्र पर प्राप्त किया जाता है जिसका विधायन कर बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं में परीक्षण हेतु नमूना भेजा जाता है। बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं से मानक पाये जाने पर प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज की पैकिंग करवाई जाती है जिसके लिए प्रमाणित बीज हेतु नीले रंग के टेग दिए जाते हैं एवं बीज अधिनियम-1966 की धारा-9 (3) के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र देती है। इस प्रमाणित बीज को उत्पादक संस्था किसानों को वितरण हेतु उपलब्ध कराती है। बीज

(कृषि मंत्री)

उत्पादक किसानों से विभिन्न बीज उत्पादक संस्थाएं प्रचलित विक्रय मूल्य के अलावा प्रीमियम राशि देकर क्रय करती है।

(3) प्रमाणित बीज उपलब्ध करवाने से उत्पादन में 20 प्रतिशत तक की वृद्धि सम्भव है क्योंकि अच्छी गुणवत्ता वाला बीज का उत्पादन गैर परम्परागत किस्मों के बीजों से ज्यादा पैदावार देता है।

(4) जी, हां। सरकार ने बीज को प्रमाण स्तर का रखने हेतु प्रावधान किया हुआ है। प्रथम बार बीज प्रमाणित करवाये जाने के पश्चात् उसकी वैद्यता नौ माह तक रहती है। उसके पश्चात् पुनः मानकीकरण हेतु उस बीज के नमूनों को प्रमाणीकरण संस्था द्वारा बीज परीक्षण प्रयोगशाला से जांच करवाई जाती है। जिसके मानक पाये जाने पर पुनः मानकीकरण की मोहर लगाकर उसकी वैद्यता की अवधि आगामी छह माह तक बढ़ा दी जाती है। इसके अतिरिक्त कृषि विभाग के बीज निरीक्षक, कृषि अधिकारी/सहायक निदेशक कृषि/उप निदेशक कृषि विस्तार, विभिन्न डीलरों एवं अन्य संस्थाओं के यहां से नमूने लेकर बीज अधिनियम के अन्तर्गत गुणवत्ता की जांच हेतु बीज परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा, जयपुर भेजते हैं जिसके अमानक पाये जाने पर बीज निरीक्षक द्वारा संबंधित डीलर के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

विगत दो वर्षों में 6286 बीज के नमूने लिए गए इनमें से 6222 की जांच कराई गई जिसमें से 6021 मानक पाये गये तथा 201 अमानक पाये गये। 81 की प्राथमिकी दर्ज कराई गई/न्यायालयों में विचाराधीन है। 105 को चेतावनी दी गई, शेष में कार्यवाही जारी है।

(5) बीज अधिनियम 1966 के तहत गुणवत्ता की जांच हेतु कृषि विभाग के अधिकारी बीजों के नमूने लेकर उनका आवश्यक परीक्षण करवाते हैं एवं उनके अमानक पाये जाने पर नियमानुसार संबंधित के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जाती है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के चिकित्सालयों में भोजन व्यवस्था

304. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में कुल कितने उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

(2) उक्त केन्द्रों पर भर्ती होने वाले मरीजों को भोजन देने की क्या व्यवस्था है?

(3) गत पांच वर्षों में उक्त केन्द्रों पर भोजन हेतु कितनी राशि आबंटित हुई?

(4) क्या भोजन सुविधा मरीजों को मिल रही है? यदि नहीं, तो आबंटित बजट का उपयोग कहां हो रहा है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा में 2 उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 43 उप केन्द्र हैं। सूची संलग्न है।

(2) सामान्यतयाः सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भोजन देने हेतु बजट प्रावधान किया जाता है, परन्तु उक्त केन्द्रों पर रसोई गृह एवं रसोइए के अभाव में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भर्ती मरीजों के अनिश्चितता की वजह से भर्ती मरीजों को भोजन देने की समुचित व्यवस्था नहीं होती है। नैत्र शिविर, सर्जीकल शिवर में भर्ती मरीजों की संख्या अनुसार भोजन की व्यवस्था की जाती है।

(3) गत पांच वर्षों में बांसवाड़ा विधान सभा क्षेत्र के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर एवं सरेडी बड़ी में भोजन सामग्री मद में निम्नांकित राशि आबंटित की गई :—

वर्ष	आबंटित राशि	
	परतापुर	सरेड़ी बड़ी
1996-97	6000/-	6000/-
1997-98	6000/-	6000/-
1998-99	6000/-	6000/-
1999-2000	6000/-	6000/-
2000-2001	6000/-	6000/-

(4) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित शिविरों में भोजन हेतु आबंटित बजट का उपयोग किया जाता है। वर्ष 2000-2001 में उक्त दोनों सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भोजन हेतु 12000/- रुपये की राशि आबंटित की गई जिसमें से चिकित्सा शिविरों में भर्ती मरीजों को दूध, दलिया उपलब्ध करवाने हेतु 7000/- रुपये की राशि खर्च की गई।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-6 देखें)

पंचायती राज संस्थाओं को चिकित्सालयों के निरीक्षण के अधिकार

305. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने विभाग के कुछ कार्यकलापों को सम्पादित करने का अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सौंपे हैं? यदि हां, तो क्या-क्या अधिकार सौंपे गये हैं? उक्त संबंध में अब तक जारी आदेशों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब तक के अनुभव के आधार पर क्या कोई कठिनाई सरकार के सामने आई है? यदि हां, तो क्या-क्या और इस सम्बन्ध में सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1993 द्वारा राज्य सरकार को 11वीं अनुसूची के विषय पंचायती राज संस्थाओं को हस्तान्तरित करने हेतु जारी मंत्रिमण्डल आज्ञा सं5/2000 दिनांक 02.1.2000 (प्रति संलग्न) की अनुपालना में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों को पंचायती राज संस्थानों के अधीन करते हुये जन स्वास्थ्य व परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करने का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपने का निर्णय लेकर निर्णय की क्रियान्विति के लिए आदेश क्रमांक प. 16 (58)चिस्वा/2/99 दिनांक 01.5.2000 (प्रति संलग्न) एवं आदेश क्रमांक : प.16 (58) चिस्वा/2/99 दिनांक : 27.06.2000 के द्वारा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के समस्त अधिकारियों को तथा निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, राज., जयपुर को निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया गया है। (प्रति संलग्न)

(2) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आदेश दिनांक 1.5.2000 तथा 27.6.2000 में निहित निर्देशों की पालनार्थ सम्बन्धित अधिकारियों को बार-बार स्मरण कराया जा रहा है तथा सम्बन्धित अधिकारियों से निर्देशों की पालना के सम्बन्ध में अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं तथा प्रगति सूचना भी सरकार को प्राप्त हो रही है।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नदबई में उपलब्ध सुविधाएं

306. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) नदबई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कब स्वीकृत हुआ ?

(2) क्या नदबई में उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है ? यदि हां, तो कब से ?

(3) क्या उक्त चिकित्सा केन्द्र में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(13)चि. स्वा/ग्रुप-2/91-3 दिनांक 6.4.91 के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया गया है।

(2) जी, हां। वर्ष 91-92 से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत है।

(3) जी, हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, नदबई में राज्य सरकार के मानदण्ड के अनुसार पूर्ण सुविधा उपलब्ध है। एक्स-रे मशीन एवं रोगी वाहन उपलब्ध नहीं है, जो आगामी वित्तीय वर्षों में समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर उपलब्ध करवाया जाना संभव हो सकेगा।

जयपुर जिले में ए.एन.एम. के रिक्त पद

307. श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले में कार्यरत ए.एन.एम. नर्सिंग कर्मियों को चयनित वेतनमान श्रृंखला 9, 18, 27 के अन्तर्गत सभी प्रकरणों का निस्तारण विभाग द्वारा किया गया है? वर्तमान में ऐसे कितने प्रकरण किन कारणों से लम्बित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर शहर के अन्तर्गत चयनित वेतनमान श्रृंखला के अन्तर्गत ए.एन.एम. नर्सिंग स्टाफ के कितने प्रकरण बकाया हैं?

(3) जयपुर जिले में ए.एन.एम. नर्सिंग स्टाफ में कितने पद सृजित हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? उक्त पद कब तक भर दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) वर्तमान में जयुपर जिले में 29 ए.एन.एम. एवं नर्सिंग कर्मियों के 9, 18 एवं 27 के चयनित वेतनमान प्रकरण लम्बित हैं। शेष सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। विवरण संलग्न है।

(2) जयपुर शहर के अन्तर्गत चयनित वेतन श्रृंखला के अन्तर्गत सात प्रकरण बकाया हैं।

(3) जयपुर जिले में निम्नानुसार ए.एन.एम. एवं नर्सिंग कर्मियों के पद स्वीकृत व रिक्त हैं :–

पदनाम	स्वीकृत	रिक्त	कब से है
ए.एन.एम.	725	3	3/2001 से
पी.एच.एन.	4	–	—
नर्सिंग ट्यूटर	4	–	—
नर्सिंग अधीक्षक-II	1	1	9/2000
सिस्टर	3	–	—
नर्स-I	23	2	2/2001 से 7/99 से
नर्स-II	416	5	8/2000 से 8/2000 से 9/2000 से 7/2000 से 8/2000 से
एल.एच.वी.	82	1	12/2000 से

रिक्त पदों को शीघ्र ही भरा जा रहा है। **(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-7 देखें)**

जोधपुर सम्भाग के चिकित्सालयों की एक्स-रे मशीन

308. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर एवं जोधपुर के कौन-कौन से अस्पतालों में एक्स-रे मशीने लगी हुई हैं और उक्त मशीनों में से किन-किन अस्पतालों में कितनी मशीने कब से खराब हैं?

(2) क्या यह सही है कि जिन अस्पतालों में मशीने खराब हैं वहां पर एक्स-रे तकनीशियन लगा रखे हैं? यदि हां, तो कब से?

(3) क्या ऐसे अस्पताल भी हैं जहां एक्स-रे मशीने हैं और तकनीशियन नहीं हैं? यदि हां, तो उनमें कब तक उक्त कर्मी लगा दिये जावेंगे?

(4) उक्त खराब एक्स-रे मशीनों को कब तक ठीक करा दिया जावेगा?

(5) क्या यह सही है कि उक्त मशीनें लापरवाही के कारण खराब हैं? क्या इस बारे में कोई जांच करवाई गई है? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या रहे?

उत्तर

(1) जिला बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर एवं जोधपुर के अन्तर्गत आने वाले अस्पतालों में उपलब्ध एक्स-रे मशीन एवं उनमें से खराब एक्स-रे मशीन का मय खराब की अवधि सहित सूची संलग्न है।

(2) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(3) सामान्यतः सभी चिकित्सा संस्थानों पर जहां एक्स-रे मशीने चालू हैं वहां तकनीशियन कार्यरत है।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नाचना जिला जैसलमेर में एक्स-रे मशीन सीमावर्ती क्षेत्रीय विकास परियोजना के तहत क्रय की गई थी, सामान्यतः प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर एक्स-रे तकनीशियन/सहायक रेडियोग्राफर का पद विभाग द्वारा सृजित किये जाने का प्रावधान नहीं है किन्तु वैकल्पिक व्यवस्था सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पोकरण से की जाती रही है।

(4) खराब एक्स-रे मशीनें जो ठीक कराने योग्य हैं उनको ठीक कराने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(5) जी, नहीं। शेष प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-8 देखें)

पंचायत समिति जालौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

309. श्री गणेशीराम मेघवाल (जालौर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर में पंचायत समिति मुख्यालय जालौर को छोड़कर सभी स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं?

(श्री गणेशीराम मेघवाल)

(2) क्या ग्राम बागरा/सियाणा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्रस्तावित था? यदि हां, तो उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित क्यों नहीं हो सके?

(3) क्या सरकार पंचायत समिति जालौर में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त स्थानों पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नहीं खोले जा सके।

(3) जी, नहीं। वर्ष 2000-2001 की राज्य योजनान्तर्गत नवीन चिकित्सा संस्थान खोले जाने हेतु कोई वित्तीय प्रावधान उपलब्ध नहीं होने के कारण सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना सम्भव नहीं है।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की प्रयोगशालाओं के नियंत्रण अधिकारी

310. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों के इलाज में घोर लापरवाही के काण्ड आये दिन होते रहने की स्थिति को ध्यान में रखकर सभी वार्डों, आउटडोर, प्रयोगशालाओं एवं मुख्य द्वार पर वार्ड प्रमुख प्रयोगशाला प्रभारी, राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) उक्त चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं अन्य प्रयोगशालाओं में किस-किस संवर्ग के कितने-कितने अधिकारी/प्रभारी कार्यरत हैं? उक्त की योग्यता क्या-क्या है एवं मानदण्डानुसार क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए? क्या उक्त प्रयोगशालाओं में नियंत्रण अधिकारी नान एम.बी.बी.एस. को बना रखा है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय में मरीजों के इलाज में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं हो, को ध्यान में रखकर सभी वार्डों, आउटडोरों, प्रयोगशालाओं एवं मुख्य द्वारों पर वार्ड प्रमुख, प्रयोगशाला प्रभारी, राजपत्रित अधिकारियों की सूची लगी हुई है। अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची लगाना सम्भव नहीं है।

(2) इस चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला एवं अन्य प्रयोगशालाओं में निम्नलिखित अधिकारी कार्यरत हैं तथा सभी अधिकारी निर्धारित मानदण्डानुसार योग्यता रखते हैं :—

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

1. डा. प्रवीण शर्मा, प्रोफेसर इंचार्ज एम.एससी. (मेडिसिन) (पीएच.डी.) (मेडिसिन)
2. डा. महीप सिन्हा, एम.बी.बी.एस. एम.डी. (बायोकेमिस्ट्री)
3. डा. चित्रा उपाध्याय, एम.एससी. (मेडिसिन) (पीएच.डी.) (बायोकेमिस्ट्री)
4. डा. जागृति झा, एम.एससी. (मेडिसिन) पीएच.डी. (बायोकेमिस्ट्री)
5. डा. प्रियंका अजमेरा, एम.एससी. (मेडिसिन)

केन्द्रीय प्रयोगशाला के तीन खण्ड हैं :

1. बायोकेमिस्ट्री, 2. पैथोलोजी एवं 3. माइक्रोबायोलोजी

तीनों खण्डों के नियंत्रण अधिकारी अलग-अलग एवं निम्नानुसार है :

1. डा. प्रवीण शर्मा, प्रोफेसर, बायोकेमिस्ट्री एम.एससी., पीएच.डी.
2. डा. नारायणी जोशी, सह आचार्य पैथोलोजी, एम.डी.
3. डा. सुमन ऋषि, प्रोफेसर, माइक्रोबायोलोजी, एम.डी.

उपरोक्त सभी अधिकारी प्रयोगशाला नियंत्रण अधिकारी का कार्य करते हैं तथा सभी अपने पद के लिए मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के अनुरूप पूर्ण योग्यताएं एवं अनुभव रखते हैं।

सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर की प्रयोगशालाओं में जांच रिपोर्ट में देरी

311. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई मानसिंह चिकित्सालय की केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट संबंधित वार्डों में भेजने का समय 5.30 से 6.30 बजे तक है. जबकि संबंधित कर्मियों द्वारा उक्त रिपोर्ट शाम को 8-9 बजे तक भिजवाई जाती है जब तक वरिष्ठ चिकित्सक अपने घर चले जाते हैं? क्या इससे कई गम्भीर मरीजों की हालत गम्भीर होती है एवं कई बार तो उनकी मृत्यु तक हो जाती है?

(2) क्या सरकार केन्द्रीय प्रयोगशाला के उक्त लापरवाह कर्मियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर जांच रिपोर्ट समय पर पहुंचाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) इस चिकित्सालय के केन्द्रीय प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट संबंधित वार्ड में जांच कार्य पूर्ण होते ही भिजवा दी जाती है। उसका कोई समय निर्धारित नहीं है तथा इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं बरती जाती है साथ ही वार्ड में उपस्थित चिकित्सक उसी समय वरिष्ठ चिकित्सकों को रिपोर्ट के संबंध में सूचित कर आवश्यक निर्देश प्राप्त कर लेते हैं

(राज्य मंत्री, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य)

तथा इससे किसी मरीज़ की मृत्यु नहीं होती है।

(2) सभी जांच रिपोर्ट कार्य पूर्ण होते ही संबंधित रोगियों के वार्डों में भिजवा दी जाती है, इसमें कोई लापरवाही नहीं बरती जाती है।

श्रीगंगानगर-जयपुर सड़क का पुनर्निर्माण

312. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार श्रीगंगानगर-जयपुर सड़क का पुनर्निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क को धन की व्यवस्था करके पेवर सड़क बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्रीगंगानगर से जयपुर सड़क की कुल लम्बाई 432 कि.मी. है। जिसमें 197 कि.मी. राष्ट्रीय उच्च मार्ग पूर्णतया ठीक है अतः पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है। राज्य उच्च मार्ग की 255 कि.मी. लम्बाई में से 219.50 कि.मी. सड़क पूर्णतया ठीक है एवं 35.50 कि.मी. नवीनीकरण/मरम्मत योग्य है। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजना के अन्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में सड़कों पर साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण के कार्य करवाये जाने का लक्ष्य है तदनुसार उक्त सड़क के सुधार का भी कार्य करवाया जाना प्रस्तावित है।

(2) पेवर सड़क बनाया जाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सड़कों के लिए स्वीकृत राशि

313. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ में दिनांक 31.3.99 तक कुल कितनी किलोमीटर डामर/ग्रेवल/डब्ल्यू. बी.एम. सड़कें बनाई जा चुकी थी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31.3.99 के पश्चात् कितने किलोमीटर डामर/ग्रेवल/डब्ल्यू. बी.एम. सड़कें नई बनाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31.3.99 के पश्चात् क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत हेतु कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नयी तथा पुरानी सड़कों पर किया गया व्यय अन्य विधान सभा क्षेत्र की तुलना में न्यायसंगत मानती है? यदि हां, तो ऐसे कौन-कौन से विधान सभा क्षेत्र हैं जहां इससे भी कम राशि का व्यय किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी जिला चित्तौड़गढ़ के अन्तर्गत दिनांक 31.3.99 तक डामर 311.15 किमी., मेटल 31.00 किमी. व ग्रेवल सड़क 78.00 कि.मी. बनाई जा चुकी थी। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31.3.99 के पश्चात् डामर 12.50 किमी., मेटल 33.00 किमी. व ग्रेवल सड़क 42.00 किमी. का निर्माण किया गया। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) उक्त विधान सभा क्षेत्र में दिनांक 31.3.99 के पश्चात् वर्ष 1999-2000 में 23.37 लाख एवं वर्ष 2000-2001 में 22.94 लाख रुपये मरम्मत पर व्यय किये गये हैं। इस प्रकार कुल व्यय 31.3.99 के पश्चात् 46.31 लाख रुपये किया गया। विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(4) जी, नहीं। तुलनात्मक विवरण हेतु जिला चित्तौड़गढ़ के सभी विधान सभा क्षेत्रों में नयी एवं पुरानी सड़कों पर किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट "द" में संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बारां से अकलेरा वाया अटरू राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण

314. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बारां से अकलेरा वाया अटरू छीपाबड़ौद सड़क मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया गया है? क्या उक्त मार्ग मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग ने मुख्य अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग को हस्तानान्तरित कर दिया है? यदि हां, तो किस दिनांक से?

(2) क्या उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए अलग से स्टाफ की नियुक्ति कर दी गई है? यदि हां, तो इसके लिए कहां-कहां व कौन-कौन से कार्यालय किस-किस दिनांक से खोले गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र चालू हो इसके लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी, हां। भारत सरकार के पत्र संख्या अ.शा./14012/5/2000/पी.एल. दिनांक 15.11.2000 द्वारा इसे राष्ट्रीय उच्च मार्ग क्रम संख्या 90 घोषित किया गया है। मुख्य अभियन्ता (पथ) के पत्र सं.एफ.7 क (355) अनु.II/98 दिनांक 11.1.2001 द्वारा सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्रालय को इस सड़क के हस्तान्तरण के लिए अनापत्ति पत्र भेजा जा चुका है। इसकी अधिसूचना भारत सरकार से अपेक्षित है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय उच्चमार्ग बारां से अकलेरा के कार्य के लिए दो सहायक अभियन्ता कार्यालय क्रमशः अटरू एवं छीपाबड़ौद मुख्यालय पर राज्य सरकार द्वारा दिनांक 25.1.2001 को प्रावधान किया गया है।

(3) राष्ट्रीय उच्च मार्ग के संधारण हेतु तखमीने बनाये जा रहे हैं। सड़क परिवहन व उच्चमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थानान्तरण अधिसूचित होने के पश्चात् ही उपुर्यक्त तखमीने भारत सरकार को वास्ते स्वीकृति हेतु प्रेषित किये जायेंगे। भारत सरकार से स्वीकृति होने के पश्चात् कार्य शुरू कर दिया जायेगा।

मांगरोल कस्बे (बारां) की सड़क मरम्मत

315. **श्री रामगोपाल बैरवा** (पीपल्दा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बारां के मांगरोल कस्बे में सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने व पानी भरा रहने की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जिला बारां के मांगरोल कस्बे में सड़क पर गहरे गड्ढे पड़ने व पानी भरा रहने की शिकायत सार्वजनिक निर्माण विभाग में औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत आगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण कार्यों के तहत उक्त सड़क की मरम्मत का प्रावधान है।

जवाहर नगर बाईपास जयपुर का स्थानान्तरण

316. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार जवाहर नगर बाईपास (दिल्ली रोड) जयपुर को घनी आबादी के कारण अन्यत्र स्थानान्तरित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक एवं किस तरफ और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या जवाहर नगर बाईपास को बन्द करवाने के लिए स्थानीय नागरिकों ने कई बार प्रदर्शन, धरने एवं रास्ते जाम किये हैं? यदि हां, तो कब-कब?

(3) जवाहर नगर बाईपास के दोनों ओर स्थापित आबादी क्षेत्र में कुल कितनी आबादी इस बाईपास संचालन के दुष्परिणामों से प्रभावित हो रही है।

(4) क्या सरकार इस बाईपास को बन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों और हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, हां। फिलहाल इसके लिए कोई समयावधि निश्चित नहीं है। परियोजना विवरण तैयार करने हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्तावित एक्सप्रेस हाई-वे गलता की पहाड़ियों के बाहर से होकर आगरा रोड (राष्ट्रीय राज्य मार्ग-II) से गुजरते हुए टोंक रोड (राष्ट्रीय राज्य मार्ग-12) पर जाकर मिलेगा।

(2) जी, हां। गत वर्ष के दौरान दिनांक 12.11.2000 एवं 22.11.2000 को स्थानीय नागरिकों द्वारा प्रदर्शन आदि किये गये।

(3) जवाहर नगर कालोनी व आसपास क्षेत्र की आबादी इस मौजूदा बाईपास संचालन के दुष्परिणामों से प्रभावित हो रही है।

(4) जी, हां। उपर्युक्त प्रस्तावित बाईपास निर्माण के उपरान्त ही सम्भव होगा।

जयपुर खण्ड प्रथम में फर्नीचर की खरीद

317. श्री अमराराम (धोद) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में विभागीय खण्ड जयपुर प्रथम में कुल कितना फर्नीचर क्रय किया गया? उक्त फर्नीचर किस-किस एजेन्सी से क्रय कर कितनी-कितनी राशि का कुल व्यय किया गया?

(2) वर्तमान में खण्ड प्रथम जयपुर में कुल कितना फर्नीचर नया व पुराना है?

(3) जयपुर स्थित सरकारी मकानों पर विभिन्न भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, मंत्री एवं विधायक, विभाग के अफसरों सहित अन्य स्थानों पर कुल कितना फर्नीचर जारी किया गया है?

(4) क्या यह सही है कि फर्नीचर व इलैक्ट्रिक स्टोर के टेण्डर काफी वर्षों से भिन्न-भिन्न वस्तुओं के लगातार एक ही एजेन्सी को दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो वर्ष 1998 से 2001 तक विभिन्न वस्तुओं को किस-किस संस्था से खरीदा गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में राशि रुपये 8,33,245/- का फर्नीचर क्रय किया गया। वर्ष 2000-2001 में राशि रुपये 17,79,624/- का फर्नीचर क्रय किया गया जिसका विवरण अनुसूची "अ" पर दर्शाया गया है।

(2) व (3) नगर खण्ड प्रथम के फर्नीचर स्टोर में वर्ष 2000-2001 में क्रय किया गया फर्नीचर का विवरण अनुसूची "ब" तथा उससे पुराने फर्नीचर का विवरण अनुसूची "स" पर दर्शाया गया है। विभिन्न स्थानों एवं व्यक्तियों को जारी किये हुये फर्नीचर की सूची "द" पर उपलब्ध है। (द-1 से द-5)

(4) जी, नहीं। फर्नीचर व इलैक्ट्रिक स्टोर में भिन्न-भिन्न वस्तुओं का क्रय

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

न्यनूतम निविदादाता से किया जाता है। फर्नीचर स्टोर में वर्ष 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 में जिन-जिन वस्तुओं को जिस-जिस संस्था से क्रय किया गया है उसका विवरण अनुसूची क्रमशः "क", "ख", "ग" पर दर्शाया गया है। इलैक्ट्रिक स्टोर में भिन्न-भिन्न वस्तुओं को जिस संस्था से क्रय किया है उसका विवरण अनुसूची "घ" पर दर्शाया है।

(अनुसूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र नदबई की सड़कों की मरम्मत

318. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नदबई की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सरकार ने राज्य में सड़कों के सुधार हेतु सड़क संधारण योजना बनाई है जिसके तहत अगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत (पेच कार्य) एवं नवीनीकरण का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। जिसके अनुरूप विधान सभा क्षेत्र नदबई की क्षतिग्रस्त सड़कों की भी मरम्मत किया जाना प्रस्तावित है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा की ग्रामीण सड़कें

319. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र भादरा में डूंगराना-मुंदड़िया बड़ा वाया जिगासरी छोटी, रामसरा तथा भादरा-मेहराणा सड़क प्रस्तावित है? यदि हां, तो कब से तथा किस-किस स्कीम के तहत?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्पर्क सड़क का अर्थ वर्क कार्य भी काफी समय पहले किया जा चुका है? यदि हां, तो कब?

(3) उक्त सड़कों का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं किए जाने के क्या कारण हैं?

(4) क्या सरकार उक्त सड़कों का निर्माण कार्य शीघ्र चालू कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) (अ) जी, नहीं, भादरा में डूंगराना से जगासरी छोटी वाया मूंदडिया बड़ा एवं रामसरा सड़क के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2001-2002 में कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ब) भादरा से मेहराणा सड़क मार्ग की कुल लम्बाई 25 किमी. में से 17 किमी. (जनाना गांव तक) डामर सड़क बनी हुई है। जनाना (2336/91) से मेहराणा

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3296/91) सड़क का कार्य प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में स्वीकृत हो चुका है।

(2) 1) डूंगराना से मुंदडिया बड़ा वाया रामसरा का अर्थ वर्क पूरे 12 कि.मी. लम्बाई में वर्ष 1996-97 में करवाया गया था।

2) भादरा-मेहराणा सड़क में जनाना से मेहराणा तक कुल लम्बाई 8.70 कि.मी. में से 3.30 कि.मी. में अर्थ वर्क का कार्य वर्ष 1983-84 में सी.आर.एफ. योजना के अन्तर्गत करवाया गया।

(3) (अ) डूंगराना से जगासरी छोटी (755/91) वाया मुंदडिया बड़ा (916/91) एवं रामसरा (727/91) सड़क का कार्य वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

(ब) जनाना से मेहराणा सड़क निर्माण की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। कार्य मार्च, 2002 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) (अ) डूंगराना से जगासरी छोटी वाया मूंदडिया बड़ा एवं रामसरा सड़क की चालू वित्तीय वर्ष (2001-2002) में कोई स्वीकृति न होने के कारण कार्य चालू कराना सम्भव नहीं है।

(ब) भादरा से मेहराणा सड़क के भाग जनाना से मेहराणा सड़क का कार्य शीघ्र आरम्भ किया जा रहा है।

पुरजन विहार कम्पनी बाग अलवर में मरम्मत कार्य

320. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार अलवर शहर स्थित पुरजन विहार कम्पनी बाग की मरम्मत व उसके निर्माण कार्य कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि पुरजन विहार (कम्पनी बाग) अधीक्षक ने बार-बार तखमीने भिजवाकर कम्पनी बाग हेतु बजट स्वीकृति की मांग की है? यदि हां, तो कब-कब और राशि स्वीकृत क्यों नहीं की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, नहीं। उपलब्ध सीमित वित्तीय संसाधनों के अनुरूप ही मरम्मत व निर्माण कार्य करवाना प्रस्तावित किया जाता है।

(2) जी, नहीं।

मार्टिण्डल ब्रिज अजमेर के निर्माण में अनियमितताएं

321. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मार्टिण्डल ब्रिज अजमेर के चौड़ा एवं ऊंचा करने के निर्माण में तकनीकी एवं वित्तीय

(श्री ललित भाटी)

अनियमितताओं की जांच के लिए समिति बनाई गई थी? यदि हां, तो कब?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में लेखा एवं तकनीकी अनियमितताओं में विभाग के कुछ अधिकारियों को दोषी माना है? यदि हां, तो किन्हें? उनके नाम व पद की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई? यदि हां, तो क्या और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या उक्त अधिकारियों को चार्जशीट दी गई है? यदि हां, तो चार्जशीट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। दिनांक 28.9.1999 को वित्तीय सलाहकार एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता सम्भाग अजमेर की जांच कार्य हेतु जांच कमेटी का गठन किया गया था।

(2) जी, हां। जांच कमेटी ने अपनी जांच रिपोर्ट में लेखा एवं तकनीकी अनियमितताओं के लिए विभाग के कुछ अधिकारियों को दोषी माना है, जो निम्न प्रकार है :—

1. तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सा.नि.वि., संभाग अजमेर
2. तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता
3. तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, नगर खण्ड-II, अजमेर
4. तत्कालीन सम्बन्धित सहायक अभियन्ता
5. तत्कालीन सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता
6. तत्कालीन खण्डीय लेखाधिकारी, नगर खण्ड-II, अजमेर

इन अधिकारियों के नाम व पद निम्न प्रकार है :—

1. श्री सी.पी. ब्रहम्मावर, मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
2. श्री के.के.झा, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता (सेवानिवृत्त)
3. श्री ए.के.सांघी, अधिशासी अभियन्ता
4. श्री नरेन्द्र सिंह, डी.ए.ओ.
5. श्री राजेश मोदी, सहायक अभियन्ता
6. श्री एस.ए.एम.मोईनी, कनिष्ठ अभियन्ता
7. श्री वी.पी.शर्मा, कनिष्ठ अभियन्ता
8. श्री यादराम, कनिष्ठ अभियन्ता
9. श्री मुकेश सुखीजा, कनिष्ठ अभियन्ता

(3) जी, हां। इन अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण प्राप्त करने के पश्चात् निम्न अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है, जो कार्मिक विभाग में विचाराधीन है। जिनके नाम निम्नप्रकार है :—

1. श्री ए.के. सांघी, अधिशासी अभियन्ता

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

2. श्री राजेश मोदी, सहायक अभियन्ता
3. श्री मुकेश सुखीजा, कनिष्ठ अभियन्ता
4. श्री नरेन्द्र सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी

(4) उक्त 1 से 3 पर अंकित दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्मिक (क 3) विभाग राजस्थान, जयपुर द्वारा सी.सी.ए. नियम 16 के तहत ज्ञापन संख्या ए-1(97) कार्मिक/क-3/2000 दिनांक 27.5.2000 के द्वारा चार्जशीट जारी की जा चुकी है। चार्जशीट की प्रति संलग्न है एवं क्रम संख्या (4) के श्री नरेन्द्र सिंह, खण्डीय लेखाधिकारी को चार्जशीट दिये जाने हेतु प्रस्ताव महालेखाकार, जयपुर को प्रेषित कर दिये गये हैं।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

विधान सभा क्षेत्र फागी की सड़कों की मरम्मत

322. श्री कुबेर सिंह (फलासिया) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फागी की सड़कों की हालत जीर्ण-शीर्ण हैं? यदि हां, तो उक्त सड़कों के निर्माण व रख-रखाव पर पांच वर्षों में कितना व्यय किया गया? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब सरकार अगामी वित्तीय वर्ष में उक्त क्षेत्र की सड़कों पर कितना व्यय करने का विचार रखती है? सड़कवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र की भोजपुरा से माधोराजपुरा सड़क का डामरीकरण करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। कुछ सड़कें आंशिक लम्बाई में जीर्ण-शीर्ण हैं (परिशिष्ट "अ"-1 संलग्न है) फागी विधान सभा क्षेत्र में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा विभिन्न सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव पर गत पांच वर्षों में 234.34 लाख रुपये व्यय किये गये। सड़कवार विवरण परिशिष्ट "अ"-2 में अंकित है।

(2) अगामी वित्तीय वर्ष 2001-2002 में उक्त क्षेत्र की सड़कों के निर्माण पर विचाराधीन व्यय रु. 174.81 लाख है विवरण परिशिष्ट "ब" में संलग्न है। वर्ष 2001-2003 नवीनीकरण में (रु. 416.20 लाख) एवं पेच रिपेयर में (रु. 62.14 लाख रुपये) प्रस्तावित व्यय का विवरण परिशिष्ट "स" में अंकित है।

(3) जी, नहीं। ग्राम भोजपुरा (1157/91) एवं ग्राम माधोराजपुरा (4136/91) चूंकि पहले ही डामर सड़कों क्रमशः राज्य मार्ग संख्या 12 एवं राज्य मार्ग संख्या 2 पर स्थित है। अतः राज्य सड़क नीति के अनुसार इन्हें आपस में जोड़ना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मारवाड़ जंक्शन (पाली) के मृत कर्मी का पेंशन प्रकरण

323. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केसर सिंह उपखण्ड मारवाड़ जंक्शन जिला पाली से दिनांक 1.7.73 को सेवानिवृत्त हुए ?

(2) क्या उक्त कर्मचारी की सेवानिवृत्ति होने के पश्चात् बिना पेंशन का लाभ लिए मृत्यु हो गयी ? क्या उसकी विधवा श्रीमती सज्जन कवंर ने अपने पति की सेवानिवृत्ति का लाभ लेने हेतु आवेदन किया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई ?

(3) क्या सरकार उसके वारिश जाईन्दा पुत्र श्री रतन सिंह को पेंशन लाभ देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, नहीं।

(2) श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री केसरसिंह सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखण्ड पाली जिला पाली से कार्यप्रभारी कर्मचारी मेट के पद से दिनांक 1.9.1973 को सेवानिवृत्त हुये थे। उस समय कार्यप्रभारी कर्मचारी को पेंशन लाभ देय नहीं थे। उन्हें अंशदायी प्रावधायी निधि से भुगतान कर दिया गया था। श्री रणजीत सिंह का देहान्त दिनांक 16.6.83 को हो गया था। तत्पश्चात् उसकी पत्नी श्रीमती सज्जन कंवर के दिनांक 6.4.1992 के आवेदन पर निदेशक, पेंशन विभाग राजस्थान, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक 1022 दिनांक 29.5.1992 से कर्मचारी की विधवा को एक्सग्रेशिया पेंशन प्रकरण बनाकर भेजने के निर्देश दिये थे। मगर श्रीमती सज्जन कंवर का देहान्त दिनांक 10.5.1992 को ही हो चुका था। अतः उनका एक्सग्रेशिया पेंशन प्रकरण बनाना सम्भव नहीं था।

(3) जी, नहीं। कर्मचारी को स्वयं को तथा उनकी पत्नी की मृत्यु के पश्चात् पेंशन लाभ उसके वयस्क पुत्रों को देने का नियमों में प्रावधान नहीं है। सरपंच ग्राम पंचायत पनोता द्वारा जारी कर्मचारी के मृत्यु प्रमाण-पत्र में कर्मचारी के चार पुत्र बताये गये हैं तथा चारों का ही पृथक-पृथक रहना बताया है तथा चारों ही पुत्र वयस्क हैं।

तहसील आमेर (जयपुर) के ग्राम रामपुरा डाबड़ी से रायथल सड़क की मरम्मत

324. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला जयपुर में नेशनल हाई-वे नम्बर 11 पर ग्राम रामपुरा डाबड़ी तहसील आमेर (जयपुर) से ग्राम रायथल तक बनाई गई सड़क जीर्ण-शीर्ण है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) ग्राम रामपुरा डाबड़ी से रायथल तक खराब हुई सड़क का निर्माण किस वर्ष

(श्री ललित भाटी)

में कराया गया तथा उक्त सड़क के निर्माण के पश्चात् इसकी मरम्मत कब-कब करायी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि जब-जब भी इस सड़क की मरम्मत कराई गई तब-तब घटिया सामग्री का उपयोग हुआ, जिससे राजकीय वित्त का दुरुपयोग हुआ है तथा सड़क अभी तक जीर्ण-शीर्ण हालत में है?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त सड़क खराब होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं घटित होती हैं? क्या कई दुर्घटनाओं में काफी मात्रा में जन-धन की क्षति हुई है?

(5) क्या सरकार उक्त सड़क का पुनर्निर्माण/मरम्मत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(6) क्या यह सही है कि ग्राम रायथल तहसील आमेर से ग्राम डूंगरी खुर्द तहसील सांभर लेक वाया रामपुरा होकर के ग्रेवल सड़क का निर्माण कराया है? यदि हां, तो कब और कौनसी योजना में?

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त ग्रेवल सड़क काफी जीर्ण-शीर्ण है? यदि हां, तो कब से?

(8) क्या सरकार अब उक्त ग्रेवल सड़क का डामरीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। पिछले दो वर्षों से सड़क की 22 किमी. लम्बाई में से 9 किमी. सड़क जीर्ण-शीर्ण है।

(2) उक्त सड़क की लम्बाई 22 किमी. में से 4.50 किमी. का निर्माण वर्ष 1982 से पूर्व में तथा 17.50 किमी. का निर्माण वर्ष 1989-90 में कराया गया था। मरम्मत कार्य वर्ष 1997-98 एवं 2000-2001 में कराया गया था। विवरण परिशिष्ट "क" में संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) जी, नहीं।

(5) जी, हां। राज्य सरकार की प्रस्तावित सड़क संधारण योजनान्तर्गत अगामी दो वर्षों (2001-2003) में साधारण मरम्मत एवं नवीनीकरण का कार्य कराये जाने का लक्ष्य है।

(6) जी, हां। कुल लम्बाई 6.2 किमी. में से 5.8 किमी. ग्रेवल सड़क का निर्माण वर्ष 1971 में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत करवाया गया है।

(7) उक्त ग्रेवल सड़क कुल 750 मीटर लम्बाई में वर्ष 2000 से जीर्ण-शीर्ण है।

(8) जी, नहीं। क्योंकि ग्राम रायथल (2300/91) एवं डूंगरी खुर्द (1842/91) दोनों ही डामर सड़क से जुड़े हुए हैं। अत: राज्य सड़क नीति के अनुसार इन्हें आपस में डामर सड़क से जोड़ना अपेक्षित नहीं है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-9 देखें)

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड (उदयपुर) में क्रय की गई सामग्री

325. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानोड, जिला उदयपुर में वर्ष 2000-2001 में विद्यालय विकास कोष परीक्षा मद, खेलकूद मद एवं अन्य मदों में कौन-कौनसी सामग्री कब-कब कितने-कितने मूल्य की किस-किससे खरीदी गई? सूची मय बिल के सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई? यदि हां, तो कब-कब किस-किस सामग्री हेतु तथा किस-किसने निविदाएं प्रस्तुत की और उक्त क्रय आदेश किस-किस को कब-कब दियें? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त मदों में से उक्त सामग्री खरीदी जा सकती है? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत? यदि नहीं, तो उक्त सामग्री का क्रय किस अधिकारी ने किस आधार पर किया?

(4) क्या सरकार उक्त खरीद को अनियमितता की श्रेणी में मानती है? यदि हां, तो क्या इसमें लिप्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कानोड में वर्ष 2000-2001 में मदवार कौन-कौनसी सामग्री कब-कब कितने-कितने मूल्य की किस-किस से खरीदी गई, की सूची मय बिल्स परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी, हां। प्लास्टिक कुर्सियां, लोहे के स्टूल, खेलकूद, परीक्षा एवं भूगोल मदों के कब-कब किस-किस सामग्री हेतु किस-किसने निविदाएं प्रस्तुत की एवं क्रय आदेश किस-किसको कब-कब दिये गये की सूची परिशिष्ट "ख" पर सदन की मेज पर रख दी है।

(3) जी, हां। विकास मद में प्रधानाचार्य द्वारा विद्यालय विकास कोष समिति की अभिशंसा के आधार पर समिति के अध्यक्ष होने के नाते सामग्री क्रय की गई है। अन्य मदों में सामग्री क्रय करने हेतु प्रधानाचार्य को सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों के तहत अधिकार प्रदत्त है।

(4) प्रधानाचार्य द्वारा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाकर सामग्री क्रय की गई है। जिसके अभिलेखों की जांच अंकेक्षण दल द्वारा करवाये जाने का प्रावधान है। उक्त विद्यालय के अभिलेखों की आडिट करवाई जा रही है। दोषी पाये जाने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला नागौर के विद्यालयों में रिक्त पद

326. श्री मोहन लाल चौहान (परबतसर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला नागौर माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाचार्य के कितने पद किस-किस विद्यालय में कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) उक्त विद्यालयों में किस-किस विषय के वरिष्ठ अध्यापकों/व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त रिक्त पदों की पूर्ति कब तक कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला नागौर के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 07 प्रधानाचार्य एवं 62 प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) प्रधानाचार्य के पद नियमानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाई पूर्ण होने तथा प्रधानाध्यापक के रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है।

(3) उक्त विद्यालयों में 147 व्याख्याताओं, 151 वरिष्ठ अध्यापकों तथा 98 अध्यापकों के पद रिक्त हैं। विद्यालयवार विवरण परिशिष्ट "क" में सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) जी, हां। रिक्त पदों को भरने हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति उपरान्त नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम तेजमालता (जैसलमेर) में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना

327. श्री अमीन खान (शिव) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर व जैसलमेर की पंचायत समिति शिव व सम में विद्युतीकरण सबसे कम है?

(2) क्या सरकार उक्त पंचायत समिति के ग्रामों का भी अन्य की भांति विद्युतीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या सरकार जिला जैसलमेर के ग्राम तेजमालता में 33 के.वी. का ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार पंचायत समिति शिव (बाड़मेर) के 168 ग्रामों में से माह मार्च, 2001 तक 163 ग्रामों को विद्युतीकृत घोषित कर 97.02 प्रतिशत विद्युतीकरण का स्तर प्राप्त किया जा चुका है जो कि राज्य के अन्य क्षेत्रों के समान ही है। जनगणना पुस्तिका 1991 के अनुसार पंचायत समिति सम (जैसलमेर) के 292 ग्रामों में से माह मार्च, 2001 तक 70 ग्राम विद्युतीकृत घोषित कर 23.97 प्रतिशत विद्युतीकरण का स्तर प्राप्त किया गया है। सीमान्त क्षेत्र में स्थित दूर-दराज के ग्रामों में कम आबादी के अलावा औसत से ज्यादा विद्युत तंत्र की आवश्यकता होने के कारण अन्य जिलों के सापेक्ष विद्युतीकरण कम रहा है।

(2) जी, हां। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अविद्युतीकृत ग्रामों का विद्युतीकरण करने का प्रयास किया जावेगा।

(3) जी, हां। जिला जैसलमेर के ग्राम तेजमालता में 33 के.वी. सब-स्टेशन के निर्माण हेतु प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। तकनीकी जांच व स्वीकृति के बाद, वित्तीय संसाधनों के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जाना सम्भव हो सकेगा।

सांचौर उपखण्ड मुख्यालय में खण्ड कार्यालय की स्थापना

328. **श्री हीरालाल विश्नोई** (सांचौर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या सरकार सांचौर उप खण्ड मुख्यालय पर विद्युत निगम का खण्ड कार्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सांचौर उपखण्ड पर खण्ड कार्यालय की आवश्यकता का आर्थिक व प्रशासनिक दृष्टि से तथ्यों का आकलन किया जा रहा है। आकलन प्रक्रिया पूर्ण होने पर ही ज्ञात होगा कि वहां खण्ड कार्यालय की आवश्यकता है या नहीं।

देवगढ़ (राजसमंद) में ग्रिड सब स्टेशनों की स्थापना

329. **श्री लक्ष्मण सिंह रावत** (भीम) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला राजसमंद के आमेट खण्ड व देवगढ़ उपखण्ड में कुल कितने व कौन-कौनसे 33/11 व 132/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन कार्यरत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त ग्रिड सब स्टेशनों पर कितना भार स्वीकृत है? उक्त सब स्टेशनों को अक्टूबर, 2000 से 5 मार्च, 2001 तक कितनी ऊर्जा की आपूर्ति की गई?

(श्री लक्ष्मण सिंह रावत)

(3) आमेट खण्ड व देवगढ़ उपखण्ड में घरेलू कृषि व उद्योग का कुल कितना-कितना मेगावाट का भार प्रतिदिन है? क्या भार के अनुपात में कार्यरत ग्रिड सब स्टेशन पर्याप्त है?

(4) क्या सरकार देवगढ़ में कामलीघाट पर 132/220 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने का विचार रखती हैं? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो नहीं?

उत्तर

(1) जिला राजसमन्द में आमेट खण्ड देवगढ़ उपखण्ड में वर्तमान में एक 132 के.वी. जी.एस.एस. तथा नौ 33 के.वी. सब-स्टेशन कार्यरत हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उक्त ग्रिड सब-स्टेशनों पर स्वीकृत भार व माह अक्टूबर, 2000 से फरवरी 2001 तक की गई विद्युत आपूर्ति का विवरण उपरोक्त परिशिष्ट "अ" में दर्शा दिया गया है। दिनांक 1 से 5 मार्च, 2001 तक का ऊर्जा आपूर्ति का विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि इनका विवरण माहवार आधार पर संकलित किया जाता है।

(3) उक्त क्षेत्र में घरेलू, कृषि व उद्योग के सम्बद्ध भार का विवरण परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है। आमेट खण्ड व देवगढ़ उपखण्ड में कृषि व उद्योगों (जो ग्रामीण फीडर पर हैं) को ब्लाक समय में तीन फेज व घरेलू उपभोक्ताओं को सायंकाल सिंगल फेज विद्युत आपूर्ति की जाती है। आमेट खण्ड के लिए 13 मेगावाट व देवगढ़ उपखण्ड के लिए 5 मेगावाट कोटा दिया गया है, जिसको स्थापित सब-स्टेशनों से ब्लाक समय में वितरित किया जाता है। अतः कार्यरत सब-स्टेशनों की स्थापित क्षमता मांग के अनुपात में पर्याप्त है।

(4) वर्तमान में देवगढ़ में कामलीघाट पर 132/220 के.वी. सब-स्टेशन बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-10 देखें)

बाड़मेर जिले के लम्बित कृषि कनेक्शन

330. श्री अमराराम (धोद) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि तहसील पचपदरा के ग्राम कीटनोद पंचायत समिति बालोतरा में वी.आर. नहीं बनने के कारण 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का विद्युत निगम शीघ्र निर्माण कराने जा रही है? यदि हां, तो कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

(2) क्या यह भी सही है कि वी.आर. नहीं बनने के कारण कीटनोद ग्राम के कास्तकारों को हरा-चारा पैदा करने के लिए कृषि कनेक्शंस के आवेदन-पत्रों की राशि जमा कराने के बावजूद भी कनेक्शंस नहीं मिल रहे?

(3) बाड़मेर जिले में कुल कितने आवेदन-पत्र लम्बित हैं और कितने कास्तकारों ने हरा-चारा उगाने की स्कीम के

(श्री अमराराम)

तहत डिमाण्ड नोटिस की राशि जमा करवा दी थी?

(4) क्या जिन कास्तकारों ने डिमाण्ड नोटिस की राशि हरा-चारा उगाने के प्रार्थना-पत्र के साथ जमा करवा दी उसको एक माह में कनेक्शंस मिल जायेंगे?

उत्तर

(1) जी, हां। बाड़मेर वृत के अन्तर्गत तहसील पचपदरा/पंचायत समिति बालोतरा के ग्राम कीटनोद में 33 केवी. सब-स्टेशन बनाने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। वित्तीय संसाधन एवं सामान की उपलब्धतानुसार यह कार्य शीघ्र करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

(2) वर्तमान में नियमानुसार 11 के.वी.वी.आर. निर्धारित सीमा से अधिक होने पर कृषि कनेक्शन हेतु डिमाण्ड नोट जारी नहीं किये जा रहे हैं। ग्राम कीटनोद में हरा चारा पैदा करने के लिए पांच आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से एक आवेदक को कनेक्शन दिया जा चुका है तथा वी.आर. निर्धारित सीमा से अधिक होने के कारण चार आवेदकों को अभी मांग पत्र जारी नहीं किये गये हैं।

(3) बाड़मेर जिले में हरा चारा/स्पेशल स्कीम के तहत कुल 2242 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे जिनमें से 966 आवेदकों ने मांग पत्र की राशि जमा करा दी है। इसमें से 729 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा शेष रहे 237 आवेदकों को कनेक्शन जारी करने की कार्यवाही प्रगति पर है।

(4) नियमानुसार हरा चारा उगाने के लिए कृषि कनेक्शन के प्रार्थना-पत्र के साथ मांग पत्र की राशि जमा नहीं कराई जाती है। प्रार्थना पत्र के साथ रु. 12000/- जमा कराये जाते थे जो कि मांग पत्र में समायोजित हो जाते हैं। जिन आवेदकों ने उक्त योजना में मांग पत्र की राशि जमा करा दी है उनको सामान की उपलब्धतानुसार कनैक्शन देने की कार्यवाही की जा रही है।

विद्युत विनियामक आयोग के सहायतार्थ सलाहकार मण्डल का गठन

331. **श्री हीरासिंह चौहान** (रायपुर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के कौन-कौन सदस्य नियुक्त किये गये हैं? चेयरमैन सहित आयोग के सदस्यों के नाम पतों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त आयोग की सहायता के लिए 21 सदस्यों के सलाहकार मण्डल का गठन कर लिया गया है? यदि हां, तो उनके नाम पतों की सूची सदन की मेज पर रखें और नहीं, तो कब तक गठन कर दिया जायेगा?

(3) क्या सलाहकार मण्डल की राय को मानने के लिए आयोग बाध्य होगा?

(श्री हीरासिंह चौहान)

यदि नहीं, तो फिर सलाहकार मण्डल के गठन का क्या औचित्य है?

(4) उक्त मण्डल में गरीब उपभोक्ताओं में से किस-किस आय वर्ग, जाति वर्ग को सम्मिलित किया है?

उत्तर

(1) राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग में निम्नांकित को अध्यक्ष एवं सदस्य नियुक्त किया गया है जिनका पता निम्नानुसार है :–

1. श्री अरूण कुमार, अध्यक्ष
2. श्री शांति प्रसाद, सदस्य
3. श्री प्रभाकर के. दास, सदस्य

पता : विद्युत भवन, विद्युत मार्ग, ज्योति नगर, जयपुर-302005

(2) जी, नहीं। आयोग की सहायता के लिए सलाहकार मण्डल का गठन एक माह में कर दिया जावेगा।

(3) जी, नहीं। राजस्थान पावर सेक्टर सुधार अधिनियम, 1999 (1999 का अधिनियम सं. 23) की धारा 32 के प्रावधानानुसार सलाहकार मण्डल के गठन का उद्देश्य राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को समय-समय पर परामर्श देना है।

(4) सलाहकार मण्डल का गठन अभी नहीं किया गया है।

जिला बाड़मेर के विचाराधीन ग्रिड सब स्टेशन

332. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि जिला बाड़मेर के बायतू, सिणधरी, गुढ़ामालानी, चोहटन, समदड़ी एवं आडेल में 132 के.वी. ग्रिड स्टेशन बनाने की योजना विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त योजनाओं को कब तक स्वीकृत कर कार्य शुरू किया जावेगा?

उत्तर

बाड़मेर जिले में सिणधरी तथा समदड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन बनाना प्रस्तावित है। उक्त 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त पाये जाने पर इनका वर्ष 2001-02 में कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा एवं अन्य स्थानों के बारे में कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

लूणकरणसर के ग्रिड सब स्टेशनों पर कर्मचारियों के रिक्त पद

333. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 33 के.वी. के कितने ग्रिड सब स्टेशन स्थापित हैं?

(श्री मानिक चन्द सुराना)

(2) एक 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन पर कितने कर्मचारियों को पदस्थापित करने का मानदण्ड पूर्व के विद्युत मण्डल और अब जोधपुर वितरण कम्पनी/डिस्काम ने बना रखा है और उक्त कर्मचारियों के पद, नाम क्या हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त क्षेत्राधीन में डिस्काम के पास वर्तमान में कितने कर्मचारी पदस्थापित हैं? मानदण्डों के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों की कमी को कब तक पूरा किये जाने का विचार है?

(4) क्या यह सही है कि ग्रामीणों की विद्युत शिकायतों का समाधान करने हेतु उक्त मानदण्डों के अलावा अलग कर्मचारी होने चाहिए? यदि हां, तो लूणकरणसर निर्वाचन क्षेत्राधीन में उक्त उद्देश्य की पूर्ति हेतु कितने कर्मचारी शिकायतों के निवारण हेतु लगाये हुए हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 33 के.वी. के 23 सब-स्टेशन स्थापित हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) 33 के.वी. सब-स्टेशन पर मानदण्ड के अनुसार सामान्यतया 6 कर्मचारी पदस्थापित करने का प्रावधान है, जिनका पदवार विवरण निम्नप्रकार है :—

1. सब-स्टेशन आपरेटर	1
2. सब-स्टेशन अटेंडेंट-द्वितीय	4
3. सब-स्टेशन अटेंडेंट-तृतीय	1
कुल	6

(3) लूणकरणसर क्षेत्र में वर्तमान में (जोधपुर डिस्काम के अन्तर्गत) 65 कर्मचारी पदस्थापित हैं। मानदण्ड के अनुसार कर्मचारियों की कमी की पूर्ति करने हेतु यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है।

(4) ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत संबधी शिकायतों का समाधान उक्त क्षेत्र में पदस्थापित कर्मचारियों द्वारा ही किया जाता है। वर्तमान में लूणकरणसर में 33 के.वी. सब-स्टेशन का रख-रखाव व शिकायत निवारण का कार्य उक्त क्षेत्र में पदस्थापित 65 कर्मचारियों द्वारा ही किया जा रहा है।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-11 देखें)

श्रीगंगानगर में लम्बित वृद्धावस्था पेंशन

334. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में वृद्धावस्था पेंशन का भुगतान नहीं हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) वृद्धावस्था, विधवा व विकलांग पेंशन के क्या नियम/मानदण्ड हैं?

उत्तर

(1) जी, नहीं। जिला श्रीगंगानगर में नियमानुसार वृद्धावस्था पेंशन का नियमित भुगतान हो रहा है।

(2) वृद्धावस्था, विधवा तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत करने के निम्न मापदण्ड हैं। मापदण्ड की मुख्य शर्तें निम्नप्रकार हैं :—

(अ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

1. 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के दीनहीन वृद्ध महिला एवं पुरुष हों।
2. इन व्यक्तियों की प्रतिवर्ष आय 1500/- से अधिक न हो।
3. वर्णित श्रेणी में अकेली रहने वाली महिला, अनु.जाति, अनु. जनजाति, विकलांग, भूमिहीन कृषक एवं मजदूरों को प्राथमिकता।
4. यदि पति एवं पत्नी दोनों प्रथम रूप से पात्रता रखतें हैं, दोनों को उक्त पेंशन स्वीकृत की जाती है।

(ब) राज्य वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित मापदण्ड

1. वृद्ध पुरुष 58 वर्ष या अधिक आयु के निराश्रित हों
2. वृद्ध महिला 55 वर्ष तथा अधिक आयु की निराश्रित हो।
3. उक्त व्यक्तियों के पास जीवन निर्वाह के लिए आय का साधन न हो।
4. जिनके 20 वर्ष से अधिक उम्र का पुत्र न हो।
5. राजस्थान के मूल निवासी इसके लिए पात्र व्यक्ति माने गये हैं।

(स) विधवा पेंशन हेतु निम्न मापदण्ड

1. किसी भी आयु की निराश्रित विधवा हो।
2. राजस्थान की मूल निवासी हो।
3. जिनके 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र न हो।

(द) विकलांग पेंशन हेतु मापदण्ड

1. 8 वर्ष या इससे अधिक राजस्थान का निवासी जो अपाहिज या अपंग अंधे हैं, वे आजीविका कमाने के अयोग्य या असमर्थ हैं।
2. उनके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन न हो।
3. जिनके 20 वर्ष से अधिक आयु का पुत्र न हो।

नियमों की प्रति आदिनांक संशोधन के साथ परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

ग्राम रावरा (सवाईमाधोपुर) में गाडिया लुहारों को भवन निर्माण हेतु स्वीकृत राशि

335. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1999-2000 में गाडिया लुहारों को भवन निर्माण हेतु कुल कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि मानदण्ड के अनुसार गांव रावरा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में प्रथम किस्त तक का निर्माण कार्य इन भवनों का हो चुका है? यदि हां, तो आगे निर्माण हेतु अगली किस्त क्यों नहीं जारी की गई?

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने उक्त गाडिया लुहारों को अगली किस्त देने के लिए मना कर दिया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार उक्त अधूरे भवनों को अनुदान देकर पूर्ण कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 1999-2000 में गाडिया लुहारों को भवन निर्माण हेतु दी गई राशि का जिलेवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। ग्राम रावरा पंचायत समिति खण्डार जिला सवाईमाधोपुर में वर्ष 1999-2000 में 22 परिवारों को कुल 1.54 लाख रुपये की प्रथम किस्त का भुगतान किया जाकर तदनुसार निर्माण कार्य कराया गया है। वर्ष 2000-2001 में वित्त विभाग द्वारा राशि आवंटित नहीं किये जाने से अगली किस्त का भुगतान नहीं किया जा सका है।

(3) जी, नहीं। वित्त विभाग द्वारा योजना अन्तर्गत राशि आबंटित करने पर गाडिया लुहारों को अगली किस्त का भुगतान किया जा सकेगा।

(4) जी, हां। मद संख्या 3/एन अनुसार शेष अनुदान राशि का भुगतान किया जाना है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-12 देखें)

मां दुर्गा शिक्षण संस्थान हसनपुरा जयपुर को अनुदान

336. श्री संजीव कुमार (भादरा) एवं **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मां दुर्गा शिक्षण संस्थान हसनपुरा जयपुर को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण जयपुर द्वारा वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में स्काइट योजनान्तर्गत कितने केन्द्रों की स्वीकृति प्रदान की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री संजीव कुमार)

(2) क्या उक्त संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को कोई भत्ता दिया गया? यदि हां, तो कितना-कितना? सूची नाम-पिता/पति का नाम व पते सहित सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त संस्थान को वर्ष 2000-2001 में कितने उपकरण व अनुदान दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) मां दुर्गा शिक्षण संस्थान, हसनपुरा जयपुर को स्काइट योजना के तहत वर्ष 1999-2000 व 2000-2001 में क्रमशः 6 तथा 4 केन्द्रों की स्वीकृति दी गयी। विवरण परिशिष्ट "क" पर उपलब्ध है।

(2) जी, हां। प्रशिक्षणार्थियों को 350/- रुपये प्रतिमाह की दर से उपस्थिति के आधार पर भत्ते का भुगतान किया गया। परन्तु केवल 3 प्रशिक्षणार्थियों की अनुपलब्धता के कारण भुगतान नहीं हो पाया। जिसकी सूची परिशिष्ट "ख" व "ग" पर उपलब्ध है।

(3) उक्त संस्थान को वर्ष 2000-2001 में कच्चे माल के लिए 75/- रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी तथा मानदेय के रूप में 200/- रुपये प्रतिमाह प्रति प्रशिक्षणार्थी के हिसाब से कुल 82,500/- रुपये का भुगतान किया गया, जिसका विवरण परिशिष्ट "घ" पर उपलब्ध है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मान्यता प्राप्त मूक बधिर शैक्षिक संस्थानों को अनुदान

337. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या राज्य सरकार मान्यता प्राप्त मूक बधिर शैक्षिक संस्थाओं को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो गत दो वर्षों में किस-किस संस्था को कितना-कितना अनुदान किस-किस उद्देश्य के लिए दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त प्रकार के राजकीय विद्यालय या शैक्षिक संस्थान खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कहां-कहां?

उत्तर

(1) जी, हां। मूक बधिर शैक्षणिक स्वयं सेवी संस्थाओं को शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक व्यवस्था के लिए तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण, छात्रावास व अन्य सुविधाओं हेतु अनुदान उपलब्ध करवाया जाता है। गत दो वर्षों में उल्लेखित उद्देश्यों के लिए दी गई अनुदान राशि का विस्तृत विवरण

(समाज कल्याण मंत्री)

क्रमशः परिशिष्ट "क" एवं परिशिष्ट "ख" पर अवलोकनीय है।

(2) यह नीतिगत प्रश्न है जिसका निर्णय संसाधनों एवं वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-13 देखें)

विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

338. डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में कुल कितने विद्यालय किस-किस स्तर के हैं?

(2) उक्त क्षेत्र के विद्यालयों में अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं और उनमें कबसे कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा जिला भीलवाड़ा में 7 उ. मा. विद्यालय, 21 माध्यमिक विद्यालय, 64 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 140 प्राथमिक विद्यालय एवं 61 राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं संचालित हैं।

(2) उक्त क्षेत्र में प्रथम श्रेणी के 55 द्वितीय श्रेणी के 228 एवं तृतीय श्रेणी के 753 पद अध्यापकों के स्वीकृत हैं। रिक्त पदों की सूचना निम्नप्रकार है :—

प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी		तृतीय श्रेणी	
कब से	रिक्त पद	कब से	रिक्त पद	कब से	रिक्त पद
1	2	3	4	5	6
2/1997	1	8/1998	1	1/2000	6
12/1997	1	3/1999	1	2/2000	2
2/1999	1	7/1999	1	4/2000	1
2/2000	1	10/1999	1	7/2000	14
8/2000	1	11/1999	1	11/2000	1
1/2001	2	2/2000	1	12/2000	5

(पंचायती राज मंत्री)

1	2	3	4	5	6
		2/2000	3	1/2001	22
	7	7/2000	3	2/2001	1
		8/2000	3		**52**
		11/2000	1		
		1/2001	8		
		2/2001	3		
		3/2001	2		
			29		

(3) प्रथम व द्वितीय श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है व तृतीय श्रेणी के अध्यापकों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध है।

ग्राम खवारानीजी (जयपुर) में दिये गये अवैध पट्टे

339. श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर के ग्राम खवारानीजी की खातेदारी की कृषि भूमि खसरा नं. 73 में ग्राम पंचायत द्वारा दिये गये पट्टे को अवैध करार देकर पंचायती राज विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक एफ. 3/एजे./14/जांच/जस/92/1936 दिनांक 27.9.1992 के अनुसार यह आदेश दिया गया था कि सरपंच ने गलत रिकार्ड तैयार कर पट्टा जारी किया है ?

(2) क्या ग्राम पंचायत द्वारा खातेदार की कृषि भूमि खसरा नं. 73 में दिये गये अवैध पट्टे को निरस्त करने हेतु जिला कलक्टर जयपुर को अनुरोध किया गया था? यदि हां, तो क्या पट्टा निरस्त कर दिया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार एवं जिला कलक्टर जयपुर के कार्यालय आदेश की अवहेलना करते हुए ग्राम पंचायत खवारानीजी के पूर्व सरपंच श्री अजीज खां द्वारा दिये गये पट्टे को अभी तक निरस्त नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों? उक्त प्रकरण में राज्यादेश की अवहेलना करने वाले अधिकारी व

(श्री फतेह सिंह)

कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(4) उक्त अवैध रूप से दिया गया उक्त पट्टा अब कब तक निरस्त कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। संदर्भ पट्टों को निरस्त करने हेतु अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष दिनांक 10.4.2001 को निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है जो विचाराधीन है।

(3) इन अवैध पट्टों को निरस्त करने हेतु अतिरिक्त कलक्टर तृतीय जयपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की जा चुकी है।

(4) इन पट्टों के संबंध में निगरानी सक्षम न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम पंचायत जीवद (सवाईमाधोपुर) के सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही

340. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास, सवाईमाधोपुर पर पूर्व सरपंच के कार्यकाल का वर्ष 1989-90, 1990-91 के सात हजार सात सौ चौंतीस रुपये पिचानवें पैसे बकाया थे ? यदि नहीं, तो पंचायत समिति बामनवास, जिला सवाईमाधोपुर द्वारा पत्रांक आडिट/वसूली/पंचायत/96/1830-66 दिनांक 16.1.1996 के द्वारा किसको बकाया राशि जमा कराने हेतु लिखा गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि वर्तमान सरपंच ग्राम पंचायत जीवद ने अपने पूर्व सरपंच कार्यकाल वर्ष 1989-90 व 1990-91 की बकाया राशि होने के पश्चात् भी एक झूठा शपथ-पत्र स्टाम्प पर लिखकर बकाया नहीं का प्रस्तुत कर वर्ष 2000 में सरपंच का चुनाव लड़ा है ? यदि हां, तो उक्त धोखाधड़ी तथा फर्जी कार्यवाही करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच ने सरपंच पद पर विजयी होने के पश्चात् पूर्व की बकाया राशि पंचायत समिति बामनवास में जमा करवाई है ? यदि नहीं, तो पंचायत समिति बामनवास जिला सवाईमाधोपुर की बुक नम्बर 8 रसीद संख्या 40 दिनांक 16 फरवरी, 2000 के द्वारा किसने तथा कितनी राशि जमा करवाई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विभाग के नियमानुसार सरकार की बकाया राशि होने पर किसी भी व्यक्ति को पंचायत का चुनाव लड़ने हेतु योग्य घोषित नहीं किया जाता ? यदि हां, तो वर्तमान सरपंच को बकाया राशि होने के पश्चात् भी चुनाव लड़ने हेतु किस प्रकार योग्य घोषित किया गया ? उक्त के लिए

(श्री शिवराम सिंह कुशवाह)

कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जिम्मेदार हैं तथा उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत जीवद, तहसील बामनवास के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने तथा अयोग्य घोषित करने के संबंध में सरकार को कई प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए हैं? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या सरकार झूठा शपथ-पत्र पेश कर चुनाव लड़ने एवं गुमराह तथा धोखाधड़ी करने वाले ऐसे सरपंच के विरुद्ध कोई कार्यवाही कर उसे अयोग्य घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। बकाया राशि को जमा कराने हेतु पंचायत समिति बामनवास के पत्र क्रमांक : आडिट/वसूली/पंचायत/96/1830-66 दिनांक 16.1.1996 द्वारा श्री कल्याण मीणा सरपंच को नोटिस दिया गया। नोटिस की प्रति परिशिष्ट-"अ" पर संलग्न है।

(2) जी, नहीं। ऋण बकाया नहीं होने का शपथ पत्र पेश किया।

(3) जी, हां। उक्त श्री कल्याण मीणा द्वारा चुनाव 2000 में विजयी होने के पश्चात् पंचायत समिति बामनवास में रसीद संख्या-40 दिनांक 16.2.2000 द्वारा रु. 7735 जमा कराये हैं।

(4) जी, हां। श्री कल्याण मीणा के शपथ पत्र के आधार पर पंचायत समिति द्वारा अदेय प्रमाण पत्र जारी किया गया। श्री कल्याण मीणा ने सरपंच पद का नामांकन भरते समय पंचायत समिति द्वारा जारी अदेय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर पीठासीन अधिकारी द्वारा उन्हें चुनाव लड़ने योग्य पाया गया। बकाया राशि होते हुए भी अदेय प्रमाण-पत्र जारी करने वाले अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। अदेय प्रमाण-पत्र की प्रति परिशिष्ट "स" पर संलग्न है।

(5) जी, हां। उक्त सरपंच ग्राम पंचायत जीवद के विरुद्ध प्राप्त प्रार्थना पत्रों/प्रस्तावों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।

(6) प्रकरण का परीक्षण कराया जा रहा है। परीक्षण उपरान्त प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

(प्रतियां विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बादल विलास जैसलमेर का संरक्षित स्मारक प्रकरण

341. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर नगर में मन्दिर पैलेस में निर्मित बादल

(श्री गोवर्द्धन कल्ला)

विलास ताजीयेनुमा एक नगर की सांस्कृतिक धरोहर है ?

(2) क्या यह भी सही है कि नगर की सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तथा पटवों की हवेलियां भी निजी सम्पत्ति हैं ?

(3) क्या उक्त हवेलियां राज्य सरकार द्वारा संरक्षित हैं? यदि हां, तो बादल विलास को सरकार द्वारा संरक्षित करने में क्या रुकावट है ?

(4) क्या सरकार बादल विलास (मन्दिर पैलेस) को संरक्षित स्मारक घोषित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी, हां। जैसलमेर नगर में स्थित बादल विलास का ऊपरी हिस्सा ताजीयानुमा है।

(2) सालम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवा हवेली नगरपालिका संख्या 3129, 3017, 3127 एवं 3127-बी ($57\frac{5}{16}$) निजी स्वामित्व में है। पटवा हवेली नगरपालिका संख्या 3126, 3128, 3013 एवं 3127-बी ($42\frac{11}{16}$) राज्य सरकार के स्वामित्व में है।

(3) जी, हां। उक्त हवेलियां राज्य सरकार द्वारा संरक्षित घोषित है। बादल विलास संरक्षित घोषित नहीं है। वर्तमान में यह मापदण्ड में नहीं आता, क्योंकि बादल विलास को अभी 100 वर्ष नहीं हुए हैं।

(4) जी, नहीं। मन्दिर पैलेस का संरक्षण अनुबन्ध के आधार पर हो रहा है बादल विलास (मन्दिर पैलेस) वर्तमान मे मापदण्ड के अन्तर्गत नहीं आता है। अर्थात् 100 वर्ष होने के पश्चात् संरक्षित किये जाने की कार्यवाही के लिए प्रस्तावित किया जा सकता है।

पंचायत समिति गढ़ी (अलवर) में चयनित बच्चे

342. **श्री कन्हैया लाल** (बस्सी) एवं **श्री केसाराम चौधरी** (खारची) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति गढ़ी जिला अलवर में वर्ष 1975 से मार्च, 2000 तक 6 साल तक के बच्चों के कुपोषण एवं स्वास्थ्य स्तर पर किस-किस पंचायत में कितने बच्चे चयनित किये ?

(2) पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा का क्या तात्पर्य है और इसमें किस प्रकार की सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं ?

(3) संदर्भ सेवाएं क्या हैं ?

(4) राज्य में स्वीकृत कितने आंगनबाड़ी केन्द्र क्रियाशील हैं ? आंगनबाड़ी केन्द्र पर पूरक पोषाहार किस रूप में तथा किस तरह वितरित किया जाता है ?

उत्तर

(1) अलवर जिले में गढ़ी नाम की पंचायत समिति नहीं है।

(2) पोषाहार स्वास्थ्य शिक्षा समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है। इस सेवा के माध्यम से 15 से 45 की महिलाओं को अपने बच्चों तथा परिवार की मूलभूत आवश्यकता हेतु जानकारी दी जाती है। इसमें पोषक भोजन बनाने, उसको सुरक्षित रखने, घर एवं आसपास की स्वच्छता एवं साफ-सफाई, मौसमी बीमारियों से बचाव आदि की जानकारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता/स्वास्थ्य कार्यकर्ता/पर्यवेक्षक द्वारा महिलाओं को विभिन्न तरीकों से दी जाती है।

(3) संदर्भ सेवाएं भी समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का एक घटक है। इस सेवा के अन्तर्गत आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत अति-कुपोषित बच्चों/गम्भीर रूप से बीमार बच्चों तथा अस्वस्थ गर्भवती/धात्री महिलाओं को गुलाबी पर्ची देकर निकटतम चिकित्सा केन्द्र में निदान हेतु जाने की सलाह दी जाती है। यह पर्ची आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, पर्यवेक्षक अथवा ए.एन.एम. द्वारा दी जा सकती है।

(4) राज्य में 257 बाल विकास परियोजनाओं के अधीन 33420 केन्द्र वर्तमान में क्रियाशील है। आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार का वितरण सूखा एवं पका कर दोनों प्रकार से दिया जाता है। 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पाक्षिक आधार पर (सप्ताह में छह दिन का) सूखा ही घर ले जाने के लिए दिया जाता है। 3-6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्र पर पका कर खिलाया जाता है, किन्तु पंजीरी पोषाहार सीधा ही खाने के योग्य होने के कारण बिना पकाये बांटा जाता है। पूरक पोषाहार वितरण के मानदण्ड परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(मान्दण्डों की प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-14 देखें)

राज्य महिला आयोग का कार्य क्षेत्र

343. श्री निर्भय लाल (रूपवास), **श्री भरौसी लाल** (हिण्डौन) एवं **मोहम्मद माहिर आजाद** (नगर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने राज्य महिला आयोग का गठन किया है? यदि हां, तो कौन से वर्ष में? राज्य महिला आयोग का क्या कार्य क्षेत्र है और अब तक कितने प्रकरणों का निपटारा किया गया है?

(2) क्या राज्य महिला आयोग को सरकार द्वारा न्यायपालिका के अधिकार दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। 15 मई, 1999 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन किया गया। अधिनियम की धारा-11 के अनुसार आयोग का मुख्य कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है :—

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

1. महिलाओं के खिलाफ होने वाले किसी भी प्रकार के अनुचित व्यवहार की जांच करना, उस पर विनिश्चय करना और उस मामले में की जाने वाली कार्यवाइयों की सरकार को सिफारिश करना।
2. प्रवृत्त विधियों व उनके प्रवर्तन को महिलाओं के हित में प्रभावी बनाने के लिए कदम उठाना।
3. राज्य लोक सेवाओं और राज्य लोक उपक्रमों में महिलाओं के विरुद्ध किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकना।
4. महिलाओं की दशा में सुधार करने की दृष्टि से कदम उठाना तथा कल्याणकारी उपायों की सरकार को सिफारिश करना, समान अवसर प्रदान करवाने के उद्देश्य से सकारात्मक योजनाएं सरकार को सुझाना, महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा के सम्बन्ध में तुलनात्मक अध्ययन व आंकड़ों के माध्यम से महिलाओं के अधिकारों के समर्थन की कार्यवाइयों को गति प्रदान करना।
5. अधिनियम की धारा-14 के अनुसार आयोग राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। धारा-14 खण्ड (2) के अनुसार राज्य सरकार आयोग की सिफारिशों पर प्रस्तावित कार्यवाही व सिफारिशों को अस्वीकार किये जाने के कारणों के ज्ञापन सहित, आयोग की रिपोर्ट विधान मण्डल सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

15 मई, 1999 से 28 फरवरी, 2001 तक महिला आयोग द्वारा 673 प्रकरणों का निपटारा किया गया है।

(2) जी, हां। राजस्थान राज्य महिला आयोग अधिनियम-1999 की धारा-10 खण्ड (1) के अनुसार आयोग को किसी भी जांच के प्रयोजन के लिए सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदत्त हैं।

कारगिल युद्ध कोष में कर्मचारियों से प्राप्त राशि

344. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कारगिल युद्ध के समय प्रदेश के कर्मचारियों से कितना आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ था?

(2) उक्त संग्रहित राशि में से कितना खर्चा किन-किन मदों में किया गया और अवशेष राशि कितनी है तथा वह किस संस्थान के पास जमा है?

(3) क्या यह सही है कि पेंशनधारियों को मेडिकल, शहीदों की विधवाओं को पेंशन व शहीद स्मारक (सीकर) में हुए व्यय का भुगतान इसी कोष से किया गया है?

(4) क्या यह भी सही है कि गणतंत्र दिवस 2001 पर शहीदों की विधवाओं को

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सम्मानित करने दिल्ली भेजने पर इसी कोष से व्यय किया गया? यदि हां, तो कितनी राशि व्यय हुई व वर्तमान में शेष राशि क्या है?

उत्तर

(1) कारगिल फण्ड में राज्य कर्मचारियों से 1189.00 लाख रुपये का आर्थिक योगदान प्राप्त हुआ था।

(2) उक्त राशि तथा जन सहयोग से प्राप्त राशि एवं ब्याज तथा प्रोत्साहन राशि मिलाकर कुल 2461.54 लाख रुपये की आय इस फण्ड में अभी तक हुई है जिसमें से व्यय निम्नप्रकार है :—

1.	शहीद परिवारों को सहायता	616.50 लाख रु.
2.	कारगिल से पूर्व की शहीद विधवाओं को अतिरिक्त सम्मान भत्ता (450 रु. प्रतिमाह)	25.98 लाख रु.
3.	सीकर एवं झुंझनूं में शहीद स्मारक के निर्माणार्थ सहायता	13.00 लाख रु.
4.	अन्य सैनिक कल्याण कार्य	11.38 लाख रु.
5.	विकलांग सैनिकों को सहायता	4.50 लाख रु.
	कुल व्यय	671.36 लाख रु.

शेष राशि में से 17.00 करोड़ रुपये 5 वर्ष के लिए डाक घर में जमा कराये गये हैं तथा शेष 90.18 लाख रुपये दिन-प्रतिदिन व्यय हेतु बैंक के बचत खाते में जमा हैं।

(3) यह सही नहीं है कि पेंशनधारियों के मेडिकल का भुगतान इस फण्ड से किया गया है। कारगिल युद्ध से पूर्व की शहीद विधवाओं को 450 रुपये प्रति माह अतिरिक्त सम्मान भत्ते का भुगतान अवश्य इसी कोष से किया गया है, जिस पर 25.98 लाख रुपये व्यय हुए हैं।

शहीद स्मारक (सीकर) के लिए 6.50 लाख रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

(4) यह सही नहीं है कि गणतंत्र दिवस, 2001 में शहीदों की विधवाओं को दिल्ली भेजने पर कोष से व्यय किया गया है।

ग्रामीण विकास में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित कर्मी

345. **डा. किरोड़ी लाल** (बामनवास) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास विभाग में अनेक अधिकारी/कर्मचारी दूसरे विभागों से प्रतिनियुक्ति पर

(डा. किरोड़ी लाल)

आये हैं? यदि हां, तो उनकी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार ने प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों को मूल विभाग में भेजने का फैसला कर रखा है लेकिन ग्रामीण विकास विभाग इसका पालन नहीं कर रहा? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/कर्मचारियों ने ग्रामीण विकास विभाग में अपने हित साध रखे हैं इसलिए वे इस विभाग से जाना नहीं चाहते? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों को वापस भेजने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। ग्रामीण विकास विभाग में अन्य विभागों से विशेष चयन/ प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी/कर्मचारी लिये गये हैं, जिनकी सूची परिशिष्ट "अ" पर अवलोकनीय है।

(2) जी, नहीं।

(3) जी, नहीं।

(सूची के लिए कृपया परिशिष्ट-15 देखें)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

श्री नवनीत कुमार पालीवाल, श्री छतर सिंह, पूर्व माननीय सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष : शोकाभिव्यक्ति।

माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री नवनीत कुमार पालीवाल तथा श्री छतर सिंह के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री नवनीत कुमार पालीवाल का जन्म 8 मई, 1936 को नाथद्वारा के ग्राम झालों की मदार में हुआ। आपने महाराणा भूपाल कालेज तथा श्रमजीवी कालेज, उदयपुर में अध्ययन कर बी.ए. एवं साहित्यरत्न की उपाधियां प्राप्त कीं।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल वर्ष 1977 में जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में नाथद्वारा निर्वाचन क्षेत्र से छठी राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। विधान सभा में आप फरवरी, 1978 से मई, 1979 तक सरकारी मुख्य सचेतक के पद पर आसीन रहे।

सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध संघर्षरत रहे श्री पालीवाल ने स्वतंत्रता आन्दोलन में भी भाग लिया। आपकी लेखन एवं पत्रकारिता में विशेष रुचि रही। आप अनेक समाचार पत्रों के प्रतिनिधि रहे। आपने "नाथद्वारा तीर्थ" नामक पुस्तक

(श्री अध्यक्ष)

लिखने के अलावा "ब्रह्म संबंध" नामक मासिक पत्र का सम्पादन भी किया।

श्री नवनीत कुमार पालीवाल का दिनांक 28 अप्रैल, 2001 को निधन हो गया।

पूर्व विधायक श्री छतर सिंह का जन्म 25 मार्च, 1925 को जालौर जिले की आहोर तहसील के ग्राम हरजी में हुआ। आपने मेयो कालेज, अजमेर तथा लखनऊ विश्वविद्यालय में अध्ययन कर बी.ए. की उपाधि प्राप्त की।

श्री छतर सिंह वर्ष 1962 में राम राज्य परिषद् के प्रत्याशी के रूप में आहोर निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी राजस्थान विधान सभा के सदस्य निर्वाचित हुए। ग्रामीण उत्थान के लिए सदैव प्रत्यनशील रहे श्री छतर सिंह ग्राम पंचायत, हरजी के सरपंच तथा जिला परिषद, जालौर के सदस्य भी रहे। आप मानव सेवा संघ सहित अनेक संस्थाओं से सम्बद्ध रहे।

श्री छतर सिंह का दिनांक 27 अप्रैल, 2001 को निधन हो गया।

मैं इन दिवंगत आत्माओं को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन वैल में नारेबाजी)

श्री बुलाकीदास कल्ला : किसान विरोधी तो आप हो। आप लोग हो किसान विरोधी। आपने खाद के ऊपर सब्सिडी हटाई, आप किसान विरोधी हो। आपने डीजल और पैट्रोल की कीमतें दो-दो बार बढ़ाई, खाद के ऊपर सब्सिडी हटाई। किसान विरोधी तो आप लोग हो।

(सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष : सदन की बैठक 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 12.07 बजे 10 मिनट के लिए स्थगित हुई)

पुनः समवेत होने पर

(12.17 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री उपाध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(श्री उपाध्यक्ष)

(1) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास के ग्राम नागरहेड़ा में 33/11 के.वी., जी.एस.एस. स्वीकृत होने के बावजूद उसका कार्य आरम्भ नहीं होने के सम्बन्ध में।

(2) श्री मदन दिलावर एवं एक-एक अन्य सदस्य की ओर से चिकित्सा विभाग में अरजेंट टेम्पेरेरी फिक्स अमाउंट पर कार्यरत कर्मियों को स्थायी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामप्रताप, सदस्य की ओर से समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुदानित संस्थाओं में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जाएगा।

(4) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से ब्यावर शहर एवं उसके आस-पास के इलाकों में गत दिनों फैले साम्प्रदायिक विद्वेष के सम्बन्ध में।

सदन में पुलिस विभाग की अनुदान की मांग पर चर्चा होगी, माननीय सदस्य को चर्चा के समय बोलने का अवसर उपलब्ध रहेगा। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

मुझे माननीय सदस्यों को यह भी सूचित करना है कि निम्न स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त हुई है :—

श्री मदन दिलावर एवं अन्य सदस्य की ओर से तहसील अटरू की ग्राम पंचायत कुण्डी के कुकर तालाब को गहरा कर मरम्मत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्य नहीं है, अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से मेडिकल कालेज, कोटा के छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई कथित ज्यादती के संबंध में।

(2) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से पंचायत समिति मुण्डावर में पंचायत प्रसार अधिकारी एवं सहकारिता प्रसार अधिकारी के पद रिक्त होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से सिंचित क्षेत्र में ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई पर नहरी आबियाना वसूल नहीं किये जाने के संबंध में।

(4) श्री मोहन लाल, सदस्य की ओर से पंचायत समिति कपासन के अध्यापकों को तीन माह से वेतन नहीं मिलने के संबंध में।

(श्री उपाध्यक्ष)

(5) श्री हेमन्त कुमार, सदस्य की ओर से जिला कोटा के ग्राम दरा में चिकित्सक का पद सृजित करने के सम्बन्ध में।

(6) श्री प्रताप सिंह सिंघवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की छीपाबड़ौद पंचायत समिति के सफाई कर्मचारियों को गत 8 माह से वेतन नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री हीरासिंह चौहान, सदस्य की ओर से अकाल राहत कार्यों में लगाये गये श्रमिकों की संख्या असंतुलित होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री रामस्वरूप मीणा, सदस्य की ओर से टोडाभीम में 132 के.वी. का ट्रांसफार्मर लगाने के सम्बन्ध में।

(9) मोहम्मद माहिर आजाद, सदस्य की ओर से जिला भरतपुर के कस्बा पहाड़ी एवं नगर में 33 के.वी. एवं 132 के.वी. सब-स्टेशन कायम करने के सम्बन्ध में।

(10) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बस्सी की 57 सड़कों का डामरीकरण करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री मदन दिलावर।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

कोटा मेडिकल कालेज के छात्रों पर पुलिस की ज्यादती

श्री मदन दिलावर (अटरू) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत मेडिकल कालेज, कोटा के छात्रों पर पुलिस द्वारा की गई ज्यादतियों के संबंध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करता हूं।

दिनांक 24.4.2001 को कोटा मेडिकल कालेज में छात्र संघ चुनाव सम्पन्न हुए, जिसमें परमानन्द गुप्ता उपाध्यक्ष और वीरेन्द्र सिंह गौड़ महासचिव निर्वाचित हुए। इसी जीत के उपलक्ष्य में दिनांक 24.4.2001 को रात्रि को मेडिकल छात्रावास में जीत की छात्रों द्वारा खुशियां मनाई जा रही थीं। अचानक रात्रि को करीब 1.00 बजे हास्टल गेट के बाहर (कालेज कैम्पस के अन्दर) पुलिस की जीप आई। एक छात्र रामनरेश उनके आने का कारण जानने के लिए बाहर निकला तो उस छात्र के बाहर निकलते ही जीप में बैठे पुलिसकर्मियों ने राम नरेश के साथ बुरी तरह से मारपीट की तथा घसीटते हुए जीप में डाल दिया और पीटते हुए महावीर नगर तृतीय, कोटा थाने में ले गई। पिटाई के दौरान रामनरेश के शरीर पर कई जगह चोटें आई तथा सामने का ऊपर का एक दांत टूट गया। ज्यादा पिटाई के कारण उक्त छात्र बेहोश हो गया।

(श्री मदन दिलावर)

पुलिस की दूसरी जीप मेडिकल छात्रावास में आई और छात्रों को बताया कि तुम्हारे छात्रावास का एक छात्र महावीर नगर थाने में बेहोश पड़ा हुआ है, उसे ले जाओ। इस पर छात्रों में आक्रोश पैदा हो गया। उक्त छात्रों ने रामनरेश के बेहोश होने व पकड़ कर ले जाने का कारण पुलिस वालों से जानना चाहा तो पुलिस वालों ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया तथा पुलिस तत्काल वहां से चली गई। इस बीच छात्रों के पुलिस थानें में पहुंचने से पूर्व उस बेहोश छात्र को पुलिस वालों ने अस्पताल पहुंचा दिया।

इस बीच कुछ छात्र वार्डन को सूचना देने के लिए फोन करने चले गये। हास्टल वार्डन हास्टल आये और उन्होंने कुछ छात्रों को साथ लिया और प्रधानाचार्य महोदय को फोन करने गये तथा दो छात्रों (वीरेन्द्र सिंह गौड़ व लक्ष्मी प्रकाश नागर) को प्राचार्य महोदय के घर पर सूचना देने के लिए गाड़ी से भेजा।

उक्त दोनों छात्र कालेज के प्रशासनिक भवन (मेडिकल कालेज के परिसर के अन्दर) के पास ही पहुंचे थे कि अचानक कहीं से पुलिस आई तथा चलती हुए गाड़ी पर से डंडा फैंककर मारा तथा छात्रों को गिरा दिया। छात्रों ने पुलिस वालों से कहा कि हास्टल वार्डन साहब ने प्राचार्य महोदय को खबर करने के लिए भेजा है, आपने हमें क्यों गिरा दिया। इस पर पुलिस वालों ने छात्रों से गाली-गलौच की तथा मारपीट शुरू कर दी। बेरहमी से पीटते-पीटते थाने ले गये। वहां थाने में उक्त छात्रों के साथ भयंकर मारपीट की तथा उलटा पुलिस वालों ने पुलिस के साथ मारपीट एवं सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने का झूठा इल्जाम लगाया। इसके बाद पुलिस उप अधीक्षक कोटा शहर, महावीर नगर थाने में आये तथा उन्होंने भी उक्त छात्रों को बेरहमी से पीटा तथा हास्टल में रहने वाले छात्रों के झूठे नाम लिखवाये। कुछ समय बाद चार पुलिस की जीपें और एक केंटर मेडिकल छात्रावास का चक्कर काटकर चले गये और कालेज के प्रशासनिक भवन के पीछे जाकर छुप गये। इस बात से अनभिज्ञ छात्र संघ उपाध्यक्ष परमानन्द गुप्ता, राजेश गर्ग एवं कन्हैया लाल सालवी को हास्टल वार्डन ने प्राचार्य महोदय को फोन करने हेतु भेजा। उक्त तीनों छात्र प्रशासनिक भवन से फोन कर प्राचार्य महोदय को प्रकरण की जानकारी दे रहे थे तभी पुलिस की जीप वहां आई तथा प्रशासनिक भवन के अन्दर से तीनों छात्रों को पकड़ कर मारपीट कर ले गई। उक्त तीनों छात्रों को भी पुलिस ने थाने में बंद कर दिया और बुरी तरह से मारपीट की। पूरी रात पानी नहीं दिया एवं पेशाब भी नहीं करने दिया। इसके उपरान्त पुलिस द्वारा छात्रों से झूठी एफ.आई.आर. एवं अन्य कुछ कागजों पर हस्ताक्षर करने को कहा उक्त छात्रों ने इसका विरोध किया तो बेरहमी से मारा और छात्रों को हस्ताक्षर करने पर विवश कर दिया। पुलिसकर्मियों के द्वारा यह धमकी भी दी कि तुम्हें ऐसे केस में

(श्री मदन दिलावर)

फंसाएंगे कि तुम्हारी जमानतें भी होना मुश्किल होगी। पुलिस ने अपना पक्ष मजबूत करने के लिए छात्रों पर जितनी भी धारा लगा सकते थे, वे सब लगा दीं।

बेहोश छात्र रामनरेश जो अस्पताल में था, उसे जब होश आया तो उसने बताया कि दो पुलिसकर्मी कैलाश सारन व खेमचन्द चौधरी ने उसे इतना बेरहमी से पीटा कि उसे बेहोशी की हालत में पहुंचाया गया। यही नहीं, छात्र कन्हैया लाल सालवी जो अनुसूचित जाति का है, को पुलिस उपाधीक्षक कोटा शहर एवं अन्य पुलिसकर्मियों ने जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा उसके साथ भयंकर मारपीट की। इस प्रकार पुलिस द्वारा अनावश्यक रूप से पूरे मेडिकल कालेज (कैम्पस) में दहशत का वातावरण पैद कर दिया गया।

पुलिस ज्यादतियों से त्रस्त छात्रों ने उक्त घटनाक्रम की मुख्य मंत्री महोदय, गृह मंत्री, स्वायत्त शासन मंत्री, संभागीय आयुक्त, पुलिस उप महानिरीक्षक, जिला कलक्टर एवं पुलिस अधीक्षक, कोटा को ज्ञापन के माध्यम से हुए अत्याचारों की जांच कर मेडिकल छात्रों के खिलाफ झूठे मुकदमे वापस लिये जाने तथा दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच कर तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करने की मांग की। पुलिस उपाधीक्षक कोटा शहर की ज्यादतियों के खिलाफ जांच पर कार्यवाही करने तथा पुलिस का कालेज कैम्पस में बिना कालेज प्रशासन की इजाजत के प्रवेश बन्द किये जाने की मांग की गई है। साथ ही कई छात्र संगठनों द्वारा भी उपरोक्तानुसार मांग कर तत्काल कार्यवाही हेतु उच्चाधिकारियों को निवेदन किया गया है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि आज तक दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। उल्टा पुलिस द्वारा निर्दोष छात्रों को झूठे मुकदमे तैयार कर फंसाया जा रहा है। इससे अराजकता की स्थिति पैदा होने की पूरी-पूरी सम्भावना है। इसलिए मैं इस विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

मण्डावर पंचायत समिति में पंचायत/सहकारिता प्रसार अधिकारी के रिक्त पद

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र मण्डावर की पंचायत समिति मण्डावर में पंचायत प्रसार अधिकारी का पद अगस्त, 1999 से खाली है और सहकारिता प्रसार अधिकारी का पद अगस्त, 2000 से खाली है। पंचायत समिति से ही सारी विकास की योजनाएं चलती हैं। दोनों पद खाली होने की वजह से विकास में रुकावट आती है। अतः पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन है कि इन दोनों पदों को तुरन्त भरने की कार्यवाही

(श्री धर्मपाल चौधरी)

करें जिससे मण्डावर क्षेत्र की जनता के विकास में रुकावट नहीं हो।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मानिक चन्द सुराना।

सिंचित क्षेत्र में ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई पर नहरी आबियाना शुल्क वसूल नहीं किया जाए

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव करना चाहता हूं। भाखरा में सिंचाई की अधिकतम क्षमता केवल 62 प्रतिशत है जिसमें से रबी की फसल नवम्बर, 2000 से शुरू होने वाली चार बारियों में से प्रायः 2-3 बारियां सूखी चली गई हैं। हनुमानगढ़ जिले में किसानों ने अपनी फसलों को पानी देने के लिए लाखों रुपयों के कर्जे लेकर अपने-अपने खेतों में बिजली से संचालित करीब 6000 ट्यूबवैल लगा रखे हैं। इन ट्यूबवैलों पर बिजली की दर दोगुनी तो पहले ही हो चुकी है, और अब चार गुनी होने जा रही है। जिस अन्याय का जिक्र मैं करना प्रस्तावित करता हूं वह यह है कि ट्यूबवैलों से सिंचित जमीन को नहरी पटवारी रिकार्ड में नहर से सिंचित दिखा देता है और नहरी आबियाना वसूले जाने की स्थिति बन जाती है। इस प्रकार नहर की सिंचाई क्षमता के झूठे आंकड़े व आबियाने के झूठे आंकड़े सरकार को दिये जाकर किसानों द्वारा कुएं और ट्यूबवैल से की गई सिंचाई को पूर्णरूपेण नजरअंदाज किया जा रहा है। जो किसान आपत्ति करते हैं उनका नहर से पानी का कनेक्शन काट दिया जाता है। इस प्रकार करीब 15 करोड़ रुपया नाजायज रूप से केवल हनुमानगढ़ जिले में वसूल किया जाता है। नहरी क्षमता की अधिकतम क्षमता 62 प्रतिशत स्वीकृत होने पर भी उस क्षमता के आंकड़े 200 प्रतिशत से अधिक के नहरी आबियाने फर्जी दिखाकर किसानों की लूट जारी है। सरकार अगर अपना खर्च कम करना चाहती है और किसानों को राहत देना चाहती है तो स्वीकृत नहरी क्षमता 62 प्रतिशत के अनुसार वास्तव में किसानों को दिये गये पानी के आधार पर किसानों से नहरी आबियाना वसूल किये जाने की परम्परा बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

यही स्थिति इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में सूरतगढ़, अनूपगढ़ व अन्य क्षेत्रों में है, जहां काश्तकारों ने नहरी पानी की कमी की स्थिति से निपटने के लिए बीसों हजार ट्यूबवैलों का निर्माण किया हुआ है। गत वर्ष व इस वर्ष हनुमानगढ़ के साथ-साथ सूरतगढ़ व अनूपगढ़ में काश्तकारों ने ट्यूबवैलों से ही अपनी खेती का अधिकतर भाग परिपक्व किया है। नहरी पानी से होने वाली फसल तो पूरी खराब की श्रेणी में आ गई है।

सिंचित क्षेत्र के काश्तकारों की प्रबल मांग है कि ट्यूबवैल के निर्माण में उन्हें चालीस-पचास हजार रुपये खर्च करने पड़ते हैं। अनेक स्थानों पर ट्यूबवैल को डीजल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से व ट्रैक्टर से चलाया जाता है और अनेक स्थानों पर विद्युत उपभोग से ट्यूबवैल चलाकर खेती को पानी दिया जाता है। यह सारी व्यवस्था अत्यधिक महंगी व खर्चीली है और एक बीघा को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने में 400 रुपये से 1000 तक का रैकरिंग खर्च किसान की जेब से होने के बावजूद सिंचाई विभाग व उसके पटवारी उसे ट्यूबवैल से हुई सिंचाई के तौर पर रिकार्ड न कर नहरी पानी से हुई सिंचाई दर्शाकर काश्तकार द्वारा अपने ट्यूबवैल से की गई खेती पर भी नहरी आबियाना वसूल कर काश्तकार के साथ अन्याय कर रहे हैं।

इर्रिगेशन व ड्रेनेज एक्ट के तहत बने नियमों में भी ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई को अलग से दर्शाने के कोई स्पष्ट प्रावधान बने हुए नहीं हैं। कुएं व ट्यूबवैल से की जाने वाली खेती का लाभ लेने के लिए अलग से वाटर कोर्स बनाये जाने का प्रावधान नियमों में अवश्य किया गया है, जो पूर्णतया अव्यवहारिक व अविवेकपूर्ण प्रावधान है। सही नियमों के अभाव में पटवारी ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई को नहर से सिंचित दर्शाकर नहरी पानी से होने वाली वास्तविक सिंचाई से दो गुना व ढाई गुना ज्यादा सिंचाई दर्शाकर किसानों से अनधिकृत तौर पर अधिक आबियाना वास्तव में ट्यूबवैल से की जा रही सिंचाई का वसूल कर रहे हैं।

मेरा निवेदन है कि इर्रिगेशन व ड्रेनेज एक्ट के नियमों में तत्काल ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई का अलग से आकलन करने के प्रावधान बनाये जाएं व किसी भी स्थिति में ट्यूबवैल से होने वाली सिंचाई को नहरी पानी से होने वाली सिंचाई न दर्शाया जाए। हजारों ट्यूबवैल के निर्माता काश्तकारों के साथ किये जा रहे इस अन्याय का तत्काल खात्मा किया जाना जरूरी है। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मोहन लाल (कपासन) (अनुपस्थित)। श्री हेमन्त कुमार।

दरा ग्राम कोटा में चिकित्सक पद का सृजन

श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कोटा जिले में दरा ग्राम कोटा-झालावाड़ मार्ग नेशनल हाई-वे पर स्थित है। यह ग्राम कोटा से 45 किलोमीटर दूर स्थित है तथा यहां से ही दरा घाटी प्रारम्भ होती है। इस मार्ग पर रोजाना वाहन दुर्घटना होती रहती है। दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए कोटा लाया जाता है। कोटा-दरा के मध्य दूरी ज्यादा होने से कई व्यक्ति मार्ग में ही अपनी जीवनलीला समाप्त कर देते हैं। यदि समय पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो जाए तो ऐसे दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों की जीवन रक्षा की जा सकती है। इस हेतु यदि दरा ग्राम में एक चिकित्सक का पद सृजित कर नियुक्ति दे दी जाए तो इस मार्ग पर घटित दुर्घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को बचाया जा सकेगा। इस कार्य हेतु दरा ग्रामवासी चिकित्सालय हेतु भवन की व्यवस्था करने

(श्री हेमन्त कुमार)

को तैयार हैं। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री का ध्यान आकर्षित कर शीघ्र ही दरा ग्राम में चिकित्सक का पद सृजित कर पदस्थापित करने की शीघ्र कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं। यह कार्य जनहित में भी अति आवश्यक है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री प्रताप सिंह सिंघवी।

छीपाबड़ौद के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद के सफाई कर्मचारियों ने गत डेढ़ माह से पिछले आठ माह से वेतन नहीं मिलने के कारण हड़ताल कर रखी है जिससे सम्पूर्ण ग्राम पंचायत क्षेत्र में गंदगी के ढेर लग गये हैं तथा वातावरण में दुर्गन्ध व्याप्त हो गई है। इस कारण लोगों का श्वास लेना भी दूभर हो गया है। गंदगी के ढेर के कारण अधिक संख्या में मच्छर होने तथा व्याप्त दुर्गन्ध के कारण मलेरिया महामारी का रूप ले रहा है। इस स्थिति के लिए ग्राम पंचायत का सरपंच भी जिम्मेदार है, उसने अनुदान की राशि का प्रयोग वेतन चुकाने में न करके अन्य फर्जी कामों पर राशि का दुरुपयोग किया। इसी प्रकार ग्राम पंचायत क्षेत्र में बैठक टैक्स वसूल कर सरपंच व उनके सहयोगियों ने राशि का गबन किया। यह राशि बैंक में जमा नहीं कराई गई जिससे पंचायत सफाई कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं कर पाई तथा सफाई व्यवस्था की ऐसी भयावह स्थिति हो गयी।

अतः मैं पंचायती राज विभाग के मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जनहित में सफाई कर्मचारियों के आठ माह का वेतन भुगतान करवा कर हड़ताल समाप्त करवाई जाए तथा कस्बे में फैली हुई गंदगी व उससे होने वाले दुष्परिणामों से समय रहते छुटकारा दिलवाया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हीरासिंह चौहान।

पाली जिले में अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक संख्या

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : माननीय उपाध्यक्षजी, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों की संख्या विधान सभा क्षेत्र व पंचायत समिति व ग्राम पंचायत अनुसार असंतुलित व कम-ज्यादा होने से बराबर-बराबर करने के संबंध में विशेष उल्लेख का प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूं।

पाली जिले के सभी राजस्व गांव अभाव/अकालग्रस्त घोषित बाद गिरदावरी हो रखे हैं। 15 जनवरी, 2001 से राज्य सरकार ने परीक्षण के तौर पर राहत कार्य प्रारम्भ किये जो संख्या अभी भी न्यूनतम चल रही है। राज्य सरकार समय-समय पर प्रत्येक जिले में श्रमिक संख्या बढ़ाती रही है लेकिन राज्य सरकार की घोषणा के 15 व 20 दिन बाद श्रमिकों को कार्यों पर

(श्री हीरासिंह चौहान)

नियोजित किया जाता है। जिससे निर्धारित श्रमिक संख्या को कार्यों पर नहीं लगाया जाता है। श्रमिक संख्या बढ़ाने की घोषणा अखबारी बन कर रह जाती है जिससे अकाल से पीड़ित जनता को समूचा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। इसका स्पष्ट अर्थ यह लगाया जाता है कि सरकार के निर्देश प्रशासनिक अधिकारियों को कार्य खोलने संबंधी अलग से दिये जाते हैं व घोषणा के साथ कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। अतः भविष्य में सरकार से अपेक्षा करते हैं कि श्रमिक संख्या बढ़ाने की घोषणा के तीन दिन के भीतर श्रमिकों का कार्य पर नियोजन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए।

राहत विभाग, पाली द्वारा कार्य स्वीकृति के बाद तत्काल समाचार पत्रों में स्वीकृति संबंधी सूचना डी.पी.आर. द्वारा प्रकाशित की जानी चाहिए लेकिन राहत कार्य खोलने की अकारण वाहवाही व्यक्ति विशेष समाचार पत्रों में देकर उसके प्रयासों से सड़क कार्य, सिंचाई कार्य व अन्य राहत कार्य खोलने के समाचार प्रकाशित किये जाने से दलगत राजनीति का भद्दा प्रचार व सरकारी क्षेत्र के प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लगाता है जिससे तत्काल निर्देश दिया जाना इस अकाल के समय आवश्यक है।

श्रमिक संख्या के संबंध में निम्नलिखित जानकारियां देने से स्थिति स्पष्ट हो सकेगी :

(अ) 15 जनवरी, 2001 को कितनी श्रमिक संख्या पाली जिले में स्वीकृत सरकार द्वारा की गई, उनमें से किस-किस पंचायत समिति में विभिन्न एजेंसियों को कितनी श्रमिक संख्या स्वीकृत की गई ?

(ब) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर श्रमिक संख्या बढ़ाने के साथ एक फरवरी, 15 फरवरी, 1 मार्च, 15 मार्च, 1 अप्रैल, 15 अप्रैल तथा 1 मई, 2001 को पाली जिले की किस-किस पंचायत समिति में किस-किस एजेंसी को श्रमिक संख्या निर्धारित करके कार्य खोले गये ? उक्त 1 फरवरी से 1 मई, 2001 के प्रत्येक सप्ताह की श्रमिक संख्या से अवगत कराएं।

(स) उक्त सम्पूर्ण अवधि में पाली जिले की प्रत्येक पंचायत समिति में कितने-कितने श्रमिकों को 15 अप्रैल, 2001 तक मजदूरी का भुगतान किया गया ? संख्या सहित भुगतान से अगवत कराएं।

अतः मेरा निवेदन है कि इस भीषण अकाल के समय राज्य के दूसरे जिलों उदयपुर, जोधपुर, अजमेर तथा पाली से कम जनसंख्या वाले जिलों से अनुपात से अधिक श्रमिक संख्या...विशेष उल्लेख के द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि क्योंकि गत अकाल वर्ष में सिरोही व राजसमंद से भी कम श्रमिक पाली जिले को आबंटित किये गये थे।

मैं, माननीय उपाध्यक्षजी, आपसे थोड़ा-सा निवेदन कर रहा हूं–

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामस्वरूप मीणा।

श्री हीरासिंह चौहान : इस भीषण अकाल में भी बराबर श्रमिक संख्या नहीं लग रही है और लोगों में असंतोष है। विभाजन और वितरण बराबर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : अकाल पर बहस हो रही है। चर्चा होगी हाउस में अकाल पर, तब बोल लेना।

श्री हीरासिंह चौहान : मैं निवेदन कर रहा हूं, राहत मंत्रीजी हैं नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं हैं इसीलिए...

टोडाभीम में 132 के.वी.ए. ट्रांसफार्मर की स्थापना

श्री रामस्वरूप (टोडाभीम) : प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत 132 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के बारे में मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह रामस्वरूपजी के साथ सरासर अन्याय है, उपाध्यक्ष महोदय। हम इनके साथ हैं। हम आपके साथ हैं।

डा. किरोड़ी लाल : हम आपके साथ हैं।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें बिराजें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अगर रामस्वरूपजी इस मांग को लेकर धरना दें तो मैं साथ हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : साथ बैठना पड़ेगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : पक्का।

श्री रामस्वरूप : आज मेरी मांग नहीं मानेंगे तो वही करूंगा। (व्यवधान)

मान्यवर, मैं उक्त प्रक्रिया के माध्यम से सरकार का ध्यान विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम की ओर दिलाना चाहता हूं जहां पर अस्सी प्रतिशत लोग खेती करके अपना पेट पालन करते हैं एवं किसानों का जीवन एकमात्र बिजली पर आधारित है। यह इलाका बिजली के द्वारा अपने ट्यूबवैल चलाकर सिंचाई करता है। पानी तीन सौ फीट नीचे चला गया है, डीजल के सैट पानी नहीं उठाते हैं। अगर उठाते हैं तो अत्यन्त महंगा डीजल उनको जलाना पड़ता है। केन्द्रीय सरकार ने डीजल के भाव लगातार तीन बार बढ़ा दिये इसके कारण किसानों का डीजल सैट चलाना असम्भव हो गया है। श्रीमानूजी, टोडाभीम क्षेत्र के लिए भाजपा शासनकाल में यह मांग, 132 के.वी.ए की मांग, मैंने रखी थी, उन्होंने मांग पूरी नहीं की और जब मैं यह मांग रख रहा था, किसान के बेटे की टांग तोड़ दी। पर आज मेरी सरकार आ गई है, मुझे माननीय मंत्रीजी का पूर्ण भरोसा है। वे किसानों के हितैषी हैं और लगातार ट्रांसफार्मर राजस्थान में जगह-जगह खोल रहे हैं। मैं इस प्रक्रिया के माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं, आपने घोषणा की थी कि जल्दी ही 132 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर मैं टोडाभीम में लगवा दूंगा।

टोडाभीम क्षेत्र की जनता आपकी ओर निहार रही है। अभी तो आप को घोड़ी पर बैठाया, आगे आप को पलक-पांवड़े

(श्री रामस्वरूप)

बिछा कर तैयार खड़ी है। आपका भव्य स्वागत किया था तो सारे राजस्थान की जनता में तहलका मच गया था। (व्यवधान)...

डा. किरोड़ी लाल : घोड़ी पर बैठा कर मंत्रीजी को प्रसन्न करना। घोड़ी पर बैठा कर रामस्वरूपजी ने मंत्रीजी को प्रभावित किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अगर घोड़े पर बैठाते तो हमें एतराज नहीं था।

मोहम्मद माहिर आजाद : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, मैं गवाह हूं, माननीय ऊर्जा मंत्रीजी तो शादी में भी घोड़ी पर नहीं बैठे थे, इन्होंने कैसे बैठा दिया इनको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है, अगर ये घोड़े पर बैठाते तो हमें कोई एतराज नहीं था, घोड़ी पर बैठा कर इन्होंने...

श्री रामस्वरूप : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे ही कोई नहीं बैठाता है। आप अच्छे काम करते तो आपको भी हम घोड़ी पर बैठाते। माननीय मंत्रीजी, कब 132 का कार्य चालू कर रहे हैं, कृपया सदन में घोषणा करें। टोडाभीम की जनता को अवगत करावें कि कब कार्य चालू कर रहे हैं एवं कब पूर्ण हो जाएगा।

इसके साथ ही मैं एक मांग और रख रहा हूं, ग्रामीण जनता की बिजली की आप कटौती कर रहे हैं। कृपया आप ग्रामीण जनता को बिजली शहरों में दो घंटे काट करके देवें ताकि जनता खुश हो सके।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। माननीय रामस्वरूपजी, मूल बात समाप्त हो जाएगी दूसरी बात करोगे तो।

श्री रामस्वरूप : अतः मैं अन्त में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो समय दिया उसके द्वारा माननीय मंत्रीजी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि टोडाभीम की जनता को आज ही आश्वस्त करें कि 132 के.वी.ए. का ट्रांसफार्मर आप कब लगा रहे हैं। वहां की जनता पलक-पांवड़े बिछाये खड़ी हुई है, कृपया मेहरबानी करके बताएं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, सभी माननीय सदस्यों की सहानुभूति रामस्वरूपजी के प्रति है।

डा. चन्द्रभान (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, टोडाभीम में 132 के.वी.ए. ग्रिड सब स्टेशन की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है और इसी वित्तीय वर्ष में टोडाभीम में 132 के.वी.ए. जी.एस.एस. के निर्माण का काम प्रारम्भ होगा। इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण के काम को पूरा करके उसे चालू कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य शिलान्यास की जो तारीख रखना चाहते हैं, मैं इनके क्षेत्र में जाने को तैयार हूं और इस जी.एस.एस. के निर्माण का शिलान्यास का काम...(व्यवधान) नहीं-नहीं, कोई नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : अब के ऊंट पर बैठना, ऊंट पर।

डा. चन्द्रभान : कोई हाथी, घोड़ा ऊंट नहीं, मैं तो इतना ही विश्वास दिलाता हूं आपके माध्यम से कि पूरे सदन की सहानुभूति इनके साथ है, मेरी भी है और क्षेत्र की जरूरत है। इसलिए 132 के.वी.ए., जी.एस.एस. के शिलान्यास की जो भी तारीख आप तय करते हैं मैं चलने को तैयार हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी ने कहा कि हाथी पर नहीं बैठेंगे, घोड़े पर नहीं बैठेंगे, ऊंट पर नहीं बैठेंगे तो फिर किस जानवर पर बैठेंगे आप? (व्यवधान)...

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाथी हमारा है, आप हाथी की बात नहीं करेंगे।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) तो किस पर सवारी करेंगे? हाथी, घोड़े और ऊंट पर नहीं बैठेंगे तो फिर किस पर सवारी करेंगे?

डा. चन्द्रभान : आप जानते हैं, माननीय सदस्य, अपन जिस क्षेत्र से आते हैं वहां पर ऊंट पर तो अपन बहुत पहले बैठ लिये थे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये प्लीज। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हाथी पर नहीं बैठेंगे, घोड़े पर नहीं बैठेंगे, ऊंट पर नहीं बैठेंगे...(व्यवधान)

श्री देवीलाल बैरवा : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं आपकी मार्फत मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे शाहपुरा में जी.एस.एस. 132 के.वी.ए. के वास्ते मैंने निवेदन किया था और आपने कहा था कि इस साल नहीं। पिछले साल में आपने कहा कि हम पूरा कर देंगे। तो मेरी यह मांग है कि शाहपुरा में यह अधूरा काम पड़ा है उसको आप पूरा करें और हमारे यहां चालू कराएं।

डा. चन्द्रभान : आपके जो लाइन स्वीकृत थी उस लाइन का काम चालू करवा करके उसको खिंचवा देंगे, उसका काम पूरा कर देंगे, उससे वहां की सप्लाई सुधर जाएगी 132 के.वी.ए. की।

श्री देवीलाल बैरवा : धन्यवाद।

श्री रामस्वरूप : शहरों में बिजली कटौती। शहरों में दो घंटे बिजली कटौती।

श्री उपाध्यक्ष : रामस्वरूपजी, अब काम हो गया, आप बैठो चुपचाप।

भरतपुर के कस्बा पहाड़ी व नगर में विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 295 के अन्तर्गत नगर व पहाड़ी तहसीलों में अनियमित विद्युत आपूर्ति से हो रही जन असुविधा की ओर सदन एवं माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। महोदय, भरतपुर जिले के कस्बे,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

नगर, गुलपाड़ा, सीकरी, गोपालगढ़, जालूकी, छपहाड़ी सहित सम्पूर्ण जिले में विद्युत की अपर्याप्त एवं अनियमित आपूर्ति से क्षेत्रीय जनता में भारी असंतोष व्याप्त है। पूरे क्षेत्र में न तो थ्री फेस बिजली मिलती है और न ही सिंगल फेस बिजली मिलती है। पिछले दिनों बिजली के अभाव में किसानों की फसल चौपट हो गई। गर्मी के दिनों में लोगों को बिजली के अभाव में बहुत परेशानी हो रही है। बिजली की अनियमित आपूर्ति से पर्याप्त पेयजल भी उपलब्ध नहीं हो रहा है। छात्रों को भी परीक्षा की तैयारी में असुविधा हो रही है। कई-कई गांवों जैसे फ्रांसका, गण्डाका, नीमकी, सोमकी, उडकी दसला, गुलपाड़ा, ककराला, नांकला, जौहरी, जलालपुरा, तैस्की, झंझार, साडमला, मालिकी, सीकरी, जौतरी, गाजूका, छपरा, गंगोरा, मूंडिया पहाड़ी आदि में बिजली का भारी संकट है।

नई सरकार के ऊर्जावान मंत्रीजी के आने के बाद से आज तक एक भी विद्युत स्टेशन नहीं बनाया गया है। महीनों-महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदले जाते हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार व ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर नगर व पहाड़ी क्षेत्र में 132 के.वी. के स्टेशन कायम कर क्षेत्र की बिजली की समस्या का समाधान कर जन आक्रोष को खतम करने की मांग करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ढाई साल सरकार को बने हुए हो गये, माननीय ऊर्जा मंत्री—

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा तो आश्वासन आने दो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी क्या लड़ाई है? रामस्वरूपजी के ऊपर ही आपकी नज़रे इनायत है, हमारा भी कहने दो।

डा. चन्द्रभान : उपाध्यक्ष महोदय, नगर और कामां क्षेत्र निश्चित रूप से हमारे राज्य के अंतिम छोर पर हैं और हो सकता है कि वहां जरूरत बढ़ी होगी। मैं दोनों क्षेत्रों में तकनीकी सर्वे करवाऊंगा और जहां भी 33 के.वी., जी.एस.एस. और 132 के.वी. की ज़रूरत होगी उसकी स्वीकृति दिलवाऊंगा और निर्माण भी करवाऊंगा। जब हमें पौने पांच सौ जी.एस.एस. बनाने हैं तो आपके यहां भी बनाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल मीणा। माननीय सदस्य महोदय, आपने 67 सड़कें इसमें लिखी हैं, इसको तो पढ़ा हुआ ही मान लें। कह दो कि इन सड़कों का डामरीकरण कराना चाहता हूं। 67 की लिस्ट है आपकी।

बस्सी विधान सभा क्षेत्र में सड़कों का डामरीकरण

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : नहीं, नहीं, पढ़ा हुआ तो नहीं। मैं बहुत जल्दी शार्ट में ही कर दूंगा। मैं बहुत जल्दी बोलूंगा।

(श्री कन्हैया लाल)

आपका ध्यान माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रक्रिया के नियम 295 के तहत दिलाना चाहता हूं कि विधान सभा क्षेत्र बस्सी में 67 सड़कों की इतनी दुर्दशा हो गयी है कि आम जन व आने-जाने वाले वाहनों को सड़कों को छोड़ कर सड़क के दोनों ओर कच्चे में अपने रास्ते बनाकर आना-जाना पड़ रहा है। वर्षा आ जाने पर तो सड़कों के दोनों ओर पानी ही पानी हो जाने से आवागमन बन्द हो जाता है। प्राथमिकता निम्नप्रकार है :—

1. बस्सी तूंगा रोड से काशीपुरा वाया खतेपुरा।
2. बस्सी से सांभरिया वाया मनोहरपुरा, पालावाला, जाटान, कचोलिया।
3. आगरा रोड कानोता से सांभरिया वाया खिजूरिया ब्रह्मणान।
4. बेनाड़ा से सेवापुरा घाटी वाया अरावड़ी।
5. नायला रोड से श्रीजी मंदिर वाया कून्थाड़ा, हरड़ी आदि।
6. आगरा रोड से रुघनाथपुरा।
7. नायला रोड से कानोता बंध तक वाया हीरावाला रीको एरिया।
8. नायला रोड से रामरतनपुरा वाया हीरावाली।
9. नायला रोड से ज्योदा घोड़ तक।
10. कानोता से नांगल गिला की।
11. कानोता से हरड़ी वाया गायत्री मंदिर।
12. बेनाड़ा से भावपुरा।
13. बेनाड़ा से नेशनल हाई-वे आगरा रोड।
14. आगरा रोड से ईशरवाला वाया मानसर खेड़ी।
15. आगरा रोड से रामसरपालावाला।
16. रामसर पाला वाला से आगरा रोड तक।
17. आगरा रोड से दूधा वाला।
18. जीतावाला से रामसरालावाला।
19. जीतावाला से रेल्वे फाटक सांभरिया कानोता रोड़।
20. आगरा रोड से दयारामपुरा बड़ी ढाणी।
21. सांभरिया रोड से बस्सी रोड तक।
22. बस्सी लसाड़िया रोड से गिरधारीपुरा।
23. रोपाड़ा से गोनेर रोड।
24. दांतली से भूराथल वाया कानक्रावान।
25. पालावाला जाटान से खतेपुरा रोड।
26. सांभरिया रोड से पालियावास।
27. सांभरिया रोड से वराला।
28. सांभरिया रोड से खिजूरिया ब्राह्मणा न।
29. सांख छतरी से गोनेर।
30. देवगांव से तूंगा वाया दणाऊ कलां, नगराजपुरा।

(श्री कन्हैया लाल)

31. बस्सी देवगांव रोड से खतेरा।
32. गढ़ से कर्णगढ़
33. कर्णगढ़ से खतेपुरा वाया मोरण्डीपुर
34. पालावाला जाटान से सांभरिया रोड
35. बस्सी से लालसोट रोड तक
36. बस्सी चाकसू काजवा से भटेरी वाया तूंगा रोड से टोडा भाटा
37. आगरा रोड से नई नाथ महादेव मंदिर
38. बस्सी तूंगा रोड से लालगढ़
39. आगरा रोड से दूधली वाया सुजापुरा
40. आगरा रोड से चावपिडवा वाया श्यामपुरा
41. कृषि उपज मण्डी से धर्र ढोल की वाया रोहिताशपुरा
42. आगरा रोड से धूला वाया दोपुरा
43. धूला रोड से नांगल बैरखी वाया बड़वा पडासोली
44. झर्र से नालिवारा
45. आगरा रोड से बडवा वाया टेहडा
46. आगरा रोड से जटवाड़ा
47. हंस महल से भटेरी वाया कामेटी
48. हंस महल से आगरा रोड
49. पाटन से आगरा रोड वाया मनपुरा
50. भटेरी से बांसखोह वाया पाटन
51. नई नाथ रोड से राजपुरा पाललवास
52. नई नाथ रोड से पाललवास
53. राजपुरा से भूडला
54. भूडला रोड से तूंगा रोड वाया माधोगढ़
55. भूडला तूंगा रोड से रजवास
56. लालसोट रोड से अणतपुरा
57. माधोगढ़ से लालसोट रोड वाया बासडा देवरी
58. कोट खापदा से खापदाकलां वाया चीमापुरा
59. हरिनारायणपुरा से माधोपुरा
60. महादेवपुरा से तूंगा
61. कोट खावदा से रामनगर
62. चाकसू से ठीकरिया गुजरान वाया गरूडवासा
63. चाकसू रोड से राडौली
64. ज़टवाड़ा रोड बढ़वा से जहाजडवास
65. जटवाड़ा से गिरधरवास
66. सांभरिया रोड से रेल्वे स्टेशन कानोता
67. नांगल बैरसी रोड से नांगल बोहरा

उपरोक्त सभी सड़कों की दयनीय दुर्दशा को मद्देनजर रखते हुए शीघ्र पुनः डामरीकरण कराने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

अनुसूचित जाति की महिला न्यायिक अधिकारी सुशीला नागर के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने बजट के समय इस सरकार के पूरे बजट भाषण में अल्पसंख्यक शब्द तक का उपयोग नहीं करने की बात कही थी और आज मैं बड़े खेद के साथ, बड़े अफसोस के साथ आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि विधि मंत्रीजी तो यहां हैं नहीं और विधि राज्य मंत्री श्री भगराज चौधरी को मैंने रोकने की कोशिश की थी, वह भी उठकर चले गये। आज इतनी अजीब बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, इस पूरे सदन में बड़े अफसोस के साथ यह बात कह रहा हूं।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक अनुसूचित जाति की महिला का न्यायिक सेवा के लिए चयन हुआ। उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में इस महिला का न्यायिक सेवा के लिए सलेक्शन हुआ, यह समाज के लिए गौरव की बात होनी चाहिये थी। परन्तु पूर्ण ईमानदारी और निर्धारित मापदण्डों से कहीं अधिक, अपने साथी अधिकारियों से कहीं बेहतर कार्य करने के पश्चात् भी विगत 8 वर्षों में उक्त महिला अधिकारी श्रीमती सुशीला नागर को इतना प्रताड़ित, अपमानित और तंग किया गया कि वह मजबूर होकर न्यायिक सेवा से त्याग पत्र प्रस्तुत करने पर मजबूर हो गई, जो कि महिला सशक्तीकरण के वर्ष में पूरे समाज के लिए शर्म से सर झुका देने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि अनुसूचित जाति की इस महिला का 8 वर्षों में इस तरीके से अपमान किया गया। अजमेर में इनकी पोस्टिंग के समय कार्यालय समय के पश्चात् अविवाहित और दलित वर्ग की महिला न्यायिक अधिकारी होने के नाते इसको कहते थे, डाक बंगले में आप फाइल लेकर आ जाएं, वहां आपसे फाइल डिस्कशन किया जाएगा। कभी कार्यालय समय पश्चात् उसको बुलाते, छुट्टी मांगती तो छुट्टी नहीं देते। दीपावली के ऊपर जबकि सारे लोग अपने परिवार के साथ रहते हैं, उस दिन यह छुट्टी मांगे तो इसको छुट्टी नहीं दें। यह कुचक्र इसी पर समाप्त नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, 1992 में सुशीला नागर के सेवा में आते ही अजमेर में प्रथम नियुक्ति के दौरान एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा प्रार्थीया को अकेली और अनुसूचित जाति की महिला होने के नाते कई तरीकों से परेशान किया गया जिसका जिक्र मैं यहां सदन में करना उचित नहीं समझता हूं। अपशब्द कहना, दुष्प्रचार करना, चारित्रिक लांछन जैसी चीजें आरोपित की गई। प्रार्थीया ने इसकी शिकायत तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री डी.सी. दलेला के समक्ष पेश कर दी। समस्त

(मोहम्मद माहिर आजाद)

अधिकारियों के बीच उक्त महिला ने जब यह बात कही और उन्होंने उक्त अधिकारी को बुलाया तो उसने लिखित में क्षमा याचना प्रस्तुत की और उच्च अधिकारियों को यह भरोसा दिलाया कि मैं आगे से इसके साथ ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन उसके बावजूद जब प्रार्थीया की अजमेर में पोस्टिंग थी तब 1997 से लेकर 1999 तक विभिन्न तरीकों से उसको फिर से प्रताड़ित किया गया। प्रार्थीया को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। उसके बाद प्रार्थीया का स्थानान्तरण ब्यावर में हो गया। ब्यावर में इस अनुसूचित जाति की महिला अधिकारी को जो क्वार्टर आबंटित किया गया वह क्वार्टर दूसरे अधिकारी ने आकुपाई कर रखा था। उससे खाली नहीं कराया गया और टेम्परेरी इसको कहा गया कि फलाना क्वार्टर खाली है, आप इस क्वार्टर में रह जाएं। जब वह क्वार्टर में रह गई तो उसके बाद उसको नोटिस दिया गया कि आप जिस क्वार्टर के लिए एनटाइटल नहीं थीं उस क्वार्टर में कैसे रह गई। इसी तरीके से उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद भी—

श्री उपाध्यक्ष : यह न्यायिक सेवा में हैं या राजकीय सेवा में?

मोहम्मद माहिर आजाद : न्यायिक सेवा में।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें सरकार क्या करेगी?

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार के प्रशासनिक आदेश हैं, यह कोई न्यायालय का आदेश नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, हम न्यायालय का पूरा सम्मान कर रहे हैं। उसके खिलाफ फैसला नहीं गया है। (व्यवधान) यह प्रशासनिक आदेश है।

श्री मदन दिलावर : जिस प्रकार का अत्याचार हो रहा है अत्याचार की पराकाष्ठा हो गई है, उपाध्यक्ष महोदय। मात्र एक महिला अधिकारी है उसको किस प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार से क्या चाहते हो, यह बोलो। आप विराजो।

श्री जीतमल खांट : अनुसूचित जाति की महिला का मामला है, उनके हितों की रक्षा करने वाली सरकार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप सरकार से क्या रिलीफ चाहते हो, यह बोलो।

मोहम्मद माहिर आजाद : उस पर आ रहा हूं, आप सुनिए।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, जब उक्त अधिकारी के रिटायरमैंट के पूरे दिन हुए तब उसने इस अनुसूचित जाति की अधिकारी के खिलाफ बहुत सारे पत्र लिखे और यहां तक स्थिति आ गई थी कि वह आत्महत्या करने पर मजबूर हो गयी थी। उपाध्यक्ष महोदय, 1994 में अकेली महिला अनुसूचित जाति की अधिकारी होने के कारण दूरदर्शन पर यूनिसेफ के द्वारा

(मोहम्मद माहिर आजाद)

सुशीला नागर का इंटरव्यू रिकार्ड किया गया। यह बात भी उच्च न्यायिक अधिकारी को पसंद नहीं आई कि एक अनुसूचित जाति की महिला का इंटरव्यू टी.वी. पर कैसे आ जाए जो उसकी सहायक थी। उसने उसको नोटिस दे दिया कि आपको मुझ से बिना पूछे इंटरव्यू नहीं देना चाहिये था। यह कोई बात थोड़े ही हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं हुआ। 1997 में उक्त महिला न्यायिक अधिकारी जब ब्यावर में पद स्थापित थी तो एक रोज वह अवकाश पर थी। अवकाश के दौरान वहां के पेशकार ने किसी से डेढ़ सौ रुपये की रिश्वत ले ली। उस रिश्वत के लिए भी इनको आरोप पत्र दिया गया कि आपके कर्मचारी आपके कब्जे में नहीं हैं, आपका नियंत्रण ठीक नहीं है। आप छुट्टी पर थीं तब भी आप के अधीनस्थ कर्मचारी की हिम्मत कैसे हो गई। उपाध्यक्ष महोदय, अत्याचार, पीड़ा और कष्ट पहुंचाने की पराकाष्ठा देखिए। उसके बाद भी इस महिला, अनुसूचित जाति की अधिकारी ने अपना धैर्य नहीं खोया और मुस्तैदी के साथ अपना कार्य करती रही तो एक जांच भेजी गई। जांच में यह पाया गया कि यह उस रोज छुट्टी पर थी, इसका कोई दोष नहीं है। उस व्यक्ति के बयान हो गये। बयान होने के बाद भी उसी मामले में इनको आरोप पत्र प्रस्तुत कर दिया गया। 10.11.2000 को इनको आरोप पत्र पेश कर दिया। उपाध्यक्ष महोदय, स्वयं शिकायतकर्ता ने कहा कि यह मौजूद नहीं थीं, हमने इनको पैसे नहीं दिये। उसका एफिडेविट मौजूद है। उसके बावजूद भी चूंकि अनुसूचित जाति की महिला थी।

उपाध्यक्ष महोदय, जितने भी इसको नोटिस दिये गये एक भी नोटिस में मुझे यह कहते हुए गर्व है कि इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया। आरोप क्या लगाये कि आपके गर्भपात हुआ तब आप 15 दिन के अवकाश पर क्यों रह गई। राज्य सरकार की नीति है कि गर्भपात हो या डिलीवरी हो तो 45 दिन का अवकाश दिया जाता है। यह 15 दिन के अवकाश पर रही उसके लिए नोटिस। बंगले में न्यायिक अधिकारी की परमिशन से रहीं उसके लिए नोटिस। इनकी गैर मौजूदगी में पेशकार ने तारीख बदल दी तो नोटिस। इनकी गैर मौजूदगी में किसी बाबू ने पैसे ले लिये तो नोटिस। इनका यूनिसेफ के टी.वी. वालों ने इंटरव्यू ले लिया तो नोटिस। कोई भ्रष्टाचार का आरोप इन पर नहीं लगाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह चैलेंज है कि इस महिला अधिकारी को इसलिए प्रताड़ित और परेशान किया गया कि राजस्थान के निर्माण के बाद से आज तक कोई अनुसूचित जाति का व्यक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंचा है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

(13.00 बजे)

यह महिला जो अनुसूचित जाति की थी, इसको योग्यता के लिए कई बार पुरुस्कृत किया गया, कई बार इसको प्रमाण पत्र दिये गये। कहीं यह राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नहीं पहुंच जाए, इसलिए इसको पैदा होते ही दफनाने की, दबाने की और कुचलने की कोशिश की गई। ऐसा राजस्थान के इतिहास में पहली बार हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह चाहता हूं कि सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए। इस तरह के गलत आरोप पत्रों के आधार पर एक अनुसूचित जाति की पहली महिला न्यायिक अधिकारी के साथ जो अन्याय की पराकाष्ठा इस शासन के अंदर हुई है उसको रोका जाना चाहिए। उस अनुसूचित जाति की महिला अधिकारी को न्याय मिले इसलिए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, उसको पूरा सुनवाई का मौका दिया जाए। जितनी भी जांच कराई है सब में इसको निर्दोष पाया गया है, उसके बावजूद भी इसको नोटिस दे रहे हैं। कभी सस्पैंड करने के दे रहे हैं, कभी चार्ज-शीट पकाड़ा रहे हैं 16 सी.सी.ए. और 17 सी.सी.ए. में। मैं आपको कहना चाहता हूं, मजबूर कर दिया इस महिला न्यायिक अधिकारी को त्याग पत्र देने के लिए। मजबूर हो जाए इसलिए इस तरह का अन्याय और अत्याचार एक दलित वर्ग की महिला के साथ किया जा रहा है। यह आरोप बरदाश्त करने के लायक नहीं है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : इस न्यायिक अधिकारी के प्रति जिस तरह का अत्याचार किया जा रहा है वह...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास। विराजिये, विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें कोई व्यवस्था दो, कोई तो जवाब आना चाहिए हमारे पास। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महिला सशक्तीकरण हुआ इसमें... (व्यवधान) और जबकि हमने महिला अधिकारी...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से उत्तर आना चाहिए। (व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : यह जुडीशियरी का पार्ट है। (व्यवधान)

श्री जीतमल खांट : अनुसूचित जाति और जनजाति के अधिकारियों की रक्षा करते (व्यवधान) विफल साबित होती है। हम मांग करते हैं सरकार से कि दलित महिला के हितों की रक्षा की जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक तो महिला और फिर अनुसूचित जाति कमजोर वर्ग की...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप महिला आयोग की अलग से जांच_(व्यवधान) यह बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललित भाटी : महिला अनुसूचित वर्ग से रिलेटेड है, उसके साथ अत्याचार किया जा रहा है। (व्यवधान) यह घोर निन्दा का विषय है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री ललित भाटी : हम किस तरीके से मैसेज देना चाहते हैं? हम महिला आयोग बना रहे हैं, महिला सशक्तीकरण वर्ष की हम बात कर रहे हैं और उसके बाद एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ इस प्रकार का व्यवहार। ऐसे व्यवहार करने वालों के खिलाफ घोर, कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए, बल्कि उनको सस्पैंड किया जाना चाहिए। (व्यवधान) उस महिला अधिकारी का क्या दोष है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसके खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को लिखो कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

श्री ललित भाटी : सरकार को इस मामले के ऊपर एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री मदन दिलावर : सुप्रीम कोर्ट को लिखे कि इस मामले में निष्पक्ष जांच की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, बिराजिये, बिराजिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एक अनुसूचित जाति की महिला है_ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मंत्रीजी ला सैक्रेटरी से जांच करा लें। (व्यवधान) जांच करा लें, यह बिलकुल निर्दोष है। (व्यवधान) इसके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, इसको प्रताड़ित किया जा रहा है।

एक माननीय सदस्य : इस बात को बहुत गम्भीरता के साथ सरकार को लेना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, बैठिये।

एक माननीय सदस्य : यह मनुवादी, सवर्ण जाति के लोग-बाग आरोप प्रस्तावित करके_(व्यवधान)

श्री सोहन नायक : उपाध्यक्ष महोदय, इन मनुवादियों ने एक महिला अनुसूचित जाति के अधिकारी का जीना दूभर कर दिया, इसकी न्यायिक जांच की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : एक दलित महिला के साथ अत्याचार हो रहा है।

श्री सोहन नायक : अनुसूचित जाति को कलंकित कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : न्यायिक अधिकारी के साथ इस तरह का व्यवहार बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है, घोर चिन्ता का विषय है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार तो संरक्षण कर रही है, अनुसूचित जाति का मामला है। यह अनुचित बात है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : सरकार की ओर से आश्वासन आना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह बहुत अनुचित बात है, सस्पैंड किया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : हो गया न, माननीय सदस्य, विराजिये। आप कह रहे हैं यह महिला न्यायिक सेवा में है...(व्यवधान) बैठिये, बैठिये।

श्री सोहन नायक : यह प्रशासनिक आदेश है, न्यायिक आदेश नहीं है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : अनुसूचित जाति की एक महिला का मामला है।

श्री बाबूलाल सिंगारिया : सरकार से निवेदन है कि इसमें निलम्बन आदेश को रद्द करें...(व्यवधान) अनुसूचित जाति की महिला का मामला है, उसको प्रताड़ित किया गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको पूछ रहा हूं। यह महिला न्यायिक सेवा में है, यह आप कह रहे हैं और जो कुछ कार्यवाही इनके खिलाफ हुई है वह न्यायिक सेवा के माध्यम से हुई है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : प्रशासनिक आदेश है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। सरकार से आप क्या चाहते हो, यह मैं पूछ रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार से हम यह चाहते हैं कि सरकार विधि सैक्रेटरी से इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश से जांच कराकर इस अनुसूचित जाति की महिला को न्याय उपलब्ध कराए। (व्यवधान) यह चाहते हैं हम।

श्री उपाध्यक्ष : यह कैसे पासीबल है? (व्यवधान) सरकार हाई कोर्ट को डायरेक्शन दे सकती है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार हाई कोर्ट से रिक्वैस्ट कर सकती है। मैं उस रोज भी माननीय...(व्यवधान) न्यायालय की आड़ में एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ अन्याय बरदाश्त नहीं किया जाएगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : त्याग पत्र लेने की नौबत पर लाकर खड़ा कर दिया। न्याय की अपेक्षा नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे? (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : राजस्थान का सर्वोत्तम सदन है, अगर हम महिला अधिकारियों की रक्षा नहीं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री मदन दिलावर : निष्पक्ष जांच की जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। विराजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था इन फर्स्ट प्लेस यह मोशन अलाउ नहीं होना चाहिए था क्योंकि हाई-कोर्ट का अपना अलग प्रशासन है और यहां पर उसकी चर्चा करना उचित नहीं है। लेकिन जो तथ्य माननीय माहिर आजादजी ने रखे हैं। वे वाकई में काफी, हाउस बड़ा कन्सर्न्ड है और बड़े गम्भीर तथ्य सामने आये हैं। मैं आपकी बात से, आसन के आब्जरवेशन से पूर्णतः सहमत हूं कि राज्य सरकार सीधा-सीधा कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती लेकिन अभी विधि मंत्रीजी यहां पर मौजूद नहीं हैं...(व्यवधान) इतने सारे केबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं, हाउस की फीलिंग को देखते हुए...(व्यवधान) अनौपचारिक रूप से कोई ला मिनिस्टर अगर हाउस कन्सर्न से एप्राइज् कर दें चीफ जस्टिस को तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा यूजफुल परपज होगा।

श्री उपाध्यक्ष : It is possible?

श्री सुरेन्द्र व्यास : You. It is Possible. इनफारमल तरीके से।

मोहम्मद माहिर आजाद : According to our law it is possible.

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) आपकी बात हो गई न प्लीज।

श्री सुरेन्द्र व्यास : Without making any request, उस कन्सर्न को कम्युनिकेट करें। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : इनको बोलने दो।

श्री भंवर सिंह (नवलगढ़) : मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : शिड्यूल्ड कास्ट की एक मात्र महिला न्यायिक सेवा में है इसलिए हाउस के माननीय सदस्य काफी कन्सर्न फील करते हैं, इतनी-सी बात है। कम्युनिकेट कर दें तो बाकी कुछ गलती होगी हो यह सीधा अपने आप उसको रैक्टिफाई करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भंवर सिंहजी।

श्री भंवर सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो मामला माहिर आजादजी ने रखा, यह न्यायिक अधिकारी है सुशीला नागर उसको नोटिस न्यायिक सेवा के जो उनसे उच्च अधिकारी हैं या न्यायाधीश हैं, उन्होंने दिया है या कोई सरकार ने दिया है?

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ने नहीं दिया।

श्री भंवर सिंह : सरकार ने नोटिस नहीं दिया, न्यायिक अधिकारी को नोटिस न्यायिक अधिकारी ने दिया है तो कानूनन कोई खामी है, उनमें दोष है तब दिया है। तो यह सिद्ध कर देंगी अपने आप उन पर कोई दोष नहीं लगेगा। इस तरह की यह जो बातें...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : ये रहे सारे जवाब, मैं सदन के पटल पर रख देता हूं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

यह क्या बात हुई ? (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है आप बड़े बंगले में रह गये, आप रात को नहीं आई, आप छुट्टी पर चली गईं, आपके पेशकार ने पैसे ले लिए, यह क्या बात हुई ? (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : एक दलित वर्ग की महिला पर अत्याचार हो रहा है, वह कैसे सिद्ध कर देंगी ? (व्यवधान) एक महिला पर अत्याचार हो रहा है।

एक माननीय सदस्य : उसको संरक्षण मिलना चाहिए। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सारे आरोप ऐसे ही हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। आप दफ्तर के बाद डाक बंगले में क्यों नहीं आई, आप बड़े क्वार्टर में क्यों रह गईं, आपके पेशकार आपके कंट्रोल में नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। (व्यवधान) विराजिये।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा एक निवेदन सुनिये।

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : यह महिला अत्याचार का मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। बिराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक निवेदन सुन लें, I am a law graduate, मैं भी जानता हूं लेकिन इसी सदन में माननीय विपक्ष के नेता महोदय ने जब सरकार से यह मांग की कि हाई कोर्ट में सुनवाई आप दिन-प्रतिदिन करा सकते हैं या नहीं, सरकार ने कहा कि हम हाई कोर्ट को निवेदन कर देंगे। जब किसी को सजा दिलाने के लिए सरकार रिक्वैस्ट कर सकती है तो इसको न्याय दिलाने के लिए सरकार रिक्वैस्ट क्यों नहीं कर सकती, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं ?

श्री सोहन नायक : सजा दिलाने के लिए रिक्वैस्ट की जाती है तो न्याय दिलाने के लिए रिक्वैस्ट क्यों नहीं की जा सकती ? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजिये, विराजिये। आर्डर, आर्डर। माहिर आजादजी, आपने इस में लिखा एम.काम., एलएल.बी., डी.एलएल., इतने आप विद्वान हैं (व्यवधान) इतने विद्वान आदमी हो और आप ऐसी बात कह रहे हैं जो हाउस में सम्भव नहीं है। माननीय सुरेन्द्र व्यासजी ने जो बात कही है यदि सरकार ऐसा महसूस करती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, मतलब उनको निवेदन करना चाहती है तो सरकार फ्री है उसको करने के लिए। House cannot interfere in this whole matter. आप इसको समझ सकते हो। आप क्यों बहस कर रहे हो इसमें ? There is nothing in it.

श्री अमराराम (धोद) : लेकिन सरकार तो सोयी हुई बैठी है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। मैं डायरेक्शन नहीं दे सकता सीधा। सरकार सुन रही है। (व्यवधान) सरकार मैसेज नोट कर रही है, विराजो प्लीज।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सारी चीजें लिखी हैं हमने। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : प्रतिपक्ष और पक्ष दोनों ही इस बात में सहमत हैं कि केवल मात्र एक महिला न्यायिक सेवा में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनके साथ यह हो रहा है और सरकार बिलकुल चुप सोयी हुई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक स्वर में इस बात के लिए कह रहे हैं कि इनको हतोत्साहित करने के लिए जो कार्य किया जा रहा है उसमें सरकार इन्टरवेंशन करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार के मंत्री सोये हुए हैं। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : महिला अत्याचार का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पहले सरकार को इसके ऊपर कुछ कहना चाहिये। यह अन्याय है। अगर इस सदन में नहीं उठाएंगे तो हम कहां उठाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : फालतू बात कर रहे हो। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : दलित विरोधी मानसिकता की सरकार है। उपाध्यक्ष महोदय, मुश्किल से कोई एस.सी. की महिला न्यायिक सेवा में है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह बहुत गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री अमराराम चौधरी। आप बोलिये। फालतू बात है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जब सदन के सभी माननीय सदस्य, सारा सदन इस बात को लेकर...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सदन की भावनाओं का खयाल नहीं, प्रदेश की जनता का खयाल नहीं, दलित महिला का खयाल नहीं, फिर इस सदन में + + + जो आते हैं वह? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : किस बात का जवाब दें? क्या चाहते हैं? (व्यवधान) समझने की कोशिश करो।

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सरकार कम से कम इस बात का एश्योरेंस तो दे। आज हम अनुसूचित जाति के लोगों के हितों की रक्षा की बात करते हैं और एक अनुसूचित जाति की महिला के अधिकारों की रक्षा के मामले में सरकार कोग्नीजेंस नहीं ले रही है। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को निवेदन करे। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री सोहन नायक : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनकी न्यायिक जांच करवाने के लिए सरकार माननीय उच्च न्यायालय को निवेदन करे। यह सरकार हमें आश्वासन दे। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उपाध्यक्ष महोदय, कल्लाजी हंस रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : सरकार को आप निर्देश देने की स्थिति में हैं, उपाध्यक्ष महोदय, कि सरकार इसके ऊपर अपना रुख स्पष्ट करे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : महिला अधिकारी के साथ है, उच्च न्यायालय से निवेदन करेंगे। यह हमें आश्वासन दिया जाए। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : आज अगर अनुसूचित जाति महिला का मामला है तो सरकार इसमें कोई कोग्नीजेंस नहीं लेना चाहती है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितना गम्भीर मामला है। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : आसन से व्यवस्था दी जाए। दलित महिला के अधिकारों की रक्षा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। विराजिये, विराजिये। माननीय कल्लाजी। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, अपने लोकतंत्र में कार्य पालिका, न्याय पालिका और विधायिका ये तीन महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे राज्यपाल महोदय इन तीनों के हैड हैं। मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा कि इस संबंध में महामहिम राज्यपाल महोदय को यदि इन सब चीजों के बारे में बताएंगे तो उनको कुछ रिलीफ मिल पाएगी। चूंकि मैं_ (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : बारह एम.एल.एज. ने ज्ञापन दे दिया। (व्यवधान) बारह-पन्द्रह एम.एल.एज. ने दस्तख्त करके ज्ञापन दे दिया, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। (व्यवधान) तब हमारे पीड़ा है। वह पीड़ा हम सदन में रख रहे हैं। जब न्याय नहीं मिला तब इस सदन में यह बात उठायी गयी है।

श्री बुलाकीदास कल्ला : उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया, चूंकि राज्य सरकार से यह मामला सीधा संबंधित नहीं है इसलिए मेरा यह सुझाव है कि आप महामहिम राज्यपाल महोदय को इसके बारे में स्पष्ट करें, वे इस संबंध में प्रापर कार्यवाही कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य : दलितों के अत्याचार को सुनना राज्य सरकार का मामला है। सरकार को_(व्यवधान)

श्री ललित भाटी : उपाध्यक्ष महोदय, सीधे सरकार अपनी तरफ से इस मामले के अंदर पहल नहीं कर सकती? राज्यपाल महोदय को सरकार निवेदन नहीं कर सकती? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : एक महिला पर अत्याचार, दलित महिला के साथ अत्याचार,

(श्री बाबूलाल नागर)

राजस्थान सरकार को...(व्यवधान) कैसे नहीं कर सकती? (व्यवधान) अनुसूचित जाति के साथ अन्याय किया जाएं, सरकार परवाह नहीं करे...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय भंवरलालजी। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : जैसा बताया जा रहा है, बारह विधायकों ने ज्ञापन के ऊपर दस्तखत करके दिये और फिर उसके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं हो रही हो, यह इस लोकतंत्र के लिए लज्जा की बात है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठें। माननीय सदस्य, विराजें। श्री भंवरलालजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें। माननीय भंवरलालजी। (व्यवधान) माननीय रामस्वरूपजी, विराजें। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : आपको बोलने की जल्दी हो रही है, दलित महिला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सुरेन्द्रजी व्यास ने जो सुझाव दिया है, वह मैं समझता हूं, अनुकूल है। एक और सुझाव मैं निवदेन करना चाहता हूं कि जो हाउस में यह चर्चा हुई है इसकी सारी प्रोसिडिंग्स यदि हम उच्च न्यायालय के जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनके पास भेज दें तो मैं समझता हूं एक्शन इसमें हो जाएगा और यह पर्याप्त होगा। (व्यवधान) हाउस भेजेगा। विधान सभा की तरफ से जाएगा। विधान सभा की तरफ से जाएगा। (व्यवधान) आप भेजोगे तो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार कहे, मुख्य सचेतक कहे। बारह एम.एल.एज. ने ज्ञापन दिया...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : दलित महिला पर अत्याचार हुआ है। इस पर विचार करके भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भेज दो सारे सदन की तरफ से। सारे सदन की भावना से अवगत करा दो। दलितों के साथ इस प्रकार का अत्याचार हुआ है, सारे सदन की भावनाओं से अवगत करा दो। सारे सदस्य इस बात के लिए सहमत हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने जो बात कही है वह तो हाउस की प्रोसिडिंग्स में आ गयी, कोई भी माननीय सदस्य अवगत करा सकता है, इसमें क्या बात हुई? (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार कहे। सरकार क्यों नहीं कह रही है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सरकार की तरफ से, सरकार करा देगी...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : सरकार को भेजना चाहिये। सरकार को भेजना चाहिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार को क्या परहेज़ है ? (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : अनुसूचित जाति की महिला का मामला है। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : 12 एम.एल.एज. ने ज्ञापन दिया, उसके बाद में भी सरकार को परेशानी हो रही है। सरकार भेजे। माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी और माननीय यातायात मंत्रीजी, आप भी इस वर्ग से आते हो, इस वर्ग के हो, इस वर्ग की नुमाइन्दगी करते हो, आपको भी सरकार की तरफ से कुछ तो सहयोग करना चाहिये। आप यहां बैठे हुए हो, + + + बने हुए बैठे हो। आपको भी थोड़ी बहुत + + + आनी चाहिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उपाध्यक्ष महोदय, जिनके बूते पर ये सरकार में बैठे हुए हैं उनके लिए तो कुछ करें। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : इस सदन में हम नियम बनाते हैं, सदन में कानून बनाते हैं और कानून बनाने वाले सदन...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिनके बूते पर सरकार में आये हो उनके लिए तो कुछ करो। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : यह बहुत चिन्ता का विषय है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। (व्यवधान)

श्री सोहन नायक : हमें सरकार का आश्वासन चाहिये। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : यह सदन कानून बनाता है, इस सदन के बनाये हुए कानूनों को न्यायविद वहां लागू करते हैं। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। आर्डर, आर्डर। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जिनके बूते पर सरकार में आये हो उनके लिए तो कुछ करो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय भाटीजी, बैठिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस सदन के अधिकार सीमित नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : इससे ज्यादा और कमजोरी इस हाउस की क्या हो सकती है कि हम उनसे बात नहीं कर सकते? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्यों को धमका रहे हैं मुख्य सचेतकजी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जनार्दन सिंहजी। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : (व्यवधान) एक सैकण्ड (व्यवधान) मेरा नाम पुकार लिया। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : सरकार राज्यपाल महोदय को सिफारिश करे। राज्यपाल महोदय को तो कर सकती है। (व्यवधान)

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय मंत्रीजी, एक मिनट...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय को सिफारिश करेंगे क्या? (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : महामहिम राज्यपाल महोदय को सदन की प्रोसिडिंग्स भेज देंगे। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और सिफारिश के साथ सदन के सदस्यों की भावना भी बताओ। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, प्रोसिडिंग्स भेज देंगे। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : उपाध्यक्ष महोदय, महिला पर अत्याचार नहीं होना चाहिये। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रोसिडिंग्स अपने कमेंट्स के साथ भेज देंगे। (व्यवधान) कह रहा हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय को सारी प्रोसिडिंग्स भेज देंगे। (व्यवधान)

सुश्री मीनाक्षी चन्द्रावत : महिला पर अत्याचार हुआ है। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : हां, अपने कमेंट्स के साथ भेजेंगे। सदन की भावनाओं के साथ प्रोसिडिंग्स भेज देंगे। महामहिम राज्यपाल महोदय को। मेरे खयाल में इसको समाप्त किया जाना चाहिये। आप सब जानते हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप दलित की आवाज बन्द नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : सब जानते हैं कि डायरेक्टली जुडिशियरी के मामलों में इंटरफियरेंस नहीं कर सकते। (व्यवधान) इसको समाप्त करना चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम लोग अपनी बात को यहां कहेंगे। आप धमका कर हमको चुप नहीं कर सकते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आपको दलितों की चिन्ता नहीं है। आज दलित का मामला आया तो आप माननीय सदस्यों को धमकाने के लिए चले गये। आप दलित विरोधी हो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : + + + आनी चाहिये आपको। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं माननीय सदस्यों की राय लेने गया हूं कि इसमें क्या किया जा सकता है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बाबूलालजी, आप बहुत बोल लिये, अब विराजें।

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, लॉ सैक्रेटरी से जांच करायी जाए इसकी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये प्लीज। दूसरों को सुनिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप : उपाध्यक्ष महोदय, लॉ सैक्रेटरी से जांच कराओ इसकी, जब पता लगेगा असलियत का। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। जनार्दन सिंहजी बोल रहे हैं। (व्यवधान) माननीय रामस्वरूपजी।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामस्वरूप : हमको दुःख है इस बात का। (व्यवधान) एस.सी. और एस.टी. के साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। लॉ सैक्रेटरी से इसकी जांच कराओ। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत (करौली) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन के माननीय सदस्य श्री सुरेन्द्रजी व्यास ने एक सुझाव दिया और उस पर भंवरलालजी ने कहा, मैं इस सुझाव से सहमत हूं। दूसरा सुझाव भंवरलालजी ने दिया कि सदन की कार्यवाही से विधान सभा अवगत करा दे और उसके बाद में कार्मिक मंत्रीजी ने जब सदन में यह घोषणा कर दी है कि सदन की भावनाओं... (व्यवधान) एक सैकण्ड सुन लें...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आप क्यों दबा रहे हो? आपको क्या परेशानी हो गयी इससे? (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आपकी भावना बहुत आपने कह दी। लोकतंत्र में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : कितना भी कहेंगे, यह नहीं बैठने वाले। इनकी तो मोबाइल पर मायावतीजी से बात करवाइये तब बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : जुडीशियल मामला है। (व्यवधान) देखिए, आप अकेले नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : इस तरीके की बात बरदाश्त नहीं कर सकते...(व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका है? यह कोई बात नहीं है। (व्यवधान) हर बात को... (व्यवधान) यह कोई बात हुई क्या?

श्री राजेन्द्र पारीक : कितना भी कहेंगे, यह चुप नहीं बैठेंगे। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : आप दूसरे सदस्य की बात ही नहीं सुनना चाहते। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई प्रश्न...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके ही + + + दलित महिला की बात पर आपके + + + पंडितजी। पंडितजी, + + + (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : माहननीय सदस्य के मुंह से दलित महिला का शब्द अच्छा नहीं लगता। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको दर्द लगता है। (व्यवधान) आपको परेशानी है इस बात की।

श्री राजेन्द्र पारीक : हाउस का वातावरण बिगाड़ने के लिए आये हैं आप लोग। (व्यवधान)

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप बैठ जाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : आप ज्यादा करके इस महिला का कुछ न कुछ नुकसान करवाएंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप तो डाइल्यूट करना चाहते हो। आपका तो हित सधा है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय माहिर आजादजी, आप विराजिये। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यह गलत तरीका है।

श्री जनार्दन गहलोत : मैं मेरी बात समाप्त कर दूं उसके बाद बोलें।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, मामला सीधा न्यायिक प्रक्रिया का है और न्यायिक मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करके आप सम्बन्धित अधिकारी को कोई नुकसान करवाएंगे। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। (व्यवधान) माननीय बाबूलालजी, विराजें। कुछ समझ ही नहीं रहे हैं। आपको बारबार कह रहे हैं। प्लीज, आप विराजें।

श्री बाबूलाल नागर : नुकसान करोगे और यह...(व्यवधान) नुकसान करोगे, पारीक साहब, यही कराओगे, और कुछ करने वाले हो नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आप सुनना ही नहीं चाहते हो। यह क्या बात हुई?

श्री राजेन्द्र पारीक : लगता यों है, उपाध्यक्ष महोदय, हाउस पार्टीबाजी होकर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, प्लीज बिराजिये।

श्री रामस्वरूप : अत्याचार हो रहा है, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : बैठ कर कोई कायदे की बात करने को तैयार नहीं। न्यायिक मामला है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सदन इस पर निर्णय कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : राजेन्द्रजी पारीक, विराजिये।

श्री बाबूलाल नागर : यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, उपाध्यक्ष महादेय।

श्री राजेन्द्र पारीक : इस पर सदन पूरी चर्चा कर ले। इस पर चाहे गृह मंत्रीजी से चर्चा करवा ले, विधि मंत्रीजी से चर्चा करवा ले।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय जनार्दन सिंहजी। (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। (व्यवधान) बैठिये प्लीज।

श्री बाबूलाल नागर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सरकार दलितों के पसीने से बनी है, इस सरकार को...(व्यवधान) लगातार अत्याचार किये जा रहे हैं। यह पूरे दलित समाज का मामला है, इसमें दखल कैसे नहीं किया जा सकता?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अत्याचार कर रही है। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार के माननीय सदस्य कह रहे हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : सरकार के माननीय सदस्य कह रहे हैं फिर भी सरकार चिन्ता नहीं कर रही, सो रही है। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री बुलाकीदास कल्ला : सरकार कोई अत्याचार नहीं कर रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : लोगों की पीड़ा को देखो, कल्ला साहब, लोगों के दर्द को देखो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, बिराजिये।

एक माननीय सदस्य : न्याय दिलवाया जाए। (व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला : महामहिम राज्यपाल महोदय को अवगत करा दिया जाएगा। अब इसको समाप्त करना चाहिए।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, एक परम्परा रही है इस सदन की कि जब एक माननीय सदस्य बोलते हैं तो दूसरे सदस्य उसकी बात सुनते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी ही पार्टी के बोल रहे हैं, यह थोड़े ही बोल रहे हैं।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जब आसन पैरों पर होता है, कम से कम यह परम्परा तो कभी हाउस में नहीं रही कि उस समय भी खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप अपनी बात कहो। (व्यवधान)

श्री जनार्दन गहलोत : माहिर साहब, हर सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि माहिर साहब ही बोलना जानते हैं और कोई बोलना नहीं जानता।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप अपनी बात कहो, उपदेश मत दो।

श्री जनार्दन गहलोत : आप जब बोलते हैं तो हम सुनते हैं और जब हम बोलते हैं तो आप खड़े हो जाते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है...

श्री बाबूलाल नागर : दलितों के प्रति संरक्षण के लिए सरकार बाध्य है, सरकार को दखल करना चाहिए। अगर कहीं भी अत्याचार होता है महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति तो सरकार का पहला कर्तव्य बनता है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह सत्तारूढ़ दल के मैम्बर हैं।

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय बाबूलालजी, बहुत हो गया।

श्री बाबूलाल नागर : सरकार से प्रार्थना है हमारी, हमें विश्वास है अशोक गहलोतजी पर, इस सरकार पर विश्वास है, इसको दखल करना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बहुत कह दिया आपने, अब विराजिये प्लीज।

श्री जनार्दन गहलोत : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सदन में यह बात आयी है, मामला काफी गम्भीर है। माननीय सदस्यों की जो भावना है उसको भी सरकार को तो गम्भीरता से लेना पड़ेगा और आसन को भी गम्भीरता से लेना पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, इतना गम्भीर मामला है, जुडीशियरी का मामला फंसा हुआ है, सरकार की कुछ कठिनाइयां हो सकती है लेकिन जब हाउस के सामने इतनी बड़ी बात है तो या तो जैसा कि भंवरलालजी ने सुझाव दिया कि विधान सभा की तरफ से इस प्रोसिडिंग को न्यायालय को भेज दिया जाय तो मैं सोचता हूं इसका हल निकल सकता है। या माननीय कल्लाजी ने जो बात कही है कि राज्यपाल महोदय को हम, कोई भी माननीय सदस्य कह सकता है, उससे काम नहीं चलेगा। उपाध्यक्ष महोदय, सरकार की तरफ से राज्यपाल महोदय को सदन की भावनाओं से अवगत कराना पड़ेगा। राज्य सरकार इसकी घोषणा करे। मैं सोचता हूं इसके अलावा कोई रास्ता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : यह किसकी तरफ से बोले हैं? सरकार ही बोल रही है और क्या बोल रहे हैं?

श्री जनार्दन गहलोत : तो, मंत्री महोदय, इसकी घोषणा करें आप। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो प्लीज, बहुत हो गया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सिफारिश हाई कोर्ट को नहीं कर सकते। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, यदि आवश्यकता हो तो दस-बीस एम.एल.ए. का एक प्रतिनिधि मण्डल जाकर गवर्नर साहब से मिल ले इसके बारे में।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज। (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर : दलितों का संरक्षण करेंगे। आज आपको संरक्षण करने में दखल नजर आता है। यह सरकार दलितों के खून-पसीने से बनी है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के सभी माननीय सदस्यों से यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस इश्यू को आगे बढ़ाना अच्छा नहीं है। लैजिस्लेचर और हाई कोर्ट को अगर आप कोलिजन कोर्स में ले जाना चाहते हैं, यह ठीक नहीं है।

आज गवर्नमेंट ने 8-8 आई.पी.एस. अफसरों को पदावनत कर दिया, तब तो आप लोग कहां चले गये थे? (व्यवधान) तब आप नहीं बोले।

श्री रामस्वरूप : बोले थे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : और आज तक एक वापस नहीं किया। अब आप हाई कोर्ट के मामले में बोलते हैं। आठ-आठ आई.पी.एस. को कर दिया पदावनत, कुछ नहीं बोले आप। आज तक इन लोगों को पदावनत कर रखा है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : ...उसकी जांच कराएंगे लेकिन अभी तक उसका नतीजा नहीं निकला है। यह पदावनत प्रकरण भी...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, जो है इस सरकार के हाथ में है। इस सरकार ने आज तक उनके साथ न्याय नहीं किया है। गलत तरीके से उनको पदावनत किया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप डाइल्यूट क्यों कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माहिर आजाद साहब का बहुत आदर करता हूं, बहुत नम्रतापूर्वक कहता हूं कि सरकार सिफारिश नहीं कर सकती। मैंने कहा है कि वह बहुत ज्यादा होगा यदि इनफार्मली काल-आन कर ले लॉ मिनिस्टर और सिर्फ अप्राइज कर दे सी.जे. को with the concern expressed by the Hon'ble Members. वह पर्याप्त होगा। अगर यह नहीं करे तो यह प्रोसिडिंग मीडिया में हाइलाइट हो गयी, अब करैक्टिव मेजर्स होंगे। अगर अब इसके मैरिट्स पर अपन जाएं, ये चार्जेज लगे हैं, इन चार्जेज के अन्दर कुछ गलत भी हैं, सही हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इसको डिस्कस करने से कोई फायदा नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं है ठीक, मैं खुद ही कह रहा हूं। हां, नहीं है फायदा। वही मैं इनको निवेदन कर रहा हूं। इसलिए इसको डिस्कस न करें और अब इस चैप्टर को यहीं क्लाज करें।

श्री उपाध्यक्ष : जो कुछ सरकार ने कहा वह पर्याप्त है। इस चर्चा को यहीं समाप्त कीजिये। अमरारामजी, आप शुरू कीजिये।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सरकार जो महामहिम को इन्वाल्व करना चाहती है वह गलत है। महामहिम नहीं आएंगे इस पर।

श्री उपाध्यक्ष : सरकार ठीक समझेगी जो कर लेगी।

बालोतरा में सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी ढह जाने से चार हरिजनों की मृत्यु

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : अभी, उपाध्यक्ष महोदय, आपने दलित महिला की पीड़ा को सुना अब मैं उन्हीं दलित हरिजनों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। 25.04 को हुए एक दर्दनाक हादसे के बारे में सदन को बताना चाहता हूं। बालोतरा शहर में सीवरेज लाइन की खुदाई हो रही थी। चार हरिजनों की उस सीवरेज लाइन की खुदाई के समय जमीन ढह जाने के कारण दबकर दर्दनाक मौत हो गयी। एक हरिजन घायल हुआ और चार हरिजन हमेशा के लिए चले गये। 25 तारीख की रात तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। 26 तारीख को राजस्थान के किसानों का और राजस्थान का सबसे बड़ा त्यौहार अक्षय तृतीया था, सैकड़ों शादियां पूरे परगना में थी और किसान लोग गांवों से शहर में सामान खरीदने के लिए आये थे। पूरे बालोतरा में सन्नाटा था। मैं 10.30 बजे जयपुर से वहां पहुंचा, हरिजनों की लाशें

(श्री अमराराम चौधरी)

वहीं मुर्दा कोठरी में पड़ी थीं। पोस्टमार्टम के लिए हरिजन लोग मना कर रहे थे। आज से पहले भी इस प्रकार का एक हादसा हुआ था, वह हादसा 2.11.99 को हुआ था। वहां के कलक्टर के द्वारा, वहां की नगरपालिका के द्वारा सरकार से इस हरिजन के बारे में जो 2.11.99 को सीवरेज लाइन में खतम हुआ था, मुआवजे के बारे में लिखा गया था। आज दिन तक उसको मुआवजा नहीं दिया गया। अब ये चार हरिजन, जिनकी उम्र क्या है? 25 साल, 22 साल और एक हरिजन तो ऐसा था जिसने दो साल पहले शादी की थी। इस प्रकार का हादसा हुआ तो जनता की यह मांग थी कि इनके परिवारों को, इनके आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये दिये जाएं। कलक्टर साहब से सारी रात हम वहीं समझाने में लगे। आखिर कोई फैसला नहीं हुआ। म्यूनिसिपैलिटी के बोर्ड ने सर्वसम्मति से एक-एक लाख रुपये का चैक दिया। दो लाख राज्य सरकार से और सैंक्शन कराने के लिए जिला कलक्टर ने जनता के साथ वायदा किया कि दो लाख रुपये हम प्रत्येक मृतक के आश्रितों को और दिलवाएंगे, यह एक लाख का चैक ले लो। दस हजार रुपये कलक्टर ने अपने फण्ड से दिये। इस प्रकार एक लाख दस हजार रुपये दिये और दो लाख रुपये की रिकमंडेशन राज्य सरकार के पास भेजी गयी है। उसका भुगतान करवाया जाए। जो इस हादसे में पहले भी मरा उसके आश्रित को नौकरी नहीं दी गयी। ये चार और मरे, इनके भी आश्रितों को कोई नौकरी नहीं दी गयी तो बहुत बड़ा परिवार जो हरिजनों का है हमेशा के लिए जो हमारा मैला ढोते हैं, लोग उनसे नफरत करते हैं। वे पूरे शहर की सफाई करते हैं, उन हरिजनों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए और उनकी उचित मांग है उसको जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहिए ताकि जो आक्रोश है दूसरे हरिजनों का, वह आक्रोश शांत हो सके। यही बात कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री सुरेन्द्र व्यास।

राज्य में महिला भ्रूण व शिशु हत्या

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2001 की जनगणना के आंकड़े काफी चौंका देने वाले हैं। राजस्थान में महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कम है। कम तो पहले भी थी, आज भी है लेकिन जो ग्रोन-अप लेडीज हैं उनकी संख्या तो 12 कम है। एक तरफ से संख्या थोड़ी बढ़ी है और उसका कारण एक्सपर्ट्स यह मानते हैं कि सम्भवतः इस अकाल के जमाने में जबकि यह सेन्सस चला है, काफी विभिषिका का दौर था तो लोग माइग्रेट कर गये होंगे। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो बात है वह छह वर्ग की आयु के बच्चों की जनगणना के विषय में है।

(13.32 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

सभापति महोदय, डेढ़ करोड़ बच्चों की जनसंख्या में लड़कियों की जनसंख्या पांच लाख कम है। आज यह सेक्स डिटरमिनेशन, लिंग का मालूम जो सोनोग्राफी से पड़ता है इस कारण भ्रूण हत्याएं काफी तादाद में हो रही हैं राजस्थान के अन्दर। सोनोग्राफी जो बीमारियों के निदान के लिए एक वैज्ञानिक उपकरण है, उसने सुविधा उपलब्ध करायी है लेकिन लिंग का मालूम करने के लिए धड़ल्ले से उपयोग करते हैं और आराम से उसका पांच-दस हजार रुपया चार्ज करते हैं। 1997 से मेडिकल टर्मिनेशन लगातार बढ़ता जा रहा है।

सभापति महोदय, भ्रूण हत्या ही नहीं है, फीटससाइड के आगे इंफेंटिसाइड रेट भी ज्यादा है क्योंकि जो शिशु पैदा होते हैं उनमें लड़कियों की वनिस्पत 100 के ऊपर 118 पुरुष पैदा होते हैं। लड़कियों की हैल्थ डाक्टर्स के हिसाब से, अगर लड़कियां जिन्दा रह जाएं तो they are supposed to be sturdier. उनकी जो मोर्टेलिटी रेट है वह लड़कों के मुकाबले में कम होती है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से जितनी लड़कियां पैदा होती हैं, पैदा होते ही उनको मारने के इन्सीडेंट्स भी राजस्थान के अन्दर ज्यादा हैं। करौली और दौसा का तो अलग से जो एक सर्वे हुआ है उसके अन्दर दिया है। तो एक बहुत ऐसा तकलीफदेह तथ्य है जिसके विषय में राज्य सरकार बिलकुल जाग्रत नहीं है और सो रही है। यह पूरे समाज के लिए चिन्ता का विषय है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो छोटी फैमिली में विश्वास करते हैं, छोटी फैमिली के अन्दर सैक्स का डिटरमिन करके सक्सैसफुल टरमिनेशन कराते हैं। जब तक लड़का नहीं हो, दो-दो, तीन-तीन दफा कराते हैं और लड़का होने के बाद फिर फैमिली प्लानिंग के कंसैप्ट को यूज करते हैं।

सभापति महोदय, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार परिवार कल्याण के ऊपर बहुत सारे पैसा खर्च कर रही है, किन लोगों को एजुकेट कर रही है? उस पैसे का क्या उपयोग हो रहा है? सभापति महोदय, यदि समय रहते इस आधुनिक सुविधा के उपयोग को नहीं रोका गया तो, महिलाओं के अत्याचार की बात सभी माननीय सदस्य कर रहे थे, तो यह तो जन्मजात महिलाओं के साथ सबसे बड़ा अत्याचार है कि इस दुनिया में कन्या शिशु को आने ही नहीं दिया जाए और आ जाए तो खतम कर दिया जाए। यह जो कसेंप्ट और यह जो प्रैक्टिस डवलप हो रही है स्टेट के अन्दर, यह बहुत चिन्ताजनक है। मैं यह प्रार्थना करना चाहता हूं, अभी हैल्थ मिनिस्टर तो यहां हैं नहीं लेकिन बहुत सीनियर मिनिस्टर्स यहां मौजूद हैं, गवर्नमेंट इसको नोट करे, इसका कुछ न कुछ उपाय करे और इसमें कारगर कदम उठाए जो कि इफैक्टिव चैक हो ताकि भ्रूण हत्या और शिशु हत्या को बन्द किया जाए। यह आपके माध्यम से मेरी गवर्नमेंट से मांग है।

श्री सभापति : माननीय श्री किरोड़ी लालजी।

भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी पंचायत समिति में भूमि आबंटन सलाहकार समिति द्वारा कथित अनियमित आबंटन

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक ऐसे प्रकरण की ओर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसको मैंने दिनांक 2.11.2000 को पवित्र सदन में उठाया था। ग्राम आसोप, पंचायत समिति कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा का भूमि घोटाला। सभापति महोदय, 28 जून, 2000 को इस लैण्ड का अलाटमैंट हुआ और टोटल लैण्ड अलाट की गयी 1141 बीघा 13 बिस्वा। उसमें 321 एप्लीकेंट्स आये, 321 को लैण्ड अलाट की गयी। 320 पर तो जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य के हस्ताक्षर हैं, लेकिन एक नरेन्द्र नाम का व्यक्ति जो आवेदक था जिसको दस बीघा जमीन अलाट की गयी उसके प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर नहीं हैं। यह तो जांच का विषय है, जांच हो गयी। सभापति महोदय, एक अलाटमैंट कमेटी ने 1141 बीघा जमीन की बन्दरबांट अपने नातेदार, रिश्तेदारों में कर ली। यह जो अवैध भूमि आबंटन हुआ तो राज्य सरकार ने हमारी मांग पर इसकी जांच अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के द्वारा करवायी। जांच के बाद तहसील कोटड़ी के खसरा नम्बर 1299 भूमि में जो अलाट की गयी थी गलत तरीके से, उनको तहसीलदार ने पत्र लिखा और उसमें लिखा है, "कार्यालय तहसीलदार कोटड़ी। ग्राम आसोप में हुए भूमि आबंटन के सम्बन्ध में। ग्राम आसोप में निम्न व्यक्तियों का आबंटन सलाहकार समिति के सदस्य करीबी रिश्तेदार होने से आबंटन निरस्तीकरण किया जाता है।" इसमें श्री भंवर लाल पुत्र श्री परसादी लाल शर्मा जीवन लाल के बहनोई हैं जो आबंटन समिति के सदस्य हैं। श्री निरंजन पुत्र श्री चन्द्रशेखर शर्मा यह आबंटन समिति के सदस्य थे सरपंच रमेश शर्मा के साले। श्रीमती बाली बेवा कन्हैया लाल शर्मा आसोप की जो जीवन लाल की भाभी है। लादी पत्नी श्री मोहन लाल रैगर निवासी पाठोली जो पंचायत समिति के प्रधान रैगर की धर्म पत्नी है। एजर देवी पत्नी श्री भंवर लाल शर्मा जो जीवन लाल की बहन है। श्री महावीर पुत्र श्री मदन लाल शर्मा जीवन लाल का भानजा है। मधु पुत्र जीवन लाल शर्मा, जीवन लाल शर्मा जो मनोनीत सदस्य है उसका बेटा है। श्री अशोक कुमार पुत्र श्री रतन लाल शर्मा जीवन लाल के दामाद हैं। और श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रतन लाल, रतन लाल ताम्बी जहापुर से आने वाले माननीय सदस्य के पुत्र हैं। इनका आबंटन तहसीलदार ने निरस्त कर दिया। वह किस आधार पर किया? सभापति महोदय, वहां के पटवारी ने यह रिपोर्ट दी।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या आपने निर्धारित प्रक्रिया के अन्दर नोटिस दिया है?

डा. किरोड़ी लाल : हां, दिया है। जांच प्रतिवेदन पटवारी हल्का बोरड़ा ग्राम

(डा. किरोड़ी लाल)

आसोप में आबंटन सलाहकार समिति की बैठक 28.6.2000 को उनकी...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय, बिराजिए। आपको मौका मिलेगा। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी (पंचायती राज मंत्री) : यह नहीं हो सकता, पर्ची में नहीं हो सकता। सभापति महोदय, पर्ची में यह नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय किरोड़ी लालजी, यह जो सुरेन्द्रजी ने कहा कि आपको निर्धारित प्रक्रिया के अन्दर नोटिस देना चाहिए था वह दे दिया क्या आपने? आपने कहा, दे दिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सदन को दिया है नोटिस।

श्री सभापति : नहीं, नहीं, सदन को नहीं।

डा. किरोड़ी लाल : मैंने सचिव को लिख कर दिया है, साहब। मैंने इसमें सचिव को लिखा है कि मैं इस प्रकरण को उठाने जा रहा हूं। आप पूरा पढ़ लो इसमें। पूरे तथ्य लिखे हैं मैंने।

श्री सभापति : नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।

श्री सी. पी. जोशी : सभापति महोदय, यह, रूल्स आफ बिजनस में बहुत क्लीयर है। आपको सदस्य को भी लिख कर देना पड़ेगा, Merely informing the Secretary is not sufficient.

श्री सभापति : मैंने आफिस से मालूम कर लिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : माननीय सी. पी. जोशी साहब, गबन तो हुआ है न? घोटाला तो किया है न? जमीन का अलाटमैंट तो किया है न? आप इसको तो मानिये।

श्री सी. पी. जोशी : घोटाला किया है तो उसका तरीका है। मैं मना नहीं कर रहा। आपका अधिकार है, लेकिन उसका तरीका है। उसमें कहां तकलीफ है? आपका अधिकार है आप उठाएं, लेकिन माननीय सदस्य को लिख कर तो दें। उनके खिलाफ लिख कर दें नहीं... (व्यवधान) आप अपनी...

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, माननीय सदस्य, आफिस से मालूम कर लिया गया है और जो निर्धारित प्रक्रिया में नोटिस आपको देना चाहिए था वह आपने दिया नहीं, इसलिए इस प्रकरण को आप यहां न उठाएं।

डा. किरोड़ी लाल : भ्रष्टाचार को नहीं उठाएंगे? आप भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हो। उसमें गड़बड़ घोटाला हुआ है, मैं उसको यहां रखना चाहता हूं।

श्री मदन दिलावर : सदन के माननीय सदस्य इस प्रकार का भ्रष्टाचार करें... (व्यवधान)

श्री सभापति : नहीं उठाएंगे।

डा. किरोड़ी लाल : कैसे नहीं उठाएंगे? आपने कैसे कह दिया, नहीं उठाएंगे?

श्री सभापति : मैंने कह दिया कि आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान) आरोप नहीं लगा सकते आप। निर्धारित प्रक्रिया है उसका पालन आपको करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : सभापति महोदय, जबरदस्त भ्रष्टाचार है। करोड़ों रुपये की सम्पत्ति को खा गये लोग। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : मैंने लिख कर दिया है, आप मेरी पर्ची पढ़ लो।

श्री सभापति : मैंने पढ़ लिया पर्ची को। नोटिस माननीय सदस्य को मिलना चाहिए था, वह आपने दिया नहीं, निर्धारित प्रक्रिया का नोटिस नहीं दिया इसलिए आप किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ आरोप नहीं लगा सकते। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : हां, नहीं लगाएंगे। हमें आप बोलने तो दो। आप बोलने भी नहीं दोगे?

डा. करण सिंह यादव (बहरोड) : सभापति महोदय, निर्धारित प्रक्रिया के हिसाब से उठाएं। यह सदन में मामला पहले भी उठ चुका है। इसका नोटिस हमारे माननीय सदस्य को नहीं दिया। पर्ची पर रीसेंट अकरेंस के मामले को उठाया जाता है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : कल ही माननीय गुलाबजी कटारिया ने बात कही थी। दो बातें तो नहीं होंगी। (व्यवधान) कल ही माननीय सदस्य ने कहा था कि आरोप नहीं लगाने चाहिए। आप नाराज भी हुए थे। (व्यवधान) अब वह माननीय सदस्य हैं बिलकुल ठीक परम्परा नहीं है यह— (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उनके नोटिस में है कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, इस विषय की गम्भीरता इस कारण से बनी कि यह विषय पिछली बार उठा, यह बात सच है लेकिन उस समय माननीय सदस्य ने इस बात को सदन में ना किया कि नरेन्द्र मेरा पुत्र नहीं है। फैक्ट्स के आधार पर जब जांच होकर आयी तो नरेन्द्र इनका ही पुत्र है। इन्होंने उस समय चैलेंज किया था इस बात के लिए और उस पर काफी हंगामा हुआ था इसी विषय पर कि नरेन्द्र मेरा पुत्र नहीं है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : जांच कहां हुई है? जांच अभी हुई नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जांच होकर यह बात प्रमाणित हो गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप गलत तथ्य पेश कर रहे हैं। जांच अभी डिवीजनल कमिश्नर कर रहा है। अभी जांच पूरी नहीं हुई।

श्री धर्मपाल चौधरी : जांच हो चुकी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय हरिसिंहजी, टैक्निकल में क्यों जाते हो, गलती मान लो यह किया है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तथ्य प्रमाणित हो गये जांच से, यह प्रमाणित हो गया जांच से और रिपोर्ट से—

श्री हरिसिंह (महुवा) : क्या जांच कम्पलीट हो गयी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह प्रमाणित हो गया रिपोर्ट से कि नरेन्द्र श्री रतन लाल ताम्बी का पुत्र है। यह जांच से प्रमाणित है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अभी डिविजनल कमिश्नर आफिस इसकी जांच कर रहा है। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उस समय जो बात उठी थी वह यह उठी थी कि नरेन्द्र इनका लड़का नहीं है, जबकि वास्तविकता यह है कि नरेन्द्र इनका पुत्र है।

श्री सी. पी. जोशी : यह तो आपका अधिकार है। नरेन्द्र इनका पुत्र हो सकता है लेकिन जो प्रक्रिया का नियम और कानून है उसको फालों करके लाएं, कहां तकलीफ है? हम खाली एक ब्लेंकेट आरोप लगाएं...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सी. पी. जोशी साहब, तकनीकी दृष्टि पर क्यों जा रहे हो? घोटाला किया है यह तो मानो। आप लोग एक्सैप्ट करो। यह तो मानो आप। माननीय सभापतिजी, यह तो मानें, तकनीकी दृष्टि से क्यों कह रहे हैं? अपनी गलती मानें।

श्री सभापति : माननीय कटारिया साहब, आपने एक बात कही कि मामला गम्भीर है। मामला कितना भी गम्भीर हो सकता है लेकिन सदन की जो प्रक्रिया है वह आपको अपनानी पड़ेगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय सदस्य से कि यदि ऐसा कोई है तो आप इसको दुबारा नोटिस देकर...

डा. करण सिंह यादव : जांच पूरी होने पर लाएं।

श्री सभापति : कल उठा लेना, परसों उठा लेना। लेकिन वह नोटिस आपको देना पड़ेगा।

डा. करण सिंह यादव : जांच पूरी होने पर सदन में लाएं प्रोपर नोटिस देकर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सभापति महोदय, सदन में यह मामला आ चुका है, अब यह सदन की प्रापर्टी हो चुकी है। अब नोटिस का कोई मतलब नहीं रहा।

श्री सी. पी. जोशी : नाट एट आल, नाट एट आल।

श्री सुरेन्द्र व्यास : तो फिर आप इसको सस्पैण्ड कर दीजिए।

श्री सभापति : सदन में नहीं आया है यह...(व्यवधान)

श्री बुलाकीदास कल्ला (कार्मिक मंत्री) : ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : ऐसे नहीं, आप गलत परम्पराएं...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : नाट एट आल...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : सदन में आते ही इस पर एतराज कर दिया गया है।

श्री रामनारायण चौधरी (मण्डावा) : बिना आसन की अनुमति से कोई चीज आ ही नहीं सकती।

श्री सभापति : सदन में नहीं आया है।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई भी खड़ा होकर बोल जाएगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : सदन में नहीं आया है। यह कहते ही एतराज कर दिया गया कि आपको अनुमति नहीं दी गयी है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि आप इसको लाना चाहते हैं तो नियमों के अन्दर नोटिस देकर आप इसको लाइये।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय सदस्य का नाम पुकारा गया है।

डा. किरोड़ी लाल : फिर आपने मेरा नाम क्यों पुकारा ?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक मिनट मुझे दीजिए...(व्यवधान)

श्री सभापति : आपका नाम पुकारा है।

डा. किरोड़ी लाल : इसलिए मैं हाथ जोड़ कर आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया माननीय सदस्य का नाम... (व्यवधान) तहसीलदार और पटवारी की जो रिपोर्ट है मैं वह पढ़कर बताना चाहता हूं जो जांच रिपोर्ट है।

श्री रामनारायण चौधरी : वह तो पहले भी था...(व्यवधान) अगर ताम्बीजी का इसमें इंवाल्वमैंट है तो कोई भी सब्सटेंटिव मोशन लाया जा सकता है। आप रीसेंट अकरेंस के बारे में चिट से उठा सकते हैं। यह कोई रीसेंट अकरेंस नहीं है।

डा. करण सिंह यादव : रीसेंट अकरेंस नहीं है और कोई अत्यन्त ही लोक महत्व का कि आज ही इस पर कोई सरकार... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : प्रस्ताव लाओ इनके खिलाफ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : लोक महत्व है ही नहीं इसका ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : चिट के द्वारा किसी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगा सकते, किसी को गाली नहीं दे सकते। आप लाइये, प्रस्ताव लाइये। नियम बने हुए हैं नियमों के तहत ले आइये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अव्यवस्था का है या व्यवस्था का है ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : अव्यवस्था उधर से ही फैलती है इधर से नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मेरा भी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति : पहले आपका होगा, बाद में आप।

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं, यह विधान सभा सचिवालय से बुलेटिन निकला है पर्ची के सम्बन्ध में यह 28 अप्रैल, 1995

(श्री हरिसिंह)

को सभी माननीय सदस्यों को सर्कुलेट किया गया। नम्बर एक-विषय हाल ही घटित किसी अविलम्बनीय लोक महत्व के किसी विशिष्ट विषय से सम्बन्धित होना चाहिए। (व्यवधान) यह हाल ही घटित कोई घटना नहीं है। मेरा एतराज है, एक लम्बे समय से पहले ही इस सदन में यह मामला उठ चुका है। लम्बी पूरी बहस हुई है, सब कुछ हुआ है। कुछ सदस्यों ने कहा है क्या आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, सरकार की जांच होने की, न होने की सब बातें इसमें चली हैं। इनके...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अन्तिम रिपोर्ट तो आज आयी है तो आज ही की घटना हो गयी न यह?

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप सुन लो। मैं आसन का राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के रूल 273 की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। सभापति महोदय, रूल बहुत स्पष्ट है। किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधबोधक प्रकृति का आरोप नहीं लगाया जाएगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर देने के प्रयोजन के विषय में जांच कर सके। परन्तु अध्यक्ष किसी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिसिद्ध कर सकेगा, यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सदन की गरिमा के विरुद्ध है, ऐसा आरोप लगाने से कोई हित सिद्ध नहीं होता है।

आपका इस पर निर्णय आ चुका है, आपने नोटिस देने को अपेक्षित माना है, आवश्यक माना है। मैं समझता हूं अब इस विषय पर किसी भी प्रकार की अभिव्यक्ति करना आपके आसन के द्वारा दिये गये निर्णय का विरोध होगा। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं आसन से कि इस प्रकरण को यहीं समाप्त करने का आदेश प्रदान करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सभापति महोदय, यह विवाद इसलिए खड़ा हुआ...(व्यवधान) कि किसी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई आरोप अगर लगाना है तो पहले सूचना दें। यह आरोप लग क्या रहा है आपके खिलाफ, जब तक यह साबित नहीं हो कि यह पुत्र आपका है? आप पहले यह तो कहो कि यह पुत्र आपका है कि नहीं। अगर आपका पुत्र है जब तो ठीक है आरोप लगेगा, और आप कह दो पुत्र ही नहीं है तो आपके खिलाफ कहां हुई बात? यह आपने पहले मना किया है मेरा लड़का नहीं है, तो पहले यह तय कर लीजिए कि जिसके खिलाफ आप बोल रहे हो वह आपका पुत्र है कि नहीं है। पहले यह तो तय कर लो।

श्री सी. पी. जोशी : वह तो बाद की बात है, पहले सदस्य पर आरोप लग रहे हैं। पुत्र है कि नहीं है वह तो बाद की बात है। सदस्य पर आरोप लगाने के नियम बना रखे हैं।

श्री सभापति : माननीय रामनारायणजी चौधरी।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नियम 272-2 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं—"A member while speaking shall not make a personal charge against a member."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : है कहां उनके ऊपर? उन्होंने कहा मेरा बेटा ही नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : It is a matter for Ratan Lal Tambi now.

श्री रामनारायण चौधरी : कोई भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाएगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अगर हाउस में चार्ज आ गया तब तो माननीय रतन लालजी ताम्बी को अवसर देना चाहिए कि स्पष्ट करें। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आसन ने रोक दिया...(व्यवधान) आसन से निर्णय हो गया। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरी बात समाप्त नहीं हुई है। (व्यवधान) मुझे मालूम हुआ, अभी यह चिट के ऊपर, जो चिट सिस्टम जीरो आवर में इण्ट्रोड्यूस किया हुआ है सभापति महोदय, सदन के अन्दर उसके बारे में माननीय मुख्य सचेतक महोदय ने सर्कुलर स्पीकर महोदय का निकला वह पढ़कर सुनाया। अति अविलम्बनीय लोक महत्व और फिर रीसेंट अकरेंस...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह रिपोर्ट आयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, नहीं, रिपोर्ट आयी है तो वह तो ओल्ड हो गयी। यहां पर सब्स्टेंटिव मोशन लाएं इसमें नियम है। अकरेंस पहले की है। (व्यवधान) किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ आप इन नियमों के तहत सब्स्टेंटिव मोशन ला सकते हैं, आपको अधिकार है। सभापति महोदय, आपको अधिकार है कि आप अनुमति दे सकते हैं। With the previous permission of the Speaker. (व्यवधान) मान्यवर, आप बैठे-बैठे नहीं, खड़े होकर बोल देना।

मान्यवर, मैं आपके मार्फत सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि रीसेंट वर्ड डिफाइन किया हुआ है। अपने यहां डिफाइन नहीं है लेकिन विभिन्न डिक्सनरीज में डिफाइन है— शब्दकोश में है, लाग मैन डिक्सनरी है। रीसेंट का मतलब है—"having happened or came into existence only a short time ago, e.g., a recent copy of the newspaper." Of today's newspaper or yesterday's newspaper, that is recent 'occurrence'. Not like this कि दो साल पहले का या तीन साल पहले की बात है, यह उठा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : जांच अभी हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अखबार में चाहे पुरानी खबर ही आ जाए। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यह न तो रीसेंट अकरेंस में है न अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला है। यह बहुत पुराना मामला है, पहले आया हुआ है। अगर किसी भी माननीय सदस्य को किसी भी माननीय सदस्य के खिलाफ कोई बात उठानी है तो सब्स्टेंटिव मोशन आ सकता है with the permission of the Speaker. अन्यथा यहां पर कुछ भी नहीं बोला जा सकता है। Nothing should be recorded in the proceedings of the House without your permission.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह किसके खिलाफ है, यह तो बताएं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय राठौड़ साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, विधान सभा के नियम...(व्यवधान) मेरा नाम ऊपर है।

डा. (श्रीमती) कमला : यह मामला भीलवाड़ा कलक्टर के यहां...

श्री सभापति : एक मिनट, राठौड़ साहब बोल लें।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, मैं बीच में बताना चाह रही हूं।

श्री सभापति : राठौड़ साहब बोल रहे हैं।

डा. (श्रीमती) कमला : जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के यहां यह पेशी में मुकदमा चल रहा है और इसकी 5 तारीख पड़ी हुई है। इसलिए इसमें जो कुछ भी मुद्दे उभर कर आएंगे और जो कुछ भी फैसला होगा उसके सन्दर्भ में देखा जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह बात बिलकुल सही नहीं है। एडी.एम., भीलवाड़ा ने जांच कर ली, जांच करने के बाद रिपोर्ट डिवीजनल कमिश्नर को भेज दी। डिवीजनल कमिश्नर के यहां रिपोर्ट पड़ी है और उसकी कापी सरकार को मिल गयी है।

डा. (श्रीमती) कमला : वह एक दूसरी बात है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह दूसरी कौनसी है, वह बता दें।

डा. (श्रीमती) कमला : आपको मैं बता रही हूं, ये दो ईवेंट्स अलग-अलग हैं। एक केस तो कलक्टर के यहां चल रहा है जिसकी हीयरिंग हो रही है और 5 तारीख डली हुई है और दूसरी मेरे पास एक अपील आयी थी, एक आवेदन आया था। उस पर मैंने यह लिखा था कि एडिशनल कमिश्नर, अजमेर इसकी जांच करके इसका अंतिम निर्णय भेजे। जब उनके पास में गया तो उन्होंने यह रिपोर्ट किया है कि चूंकि एडी.एम. ने जिसकी जांच की थी और एडिशनल कमिश्नर जिसको जांच के लिए भेजा है, वे दोनों

(डा. (श्रीमती) कमला)

एक ही कैडर के अधिकारी हैं इसलिए उन्होंने यह रिक्वैस्ट की है कि यह जांच हमसे न करवाकर हमसे सीनियर अधिकारी से जांच करवाएं। लेकिन इस बीच में कलक्टर के यहां यह केस चल रहा है और इसकी 5 तारीख पड़ी हुई है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : केस क्या चल रहा है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, कोई केस नहीं चल रहा है। केस चल रहा होगा और किसी विषय में।

डा. (श्रीमती) कमला : नहीं, इसी का है। आप पता कर ले। मैं आपको डिटेल मंगाकर दे दूंगी, इसी की चल रही है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैंने पता कराया है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एडीएम. ने इसकी इंक्वायरी कर ली तो हमारे लोगों ने वहां एप्लीकेशन दी राइट टू इंफार्मेशन एक्ट के अंतर्गत कि इसकी कापी दी जाए। तो कलक्टर ने कहा कि कापी मैंने डिवीजनल कमिश्नर के यहां भेज दी, मेरे पास कापी नहीं है। डिवीजनल कमिश्नर से जब बात की तो उन्होंने कहा, एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर के पास फाइल पड़ी है। उनको जब कहा तो जिस दिन से कहा उस दिन से वह गायब हैं, कुर्सी पर बैठते ही नहीं हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी और उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट की कापी आप लेना चाहते हैं तो जो भी इच्छुक है उसको कहिये कि वह बाकायदा एप्लीकेशन दें। जब कोई मिल ही नहीं रहा तो एप्लीकेशन किसको दें? मैंने कल फिर चीफ मिनिस्टर को लैटर भेजा है कि आप उसकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखिये, यह सदन का मामला है। असलियत की जानकारी हो जाएगी कि जो मामला उठाया था उसमें कितनी सही बात है, कितनी गलत बात है। आप एक काम करिये कि वह एडीएम. की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखवा दीजिये।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय, यह केस के मैरिट्स यहां डिस्पोज नहीं हो रहे हैं। मामला सिर्फ सीमित है कि आपको एलीगेशन लगाने के लिए इजाजत दी जाए या नहीं दी जाए। आफिस से मालूम कर लिया गया कि प्रक्रिया के नियमों के तहत 273 में, 272 में नोटिस देना चाहिये था, वह नहीं दिया गया है। इसमें मैरिट्स में कि कौन एडीएम. की रिपोर्ट है, कमिश्नर की रिपोर्ट है, उस मामले में तो जब यह मामला आएगा तब करेंगे। इस वक्त तो यह है कि आपको यह इजाजत दी जाये या नहीं दी जाए। आसन की व्यवस्था है कि चूंकि नियमों के अंदर आपने नोटिस नहीं दिया है इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जाती है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सभापति महोदय, यह मामला पिछले सत्र में भी शायद उठा था, उस समय बाकायदा नोटिस दिया था। इसके ऊपर सदन में चर्चा हुई थी।

श्री सी. पी. जोशी : नोटिस नहीं दिया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : उस समय नहीं दिया...(व्यवधान) उस समय मान लीजिये नोटिस नहीं भी दिया हो...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : पर्ची के आधार पर यूं ही उठा दिया...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : उस समय भी नहीं दिया था...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) कमला : जीरो आवर में पर्ची के आधार पर उठाया है...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आधे घंटे का इनका भाषण हुआ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने जवाब दिया है, सब कुछ हुआ है। The matter is pending before the House. और जब मैटर पैंडिंग है तो बार-बार किस बात की परमिशन और किस बात का नोटिस?

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मेरा निवेदन यह है कि...(व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : पूरी बात क्लीयर हो जाएगी। मैं आपको सचिवालय के निकाले हुए जो व्यवस्थाएं हैं, वह थोड़ी-सी जानकारी दे दूं।

डा. किरोड़ी लाल : वह तो सब हमने पढ़ लिया, आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : ना, ना, मैं निवेदन कर देता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपको कहने दीजिये... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : माननीय सदस्यों को निर्देशानुसार सूचित करना है कि दसवीं राजस्थान विधान सभा के चतुर्थ सत्र में दिनांक 28 अप्रैल, 1995 को शून्यकाल में पर्ची पद्धति द्वारा संक्षेप में बोलने की अनुमति के संबंध में निम्न व्यवस्था की गयी है :—

(1) विषय हाल ही में घटित किसी अविलम्बनीय लोक महत्व, किसी विशिष्ट विषय के संबंध में होना चाहिये।

(2) माननीय अध्यक्ष को उनके वेश्म में अधिक से अधिक प्रातः 11.00 बजे तक ऐसे महत्वपूर्ण विषय को एक पर्ची पर लेखबद्ध कर प्रस्तुत करें। इसके बाद प्राप्त पर्चियों पर कोई विचार नहीं होगा।

(3) इस प्रक्रिया से अधिक से अधिक चार माननीय सदस्यों को एक दिन में, एक बैठक में बोलने का अवसर प्रदान किया जाएगा।

इस प्रक्रिया से उठाये जाने वाले विषय पर कोई बहस का मुद्दा नहीं होगा।

इस बात पर मेरा आसन से अनुरोध है कि पर्ची के माध्यम से यह बात उठायी गयी है, इसको सदन में बहस का मुद्दा कृपया न बनाएं। अध्यक्ष महोदय ने सचिवालय के जो दिशा-निर्देश दिये हुए हैं उनकी अनुपालना की जाए, यह मेरा अनुरोध है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : बहस का मुद्दा तो यह बना रहे हैं...(व्यवधान) आप बना रहे हैं और कौन बना रहा है ?

श्री सभापति : माननीय सुरेन्द्रजी व्यास। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, एक मिनट में निवेदन करूं।

श्री सभापति : एक सैकण्ड मेरी बात सुन लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, मेरा निवेदन यह है कि प्रक्रिया के नियम 273 का उल्लेख माननीय मुख्य सचेतकजी ने किया, जिसका उल्लेख मण्डावा से आने वाले माननीय सदस्य ने किया। हम सबने उसको देखा है। यह आसन की तरफ से व्यवस्था हुई कि पर्ची के माध्यम से रीसेंट अकरेंस की कोई बात होती है यहां रख सकते हैं। बहस का मुद्दा है बहस हम कर भी नहीं रहे। रीसेंट अकरेंस इसमें भी है कि यह मामला राज्य में धन से जुड़ा हुआ मामला है। साढ़े तीन करोड़ की इसमें जमीन इन्वाल्व है। अभी रिपोर्ट आयी है पटवारी की और तहसीलदार की और माननीय सदस्य ने किसी पर आरोप लगाया नहीं। आपने कहा कि नोटिस देकर आरोप लगाएं। यह अपनी बात में सिर्फ पटवारी, तहसीलदार और एडी.एम. की रिपोर्ट को सदन में रखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। मैं दूसरा निवेदन करूं, यह प्रोसिडिंग्स है पिछले बार की जिसके अंदर जहाजपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने शायद सशपथ कहा है कि नरेन्द्र महाजन से उनका कोई वास्ता नहीं है। अगर नरेन्द्र महाजन मेरा लड़का हो तो मैं सदन की सदस्यता से इस्तीफा दे दूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह क्या बात हुई ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके कोई लड़का ही नहीं है। तो आरोप का कोई मामला ही नहीं रहता। सभापति महोदय, सबसे गम्भीर बात यह है कि अब आपके आसन से व्यवस्था...(व्यवधान) अब हम जाएं तो जाएं कहां ?

श्री हरिसिंह (महुवा) : मैं आपसे... (व्यवधान) यह मुद्दा बहस का नहीं बनाया जा सकता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, अगर राइट आफ इंफार्मेशन के अन्तर्गत प्रतिपक्ष के नेता को एडी.एम. की रिपोर्ट नहीं मिल सकती है...

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मेरा सख्त एतराज है। कृपया इसको बहस का मुद्दा नहीं बनाया जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अगर जिला कलक्टर को पत्र लिखा, जिला कलक्टर... (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हमारी प्रक्रिया के अन्तर्गत ऐसे नियम हैं जिनके माध्यम से किसी भी प्रकार का मोशन हाउस में लाया जा सकता है। ऐसे मोशन लाने के लिए प्रक्रिया के रूल्स में सब व्यवस्था की गयी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन से व्यवस्था हो गयी और माननीय सदस्य को अनुमति मिल गयी।

श्री हरिसिंह (महुवा) : पर्ची के अलावा अन्य किसी माध्यम से यह मोशन लाएं, हम उसका स्वागत करेंगे... (व्यवधान) माननीय सदस्य को कहनी होगी वह अपनी बात कहेंगे। जो आसन को निर्णय करना होगा वह आसन निर्णय करेगा। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, आसन से व्यवस्था हो गयी और जिन चार माननीय सदस्यों को अनुमति मिली आसन से, कि आप अपनी-अपनी बात को सदन में संक्षिप्त में रखेंगे, उसमें तीन ने बोल दिया। चौथे माननीय सदस्य ने जब अपनी बात रखनी प्रारम्भ की, तब चीफ व्हिपजी ने यह कहा कि व्यक्तिगत लांछन नहीं लगाए जाएंगे और 273 का उल्लेख कर दिया। व्यक्तिगत लांछन लगाने की बात नहीं है। सभापति महोदय, जाएं तो जाएं कहां? सदन सर्वोच्च है, राइट आफ इंफार्मेशन की बात सरकार करती है, लेकिन आज दो-ढाई महीने से हर स्तर पर चाहे जिला कलक्टर, अजमेर से बात हो, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा से बात हो, डिवीज़नल कमिश्नर से बात हो, कोई इंफार्मेशन नहीं देना चाहते। सभापति महोदय, जांच हो गई, तहसीलदार ने जमीन को खारिज कर दिया, एडीएम. ने जांच कर दी, उसके बाद भी आप यह कह रहे हैं कि राइट आफ इंफार्मेशन के तहत आपको सूचना देंगे। अब उसी में पूछना चाहता हूं, व्यक्तिगत लांछन की बात नहीं करेंगे, आप अनुमति प्रदान करें।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, यह आश्चर्यजनक बात है।

डा. (श्रीमती) कमला : सभापति महोदय, जो तथ्य सदन के सामने प्रस्तुत किये हैं वे सही हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय अपनी सोच के हिसाब से उसको माने या नहीं माने, यह उनकी मर्जी है। बाकी यह केस, कलक्टर के यहां चल रहा है और जिस अतिरिक्त कमिश्नर को जांच के लिए दिया है उसने कन्वे किया है कि आप मुझसे किसी वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करें। इसलिए केस चल रहा है। खुद कलक्टर से हुई बातचीत के आधार पर मैं आपको बता रही हूं। आप कैसे मना कर रहे हैं, यह मैं समझ नहीं सकी। इसकी तारीख डली हुई है, केस चल रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इस केस में पार्टी कौन-कौन है? पक्षकार कौन-कौन हैं इस केस में, जरा यह बताइए?

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : मैं इसलिए मना कर रहा हूं कि तहसीलदार ने पटवारी की सिफारिश के ऊपर जिन लोगों को भी भूमि का आबंटन किया था उन्होंने निरस्त कर दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : तहसीलदार को अधिकार है। भूमि अलाटमैंट कमेटी को भूमि का अलाटमैंट करे और...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह नहीं बोल रहा हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : अलाटमैंट कमेटी का चेयमरैन एस.डी.ओ. होता है, माननीय विधायक सदस्य होता है, तहसीलदार होता है, विकास अधिकारी होता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : सब पता है, सब होते हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : दो नामिनेटेड व्यक्ति और होते हैं। एक अनुसूचित जाति का सदस्य होता है। अलाटमैंट कमेटी अलाटमैंट करती है उसको तहसीलदार खारिज कर सकता है क्या?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको बता दूं, आप प्रोविजन देख लो, आपको तसल्ली हो जाएगी कि अगर अलाटमैंट में कोई गड़बड़ है तो तहसीलदार कैंसिल कर सकता है, एक नम्बर। दूसरा आपने यह कहा कि इस मामले में 9 व्यक्तियों को जमीन का अलाटमैंट हुआ है। पटवारी ने रिपोर्ट दी कि ये आठ आदमी हैं जो उस अलाटमैंट कमेटी के सदस्य थे और उन्होंने अपने रिश्तेदारों के नाम जमीन अलाट करवाई है। यह पटवारी लिख रहा है, पटवारी ने तहसीलदार को लिखा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप वही बहस पर आएंगे?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैं वही कह रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, 9 आदमियों का वह अलाटमैंट उन्होंने कैंसिल कर दिया।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सम्माननीय डाक्टर किरोड़ी लालजी न उठाकर इस मुद्दे को प्रतिपक्ष के नेता उठा रहे हैं, बात तो एक ही है। बात तो एक ही हुई।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नाम कहां ले रहा हूं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो आसन से व्यवस्था के लिए निवेदन कर रहे हैं। नाम कहां ले रहे हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : बात तो एक ही हुई। खैर, मुद्दा तो पर्ची के माध्यम से उठ रहा है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, न मैं आरोप लगा रहा हूं। आप बैठ जाओ।

श्री हरिसिंह (महुवा) : श्रीमन् मैं आपसे सम्मानपूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि आपकी तो पर्ची भी नहीं थी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी पर्ची नहीं है लेकिन विवाद आपने खड़ा कर दिया इसलिए पर्ची ही है। सभापति महोदय, मैं न तो नाम लेऊंगा, न आरोप लगाऊंगा, बात इतनी-सी है...

श्री सी. पी. जोशी : पर आप एक रोंग परम्परा को प्रारम्भ करेंगे। आप नाम भी नहीं लेंगे...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : रोंग परम्परा नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : रोंग परम्परा है। आज दिन तक इस सदन के मैम्बर के प्रोटेक्शन के बारे में आप बोलते रहे हैं।

(श्री सी.पी.जोशी)

चालीस साल से आप कहते रहे हैं कि सदन के सदस्य के साथ यह हो रहा है, तब आप इन्टरवीन करते हैं। आज एक सदस्य के सम्बन्ध में पाइंट आउट कर रहे हैं। वह माननीय सदस्य है, आप प्रक्रिया का फालो कर लें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह ठीक है आपका कहना।

श्री सी. पी. जोशी : आरोप लगा लें। जब आप यही बात करो तो आज वही चीजें, 50 साल तक आप इण्डिविजुअल मैम्बर के राइट को प्रोटेक्शन की बात करते रहे, आज इस राइट को डॉक में डालकर हम क्या गेन करना चाहते हैं? जब आप खुद हमारी परम्पराओं के...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री सी. पी. जोशी : इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बाद में उठा लें। लेकिन आप यह कहें कि परम्पराओं के अंदर किसी माननीय सदस्य के खिलाफ...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात से सहमत हूं कि किसी भी मैम्बर पर आरोप लगाए जाएं तो निश्चित रूप से उसको पहले नोटिस मिलना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस मामले पर विधान सभा में पहले तीन घण्टे तक चर्चा हुई है। (व्यवधान) मेरी सुन लो। तीन घण्टे की चर्चा के बाद में गवर्नमेंट ने इसकी इनक्वायरी करवाई। अब जो कुछ यह चर्चा कर रहे हैं, यह आरोप नहीं लगा रहे हैं, उस जांच रिपोर्ट के अंदर जो तथ्य आए हैं, उन तथ्यों को सदन के अन्दर रख रहे हैं, गवर्नमेंट के डाकूमेंट को। अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहे हैं, गवर्नमेंट का जो डाकूमेंट है, उसको हाउस में रख रहे हैं या उसको पढ़ रहे हैं। अब उसमें इन्डाइरेक्टली या डाइरेक्टली कोई इन्वाल्व्ड है तो वह सवाल इन्होंने वहां उठा लिया। जिस समय कैंसिलेशन हुआ उस समय उठा लिया। कैंसिलेशन के बाद में जब एडीएम. ने जानकारी की, उस समय उठा लिया। एडीएम. ने नोटिस जारी किया, उस आसोप गांव या कौनसा गांव है, उसके लिए, कि इस प्रकार का व्यक्ति आसोप में कोई हो तो 15 दिन का, सभापति महोदय, नोटिस दिया कि इस प्रकार के नाम का कोई व्यक्ति आसोप में हो तो 15 दिन के अंदर-अंदर राज्य सरकार को या एडीएम. को बता दे। उसने उसकी कोई जानकारी नहीं दी। उस आधार पर उन्होंने रिपोर्ट दे दी और उस भेजी गई रिपोर्ट के कंटेंट सुना रहे हैं। अब कंटेंट सुनाने में भी आप कहें कि आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं लगा रहे हैं, केवल कंटेंट सुना रहे हैं। वह कंटेंट आपको सुन लेना चाहिए।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय। कई बातें सामने आई और आपने कहा कि रिपोर्ट हो चुकी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, मैं आपसे गाइडेंस चाहूंगा कि जो मामला सबजुडिस है, जैसा कि माननीय राजस्व मंत्री महोदया

(श्री सभापति)

ने कहा, सदन में नई बात आई है कि यह मामला अभी सबजुडिस है, इसकी कार्यवाही चल रही है, तो क्या प्रतिपक्ष के नेता महोदय इसको उचित समझते हैं, जहां कोई इनक्वायरी चल रही हो उस मामले को यहां डिस्कस करना चाहते हैं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपको इतना बता सकता हूं कि सबजुडिस की आड़ लेना सरकार की तरफ से, इस सारे मामले को—

श्री सभापति : सरकार की तरफ से नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : और कौन ले रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : आप नियम और कानून में माननीय सदस्य के खिलाफ लाएं, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपको यह परम्परा भी नहीं डालनी चाहिए कि पर्ची के नाम पर हम सरकारी आदमी को डॉक में डालें। आरोप लगाएं, अखबारों में आता रहे, यह जो परम्परा है, वह भी ठीक नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, वह बात नहीं है, बात दूसरी आ गई है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आरोप नहीं लगा रहा हूं।

श्री सभापति : वह बात नहीं है। दूसरी बात आ गई कि जो मामला सबजुडिस है, राजस्व मंत्री महोदया ने कहा है इसलिए उनकी बात को हम सही मानते हुए मैं आपसे यह गाइडेंस चाहूंगा कि क्या जो सबजुडिस मामला है, उसको यहां पर डिस्कस करें? इसको आप और वैरीफाई कर लीजिए।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जरूरत नहीं है वैरीफाई करने की।

श्री सभापति : मेरा निवेदन सुन लीजिए कि इस मामले में कोई जल्दी नहीं है, दो साल से मामला चलता आ रहा है, आज भी चल रहा है। आप कल तक, परसों तक इस मामले के पूरे फैक्ट्स की जानकारी कर लीजिए कि सबजुडिस है या नहीं, कहीं इनक्वायरी कलक्टर के यहां या कहीं चल रही है या नहीं चल रही है। उसके बाद में उठा सकते हैं इसको। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आज इस मामले को यहीं ड्राप करके कल, परसों जब भी आपको सहूलियत हो, इसको उठा लीजिए। इतना प्रेस्टीज इश्यू क्यों बनाएं इसको?

श्री भैरोंसिह शेखावत : मैं इतना निवेदन कर दूं कि यह मैटर सबजुडिस नहीं है। (व्यवधान) उठा रहे हैं, यह दूसरी बात है, यह नहीं है। इसकी दो लाइन पढ़ कर सुना देता हूं, मैंने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा है—(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप आलवेज बोल सकते हैं लेकिन जिस पर्ची पर मुद्दा चल रहा है, आपका तो अधिकार है, आप लीडर आफ अपोजिशन हैं, यू केन

(श्री सी.पी.जोशी)

इन्टरवीन इन इट, परन्तु आप जिस मुद्दे पर बोल रहे हैं उसमें आप इन्टरवीन करके परम्परा डाल रहे हैं जो ठीक नहीं है। आपका अधिकार है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह नहीं है। मैं आपकी बात को मानता हूं।

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता महोदय से अनुरोध करना चाहूंगा कि आपका व्यक्तित्व महान है और आप जब बोलते हैं उसका यहां सदन में प्रभाव भी पड़ता है, लोग आपको शांतिपूर्वक सुनते भी हैं, आपकी बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं। लेकिन आप अपने इस व्यक्तित्व के प्रभाव का कृपया इस प्रकार प्रयोग न करें कि हमारे प्रक्रिया के रूल्स हैं उन पर कुठाराघात हो मेरा अनुरोध है आपसे कि हमारी प्रक्रिया में हमारे पास दूसरे भी नियम हैं जिनके तहत हम कालिंग अटेंशन मोशन ला सकते हैं, एडजार्नमैंट मोशन ला सकते हैं, 127, 119, कहीं भी इसको फिट करके ला सकते हैं। लेकिन आपके व्यक्तित्व का इस ढंग से प्रयोग न करें कि इन रूल्स पर कुठाराघात हो। आपने खुद ने जो इन परम्पराओं को डाला है और इनको लागू कराने में बहुत बड़ी भागीदारी आपकी रही है, इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि पर्ची सिस्टम को पर्ची सिस्टम ही कृपया रहने दें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : परम्परा मैंने नहीं बनाई, आप लोगों ने बनाई है।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : सभापति महोदय, मैं आपसे ही क्लैरीफिकेशन यह चाहूंगा, आपने व्यवस्था दी है अभी थोड़े दिन पहले, उसमें आपने कहा कि रूल 273 के तहत नोटिस दिया जाना जरूरी है। माननीय सदस्य ने कोई नोटिस न ही सैक्रेटेरिएट को दिया और न किसी माननीय सदस्य को दिया। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपसे जानकारी चाहूंगा कि चर्चा के अंदर बातें सब आपने उनसे कहलवा दीं, इसको तो आप कम से कम रुकवा दें। आप व्यवस्था दें कि जब 273 का उल्लंघन हुआ है तो अब चर्चा को यहीं समाप्त करके...

श्री सभापति : इस चर्चा को सीमित करने की ही चेष्टा कर रहा हूं, और मेरे खयाल से उचित यही होगा कि इसको यहीं रोक दें।

श्री दिग्विजय सिंह : चर्चा सीमित करके, 273 का उल्लंघन आपने माना है। और आपने निर्देश दिया है कि 273 के तहत कार्यवाही नहीं हुई है उसको आप यहीं रोक दीजिए। अब सबजुडिस है या नहीं, वह तो डिफरेंट मैटर है। माननीय प्रतिपक्ष के नेता ने मुख्य मंत्री को चिट्ठी लिखी कि नहीं लिखी वह अलग बात है।

श्री सभापति : इसको आप कल-परसों उठा लीजिए, क्या फर्क पड़ता है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है, आप तारीख तय कर दीजिए।

श्री सभापति : तारीख लेने के लिए नोटिस दो। आप नियमों की प्रक्रिया को पूरा कर देंगे उसी समय आपको टाइम मिल जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पर्ची के आधार पर जो अनुमति दी है, वह एक-दो दिन बाद में कब आप अनुमति देंगे, बता दीजिए।

श्री सभापति : जब आप लेओगे तब दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हम तो परसों चाहेंगे ।

श्री सभापति : हां, दे देंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ठीक है।

श्री सभापति : क्या फर्क पड़ता है?

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

श्री छोगाराम बाकोलिया, यातायात मंत्री राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35 (3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखेंगे।

राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 36वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1999-2000

श्री छोगाराम बाकोलिया (यातायात मंत्री) : सभापति महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 की धारा 35(3) के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम का 36वां प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : श्री तैयब हुसैन।

राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 1999-2000

श्री तैयब हुसैन (कृषि मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की धारा 32(4) के अन्तर्गत राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1999-2000 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति : आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2001-2002 अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान। श्री सी. पी. जोशी, शिक्षा मंत्री।

अनुदान की मांग

मांग संख्या-24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति की प्रस्तुति

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या–24 शिक्षा, कला एवं संस्कृति के संबंध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 33,98,01,01,000/- (तैंतीस अरब अठानवे करोड़ एक लाख एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

मांग संख्या-24 पर कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-24 मुख्य शीर्षक शिक्षा, कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय :—

श्री केसाराम चौधरी (खारची)

1. खारची विधान सभा के धनला उच्च माध्यमिक विद्यालय को कृषि महाविद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

2. खारची विधान सभा क्षेत्र में जोजावर माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

3. खारची विधान सभा क्षेत्र में निपल उच्च प्राथमिक विद्यालय को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

4. खारची विधान सभा क्षेत्र के सिवाड़ा ग्राम में ग्रामीण कला के लिए रंगमंच बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा)

5. ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित उच्च प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च मध्यमिक स्कूलों में अध्यापकों की कमी से छात्रों की पढ़ाई पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों पर चर्चा के लिए।

6. राज्य में प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में किये जा रहे विभिन्न परीक्षण से प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों की जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

7. झुंझुनूं जिले के उदयपुरवाटी कस्बे में स्थापित राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय में लम्बे अर्से से प्रिंसिपल/प्रधानाध्यापक के खाली पड़े पद को भरने पर चर्चा के लिए।

8. पंचायत समिति क्षेत्रों में चलाई जा रही प्राथमिक शिक्षा/डी.पी.ई.पी./साक्षरता/उत्तर साक्षरता/आंगनबाड़ी/शिक्षाकर्मी/राजीव पाठशालाएं आदि कार्यक्रमों के आपसी सहयोग नियंत्रण व सामंजस्य आदि में हो रही कमी एवं अस्पष्ट दिशा-निर्देशों के कारण हो रहे नुकसान पर चर्चा के लिए।

9. प्राथमिक शिक्षा के संबंध में पंचायत समिति विकास अधिकारी/प्रधान तथा ब्लाक शिक्षा अधिकारी के अधिकारों, कर्तव्यों तथा आपसी सहयोग पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा)

10. पचपदरा विधान सभा क्षेत्र के ग्राम गिड़ा, कुड़ी और चांदेसरा राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय को

(श्री अमराराम चौधरी)

क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

11. कानाना माध्यमिक विद्यालय (बाड़मेर) और पारलू माध्यमिक विद्यालय को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री अमीन खान (शिव)

12. सीमावर्ती जिला बाड़मेर में अध्यापकों की भर्ती में जिला परिषद द्वारा स्थानीय अध्यापकों की भर्ती का विशेष अधिकार देने पर चर्चा के लिए।

13. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों की हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी व मिडल स्कूल में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

14. बाड़मेर, जैसलमेर जिलों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में लगे शिक्षा सहयोगियों को नियमित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा)

15. कला एवं संस्कृति विभाग द्वारा राजस्थान की मूल संस्कृति एवं मौलिक कला को विकृत करने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

16. अनेक विश्वविद्यालय खोलने के बावजूद भी राजस्थान में स्थित सभी विश्वविद्यालयों के गिरते हुए शैक्षणिक स्तर पर चर्चा के लिए।

17. राजकीय शालाओं में अध्यापकों की कमी एवं भवनों के अपूर्ण तथा सामग्री के अभाव पर चर्चा के लिए।

18. राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम पर सरकार द्वारा नियमित प्राथमिक शालाएं नहीं खोलने से ग्रामीण बच्चों को शिक्षा से वंचित करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

19. शिक्षा का प्रचार-प्रसार कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा)

20. सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के सैकण्डरी स्कूल मोखुन्दा को सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

21. सहाड़ा विधान सभा क्षेत्र के गांव नाहरी के सैकण्डरी स्कूल को विभाग से सभी मापदण्ड पूरा कर देने पर भी सीनियर सैकण्डरी स्कूल में क्रमोन्नत नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

22. पंचायत समिति सहाड़ा, जिला भीलवाड़ा में अध्यापकों के अनियमित स्थानान्तरणों से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर)

23. श्रीगंगानगर में मेडिकल या इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के संबंध में चर्चा के लिए।

24. चौ. बल्लू राम गौदारा राजकीय गर्ल्स कालेज में स्मैक सप्लाई की जांच करवाने के संबंध में चर्चा के लिए।

25. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र में स्कूलों के क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

26. शिक्षा विभाग में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

27. श्रीगंगानगर विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों के भवनों की मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

28. राजकीय सीनियर माध्यमिक विद्यालय, गुढ़ामलानी, धोरीमना, रावतसर, चवा, आडेला, सिणधरी, भूणिया में रिक्त पदों के कारण कई संकाय बंद हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

29. राजकीय माध्यमिक विद्यालय, खत्रियों की बेरी, अरणियाली, कोजा, भेडाना, लोहारना नगर, रामजी का गोल, नोखड़ा, सरणू, मेहलू, होडू, छोटू में विषयवार रिक्त पदों पर वरिष्ठ अध्यापकों से भरे जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर)

30. शिक्षा विभाग द्वारा संस्कृत शिक्षा के महत्व को देखते हुए कक्षा तृतीय से प्रारम्भिक शिक्षा प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

31. शिक्षा विभाग द्वारा अनिवार्य शिक्षा संविधान के नीति निर्देश तत्वों के अन्तर्गत शीघ्र प्रारम्भ किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

32. शिक्षा विभाग द्वारा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय (छात्र एवं छात्राओं) की संख्या एवं दूरी के अनुसार क्रमोन्नत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

33. शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत होने के एक वर्ष की अवधि में पूर्ण अध्यापकों की पदस्थापना किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

34. विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के लिए कक्षा प्रथम के लिए समानीकरण के आधार पर अध्यापक संख्या सुनिश्चित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़)

35. प्रतापगढ़ विधान सभा क्षेत्र में चल रहे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं)

36. विभाग द्वारा राजकीय जौहरी उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा छात्रों को ट्यूशन के लिए बाध्य करने की शिकायतें संस्था के प्राचार्य द्वारा किये जाने के बाद भी उच्च अधिकारी द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर चर्चा के लिए।

37. समानीकरण के नाम से शिक्षकों के स्थानान्तरण में जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किये गये घोटालों पर चर्चा के लिए।

38. विभाग द्वारा विद्यार्थियों के पुस्तकों के बोझ को कम करने को अंतिम रूप अभी तक नहीं दिये जाने की स्थिति पर चर्चा के लिए।

39. राजीव गांधी पाठशालाओं में छात्रों की संख्या के अनुपात में अध्यापकों को नहीं लगाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

40. ग्रामीण क्षेत्रों में राजीव गांधी पाठशालाओं की उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए अधिक पाठशालाएं खोलने में देरी के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर)

41. विभाग द्वारा श्री पन्नालाल चितलांगिया हायर सैकण्डरी स्कूल में विज्ञान संकाय बन्द किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

42. विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कृषि विभाग संकाय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

43. विभाग द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, कोलीडा में कृषि संकाय की शिक्षा बन्द कर दिये जाने से उपजे जनाक्रोष के संबंध में चर्चा के लिए।

44. शेखावाटी म्यूजियम सीकर का पिछले 07 वर्षों से निर्माण होने के बावजूद उद्घाटन न होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. विभाग द्वारा श्री कल्याण कालेज, सीकर में कामर्स संकाय हेतु अलग महाविद्यालय बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू)

46. विभाग द्वारा चूरू के माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में कम्प्यूटरों की व्यवस्था नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

47. हरियादेवी सैकण्डरी कन्या विद्यालय, दुधवाखारा (चूरू) में विगत 02 सत्रों से विषय अध्यापक पदस्थापित नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

48. महाविद्यालय व विश्वविद्यालय के छात्रों के शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्क कम करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

49. चूरू तहसील के कई गांवों में राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला के भवन नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

50. चूरू जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान में हुए गबन पर कार्यवाही नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा)

51. राज्य में विद्यालयों, कालेजों एवं प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री हीरालाल सहरिया (किशनगंज)

52. विधान सभा क्षेत्र किशनगंज जिला बारां में महाविद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी)

53. बालिका फाउण्डेशन बनाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

54. राजस्थान में एसटीसी. एवं बी.एड. प्रशिक्षण की उपयोगिता समाप्त होने से ग्रामीण बालकों का भविष्य अंधकारमय होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

55. राज्य शैक्षिक प्रशिक्षण अनुसंधान उदयपुर की मान्यता सम्पूर्ण देश में होने पर भी वर्तमान में उसकी उपयोगिता पर लगे प्रश्न चिन्ह से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बढ़ी फीस के कारण वर्ष 2001 में परीक्षा देने वाले छात्रों की संख्या में हुई कमी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

57. विभाग द्वारा कम्प्युटर शिक्षा के नाम से छात्रों से की जा रही वसूली से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू)

58. विधान सभा क्षेत्र दूदू में कालेज खोले जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र दूदू के माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र दूदू में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर)

61. नगर, सीकरी, गुलपाड़ा, गोपालगढ़, मूंडिया खोहरी, मानोता पहाड़ी, सैमला आदि जगहों के सैकण्डरी व सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में पर्याप्त अध्यापक नहीं लगाने से छात्र व

(मोहम्मद माहिर आजाद)

छात्राओं को हो रही भारी असुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

62. राजकीय महाविद्यालय गोविन्दगढ़ (भरतपुर) बारां व भरतपुर महाविद्यालयों में उर्दू विभाग नहीं खोलने से उर्दू अध्यापन के लिए प्रशिक्षित छात्रों को हो रही असुविधा के संबंध में चर्चा के लिए।

63. प्रदेश में अल्पसंख्यकों को शिक्षित एवं जाग्रत करने, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य में मध्य प्रदेश व अन्य प्रान्तों की भांति मदरसा बोर्ड के गठन नहीं करने से तथा उक्त बाबत् आवंटित राशि वक्फ बोर्ड के पास बेकार पड़ी रहने अर्थात् उपयोग में नहीं लाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

64. जामिया उर्दू अलीगढ़ की मोअल्लिम उर्दू (बी.एड.) अदीब-ए कामिल को (बी.ए.) अदीब-ए माहिर को (इण्टर) अदीब को (मैट्रिक) इब्तेदाई को (मिडल) के समकक्ष पूर्व की मान्यता को अमल में नहीं लाने से उत्पन्न असंतोष पर चर्चा के लिए।

65. विगत 10 वर्षों में मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति से रिक्त हुए तथा नव-सृजित उर्दू अध्यापकों के रिक्त पदों को नहीं भरने से व्याप्त भारी जन आक्रोष को शीघ्र समाप्त करने हेतु चर्चा के लिए।

श्री मांगीलाल डांगा (मेड़ता)

66. राजकीय प्राथमिक विद्यालय जावली, उचियाड़ा, दासावास, माणकियावास, केरिया, माकंड़ा, करकवाल को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

67. राज्य के विद्यालयों में सभी श्रेणी के अध्यापकों के रिक्त पद भरने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

68. राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बड़गांव, मोररा, चावण्डिया, टालनपुर, खेड़ूली, लाडवा को माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के क्रम में चर्चा के लिए।

श्री रतन लाल ताम्बी (जहाजपुर)

69. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में महाविद्यालय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, सीनियर माध्यमिक, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री वृद्धि चन्द जैन (बाड़मेर) एवं
श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी)

70. राज्य की शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन करने, विशेष तौर से नैतिक शिक्षा की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

71. राज्य के सभी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक एवं महाविद्यालय में अध्यापकों एवं व्याख्याताओं के रिक्त स्थानों को नहीं भरने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़)

72. राजस्थान के विभिन्न विश्वविद्यालयों में आरक्षण नीति के स्पष्टीकरण एवं नयी नियुक्तियों में छूट देने के क्रम में चर्चा के लिए।

73. ग्रामीण क्षेत्र में महिला महाविद्यालय शिक्षा के लिए सरकार की स्पष्ट नीति न होने पर चर्चा के लिए।

74. नीमराणा (बहरोड़) में वर्ष 1999-2000 में स्वीकृत औद्योगिक संस्थान आई.टी.आई. के लिए बजट स्वीकृति की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

75. राजस्थान विश्वविद्यालय में गत 50 वर्षों से अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षित पदों के बैकलाग को नयी भर्तियों द्वारा पूर्ण करने पर चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (धोद)

76. सीकर से श्री कल्याण उच्च माध्यमिक विद्यालय एवं माधो स्कूल के खेल मैदानों पर हुए अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा नहीं हटाये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

77. राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय धोद सीकर में अध्यापकों के रिक्त पदों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

78. शिक्षक समानीकरण में कक्षा एक एवं दो के विद्यार्थियों की गणना नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में चर्चा के लिए।

79. राज्य में विद्यालयों में शिक्षकों की कमी के संबंध में चर्चा के लिए।

80. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर 2001 की परीक्षाओं में हुई धांधलियों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी)

81. सरवाड़ (अजमेर) में महाविद्यालय, केकड़ी (अजमेर) में कन्या महाविद्यालय खोलने एवं सरवाड़ दरगाह शरीफ को पर्यटन स्थल घोषित करके, विकास व विस्तार तथा सौन्दर्यकरण, सरवाड़ किले को पुरातत्व के तहत जिर्णोद्धार करके पर्यटन के लिए खोलने तथा बघेरा (केकड़ी) में पर्यटन स्थल बनाने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामचन्द्र सराधना (जमुवारामगढ़)

82. विद्यालय शिक्षकों, विषय अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों की कमी पूर्ति की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री आदराम मेघवाल (टीब्बी)

83. विधान सभा टिब्बी क्षेत्र के 23 एन.डी.आर. हनुमानगढ़ पंचायत समिति 9 चक मेघपुर (पंचायत समिति नोहर) कलाना वाली ढाणी 4 एस.बी.डी. कुम्हारा की ढाणी 2 के.बी.एम. पंचायत समिति नोहर में प्राथमिक पाठशालाओं को मिडल

(श्री आदराम मेघवाल)

स्तर तक क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिए।

84. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के क्रमोन्नत किए गए स्कूलों में (धन्नासर, मोधूनगर) रिक्त पड़े अध्यापकों के पदों को भरने बाबत चर्चा के लिए।

85. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी में चाईया, भोमपुरा, बांगासर, श्योदानपुरा, भेरूसरी, जोरावरपुरा, लखुवाली आदि ग्रामों के छात्रों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए मिडल से सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत करने बाबत चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र टिब्बी के ग्राम मोधुनगर (2 जेड.डब्ल्यू.डी.ए.) में बालिका प्राथमिक विद्यालय खोलने, ग्राम बेहड़ा चक। जेड.डब्ल्यू.एम. में प्राथमिक विद्यालय, चक थालोड़ 3 जेड.डब्ल्यू.एम. में प्राथमिक विद्यालय तथा न्योंलखी ग्राम पंचायत के ढाणियों के चक में प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़)

87. शिक्षा कला एवं संस्कृति की अभिवृद्धि एवं विभिन्न सुझावों के संबंध में चर्चा के लिए।

श्री रमजान खान (पुष्कर)

88. राज्य की राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओं में प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति करने के संबंध में चर्चा के लिए।

89. पीसांगन (अजमेर) में महाविद्यालय खोलने के संबंध में चर्चा के लिए।

90. सरकार द्वारा घोषित 400 तृतीय श्रेणी एवं 200 द्वितीय श्रेणी के उर्दू अध्यापकों के सम्पूर्ण पद नहीं भरने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

91. ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में छात्रों के अनुपात में अध्यापकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने के संबंध में चर्चा के लिए।

92. पंचायत समिति पीसांगन (अजमेर) के ग्राम श्योपुरा एवं पंचायत समिति श्रीनगर (अजमेर) के ग्राम सरान में प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी)

93. फलौदी में शिक्षा पाने वालों का बोर्ड परीक्षा केन्द्र जैसलमेर की बजाय फलौदी में ही स्थापित किये जाने हेतु चर्चा के लिए।

94. फलौदी विधान सभा क्षेत्र (जिला जोधपुर) में शिक्षा सत्र 1999-2000 में एक भी विद्यालय क्रमोन्नत नहीं

(श्री रामनारायण विश्नोई)

करने से व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए।

95. फलौदी (जोधपुर) में नये चालू किये गये राजकीय महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए समुचित भवन निर्माण, आवश्यक फर्नीचर व स्टाफ उपलब्ध कराने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़)

96. राज्य सरकार द्वारा बांसवाड़ा जिले में शिक्षकों की कमी को पूर्ण करने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं)

97. विभिन्न स्तर की स्कूलों की क्रमोन्नती में राजनैतिक भेदभाव पर चर्चा के लिए।

98. राजस्थान की कला एवं संस्कृति के संरक्षण की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

99. विभिन्न स्तर की स्कूलों में पड़े अध्यापकों के रिक्त पदों के कारण विद्यार्थियों को हो रहे नुकसान की भरपाई पर चर्चा के लिए।

श्री कुबेर सिंह (फलासिया)

100. जिला उदयपुर के विद्यालयों में प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही खरीद में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

101. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में आदिवासी महिलाओं में शिक्षा का प्रचार-प्रसार कर उनको शिक्षित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

102. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में छात्र संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पद स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

103. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयपुर) में अध्यापकों के रिक्त पदों को अभी तक नहीं भरे जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

104. निर्वाचन क्षेत्र फलासिया (उदयुपर) में दो किलोमीटर की परिधि में उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री ललित भाटी (अजमेर)

105. अजमेर के तोपदड़ा सीनियर सैकण्डरी स्कूल प्रांगण स्थित अनुसूचित जाति, जनजाति मेघावी छात्र, छात्रावास में मूलभूत आवश्यकताओं के संबंध में चर्चा के लिए।

106. निजी क्षेत्र में प्राथमिक से सीनियर सैकण्डरी स्तर स्कूलों के खोलने एवं उनके द्वारा वसूल की जाने वाली फीस के अनुपात में सुविधाएं दिये जाने के संबंध में चर्चा के लिए।

(श्री ललित भाटी)

107. राज्य के राजकीय स्कूलों में अध्यापकों एवं प्रधानाध्यापकों में बढ़ती आचारहीनता एवं व्यवहार संहिता के संबंध में चर्चा के लिए।

108. अजमेर स्थित महिला एवं पुरुष आई.टी.आई. में नवीन उद्योग पाठ्यक्रम शुरू करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. राजकीय महाविद्यालय अजमेर में एल.एल.एम. कक्षाएं शुरू किये जाने की महत्ती आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

मांग संख्या 24 पर विचार

श्री सभापति : माननीय श्री अमीन खान।

श्री अमीन खान (शिव) : सभापति महोदय, मांग संख्या 24—शिक्षा, संस्कृति और कला की मांग जो माननीय मंत्रीजी ने पेश की है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि गरीब से गरीब ढाणियों के लोग कहीं स्कूलों से प्राइमरी शिक्षा लेने के लिए जो वंचित थे, महरूम थे उन लोगों को शिक्षा मंत्रीजी ने बहुत अच्छी सुविधा दी जिससे लाखों की तादाद में पिछले दो साल में राजस्थान के धोरों में और पीने के पानी या यातायात की असुविधा की जगह भी गरीब लोग अपने बच्चे और बच्चियों को स्कूलों में डाल सके और पढ़ाई शुरू हुई है। आजादी के बाद से आज तक शिक्षा के बारे में या अन्य बारे में बहुत तरक्की हुई है, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं कुदरती जहां हर तरह की सुविधा नहीं होने से आज भी लोग शिक्षा से वंचित हैं। उन लोगों को शिक्षा देने का एक मौका इस सरकार के शिक्षा मंत्रीजी ने दिया, जिसके लिए हम इनको बहुत-बहुत धन्यवाद देते हैं।

सभापति महोदय, हमारा जिला हिन्दुस्तान में और राजस्थान में कलंक के नीचे था जिसका शिक्षा स्तर सबसे नीचे था। मेरी तहसील में महिलाओं की शिक्षा मात्र सात प्रतिशत थी। इस जनगणना के आंकड़ों से हमने देखा, हमारी तहसील में भी महिलाओं का शिक्षा का स्तर 35 प्रतिशत आया और सारे लोगों का शिक्षा का स्तर 61 प्रतिशत आया जबकि हमारे जिले की शिक्षा का स्तर 22 था। यह साफ जाहिर है कि इस सरकार ने पिछले दो सालों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल किया है। धोरों में जहां लोगों को असुविधा थी, हर किलोमीटर पर, हर धोरे में एक राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला होने से यह शिक्षा के आंकड़े बढ़े हैं। इस बढ़त से हमें यह आशा जगी है कि जिस इलाके के लोग पढ़ने में समझते नहीं थे, भविष्य में लोग पढ़ने के रास्ते पर चल पाएंगे। इसके साथ-साथ सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और मिडल स्कूलों का भी पिछले दो सालों में अच्छा विस्तार हुआ जिससे भी गरीबों के बच्चे पढ़ने के लिए आगे आये।

(श्री अमीन खान)

इसके साथ-साथ मैं शिक्षा मंत्री को मेरे वहां की समस्या का एक सुझाव देकर उनका ध्यानाकर्षित करना चाहता हूं, शिक्षा मंत्रीजी, उस पर आप अपने गहन दिमाग से गौर करें। हमारा जिला हमेशा से अध्यापकों के रिक्त पदों का शिकार रहा और अभी तक भी हालत वही है। फिलहाल की जो व्यवस्था है वह चालू रही तो हमें पूरा शक और डर है कि हम शिक्षा के रिक्त पदों के शिकार हमेशा होते रहेंगे जिससे वहां की शिक्षा कमजोर होगी। उदाहरण के तौर पर शिक्षा का स्तर राजस्थान में झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर इन जिलों में अच्छा है। यहां के अच्छे अफसरों के लड़के या अच्छे सुविधाजन के लड़के अच्छी तरह से पढ़ाई करके जो मैरिट हासिल करते हैं वह बाड़मेर, जैसलमेर के गरीबों के बच्चे कतई हासिल नहीं कर सकते। हमें इनसे विरोध नहीं है। यहां के मास्टर हमारे जिलों में रहें, उन्होंने हमारे स्थानीय अध्यापकों से भी अच्छी पढ़ाई हमारे बच्चों को करायी। हम उनसे बहुत खुश हैं। अगर सरकार कोई ऐसा बंदोबस्त कर दे कि वे मास्टर तानौकरी वहीं रहेंगे तब तो हम खुश हैं, लेकिन प्रजातंत्र में आप और हम रोक नहीं सकते। ज्योंही इधर वेकेंसी खाली होती है वह सिफारिशें कराकर अपने-अपने गांव में पहुंच जाते हैं और हमारी स्थिति वही की वही रह जाती है। यह हमारे साथ एक बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय हम महसूस करते हैं।

इसका इलाज तो यह है, पहले यह व्यवस्था थी कि वहां की जिला परिषद्, पंचायत समिति को मास्टरों की नियुक्ति करने का अधिकार था। वे खुद नियुक्ति करते थे तब लोकल अध्यापक भर्ती हो जाते थे। उस लोकल भर्ती की वजह से बाहर के मास्टरों को वहां नौकरी मुश्किल थी। फिर कोई हाई कोर्ट का फैसला हुआ या बीजेपी. की सरकार ने फैसला कर दिया कि मैरिट पर आओ और नौकरी ले जाओ। मैरिट के लिए मैंने पहले ही गुजारिश की कि हमारे बच्चे कभी भी दूसरे बच्चों के मुकाबले में नहीं आ सकते। इसके साथ-साथ हमको यह भी शिकायत है कि फर्जी डिग्री लेकर बिहार से, यू.पी. से, अन्य प्रान्तों से लोग आ जाते हैं। सभापति महोदय, यह बात आप भी जानते हैं, सारा सदन जानता है कि फर्जी नम्बर वाले का मुकाबला मेहनत करने वाला बच्चा कभी नहीं कर सकता। फर्जी नम्बर लाने वाला 95 परसेंट ला सकता है, 85 परसेंट ला सकता है, लेकिन गरीब, देहाती का पढ़ा बच्चा कितनी भी मेहनत कराओ, 60 प्रतिशत से ज्यादा उसके आए नहीं। इसलिए ये फर्जी डिग्री वाले लोग ज्यादा प्रवेश कर लेते हैं। इन फर्जी लोगों का उद्धार हो गया और गरीब मेहनत करने वाले को अपनी मेहनत से वंचित रखा गया।

अभी एक दुःखद मामला हमने सुना है, हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि बोनस अंक जो दिये जाते थे वह नहीं दिये जाएं। बोनस अंक देने से स्थानीय गरीब

(श्री अमीन खान)

मास्टरों को वहां रहने का हक मिलता था और इसलिए वहां मास्टर स्थायी रह सकते थे, जबकि बोनस के अंक नहीं देते तो फर्जी मामले वाले लोग ज्यादा आते हैं। इस पर विचार करना चाहिए।

चौधरी देवीलालजी ने हिन्दुस्तान के गरीबों को कर्जा माफ करने का निर्णय लिया। उनकी मंशा साफ थी, निर्णय अच्छा था, लेकिन आप और हम सब जानते हैं कि गरीब आदमी को कर्जा 90 परसेंट भी माफ नहीं हुआ और लुच्चे, चोर और चीटिंग करने वाले आदमियों को सेंट-परसेंट माफ हो गया। कोई शरीफ काश्तकार ने तो आधी किस्त जमा कर दी, 30 परसेंट कर दी, वो ओवर ड्यू में आया नहीं और कर्जा माफ हुआ ओवरड्यू वालों का। यही हालत है कि फर्जी डिग्री लेने वाले आदमी की नौकरी लग जाएं, फिर अपने-अपने जिलों में चले जाएं। प्रजातंत्र में कोई लोहे की लकीर का मामला नहीं है। आपको कानून में तब्दील करनी पड़े तो पड़े, लेकिन कोर्ट के सामने हारना नहीं पड़े, ऐसा इंतजाम करें। या तो हमारे जिले को पिछड़ा जिला घोषित किया जाए जिस प्रकार से उदयपुर, बांसवाड़ा में है। अगर पिछड़ा घोषित न करें तो वहां की जिला परिषद् को अपनी तरफ से नियुक्ति करने का अधिकार प्रदान करें और जिस क्वालिफिकेशन में बी.एड., एम.एड. के लड़के होने से वे आराम से भर्ती कर सकें। इसके अलावा भी वहां की वेकेंसी खाली रहती हैं तो बाहर के किसी को भी भर्ती कर दिया जाए। यह हमारी विशेष मांग है। हमेशा से यह तकलीफ हम कहते आये हैं और हमारी तकलीफ आज तक भी बरकरार है। इसलिए, सभापति महोदय, मेरी सरकार से बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि अगर वहां के गरीबों को, वहां की गरीब लड़कियों को, वहां के मजदूर किसानों को शिक्षा के स्तर में दूसरे इंसानों के बराबर लाने का ही इरादा है तो वहां की अध्यापकों की भर्ती में व्यवस्था आपको स्पेशल करनी पड़ेगी। अगर ऐसा आपने कर दिया तो वहां के गरीब लोग आपको हमेशा दुआएं देंगे और आपकी वाहवाही करेंगे। एक अच्छे इन्सान के साथ अच्छे सलूक का यह फैसला होगा। यही मेरी एक मांग है।

इसके साथ मेरा निवेदन है कि अभी आपने पंचायत समिति में बी.ई.ओ. की पोस्ट कर दी। यह सब बिलकुल जाहिल लोग जिस तरह से करते हैं, वह फैसला समझ में आ रहा है और हम इतने ज्ञानी नहीं हैं, वह भी समझ में बाद में आया। ब्लाक एजुकेशन आफिसर एक रख दिया है और तनख्वाह देता है विकास अधिकारी। ब्लाक एजुकेशन आफिसर के पास कोई स्टाफ नहीं, ब्लाक एजुकेशन आफिसर के पास कोई आफिस नहीं और ब्लाक एजुकेशन आफिसर तनख्वाह देने में सक्षम नहीं। तो या तो इस आपके ब्लाक एजुकेशन आफिसर को विकास अधिकारी के अंदर में रखें अन्यथा ब्लाक एजुकेशन आफिसर का अलग से दफ्तर कायम करें। उनका साधन उनके लिए मुक्विल हो ताकि

(श्री अमीन खान)

वे शिक्षा का चैक-अप कर सकें। अन्यथा यह मामला चैक कम हो रहा है और इससे फर्जी मामला ज्यादा होने का शक है। शिक्षा का स्तर इस मामले से गिरेगा। पर ब्लाक एजुकेशन आफिसर को अलग से स्वतंत्र कर दिया तो पंचायती राज कानून और पंचायती राज संस्थाओं को जो अपन अधिकार के वायदे करते हैं उसकी भी खिलाफत होगी, क्योंकि ब्लाक एजुकेशन आफिसर पंचायत समिति में एक स्वतंत्र आफिसर बैठ जाएगा तो बी.डी.ओ. और प्रधान की तो उसमें कुछ भी नहीं चलेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि ब्लाक एजुकेशन आफिसर का एक साधन हो, उसका एक दफ्तर हो लेकिन उसका सुपरविजन वहां के विकास अधिकारी के पास होना चाहिए। फिलहाल जिस ढंग से यह ढांचा आप चला रहे हो, यह मामला बिलकुल नासमझी का है। इससे लोग मजाक करते हैं, हंसी करते हैं। इस पर तुरन्त इंतजाम सही किया जाए ताकि शिक्षा का कोई ग्रामीण एरिया में बुरा प्रभाव न पड़े।

इसके साथ में, सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा पर जो पैसे खर्च हो रहे हैं, यह तो साहब, कोई बाहर से पैसा मिलता हो और इससे कोई लाभ जैसी चीज हो तो, तो भले ही चलाओ, हमें कोई एतराज नहीं, वरना यह सारा मामला फर्जी है। साक्षरता वाले करोड़ों रुपये खामख्वाह यूज कर रहे हैं और यह कोई साक्षरता नहीं कर रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र खोले उससे साक्षरता का मामला बढ़ा, राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं से साक्षरता का मामला बढ़ा, प्राइमरी सरकारी स्कूलों में साक्षरता का मामला बढ़ा और लोक जुम्बिश में जो शिक्षा का प्रसार है इसमें भी साक्षरता बढ़ी, लेकिन यह साक्षरता, प्रौढ़ शिक्षा और आंगनबाड़ी का जो मामला है यह तो एक सारा फर्जी सरकार का हिसाब-किताब दिखता है लोगों को। इसको तो आगे बंद करना चाहिए। इसके साथ, मेरा निवेदन है, जैसे राज्य सरकार वायदा करती है उर्दू की महत्ता का। इस देश में उर्दू एक हातिम जबान थी, उर्दू एक हुकूमत की जबान थी। उर्दू पढ़ने वालों के लिए अध्यापकों के पद होने चाहिए और उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। जहां कहीं किसी स्कूल में 20 बच्चे उर्दू पढ़ने के इच्छुक हों तो वहां एक मास्टर लगाना चाहिए। आपने यह भी बहुत अच्छा किया। मदरसों में भी काफी साक्षरता का लाभ मिलता है। मदरसों में भी बच्चों को, बच्चियों को मदरसे वाले पढ़ाते तो कुरान शरीफ, नमाज और दीन के बारे में हैं लेकिन उसके साथ एक-एक हिन्दी का उनके पास प्राइवेट मास्टर भी रखा हुआ है और वह भी तीसरी चौथी तक पढ़ाते हैं। पर अब सरकार ने यह भी बहुत अच्छा किया कि वक्फ बोर्ड में जितने भी रजिस्टर्ड मदरसे हैं उनमें एक-एक टीचर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं के रूप में दिया जाएगा। यह बहुत अच्छा फैसला है और इससे भी

(श्री अमीन खान)

साक्षरता में बहुत आगे बढ़ने का लाभ मिलेगा। इस क्रम को जारी रखना चाहिए।

इसके साथ-साथ, मास्टरों का, हैड मास्टरों का और कालेज के लेक्चरारों का तबादलों का जो झगड़ा है इसमें मैं तो कुछ समझता नहीं। ऐसा कोई कानून आप बना दें जिससे हमारे पास तबादलों के लिए कोई नहीं आवे तो हम तो बेहतरीन खुश हैं। और नहीं तो इसका एक रास्ता इस तरह से किया जाए कि जिनके तबादले हों वे अपने आप ही हो जाएं और जिनके न होने हों वे किसी के भी कहने से न हों। तो बहुत अच्छा होगा, वरना यह तबादलों वालों का जो धंधा है, ये सरकार को भी परेशान करते हैं, एम.एल.एज. को भी परेशान करते हैं और सरकारी दफ्तरों में भी दिन भर लोगों को काम नहीं करने देते हैं। इस पर भी आपको गहन विचार करना चाहिए। ज्यादा न कहकर इतनी ही मेरी बात कहता हूं और शिक्षा मंत्रीजी, आपने जो मांग रखी उसका समर्थन करता हूं। मैंने जो सुझाव दिये हैं बैकवर्ड और समस्याग्रस्त जिले के बारे में, मुझे आशा है उस पर आप गहराई से गौर करेंगे, इमदाद करेंगे। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री हेमाराम चौधरी।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढ़ामलानी) : सभापति महोदय, मैं शिक्षा की मांग पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सभापति महोदय, अभी माननीय सदस्य ने कहा कि दोनों ही बाड़मेर से बोल रहे हैं, आपको मालूम होगा कि साक्षरता की दृष्टि से बाड़मेर जिला हिन्दुस्तान में सबसे पीछे है, इसलिए यदि दो सदस्यों को पहले बोलने का अवसर दिया तो मैं समझता हूं यह बाड़मेर जिले के साथ न्याय किया गया है।

सभापति महोदय, बाड़मेर जिला साक्षरता की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, उसकी तरफ सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अभी सरकार ने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं ढाणियों में खोलीं, उससे निश्चित रूप से जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे थे उनको स्कूल जाने का, पढ़ने का अवसर मिला है। उससे साक्षरता में सुधार आएगा, साक्षरता का प्रतिशत बढ़ेगा। परन्तु, सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाओं में जो शिक्षा सहयोगी लगाये गये हैं उनका मानदेय बहुत कम है, 1200 रुपये है। उसको बढ़ाकर कम से कम दो हजार तो किया ही जाना चाहिए और उनकी योग्यता भी कम से कम सीनियर हायर सैकण्डरी की जानी चाहिए। शिक्षा सहयोगी ठीक नहीं होंगे तो बच्चों को ठीक से शिक्षा नहीं दे पाने की वजह से उनकी नींव बहुत कमजोर रहेगी। हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की नींव कमजोर नहीं रहे इसके लिए आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। तभी इन राजीव गांधी पाठशालाओं का ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को पूरा-पूरा लाभ मिलेगा।

(श्री हेमाराम चौधरी)

सभापति महोदय, इसके अलावा बाड़मेर जिले में जितने भी सीनियर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल हैं उनमें सब्जैक्ट टीचर की बहुत ही कमी है और दूसरे अध्यापकों की भी बहुत ही कमी है। सीनियर हायर सैकण्डरी में सब्जैक्ट टीचर नहीं हैं। बच्चें वहां पर जो भी सब्जैक्ट लेते हैं उनको कोई पढ़ाने वाला नहीं है तो उनका फिर क्या हाल होगा? मंत्रीजी अगर ध्यान दें तो...

श्री सभापति : सुन रहे हैं, आप बोलिये।

श्री हेमाराम चौधरी : मैं मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जितने भी सीनियर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूल हैं उन सब स्कूलों में आप सब्जैक्ट टीचर लगाएं। इसके अलावा दूसरे अध्यापक हैं वे भी लगाने की कृपा करें। सब्जैक्ट टीचर का पद खाली नहीं रहे तो ये सब्जैक्ट जो आपने खोले हैं वे चलेंगे, अन्यथा वे सब्जैक्ट बन्द हो जाएंगे। हमारे कई सीनियर हायर सैकण्डरी में जो विज्ञान विषय खोला था, गणित का विषय खोला था, कामर्स खोला था वे फैकल्टीज बन्द हो गयीं। वहां बच्चे कई सालों तक गये लेकिन अध्यापक पढ़ाने वाले थे ही नहीं तो वहां जाना ही बंद कर दिया, उस वजह से बंद हो गये। अब जो कुछ चल रहे हैं वे भी बंद होने की नौबत न आ जाए इसलिए आप इस तरफ विशेष ध्यान दें। अध्यापकों की आप पूर्ति नहीं करेंगे, व्याख्याताओं की पूर्ति नहीं करेंगे तो केवल मात्र स्कूल खोल देने से गांव के बच्चों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। उससे तो उलटा उनका अहित होता है, नुकसान होता है। वे कहीं दूसरी जगह जाकर पढ़ने की कोशिश करते। अकाल में खर्चा भी मुश्किल है फिर भी कुछ वहन करके जाते तो वहां उनको पढ़ाने वाला तो मिलता। लेकिन इन स्कूलों में तो कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है तो फिर उनकी पढ़ाई का सत्यानाश हो जाता है। इसलिए आप इस मामले को गम्भीरता से लें और हमारे अध्यापकों की पूर्ति कर दें।

इस साल आपने बजट में सीनियर हायर सैकण्डरी और सैकण्डरी स्कूलों का प्रावधान नहीं रखा उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूं कि आप स्कूल खोल दें और फिर अध्यापक नहीं लगाएं, व्याख्याता नहीं लगाएं, पढ़ाने वाला नहीं हो उससे अच्छा है नहीं खोलना। खोलने से उलटा बच्चों का अहित होता है। इसलिए आपने जो बच्चे का अहित नहीं करने का कदम इस बार उठाया है उसके लिए मैं तो आपको मेरी तरफ से धन्यवाद देता हूं।

हमारा इलाका पिछड़ा हुआ इलाका है, रेगिस्तानी इलाका है, दूर-दूर ढाणियों में लोग रहते हैं इसलिए स्कूलों की आवश्यकता तो ज्यादा है, लेकिन स्कूल तभी खोले जब उसमें अध्यापक लगाने का प्रावधान हो। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अध्यापकों

(श्री हेमाराम चौधरी)

की जो कमी है खास कर इन बड़े स्कूलों में, वह आप दूर करें।

दूसरा, जो पंचायत समितियों के अधीन प्राइमरी स्कूल हैं पंचायती राज विभाग में, उनमें भी अध्यापकों की बहुत कमी है। खास कर हमारे जिले में तृतीय श्रेणी के भी अध्यापक नहीं हैं। नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत हमारे बाड़मेर जिले के जो बी.एड., एस.टी.सी. किये हुए हैं उनकी नियुक्ति हो नहीं पाती है और दूसरे जिलों के अध्यापकों की वहां पर नियुक्ति हो जाने से बाद में वे स्थानान्तरण करवाने के काम में ही लगे रहते हैं। थोड़े बहुत जितने समय के लिए वहां रहते हैं तो वे स्थानान्तरण के पीछे ही अपना समय लगाते हैं। वहां कोई पढ़ाई का काम नहीं करते हैं और आखिर में वे स्थानान्तरण करवाकर चले जाते हैं। फिर हमारे वहां वेकेंसी हो जाती है। इस नियुक्ति की प्रक्रिया में जब तक हमारे वहां के अध्यापक नहीं लगाएंगे तब तक हमारे वहां हमेशा पद खाली रहेंगे और पढ़ाने वाला स्कूल में कोई नहीं रहेगा। इसलिए नियुक्ति की प्रक्रिया को आप बदलने की कृपा करें।

पहले आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया थी जिसमें जिले के निवासियों को बोनस अंक का प्रावधान था। वह मामला हाई कोर्ट में गया, हाई कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया। अब जो लगे हुए हैं उनको भी हटाने की बात की जा रही है। और नये लगाने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर बाड़मेर जिले के जो बी.एड. और एस.टी.सी. किये हुए हैं वे किसी भी प्रकार से नियुक्ति नहीं पा सकेंगे। फिर हमारे बाड़मेर जिले की शिक्षा का हाल क्या होगा, इसके बारे में आप खुद ही विचार कर लें। इसके बारे में आपको कानूनी अड़चन आ रही होगी। अड़चन जरूर है लेकिन उस कानूनी अड़चन को भी आप दूर करने का प्रयास करें। किस प्रकार से आप उस कानूनी अड़चन को दूर कर सकते हैं, यह आपकी सरकार के सोचने का मामला है। आप पिछड़ा जिला घोषित करके उसमें किस तरह से नियुक्ति में फायदा दे सकते हैं, वह प्रक्रिया अपनाएं या पुराने समय में जिस प्रकार से जिले में नियुक्ति का बोर्ड बना हुआ था उस प्रकार से बोर्ड बना कर सीधे साक्षात्कार लेकर करें। किसी भी प्रकार से वहां के लोगों को लगाएंगे तो हमारे वहां जो अध्यापकों की कमी हमेशा रहती है वह कमी दूर हो सकेगी, अन्यथा हमारे वहां कमी है वह कभी भी दूर नहीं होगी। सभापति महोदय, मैं तो मंत्री महोदय से यही निवेदन करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में बाड़मेर जिले के लोगों को प्राथमिकता दें।

दूसरा, सभापति महोदय, पहले व्यावसायिक शिक्षा वाले कुछ लोगों ने बी.एड., एस.टी.सी. कर ली थी और उनको लगाया नहीं गया था। बाद में मंत्रीजी ने निर्णय लिया कि वे ब्रिज कोर्स कर लें तो उनको लगा दिया जाएगा। पंचायती राज विभाग में तो जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिया है उन अध्यापकों को लगा दिया गया है, लेकिन माध्यमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको अभी तक नियुक्ति नहीं दी गयी है। कृपा करके उनको भी आप नियुक्ति दिलाएं। दोनों निर्णय सरकार के ही हैं और दोनों विभाग आपके ही अधीन हैं। जिन्होंने ब्रिज कोर्स कर रखा है उनको आप मेहरबानी करके नियुक्ति दिला दें तो कुछ अध्यापकों की कमी दूर हो सकेगी।

मैं मंत्रीजी से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने अभी लोक-जुम्बिश के तहत पैसे का प्रावधान किया है, उसके तहत हमारे वहां जितनी भी राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं थीं उनकी बिल्डिंग की स्वीकृति जारी की है। उसके लिए तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे सभी स्कूलों की बिल्डिंग बन जाएगी। मैंने यह निष्पादन आय-व्ययक देखा है, बिल्डिंग के लिए काफी प्रावधान किया है। जहां कहीं भी कमी है, मरम्मत की है, दूसरी है, सब सुधार होगा। पर सबसे ज्यादा सुधार यह बिल्डिंग का सुधार होगा। निश्चित रूप से होगा और होना भी चाहिए। लेकिन उससे पहले पढ़ाने वाले की आप व्यवस्था करें। पढ़ाने वाला होगा तो पेड़ के नीचे भी बच्चे को पढ़ा सकता है। चाहे बिल्डिंग हम कितनी ही अच्छी बना दें, स्कूल कितने ही सुन्दर बना दें, उसमें कोई बच्चों की देखभाल करने वाला ही नहीं होगा तो स्कूल का स्तर क्या होगा? हम सबसे पीछे हैं हिन्दुस्तान में, और पीछे चले न जाएं, इसलिए मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप हमारे अध्यापकों की कमी दूर करें, नियुक्ति की प्रक्रिया को ठीक करें। आने वाले समय में जब कभी आप बजट में प्रावधान रखे तो हमारे वहां ज्यादा स्कूल जरूर खोले, पर खोले उसके साथ-साथ अध्यापक जरूर लगाएं। हमार वहां पर तो सीनियर हायर सैकण्डरी, सैकण्डरी के बजाय मिडल स्कूलों की ज्यादा जरूरत है। सीनियर हायर सैकण्डरी में, सैकण्डरी में बच्चा बड़ा हो जाता है और दूर जाकर भी पढ़ लेता है, लेकिन मिडल स्कूल तक, उच्च प्राथमिक स्तर तक का छोटा बच्चा अकेला रह कर स्वयं खाना बना कर पढ़ने की स्थिति में नहीं होता है। इसके लिए इस साल बजट में नहीं है, जब कभी भी हो, आप ध्यान रखेंगे।

सभापति महोदय, मैं इसके लिए मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और मैंने जो सुझाव रखे हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि मंत्रीजी निश्चित रूप से उन पर गौर करेंगे। आप खुद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, खुद आप शिक्षाविद् हैं इसलिए आपकी योग्यता के बारे में कोई किसी प्रकार की शंका नहीं है। हमें उम्मीद है कि आप हमारे बाड़मेर जिले की तरफ विशेष ध्यान रख कर के जो मैंने कमियों की तरफ आपका ध्यानाकर्षित किया है, आप पूरा-पूरा ध्यान देंगे, धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : सभापति महोदय, मैं अपनी बात कहने से पहले माननीय मंत्री महोदय से और सदन के माननीय सदस्यों से एक विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि शिक्षा का जो क्षेत्र है इसमें सब बातों से ऊपर उठने का प्रयास करें। राजस्थान का शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, राजस्थान की शिक्षा कैसे अच्छी बने, राजस्थान के प्रत्येक बालक को शिक्षा कैसे प्राप्त हो सके, उस दृष्टि से जो-जो कमियां हमें इस विभाग में लगती हैं उनको कमियों के रूप में ही रख कर वाद विवाद में नहीं पड़ें बल्कि यह सोचे कि उन कमियों को निकालने के लिए हम सब क्या प्रयास कर सकते हैं जिसके कारण से शिक्षा के इस ढांचे को हम अच्छा बना सके। उसी दृष्टि से मैं अपनी बात कहना चाहता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वास्तव में राजस्थान की शिक्षा के पिछड़ेपन का कारण यह है कि हमारा शिक्षा पर होने वाला व्यय निश्चित रूप से कम रहा है। सकल आय का छह प्रतिशत का हमारा जो सपना है, वह अभी भी कोसों दूर है। हमने प्रयास करके, उसमें काफी कमी करने का प्रयास किया लेकिन अभी तक भी उस टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। मैं सोचता हूं कि अगर हम इसको अचीव करेंगे तो जो हमारे बाकी खर्चे हैं उन खर्चों में कटौती अपने आप हो जाएगी। फैमिली प्लानिंग पर आप कितना ही पीछे लगे रहो, उसकी सफलता होगी नहीं, जब तक शिक्षा के ढांचे का फैलाव नहीं होगा। इसलिए इस बारे में आप निश्चित रूप से विचार करे। मैं कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। मुझे बहुत दुःख हुआ, पिछली बार किसी माननीय सदस्य ने यह कहा कि आपने कुछ नहीं किया। मुझे बहुत अफसोस हुआ क्योंकि हम लोगों ने कुछ किया है। जो किया है उसे आपको स्वीकार करना चाहिए। यह लोकतंत्र का तकाजा है। और अगर कमी रही है तो उस कमी को बताना भी लोकतंत्र का आधार है। मैं कहना चाहता हूं कि जब हमने 1989-90 में चार्ज लिया था तब एजुकेशन पर राजस्थान में मात्र 663 करोड़ रुपये खर्च होते थे। आठ सालों की यात्रा में इस एजुकेशन में बजट को बढ़ाते-बढ़ाते हम इसको 2895 करोड़ पर लाये। यह बढ़ोतरी कोई सामान्य बढ़ोतरी नहीं है, 663 करोड़ से बढ़ा कर 2895 करोड़ पर लाना यह चार गुना के आसपास आता है। चार गुना हमने बजट बढ़ाया, उसके कारण से राजस्थान में शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा की उपलब्धियां आने लगीं। लेकिन आपने फिर जो नवीं पंचवर्षीय योजना बनाई, आप बाकी योजना में से कुछ कम करते तो चल सकता है लेकिन अगर इस योजना पर आपका ध्यान ज्यादा केन्द्रित होता तो निश्चित रूप से हमको इसमें आगे 10 साल बाद ज्यादा उपलब्धि मिलने की सम्भावना थी। हमारी जो सातवीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें मात्र 270 करोड़ रुपये हमने शिक्षा पर व्यय किये थे। आठवीं पंचवर्षीय योजना में हमने एकदम बढ़ा कर 1040 करोड़ रुपये खर्च किये और नवीं

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पंचवर्षीय योजना में जो प्रपोजल बनाये थे वे 2694 के बनाये थे, मतलब 2700 करोड़ रुपयें के, जो सातवीं पंचवर्षीय योजना का लगभग 10 गुना था।

(14.41 बजे)

(श्री हीरासिंह चौहान, सभापति, पदासीन)

इस बजट के बढ़ने के कारण से आपने देखा कि कुछ उपलब्धियां निश्चित रूप से हासिल हुई, यानी शिक्षा का फैलाव हुआ।

मुझे यह कहते हुए भी प्रसन्नता है कि राजस्थान में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। यह वास्तव में हम सबके लिए संतोष का विषय है। लेकिन जब पिछली बार चर्चा हुई तो कहा गया कि हमने तो कुछ नहीं किया। तब मुझे इस पर बहुत ही क्रोध भी आया और मैंने कुछ कठोर बात भी इस सदन में कही। कहना चाहता हूं कि साक्षरता का प्रतिशत हमारे सब प्रकार के निरन्तर प्रयासों के कारण से बढ़ा है। आपने स्वयं ने देखा होगा कि हमारी साक्षरता के प्रतिशत के साथ, साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर सत्येन मित्र पुरस्कार पहले छह पुरस्कारों में से चार हमारे समय में मिले और एक जिला अब की बार जालौर का, मिलकर हमको 11 पुरस्कारों में से 5 पुरस्कार मिले। इसके लिए आपको बधाई कि यह पुरस्कार हमको जालौर जिले के लिए और मिला। इसका मतलब यह नहीं कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया था या हमने जो काम किया था वह सब बेकार था। ये जो बातें कही जाती हैं, इस तरह नहीं है।

श्रीमान्, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि 1997 में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन के द्वारा, आज नहीं, 1997 में जो सर्वे किया गया था, उस सर्वे की रिपोर्ट आई थी जिसे आपने अपनी किताब में भी लिखा है। मुझे इसकी बहुत प्रसन्नता है कि 1999-2000 में आपने इसको मेंशन किया। नहीं तो शायद अगर और किसी का मन होता तो इसमें से निकाल कर ही बाहर कर देते कि यह तो बेकार की बात है, इसमें लिखना भी नहीं चाहिए या यह रूटिन में आ गई होगी न चाहते हुए भी। चलो, कोई चीज हमने की और वह आ जाना अच्छा लगा। इसमें लिखा है कि वर्ष 1997 में राष्ट्रीय सैम्पल सर्वे संगठन के द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार राज्य में साक्षरता का प्रतिशत जो कि वर्ष 1991 में 38.55 प्रतिशत था, वह बढ़ कर वर्ष 1997 में 55 प्रतिशत हो गया। यह गर्व का विषय है। इसमें आगे और लिखा है कि अगली जनगणना तक सम्भावित 60 प्रतिशत से अधिक राजस्थान में साक्षरता होगी। यह उस समय का सैम्पल सर्वे का रिजल्ट था। उससे भी ज्यादा प्रसन्नता हमको इस बात की है कि राजस्थान में अपने सब प्रयासों से—अब इसमें कुछ कमियां-खामियां निकाल दें कि साक्षरता का अभियान बेकार है, इसके बावजूद मैं सोचता हूं कि नहीं, वातावरण बनाने के लिए वह भी हमारा मददगार था, उससे भी बालकों को हम स्कूल तक लाने में उनका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मानस बना सके। हमने जितना प्रयास किया उतनी उपलब्धि नहीं है, पर माननीय विधायक जो बाड़मेर से हैं, उन्होंने जो कहा मैं उनसे सहमत हूं। उसमें कमी-खामी हो सकती है, हमारे प्रयास में कोई कमी रह गई है लेकिन उस अभियान के माध्यम से कम से कम हमने एक लोक जागरण किया और लोक जागरण के कारण से हमारे बच्चे विद्यालय में आने में सक्षम हुए या उनके अभिभावकों ने भेजना प्रारम्भ किया। राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों की साक्षरता 64 से बढ़ाकर 75 प्रतिशत हुई पर राजस्थान ऐसा राज्य है जिसने नेशनल एवरेज से भी अपनी साक्षरता का प्रतिशत आगे बढ़ाकर 76.46 प्रतिशत तक साक्षरता प्राप्त की। इसके लिए राजस्थान को बड़ा गौरव है, हम सबको गौरव है, हम सबको प्रसन्नता है कि हम कम से कम इस क्षेत्र में आगे बढ़े। यद्यपि महिला साक्षरता की दृष्टि से जितनी उपलब्धि होनी चाहिए, उतनी उपलब्धि हम नहीं प्राप्त कर सके। इन सब आंकड़ों के बाद आपने यह जो बजट स्टडी दी है इस बजट स्टडी का जब आप आकलन करेंगे तो पाएंगे कि शिक्षा पर हमारा व्यय किस गति से बढ़ रहा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि इसके लिए चाहे आपको सरकार से आग्रह करना पड़े, लेकिन जो बजट में हमारी स्थिति है उस बजट की स्थिति को बढ़ाएं। जब तक हम यह नहीं बढ़ाएंगे हमारी जितनी कमियां हैं, हम जादू के डंडे से अध्यापकों की पूर्ति नहीं कर सकेंगे। जितनी आवश्यकता है बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए, उतने साधन हम उपलब्ध नहीं करा सकेंगे। और अगर उपलब्ध नहीं कराएंगे तो उसका परिणाम भी वैसा ही आने वाला है।

अब आप खुद देखिये, वर्ष 1997-98 में 2147 करोड़ रुपये हम शिक्षा पर खर्च करते थे। उसके बाद 1998-99 में 2773 करोड़ रुपये खर्च किये, उसके बाद 3091 करोड़ रुपये और पिछले साल हमने 3321 करोड़ रुपये खर्च किये। इस बार सम्भावित बजट हमने रखा है, 4547 करोड़ रुपये। जैसा हमने 7वीं पंचवर्षीय योजना से आठवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के ऊपर जम्प किया था कि हम 270 करोड़ से 1040 करोड़ पर पहुंचे, उसकी तुलना में अगर हम विचार करें तो हमारी औसत वृद्धि 11 प्रतिशत के आसपास होती है। 11 प्रतिशत शिक्षा पर व्यय बढ़ रहा है। यह उचित नहीं है। हमें निश्चित रूप से अधिक बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और हम सबको मन बनाना चाहिए कि हम इस ओर किसी तरह से अपने साधनों को बढ़ा सके।

सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि कोई भी इस बात को गहराई से देखना नहीं चाहता है कि निजी शिक्षण संस्थाएं क्या करती हैं। मैं आंकड़ों के आधार पर कहना चाहता हूं कि निजी शिक्षण संस्थाओं ने देश की आजादी से पहले काम शुरू किया था जब हमारे यहां शिक्षा का कोई काम करने वाला नहीं था। इन संस्थाओं ने दूर-दराज में जाकर शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए काम किया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लेकिन हमारे सबके दिमाग में आ गया कि प्राइवेट संस्था मतलब चोर, प्राइवेट संस्था का मतलब लोगों को लूटने वाली। वास्तव में जो अनुदान सूची पर हैं उनमें से शायद ही कोई संस्था होगी जो बेईमानी का धंधा करती हो। जिनको आपने अनुदान सूची पर ले रखा है वे इस प्रकार की संस्थाएं नहीं हैं। अगर राजस्थान में निजी शिक्षण संस्थाएं कोई लूट रही हैं तो वे जो आपके अनुदान के दायरे में नहीं आना चाहती हैं, आपकी पकड़ से दूर रहना चाहती हैं। उन्होंने शिक्षा को एक व्यवसाय बना दिया है, मर्जी आये जैसे ड्रैस से लेकर बटन तक सब विद्यालय से लेना पड़ेगा। आपके भी ध्यान में आया होगा कि पाठ्यपुस्तक मण्डल छठी से आठवीं तक के बच्चों के लिए 40 रुपये में कोर्स तैयार कर देता है। लेकिन आपने निजी शिक्षण संस्थाओं को कोर्स लगाने की जो छूट दे रखी है उसके कारण से मर्जी आए जिन पब्लिशर्स की किताबें लगाकर कमीशन खाकर, पेरेंट्स को 400 से 500 रुपये की किताबें बेचते हैं। और हकीकत यह है आपमें से जितने लोग बैठे हैं, ईमानदारी से अगर बात करें तो इनमें से एक का भी लड़का किसी सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ता है। अगर विद्यालय ही गांव में नहीं है तो हमारी मजबूरी है, वह लड़का कहां पढ़ेगा? इस स्थिति में हम पहुंचते हैं उसके बाद भी कोई गहनता से विचार करना नहीं चाहते हैं कि सरकारी विद्यालय की यह दुर्गति क्यों है और राजकीय विद्यालय को छोड़कर प्राइवेट स्कूल में भागना क्यों चाहता है। हम अपनी दुकान को जब तक ठीक से नहीं सजाएंगे तब तक दूसरों के ऊपर अंगुली उठाने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। अगर हमें उससे मुकाबला करना है तो हमें अपना स्तर सुधारने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन नहीं।

मैं आपको कुछ आंकड़े दे रहा हूं कि जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं उनकी दशा क्या हमने बना रखी है। मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है, मैं माध्यमिक शिक्षा और माध्यमिक विद्यालयों का बता रहा हूं केवल। हमारे पास में अध्यापक हैं 36,000 तो माध्यमिक में और 31,000 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में और यह सब मिलाकर हमारे पास 67,000 अध्यापक हैं। जबकि ये जो अनुदानित शिक्षण संस्थाएं हैं इनमें 14,128 माध्यमिक में और 11,163 उच्च माध्यमिक में हैं। लगभग इसको एक तिहाई मान लीजिये। एक तिहाई शिक्षा सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं राजस्थान में कर रही हैं, लेकिन आपके बजट का वितरण कैसा है? आपको इसको देखना चाहिए। आपको स्वयं को अफसोस होना चाहिए। हम सब लोगों को इस बारें में चिंतन करना चाहिए कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाएं हमारी मदद कर रही हैं। हमारे रिसोर्सेज उतने ही हैं कि हम यह सारा वजन स्वयं उठाकर शिक्षा को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन हमारे देखने का नजरिया यह है कि प्राइवेट शिक्षण संस्था है, इसका मतलब है चोरी होगी।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं की संख्या कुल 348 है जिनको हम अनुदान देते हैं, सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की। 348 को कितना अनुदान देते है? केवल 39.34 करोड़ रुपये, मतलब केवल 39 करोड़ रुपये हम राजस्थान की इन निजी/शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते हैं और जिनकी संख्या मात्र 348 है। और हम कितना खर्च करते हैं अपनी माध्यमिक शिक्षा पर? राजकीय विद्यालय हैं हमारे, उनका खर्चा कितना है? 1033 करोड़ रुपये माध्यमिक और 1081 करोड़ सीनियर माध्यमिक। मतलब हम स्वयं 2000 करोड़ रुपये माध्यमिक शिक्षा पर खर्च करें और निजी शिक्षण संस्थाएं जो हमारे बराबर में एक तिहाई शिक्षा का काम करें, उनको हम केवल 39 करोड़ रुपये का अनुदान देते हैं और उसके बाद भी उसके नियमों में उठा-पटक करके हम उनकी एड रोक देते हैं। हम 75 प्रतिशत उन्हें एड देंगे, उसके बाद अगर आपको लगता है कि शिक्षण संस्था बेईमान है, लूटखोरी करती है तो उसको सजा दो, उसको बंद कराओ, कोई चिन्ता की बात नहीं है। लेकिन जो अच्छा काम कर रही हैं, देश की आजादी के पहले से जिन लोगों ने काम शुरू किया, उन संस्थाओं को आप 75 प्रतिशत पेमेंट करें। निश्चित रूप से 100 का स्टाफ होता है आपकी एडेड लिस्ट में तो 34 लोग होते हैं, उसके बाद भी उन लोगों से एडजस्ट करके स्कूल चलाते हैं। पर आपने तो एड रोक दी क्योंकि 75 प्रतिशत देनी है। फिर उनसे आपने 10 रुपये के एफिडेविट भरा दिये कि आपकी अगर कोई एड कटेगी तो उसमें से देंगे। अगर कहीं कोई दोष है उस विद्यालय में तो मैं इस पक्ष का नहीं हूं कि उस विद्यालय को मदद दो, लेकिन आखिर में हमारे एड देने का कोई न कोई सोच होना चाहिए। आपको समीक्षा करनी चाहिए उनकी एड के बारे में। अब आपका स्टाफ तो जाए नहीं, उनका मूल्यांकन करे नहीं, जो डाकूमेंट देखना है वह देखे नहीं और उसके बाद गलती निकालो उनकी। उनकी एड 75 प्रतिशत इसलिए रिलीज हुई कि आपका निरीक्षण नहीं हुआ। इसमें उनका तो कोई दोष नहीं है।

इसी प्रकार से आपने प्राइवेट शिक्षण संस्थाओं को बांध दिया है कि आप कोई नया अपाइंटमेंट नहीं करोगे। अब आप कल्पना करिये, अगर नये अपाइंटमेंट नहीं करेंगे, जो आदमी रिटायर हो गया, नौकरी छोड़ कर चला गया वहां अगर दूसरे आदमी को नहीं लगाएंगे तो क्या हाल होगा? आप उसके ऊपर अनुदान की मदद नहीं करेंगे। 5 साल बाद अगर सौभाग्य से अपन यहां मिलेंगे तो मैं आपको आज कह रहा हूं कि ये जितनी भी शिक्षण संस्थाएं हैं जिन्होंने सेवा का माध्यम बनाकर शिक्षा का काम शुरू किया है, ये सब पांच साल में बंद होकर अपना-अपना सामान बेच कर चली जाएंगी। जिस प्रकार के कोर्ट केसेज हो रहे हैं, जिस प्रकार के इन पर मुकदमे लग रहे हैं, जितनी डिक्रियां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इन पर हो रही हैं ये इन डिक्रियों को कभी चुका नहीं पाएंगे। इस बारे में हमें बिलकुल ठीक प्रकार से कोई न कोई साइंटिफिक फार्मूला निकाल कर काम करना चाहिए। जहां हम अपने राजकीय विद्यालय में एक बच्चे को शिक्षण देते हैं उस पर अगर हमारा पांच हजार रुपया महीने का खर्च होता है, तो इस निजी शिक्षण संस्था में जो ठीक प्रकार की शिक्षा देती है, खर्चा कितना हो सकता है। उसका कोई आर्थिक कैलकुलेशन का आधार हो, उसके रिजल्ट के आधार पर हो। यह भिखमंगे की तरह से आकर खड़े रहना और पैसे देकर अपनी पोस्टें लेना, इससे कम से कम मुक्त करें इस शिक्षा को। तब तो जाकर हम शिक्षा का स्तर जो चाहते हैं वह बना पाएंगे। इसलिए इसका कोई न कोई फार्मूला निकालिये कि उस फार्मूले के आधार पर उसका चैक बन कर उसके पास चला जाए, अगर साल में उसने इतने लड़कों की सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की पढ़ाई की हो तो।

इस शिक्षा विभाग में सबसे बड़ी समस्या है समानीकरण। वास्तव में बहुत समस्या है। मंत्री महोदय ने भी प्रयास किये, मैंने भी प्रयास किया। कारण क्या है? एक विद्यालय ऐसा है शहर के अंदर सरकारी कि जिसमें बच्चे पढ़ते हैं 73 और मास्टर हैं 14. कोई भी शहर छोड़ कर जाना नहीं चाहता है। कई विद्यालय तो ऐसे हैं राजस्थान में, आपने भी उनको ढूंढा, मैंने भी ढूंढा, जहां बच्चा नाम का कोई है नहीं, एक भी बच्चा नहीं है लेकिन रिकार्ड पर विद्यालय चल रहा है और तनख्वाह उठ रही है। निश्चित रूप से हमें समानीकरण करना चाहिए, मैं इस पक्ष में हूं। लेकिन समानीकरण के जो नियम तय करते हैं उन नियमों का सख्ती से पालन कराना भी हमारे लिए आवश्यक है। अगर हम इसको नहीं कराएंगे तो समानीकरण की सारी धज्जियां उड़ जाएंगी, जो आपके डीईओ. कई बार उड़ा भी देते हैं। मैं इसलिए नहीं कहना चाहता हूं कि मुझे किसी बात से है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको कि सैकण्ड ग्रेड की जिन पोस्टों को आपने मिडल स्कूल से तोड़ा वह पोस्टें आपने एक बार समानीकरण में निकालीं। मेरे पास लिस्ट है, इतना समय नहीं कि मैं उनको पढ़ूं। ये सारी लिस्ट हैं जिन पर एक बार तो आपने लिखा है पोस्टें तोड़ दी जाएं। लेकिन पोस्टें टूटी नहीं तो दूसरा आदमी आकर उस पोस्ट पर बैठ गया। यह तो एक तरह से मजाक है। जो आदमी वहां से हटा उसको कितनी पीड़ा होती होगी कि मुझे तो केवल इसलिए हटाया कि यह पोस्ट यहां से टूट गयी? पोस्ट तोड़ने की प्रक्रिया में हटा दिया और उसकी जगह कोई सिफारिशी टट्टू आकर वापस वहां बैठ गया। जितने भी नगरपालिका के विद्यालय हैं अब तो हमारी स्थिति खराब हुई है, भगवान नहीं करे कि कभी भी सरकारी स्कूल को ताला लगाने की स्थिति आए। लेकिन हमको इस पर विचार करना पड़ेगा कि सरकारी विद्यालयों के प्रति यह अनास्था क्यों पैदा

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हो रही है। छोटे-छोटे गांवों में जिसमें चार सौ घरों की आबादी है, वहां भी कोई न कोई प्राइवेट स्कूल होगा। शहरों में प्राइवेट स्कूलों की भरमार है। और हमारे बच्चों की संख्या घटती चली जा रही है लेकिन हमारे पास अध्यापकों की वह की वह स्ट्रेन्थ है। आप और मैं दोनों उदयपुर से आते हैं, कंवरपदा स्कूल, जब मैंने जाकर देखा तो 73 अध्यापक थे। क्योंकि पहले कभी सिराज साहब वहां प्रिंसिपल थे तब वहां ढाई हजार लड़के हुआ करते थे। वह संख्या घटते-घटते 650 पर आ गयी लेकिन वही 73 अध्यापक चलते रहे। जब उनको तोड़ने की कोशिश की और बाहर भेजने की कोशिश की तो लोगों को बड़ा अखरता है, और यह अखरेगा। हम तो यह जानते हैं कि शिक्षा विभाग में जिसने यह काम लिया, जोशी साहब, वह मन में यह सोच ले कि मैं बच्चों के लिए अपना पुण्य करूंगा और उसके कारण से सजा भी मिलेगी तो मैं भुगतूंगा, लेकिन इस ढांचे को जरूर सुधारूंगा। बिना काम के लोग बैठ कर सरकारी धन का अपव्यय करना चाहते हैं। 1-1 विद्यालय में 11-11 पीओन लगे हुए हैं, एक भी पीओन झाड़ू नहीं निकालता है। दुर्भाग्य है। क्योंकि प्रत्यक्ष देखा है आंखों से इसलिए मन में इतनी पीड़ा है। पांच सौ की एक बुढ़िया को रखेंगे वो बुढ़िया सारे स्कूल में झाड़ू निकाल जाएगी। लेकिन यह साफ कपड़े पहन कर आकर केवल घंटी बजाने का काम करेगा। इस प्रकार की व्यवस्था हुई है, हमने शोषण की नयी परिपाटी इन विद्यालयों में प्रारम्भ की है। समानीकरण का जो आपने आधार बनाया है, समानीकरण का मतलब 50 बच्चों के बाद एक अध्यापक। अब आप सोच सकते हैं कि गांव का कौन-सा स्कूल है, आप भी पढ़े, मैं भी पढ़ा हूं, एक भी स्कूल ऐसा नहीं मिलेगा जिसके कमरे में 50 बच्चों को अगर एक के ऊपर एक भी बैठा दें तो उस क्लासरूम में बैठ जाएं। अब हमारे कमरे जरूर बड़े बनने लगे हैं, कुछ साइज के बनने लगे हैं लेकिन पहले के विद्यालयों में तो 12 × 10 का ही कमरा है। उस आधार पर 50 बच्चों पर एक अध्यापक। उसमें भी आपने पहली की संख्या को माइनस कर दिया तो उसके बाद बचता क्या है? किसी विद्यालय में 180 संख्या होगी उसमें से सौ संख्या तो पहली क्लास की होगी। बाकी होंगे 80 और 80 का मतलब दो अध्यापक। दो अध्यापक से आप प्राइमरी स्कूल की सारी क्लासें चलाएंगे, वह तो ठीक है। लेकिन आपकी मिडल स्कूलों की हालत सबसे ज्यादा खराब है, जहां व्याख्याता के कारण सीनियर हायर सैकण्डरी परेशान है। मेरे समय में भी थे। बहुत प्रयास करने के बाद भी 2200-2300 पद हमेशा खाली रहते थे और व्याख्याता के लिए बच्चे चिल्लाते थे। हम व्याख्याता की व्यवस्था नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 50% डाइरेक्ट आएंगे और 50% प्रमोशन से करना पड़ेगा। जिसका प्रमोशन करें वह जाना ही नहीं चाहता, प्रमोशन फोरगो।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वह तो अपना घर छोड़ना ही नहीं चाहता है और बच्चा रोता है गांव में। मैं आपको कहता हूं, हमारे ऊपर क्रिमिनल केस बनना चाहिए कि हम उन बच्चों के साथ कितनी ज्यादती कर रहे हैं। एक बच्चा विज्ञान का है, एक बच्चा कामर्स का है, साल भर उसको किसी टीचर ने पढ़ाया नहीं। नहीं पढ़ाने के बाद अगर उसका परिणाम आया 45%, उसकी जिन्दगी में नम्बर मिल गये कहीं 12 वीं क्लास में तो उस सर्टिफिकेट को लेकर 50 साल तक रोएगा। हम अपने बच्चों के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं हमें इसके बारे में चिन्तन करना चाहिए।.

इसीलिए हमने उस समय प्रारम्भ किया था कि इमरजेंसी भर्ती करें। इमरजेंसी भर्ती भी बाहर से मत करो। जो आपका थर्ड ग्रेड टीचर है, एजुकेशन में किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करता है, चाहे लाइब्रेरियन हो, कुछ भी हो, काबलियत रखता है, उस योग्यता में आता है तो एक बार व्याख्याता का आर.पी.एस.सी. से पूरा सलेक्शन करा लो। हमने सब प्रयास किये, उन सब प्रयासों के बाद भी जोइनिंग 18%, 14%, 19%, आपने भी कोशिश की है। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। आपने जबरन लोगों को भेजने की कोशिश की, लेकिन इसमें और सख्त होने की जरूरत पड़ेगी तब जाकर हम अध्यापकों के पदों की जो स्थिति है इसको ठीक कर सकेंगे।

पहले तो यह शिक्षा का डिपार्टमेंट, फिर इसमें कुछ कमियां-खामियां रह जाएं, कुछ गड़बड़-घोटाला हो जाए उसको रफा-दफा करने की जो मनोवृत्ति बनी हुई है, मंत्री महोदय, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि चाहे गलती मेरे से हो, चाहे किसी और से हो, अगर शिक्षा जैसे पवित्र स्थान पर भी दोषी व्यक्तियों को दण्ड नहीं मिलता है तो मन को बहुत अफसोस होता है। इस जैसलमेर काण्ड के पीछे मैं पूरे समय तक मंत्री था तब से लेकर अब तक पड़ा रहा। लोगों ने फर्जी नियुक्ति बाड़मेर में दिखायी और उसके बाद ट्रांसफर आर्डर के माध्यम से यहां दौसा में, जयपुर में नौकरी ले ली। अपने अधिकारियों के बच्चों ने ले ली। स्टाफ चाहे एल.डी.सी. है, यू.डी.सी. है उनके परिवार के लोगों को उन्होंने नौकरी दे दी। यह जरूर है कि हमने उनके बच्चों को नौकरी से निकाल दिया, लेकिन यह समस्या का हल नहीं है। समस्या का हल यह है कि चाहे कोई भी बड़े से बड़ा अधिकारी हो लेकिन सारी जांच करने के बाद भी, जांच का क्या परिणाम निकाला। मैं हर विधान सभा में क्वेश्चन लगाता हूं और मुझे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कहता है कि हम क्या करें, फाइल गुम हो गयी, रिकार्ड ही गुम गया। उसके कारण से एकाध आदमी को दोषी करार देकर हम सब पल्ला झाड़ कर भाग जाते हैं। इससे कभी भी इस शिक्षा के पवित्र क्षेत्र में सुधार नहीं होगा। आप इसको फिर से देखिये। इसमें जो भी दोषी हैं, दुर्भाग्य तो यह है कि वे ही दोषी लोग आज उन जगहों पर जाकर बैठें हैं जहां निर्णय होते हैं। यानी हम अपनी मानसिकता को ठीक

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं कर पाये। एलडीसी., यूडीसी. जिसको आपने प्रमोशन दिया है, मैं नाम बता सकता हूं उसका, रंगा का, उसके परिवार का व्यक्ति आपके आफिस के अंदर एस्टैब्लिशमेंट को डील करता है।

(15.00 बजे)

बड़ा तेज आदमी है। हर डीईओ. को उसकी जरूरत रहती है। जहां यह मानसिकता बनी हुई है, इससे हम इस विभाग को नहीं सुधार सकते।

इसी प्रकार लूणकरणसर का मामला है। फर्जी नियुक्तियां वहां भी हुई। उन फर्जी नियुक्तियों का प्रकरण आपके ध्यान में आया होगा। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि और विभाग डूबे तो डूब जाने दो, कोई चिन्ता की बात नहीं, लेकिन जहां हम आने वाले का भविष्य बनाने वाले हैं वहां हमें मन मस्तिष्क से यह प्रयास करना पड़ेगा कि इस प्रकार की फर्जी नियुक्तियां जिन्होंने की हैं उन फर्जी नियुक्तियां करने वालों को भी दण्ड दें। केवल जिसने प्राप्त की उसी को नहीं दें, करने वालों का भी दोष है। उसकी तनख्वाह उठाई है। कागजों पर फर्जी नियुक्तियां हैं और उसके आधार पर ब्लाक एजुकेशन आफिसर ने सैलेरी बनाई। डीईओ. ने उनको अपाइंटमेंट दिया, हाजरियों में दस्तखत कराये और उसके बाद सैलेरी उठ गई। इस प्रकार के काम होते हैं। आपने निलम्बित किया, लेकिन यह निलम्बन कोई सजा नहीं है। जैसे-जैसे समय गुजरता है इस निलम्बन पर आपको और मेरे को, सबको दया आने लगती। जब पैर पकड़ता है हम उसको बहाल कर विभाग में फिर लगा देते हैं।

अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर हमारे यहां कोटा में बी.एड. होता है। पहले भी होता था। हमारे टाइम में भी हुआ। उस समय भी एक बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा। कई लोगों को जेल भेजा। उसमें यह था कि फर्जी प्रमाण-पत्र बनाते थे कि तीन साल से मेरे यहां नौकरी करता है, यह दो साल से मेरे यहां नौकरी करता है। फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का जो विद्यालय काम करते हैं उन विद्यालयों का एक नमूना मैं आपके सामने रखता हूं और आपके डीईओ. का नमूना रखता हूं। अगर इस प्रकार से हम शिक्षा के क्षेत्र में सुधार चाहते हैं तो मुझे बहुत दुःख होगा। यह प्रमाणित किया जाता है कि सोना वाली पुत्री श्री आरसी. बाली, इसको इन्होंने 1.7.96 से बताया है कि यह विद्यालय में अध्यापिका के पद पर नौकरी करती है। इस पर प्रधानाध्यापक के दस्तखत किसने किये? जो यहां प्रधानाध्यपक नहीं है। यह राजकीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक है क्योंकि यह नेता है, आप लोगों से संबंधित है। मुझे कहते हुए मन में बहुत दुःख है। ऐसे लोग कहीं आपके नजदीक रह कर भी कुछ सुधार कर पाएंगे क्या?

श्री सी. पी. जोशी : आप नाम बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हां, मेरे पास है।

श्री सभापति : नाम पूछ रहे हैं आपसे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह गोविन्द है और यह प्रधानाध्यापक है भगवती माध्यमिक विद्यालय, भांकरोटा। इस पर दस्तखत किये प्रधानाध्यापक ने और इसको डीईओ. ने काउन्टर सिग्नेचर किया। यह इस तरह से एक नहीं, उसने कई प्रकार के दिये ताकि उनका बीएड. में कोटा ओपन में एडमिशन हो जाए और वह उससे बीएड. कर ले।

श्रीमान्, यही नहीं, यह गोवर्धन स्वामी है। वह महामंत्री है शिक्षक कांग्रेस का। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वह आपका है। लेकिन आपका आदमी भी गलती करता है, इस प्रकार के खोटे काम करता है तो उसे निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : आपने जो नाम बताये हैं उनके ऊपर हालांकि मैं रिप्लाई दूंगा, लेकिन आप जिस भावना से बोल रहे हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि चाहे यह भांकरोटा का मामला हो, चाहे स्वामी का मामला हो इस पर प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की जाएगी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका बहुत धन्यवाद। मैं तो चाहता हूं कि हम और आप दोनों मिलकर इस शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कुछ कमियां हैं उनको निकाल कर इसको ठीक कर सकें।

मैं शिक्षा विभाग में पदोन्नति के बारे में बताना चाहता हूं। वही आपका रंगा है जिसने अपने स्वयं के परिवार के लोगों को जैसलमेर में नियुक्ति दिलाई। जिसका केस पकड़ा गया और जो निकाला गया वही प्रमोट हुआ है। अपने यहां जैसे एलडीसी. और यूडीसी. का रेंज चेंज हो जाता है तथा जब वह वापस आता है तो उसकी सीनियरिटी नयी बन जाती है। उस सारे को छोड़ कर सारे अधिकारी जिस प्रकार से भी मदद कर सकते हैं, उसी तरह केस कर, करा कर उसको पदोन्नति दे दी।

आपने यह जो विद्यालयों का शुल्क बढ़ाया है, आवश्यकता है उतना आप बढ़ाइए। लेकिन कुछ ग्रामीण क्षेत्र की स्थितियों को भी नजर अंदाज नहीं करें। यह नहीं है कि हमारा घाटा पूर्ति करने के साधन ये बालक हैं। हमने तो करोड़ों-करोड़ों रुपये शिक्षा पर खर्च करके एक बार इन बच्चों को किसी तरह से स्कूल और कालेज में लाने का प्रयास किया है ताकि नामांकन बढ़कर ज्यादा से ज्यादा बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सके। मैं आपको फिगर दे रहा हूं कि अबकी बार हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ होगा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बैठने वाले बच्चों की संख्या सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी में हुई है। यह पहली बार कम हुआ है, 50 साल के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ। जो प्राइवेट बच्चे बैठते हैं उनकी ताकत नहीं होती। वे तो जैसे-जैसे किसी तरह से 10वीं पास करना चाहते हैं। कहीं कप धोते होंगे, कहीं होटल पर काम करते होंगे, थोड़ा बहुत पैसा मिलता है, उससे फीस जमा कराकर परीक्षा देने की कोशिश करते हैं। आप पता करिये, अबकी बार सैकण्डरी में 65 हजार कम बच्चों ने परीक्षा दी है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

और सीनियर हायर सैकण्डरी में मेरे हिसाब से करीब 42 हजार बच्चों ने कम परीक्षा दी है। लगभग एक लाख सात हजार बच्चे इस बार परीक्षा में कम बैठे हैं। उसका एक कारण यह भी हो सकता है। एक कारण आपकी अव्यवस्था है जिसका वर्णन मैं आगे करना चाहूंगा।

अगर आप विद्यालयों को ठीक करना चाहते हैं तो विद्यालय निरीक्षण को सशक्त बनाइये। जब तक आपका विद्यालय का निरीक्षण नहीं होगा, हमारे सब प्रयास और सारे पैसे देने के बाद भी कुछ लाभ नहीं होगा। मैंने एक प्रयास किया था, वह प्रयास एकाध राउण्ड चला उसके बाद आगे नहीं बढ़ा। मैंने प्रत्येक डी.ई.ओ. और डिप्टी डाइरेक्टर की उनकी पोस्ट के साथ नाम जोड़े थे कि यह सीनियर हायर सैकण्डरी है आपको वर्ष में तीन बार इसका निरीक्षण करना पड़ेगा, इसकी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। प्रत्येक सीनियर हायर सैकण्डरी के प्रिंसिपल के लिए उसके नीचे के सैकण्डरी स्कूल की लिस्ट बनायी। वहां जो भी आएगा उसकी ड्यूटी होगी कि वह अपने सारे सैकण्डरी स्कूलों का साल में तीन बार एग्जामिनेशन करे। दिन भर वहां रहे और एजुकेशन की दृष्टि से उन लोगों को गाइड भी करे, केवल कमियां-खामियां निकाल कर नहीं आए। कमियां-खामियां के लिए ही नहीं, उनको सुझाव देकर शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। इसी तरह प्रत्येक सैकण्डरी के टीचर को उसके नीचे के मिडल स्कूल दिये गये। प्रत्येक मिडल स्कूल के हैडमास्टर को उसके नीचे के प्राइमरी स्कूल दिये गये ताकि वर्ष में कम से कम तीन बार उनका निरीक्षण हो और फिर जिला बैठक में इस बात की मानिटरिंग हो कि वास्तव में हमारा शिक्षा का स्तर किधर जा रहा है और किधर नहीं जा रहा है।

हमारे जो केन्द्रीय पुस्तकालय हैं, उनके लिए हमारे पास पैसा होते हुए भी हम काम नहीं करते हैं। मैंने भी इस बारे में प्रयास ही किया। कई बार कोशिश की लेकिन जितना हम चाहते हैं उतना नहीं हुआ। क्योंकि यह सोचते हैं कि यह चीज कोई काम की नहीं है। हमारे पास लेवी का लगभग एक करोड़ रुपया आता है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड किताबों की लेवी के रूप में हमको पैसा देता है, पाठ्यपुस्तक मण्डल हमको लेवी के रूप में पैसा देता है और इसी तरह से मदन मोहन मालवीय का सहयोग हमको मिलता है। यह एक करोड़ रुपया सालाना हमारे पास होते हुए भी हमारे जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय हैं उनकी दुर्दशा है। अगर ये आंकड़े जो आपने मुझे किताब में दिये हैं, सही हैं तो आपको और मेरे को दोनों को चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। उदयपुर में सरस्वती के पाठकों की संख्या 1999 में एक लाख 20 हजार थी, उसके बाद 2000-2001 में केवल 81 हजार पाठक रह गये। इससे भी नीचे आप जोधपुर में आइये, सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि यह चीज क्या है। जोधपुर की हमारी लाइब्रेरी में पिछली बार 87306 पाठक थे जो अबकी बार मात्र 9

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हजार रह गये। कोटा में 38 हजार पाठक थे उसकी जगह 7500 रह गये और जयपुर में जहां आप और हम दोनों बैठते हैं, वहां पिछली बार 63306 पाठक थे अब मात्र 2700 लोग वहां जाते हैं। इसका मतलब यह है कि वहां न किसी प्रकार की पत्र-पत्रिकाएं हैं, न किसी प्रकार का फर्नीचर है, न किसी प्रकार के नये एडिशन आते हैं, न उनकी रेफरेंस बुक्स ठीक है, न वहां बैठने वाले व्यक्ति ने इस बारे में कोई चिन्ता की। इस प्रकार के हमारे सार्वजनिक पुस्तकालय हैं जिसके आधार पर आप और हम सब लोग पढ़े हैं। मुझे तो यह आज भी याद है कि सरस्वती लाइब्रेरी के कारण से मेरे जैसे सामान्य परिवार के व्यक्ति ने भी किताब लाकर अपनी शिक्षा जैसे-तैसे पूरी की। इसलिए मुझे इस बात का दुःख है। लेकिन इस पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं है।

अब यह सर्वे शिक्षा का अभियान है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने हमको कहा कि आप प्रोजेक्ट बनाकर भेजिए, आपको हर जिले के हिसाब से 50 लाख रुपये की हम सहायता करेंगे। हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे अधिकारियों ने प्रोजेक्ट बनाकर नहीं भेजा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कटारिया साहब, इसका एक दूसरा कारण भी हो सकता है, मैं आपसे माफी चाहता हूं जो मेरे ध्यान में आया है कि समाज का जो चिंतन है उसमें परिवर्तन हो गया। उसमें परिवर्तन यह हो गया कि समाज अर्थ को ज्यादा महत्व देने लग गया। शिक्षा की अपेक्षा अर्थ को ज्यादा महत्व देने लग गया और सारा समाज आर्थिक सम्पन्नता की ओर बढ़ने लग गया, क्योंकि,

"सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति"
"यस्यास्ति वित्तं सनर कुलीनः
स पंडितः सम दर्शिनः
सर्वे गुणा कांचन माश्रयन्ति"

सारे के सारे गुण पैसे में है, "कांचन माश्रयन्ति"। सब उसके अंदर है। मैं तो इतना ही कहता हूं।

श्री सभापति : पण्डितजी, बिराजिए। इतना ही कहना था उनको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपकी बात में सच्चाई है लेकिन इससे लड़ना भी हमको ही है, कोई बाहर का आदमी तो आकर नहीं लड़ेगा। इस समस्या का हल भी हमको ही ढूंढना होगा। अगर यह है तो इसको बदलने के लिए आज नहीं, हमको 20 साल बाद सफलता मिलेगी।

हमें प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए, कभी न कभी हमें सफलता मिलेगी। यह सर्व शिक्षा अभियान हमारे पास केन्द्र की तरफ से था लेकिन हमने केवल 8-9 करोड़ रुपये इसमें उठाये और हम इसका लाभ नहीं ले सकें।

उदयपुर की एन.सी.ई.आर.टी. हिन्दुस्तान में अपना नाम रखती है। अगर आप इसको ठीक प्रकार से देखें गुणात्मक दृष्टिकोण से तो इसकी जो उपलब्धियां हुई हैं पाठ्यक्रम की दृष्टि से या बाकी जो

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

प्रोजेक्ट होते हैं, उन प्रोजेक्ट में इसका बहुत बड़ा योगदान है। यह हो सकता है कि वहां स्टाफ बहुत अधिक हो। ऐसा है तो आप उसको काट-छांट सकते हैं उपयोगिता के आधार पर। लेकिन आपने तो उसमें इतने पद खाली कर दिये कि आज की तारीख में उनका सारा फंक्शन ही खतम हो गया। संयुक्त निदेशक के दो पद कम, उप निदेशक की चार पोस्टें नहीं, वाइस प्रिंसिपल की 14 पोस्टें नहीं, मतलब एक तरह से डम्प ग्राउण्ड बना दिया कि यह चले तो ठीक, नहीं चले तो ठीक। राजस्थान हिन्दुस्तान में पहचाना जाता है इस एनसीईआरटी. के कारण से और उसकी उपलब्धियों के कारण से। कमी-खामी हो सकती है। मैं नहीं कह रहा कि वहां कमी-खामी नहीं होगी, लेकिन यह हमारा अगर सोच बना तो हमें निश्चित रूप से घाटा होगा। शैक्षणिक दृष्टि से हम जो नवाचार करना चाहते हैं वह नहीं कर सकेंगे। कई बार हमको घाटा खाकर भी कई सौदे करने पड़ते हैं, शायद यह घाटा खाकर अच्छा करने वाला एक अच्छा शैक्षणिक संस्थान था जिसकी हालत हमने जर्जर कर दी।

डाइट को तो हमने समाप्त ही कर दिया। मुझे यह कहते हुए बहुत अफसोस है। 1986 में शिक्षा के नवीन विचार राजीव गांधी के दिमाग में थे कि शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जाए, ग्रामीण क्षेत्र के बालकों को कैसे आगे लाएं, इसलिए यह उनके दिमाग में से निकली थी डाइट। जिला केन्द्रों पर डाइट बनाई, हमने करोड़ों रुपये की बिल्डिंग बनाई, टीचर्स लगाये। हमने डिप्टी डायरेक्टर लेवल का आदमी लगाया वहां पर प्रिंसिपल के नाते, ताकि विद्यालयों में नवाचार हो, विद्यालयों में इन सर्विस ट्रेनिंग हो। जितने भी हमारे पाठ्यक्रम बनें उस पर चर्चा हो। लेकिन उस डाइट को तो हमने समाप्त करके डाल दिया। हमने जो एसटीसी. कायम की, मैं इसके घोर विरोध में हूं, दुनिया इसको कुछ भी कहे। इसलिए कि मैं जिस हालत में अपने गांव को छोड़कर आया हूं और जिस तरह मैं पढ़ा हूं, मैं समझता हूं। मुझे अपने दिन याद आते हैं तो आज भी मेरा मन भर जाता है। किस तरह से मेहनत करके पढ़ते हैं? इस एसटीसी. से गरीब की बच्ची जो देलवाड़ा में पढ़ती थी। बारहवीं पढ़कर अच्छे परसेंटेज के कारण कहीं न कहीं अध्यापिका बन जाती। चाहे डूंगरपुर के किसी सावला में पढ़ती आदिवासी की बच्ची, वह भी बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद मैरिट के आधार पर टीचर बन जाती थी। अगर आप अपने टीचर्स का एनेलिसिस करें तो ग्रामीण क्षेत्र के गरीब बच्चें बच्चियां जो कालेज का मुंह नहीं देख सकते, अपने अच्छे परसेंटेज के कारण एसटीसी. करते थे और एसटीसी. के बाद से उनका प्रतिशत अधिक होने के कारण से उनको निश्चित रूप से नौकरी मिल जाती थी। लेकिन हमने तो एसटीसी. को ही समाप्त कर दिया। अब हर बालक 14वीं छोड़कर 16वीं पढ़े, मुझे कोई एतराज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

नहीं है। वह अधिक एजुकेशन करे, लेकिन गरीब लोगों के लिए यह एक रास्ता था जो कम से कम मेरे उस ट्राइबल क्षेत्र में तो एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। आज भी अगर एनेलिसिस करेंगे, विशेषकर शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब की बच्चियों का अध्यापक में सलेक्शन देखा होगा तो इस एस.टी.सी. के कारण से देखा होगा। बच्चियां ब्रिलियेंट हैं, प्रथम श्रेणी से पास होती हैं, लेकिन आगे उनकी क्षमता नहीं है। आपने उस रास्ते को बन्द करके "डाइट" को पंगु बना दिया। इस पर फिर से विचार करो, क्योंकि डाइट की बिल्डिंग तो आपके यहां बनेगी राजसमंद में या नाथद्वारा में। बिल्डिंग का जरूर लाखों रुपया लगेगा, लेकिन उसके अंदर से निकलेगा क्या? उसके बारे में अगर हम विचार नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमको बहुत तकलीफ होगी।

मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान में कितने ऐसे बी.एड. के बच्चे हैं, एस.टी.सी. किए हुए हैं? आपको सुनकर ताज्जुब होगा और हम सब लोगों को इस बारे में विचार करना चाहिए या तो हमें एस.टी.सी. और बी.एड. कराके उस गरीब के परिवार को बरबाद नहीं करना चाहिए। मैं बरबाद इसलिए कहता हूं कि जब उसका बी.एड. में एडमीशन हो जाता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाने जाता है, हनुमानजी को, कि मेरा बी.एड. में सलेक्शन हो गया। 25-30,000 रुपये का जुगाड़ करता है, कहीं से भी उधार लेता है, खेत गिरवी रखता है और एस.टी.सी. या बी.एड. करता है। उसके बाद 3-3, 4-4 साल तक नौकरी नहीं लगती तो उधर ब्याज का कांटा घूमता है। फिर वह जहर खाता है या उसके मां-बाप जहर खाते हैं। इस प्रकार की स्थिति बन रही है क्या इसमें हम थोड़ा-सा परिवर्तन नहीं कर सकते? हमने नहीं किया होगा, कोई बात नहीं, गलती हुई होगी। लेकिन पहले हम टीचर्स को सलैक्ट करें और उसके बाद उनको इन-सर्विस भेजें। वह भी उसके खर्चे से जाए। क्यों उस बच्चे के माथे यह लगाते हैं कि आपको इतना पैसा खर्च करके बी.एड. और एस.टी.सी. करके जहर खाने के लिए घर-घर, गली-गली घूमना पड़ेगा? क्या हम इतना विचार नहीं कर सकते? पहले हम सलैक्शन का तरीका नहीं निकाल सकते और उसके बाद लड़का सलैक्ट हो जाए तो, कि पहले ट्रेनिंग पास करके आओ। सलैक्ट तो हमने कर लिया, जिस दिन आप ट्रेनिंग पास करके आओगे, उस दिन आपको नौकरी देंगे। हजारों बच्चे जिस प्रकार से बरबाद हो रहे हैं, राज्य में 28 फरवरी, 2001 को कुल 53767 बी.एड. और 14537 एस.टी.सी. प्रशिक्षित विद्यार्थी रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत थे। जुलाई, 1999 से फरवरी 2000 के मध्य राज्य सेवा में कुल 3243 प्रशिक्षित छात्र-छात्राओं की नियुक्ति हो चुकी और 68304 आशार्थी अब भी सेवा से वंचित हैं एवं इंतजार में बैठे हैं। अब ये 68000 बच्चे हैं, ये 68000 पहले से इंतजार में हैं, फिर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमने राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय से बी.एड. के फार्म निकाले। लाखों बच्चों ने आकर फार्म भर दिये और अपना पैसा बरबाद किया। बी.एड. करने के बाद, क्या होगा उसका? इस प्रकार से क्यों उस गरीब आदमी के साथ आप मखौल करना चाहते हैं? हम यह कह सकते हैं के ये प्राइवेट स्कूल में जाकर नौकरी करेंगे। हम 1200 रुपये देंगे राजीव गांधी पाठशाला में तो प्राइवेट वाला 800 ही देगा। तो क्या उस बी.एड. किए हुए बच्चे को आप 800 रुपये की नौकरी करने के लिए मजबूर करना चाहते हैं? प्राइवेट स्कूल को तो आप आदेश निकाल रहे हैं कि आपके अनट्रेण्ड टीचर नहीं लगेगा। हम आदेश निकालने से पहले अपने आप में तो सोचे कि हम आदेश क्या निकाल रहे हैं। अपने स्कूलों में तो हम ऐसे टीचर रख रहे हैं जो क्वालिफाइड ही नहीं हैं और उनको हम उपदेश की भाषा पढ़ाना चाहते हैं कि आपके यहां अनट्रेण्ड टीचर नहीं रहे। ये दोहरे नाप-तौल नहीं चलेंगे। दोहरे नाप-तौल चलाएंगे तो हमारा ढांचा कोलेप्स होकर गिर पड़ेगा, इस बारे में हमको जरूर सोचना चाहिए।

बालिका फाउण्डेशन बनाया, इस मंशा से बनाया कि हम बालिकाओं को शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा ला सकें। हमने उसके केवल दो काम किये हैं, एक तो हमने गार्गी पुरस्कार दे दिया कि जो भी बच्ची 10वीं में 75 प्रतिशत से अधिक अंक लेकर आएगी उन सभी बच्चियों को हम 1000 रुपया ग्यारहवीं में और 1000 रुपया बारहवीं में देंगे। यह पैसा हम दे रहे हैं। इसी प्रकार से हमने पाठ्य-पुस्तक मण्डल को कहा कि आठवीं में एक ब्लाक में जो बच्ची प्रथम नम्बर पर आएगी उसको भी दो साल का 1000-1000 रुपया देंगे। यह भी हम दे रहे हैं। पर बालिका फाउण्डेशन की स्थापना के पीछे केवल यह मंशा नहीं थी। मंशा यह थी कि हम बालिका एजुकेशन को कैसे इम्प्रूव करें, इसके लिए किस प्रकार का कार्यक्रम लें और जनता से इसमें सहयोग की राशि ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करके इस फण्ड को बनाएं। सरकार ने तो एक करोड़ रुपये एक बार में दे दिये लेकिन हमारा फर्ज था, आखिर इतने लोग हमसे मिलने-जुलने वाले आते हैं, इतने लोग हमारे परिचय में आते हैं, हम बालिका फाउण्डेशन में कोई अभियान चलकार पैसा इक्ट्ठा करें तो निश्चित रूप से हम ग्रामीण स्कूलों के बच्चों को मदद कर सकेंगे।

आपने पंचायत राहत में ब्लाक एजुकेशन आफिसर लगाया है, इसकी बहुत दुर्गति हुई है। इस पर आप विचार करो। 84 ब्लाक हैं, 84 ब्लाक में से केवल 32 ब्लाक पर आपने लगा रखे हैं, बाकी एस.डी.आई. लगे हुए हैं। यानी हम शिक्षा को सुधारना चाहते हैं और जो वहां आदमी बैठा हुआ है उसकी कोई क्षमता ही नहीं है। हमारा इसके पीछे सोच यही था कि हम ब्लाक आफिसर, इस प्रकार का शिक्षक तैयार करें। मेरी प्रार्थना है कि इसको हम झमेले से बाहर निकालकर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

आपको जो नियंत्रण करना है शिक्षा पर, वह नियंत्रण आप प्रधानजी के माध्यम से कराओ, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उस कैम्पस में बैठाकर इस शिक्षा की दुर्गति मत कराओ। नियंत्रण के लिए कोई एजराज नहीं है कि प्रधानजी का नियंत्रण रहे या किसका नियंत्रण रहे, लेकिन जिस प्रकार के हालात बन रहे हैं उससे ऐसा लगता है, अभी आपने शिक्षा दर्पण बनाया, क्या जरूरत थी? मैं यह नहीं समझ पाया कि हम लोगों को यह राय कौन देता है। शिक्षा दर्पण का मतलब यही है कि सर्वे रिपोर्ट तैयार करना। सर्वे रिपोर्ट तो आपके डायरेक्टर ने पहले ही तैयार करा दी थी जिस पर हमारा एक करोड़ से भी ज्यादा रुपया खर्च हुआ और फाइल पर भी लिखा था कि यह काम तो हो चुका है। उस समय पी.एन. भण्डारी थे उन्होंने फाइल पर लिखा था कि कोई आवश्यकता नहीं है शिक्षा दर्पण की। यही नहीं, इस शिक्षा दर्पण के बारे में स्वयं चीफ सैक्रेटरी ने यह लिखा कि सारे आंकड़े आ जाएंगे, जनगणना 2001 होने वाली है, शिक्षा दर्पण बनाने से कोई लाभ नहीं। हमने एक करोड़ रुपये किस कारण से और किस गलतफहमी में खर्च किये, मैं यह जरूर जानना चाहूंगा आपसे।

अब आपके कोटा में पैरा टीचर्स का सलैक्शन हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कहीं तो कोई छिपा हुआ चोर है। पैरा टीचर का आप जो फार्मूला लाये, मुझे ऐसा लगता है कि बैक डोर एंट्री कराने की आपके मन में कल्पना है। कराएं, कोई एतराज नहीं। आपके पास अधिकार है उसका उपयोग करो, खूब करो। इससे अपने राजस्थान का भविष्य सुधर सकता है तो आपको बहुत-बहुत मुबारक, मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन। पैरा टीचर का जो सलैक्शन है, आप चाह रहे हैं कि नीचे से प्राइमरी स्कूल के टीचर्स को खाली करके मिडल स्कूलों में भेज दिया जाए और मिडल स्कूल भेजने के बाद जितनी जगह खाली होती है उनमें पैरा टीचर भर दिये जाएं। कोई क्वालिफिकेशन देखने की जरूरत नहीं, कोई मैरिट देखने की जरूरत नहीं। मर्जी आए जिसको धक्के दो, दो अपनी ठोको, दो अपनी ठोको। इस तरह पैरा टीचर का सलैक्शन आपके कोटा में हुआ। जब कोटा में पैरा टीचर का सलैक्शन हुआ तो जिला कलक्टर ने अपनी तरफ से इस बारे में अपनी रिपोर्ट दी। अपनी रिपोर्ट में लिखा, मेरा सुझाव है कि श्री उस्मान गनी को तत्काल निलम्बित कर उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाए। यह उनकी रिपोर्ट है। इसके बाद आपका संयुक्त निदेशक लिख रहा है कलक्टर को वापस चिट्ठी। उपरोक्त विषय में निवेदन है कि डी.पी.ई.पी. कार्यालय, कोटा से निम्न अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में निदेशालय बीकानेर के लिए अविलम्ब कार्यमुक्त करने का कष्ट करें श्रीमती मंजुला गौतम, जिला परियोजना अधिकारी और कल्लू अंसारी, सहायक। लेकिन इसमें अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये कागज हैं आपका

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अधिकारी जांच के लिए जाए, जांच रिपोर्ट दे और उस रिपोर्ट के बाद भी हम इसकी पालना नहीं करा सकें? यह आपकी जांच रिपोर्ट भी मेरे पास है। उन्होंने मर्जी आये जिसको "ए" ग्रेड दिया, "बी" दिया, "सी" दिया, 'ए' को काट करके कर दिया। इस तरह से सलैक्शन करके उन्होंने जिस प्रकार किया उस पर भी हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं? क्षमा चाहूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्रयोगशाला सहायक के बारे में हम लोगों ने निर्णय किया था, क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं थी दसवीं में विज्ञान और गणित खतम कर दी थी हमने, इसलिए प्रयोगशाला सहायक को टीचर बनाया। यह कहकर बनाया था कि आप सब लोग एस.टी.सी./बी.एड. कर लो, ताकि आप एज ए टीचर बनकर आ जाएं। हमने उनको टीचर बना दिया। हमने 22 करोड़ रुपये तो बचा लिये सरकार के, लेकिन उसके बाद उनका आज तक कोई निर्णय नहीं कर सके कि इनकी ट्रेनिंग कहां होगी और इनका आगे का भविष्य क्या होगा।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : इनको बोलने दीजिए। शिक्षा के विशेषज्ञ हैं।

श्री सभापति : पण्डितजी, बोलने के लिए तो बोल रहे हैं, लेकिन समय सीमा का भी ध्यान रखना पड़ता है, और भी वक्ता हैं। बाकी तो आप काफी बोले हैं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : हमारा समय दे दो, और तो क्या होवे। यह शिक्षा के विशेषज्ञ हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : माननीय मंत्री महोदय, यह जो हमने डी.पी.ई.पी. प्रारम्भ किया था इसके पीछे सोच थी। हमारे यहां लोक जुम्बिश चल रही थी और लोक जुम्बिश के साथ डी.पी.ई.पी. सामान्यतः नहीं है। हमने प्रयास करके, दिल्ली जाकर व्यक्तिगत मिलकर कहा कि हमको डी.पी.ई.पी. का देओ। उन्होंने 19 जिले हमारे स्वीकार किये। 13 जिलों में हमने लोक जुम्बिश को केन्द्रित किया, 19 जिलों में हमने डी.पी.ई.पी. को केन्द्रित किया और उसके सारे प्रोजेक्ट्स बनाकर एक जिले के 40 करोड़ रुपये पांच साल में हमें स्वीकृत हुए। लेकिन मुझे कहते हुए बहुत अफसोस है कि हमने ढाई साल में इस डी.पी.ई.पी. की दुर्गति की है। किसके कारण की, क्या की, इसका पोस्टमार्टम करना मेरा काम नहीं। पर क्योंकि आप शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हो, मैं आपका जरूर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि आपके ऊपर इतना वजन लाद दिया गया है कि इस वजन के कारण से आप इस विभाग के साथ न्याय नहीं कर पा रहे हैं। कृपा करके हमारी महत्वाकांक्षा को कम करके इन बच्चों के प्रति हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट्स हैं इन प्रोजेक्ट्स की स्थिति को हम ठीक बनाएं। हमको पहले साल में यह जो अपन ने 10 जिले सलैक्ट किये थे उनमें 227 करोड़ रुपया स्वीकार हुआ और सैकण्ड फेज 1999-2000 में जो नौ जिले

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

थे, उसमें हमको 100 करोड़ रुपये मिलने थे। ये 373 करोड़ रुपये हमारे स्वीकृतशुदा थे। इसमें से 85 प्रतिशत ग्रांट है, हमारा कुछ नहीं है। हमारा तो केवल 15 प्रतिशत पैसा लगता है। इस ग्रांट को हम नहीं उठा सके, बहुत अफसोस है। केन्द्र सरकार ने हमको केवल 35 करोड़ रुपये इसके अगेंस्ट दे दिये। इस 35 करोड़ की भी क्या दुर्गति की? हम जिस प्रकार से स्कूल में चाहे उस प्रकार का भवन बनवा सकते हैं, साज-सज्जा दे सकते हैं, हम टीचर अपाइंट कर सकते हैं, सब प्रकार की व्यवस्था है। हर जिले में इस एलीमेंट्री एजुकेशन को जितना स्ट्रेंथन करना चाहे, उतना पैसा हमारे पास उपलब्ध है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हम वह पैसा भी खर्च नहीं कर पाये हैं। अब मैं आपको इसमें बताता हूं कि क्या खर्च किया। "The implementation of AWP&B for 1999-2000 could not be created out as a plan due to unavoidable circumstances like Parliament, Local Body, Panchayat & Zila Parisad elections and 64 days strike of Govt. employees. The Govt. of India released Rs. 30 crores during 1999-2000 and the State's share released Rs. 2.10 crore. Against this, the actual expenditure was Rs. 2.62 crores." हमारा प्रोजेक्ट था 272 करोड़ का, केन्द्र से 30 करोड़ रुपया उन्होंने दे दिया और बाकी मैचिंग ग्रांट हमने मिला दी, लेकिन हम खर्च कितना कर पाये? केवल 2.62 करोड़ रुपये। अब दुर्भाग्य की स्थिति है अपने प्रदेश के लिए। बड़ी मुश्किल से पैसा कहीं से हमको मिलता है, वह भी ग्रांट है, हमको कोई इसका चुकारा नहीं करना है। लेकिन हमारा डिपार्टमेंट और हमारे अधिकारी किस तरह से इस बात को लेकर बैठे हैं? इसके लिए आप निश्चित रूप से दण्डित करो उस आदमी को, जिसने इस प्रोजेक्ट का ध्यान नहीं रखकर इसकी दुर्गति बनायी। इसके कारण आपने देखा कि यह स्थिति आज हमारे सामने आयी है।

यही नहीं, डी.पी.ई.पी. के जो आपने + + + तोड़े हैं वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। मुझे लगता है कि इसका जो सैकण्ड फेज तैयार करना था वह सैकण्ड फेज तैयार करने के लिए आपने एक एन.जी.ओ. को कबाड़ा। इस एन.जी.ओ. के लिए कोई विज्ञप्ति नहीं, किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं। मतलब हम अपने व्यक्तिगत आदमी को लाभ पहुंचाने के लिए प्रदेश के हित को बलिदान चढ़ा दे? हमने 18 लाख रुपया इस एन.जी.ओ. को देने की बात की। यह अनुभवहीन था, जबकि डी.पी.ई.पी. में वर्ल्ड बैंक की जो गाइडलाइन है उसके अनुसार डी.पी.ई.पी. जिले की कोर टीम द्वारा बनाया जाना चाहिये। 1998 में 10 जिलों के प्लान बनाये थे जिनकी भारत सरकार ने और

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

वर्ल्ड बैंक ने प्रशंसा की थी रिटिन में। दूसरे फेज में हमने 9 जिलों का प्लान बनाने का काम एक नवगठित अनुभवहीन संस्था "अरावली" को दिया। उसने कोई तैयारी नहीं की। 18 लाख रुपया देना था अगेंस्ट में 13 लाख रुपये का पेमेंट कर दिया। अब इसके बारे में कोई पूछे तो सही, आखिर यह क्यों किया, किस कारण से किया हमने? लेकिन हमें इस बारे में कोई दर्द नहीं होता है कि हम इसको किस तरह से चला रहे हैं। यही नहीं, आपने देखा होगा कि डी.पी.ई.पी....

श्री सी. पी. जोशी : आपने कहा, यह "अरावली" संस्था गलत बनी?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसका जो काम था, मैं कह रहा हूं कि अगर यह सही संस्था होती...

श्री सी. पी. जोशी : क्योंकि आप जिम्मेदार मंत्री रहे हैं, उस जमाने में जिस समय संस्था रजिस्टर्ड हुई है, आपका यह व्यू है कि यह संस्था बिलकुल खराब थी, बेकार थी तो मुझे आपके इस कथन में सहमति व्यक्त करने में कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि तत्कालीन सरकार ने एक "अरावली" संस्था बनायी, एन.जी.ओ. के नाम से एक संस्था बनायी। जिस संस्था के नाम से काम करने के लिए मिट्ठा लाजी मेहता जैसे आदमी को सलैक्ट किया और संस्था बनायी रजिस्टर की, पैसा ट्रांसफर किया, वह संस्था आपने यदि गलत बनायी है तो मेरा तो कोई कमेंट नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ऐसा है कि संस्था गलत या अच्छी कुछ नहीं होती, संस्था से काम आना चाहिये और उसका प्रोजेक्ट बनना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय कटारिया साहब, एक भी आदमी का एडीशन और सबस्ट्रेक्शन हमारी सरकार ने...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसने प्रोजेक्ट बनाकर दे दिया... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मैं नहीं पूछ रहा हूं, मैं तो आपसे, आपने उस संस्था के बारे में, इसलिए खाली यह कहना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संस्था अगर प्रोजेक्ट बनाकर समय पर दे देती तो हमारा 100 करोड़ रुपया हमको मिलता। हमारा प्राजेक्ट समय पर सब्मिट नही हुआ। इसके कारण से सैकण्ड फेज का जो प्रोजेक्ट अनुमोदित था वह हमको नहीं मिल पाया। किसी संस्था के नाम-पते से कोई लेना-देना नहीं है। हमारा कहना यह है कि अगर वह संस्था समय पर काम करती। और हमें पता था कि यह काम नहीं कर पा रही है तो उसको तुरन्त आउट करके हम अपने डिपार्टमेंट के लोगों को लगाकर काम कराते।

श्री जुगल काबरा : माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य कह रह थे कि अपनी कुछ निजी संस्थाओं को लाभ पहुचाने के लिए इस तरह से यह काम सौंपा गया, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : इसका तो, काबरा साहब, स्पष्टीकरण माननीय शिक्षा मंत्री ने दे दिया, अब आप और क्या जानना चाह रहे हैं?

श्री जुगल काबरा : निजी संस्था को लाभ देने के लिए जो माननीय सदस्य ने कहा, मैं उसके बारे में जानकारी चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो खाली ध्यान आकर्षित करने के लिए कि जिस संस्था को आप निजी संस्था के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, वह संस्था निजी संस्था नहीं है। राजस्थान सरकार जिसके आप मंत्री थे, उसने इस संस्था को क्रीएट किया। उसने स्टेट का पैसा दिया है। उस संस्था को आप मेरी निजी संस्था बता रहे थे इसलिए मैंने आपको इन्टरवीन किया बाकी मैं इन्टरवीन नहीं करता।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अगर वह संस्था मेरे द्वारा भी बनायी गयी है लेकिन अगर वह काम नहीं करे तो उसको 13 लाख पुरस्कार के रूप में नहीं दिया जाना चाहिये।

श्री सी. पी. जोशी : मैं नहीं कह रहा हूं। आपने कहा निजी संस्था। आपने कहा, यह संस्था मैंने बनाकर संस्था को दिया है, इसलिए मैंने आपको इन्टरवीन किया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : संस्था मैंने बनायी, आपने बनायी, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसको जिस प्रोजेक्ट का काम दिया था...

श्री सी. पी. जोशी : यह महत्वपूर्ण है। यह मैसेज जाए कि मंत्री ने अपनी एक निजी संस्था को ओब्लाइज करने के लिए काम दिया। यह मैसेज देना था इसलिए मैंने कहा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आप जब बोलो तब इसको स्पष्ट कर देना कि यह मेरी निजी नहीं है। काम खतम।

श्री सी. पी. जोशी : मैं समझता हूं कि यह ठीक परम्परा नहीं है। आप मंत्री रहे हैं, इसलिए मैं चाहता था कि अप-डेट चीजें सामने आ जानी चाहिये कि यह संस्था निजी नहीं है। बाकी मैं आपको इन्टरवीन नहीं करता इसमें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा तो केवल यह था कि संस्था की जो कमियां थीं, जिसको देखने का हमारा अपना दायित्व है, उसको हमें देखना चाहिये। 100 करोड़ रुपये का नुकसान प्रोजेक्ट रिपोर्ट समय पर नहीं बनने के कारण से स्टेट को हुआ है और उसको 13 लाख रुपये का पेमेंट हुआ है, इसको हमें देखना चाहिये और इसका हल निकालना चाहिये।

फिर इसमें आपने सलेक्शन के लिए एक्ट पास किया था। अब यह एक्ट है आपका लोकल सेवा में नियुक्तियों का विनियमन और स्टाफ का सुव्यवस्थितकरण अधिनियम, 1999, इस अधिनियम में आपने अपनी तरफ से जो बात कही, उस बात को आपको ध्यान में रखकर सलेक्शन करना चाहिये। इसके पीछे मंशा यही थी कि मर्जी चाहे जैसे लोगों की भर्तियां नहीं हो जाएं। फिर भी उसमें अपराध और दण्ड। अब अगर इसमें कोई गलती करता

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

है तो क्या सजा का प्रावधान है, वह सैक्शन 14 में किया आपने। कोई भी व्यक्ति या प्राधिकारी जो इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लंघन करता है, अधिकारिता रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्धि पर अन्यथा उपबन्धित शास्तियों का और अतिरिक्त ऐसी अवधि के कारावास जो 6 माह से कम नहीं होगा और जो दो वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने में पांच हजार रुपये से कम नहीं होगा, परन्तु जो 10 हजार रुपये तक का होगा। इसके पीछे मन्तव्य अपना यह था कि चाहे जैसे लोगों को इन नये-नये प्रोजेक्ट्स में हम सलैक्ट नहीं करें। जो इन-सर्विस हमारे लोग हैं उन्हीं का हम सलेक्शन करें ताकि कभी भी प्रोजेक्ट के खतम होने के बाद भी सरकार पर किसी प्रकार का भार नहीं पड़े। लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि यह सलेक्शन की डेट तो थी सात तारीख, इसी 2001 को 7.4. को इन्टरव्यू थे, उसके पहले आपने अपनी तरफ से एक परिपत्र निकाला। वह परिपत्र क्या कहता है? लोक जुम्बिश के तीन चरण के विभिन्न स्तरों पर रिक्त पदों की विज्ञप्ति प्रकाशित की जा चुकी है। इन सभी पदों को प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे किन्तु लोक जुम्बिश में जो कार्मिक पूर्व में ही संविदा पर कार्यरत

(15.30 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

हैं तथा विज्ञप्ति में प्रकाशित विभिन्न पदों की योग्यता रखते हैं। तीन तारीख को तो आपने यह सूचना निकाली। 4, 5 और 6 को छुट्टी थी, 7 तारीख को यह इन्टरव्यू होना था। यह जिसने भी निकाली, व्यक्तिगत लाभ देने की दृष्टि से यह आदेश निकाला।

श्री संयम लोढ़ा : उपाध्यक्ष महोदय, डेढ़ घंटे हो गया, आपने कितना समय किसको दिया, इतना तो बताइये। डेढ़ घंटा हो गया, साहब, आखिर कांग्रेस के लोगों को भी बोलना है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : दुःखी हो गये, साहब। सुनते-सुनते कान पक गये अब तो।

श्री उपाध्यक्ष : इसीलिए तो आया हूं मैं।

श्री संयम लोढ़ा : सत्य तो हम भी बता देंगे। सत्य में कहां कमी है।

श्री उपाध्यक्ष : अब दुःखी मत होओ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब सुखी तो मैं आपको कैसे कर सकता हूं, मेरे पास तो कोई जादू नहीं है कि मैं सुखी कर सकूं। जो मुझे जानकारी है वह बता रहा हूं, सुखी हो या दुःखी हो।

श्री उपाध्यक्ष : अब दुःखी होने की कोई बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इस प्रकार की जो नियुक्तियां होती हैं, उन पर निश्चित रूप से आप कंट्रोल रखिये।

अब परियोजना में दो लोगों की नियुक्ति हुई, उनको आप थोड़ा सा दिखवा लें। एक गणेश निगम और एक रीता चतुर्वेदी। यह जो रीता चतुर्वेदी है इसने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

80 हजार रुपये का गबन किया। इससे जमा कराया। और यह भी बड़ा आश्चर्य है कि एक थर्ड ग्रेड की टीचर आज डीईओ. रैंक में आकर बैठ गयी और जिसमें ना यह बी.एड. है।

श्री सी. पी. जोशी : क्या नाम है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : रीता चतुर्वेदी। यह डेयरी में थी। डेयरी की महिला एलडीसी., क्लर्क थी यह। पहले प्रिंसिपल ग्रेड में प्रोजेक्ट आफिसर बनाया और इन साक्षात्कारों ने उनका. चयन सहायक निदेशक पद पर। यह चाहे किसी भी प्रोजेक्ट के अधिकारी ने किया, यह आपके और मेरे भी ध्यान में नहीं आ सकता है लेकिन यह थर्ड ग्रेड एलडीसी. को हमने डीईओ. रैंक पर लाकर सलैक्ट कर दिया। इसी प्रकार से गणेश निगम का है जिसके बारे में आप देखें।

मैं आपका ध्यान कुछ समय के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मंत्रीजी, आप इसको देखिये। राजस्थान का बोर्ड हिन्दुस्तान में माना जाता है, इसकी अपनी प्रतिष्ठा हम सब लोगों के प्रयास से वर्षों से इसको प्राप्त हुई। लेकिन इसकी इसी प्रकार की हालत बनती जा रही है।

अभी आपने इसी साल परीक्षाओं का संचालन किया। उस परीक्षा के संचालन के लिए आपने जिस प्रकार का कम्प्यूटराइजेशन करने की कोशिश की, लगभग 60 हजार बच्चों को उनके रोल नम्बर नहीं मिले और रोल नम्बर मिले तो लड़की पर लड़के का फोटो लग गया, किसी पर कुछ हो गया। उसका रोल नम्बर उसे मिला नहीं, बच्चा घूमता रहा। एक-दो दिन पहले उसे पता लगा यहां से। यही नहीं, आपको सुन कर ताज्जुब होगा, यह आपके ध्यान में आया होगा कि लगभग 25 हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो रहने वाले हैं यहां के और सेंटर दे दिया डूंगरपुर में, किसी को सेंटर दे दिया बाड़मेर के किसी गांव में बच्चियों को दिया। ये सब वे प्राइवेट बच्चे थे...

श्री उपाध्यक्ष : इन्होंने थोड़े ही दिया, यह तो कम्प्यूटर ने दिया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : कम्प्यूटर ने नहीं दिया, कम्प्यूटर काम नहीं कर सका तो बाद में इन्होंने मैनुअल काम कराया। समय इतना कम रहा कि मैनुअल काम हुआ नहीं और उसके कारण जल्दी-जल्दी जो भी हो सकता था, इस तरह से यह सारा परीक्षा की व्यवस्था कराने का काम किया। (व्यवधान) वह भी मैं बताता हूं। परीक्षा की अपनी सैंक्टिटी होती है। उन बच्चों को, लड़कियों को व्हीकल किराया करके मां-बाप के साथ एक सेंटर से दूसरे सेंटर पर जाना पड़ा। उसके बाद भी सबसे बड़ा दुःखद पहलू यह है, आप निकलवाना, जितने बच्चे परीक्षा देने वाले थे, मेरा रफली अंदाज है, एग्जैक्ट फिगर नहीं बता रहा हूं, 20 हजार से लेकर 25 हजार बच्चे परीक्षा से महरूम रहे हैं क्योंकि उनको इस बात का पता नहीं कि उनका रोल नम्बर क्या है। फिर आपने क्या किया? एक आदेश निकाला कि जहां मर्जी आये जहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

बैठ जाओ। कोर्ट में जाना पड़ा। वह भी हाई कोर्ट से लाया था कि परीक्षा देनी है, रोल नम्बर मिला या नहीं मिला। तो आपने एक आदेश, दो आदेश, तीन आदेश, बराबर निकाले कि जो जहां मर्जी आये बैठ जाओ। स्कूलों में कमरे ही नहीं, बैठने के लिए फर्नीचर नहीं। लड़के कहीं तो हलवाई की थाली लेकर उसके पीछे लिख रहे हैं, कोई बच्ची किस तरह से बैठ कर लिख रही है। इस प्रकार का परीक्षाओं का संचालन आपका हुआ। उसमें भी आपने एक आर्डर निकाला, अगर पेपर नहीं हो फोटो स्टेट कर लेना। फोटो स्टेट नहीं हो तो चाहे जिस पर भी। हमारी कुछ कापियां हैं, हमारे कुछ पेपर हैं। जो भी उस बोर्ड की गरिमा थी उस कम्प्यूटराइजेशन के पीछे हमने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। क्योंकि आप जल्दी में हैं इसलिए मैं भी इस बात को ज्यादा नहीं कहता। मेरे पास आपके सारे आर्डर हैं जो आपने निकाले हैं। आप पांच तारीख को एक आर्डर निकालते हैं, उसका कोई मतलब है? फिर 11 तारीख को दूसरा आर्डर भेजते हैं। फिर कहते हैं अगर फोटो स्टेट कराना हो तो फोटो स्टेट करा दो, जो जहां बैठे, बैठने दो। आपका फोटो देखने की जरूरत नहीं परीक्षा देने की जरूरत नहीं। मेरी जगह दूसरा जाकर परीक्षा दे दे तो उस परीक्षा का क्या मूल्य है? इस परीक्षा की हमारी जो गरिमा है न उसकी बिलकुल धज्जियां उड़ कर रह गयी हैं। इसको आप देखो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं पांच-सात मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

अब यह और आश्चर्यजनक बात है। आप देखे कि इस बोर्ड की क्या दुर्गति होती जा रही है। ऐसा आपने कभी सुना है कि ठेके पर कापियां जंचवाते हैं? कभी हुआ है बोर्ड में? ठेके पर सवा लाख कापियां एक रिटायर प्रिंसिपल, फालना को दी हैं। अब वह कब तो अपने टीचर्स अपाइंट करेगा, कौन उसे जांचेगा? क्या वह विषय अध्यापक भी होगा या नहीं होगा? अगर यही हमारी बोर्ड की गरिमा है तो आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे इस बात का दुःख है। हमने बोर्ड की प्रतिष्ठा को जमाने के लिए इतने वर्षों तक प्रयास किये, हम हिन्दुस्तान में नम्बर एक के बोर्ड के रूप में गिने जाते हैं, हमारी परीक्षा और सब बातें हैं। लेकिन अगर ठेके पर कापियां जंचने के लिए जाएंगी तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता।

मुझे आश्चर्य है कि जो मान्यता देने का बोर्ड काम कर रहा है। आप इस मान्यता के प्रकरण को स्वयं अपनी आंख से देखना, और अगर आपका अन्तर्मन कहे कि हां, यह गलत है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी की मान्यता दे रहा है। कौन दे रहा है? सदस्य कौन है जो सैकण्डरी का हैडमास्टर है और तीन कमेटी के मैम्बर हैं। एक प्राइमरी स्कूल

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की आठवीं का हैडमास्टर। मान्यता किस की दे रहे हैं? दसवीं और ग्यारहवीं की? इससे भी निर्लज्ज काम किया, मान्यता के जो फार्म हैं इस पर तीनों ने एडवांस में सिग्नेचर कर रखे हैं। उसके आधार पर जिसको आप अध्यक्ष कहते हैं, उस अध्यक्ष ने उसके बाद मर्जी चाहे जैसे लोगों को मान्यता देकर घपला किया। अगर घपला नहीं किया तो ब्लैंक पेपर पर दस्तखत कराकर मान्यता का कागज इस कमेटी से लेने का औचित्य क्या है? इस कमेटी के गठन का मतलब क्या है? आज दिन तक इस बोर्ड में कभी इस प्रकार से नहीं हुआ। इस प्रकार के लोगों का बोर्ड के अन्दर हम सलैक्शन करें और सलैक्शन के आधार पर हम बोर्ड की मान्यता दें? अभी समय नहीं है। बीकानेर के पांच स्कूलों को अभी मान्यता दी जो मान्यता के एक अक्षर की पूर्ति नहीं करते। हमारे यहां जब तक आठवीं की स्थाई मान्यता नहीं होती, उसको दसवीं की मान्यता मिलने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जिस प्रकार की स्थायी मान्यता देकर हमने इस बोर्ड की सारी गरिमाओं को तोड़ने का प्रयास किया है, इसके लिए मैं निवेदन कर रहा हूं।

यही नहीं, आपने बहुत घोषणा की। मैं आपका तो सारा पढ़ना चाहता था क्योंकि आपको स्वयं को यह एहसास होना चाहिए कि जो कुछ हम बोलते हैं उसका पालन करना भी हमारा धर्म है। ऐसा नहीं कि हम विधान सभा में कुछ भी बोल जाएं। हम शौक के लिए नहीं बोलते हैं, हम जिस बात के लिए भी कहते हैं, हम कमिटेड हैं। ये मैंने सारे फ्लैग लगा रखे हैं।

इसमें स्थानान्तरण नीति के बारे में आपने कहा कि हां, मुझे इस बात का दुःख है कि दस साल तक आदमी गांव में रहता है, वह तो शहर में नहीं आ सकता। ट्रांसफर पालिसी बन गयी। आपने कहा था एक साल पहले की मैं छठी, सातवीं और आठवीं के लिए विषय अध्यापक लगाऊंगा। लग गये विषय अध्यापक? एक-एक बिन्दु पर, आपका जो भाषण है उस पर मैंने फ्लैग लगा रखे हैं। मैं आपको निश्चित रूप से कह सकता हूं कि न तो यह विषय अध्यापक लगाना अनिवार्य है। मगर आप आठवीं के बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हो तो आठवीं की गणित हर कोई अध्यापक नहीं पढ़ा सकता है, आठवीं की विज्ञान हर कोई नहीं पढ़ा सकता है। मैंने अपने समय में भी प्रयास किया था कि कम से कम तीन विषय अध्यापक तो मिडल स्कूलों में हों। अब आपने ये सब बातें उस दिन तो कहीं थीं लेकिन उसकी पालना साल भर में नहीं हुई। इस सरकार की आधी उम्र पूरी हो रही है, आधी उम्र पूरी होने के बाद में भी परिणाम नहीं आये। उससे पहले वालों का भी भाषण है, कल्लाजी का भी भाषण है, बड़ा सिद्धान्तों का भाषण दे गये, एक कौड़ी की पालना इस विभाग में नहीं होकर इस विभाग की जैसी दुर्गति की है। और डिपार्टमैंट के साथ आपको कुछ करना है, करें पर मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

कि कम से कम इस शिक्षा जैसे पवित्र संस्थान को बिगाड़ने की कोशिश न करें। इसको किसी प्रकार से ठीक करने की बात करें।

अब आपने सारे विद्यालयों में कम्प्यूटर देने की घोषणा की।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी। हो गया न अब बहुत, डेढ़ घण्टा हो गया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक मिनट में मैं पूरा कर रहा हूं। मेरे पास बहुत मामला है, आप जल्दी कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : अब आपके पास तो बहुत सामान है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मुझे आश्चर्य है, मुझे आपको यह बताना पड़ता है। यह जो बोर्ड के लिफाफे हैं, इनको आप खुलवा कर दिखाओ। किस प्रकार का हम पैकिंग करते हैं, किस प्रकार से...

श्री हीरालाल विश्नोई : आठ साल का सामान है इनके पास।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो, बैठो। आपके बस की बात नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह नहीं, अभी तो बहुत है।

हमारे बोर्ड के ऊपर जो पेपर सैट होते हैं, पेपर आते हैं वह दस-दस की गड्डी में आते हैं और उसका पेपर भी अच्छा होता है और उसके साथ उसमें कलर्ड पेपर, अन्दर ऐसे कलर्ड रहता है हमारे पेपर के अन्दर। उसकी जगह आपने पेपर कौनसा काम में लिया? यह हमेशा हमारा कलर्ड पेपर होता है ताकि कोई दूसरा आदमी नहीं बना सके। आपने क्या किया? मैंने इसका प्रश्न भी पूछा, लेकिन मुझे आश्चर्य है कि सरासर सच को पी गये, सच को चबा गये। मैं आज दावे के साथ कहता हूं, मैं अगर गलत हूं तो मुझे सजा देना। मैं इस सदन में कह रहा हूं, यह जिस आदमी ने प्रिंट करवाया, यह हल्का कागज, कोई गरिमा नहीं। मैंने कहा इस कागज की जांच करो। इस कलर की जगह इन्होंने क्या किया? यह ब्लैक कलर, यह पेपर खराब हो गया। लाखों रुपये कमाने का धंधा इस बोर्ड को बना दिया। जिस प्रकार की इसकी किताबें और कापियां छपी हैं, यही वास्तव में हमारी मंशा है कि हम किसी भी कमी को सुधारना नहीं चाहते हैं तो यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी।

हमने प्रत्येक विद्यालय में कम्प्यूटर देने की बात की थी। हमारी सारी मिलाकर तीन हजार स्कूल हैं, इन तीन हजार स्कूल्स में अगर हम तीन हजार कम्प्यूटर दे देते हैं तो हमारा सारा मिलाकर, मैं सोचता हूं बहुत ज्यादा नहीं, नौ-दस करोड़ रुपये का खर्चा होता। लेकिन हमने प्राइवेट कम्पनी को दिया। वह एक बच्चे से पचास रुपया फीस लेता है महीने की, बारह महीने का 600 रुपया। जो छह लाख बच्चे हैं उनका मेरे हिसाब से 36 करोड़ रुपये से भी ज्यादा जाएगा। यह किसलिए जाएगा? एक कम्प्यूटर खरीद कर रख देते तो मैं सोचता हूं कि उस बच्चे को कम से कम पचास रुपये की फीस नहीं देनी पड़ती।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

गरीब के बच्चों के लिए कम्प्यूटर है कहां? हमने साल भर चिल्लाया था कि हम यह कर देंगे, वह कर देंगे, साल-साल भर निकल जाने के बाद भी जिस प्रकार से प्राइवेट कम्पनी को देकर आपके बच्चों से 600 रुपया लूटने का जो काम किया है, कृपा करके आप इसे रोकिए। हमने जो 296 कम्प्यूटर्स विद्यालयों में दिये हैं, केन्द्र सरकार से जो आये, उनके लिए आपने आदेश भी दिया। पढ़ो आप, पढ़ कर आपको हैरानी होगी। आदेश में आपने लिखा है कि इनको पेटी में पैक करके बन्द कर देना। यह आपका आदेश है, आपके अधिकारी का आदेश है। जो हमने भेजे 296 कम्प्यूटर, जिनका पैसा लगा, उसको तो पेटी में पैक कर देना और जिस कम्पनी को दिया इसके आधार पर देना। उसके भी कुछ नार्म्स बनाये थे कि कम्प्यूटर किसको दिया जाए, लोकल होगा, वहां का होगा। एक ही कम्पनी को सारे राजस्थान का काम देकर आपने बच्चों को लूटने का काम किया। कृपा करके दिखवाओ। कोई अहंकार का सवाल नहीं है। सवाल है तो उस बच्चे के भविष्य का, उसकी चिन्ता हम करें। कौन क्या कमाएगा और कौन नहीं कमाएगा, यह हमारे सोचने का विषय नहीं है। बोर्ड की दुर्गति और बाकी चीजें मैंने बतायीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इसे ठीक करने का प्रयास करें। यही बात कह कर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, शिक्षा के सम्बन्ध में जैसा हम चर्चा करते हैं तो मैं सदन के सामने वह स्थिति रखना चाहता हूं जो राजस्थान बनने के समय हमारे प्रान्त में थी। अलग-अलग रियासतों से बने राजस्थान में उस वक्त शिक्षा के नाम पर कुछ ही स्कूल्स थीं। हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं थी, एक भी यूनिवर्सिटी राजस्थान में नहीं थी। हम एक बोर्ड से दसवीं तक की पढ़ाई गांवों में किया करते थे और राजस्थान को आगरा यूनिवर्सिटी के नीचे लगाया हुआ था। उस स्थिति से, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमने जीरो से स्टार्ट किया है। राजस्थान में शिक्षा की दृष्टि से जो कार्य हुए हैं, प्रथम मुख्य मंत्री श्री हीरालालजी शास्त्री से लगाकर वर्तमान मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत के समय तक जितनी भी सरकारे बनी हैं, राजस्थान में चाहे किसी भी पार्टी की सरकार बनी हो, किसी भी दल की बनी हो, उन्होंने कुछ न कुछ अपना योगदान शिक्षा के प्रसार में लगाया है। आज हम आलोचना इस बात की करें कि इस सरकार ने क्या किया, उस सरकार ने क्या किया, उसमें पड़कर हमें उस परिप्रेक्ष्य में जाना चाहिए जहां से हम शुरू हुए थे और आज हम किस स्टेज पर पहुंच गये। हमारे पास विश्वविद्यालय हैं, डीम्ड विश्वविद्यालय हमारे पास हैं। पिलानी जैसी संस्था दसवीं क्लास का स्कूल था, आज डीम्ड यूनिवर्सिटी है। वनस्थली

(श्री शिवनाथ सिंह)

विश्वविद्यालय जो डीम्ड है, तीसरी-चौथी क्लास से शुरू हुआ था। राजस्थान यूनिवर्सिटी बनी, उसके बाद भिन्न-भिन्न जगह अलग-अलग विश्वविद्यालय बने। मुझे कहते हुए गर्व है कि राजस्थान विश्वविद्यालय की साख पूरे हिन्दुस्तान में बहुत ही ऊंची रही है। हमारे गांवों में कोई स्कूल थी नहीं। अभी माननीय कटारियाजी कह रहे थे कि इन प्राइवेट लोगों ने शिक्षा में योगदान दिया, यह बात सही है। लेकिन वह उस समय दिया था जबकि सरकारी स्कूल्स नहीं थीं और वे प्राइवेट संस्थाएं भी कमिटेड थीं। अलग-अलग क्षेत्रों के हिसाब से, कई संगठनों के हिसाब से स्कूलें चलती थीं। आज वह स्वरूप इन प्राइवेट स्कूल्स का नहीं रहा है। उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज गांव-गांव में हमारे एक भी छात्र को एक किलोमीटर से दूर पढ़ने के लिए जाना नहीं पढ़ता है। मुझे वह समय याद है जब हमारे शेखावाटी के क्षेत्र के लड़कों को परीक्षा के लिए, आठवीं-दसवीं के लिए जयपुर आना पड़ता था। आज हर गांव में, हर स्कूल में परीक्षा केन्द्र हैं। यह सब जो विकास हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में, वह अद्वितीय है। राजस्थान के जन प्रतिनिधियों का, राजस्थान की जनता का और राजस्थान की सरकारों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है।

आज जब हम चर्चा करते हैं तो विस्तार की दृष्टि से ही नहीं, गुणवत्ता के हिसाब से हमको देखना पड़ेगा। आज जो शिक्षा की स्थिति है, विश्वविद्यालयों की उस प्रतिष्ठा को, जो पहले थी, कायम रखना पड़ेगा। राजस्थान विश्वविद्यालय किसी समय देश के सर्वोच्च विश्व-विद्यालयों में था, आज उसकी स्थिति दयनीय बनी हुई है। वाइस चांसलर का अध्यापकों से सम्बन्ध नहीं, अध्यापकों का छात्रों से सम्बन्ध नहीं, अभिभावकों का उस शिक्षण संस्था के जिम्मेदार लोगों से सम्बन्ध नहीं है। उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ दिन पहले एक चर्चा आयी थी टी.वी. पर। उसमें पांच विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर थे, शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के प्रतिनिधि थे और गार्जियंस थे। सब एक ही रोना रो रहे थे कि हम दुःखी हैं। मुझे सोचने के लिए मजबूर होना पड़ा। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर दुःखी, यहां के अध्यापक दुःखी, यहां पर पढ़ने वाले छात्र दुःखी और छात्रों के गार्जियंस दुःखी तो हम यह खर्चा क्यों कर रहे हैं? यह स्थिति क्यों आयी? हमारे विश्वविद्यालय का प्रशासन आटोनामी के नाम पर हमेशा गिरता गया है और उस गिरावट को रोकने का हमने कोई प्रयास नहीं किया है। आज यह अधिकार छात्रों को दे दिया कि हम कितने घंटे पढ़ेंगे, अध्यापकों को अधिकार दे दिया कि एक हफ्ते में कितने पीरियड लेंगे, वाइस चांसलर को दे दिया कि किन-किन अध्यापकों का मैं अपाइंटमेंट करूंगा। ये सब स्थितियां बिगड़ी हैं, इसमें सुधार लाने की आवश्यकता है। मैं एक विश्वविद्यालय

(श्री शिवनाथ सिंह)

का नहीं कहता, सभी विश्वविद्यालय हमारे जो हैं उनमें बहुत बड़े प्रयत्नों की आवश्यकता है। समय पर परीक्षाएं हों, समय पर रिजल्ट निकले और समय पर डिग्रियां वितरित हों, यह हमारी जिम्मेदारी है। आज डिग्रियां वितरित नहीं हो रही हैं, समय पर परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। एक समय था, उपाध्यक्षजी, जब एक निश्चित तारीख थी कि एक जुलाई को शिक्षण संस्थाएं खुलेंगी और वे खुलती थीं। अप्रैल के आखिरी सप्ताह में परीक्षाएं समाप्त हो जाएंगी और समाप्त हुआ करती थीं। लेकिन आज जिस छात्र को अध्ययन का अवसर मिला है वह यह नहीं कह सकता कि मुझे किस रोज परीक्षा में बैठना पड़ेगा, मेरा रिजल्ट अगला सत्र प्रारम्भ होने से पहले निकल जाएगा कि नहीं। यह स्थिति हमारी है। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में विशेष निवेदन नहीं कर माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता लाने में प्रयत्न करें। चाहे जिसका साथ ले, चाहे जिसको सौंपें, कमेटी बनाएं, कुछ भी करे लेकिन हमारे विश्वविद्यालयों का स्तर ऊंचा उठना चाहिए और इसमें जो खामी आज के दिन है वह दूर होनी चाहिए।

माननीय उपाध्यक्षजी, दूसरी बात मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और उच्च प्राथमिक शालाओं की आज इतनी दयनीय स्थिति है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। एक प्रश्न के माध्यम से मैंने जानना चाहा था कि वर्ष 1999-2000 के लिए जो नव क्रमोन्नत स्कूल्स हैं उच्च प्राथमिक स्तर में, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर में, उनमें 1999-2000 के बजट में कितना प्रावधान रखा गया था? उत्तर आया, 1676 लाख और 960 लाख का बजट प्रावधान रखा गया था। मैंने पूछा था कि फरवरी, 2000 के अंत तक कितना खर्चा हुआ? तो जवाब आया है कि नव क्रमोन्नत विद्यालयों पर व्यय शून्य रहा। क्यों तो हमने बजट बनाया? और क्यों हमने स्कूलें खोली? क्यों हमने स्कूलें रेज कीं? और कौनसे कारण थे जो स्कूलों के लिए, शिक्षा के लिए हमने बजट प्रावधान किये थे उन बजट प्रावधानों को हम पूरा नहीं कर पाये? फिर बजट की कोई सैंक्टिटी नहीं रहती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्कूलों में शिक्षक होने आवश्यक हैं। इन वर्षों में जो स्कूलें खोली हैं उनमें सब्जैक्ट टीचर और दूसरे टीचर्स नहीं लगे हैं। कहा जा सकता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट ने स्वीकृति नहीं दी है। वित्त विभाग सरकार का अंग है, शिक्षा विभाग सरकार का अंग है, वित्त विभाग ने बजट में प्रावधान इस विधान सभा से करवा लिया, उसके बाद में क्या अधिकार है किसी भी डिपार्टमेंट को कि वह उस खर्चे को नहीं होने दे? ये इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं जिन पर सरकार को ध्यान देना चाहिये और हमें इस बात पर बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिये। आज इस बजट में कोई भी नया स्कूल क्रमोन्नत

(श्री शिवनाथ सिंह)

करने के लिए प्रावधान नहीं रखा है। मैं इसको ग्रामीण छात्रों का अहोभाग्य मानता हूं। कम से कम उनको 12 महीने स्कूल में जाकर अध्यापक के दर्शन नहीं हों, उस पीड़ा से तो माननीय मंत्री महोदय ने उनको उबार दिया है। साल भर विद्यार्थी स्कूल में जाए, सब्जैक्ट टीचर नहीं हो, मुझे पीड़ा होती है कि बिना अध्यापकों के पढ़ाई कराये उनको परीक्षा में बैठना पड़ा। और यह भेदभाव हुआ है ग्रामीण जनता के साथ। जितने भी शहरी क्षेत्रों में स्कूल हैं उनमें कोई भी अध्यापकों की कमी नहीं है। उनमें पूरे अध्यापक हैं। बल्कि कहीं-कहीं तो दुगुने-तिगुने अध्यापक हैं। ग्रामीण जनता ने क्या अपराध कर लिया कि वहां के छात्रों को पढ़ाने के लिए मास्टर भी नहीं दें? यह हमारा कर्तव्य है, उन्हें देना चाहिये। यही एक बहुत बड़ा कारण उन लोगों में, उन विद्यार्थियों में असंतोष का है, जनता में असंतोष का है। आप किस प्रकार से इसकी पूर्ति करेंगे? मैं चाहूंगा कि जब जुलाई से सत्र शुरू हो, सभी स्कूलें जो क्रमोन्नत हो गयी हैं, खोली जा चुकी हैं, उनमें सरकार अध्यापक दे।

उपाध्यक्ष महोदय, आप भी प्रधान रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव मुझे भी है, एक राजनैतिक निर्णय हुआ था कि पंचायत समिति को प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। दियां भी और उसका कानून में प्रावधान था। वह प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से वापस ले ली गयी। कानून में संशोधन नहीं हुआ, कोई राय नहीं बनी। विधान सभा में चर्चा नहीं हुई और चुपके से नोटिफिकेशन के द्वारा, परिपत्र के द्वारा वह प्राथमिक शिक्षा पंचायत समितियों से वापस ले ली गयी। व्यवस्था की गयी ब्लाक शिक्षा अधिकारी की। उपाध्यक्ष महोदय, एक परिपत्र जारी हुआ है उसके दो-तीन अंश मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। ब्लाक शिक्षा अधिकारी का पद सृजित हुआ और उसमें यहां से 15.4.2000 को एक परिपत्र जारी हुआ, उसकी चार-पांच लाइन मैं पढ़ूंगा। "राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण एवं सम्पूर्ण साक्षरता के लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में राजीव गांधी प्राथमिक शिक्षा एवं साक्षरता मिशन की स्थापना की गयी है। इसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा का विषय एवं इससे जुड़ी समस्त परियोजनाएं यथा लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, डी.पी.ई.पी., जन शाला, सरस्वती, गुरुमित्र, साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा आदि को सम्मिलित किया गया है ताकि नामांकन ठहराव, गुणवत्ता, पूर्ण शिक्षा की स्थापना हेतु पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सामुदायिक नियंत्रण एवं जन सहभागिता द्वारा समन्वित प्रयास किये जा सकें। आगे क्या कहते हैं? तदनुसार ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी को कार्यालय अध्यक्ष घोषित करते हुए इसकी शक्तियां एवं दायित्व निम्नप्रकार निर्धारित किये जाते हैं। और भी कई उसमें हैं, मैं समय नहीं लूंगा। अध्यापकों की नियुक्ति, स्थानान्तरण, अनुशासनात्मक कार्यवाही आदि के उसको अधिकार दिये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, शायद आर्डर विदड्रा हो गया है। यह आपको जानकारी नहीं है।

श्री शिवनाथ सिंह : मेरी जानकारी है। यह दिया गया है। इसके अनुसार प्रक्रिया शुरू हुई, प्रक्रिया चली और समानीकरण का जो कार्य हुआ वह इसी परिपत्र के आधार पर हुआ। ट्रांसफर्स हुए वे इसी परिपत्र के आधार पर हुए हैं। और आज यह जो आप फरमा रहे हैं कि विदड्रा हो गया, इस विभाग में रोजाना एक परिपत्र जारी होता है और दूसरे दिन विदड्रा हो जाता है। या तो ऐसे परिपत्र पी.एन. भण्डारी हुआ करते थे राजस्थान विद्युत मण्डल के अध्यक्ष, तब दिन में तीन परिपत्र जारी होते थे और चार विदड्रा होते थे। यही स्थिति इस पंचायत विभाग की है। कहीं भी क्रोई स्पष्टता नहीं है आज के दिन। अभी यह परिपत्र जारी हो गया कि पंचायत क्षेत्र में ट्रांसफर के अधिकार सरपंच को दिये जाएंगे। आपने विदड्रा होने की बात कही तो क्या उस विदड्रा में यह है कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ये कार्य होंगे? या यह भी विदड्रा कर लिया? यही मैं आपसे कह रहा हूं कि पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से आज कोई भी प्राइमरी शिक्षा का काम नहीं हो रहा है। और यह किस आधार पर विदड्रा हुआ? पंचायत समितियों को जब प्राइमरी शिक्षा दे दी गयी थी तो उस कानून में कहीं एक संशोधन नहीं हुआ है। परिपत्रों से, नियमों के आधार पर यह सब कार्यवाही हो रही है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सब में सोच-विचार करें कि हमें क्या करना है। प्राइमरी एजुकेशन, एलीमेंट्री एजुकेशन, मिडल स्कूल तक की एजुकेशन उसमें आती है, उसमें हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम किस प्रकार से चलना चाहते हैं। मैं चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी, आप दोनों विभागों के मंत्री हैं—शिक्षा के भी हैं और पंचायती राज के भी हैं, यह स्पष्ट करें कि इस आगे आने वाली जुलाई से हमारी यह नीति रहेगी, इस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं। मैं माफी चाहूंगा, लेकिन ना तो माननीय मंत्रीजी को समय है और ना सब कार्य उनके पास आते हैं। कहीं आदेश निकालते हैं डायरेक्टर एलीमेंट्री के राजेन्द्रजी जैन कि स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी। व्यवस्था बनती है और अध्यापकों में हड़कम्प मचता है। दूसरे दिन होता है कि नहीं, छुट्टियां तो देंगे आपको। और यह आदेश भी उनके यहां से निकला है। मैं बहुत विस्तार से नहीं कहना चाहूंगा लेकिन कोई स्पष्ट नीति होनी चाहिये कि एलीमेंट्री एजुकेशन में सरकार का दृष्टिकोण क्या है। आज पंचायत समिति के प्रधान, पंचायत समिति की स्टैंडिंग कमेटी, पंचायत समिति पूरी और विकास अधिकारी, कानून के अनुसार ये सब अध्यापक पंचायत समिति सर्विस के हैं, और नियंत्रण होगा ब्लाक शिक्षा अधिकारी का। ब्लाक शिक्षा अधिकारी का और उस पंचायत समिति का आपस में सामंजस्य नहीं है। तो यह दोहरी व्यवस्था है। दोहरी क्या, यह तो कोई भी व्यवस्था नहीं है।

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिस डिपार्टमेंट की सर्विसेज में ये अध्यापक हैं उन्हीं को सब अधिकार होने चाहिए। पंचायत समिति से शिक्षा को आप वापस ले लीजिये, मैं खुश हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें स्पष्ट तो होना चाहिये। आप पंचायत समिति को भी देना चाहते हो, दूसरा उनसे काम भी लेना नहीं चाहते। इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो मेरे खयाल से ग्रामीण जनता के साथ में हम न्याय नहीं कर पाएंगे। इन सबका असर यह हुआ है कि ग्रामीण स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी आज उन विद्यार्थियों से कम्पीट नहीं कर पाते हैं, जो शहरी स्कूलों में, अच्छी स्कूलों में अपनी शिक्षा प्राप्त करते हैं। यही कारण है कि ग्रामीण क्षेत्र का जो रिक्रूटमेंट हो रहा है उसमें बहुत बड़ी गिरावट आ रही है। आज इस बात को हम माने या नहीं माने लेकिन समय आएगा जबकि इसमें रिकार्ड होगा और इसका असर बहुत बुरा पड़ने वाला है।

(16.00 बजे)

उपाध्यक्षजी, मैं एक-दो बातें प्रशासनिक व्यवस्था हमारी सुधरे, इसके लिए निवेदन करना चाहूंगा। हमारा डायरेक्टर का आफिस बीकानेर में है एलीमेंट्री का, मैंने एक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहा कि डाइरेक्टर साहब जिनका बीकानेर में आफिस है, जनवरी, 1999 से मार्च, 2000 की अवधि में कितने दिन बीकानेर में अपने आफिस में बैठकर उन्होंने काम किया? उपाध्यक्षजी, उक्त अवधि में निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा बीकानेर में 69 दिन, सत्तर में एक दिन रहे, कम। इतना बड़ा विभाग, इतना बड़ा अमला और 365 में से पूरे 70 दिन भी आफिस में नहीं बैठे। जिस प्रकार की व्यवस्था हम करना चाहते हैं, मैंने पूछा कि किन-किन महीनों में कब-कब यहां रहे तो, उपाध्यक्षजी, आश्चर्य होगा मई, 1999 में 21 दिन जयपुर में रहे, जून 1999 में 24 दिन जयपुर में रहे, जुलाई में 25 दिन जयपुर में रहे, नवम्बर में 22 दिन जयपुर में और दिसम्बर में 21 दिन जयपुर में रहे। 17 और 15 से कम दिन नहीं रहे। मैं उन पर कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहता। शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप ऐसे आदमी को डायरेक्टर लगाएं जिसका परिवार बीकानेर में रहता हो, जिसका मकान बीकानेर में हो। उनसे पूछ लीजिये कि क्या आप बीकानेर में रहना चाहते हो क्या। ऐसे आदमियों को क्यों तकलीफ दे रहे हो जिनके मकान जयपुर में, जिनका परिवार जयपुर में, जिनका रहन-सहन यार दोस्त जयपुर में। वह कैसे बीकानेर में रहेंगे? या फिर ऐसी व्यवस्था कर दो आप कि दो डायरेक्टर लगा दो, एक का बीकानेर घर होना चाहिए, वह बीकानेर में बैठा रहेगा और दूसरे का जयपुर में घर हो, जयपुर में बैठा रहेगा। मैं मानता हूं इस बात को कि जयपुर में बहुत दफा आना पड़ता है लेकिन सरकार इस बात को तो सोचे कि 365 में से 69 डेज वह अपने आफिस में रहे हैं। क्या कार्य कर पाएंगे? उपाध्यक्षजी, कहने को बहुत-सी बातें हैं लेकिन...

श्री उपाध्यक्ष : बहुत सदस्य हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं उसको मानता हूं। उपाध्यक्षजी, ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या जो पंचायती राज विभाग के अण्डर में काम कर रही हैं वह है 30,837। ये पंचायती राज संस्थाओं के अण्डर में बतायी गयी हैं लेकिन एक भी पंचायती राज संस्था के अण्डर में नहीं है।

दूसरा, राजीव गांधी पाठशालाएं खुलीं, मैं उनका स्वागत करता हूं। उनके माध्यम से हमारे दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चों को साक्षर होने का अवसर मिला, यह बात भी सही है। इनका जितना विस्तार हो, शिक्षा में नहीं सही लेकिन साक्षरता में योगदान होगा। आपने यह निर्णय लिया था कि जहां पचास से अधिक छात्र होंगे हम दूसरा पैरा टीचर लगाएंगे। यह पिछले साल के बजट में था। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अपने जिले के लिए कह सकता हूं कि एक भी अध्यापक नया या पैरा टीचर पचास से अधिक छात्रों वाली स्कूल में नहीं लगा है। बजट में प्रावधान था। इस प्रकार से अब यह कहां जाएंगे बच्चे? दूसरी क्लास पास कर ली, तीसरी में कहां जाएं?

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

प्राथमिक शालाएं खोलने पर हमने पाबन्दी लगा दी। कोई भी प्राइमरी स्कूल राजस्थान में इन सालों में नहीं खुली है इसलिए इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। प्राइमरी एजुकेशन यदि वहां पर समाप्त कर देते हो तो आप तो फिर आगे लड़के कहां से आएंगे, कैसे पढ़ेंगे?

मैं, उपाध्यक्षजी, संस्कृत शिक्षा के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी बनी, अच्छा काम हुआ। ग्रामीण क्षेत्र में भी संस्कृत की पाठशालाएं खोलने का एक प्रावधान हुआ। पांच परसेंट स्कूल आपने संस्कृत की खोलीं, स्वागत योग्य कदम है। इसमें और भी बढ़ोत्तरी करें तो अच्छा है। अभी संस्कृत की बात कह रहे थे, कला के नाम पर बात कर रहे थे। कला के नाम पर जो घोटाला हो रहा है उसको वर्णन करते हुए शर्म आती है। मौज-मस्ती गुलछर्रे करो, मौज करो और कला के नाम पर ठगे जाओ। संस्कृति पर जो प्रभाव हो रहा है इस टीवी के माध्यम से, बाप-बेटा, मां-बेटा एक साथ बैठकर टीवी देख नहीं सकते हैं, इस प्रकार के भौंडे प्रचार और भौंडे प्रदर्शन हो रहे हैं। यह इस प्रकार से हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, सम्बन्धित मंत्रीजी नजर नहीं आ रहे हैं, सुना किसको रहे हैं?

श्री शिवनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह क्या व्यवस्था बन गयी? माता सीता का पार्ट जिससे करवाया जाता है टीवी के इन सीरियल्स में, उनकी ड्रेस को आप देखो। कहां क्या कुछ भी कपड़े अपने शरीर पर रखना गुनाह मानते हैं। पार्वती को देखो। ये तो हमारे आदर्श पात्र हैं, उनका जो रोल किया जाता है उसके अन्दर भी इतनी नग्नता होती है तो देखते हुए शर्म आती है। उपाध्यक्षजी, मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, इसको यदि रोक

(श्री शिवनाथ सिंह)

पाएं। पश्चिमी सभ्यता का, पाश्चात्य जगत का जो प्रभाव हमारी संस्कृति पर पड़ रहा है इसको यदि रोकने की हम कार्यवाही करें, सफल हों, नहीं हों लेकिन हमें चेष्टा जरूर करनी चाहिए। कला के नाम पर भौंडे प्रदर्शन, भौंडे आयोजन जो हो रहे हैं, कला मंत्रीजी हैं नहीं यहां लेकिन उसको भी हमें रोकना चाहिए, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उनके चिन्तन, उनकी विद्वता, उनकी प्रशासनिक क्षमता और उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि से न केवल राजस्थान का शैक्षिक जगत बल्कि राजस्थान की सम्पूर्ण जनता लाभान्वित हुई है। उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के ठीक बाद से ही, बल्कि कहना चाहिए आजादी के दौरान से ही हमारे देश और प्रदेश में निरक्षरता के खिलाफ संघर्ष शुरू हो गया था। उस दौरान जो लोग आन्दोलन में रहे उन्होंने इसे बुनियादी काम के रूप में स्वीकार किया। उसके बाद श्रीमती इन्दिरा गांधी के समय तक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से इस निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त होने की दिशा में कोशिश की जाती रही। उपाध्यक्ष महोदय, स्वप्नदृष्टा और दूरदृष्टा नेता स्वर्गीय राजीव गांधी ने जब यह देखा कि इस सबसे उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। हमारे संविधान में दस वर्ष के भीतर उस प्राथमिक लक्ष्य को प्राप्त करना तय कर लिया गया था लेकिन 30, 32, 35 साल गुजरने के बाद भी जब उनके नजदीक भी नहीं पहुंच सके तो स्वर्गीय राजीव गांधी ने शिक्षा के क्षेत्र में नये विचारों का सूत्रपात किया। नयी शिक्षा नीति जो 1986 में आयी वह उनकी देन थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का गठन किया गया, वह स्वर्गीय गांधी की देन थी।

मैं आज इस मौके पर, 2001 की जनगणना के आधार पर साक्षरता के लिहाज से जो सफलता राजस्थान की जनता ने प्राप्त की है, राजस्थान ने प्राप्त की है, उस स्वयंसेवी शिक्षक को अपनी ओर से बधाई देना चाहता हूं जिसने जमीनी स्तर पर इस आंदोलन से जुड़ कर इस उपलब्धि तक, इस कामयाबी तक राजस्थान को पहुंचाया है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं हमारे मंत्री महोदय को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि यह उनकी ही परिकल्पना थी, यह उनकी ही सोच थी कि उन्होंने मानव-सूचकांक को आधार बनाकर राजस्थान में शिक्षा के प्रचार के लिए प्रयास किया। उपाध्यक्ष महोदय, यदि हम निरक्षरता के अभिशाप से मुक्त नहीं हों, शिक्षित नहीं हों, जाग्रति और जागरूकता नहीं आए तो हम समाज को विकास की किस सीढ़ी पर ले जाकर खड़ा करेंगे? उपाध्यक्ष महोदय, यह हमारे माननीय शिक्षा मंत्रीजी की ही सोच थी कि उन्होंने राजीव गांधी पाठशालाओं की परिकल्पना इस राजस्थान की जनता के सामने पेश की। बहुत-से लोग राजनीतिक कारणों से कई

(श्री संयम लोढ़ा)

तरह की बातें कह सकते हैं, लेकिन वे बच्चे या वह अभिभावक जिनके बच्चे इनके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं, अगर हम उनसे संवाद करें तो हमें पता चल जाएगा कि राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने उनके लिए क्या किया। आज बाड़मेर जैसे जिले के अंदर 1062 राजीव गांधी पाठशालाएं चल रही हैं, कोई छोटी-मोटी बात नहीं है। जितने विद्यार्थियों का नामांकन इन पाठशालाओं के माध्यम से हुआ है उसकी इस सदन को पूरी जानकारी है। दूर ढाणी में बैठा हुआ गरीब आदमी, कच्ची बस्ती में रहने वाला गरीब आदमी, किसान आदमी, उसके बच्चों की शिक्षा का प्रबन्ध इसके माध्यम से हुआ और निरक्षरता का प्रतिशत जो बढ़ता रहता, उसको रोकने की दिशा में एक बहुत बड़ा प्रयास इसके माध्यम से हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय, समानीकरण की जो प्रक्रिया पूर्ववर्ती सरकार के शिक्षा मंत्री द्वारा प्रारम्भ की गई थी, मौजूदा शिक्षा मंत्रीजी ने इसको जारी रखा और मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के बहुत-से विद्यालयों में इस समानीकरण की प्रकिया के जरिये रिक्त पदों को भरा जा सका जो कि सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।

इसके साथ ही शिक्षा विभाग में डी.पी.सी. का कार्य हुआ जो बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इस कार्य को करवाकर एक जड़ता मिटाने की कोशिश की है, ऐसा मैं मानता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले दो वर्षों के कार्यकाल में जो विद्यालय क्रमोन्नत किये गये हैं, उस प्रयास की मैं सराहना करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं कि उन विद्यालयों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में त्वरित प्रयास किया जाएगा जिससे ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदय, इस साल के बजट में कम्प्यूटर शिक्षा के लिहाज से जो 8.25 करोड़ रुपए का प्रावधान जिला मुख्यालयों पर प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के लिए और 2002 से 2005 तक की 13.76 करोड़ रुपए की जो योजना कम्प्यूटर शिक्षा के लिए बनाई गई है, वह इस सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में राजस्थान में शिक्षा के विकास में मील का पत्थर साबित होगी, ऐसा मेरा मानना है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे कुछ पूर्व वक्ताओं ने कई तरह के मत इस सदन में रखे, लेकिन पिछली विधान सभा का इतिहास गवाह है कि इसी सदन के अन्दर भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा लाये गये प्रस्ताव पर राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति आर. एन. सिंह के आचरण को लेकर साढ़े तीन घण्टे इस सदन में चर्चा हुई। उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पूरी सरकार के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पिछले दरवाजे से उस कुलपति को संरक्षण प्रदान किया, पूरा राजस्थान इस बात को जानता है। आज बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, आठ

(श्री संयम लोढ़ा)

साल तक आपकी हुकूमत रही, राजस्थान में कौनसा मेडिकल कालेज खोल दिया? आपने राजस्थान में कौनसा इंजीनियरिंग कालेज खोल दिया? यह सरकार वह सरकार है जो राजस्थान को नयी दिशा में ले जाना चाहती है, राजस्थान को विकास के पथ पर अग्रसर करना चाहती है। आज राजस्थान में कितनी संख्या में मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज खुले हैं। हकीकत तो यह है कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी के प्रयास और उनकी उपलब्धियों से बहुत-से लोगों को रश्क होता है। लेकिन होता रहे। लोगों की खिदमत में वह जुटे हैं और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उन पर भरोसा किया है तो उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप जो कार्य किये जा रहे है, वे निश्चित रूप से सराहनीय हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे शिक्षा मंत्रीजी को इस बात के लिए क्यों नहीं धन्यवाद दिया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर 15 वर्षों के बाद सही समय पर परीक्षाएं हुई? राजस्थान के दूसरे विश्वविद्यालयों और कालेजों, सभी में यह स्थिति रही है। राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर सूचना के अधिकार को लागू किया गया। राजस्थान विश्वविद्यालय का इनके शासनकाल के आठ वर्षों में बंटाढार हो गया था उसकी प्रतिष्ठा पूरी तरह धूमिल हो गयी थी। आप यह सोचे कि रातों रात उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित, पुनर्जीवित कर दिया जाएगा तो यह सम्भव नहीं है। लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं; इसमें भी कोई दो राय नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ने राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना जोधपुर में की है और जिस तरीके का उसका स्ट्रक्चर बनाया है, मैं समझता हूं, इस सदन के सारे सदस्य इस सरकार के प्रति आभारी होंगे। जिस तरीके के लोगों का चयन किया गया, जिस स्तर के कुलपति का चयन किया गया, अकादमिक कौंसिल और दूसरी जो संस्थाएं हैं उनमें जिन तरीके के लोगों का मनोनयन किया गया वह इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान की मौजूदा सरकार राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय को देश के प्रतिष्ठित केन्द्र के रूप में विकसित करना चाहती है और उसी के अनुरूप आज वहां निर्णय किये जा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अगर आप आंकड़ों पर दृष्टिपात करेंगे तो उच्च शिक्षा के लिहाज से जो छात्र संख्या है उसमें 5.94 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हमारे अनुसूचित जाति के जो भाई हैं उनकी संख्या में 15.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अनुसूचित जनजाति के बच्चों में 18.56 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और छात्राओं की संख्या में 8.46 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अल्पसंख्यकों में 4.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह सब इस बात का संकेत है कि हमारे समाज के कमजोर तबकों के लोगों में, पिछड़े तबके के लोगों में नयी जाग्रति आई है और इस सरकार की

(श्री संयम लोढ़ा)

रहनुमाई में वे उच्च शिक्षा हासिल करके अपने भविष्य को संवारने के इच्छुक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी कुछ देर पूर्व प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय और पूर्व शिक्षा मंत्री महोदय यह फरमा रहे थे कि शिक्षा को आरोपों-प्रत्यारोपों से दूर रखना चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कब-कब इस तरीके के षड्यंत्र हुए कि जब शिक्षा का स्वरूप बदलने की चेष्टा की गई और शिक्षा को एक अलग नजरिये से देखकर उसका रंग बदलने की कोशिश की गयी। उपाध्यक्ष महोदय, 1977 में जब मोरारजी देसाई इस देश के प्रधानमंत्री बने, तब इनको एक गुमनाम पत्र भेजा गया शिक्षा की व्यवस्थाओं के बारे में, शिक्षा के वातावरण के बारे में। उस पत्र को कचरे के डिब्बे में डालने की बजाय देसाईजी ने आगे बढ़ा दिया। उसका नतीजा क्या हुआ, उपाध्यक्ष महोदय कि हमारे पाठ्यक्रम से रोमिला थापर, रामशरण शर्मा और विपिन चन्द जैसों की पुस्तकों को उस दौरान हटा दिया गया। उपाध्यक्ष महोदय, जब-जब इनका शासन आया, इन्होंने पाठ्यक्रम से छेड़छाड़ करके पाठ्यक्रम को विकृत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। राजस्थान सरकार का इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, इनकी जब भी हुकूमत आई, हुकूमत आने के बाद इन्होंने सबसे पहला काम यह किया कि केशवराम बलीराम हेडगेवार का तीन पेज का आर्टिकल उस किताब में डाल दिया और फिर ये कहते हैं कि हम किसी तरह के आरोप-प्रत्यारोप पर विश्वास नहीं करते। आपने न केवल इतिहास से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, स्वाधीनता आंदोलन से छेड़छाड़ करने की कोशिश की, बल्कि देश के आधारभूत मूल्यों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : आपने महाराणा प्रताप का नाम तो हटा दिया, महाराणा प्रताप इस स्टेट की शान थे या नहीं थे, यह बताइए आप?

श्री मदन दिलावर (अटरू) : सरस्वती के नाम पर कालिख पोत दी, हमसे बात करते हो।

श्री संयम लोढ़ा : आज भी राजस्थान के सारे डाक बंगलों में महाराणा प्रताप के फोटो लगे हुए हैं। महाराणा प्रताप आपकी बपौती नहीं है, राजस्थान के हर आम आदमी की थाती है, विरासत है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाठ्यक्रम में से नाम हटाया कि नहीं हटाया?

श्री मदन दिलावर : आखिर शर्म क्यों आती है आपको महाराणा प्रताप का नाम लेने में?

श्री संयम लोढ़ा : यह अलग बात है कि आप हर चीज को साम्प्रदायिक नजरिये से देखना चाहते हैं क्योंकि सिवाय साम्प्रदायिकता के आपको कुछ दिखता ही नहीं।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : हेडगेवार के बारे में आप क्या जानेंगे? हेडगेवार क्या हैं, आप समझते तो हो नहीं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले साल मानव संसाधन विकास मंत्रीजी ने एन.सी.ई.आर.टी. के माध्यम से एक 150 पेज का दस्तावेज जारी किया है स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का प्रारूप। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूरे शैक्षिक जगत में उस रिपोर्ट को लेकर चिंता व्याप्त है। देश के इतिहास से, इस देश के स्वाधीनता आंदोलन से और इस देश के स्वाधीनता के बाद के निर्माण से छेड़छाड़ करने की कोशिश के रूप में वह रिपोर्ट है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार उस रिपोर्ट का अध्ययन करे तो पता चलेगा किस तरह से शैक्षिक जगत में और शिक्षा व्यवस्था में अपने सड़े हुए और साम्प्रदायिक विचारों को अंदर घुसाना चाहते हैं। वह रिपोर्ट मानव संसाधन मंत्री ने पिछले दिनों जारी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दिल्ली की हुकूमत सम्भालने के बाद में केन्द्र सरकार की संस्थाओं में अपने भगवा भाइयों को स्थापित करने की कोशिश की है वह आज इस सदन में आकर कहते हैं कि शिक्षा के मामले में आरोप-प्रत्यारोप मत लगाइए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : है नहीं, वह तो लाल किले में पहुंच गये।

श्री संयम लोढ़ा : वह तो पहुंच गये तहलका में। तहलका में पहुंच गये। जिस आर.एस.एस. की आप वकालत करते हो, बंगारू लक्ष्मण उसी आर.एस.एस. का स्वयंसेवक है और कल्याण सिंह भी उसी के स्वयंसेवक थे और शंकर सिंह बाघेला भी उसी के स्वयंसेवक थे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : हम भी उसी के हैं।

श्री संयम लोढ़ा : लेकिन आप उन पर गौर करना नहीं चाहते क्योंकि वह आपकी सच्चाई को उजागर करते हैं।

श्री केसाराम चौधरी : गुजरात में भूकम्प पीड़ितों की सहायता करने में भी वो ही स्वयंसेवक थे, यह तो याद करो। उनकी अच्छाई को भी बता दिया करो।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, संयमजी के पिताजी भी संघ के सदस्य थे।

श्री केसाराम चौधरी : जिन लाशों को पुलिस वाले नहीं जला सकते थे उनको जलाने में आर.एस.एस. वाले थे। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री मदन दिलावर : संयमजी के पिताजी भी संघ के स्वयंसेवक थे, पर उनकी औलाद ऐसी निकली है।

व्यवस्था का प्रश्न

अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये बिना बोलने का अवसर

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जो लोग कटौती के प्रस्ताव तो दें नहीं और आप उनको अनलिमिटेड समय दें। इन्होंने कटौती के प्रस्ताव नहीं दिये। ये मेहनत करते नहीं हैं, कटौती के प्रस्ताव देते नहीं हैं और इर्रेलेवेंट बोलते हैं। बोलना है कटमोशंस पर और बोल रहे हैं कहां। कटौती के प्रस्ताव पर हमें बोलना है।

श्री संयम लोढ़ा : आप भगवा बिग्रेड में शामिल हैं तो कह दें कि हम भी भगवा बिग्रेड में शामिल हो गये।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हम लोगों का बोलने का नम्बर कब आएगा? हमारे कटौती प्रस्ताव कब आएंगे?

श्री संयम लोढ़ा : पूरे देश की अस्मिता का सवाल है, कैसे नहीं बोलेंगे? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कटौती प्रस्ताव खुद तो देते नहीं हैं और हमारे कटमोशन पड़े हैं, आपने यह नयी व्यवस्था बिलकुल गलत कर दी है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय संयम लोढ़ा, बिराजें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : जो कटमोशन नहीं दे उनको भी बोलने का मौका देते हैं आप।

श्री उपाध्यक्ष : संयमजी, बिराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : ऐसे कैसे विराजें, उपाध्यक्ष महोदय?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठो।

श्री संयम लोढ़ा : इनके कहने से बैठ जाऊंगा क्या?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : आप मुझे या तो पहले कहते।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको बोलने दूंगा, आप बिराजो, आपने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे व्यवस्था के प्रश्न का जवाब दीजिए पहले आप। आसन से व्यवस्था दीजिए पहले।

व्यवस्था

अनुदान की मांग पर कटौती प्रस्ताव दिये बिना बोलने का अवसर

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जो व्यवस्था कटौती प्रस्ताव पर बोलने की आसन से दी हुई है सम्भवतः आपने उसको सुना नहीं या आपको ध्यान नहीं रहा। उसमें कहा गया है कि संबंधित पार्टी के मुख्य सचेतक जिन माननीय सदस्यों के नाम देंगे उनको बोलने की इजाजत दी

(श्री उपाध्यक्ष)

जाएगी क़टौती प्रस्ताव के अलावा। क्योंकि इनके मुख्य सचेतक ने इनका नाम दिया है इसलिए बोल रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह व्यंवस्था बहुत गलत है आपकी।

मांग संख्या-24 पर विचार

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भारत स्काउट एवं गाइड नाम की एक संस्था आजादी के ठीक बाद से लोगों की सेवा में सक्रिय है चाहे कोई आपत्ति का समय हो, चाहे कहीं सेवा का कार्य हो। आज भारत सरकार इसमें भी जो कोशिश कर रही है उससे सदन भली-भांति अवगत है कि हिन्दुस्तान स्काउट नाम से एक नयी संस्था को मान्यता देने के पीछे उनकी क्या सोच है और हिन्दुस्तान के नक्शे पर वह क्या नयी लकीर खींचना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम सुझाव अपना देना चाहता हूं। आज मैंने अखबार में पढ़ा, हमारे प्राथमिक शिक्षा निदेशक महोदय का एक वक्तव्य था कि तीसरी, चौथी और पांचवीं कक्षा के जो विद्यार्थी हैं उनको हम अनुत्तीर्ण नहीं करेंगे और उनके 33 फीसदी से कम नम्बर आने पर उनको पूरक परीक्षा के योग्य ठहराया जाएगा। मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि अंग्रेज हमारे लिए यह पद्धति छोड़कर चले गये कि जो 36 फीसदी अंक लाएगा वह पास होगा। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आपने इस पर विचार तो किया कि इस परीक्षा प्रणाली को ठीक कैसे किया जाए, लेकिन यह एक कदम आगे बढ़ाकर दो कदम पीछे लेने जैसी चीज है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ग्रेडिंग सिस्टम पर क्यों नहीं जाते? आज जब साल का एग्जाम होने वाला होता है, कितना बच्चों पर दबाव होता है, कितना मानसिक तनाव उनको रहता है? आपने अखबारों में पढ़ा होगा, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, कि कई बच्चे जब परीक्षा में फेल हो जाते हैं या जिनके कम नम्बर आते हैं वे आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली और ऐसी परीक्षा प्रणाली का क्या मतलब है? उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षा तक की हमारी जो व्यवस्था है उसमें ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया जाए बजाय इस परीक्षा प्रणाली के जिससे उस बच्चे पर दबाव नहीं आए, बच्चे का नैसर्गिक विकास हो सके और रोजाना का उसका मूल्यांकन हो सके। वरना होता यह है कि बारह महीने तो आप कुछ पढ़ते नहीं और बारह महीने के बाद जब एग्जाम होने वाले होते हैं तब सारा बोझ अपने ऊपर ले लेते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को उन खतरों के प्रति आगाह करते हुए अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं जो हमारे सामने प्रतिक्रियावादी शक्तियों के द्वारा

(श्री संयम लोढ़ा)

प्रस्तुत किये गये और किये जा रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद् के दो सदस्यों को यह काम सौंपा गया कि वे देश के शैक्षिक ढांचे के बारे में, देश के शैक्षिक जगत की जो स्थिति है उसके बारे में एक रिपोर्ट दें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उद्योगपति मुकेश अंबानी के संयोजन में बनी हुई समिति ने 150 पेज की एक रिपोर्ट प्रधानमंत्रीजी को दी है, उसमें जो सुझाव दिये गये हैं वे यह हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र से सरकार को हट जाना चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे शिक्षा मंत्रीजी को आगाह करना चाहता हूं कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियां एक अलग ताकत के साथ हिन्दुस्तान के बाजार में हैं, हमारे उद्योगपति उनसे तो मुकाबला करना नहीं चाहते, गुणवत्ता के स्तर पर उनसे लड़ना नहीं चाहते, अपने प्रोडक्ट के आधार पर लड़ना नहीं चाहते और उनको यह उच्च शिक्षा का क्षेत्र दिख रहा है जिसमें वह अपनी कमाई कर सके। उपाध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पर वह पूरा ध्यान रखें। आज भी चाहे निजी क्षेत्र में कितनी भी संस्थाएं आयी हों, उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन जानता है और देश जानता है कि आई.आई.टी. और आई.आई.एम. के मुकाबले कोई संस्था वैसी प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता हासिल नहीं कर सकी है और दोनों ही सार्वजनिक क्षेत्र के और सरकारी क्षेत्र के केन्द्र हैं। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि सरकार को अपने कर्तव्य को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए जो संविधान के माध्यम से व्यक्त किया गया है। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंहजी। सुमित्रा सिंहजी, आप बोलना चाहती हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, बोलना चाहूंगी, क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : फरमाओ।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, पहले मैं बोल लूं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : पहले ये बोल लें। मुझे कुछ जाना था इसलिए कह रही हूं। कोई बात नहीं, आप बोल लो पहले।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, आप विराजो प्लीज़। I have called upon her. आप बोलिये कोई बात नहीं, आप विराजो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज करीब 33 अरब 98 करोड़ की जो मांग पेश की है माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने उस संबंध में मेरे भी कुछ कटौती प्रस्ताव हैं। यह बात तो सही है कि शिक्षा के बारे में मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने भी काफी कुछ बातें कही हैं। मैं अपने कटौती प्रस्तावों के जरिये माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस बात की तरफ आकर्षित करना चाहूंगी और उन्हें उपालंभ भी देना चाहूंगी। यह बात तो सही है कि आज प्रतिपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी आठ

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

साल के शासन और दो साल के इस कांग्रेस शासन में हमने अपनी जो साक्षरता में वृद्धि की है वह सराहनीय है। इस बात के लिए तो मैं उनको और आपको दोनों को साधुवाद देना चाहूंगी। यह बात तो सही है कि साक्षरता की दर हमारे विभिन्न प्रयासों से, विभिन्न स्तर के किये गये प्रसायों से, विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से हमने जो साक्षरता की दर प्राप्त की है वह सचमुच में अनुकरणीय है। लेकिन यह जो स्कूलों की क्रमोन्नति हुई है, नयी प्राथमिक शालाएं राजीव गांधी पाठशालाओं के नाम से जो खोली हैं वहां तो किसी तरह का राजनैतिक भेदभाव नहीं हुआ। लेकिन प्राथमिक शालाओं को उच्च प्राथमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया हो, चाहे माध्यमिक शालाओं को सीनियर में किया किया गया हो, चाहे मिडल स्कूल को माध्यमिक शालाओं में क्रमोन्नत किया गया हो, उन सब में राजनीतिक भेदभाव किया गया है। मेरे अपने क्षेत्र में पूरे दो साल के अन्दर केवल एक स्कूल को क्रमोन्नत किया गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : वह भी आपकी मांग पर किया गया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह तो खैर है तो मेरी ही मांग पर, यह तो मैं मानूंगी। मेरे यहां स्कूल खोली, मिडल स्कूल खोली और खोल कर फिर आदेश दे दिया, जैसे कह रहे थे कांग्रेस के माननीय सदस्य कि आप रोजाना अपने आदेश बदलते हो, रोजाना नये आदेश निकालते हो। पहले क्रमोन्नति की फिर क्रमोन्नति वापस ले ली और साल भर बाद फिर उसमें से दो स्कूलों को वापस क्रमोन्नत किया। मैं कहना चाहूंगी कि शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर राजनीतिक भेदभाव के आधार पर आप जो कर रहे हो यह उचित नहीं है। आप राजस्थान के शिक्षा मंत्री हो, सम्पूर्ण राजस्थान को आपकी जिम्मेदारी है देखने की और सम्भालने की शिक्षा के क्षेत्र में। यह आपका व्यवहार मुझे उचित प्रतीत नहीं होता है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात के लिए तो तारीफ करना चाहूंगी इस सरकार की कि पिछले वर्ष इन्होंने झुंझुनूं में अपने चुनाव घोषणा पत्र के वायदे के अनुसार कालेज खोल दिया। हालांकि वायदा तो चुनाव घोषणा पत्र में यह किया था कि सब जिला मुख्यालयों के ऊपर तीनों संकायों से युक्त एक राजकीय महाविद्यालय होगा। झुंझुनूं अकेला ही ऐसा बदनसीब जिला था कि जहां जिला मुख्यालय के ऊपर राजकीय महाविद्यालय नहीं था। इसलिए महिलाओं का राजकीय महाविद्यालय खोल तो दिया, पूरे साल भर तक दो लैक्चरार के भरोसे वह कालेज चला है और आज भी उसकी स्वयं की इमारत नहीं है। दूसरा साल बीत गया, आज भी उसकी अपनी इमारत नहीं है, वह सीनियर सैकण्डरी की एक स्कूल के अन्दर चल रहा है। मैं चाहूंगी आपसे कि कम से कम इस वर्ष तो आप वहां पर पूरे लैक्चरर्स लगा दीजिए ताकि बच्चियों की पढ़ाई शुरू हो सके।

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

मुझे याद आता है एक शेर के संबंध में—

"मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमां की
हरारत वालों ने,
दिल तो पुराना पापी था बरसों में नमाजी
बन न सका।"

आपने कालेज तो खोल दिया, कालेज खोल कर क्या किया? क्या दनदन किया? पूरे साल दो लैक्चरर्स के भरोसे वहां पर महाविद्यालय आपका चला है।

इस संबंध में एक निवेदन और करना चाहूंगी, एक तरफ तो भामाशाह योजना के जरिये आप उन लोगों का मनोबल बढ़ाना चाहते हो, सम्मानित करते हो कि आप हमारे शिक्षा की प्रगति में कुछ योगदान कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक उदाहरण आपको पता है। बींजूसर एक छोटा-सा गांव है, वहां एक भामाशाह ने 75 लाख रुपये खर्च करके लड़कियों के लिए महाविद्यालय बना लिया। सरकार ने महाविद्यालय खोल दिया, तत्कालीन शिक्षा मंत्रीजी वहां चले गये, उद्घाटन कर आये, लेकिन 17 लाख रुपये सरकार ने जमा करके 9 महीने बाद रुपये लौटा दिये यह कह कर कि हमारे पास संसाधन नहीं हैं इसलिए आपका रुपया लौटाते हैं और हम महाविद्यालय खोलने में असमर्थ हैं। खैर, सी.पी. जोशी साहब ने इतना जरूर किया जब इनके पास उच्च शिक्षा आयी। और आकर उन्होंने जब कहा, मैं भी उनके साथ गयी क्योंकि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। इतनी तो कृपा जरूर की, उन्होंने कहा मेरे यहां आई.टी.आई. खोल दो, मैंने 75 लाख रुपया खर्च किया है। खैर, कृपापूर्वक आई.टी.आई. का आपने आश्वासन दिया, खोल दिया। क्या खोल दिया, सुनिये आप। 49 लाख रुपये नकद दीजिए आप हमें तब हम आई.टी.आई. आपकी खोलेंगे। आप 49 लाख रुपये में 25 लाख तो जमा कराइये इमीजियेटली और 5 लाख रुपये हर साल 5 साल तक आप जमा कराते रहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्रीजी, माननीय सदस्या सही कह रही हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : देंगे, जवाब देंगे वह, उनको जब मौका मिलेगा जवाब का।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप हमारे ऊपर आरोप लगाते थे न शिक्षा को बेचने का।

श्री सी. पी. जोशी : उन्हीं को पूछें वह प्रपोजल लेकर आयीं, हमने माना।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने शर्तें लगायीं। मंत्री महोदय, आपने शर्तें ऐसी लगा दीं...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप उनकी बात का जवाब मत दीजिए। आप उनका जवाब क्या दे रहे हैं?

श्री सी. पी. जोशी : आप खूब बातें कर रहे हैं। हमने कई नियम और कानून बना कर इस तरह से कहा कि आप इतने पैसे की स्कूल खोलो। यह जो स्थिति थी उसको करने के लिए माननीय सदस्या आयीं। हमारी जो व्यवस्था है इसको ठीक करना है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, आपको समय मिलेगा, मंत्रीजी, जवाब देने का मौका मिलेगा। (व्यवधान) सही, सही मैं बोल रही हूं, बिलकुल सही सही। मेरा एक भी शब्द गलत नहीं होगा।

खैर, फिर उन्होंने 25 लाख रुपये जमा करा दिये और बाकी फैसला हुआ कि 5 लाख रुपया हर साल आप जमा कराते रहेंगे। जमा करा दिये 25 लाख रुपये। कम्प्यूटर, इलैक्ट्रोनिक के लिए वहां पर इन्होंने मंजूरी दे दी कि कम्प्यूटर की भी शिक्षा आप देंगे और इलैक्ट्रोनिक भी चलेगा। लेकिन उसके इक्विपमैंट्स नहीं उसके आपरेटर्स नहीं और कोई इंस्ट्रूमैंट्स नहीं। अब मुझे बताइये इक्विपमैंट्स के बिना आई.टी.आई. कैसे चलेगी? लेकिन जब बहुत शोर-शराबा उस सेठ ने किया तो जाकर एक टूटा-फूटा कम्प्यूटर भरतपुर में जो पड़ा था वह लेकर भेज दिया। उसने कहा, भाई, आप मेरा पैसा मुझे वापस लौटा दें, मैं नये कम्प्यूटर लाकर दूंगा आपको। मंत्रीजी ने फरमाया, आप जानते हो, राज में एक बार जब पैसा जमा हो जाता है उसके बाद उसे निकालना कितना मुश्किल काम होता है। इसलिए, भाई, यह तो हम ही खरीद कर भेजेंगे। खैर, इतनी जरूर उनकी मैं तारीफ करूंगी कि जब कभी वह आते हैं तो कह देते हैं अरे भाई, मैं 10 दिन में कर दूंगा। अरे भाई, मैं 15 दिन में कर दूंगा। अरे भाई, हम कर देंगे। अरे भाई, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने इतना पैसा खर्च किया है, आपने 75 लाख रुपये बिल्डिंग में लगाया है, आप 49 लाख और दे रहे हैं, हम आभारी हैं, यह कह कर उस सेठ को पटापटू करके वापस हैदराबाद भेज देते हैं। इतना काम जरूर यह करते हैं।

तो मैं निवेदन यह कर रही थी कि स्कूलें खोल दीं, स्कूलें क्रमोन्नत कर दीं, क्रमोन्नत करने के बाद वहां अध्यापक नहीं तो मुझे आप बताइये, बिना अध्यापकों के क्रमोन्नति का क्या मतलब निकलता है? अर्थ क्या निकलता है?

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगी कि विभिन्न स्तर के स्कूलों में रिक्त पद पड़े हुए हैं। कम से कम इस साल तो उन्हें भर दीजिए। एक साल तो यों ही बीत गया, इस बार तो, मंत्री महोदय, मैं चाहूंगी कि आप उनको भर दें।

मैं इसके साथ ही साथ कुछ शब्द कला और संस्कृति के लिए भी कहना चाहूंगी। शिक्षा के बारे में और भी सदस्य कहेंगे। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कला और संस्कृति मंत्री तो नहीं हैं, लेकिन यह बात सही है कि नारी ही कला और संस्कृति की संवाहक होती है। आप अंग्रेजी में कैरियर कह दीजिए, हिन्दी में आप संवाहक कह दीजिये, वही कला और संस्कृति की थाती पुरानी पीढ़ी से नयी पीढ़ी को सौंपती है। राजस्थान का तो जिसे कहना चाहिए कण-कण कलात्मक है। राजस्थान में तो हर गांव और हर शहर की स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। संस्कृति हमारी तीज त्यौहार और दूसरे सब त्यौहारों में रमी हुई है, बसी हुई है। आज गांव में

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

अनपढ़ औरत जो निरक्षर है बिलकुल भी पढ़ी-लिखी नहीं है, वह भी तीज के गीत गा लेगी, दीवाली के गा लेती। होली के गाएगी, जन्म के जाएगी, मरण के गाएगी, परण के गाएगी। उसको सब तरह के गीत आते हैं। आज भी होली पर क्या करना है, दीवाली पर क्या करना है, यही हमारी संस्कृति है, यही हमारी कला है। यहां के कालबेलिया नृत्य, यहां का भवई नृत्य यहां के तीज के नृत्य हमारे हैं। यह बात बिलकुल सही है जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि हमारी संस्कृति पर असर हो रहा है। मैं कहती हूं, हमारी कला और संस्कृति प्रदूषित हो रही है पाश्चात्य संस्कृति से और इस प्रदूषित होती संस्कृति को बचाया जाना चाहिए। राजस्थान की तो अनोखी कला और अनोखी संस्कृति है, इसे ही तो अक्षुण्ण रखना है। इसे ही तो बचाकर रखना है, इसी का ही तो संरक्षण करना है ताकि पुरानी पीढ़ी इस कला और संस्कृति को नयी पीढ़ी को सौंप सके और इसे अक्षुण्ण रख सके। राजस्थान का अपना नाम है। आज भी राजस्थान के गाने, राजस्थान के नृत्य कालबेलिया लड़की गुलाबो ने पूरी दुनिया के अन्दर कालबेलिया नृत्य की धूम मचा रखी है। यही हमारी संस्कृति है, इसे ही तो जिन्दा रखना है। लेकिन इस संस्कृति का तो हम संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। मुझे एक बार यूनिवर्सिटी के एक लड़कियों के हास्टल के अन्दर उनका सांस्कृतिक प्रोग्राम था उसमें बुला लिया गया। मैंने वहां पर देखा, लड़कियां सब पी.एच.डी. की थीं, पी.एच.डी. कर रही थी, शोध छात्राएं थीं सारी। उन शोध छात्राओं ने कला और संस्कृति के प्रोग्राम दिये तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा वहां पर कि अपनी कला और संस्कृति अनूठी है और तुम लोगों पर पाश्चात्य संस्कृति का असर पड़ गया है। जिस तरह के डांस उन्होंने वहां पर किये और जिस तरह के गाने गाये, मुझे बड़ा विचित्र-सा लगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कला और संस्कृति मंत्री तो आज यहां पर हैं नहीं, जवाब देगा कौन? जवाब जो देंगे हमारे शिक्षा मंत्रीजी वे कला और संस्कृति के बारे में क्या जानें? कला और संस्कृति तो नारी की ही थाती है। मैंने कहा न कि नारी ही तो संवाहक है कला और संस्कृति की। इसलिए वे हैं नहीं, इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ कि हमारे राजस्थान की कला और संस्कृति को प्रदूषण से बचाया जाए...

मोहम्मद माहिर आजाद : वह भरतपुर का कम्प्यूटर कहां है? वह तो वापस दो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : भरतपुर का कम्प्यूटर तो शिक्षा मंत्रीजी...

श्री उपाध्यक्ष : आप नहीं बोलना चाहते क्या?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह उनकी आई.टी.आई. बंद हो गयी थी, कम्प्यूटर खराब पड़ा था इसलिए बात रखने के लिए उन्होंने कहा कम्प्यूटर भेजो। उन्होंने कहा पांच दिन में भेज देंगे, सात दिन में भेज

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

देंगे। एक पुराना टूटा-फूटा-सा कम्प्यूटर लेकर उन्होंने बींजूसर में भेज दिया ताकि हमें वे चुप करा सकें और कह सकें कि कम्प्यूटर भेज दिया। अब कम्प्यूटर कैसा भेज दिया, वह काम करेगा या नहीं करेगा, वह एक अलग बात है।

तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत इन्हीं शब्दों के साथ फिर से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाऊंगी कि उनका आधा समय तो बीत गया है, लेकिन आधे समय में जैसा कि सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप शिक्षाविद् हैं, बहुत ही आपको अनुभव है विद्वान भी हैं, उसके नाते इतना तो आप करिये कि राजनैतिक भेदभाव के आधार पर स्कूल नहीं खोलें। हमारा भी उतना ही अधिकार है। हमें किसी ने नामिनेट नहीं किया है, हम भी उसी तरह से जीत कर आये हैं जैसे सत्ता पक्ष के लोग जीत कर आये हैं। इसलिए स्कूलें खोलने में और स्कूलों को क्रमोन्नत करने में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

अन्तिम बात, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि ये राजीव गांधी पाठशालाएं, चाहे इन्होंने आपको साक्षरता में योगदान दे दिया होगा लेकिन एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, मुझे जहां तक ध्यान पड़ता है, यदि मेरी मैमोरी फेल नहीं है तो मुझे ध्यान पड़ता है कि 1985 से लेकर 1990 के बीच में सरकार ने एक बार यह फैसला किया था कि इन प्राइमरी स्कूलों में अब परीक्षाएं नहीं होंगी और यों ही बच्चों को आगे प्रमोशन दे दिया जाएगा। और उस निर्णय को फिर वापस लेना पड़ा था। बुनियाद ही हमारी कमजोर हो जाएगी तो कमजोर बुनियाद के ऊपर कभी इमारत ठहरती है क्या? बच्चों की शुरू की बुनियाद यदि कमजोर हो गई, आप बिना परीक्षा के 33 प्रतिशत आने पर उसे पूरक परीक्षा में बैठने का मौका देंगे और उससे ऊपर आने पर उसे प्रमोशन दे देंगे, तो इस तरह से यदि बुनियाद को ही कमजोर कर दोगे तो वह बच्चा किसी भी काम्पीटीटिव एग्जामिनेशन में शहरी बच्चों से बराबरी नहीं कर सकेगा। यह भेदभाव ग्रामीण और शहरी क्षेत्र करके आप ग्रामीण क्षेत्र के साथ एक जबरदस्त अन्याय करेंगे। इसलिए सोचिये। वैसे ही राजीव गांधी पाठशालाओं की आपने जो खस्ता हालत की है वहां अल्पज्ञ, अधकचरे अध्यापक लगाकर। 1200 रुपये में कौन आएगा? जब 60 रुपया आपको अकाल राहत के ऊपर रोज का मिल रहा है तो 40 रुपये मानदेय में कौन आएगा? ऐसा ही व्यक्ति वहां पर आएगा जो खुद ही अल्पज्ञ हो, जो खुद ही अधकचरे ज्ञान वाला हो। इसलिए मैं कहती हूं कि उसमें भी आपके अध्यापक होने चाहिए बाकायदा प्रशिक्षित, शिक्षित, पूर्ण जानकारी रखने वाले। अच्छे ज्ञान वाले तो हों ही। लेकिन कृपया यह बिलकुल मत कर देना कि जिसके अन्दर आप बच्चों को बिना परीक्षा के ही आगे बिठा दो और आगे प्रमोशन दे दो। यह करके तो आप जबरदस्त बहुत बड़ी भूल करेंगे। एक छोटी-सी भूल आपकी बहुत

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

लम्बे समय तक अपना असर दिखाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती प्रस्ताव पेश कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय दो घंटे और बढ़ाया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दो घंटे बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय दो घंटे बढ़ाया गया।

मांग संख्या-24 पर विचार

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन आज शिक्षा, कला एवं संस्कृति की मांगों पर विचार कर रहा है। मेरे से पूर्व मेरे कई साथियों ने यहां अपनी बात रखी। मैं नहीं चाहता कि उन बातों को रिपीट किया जाए इसलिए मैं सीधा-सीधा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहूंगा और अपनी बात कहूंगा।

(16.46 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

यह सही है कि आपने जो समानीकरण का अभियान चलाया, वास्तव में बहुत जरूरी था, क्योंकि बड़ी असमानता थी। कहीं बच्चें कम और अध्यापक ज्यादा और कहीं अध्यापक कम और बच्चे ज्यादा। आपने एक हद तक उसमें सुधार का काम किया है, लेकिन अभी भी कई स्थान ऐसे बच गये हैं जहां समानीकरण होना जरूरी है। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कस्बा सीकरी में एक राजकीय महात्मा गांधी प्राथमिक विद्यालय है जहां टोटल बच्चों की संख्या 13 है और अध्यापक वहां 8 हैं। मैंने माननीय शिक्षा मंत्रीजी को लिख कर भी दिया था कि या तो आप इस स्कूल को बंद कर दो या इस स्कूल के पास ही सीनियर सैकण्डरी स्कूल है, उसके साथ इसको जोड़ दो तो इसका भवन भी उसके काम आ जाए। आज मैंने अपने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के गुलपाड़ा में पिछली बार आपने सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोला। इस साल आपने दूर-दराज के पहाड़ी क्षेत्र खोरी में स्कूल को क्रमोन्नत करके सीनियर सैकण्डरी स्कूल किया है, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि मेवात में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो आपने कदम उठाये वे वाकई सराहनीय हैं। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, आज तक भी उन विद्यालयों में स्टाफ नहीं लगा है। जो बच्चे गोविन्दगढ़, अलवर, डीग और दूसरे स्थानों पर पढ़ने जाते थे, ग्यारहवीं और बारहवीं कक्षा वहां खुल जाने के कारण

(मोहम्मद माहिर आजाद)

उन्होंने अपने बच्चों को वहां नहीं भेजा और उन स्कूलों में प्रवेश दिला दिया। लेकिन अध्यापक वहां हैं नहीं, अब आप स्वयं बताइये कि वहां बच्चों की क्या स्थिति होगी।

दूसरा, जब आप समानीकरण की बात कर रहे हैं तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी समानता का विचार लाना चाहिए, सोचना चाहिए। आज स्थिति देखिये, आपने ग्रामीण क्षेत्रों में जो राजीव गांधी पाठशालाएं खोलीं वहां आठवीं पास अध्यापकों से बच्चों को शिक्षा दिलाना चाहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला छात्र वैसे ही शहरी छात्र के बनिस्पत थोड़ा एडजेस्टिव नहीं होता है, पिछड़ा होता है और फिर उसको शिक्षा भी इस स्तर की मिले तो वह उसके मुकाबले में आज के इस तरक्कीयाफ्ता युग में कैसे आएगा? इसलिए जैसा अभी बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय कह रहे थे कि राजस्थान में 53 हजार के करीब बी.एड. के प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक हैं और करीब 14 हजार एस.टी.सी. ट्रेण्ड भी हैं आप इनको राजीव गांधी पाठशालाओं में लगाते। इनके मन में भी विश्वास रहता कि हम कभी नियमित भी हो सकते हैं, हमारी तनख्वाह भी बढ़ सकती है। तो ये रूचि लेकर काम करते और ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों को अच्छी शिक्षा मिल सकती थी।

आपने अभी जो लेडीज पैरा टीचर्स 9185 की संख्या में जुलाई, 2001 तक लगाने का निश्चय किया है इसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बालिका शिक्षा की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कितनी भारी असमानता है बालिका शिक्षा में और बालक शिक्षा में जरा आप उठा कर देखिये। आपके उच्च माध्यमिक और माध्यमिक विद्यालय बालकों के लिए हैं 4072 और बालिकाओं के लिए मात्र 634 हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन इसलिए करना चाहता हूं कि जब एक बालक पढ़ता है तो एक इंडिविजुअल पढ़ता है और जब एक बालिका पढ़ती है तो एक परिवार पढ़ता है, एक खानदान पढ़ता है। जब एक बालिका पढ़ जाती है तो वह अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देती। इसलिए इस समानता के युग में आपको महिला शिक्षा और बालिका शिक्षा की तरफ ज्यादा ध्यान देना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

इसमें भी समानता होनी चाहिए। लेकिन आज स्थिति यह है, जैसा अभी झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या कह रही थीं और सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि हम एक तरफ राजकीय महाविद्यालयों को नहीं खोलने को प्रण ले रहे हैं, दूसरी तरफ जो अनुदानित और गैर अनुदानित संस्थाएं हैं उनमें कटौती करने का काम कर रहे हैं। जरा आप उठा कर देखिये, आज महाविद्यालय स्तर की शिक्षा में राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं की

(मोहम्मद माहिर आजाद)

संख्या 39918 है जबकि गैर सरकारी क्षेत्र में जो महाविद्यालय हैं उनमें यह संख्या है 43546, यानी आज भी बालिकाओं को सरकार के बजाय निजी महाविद्यालयों के ऊपर ध्यान देना पड़ रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं आप मेवात में जिस तरीके से शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, मेरे निवार्चन क्षेत्र नगर में एक कन्या महाविद्यालय चाहे वह राजकीय स्तर पर खोले या निजी क्षेत्र में जिन लोगों ने आवेदन किये हुए हैं, उनको आपको मान्यता और स्वीकृति देनी चाहिए ताकि वहां महिला शिक्षा को बढ़ावा मिले।

माननीय सभापति महोदय, आज जो सरकार ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहां प्रस्तुत की है उसमें इन्होंने कहा है कि सत्र 2000-2001 में 400 उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गई है और जिनमें से 281 उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है। सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि इस संबंध में सैकण्ड और थर्ड श्रेणी के उर्दू अध्यापकों की वरीयता सूची बनाते समय उच्च डिग्रीधारकों को भी जो उर्दू के वैकल्पिक विषयधारक थे, शामिल कर नियुक्ति दी जानी चाहिए थी। यह उल्लेखनीय है कि डी.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 1011/1988 दिनांक 18.11.1988 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने भी इसके पक्ष में फैसला सुनाते हुए यह तय किया है कि निम्नतम योग्यता सरकार किसी पद के लिये तय कर सकती है लेकिन उससे उच्चतर योग्यताधारकों को अयोग्य नहीं मान सकती है। यह राजस्थान उच्च न्यायालय का निर्णय था लेकिन इसकी अनुपालना नहीं की गई।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरीके से जामिया उर्दू, अलीगढ़ की जो परीक्षाएं होती हैं उन परीक्षाओं में मोअल्लिम उर्दू को बी.एड. के समकक्ष आज तक माना जाता रहा है और उसके आधार पर नियुक्ति भी दी जाती रही है। सैकड़ों लोगों को नियुक्ति दी है लेकिन पता नहीं अचानक सरकार को एकदम क्या हुआ कि मोअल्लिम उर्दू की मान्यता खतम कर दी। छात्र हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट ने इस संबंध में जो निर्णय दिया है वह आपको उद्धत करना चाहता हूं। मोअल्लिम उर्दू जामिया, अलीगढ़ द्वारा प्रदत्त उपाधि-धारकों को पूर्व में वरिष्ठ अध्यापक उर्दू व तृतीय श्रेणी अध्यापक उर्दू के तौर पर सम्पूर्ण राजस्थान में समय-समय पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं, लेकिन हाल ही में इस डिग्रीधारकों के आवेदन पत्र निरस्त कर दिये गये हैं, जो कि उनके भविष्य पर प्रश्नचिन्ह लग गया है। पूर्व में दिये गये आदेशों की प्रतियां भी संलग्न हैं एवं हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर की डी.बी. ने स्पेशल अपील रिट नम्बर 611/1997 दिनांक 17.9.1997 को प्रार्थी के हक में फैसला सुनाया है इसलिए वरीयता सूची का निर्धारण सभी मण्डलों को शामिल करते हुए मोअल्लिम में उर्दू

(मोहम्मद माहिर आजाद)

डिग्रीधारी को बी.एड. के समकक्ष मानने का निर्णय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिया है।

माननीय सभापति महोदय, एक आदेश जो राजस्थान सरकार ने निकाला उसको भी मैं यहां उद्धृत करना चाहता हूं। तत्कालीन डिप्टी सैक्रेटरी ए. एल. रूंगटाजी ने यह आदेश निकाला। "The Government has decided to recognise this following examinations conducted by the Jamil Urdu, Aligarh as equivalent to the examinations noted against such so far as standard of Urdu is concerned for the purpose of recruitment.... in the State Government." अदीब को माना है हाई स्कूल के इक्विवेलेंट और अदीब-ए माहिर को इंटरमिडिएट के इक्विवेलेंट अदीब-ए कामिल को बी.ए. और मोअल्लिम उर्दू को इक्विवेलेंट टू बी.एड. उर्दू। माननीय सभापति महोदय, इस संबंध में माननीय शिक्षा सचिव और निदेशक, शिक्षा विभाग से मैंने भी कई बार पत्र व्यवहार किया है। इन्होंने कहा कि आप दिल्ली में जो राष्ट्रीय शिक्षा परिषद् है वहां से लाइये। बच्चे वहां भी गये। मुझे खुशी है यह कहते हुए कि आज वे वहां से लिखवा कर लाये हैं कि आज भी इसकी मान्यता बरकरार है। अब मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा, आपको कम से कम अब तो इसके उपर ध्यान देना चाहिए और इसको लागू करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देने का सवाल है, आपने इसमें कहा कि 400 में से 281 को हमने नियुक्ति दे दी है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी कुछ जानकारी हासिल करने में व्यस्त हैं...(व्यवधान) कोई सुन ही नहीं रहा है, जवाब ही नहीं मिलेगा उत्तर में, किसके सामने बीन बजाऊं?

श्री सभापति : आप जो कह रहे हैं वे सुन रहे हैं। आपको जवाब मिल जाएगा।

मोहम्मद माहिर आजाद : आपको तो पिछली बार भी जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया था, आप क्या जवाब देंगे?

श्री सभापति : माननीय आजाद साहब, आप जानते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि चूरू में 60 थर्ड श्रेणी उर्दू अध्यापकों की आपने जगह निकाली, मैं उदाहरण के लिए दे रहा हूं। आपने राजस्थान में थर्ड ग्रेड के उर्दू टीचर्स की 400 वेकेंसीज निकालीं, उसमें चूरू के 60 थे। उन चूरू के 60 की मैरिट लिस्ट बना ली, सब कुछ कर लिया लेकिन 14 टीचर ऐसे हैं जो 1995 से उर्दू टीचर के स्थान पर काम कर रहे हैं पहले ही से। मुस्लिम टीचर हैं, कोई जनरल विषय के हैं, कोई उर्दू के हैं। उन 14 को इसमें से लैस करके आपने वहां पर केवल 46 पोस्टें रख दीं 60 में से, इसलिए आपका टोटल 281 आ रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय शिक्षा मंत्रीजी से जानना चाहूंगा, अपने उत्तर में इस बात को साफ करें कि जो पहले से लगे हुए हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, 400 नये उर्दू अध्यापकों को नियुक्ति देने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, एक बात आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से और निवेदन करना चाहूंगा। आपने गत वर्ष के बजट में 619 मदरसों के लिए राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के बजट में दो करोड़ रुपये देने की घोषणा की थी। इस दो करोड़ को घटाकर ये 78.6 लाख रुपये कैसे हो गये? यह बाकी का पैसा कहां चला गया? कृपया आप इसका भी क्लेरीफिकेशन करने का काम करेंगे। सात माह का वेतन किसलिए काट लिया गया?

(17.00 बजे)

दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से यह भी जानना चाहूंगा कि आपने पिछले बजट भाषण में 619 मदरसों की घोषणा की थी और इस साल का बजट भाषण आया है उसमें 500 मदरसों का जिक्र किया है, तो क्या 619 तो पिछले साल के और 500 इस साल के, आप इस तरीके से 1119 मदरसों को सहायता देंगे? या आपने 619 को घटाकर इस बार 500 कर दिया, जैसा गुढ़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि आप एक बार घोषणा कर देते हैं। आपने घोषणा कर दी कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण छात्र हैं उन्हीं को चुनाव लड़ने की इजाजत दी जाएगी। फिर जब आपने देखा कि मामला बिगड़ रहा है तो कहा कि नहीं, 55% वालों को दे देंगे। फिर कहा कि 50% को दे देंगे। फिर कहा कि नहीं, सबको दे देंगे। आपने इसी तरीके से कह दिया कि सरपंच अध्यापकों के ट्रांसफर कर सकेंगे। फिर कहा, नहीं कर सकेंगे। 2 करोड़ फिर 78 लाख पर आ गये, अब आप पांच सौ पर आ गये। तो सही क्या है, कृपया इस वस्तुस्थिति से आप अवगत कराने का काम करें।

मैं आपके माध्यम से एक मांग और करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश आपका पड़ोस का राज्य है और आप और माननीय मुख्य मंत्रीजी ज्यादातर योजनाएं मध्य प्रदेश की नकल पर ही राजस्थान में एप्लाई करने का काम करते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने वहां एक मदरसा बोर्ड का गठन कर रखा है जो मदरसों की शैक्षणिक और ढांचागत व्यवस्था को सुधारने का काम करता है। और प्रोफेसर मोहम्मद हलीम को उसका चेयरमैन बना करके उसको मिनिस्टर स्टेटस दे रखा है। क्या आप भी राजस्थान में मदरसों की स्थिति सुधारने, शैक्षणिक वातावरण को सुधारने, अल्पसंख्यकों में शैक्षणिक जाग्रति पैदा करने के लिए मदरसा बोर्ड का गठन करने का इरादा रखते हैं? यदि हां, तो आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस संबंध में भी आप मुझे अवगत कराएं।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

एक निवेदन मैं आपसे यह करना चाहता हूं, आपने अपनी यह जो प्रगति रिपोर्ट दी इसके अन्दर आपने 9 नये इंजीनियरिंग महाविद्यालय खोले हैं। माननीय सभापति महोदय, हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ नहीं हैं, आप निजी क्षेत्र में दीजिये, आप शिक्षा को बढ़ावा दीजिये, तकनीकी शिक्षा को, प्रोफेशनल एजुकेशन को बढ़ावा दीजिये, लेकिन आपको सुन कर ताज्जुब होगा कि 9 के 9 महाविद्यालय जयपुर में? 9 के 9 इंजीनियरिंग महाविद्यालय जिनको आपने मंजूरी दी है वे हैं— आर्य कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड इंफार्मेशन टैक्नोलोजी, जयपुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, जयपुर, स्वामी केशवानन्द इंस्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी एण्ड मैनेजमैंट, जयपुर, जयपुर इंजीनियरिंग कालेज एण्ड रिसर्च सेंटर, जयपुर, पूर्णिमा कालेज आफ इंजीनियरिंग, जयपुर, श्री बालाजी कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, जयपुर, ज्ञान विहार स्कूल आफ इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, जयपुर, स्टेनी मेमोरियल कालेज और इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलोजी, जयपुर और जयपुर इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर। माननीय सभापति महोदय, आप इंजीनियरिंग कालेज खोले, राजस्थान के आने वाले मेरे नौजवान भाई इसमें शिक्षा ग्रहण करेंगे, राजस्थान का विकास होगा, लेकिन क्या सारे इंजीनियरिंग के पढ़ने वाले छात्र जयपुर में ही रहते हैं? क्या कोई बहरोड़ में नहीं रहता है? क्या कोई भरतपुर में नहीं रहता? कोई और दूसरे डिवीजनों में नहीं रहता? आप जब पैसा खर्च कर ही रहे हैं बनाना ही चाह रहे हैं तो, माननीय सभापति महोदय, जयपुर में तो जमीन उलटी महंगी है, ग्रामीण क्षेत्र में या दूसरे जिलों में लेते तो सस्ती मिलती। मेरा आपसे निवेदन है कि आप जब समानीकरण की बात कर रहे हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के साथ, आदिवासी जिलों के साथ, पिछड़े हुए जिलों के साथ, मेव बहुल क्षेत्र के साथ और दूसरे क्षेत्रों के साथ भी आपको न्याय करना चाहिए और इस तरीके के महाविद्यालयों को दूसरी जगह भी खोलने का काम करना चाहिए था।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भरतपुर जो पूर्वी राजस्थान का सिंह द्वार है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा की सीमा पर लगा हुआ है, वहां डी.आई.जी. हैडक्वार्टर का आफिस है, आसपास के जिले लगते हैं। आज जितने भी सम्भाग मुख्यालय और डी.आई.जी. हैडक्वार्टर हैं सब जगह आपने विश्वविद्यालय खोला है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस साल या अगले साल जब भी आप योजना बनाएं भरतपुर में भी आप विश्वविद्यालय खोलने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक और बड़ा महत्वपूर्ण निवेदन करना चाहता हूं कि हमको यह कहते हुए गर्व है कि चाहे कारगिल हो, चाहे देश की सीमा हो,

(मोहम्मद माहिर आजाद)

जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, जिन लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है उसमें राजस्थान सरेफेहरिस्त है। राजस्थान का प्रथम स्थान है, राजस्थान के बहुत ज्यादा रणबांकुरे शहीद हुए हैं। एक लांस नायक हनीफ खान भी जो किडवाना गांव तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं का था, वह शहीद हो गया। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने और सामान्य प्रशासन विभाग ने, दोनों ने उस गांव के राजकीय माध्यमिक विद्यालय का नाम शहीद लांस नायक हनीफ खान के नाम रखने का निर्णय ले लिया। लेकिन मुझे यह कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि निर्णय होने के डेढ़ साल बाद भी उस विद्यालय का प्रधानाध्यापक जो संकीर्ण मानसिकता का है, उसने बोर्ड के ऊपर लांस नायक शहीद हनीफ खान का नाम लिखने की इजाजत नहीं दी है। आज तक वह नाम नहीं लिखा गया है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इन छोटी-मोटी बातों को आपको देखना चाहिए और आपको इसके ऊपर...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आपने चालू वित्तीय वर्ष से राजस्थान के माध्यमिक और सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में जो कम्प्यूटर शिक्षा को प्रारम्भ करने का कार्य हाथ में लिया है और जो योजना बनायी है मैं उसका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें उर्दू साफ्टवेयर को भी आप शामिल करें। टौंक, सवाईमाधोपुर, कोटा और झालावाड़ के छात्रों का एक उर्दू का ज्ञापन मेरे पास आया है और उसमें निवेदन किया है उन्होंने कि आप हमारी तरफ से माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन कर दें कि मुख्तलिफ अकल्लियति ज़बानों की हिफाजत करने वाले कम्प्यूटर साफ्टवेयर इन-पेज को सीनियर सैकण्डरी स्कूल की कम्प्यूटर तालिमी निसाब में इसकी अहमियत को देखते हुए शामिल किया जाए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसको भी आप शामिल करने का काम करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं अन्त में आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि राजकीय महाविद्यालय, बारां में उर्दू विषय खोलने के लिए आपको कांग्रेस की अध्यक्ष डा. गिरिजा व्यास, विधान सभा अध्यक्ष माननीय परसरामजी मदेरणा, स्वायत्त शासन मंत्री श्री शांतिकुमार धारीवालजी, आपके राज्य सभा के सांसद नवाब एमादुद्दीन अहमद खान, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष डा. निजाम मोहम्मद ने और स्वयं मैंने भी निवेदन किया है। वहां 34 छात्र उर्दू का अध्ययन करना चाहते हैं इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि राजकीय महाविद्यालय, बारां में और राजकीय महाविद्यालय, गोविन्दगढ़ (अलवर) में उर्दू विषय खोलने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए

(मोहम्मद माहिर आजाद)

आपको धन्यवाद देते हुए एक अन्तिम बात यह कहना चाहता हूं कि आपने वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन उच्च शिक्षा विभाग का निकाला। इसमें राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी ने जो अपनी महत्वपूर्ण उपलब्धियां गिनायी हैं उन महत्वपूर्ण उपलब्धियों में 8.3 में इन्होंने लिखा है, स्वर्ण जयंती समारोह समिति द्वारा स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पुस्तकों के प्रकाशन का दायित्व भी अकादमी को दिया गया है। इस स्वर्ण जयंती समारोह के अवसर पर आपने कुछ पुस्तकें पण्डित जुगल किशोर चतुर्वेदी, माननीय टीकारामजी पालीवाल, स्वर्गीय मास्टर आदित्येन्द्र की भी निकालीं। मेरा आपसे निवेदन है कि क्या स्वर्गीय बरकतुल्ला ख़ान के ऊपर आप कोई पुस्तक नहीं छाप सकते थे? मेरा आपसे निवेदन है कि क्या शिक्षाविद् सर सैयद अहमद खान को आप भूल गये? और कोई आपको याद आया, न आया, आपको शहीद अब्दुल हमीद तो याद आ सकता था। क्या अल्पसंख्यकों में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है, इस देश की आजादी के लिए जिसने अपनी जान कुर्बान की हो या जिसने शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों को और लोगों को बढ़ावा देने के लिए काम किया हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि—

श्री सी. पी. जोशी : राजस्थान की स्वर्ण जयंती में राजस्थान से संबंधित लोगों को लिया है।

मोहम्मद माहिर आजाद : बरकतुल्ला खान साहब राजस्थान में नहीं हैं? शहीद अब्दुल हमीद राजस्थान के नहीं हैं? मैंने राजस्थान के भी आपको आदमी गिनाये है।

श्री सी. पी. जोशी : फ्रीडम फाइटर की बात है। This is all about Freedom Fighter.

मोहम्मद माहिर आजाद : मत लीजिये, और यहां के लीजिये। राजस्थान के सादिक अली अभी हाल ही में दिवंगत हुए। सादिक अली भी राजस्थान के थे। आपके कांग्रेस के दो बार जनरल सैक्रेटरी रहे, राज्य सभा के सदस्य रहे, जयपुर से भी लोक सभा का चुनाव लड़ा था, राज्यपाल भी रहे। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान) मान्यवर, भावना में नहीं बहो। फ्रीडम फाइटर का एक रिकार्ड होता है। फ्रीडम फाइटर कौन है वह एक अलग इश्यू है, बड़े आदमी बन गये समाज के, वह एक अलग इश्यू है। Don't mix up two isssues.

मोहम्मद माहिर आजाद : फ्रीडम फाइटर नहीं थे, उन्होंने तो गांधीजी का—

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, नहीं, मुझे पता नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूं कि यह काम स्वर्ण जयंती समारोह समिति का है उन्होंने नाम दिया। मेरा फर्स्ट रिएक्शन है कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो नाम होते हैं, लिस्ट होती है उनमें से कोई भी आदमी जो बड़ा है उसका निश्चित रूप से प्रकाशन होना चाहिए।

(श्री सी.पी.जोशी)

आपने ध्यान आकर्षित किया तो आप कम से कम यह कहे कि जो फ्रीडम फाइटर हैं उनके नाम होने चाहिए। आप तो वहां भारत के और उनकी बात करने लग गये। यह लिमिटेड मामला था राजस्थान के लिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने चार नाम राजस्थान के भी गिनाये हैं। एक चलो बाहर का ले लिया तो कोई बात नहीं है।

डा. (श्रीमती) कमला : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहती हूं...

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अभी संस्कृत पर ही आ रहा हूं।

डा. (श्रीमती) कमला : नही, सुनें। अवगत कराना चाहती हूं कि यह पुस्तक लोकार्पण का क्रम बंद नहीं हुआ है। स्वर्ण जयंती समारोह का कार्यक्रम चाहे बंद हो गया है लेकिन इन तमाम् हमारे महान पुरुषों का जीवन चरित्र लिखने का काम अभी भी जारी है। वह कमेटी बनी हुई है, राजस्थान के जितने भी इस प्रकार के व्यक्तित्व हैं उन सबके ऊपर पुस्तकें प्रकाशित होंगी। अभी फर्स्ट-सैकण्ड इंस्टालमैंट में जितनी निकली हैं वे ग्रन्थ अकादमी ने जारी की हैं।

श्री सभापति : समाप्त करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : चलिये, माननीय सभापति महोदय, बस खतम कर रहा हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी और संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी, को, आपने यह कहा कि अभी यह क्रम जारी है और आगे से भूल नहीं होगी और आप इन लोगों को शामिल करेंगे। इसके लिए धन्यवाद।

अंत में मैं संस्कृत शिक्षा के बारे में दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं माननीय संस्कृत शिक्षा मंत्रीजी को जो डाक्टरेट की उपाधि मिली है उसके लिए और आपने राजस्थान में जो संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने का प्रयास किया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे एक ही बेटा है, केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 1 में कक्षा 9 (ए) में वह पढ़ता है, आप पता कर लें। जब सवाल यह आया कि उसको थर्ड लैंग्वेज के रूप में संस्कृत दिलवाई जाए या उर्दू दिलवाई जाए, तो मैंने कहा, उर्दू तो वह जानता ही है, मदरसे में खूब पढ़ी हुई है, मैंने उसको उसके स्कूल में संस्कृत विषय दिलवाया है ताकि एक भाषा वह और सीख सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मैंने आपको पहले भी निवेदन किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम सेमला में, संस्कृत का उच्च प्राथमिक विद्यालय है, पूरे भरतपुर में उस विद्यालय का शत प्रतिशत परीक्षा परिणाम रहा है। वहां मैंने विधायक कोटे से दो कमरे बनवाये, वहां मेवात विकास बोर्ड से भी एक कमरा बना है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे क्षेत्र में संस्कृत शिक्षा को

(श्री ललित भाटी)

कच्ची बस्तियां या डाउनट्रोडन कम्युनिटीज के एरियाज जहां पर स्कूल नहीं खुले पाये हैं, वहां पर उन लोगों को निरक्षरता और निरक्षरता के अभिशाप दोनों से बचाने की दिशा में राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशालाएं एक मील का पत्थर साबित होंगी, ऐसा मेरा मानना है। (व्यवधान)

सभापति महोदय, तकनीकी शिक्षा में जो क्रांतिकारी निर्णय हमारी सरकार ने लिये हैं उसके बारे में मेरे से पूर्व भी कई वक्ताओं ने प्रशंसा की है। निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश के मध्यम आय वर्ग के उन परिवारों के छात्रों को मिल रहा है जो पैसे के अभाव में दूसरे प्रदेशों में जाकर तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। आज उन्हें यह शिक्षा हमारे प्रदेश में ही उपलब्ध है। आज वे अगर बाहर जाएं तो उनको वहां पर पेमेंट सीट पर एडमिशन लेना पड़ता है। वहां रहने का अलग खर्चा आता है। इस तरीके से आपने अपने प्रदेश के छात्रों का बहुत बड़ा भला किया है, जो पैसों की कमी की वजह से तकनीकी शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते थे। बिना तकनीकी ज्ञान के, मेरा तो यह भी मानना है कि साक्षरता की परिभाषा भी बदलेगी आने वाले कुछ समय में। अभी तो हम यह मान कर चलते हैं कि जिसे दस्तखत करना नहीं आता, जिसको क, ख, ग पढ़ना नहीं आता है वह निरक्षर है। मगर समय जिस तेजी के साथ में करवट बदल रहा है, सभापति महोदय, जिसे कम्प्यूटर एजुकेशन का ज्ञान नहीं होगा वह आदमी भी निरक्षरों में गिना जाएगा। समाज इस दिशा के अंदर आगे बढ़ रहा है तो उस चीज को देखते हुए हमारे मंत्री महोदय ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी कम्प्यूटर शिक्षा को अनिवार्य किया है और हर स्कूल के अन्दर...(व्यवधान) जरूर आता होगा शिक्षा मंत्रीजी को। मेरे खयाल से आप पूछ लेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा की अनिवार्यता हमने की है। अभी कालेज के अन्दर साइंस और कामर्स के अन्दर आपने इसको कम्पलसरी किया है और आर्ट्स के अन्दर भी आप इसको करने जा रहे हैं। तो सैकण्डरी लेवल से लेकर कालेज एजुकेशन तक आपने कम्प्यूटर एजुकेशन को जिस तरीके से महत्व दिया है, मैं यह मान कर चलता हूं कि इसके बहुत दूरगामी परिणाम आने वाले समय में समाज को प्राप्त होंगे। इस बात के लिए आपको विशेष कर याद किया जाएगा कि आपके दूरंदेशी नजरिये ने इस तरीके का एक निर्णय लिया। राजस्थान के छात्रों का उस दौड़ के अन्दर बराबर खड़ा रहने का आप मौका देंगे जो आने वाले समय में हर छात्र के सामने चुनौती है, समाज के सामने चुनौती है। कि बगैर तकनीकी शिक्षा, बगैर तकनीकी ज्ञान के कोई भी आदमी विकास की दौड़ के अन्दर आगे नहीं निकल पाएगा। सभापति महोदय, जो विकास के काम या प्रगति के काम शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर सरकार करने जा रही है इससे अलग हट कर मैं दो-तीन चीजों की ओर शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। नियमित रूप से

(श्री ललित भाटी)

जो काम हमने हाथ में ले रखे हैं उनमें सुधार की तरफ तो हमें ध्यान देना ही है, मगर कुछ जो परिस्थितिजन्य हालात पैदा हो जाते हैं उनको देखते हुए भी हमें कुछ निर्णय करने चाहिए।

मैंने मेरे कटौती प्रस्ताव के अन्दर एक बात रखी है कि जो हमारे राजकीय स्कूलों में प्रधानाध्यापक, अध्यापक वगैरह हैं, उनकी आचार-संहिता हो। मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए मैंने यह बात कही है, बाकी एक आचार संहिता इनकी भी लागू होनी चाहिए। आपकी जानकारी के अन्दर भी आया होगा, सदन में भी कई बार जानकारी के अन्दर लाया गया माननीय सदस्यों की अभिव्यक्ति में, उनके प्रश्नों के माध्यम से कि अध्यापकों के द्वारा दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आती हैं। कई जगह पर बच्चों को निर्ममता से पीटने की बात है, कई जगह पर छात्राओं के कपड़े उतारने तक की बात भी अखबारों के माध्यम से हमारी जानकारी के अन्दर आयी है। सभापति महोदय, बल्कि यहां तक देखने में आता है कि महिला अध्यापक के साथ में पुरुष अध्यापक का दमनात्मक रवैया। यह एक समाज के साथ में कुरीति है। समाज की विकृति है, उसका परिणाम है, जिससे हम भाग नहीं सकते, जिससे हम पीछा नहीं छुड़ा सकते। ये सारी चीजें अभी इसके ऊपर देखने में आ रही हैं, कुछ समय से ये शिकायतें बढ़ी हैं। विभाग में इसके ऊपर कोई अंकुश लगाया जा सके, कोई आदर्श आचार संहिता लागू की जा सके जिससे कि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने पर हम रोक लगा सकें। अध्यापक को हम विश्वबंदनीय मानते रहे हैं। गुरु परम्परा के अन्दर हिन्दुस्तान का सबसे बड़ा दर्जा रहा है। उस गुरु परम्परा में जो प्रदूषण समाहित हो गया है, उस प्रदूषण को रोकने की दिशा के अन्दर भी सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए।

ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर आज भी विद्यालयों की इतनी अधिकता नहीं है जितनी शहरी क्षेत्रों के अन्दर देखने को मिली है। अब छोटे कस्बों का भी शहरीकरण हो रहा है, वहां भी काफी मात्रा के अन्दर हम देख रहे हैं स्कूलें खुलने लगी हैं। मैं अजमेर का उदाहरण देते हुए आपको अर्ज करना चाहता हूं कि वहां गली-गली के अन्दर कम से कम नहीं तो आन एन एवरेज तीन या चार स्कूल मिल जाएंगे। एक ऐसा रवैया चल गया, एक ऐसा रुख देखने में आ रहा है कि जो भी निजी क्षेत्र के अन्दर स्कूल खुल रहे हैं वे सब कान्वेन्ट एजुकेशन का ठप्पा दिखाने की कोशिश करते हैं। उनका कोई भी नाम होगा, वह किसी सेन्ट के नाम पर होगा। कि हम ईसाई मिशनरी वालों से पूछें कि इतने सेन्ट हो गये क्या जितने स्कूलों के नाम हैं। मैं सोचता हूं कि इतने सेन्ट शायद उनकी जानकारी में भी नहीं होंगे। इतने सेन्ट स्कूल आज की तारीख में अजमेर के अन्दर खुल रहे हैं। उनका सबका प्रतिकूल प्रभाव अभिभावकों की जेब पर पड़ रहा है। आज समाज का

(श्री ललित भाटी)

ठेला चलाने वाला जो कि अल्प आय वर्ग का व्यक्ति है, उसकी भी यह तमन्ना है कि उसका बच्चा अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्राप्त करे। उसको वह अच्छी से अच्छी शिक्षा दिलाना चाहता है। वह अपने खर्च में कटौती करता है ताकि अपने बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सके। इस प्रयास में वह इन स्कूलों के अन्दर फंसता है और वहां उसकी जेब कटती है। मैं इस ओर इशारा करना चाहता हूं, सरकार को यह भी तय करना चाहिए, प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं उनकी टैरेटरी का एक क्राइटेरिया बनाया जाना चाहिए जिस तरीके से आपने राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला के लिए रखा है कि एक किलोमीटर की परिधि में जहां शिक्षा विद्यालय नहीं होगा वहां हम राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोलेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में स्कूल खोलने के लिए भी आपको कोई क्रोइटेरिया बनाना पड़ेगा। वह क्राइटेरिया बनाने के लिए आपको नया एक्ट बनाना पड़े या एक्ट में संशोधन करना पड़े तो इस दिशा में भी काम किया जाना चाहिए। कि आज स्कूल लेवल से लेकर हायर एजूकेशन, टैक्निकल एजुकेशन, एडवांस एजुकेशन तक में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, वहां जिस तरीके से शिक्षा शुल्क वसूला जाता है, जो फीस रखी जाती है, उस फीस के ऊपर आपको कोई चैक करने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। आप उसके अन्दर रखें कि अगर वह एक हजार रुपये महीने लेना चाहता है तो फिर कुछ मिनिमम सुविधाएं, चीजें तो स्कूल में छात्रों को उपलब्ध करानी ही पड़ेगी। इसके अन्दर आप कमरों की बात भी रख सकते हैं, वहां पर फैसिलिटी की बात भी कर सकते हैं। आज देखते हैं कि तीन-तीन सौ, चार-चार सौ रुपये में वे अनस्किल्ड अनट्रेण्ड टीचर्स इस्तेमाल करते हैं, उनके द्वारा बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे पास में समस्या यह है कि जिन लोगों ने बी.एड. कर लिया है, एम.एड. कर लिया है वे. बेरोजगारी की श्रेणी में पड़े हुए हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, भाटी साहब, आप शिक्षा मंत्रीजी को यह कहो, अजमेर में तो जो सेन्ट स्कूल खुल रहे हैं वे तो फिर भी ठीक खुल रहे हैं। गांवों में जो प्राइवेट स्कूल खुल रहे हैं, सरकारी स्कूलों से ज्यादा इनकी संख्या है। जिस देश के गांवों की नींव मजबूत होनी चाहिए उस देश के गांवों के बच्चों को आठवीं पास से पढ़ाकर कहां ले जाना चाहते हैं, उस बारे में भी मंत्रीजी को कुछ ज्ञान दीजिए।

श्री ललित भाटी : आपने मेरे खयाल से उन आदेशों को पढ़ा नहीं है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपकी पंचायत में कोई एक भी स्कूल अध्यापक आठवीं पास है तो नाम बता दीजिए मुझे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : मेरे खुद के गांव के अन्दर मिडल स्कूल है और टैन प्लस टू है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने पूछा है आपके विधान सभा क्षेत्र के अंदर राजीव गांधी पाठशाला में कोई आठवीं पास हो तो मुझे बता दीजिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : सारे ही आठवीं पास हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आप किस दुनिया में हैं? (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : लिस्ट लाकर दे देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : हां, लाकर दे देना।

श्री धर्मपाल चौधरी : हां, दे देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : आप गये ही नहीं हैं गांव में, आपको मालूम ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, आप जो 1200 रुपये में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं...

श्री सी. पी. जोशी : मैं तो आठवीं पास कह रहा हूं। आपको जानकारी नहीं है, आप भाषण क्यों दिये जा रहे हैं? आठवीं पास आपके विधान सभा क्षेत्र में हो तो बता दीजिए।

श्री धर्मपाल चौधरी : अगर आपको जानकारी है तो बता दीजिए, राजीव गांधी पाठशाला में कौन-कौन सी क्लास के पढ़े हुए शिक्षक हैं?

श्री सी. पी. जोशी : वह भी बता देंगे।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बता दीजिए, हम भी बता देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : मैं बता दूंगा।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बता देंगे तो हम भी बता देंगे।

श्री सी. पी. जोशी : (व्यवधान) मान्यवर, मान लो मुझे जानकारी नहीं है...

श्री धर्मपाल चौधरी : वास्तविकता से दूर मत जाओ। वास्तविकता से दूर हटोगे तो गांवों में जो बच्चे पढ़ते हैं, यहां कहने से कुछ नहीं है, आप गांव के अन्दर...

श्री सी. पी. जोशी : भाषण मत दो।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह भाषण नहीं है। गांव के अन्दर जो बच्चे पढ़ते हैं। राजीव गांधी पाठशाला में...

श्री सी. पी. जोशी : आप नाम बताओ, आपको मालूम नहीं है, खाली भाषण दे रहे हो। (व्यवधान) आपके विधान सभा क्षेत्र में एक आदमी का भी नाम बताओ। ख़ाली भाषण दे रहे हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय जोशीजी, राजीव गांधी स्कूल बिल्डिंग में भूसा भरा जा रहा है। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : भूसा भरा जा रहा है, मूंछें नहीं भरी जा रहीं। काम की बात करो, यह क्या बात कर रहे हो?

एक माननीय सदस्य : कार्टूनों की गिनती में लगे रहते हैं, फ्री हों तो जाएं।

श्री मदन दिलावर : गांव के बच्चों को अनपढ़ रखने का षड्यंत्र है।

श्री सी. पी. जोशी : इसकी जानकारी दो न। आपको मालूम नहीं है, भाषण दे रहे हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : भूसा भरा हुआ है।

श्री मदन दिलावर : इसके पीछे पता नहीं कौनसी ताकत काम कर रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सभापति, आप बिराजें।

श्री ललित भाटी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, मैं हस्तक्षेप नहीं कर रहा था। मेरी जानकारी के लिए मान लो, कोई हो तो करैक्ट कर लूं इसलिए पूछा है मैंने।

श्री जसवंत सिंह (बाड़ी) : मैं मेरे बाड़ी क्षेत्र से आपके लिए दस ला दूंगा। 10 अध्यापक मिडल क्लास पास हैं। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपसे बात करने का क्या मतलब है? जानकारी में क्या तकलीफ है? जानकारी में तकलीफ है क्या? आप दो तो हम बता देंगे।

श्री मदन दिलावर : मेरे अटरू के दाता लापडिया गांव में, दाता-मोतीपुरा गांव में आठवीं पास लगाये हुए हैं, अटरू के मोतीपुरा दाता गांव में आठवीं पास... (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, कुर्सी पर तो बैठें अपनी पर।

एक माननीय सदस्य : माननीय सभापति महोदय, पहले इन्हें अपनी सीट पर बिठाइये।

श्री सी. पी. जोशी : पता ही नहीं। आठवीं पास, आठवीं पास किये जा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : अटरू में बूंदी के पास लापडिया गांव में आठवीं पास महिला...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, मैंने आपसे पूछा है, कोई नाम बताएं।

एक माननीय सदस्य : कहीं इन्हीं की सिफारिश से लगे हुए हों। राज्य सरकार की यह मंशा नहीं है। इन्होंने ही किसी ने रखवाया होगा आठवीं पास कोई।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : ऐसा है, बेरोजगार आदमी है...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : मान्यवर, बेरोजगार है, इनके विधान सभा क्षेत्र का मामला है। भाषण दिये जा रहे हैं आप। इनके विधान सभा क्षेत्र का बताया। मालूम ही नहीं है। खाली भाषण दिये जा रहे हो।

श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : बेरोजगार स्टूडेंट है वह आठवीं पास है और आपके एम.ए. पास भी उस राजीव गांधी विद्यालय में लगे हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आठवीं पास भी ज्यादा हैं, क्योंकि घरों के पास खुलती है, राजनैतिक आधार पर आप कल हटा दोगे, क्या करोगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप बिराजें। भाटी साहब, आप जारी रखें।

श्री ललित भाटी : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करना चाह रहा था कि निजी क्षेत्र में जो स्कूल...(व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : + + + (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : हम सब लोग मर जाएंगे और वे रोएंगे। इस राजस्थान का क्या हो गया, क्या होगा? हम अनपढ़ लोगों के...(व्यवधान)

श्री सभापति : राजस्थान की सारी चिन्ता मत करो आप।

श्री हरिसिंह (मुख्य सचेतक) : आप तो अपनी चिन्ता करिये। आपको क्या हो गया? आप अपनी चिन्ता करिये। (व्यवधान)

श्री ललित भाटी : भारी मात्रा में भारी फीस वसूल की जाती है। सरकार निजी क्षेत्र को बढ़ावा जरूर दे मगर उनके ऊपर इस बात का नियंत्रण और अंकुश जरूर रखा जाना चाहिये कि अभिभावकों से जो भारी पैसा वसूल किया जा रहा है उसके अनुपात में सब सुविधाएं बच्चों को वहां पर मिलनी चाहिये जिसके वे हकदार हैं और जिसके माध्यम से बेहतर शिक्षा वे प्राप्त कर सकते हैं।

सभापति महोदय, इस सरकार ने जो पिछली सरकार ने तिजारत की थी शिक्षा के नाम पर, उसको बंद किया। इसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। 9 साल के अन्तराल के बाद पहली बार काफी मात्रा में हमने बगैर लोगों से पैसे लिये काम किया। क्षेत्र के लोगों के ऊपर यह भार था कि वे तीन-तीन, पांच-पांच लाख रुपये पहले इकट्ठा करके सरकार को जमा कराएं तब जाकर स्कूल क्रमोन्नत हो सकते थे। जिन लोगों के पास पैसा नहीं हो, जहां गरीब लोग रहते हों, उन स्कूलों को क्रमोन्नत करना उनके लिए एक दिवास्वप्न हो गया था। उस स्वप्न को साकार करने का काम हमारी कांग्रेस सरकार ने राज में आने के बाद किया। सैकड़ों की संख्या के अंदर हमने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, सीनियर सैकण्डरी स्कूल्स खोले और हजारों की संख्या में प्राइमरी स्कूलों को खोला। सभापति महोदय, मैं इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्रमोन्नत किये गये स्कूलों में अध्यापकों की नियुक्ति का जो काम है, मंत्री महोदय, आने वाला शिक्षा सत्र जब शुरू हो तो आप यह जरूर सुनिश्चित कर लें कि उन स्कूलों में बगैर सब्जैक्ट टीचर के या जो पर्याप्त संख्या होनी चाहिये उसके बगैर शिक्षा सत्र शुरू नहीं हो।

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललित भाटी)

राज्य सरकार तीन जगह प्रदेश में मेधावी छात्र जो अनुसूचित जाति और जनजाति के हैं, उनका मैरिट के आधार पर सलेक्शन करती है। उदयपुर, अजमेर और एक जगह और है, तीन जगह पर छात्रावासों में उनको रहने की सुविधा दी जाती है और उनको शिक्षण की व्यवस्था की हुई है। अजमेर के मामले में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आपके माध्यम से आकर्षित करना चाहता हूं कि उनको आपने काफी बजट प्रोवीजन भी किया हुआ है। आज के इस महंगाई के जमाने में 500 रुपये प्रति माह एक बच्चे को डाइट का उसके अंदर सैंक्शंड है। 500 रुपये के हिसाब से वह दोनों वक्त का खाना भी खाएगा, एक बार चाय भी पीएगा तो करीब साढ़े आठ रुपये एक वक्त का आकर बैठता है। एक दिन का साढ़े 16-17 रुपया आकर बैठता है। मैं सोचता हूं कि व्यावहारिकता को देखते हुए मंत्री महोदय खुद महसूस करते होंगे कि 16 रुपये में दो वक्त का खाना और दो वक्त की चाय बहुत मुश्किल है। दूसरे तरीके से जो आप एकमुश्त पैसा दे रहे हैं, वह पैसा उनको जब अलाट होता है, पिछली बार तो नवम्बर में जाकर वह पैसा रिलीज हुआ, उसके पहले जनवरी के अंदर जाकर वह पैसा रिलीज हुआ। हम शिक्षा सत्र तो शुरू करते हैं जुलाई के अन्दर और पैसा नवम्बर में, जनवरी में जाकर मिलता है। जो इस प्रशासन को सम्भालते हैं, जो इस व्यवस्था को सम्भालते हैं उनके लिए बड़ा दुःखदायी हो जाता है कि इन महीनों में पैसा नहीं होते हुए पैसे की व्यवस्था करें। कम पैसे के अन्दर किस तरीके से व्यवस्था करें? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, इसको दिखवाएंगे। और उसके अंदर नये

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सिरे से सारा एलोकेशन होगा। एक सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जरा जल्दी समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : बस, मैं समाप्त ही कर रहा हूं। मैं खतम ही करने जा रहा हूं। वह तो बीच में व्यवधान ज्यादा आ गया।

श्री सभापति : व्यवधान भी है और आप के कुछ धीमी गति के समाचार भी हैं। जरा स्पीड से आप बोलो तो जल्दी बोल लेंगे।

श्री ललित भाटी : मैं कोशिश करूंगा, सभापति महोदय।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : धीमी गति के समाचार हैं, धीमी गति के।

श्री ललित भाटी : + + + सभापति महोदय, शिक्षा मंत्रीजी खुद भी शिक्षक हैं, इसलिए मैं उनकी व्यथा की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। 1957 में, सभापति महोदय, आर.ए.एस., आर.पी.एस., कालेज लैक्चरर, सैकण्डरी हैडमास्टर, और

+ + + अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री ललित भाटी)

स्कूल लैक्चरर, इनका सबका एक वेतनमान हुआ करता था। अब स्थिति में इतना परिवर्तन है कि जो स्कूल लैक्चरर हैं, उनको सैकण्डरी हैडमास्टर से कम पैसा मिलता है। जब हमारी पिछली बार सरकार आयी थी, 1988 की बात बतला रहा हूं, 1988 के अंदर यह तय कर दिया गया था कि इन दोनों का सैकण्डरी एच.एम. और स्कूल लैक्चरर का पे-स्केल एक कर दिया जाएगा। मगर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कटारिया साहब ने इसके अंदर परिवर्तन किया और उस परिवर्तन से वह वेतन विसंगति फिर वापस जारी हुई। माननीय मंत्री महोदय, आपको पूरा पता है कि 9-18-27 का जो वेतनमान दिया जाता है वह इनको नहीं देकर इनको 10 साल में एक प्रमोशन देने का किया गया था। उसके बावजूद भी अभी 16 अप्रैल को आपके साथ उनकी बातचीत हुई है, आपने उनको आश्वासन भी दिया है कि आप उनके वेतनमानों में जो विसंगति है, इस विसंगति को दूर करने की दिशा के अंदर काम करेंगे।

मैं अपनी अन्तिम एक बात कहना चाहता हूं, सभापति महोदय, यहां पर हमारे पूर्व शिक्षा मंत्री कटारिया साहब ने एक नैतिकता का पाठ सदन के अंदर पढ़ाने की कोशिश की है। यह बिलकुल उस तरीके से है कि +++ एक-दो मामले मेरी जानकारी के अंदर हैं। यहां पर कहा कि गलत नियुक्ति दी जा रही है। इनके ही शासनकाल में इनके पी.ए. हुआ करते थे विजय सिंह। सभापति महोदय, उनकी धर्म पत्नी का जो अपाइंटमैंट हुआ—पांच सब्जैक्ट की आवश्यकता होती है सैकण्डरी के अन्दर—हिन्दी, अंग्रेजी, सोशल स्टडी, जनरल साइंस और मैथ, उनके पास मैथ सब्जैक्ट की योग्यता थी नहीं फिर भी उसका अपाइंटमैंट हुआ। यह कौनसी नियुक्ति? सभापति महोदय, उस समय डायरेक्टर निहाल चन्दजी गोयल थे। उनको कहा गया कि हम सेवा नियमों के अन्दर संशोधन करने जा रहे हैं इसलिए आप नियुक्ति दे दो। वह संशोधन आज तक नहीं हुआ।

इसके अलावा एक मैटर और है, सभापति महोदय, इन्हीं के कार्यकर्ता होने के नाते, ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : गणित तभी कमजोर रह गयी। यदि गणित की पढ़ाई की होती तो 33 नहीं रहते।

श्री ललित भाटी : बूंदी का एक मसला है, सभापति महोदय।

श्री सभापति : अब समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : मैं दो मिनट लेकर मेरी बात समाप्त ही कर रहा हूं। इसके बाद कोई बात है नहीं। जो नैतिकता की बात कर रहे हैं, यह पाठ पढ़ाना बड़ा अच्छा है मगर खुद उसके ऊपर अनुसरण नहीं करते। बूंदी के अंदर इसी तरीके से एक मामला हुआ। एक सैकण्ड ग्रेड टीचर को...(व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय राजेन्द्रजी पारीक, आपको दिखता है क्या गणित कमजोर है? चश्मे में दिखता है क्या? जब आपको कुछ दिखता ही नहीं चश्मे में से तो गणित है कि सोशल स्टडी है, इतिहास है कि और कुछ है, आपको क्या पता, राजेन्द्रजी पारीक साहब?

श्री सभापति : माननीय, आपका नम्बर आने वाला है बोलने का, तब आप बोल लेना।

श्री ललित भाटी : सैकण्ड ग्रेड टीचर को...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, लगता यूं है कि इनका दिमाग ऊपर के बजाय इनकी मूंछों में आ गया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कम से कम मूंछों का गुणगान तो करते हो हर बार।

श्री ललित भाटी : आर.पी.एस.सी. से इनका सलैक्शन हुआ। जब इनका पोस्टिंग हुआ तो पोस्टिंग स्थान उनको पसन्द नहीं आया। उन्होंने एक साल के बाद में कहा कि मेरे को तो वापस सैकण्ड ग्रेड टीचर ही बना दिया जाए। सैकण्ड ग्रेड टीचर उनको बना दिया। सभापति महोदय, जब वापस कटारियाजी का राज आया, यह शिक्षा मंत्री बने तब इन्होंने, आर.पी.एस.सी. से सलैक्शन, इनके अन्दर यह जरूरी है, अनिवार्य है, इन्होंने वापस एक साल के बाद, जिसने अपना फोरगो किया उसको बगैर आर.पी.एस.सी. फेस कराये प्रमोशन देकर सैकण्डरी के एच.एम. पर लगा दिया। यह नैतिकता की बात है?

सभापति महोदय, इसी तरीके से एक चूरू में हुआ।

एक माननीय सदस्य : राजेन्द्र राठौड़जी ने करवाया होगा।

श्री ललित भाटी : नहीं, आपने नहीं किया। वह इन्होंने नहीं कराया है। मैं इनकी जानकारी में लेकर आ रहा हूं। नवरंग सिंह वर्मा इनका एक कार्यकर्ता होता है...

श्री सभापति : माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री ललित भाटी : इसके बाद कुछ है ही नहीं मेरे पास कहने को।

श्री सभापति : उसके बाद के बाद का फिर अंत ही नहीं आ रहा।

श्री ललित भाटी : उनकी पत्नी ने नगर परिषद वार्ड का चुनाव लड़ा। सभापति महोदय, मैं ये तीन ही उदाहरण लेकर आया हूं, बिलकुल सालिड हैं। नगर परिषद वार्ड का चुनाव लड़ा इनकी पत्नी ने। पूरे एक साल तक वह नगर परिषद वार्ड के अन्दर मैम्बर रहीं। वह किसलिए लड़ी थीं कि चेयरमैनशिप आयी थी महिला के खाते में। जब वह चेयरमैन का चुनाव नहीं जीत पायीं तो उन्होंने वार्ड की मैम्बरशिप से इस्तीफा दिया। वापस नौकरी में आने के लिए बात हुई। डी.ई.ओ. को बुला कर दबाव डाला गया, आपको यह लिखना है फाइल के ऊपर की इन्होंने वॉलेंटरी रिटायरमैंट लिया था जो गलत तरीके से हुआ था। सभापति महोदय,

(श्री ललित भाटी)

सरकारी नौकरी छोड़ देने के बाद नियमों में अधिकारी को दबा कर फेरबदल कराया जाए और फिर नौकरी दिलायी जाए, यह नैतिकता है पिछले मंत्री महोदय की।

सभापति महोदय, यह बात कहते हुए कि लार्ड मैकाले ने जो शिक्षा पद्धति हमारे देश में दी, उस लार्ड मैकाले के भूत से, उस सिस्टम से राजस्थान की जनता का पीछा छुड़ाने के लिए राज्य सरकार ने निर्णय लिये है। हमारे जो बहुत एबल मिनिस्टर हैं उनके नेतृत्व में राजस्थान के अन्दर शिक्षा जगत में क्रांतिकारी कदम हम उठा रहे हैं, उसके परिणाम सामने आएंगे। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री सभापति : डा. रतन लाल जाट।

डा. रतन लाल जाट (सहाड़ा) : सभापति महोदय, मांग संख्या 24-शिक्षा, कला और संस्कृति पर मैं आपके माध्यम से अपनी बात निवेदन करना चाहूंगा।

आप और हम सभी जानते हैं कि भारत देश की प्रतिष्ठा विश्व गुरु के रूप में रही है। गुरु-शिष्य की परम्परा यहां सम्माननीय रही है। लेकिन शिक्षा को हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में देखें तो शिक्षा कुछ सभ्रांत परिवारों तक सीमित रही थी, शिक्षा का सार्वजनीकरण नहीं हुआ था। ब्रिटिश काल में खास तौर से, मेरे से पूर्व वक्ता ने लार्ड मैकाले की बात कही है, वास्तव में इस देश की संस्कृति और इस देश की शिक्षा को विखंडित करने में लार्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं समझता हूं कि उसकी छाया आज दिन तक विद्यमान है।

श्री ललित भाटी : मगर बाबू के अलावा उस शिक्षा पद्धति से क्या मिला समाज को? राजीव गांधी ने नयी शिक्षा पद्धति लागू करके उसका भूत लगाया और अब ये तो बिलकुल ही उसको सरपट करा रहे हैं।

डा. रतन लाल जाट : मैं वही निवेदन कर रहा हूं। मैं ब्रिटिशकाल की बात कर रहा हूं कि जो शिक्षा पद्धति लार्ड मैकाले ने स्थापित की थी वह हमारे देश की शिक्षा और संस्कृति को विखंडित करने वाली है।

श्री राजेन्द्र पारीक : लार्ड मैकाले अजमेर डिवीजन पर ही प्रभावित रहा क्या?

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ तब भारत के संविधान के आर्टिकल 39 व 45 में नीति निर्देशक तत्वों के तहत राज्य सरकारों को इस प्रकार का निर्देश था कि 14 वर्ष तक के बालक व बालिकाओं को फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन दी जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस निर्देश की सही रूप में पालना राज्य सरकारों द्वारा नहीं की गयी। अगर की जाती तो आज सम्पूर्ण भारत और हमारा यह प्रदेश भी साक्षरता के दृष्टिकोण से बहुत आगे बढ़ गया होता। हम शिक्षा की बात करते हैं, साक्षरता की बात करतें हैं और जिन नीति निर्देशक तत्वों का मैंने अभी हवाला दिया

(डा. रतन लाल जाट)

उनकी बात करते हैं तो उस दिशा में, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, पायलेट स्कीम के रूप में राजस्थान के दो जिलों राजसमन्द और झुंझुनूं में हमने फ्री और कम्पलसरी एजुकेशन की शुरूआत की है। मैं चाहूंगा कि उन जिलों में पायलेट स्कीम की जो शुरूआत की गयी है उनकी समीक्षा के आधार पर राजस्थान के अन्य जिलों में भी इस योजना को निश्चित रूप से चलाया जाए, आगे बढ़ाया जाए ताकि शिक्षा में हम आगे बढ़ सके।

जहां हम साक्षरता की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से यह प्रदेश राजस्थान इस दृष्टिकोण से पिछड़ा हुआ है, साक्षरता दर के हिसाब से नीचे से हमारा दूसरा स्थान है। लेकिन अब कई प्रकार के प्रयत्नों के बाद साक्षरता के दृष्टिकोण से हम आगे खड़े हैं और इसमें भारत सरकार का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत सरकार ने 14,823.20 लाख रुपये की एक महती परियोजना इस साक्षरता के कार्यक्रम के लिए स्वीकृत की है।

अभी प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की कई माननीय सदस्यों ने चर्चा की, और खास तौर से राजीव गांधी स्कूल खोलने की बात कही गयी। 14,847 जो स्कूल खोले गये हैं, कई माननीय सदस्यों ने इस पर अपने विचार प्रकट किये हैं। शिक्षा मंत्रीजी, इस पर हमें पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जब ये स्कूल खोले गये उस समय राजस्थान में पंचायतों के पास टैंथ फाइनेंस कमीशन का पैसा था, उसके साथ अन्य योजनाओं का विकास का पैसा था जो राजीव गांधी स्कूलों के भवन निर्माण पर लगा दिया गया। लेकिन पंचायतों के अन्य विकास के काम ठप्प हो गये। मैं तो सोचता हूं कि यह एक सोची-समझी चाल है। ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है। एक तरफ हम ट्रेंड टीचर्स को स्कूलों में हम लगा रहे हैं और दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्र में जो शिक्षा सहयोगी लग रहे हैं, वेतन के रूप में उनको मात्र 1200 रुपये दे रहे हैं। जो मिनिमम वेजेज हैं...

श्री खेमराज कटारा : सभापति महोदय, इनको मालूम नहीं है, हम को एक साथ राजीव गांधी पाठशालाएं इसलिए खोलनी पड़ीं कि 1989 में कांग्रेस की सरकार ने...(व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : माननीय सदस्य, मुझे सब पता है।

श्री खेमराज कटारा : प्राथमिक विद्यालय खोले थे। ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में बेरहमी के साथ में एक कलम से आपकी सरकार ने बंद कर दिये। इसलिए हमारी सरकार जैसे ही आयी, हमने राजीव गांधी पाठशालाएं खोल कर युद्ध स्तर पर इस काम को हाथ में लिया है। आप इन सारी बातों को भूल गये। आप बहुत सीनियर मैम्बर हैं इसलिए मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं।

श्री सभापति : आप जारी रखें, माननीय सदस्य।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मुझे इन बातों का अच्छी तरह से ध्यान है। राजीव गांधी स्कूलों में लगाये गये शिक्षा सहयोगियों की बात कर रहा हूं मैं। एक तरफ हम मिनिमम वेजेज एक्ट के तहत मजदूर को 60 रुपये देते हैं और दूसरी तरफ शिक्षा सहयोगी को 1200 रुपये दे रहे हैं। इससे पहले भी इस हाउस में कई बार चर्चा हो चुकी है कि शिक्षा सहयोगी का मानदेय निश्चित रूप से बढ़ाया जाना चाहिए, 1200 रुपये अपर्याप्त हैं। क्वालिफिकेशन की जहां तक बात है, कई जगह आठवीं पास लगने की बात आयी है, मैं सोचता हूं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन इस शिक्षा सहयोगी की ग्रेजुएट होनी चाहिए। यहां जितने भी माननीय सदस्य बिराजें हैं, करीब-करीब हम सभी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए पब्लिक स्कूल में भेजते हैं, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते हैं। और हम ही क्यों, जो सक्षम है वह हर आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजता है। ऐसी परिस्थितियों में गांव के बच्चे को अनट्रेंड टीचर चाहे वह दसवीं पास हो, चाहे ग्यारहवीं पास हो, चाहे अब ग्रेजुएट भी लग गये हों, लेकिन जो अनट्रेंड टीचर हैं, उनसे हम बच्चों को पढ़वाएंगे तो उनका भविष्य अंधकारमय होगा। एक तरफ तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा हुआ बच्चा जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ता है, वह आई.ए.एस. और आर.ए.एस. और अन्य काम्पीटीशंस में आगे आ जाता है, दूसरी तरफ हम गांव के बच्चे से यह अपेक्षा करें कि वह अनट्रेंड टीचर से पढ़ कर शहर के बच्चों से किसी प्रकार कम्पीट कर अपना भविष्य निर्माण कर सकेगा, मैं समझता हूं ऐसी स्थिति को हमें अवाइड करना चाहिए।

जहां तक माध्यमिक शिक्षा का सवाल है, सभापति महोदय, इस बजट में एक भी स्कूल को क्रमोन्नत करने की बात या नया स्कूल खोलने की किसी तरह की बात इन्होंने नहीं रखी है, जो बहुत ही आवश्यक है।

यहां बात कही गयी कि—पूर्व शिक्षा मंत्री कटारियाजी ने केवल नैतिकता की बात की है। मैं आंकड़ों के आधार पर यह बताना चाहूंगा कि आज जिस साक्षरता के बढ़ने की बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार का भी रहा है। उसको हमें नजरअंदाज नहीं करना होगा। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उस शासन में 1990 के बाद 1998 तक बजट में चार गुना वृद्धि की गयी थी। जहां 1990 में 663 करोड़ रुपये शिक्षा पर खर्च किये गये थे, 1998 में 2645 करोड़ रुपये खर्च किये गये। बजट में चार गुना वृद्धि की गयी थी। उसी का परिणाम है कि शिक्षा में, साक्षरता में और अन्य कार्यक्रमों में वृद्धि हुई है।

सभापति महोदय, जहां तक विद्यालय क्रमोन्नत करने की बात है, पिछली सरकार ने नये स्कूल खोलने में और स्कूलों को क्रमोन्नत करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। प्राइमरी स्कूल्स क्रमोन्नत हुए थे 94

(डा. रतन लाल जाट)

से 99 तक 5004, मिडल स्कूल क्रमोन्नत हुए थे 3212, सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए थे 758 और सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत हुए थे 507. यानी 70 प्रतिशत स्कूल केवल चार सालों में ही टैन प्लस टू बने थे। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि शिक्षा के क्षेत्र में...(व्यवधान) यह मैं आंकड़े बता रहा हूं। आप शिक्षा मंत्रीजी से वैरीफाई कर लें, नहीं तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। 1994 से 1996 तक के आंकड़े मैं बता रहा हूं कि किस प्रकार से स्कूल क्रमोन्नत किये गये थे। जहां तक अध्यापकों की संख्या में वृद्धि का सवाल है, लगभग 40 हजार नये अध्यापकों की भर्ती 1990 से 1998 के बीच में की गयी थी। मैं ये सब आंकड़े इसलिए निवेदन करना चाह रहा हूं कि आप भी चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि राजस्थान में शिक्षा संख्यात्मक दृष्टि से भी और गुणात्मक दृष्टिकोण से भी आगे बढ़े। इसमें पिछली सरकार का भी, भारतीय जनता पार्टी के शासन का भी महत्वपूर्ण योगदान हर क्षेत्र में रहा है।

जहां तक बालिका फाउण्डेशन की बात है, एक करोड़ का फण्ड बनाकर इसकी शुरूआत की गयी थी और बहुत अच्छी सफलता इसमें हमें मिली थी। सरस्वती योजना शुरू की गयी थी। जिसमें गांव की एक साधारण पढ़ी-लिखी बालिका को साढ़े चार हजार रुपये साल के प्रदान किये जाते थे। इस तरह के लगभग 1700 सरस्वती विद्यालय उस समय शुरू किये गये थे। दत्तक ज्ञान योजना उस समय शुरू की गयी थी। इसी तरह से जगह-जगह पर बालिकाओं के छात्रावासों का निर्माण किया गया। नामांकन में बहुत महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। जगह-जगह प्रवेशोत्सव मनाये गये और उनमें लगभग 19 लाख बालकों का तीन सालों में नामांकन उस समय हुआ था। यह भी शैक्षणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण योगदान पिछली सरकार का रहा है।

जहां तक निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का सवाल है, मैं राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री और प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय भैरोंसिंह शेखावत को इस बात के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद देना चाहूंगा कि एक अच्छी शुरूआत उन्होंने की। जो ग्रामीण क्षेत्र के अनपढ़ लोग थे, जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते थे, रोजी-रोटी खुद की चला नहीं सकते थे उनके लिए बड़ा असम्भव था कि वे अपने बच्चों को पढ़ने भेजे। ऐसे बच्चों को उन्होंने पहली से पांचवीं तक के लिए निःशुल्क पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई बालकों के लिए और पहली से लगाकर आठवीं तक बालिकाओं के लिए।

शिक्षाकर्मी योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है। लगभग 27 करोड़ रुपये से 2700 स्कूलों के बच्चों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने शुरूआत की थी। मैं संक्षेप में इसलिए निवेदन कर रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, कि इस पर माननीय कटारिया साहब ने और अन्य माननीय सदस्यों ने भी...(व्यवधान) लेकिन मैं आंकड़े इसलिए बताना चाह रहा हूं...

श्री राजेन्द्र पारीक : शिक्षाकर्मी को मानदेय क्या देते थे, यह भी खुलासा करो।

डा. रतन लाल जाट : 1800 रुपये देते थे। आपके शिक्षा सहयोगी से तो ज्यादा ही देते थे। उसको 1200 मिलते हैं उससे तो ज्यादा ही देते थे।

श्री राजेन्द्र पारीक : 500 रुपये।

डा. रतन लाल जाट : लोक जुम्बिश योजना के माध्यम से महत्वपूर्ण योगदान शिक्षा में किया गया और इसके तहत बीमा योजना चालू की गयी। उत्तर भारत में राजस्थान पहला ऐसा राज्य था जिसने लगभग 80 लाख बच्चों का बीमा इसके अन्तर्गत कराया था। यह एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

बार-बार शिक्षा में अध्यापकों के स्थानान्तरण की नीति की बात की जाती है। एक अच्छी शुरूआत पिछली सरकार ने स्थानान्तरण नीति के बारे में की थी और यह तय किया था कि हम एक वर्ष में दो बार ही स्थानान्तरण करेंगे मई, जून में और इसके बाद दशहरा-दीवाली की अक्टूबर की छुट्टियों में ताकि बार-बार उस शिक्षक को, उसके परिवार को और छात्र-छात्राओं को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो। एक प्रकार की नीति उस समय तय की गयी थी कि जो अध्यापक 90 प्रतिशत परिणाम देता है उसका स्थानान्तरण इच्छानुसार कर दिया जाएगा। और जिस स्कूल में किसी अध्यापक का रिजल्ट अगर जीरो परसेंट आता है तो उसका स्थानान्तरण अन्य जिलों में भी किया गया था। एक बहुत अच्छी नीति पिछली सरकार ने शुरू की थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि जीरो परसेंट रिजल्ट देने वाले जिन अध्यापकों का अन्य जगह स्थानान्तरण किया गया था, उन्हीं अध्यापकों को इस शासन के आने के बाद उनकी इच्छा के स्थान पर वापस लगा दिया गया। (व्यवधान) पहली बार इस प्रकार की एक नीति बनायी गयी कि जो अच्छा करे उसको पुरुस्कृत करो और जो अच्छा काम नहीं करे उसको दण्डित करो।

श्री खेमराज कटारा : पिछली सरकार ने जितने स्थानान्तरण किये वह राजनीतिक आधार पर किये, लेकिन यह पहला मौका है जब हमने समानीकरण के आधार पर किये राजनीति से ऊपर उठ कर शिक्षा में ...(व्यवधान)

डा. रतन लाल जाट : मैं उदयपुर ग्रामीण से आने वाले सदस्य...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, यह क्या है? नये शिक्षा मंत्रीजी आ गये क्या?

श्री खेमराज कटारा : नये शिक्षा मंत्री का सवाल नहीं है, इनकी सरकार की जो ये बड़ाई कर रहे हैं, राठौड़ साहब, आप सत्यता सुनने की भी हिम्मत करो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री खेमराज कटारा : जितने स्थानान्तरण किये पिछली सरकार ने, राजनीतिक आधार पर किये।

श्री धर्मपाल चौधरी : सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य ने आपकी सरकार के आने के बाद जितने ट्रांसफर किये हैं, मंत्रीजी के कम्प्यूटर में हैं...(व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप जो बात कर रहे हैं...

डा. रतन लाल जाट : माननीय सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान)

श्री खेमराज कटारा : पिछले सत्र में समानीकरण के आधार पर हुए हैं, यह पहली सरकार है...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : इनका तो आधार यही था कि शाखा में जाने वाले आदमी को सही जगह लगा दो। और कोई आधार ही नहीं था स्थानान्तरण के अन्दर।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, मंत्रीजी खुद जवाब दे देंगे। आप बता रहे हो सारी बात। आप चालू रखें।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, उदयपुर ग्रामीण से आने वाले माननीय सदस्य और अन्य माननीय सदस्य भी निश्चित रूप से मेरी बात से सहमत होंगे कि जो अच्छा काम करते हैं उनको पुरुस्कृत किया जाना चाहिए...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत : जो शाखा में जाते थे उनको अच्छी जगह लगाया जाता था। यह नीति थी। जितने भी कार्यकर्ता थे उनकी सारी भर्ती कर दी इनकी सरकार ने। हमारा सबसे बड़ा आरोप है।

एक माननीय सदस्य : जो हाफ पैन्ट पहनकर आता था उनको पहले भर्ती कर दिया जाता था।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, मैं सोचता हूं कि मेरी इस बात से हाउस के सारे माननीय सदस्य सहमत होंगे कि जो व्यक्ति अच्छा काम करता है उसको पुरुस्कृत किया जाना चाहिए और अच्छा काम नहीं करे उसको निश्चित रूप से दण्डित किया जाना चाहिए। इसी प्रणाली के आधार पर...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : नेकर पहनने से अच्छा काम हो जाता है क्या?

डा. रतन लाल जाट : जो शिक्षक जीरो परसेंट रिजल्ट लाते थे और बच्चों का भविष्य अंधकारमय था, ऐसे अध्यापकों के बाहर जिलों में स्थानान्तरण किये गये थे और जो 90 प्रतिशत रिजल्ट लाये उनको पुरुस्कृत किया गया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि इस शासन के आने के बाद जीरो परसेंट वाले जिन अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये थे उनको दुबारा से उनके इच्छित स्थानों पर लगा दिया गया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कई योजनाएं शिक्षा में सुधार हो, इस नाते शुरू की गयी थीं। भामाशाह योजना से हम अच्छी तरह से परिचित हैं। एक निश्चित तारीख 28 जून को जो

(डा. रतन लाल जाट)

व्यक्ति एक लाख रुपये का यदि सहयोग करे उसको प्रदेश स्तर पर, जो 50 हजार रुपये का सहयोग करे भामाशाह के नाते, उसको सम्भागीय स्तर पर और जो 25 हजार रुपये का सहयोग करता था उसको जिला स्तर पर सम्मानित करने की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना चालू की गयी थी। उसकी वजह से कई भामाशाहों ने आगे आकर करोड़ों-लाखों रुपये का योगदान इस शिक्षा जगत में दिया था जो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी।

सभापति महोदय, गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं में भी काफी वृद्धि हुई थी। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, समय की कमी है और मुझे उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा में भी निवेदन करना है, इसलिए मेरी बात को प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा तक ही सीमित रखना चाहूंगा। यहां समानीकरण की चर्चा हुई, समानीकरण के नाम पर (व्यवधान) मैं नहीं कहना चाहूंगा कि समानीकरण के नाम पर बेईमानीकरण हुआ है। सभापति महोदय, ऐसे अध्यापकों के स्थानान्तरण कर दिये गये जो रिटायर हो चुके थे। उनका नाम समानीकरण की लिस्ट में है। आप चाहे तो मैं उनके नाम बता सकता हूं कि किन-किन अध्यापकों का स्थानान्तरण हुआ, जो रिटायर हो गये और उनका समानीकरण में स्थानान्तरण किया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : जो स्वर्गवासी हो गये उनका भी स्थानान्तरण कर दिया गया।

डा. रतन लाल जाट : सभापति महोदय, पिछली सरकार के किये गये प्रयत्नों में हम साक्षरता की बात कर रहे थे। राजस्थान सरकार के उन प्रयत्नों के कारण राजस्थान को सत्येन मित्र पुरस्कार मिला है और पिछले उन दो सालों में सात पुरस्कारों में से चार पुरस्कार राजस्थान सरकार को मिले थे। एक बहुत बड़ी उपलब्धि वास्तव में शिक्षा के क्षेत्र में उस सरकार के द्वारा किये गये योगदान के माध्यम से हमें मिली है। इस बार भी एक स्थान पर हमें मिला है। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि उसी परम्परा को हमने आगे बढ़ाया है।

सभापति महोदय, यहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की भी बात हुई है। मैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बारे में विस्तृत नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो कुछ बातें माननीय कटारियाजी ने निवेदन की थीं, वह बिलकुल हकीकत है कि छात्र कहीं का है, उसको परीक्षा केन्द्र कहीं मिला है, उसका रोल नम्बर कहीं है। छात्र झालरापाटन का, परीक्षा केन्द्र बीलवाड़ी में और रोल नम्बर खानपुर में। इस तरह की बातें शिक्षा बोर्ड में वास्तव में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हैं। हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नाम रहा है, यह उस सबकी पोल है। न परिचय पत्र पहुंचे हैं और हजारों परिचय पत्रों पर से फोटो नदारद पाये गये हैं। कई प्रकार की ऐसी चीजें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मिली हैं।

मैं तो संक्षेप में प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा के बारे में कुछ सुझाव

(डा. रतन लाल जाट)

अपनी तरफ से निवेदन करना चाहता हूं। व्याख्याताओं के पद बड़े लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं। पिछली सरकार ने प्रयत्न किया, आप भी शायद प्रयत्नशील होंगे। पचास परसेंट पद तो आर.पी.एस.सी. से सीधी भर्ती से आते हैं और पचास परसेंट पद व्याख्याताओं के प्रमोशन से भरे जाते हैं। लेकिन जब से 9-18-27 का बेनिफिट उनको मिला है, उसके बाद सब फोर-गो कर देते हैं, अध्यापक जाइन नहीं करते हैं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि व्याख्याताओं के जो रिक्त पद पड़े हैं उनको शीघ्र भरा जाए। पिछली सरकार ने इमरजेंसी रिक्रूटमेंट के माध्यम से रिक्त पड़े पदों को भरने का भी पूरा-पूरा प्रयत्न किया था, उसी परम्परा के अनुसार पद अभी भी भरे जा सकते हैं। अध्यापकों के जो रिक्त पद पड़े हैं, अस्थाई नियुक्ति के माध्यम से तुरन्त उन पदों को भरा जा सकता है।

(18.00 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

सैकण्ड ग्रेड सब्जैक्ट टीचर्स हैं वह बहुत आवश्यक हैं। चाहे थर्ड ग्रेड के टीचर्स की स्कूलों में आवश्यकता नहीं है लेकिन जो सब्जैक्ट टीचर्स हैं उनके पद निश्चित रूप से भरे जाने चाहिए।

छात्रों की फीस को लेकर भी बात कही गयी। बहुत ज्यादा वृद्धि फीस में की गयी है। फीस आप दुगुनी कर दें, तिगुनी कर दें तब तो फिर भी समझ में आने वाली बात है लेकिन फीस को दस गुना करना विद्यार्थियों पर, उनके मां-बाप पर और खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों पर बोझ है जिनकी इच्छा है कि हमारे बच्चों को हम उच्च शिक्षा या अन्य किसी शिक्षा में आगे पढ़ाएं। वे केवल फीस नहीं देने के कारण से अपने बच्चे-बच्चियों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यह जो बेतहाशा वृद्धि इस फीस में आपने कर दी है उस पर निश्चित रूप से विचार किया जाना चाहिए। माननीय कटारिया साहब ने आपके सामने आंकड़ों के आधार पर यह बताया था कि सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी स्कूल की इस फीस वृद्धि के बाद निश्चित रूप से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में विद्यार्थियों की कमी आयी है।

उपाध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा की जहां तक बात है, राजस्थान में नौ यूनिवर्सिटीज हैं और दो अभी नयी खोली गयी हैं। जो यूनिवर्सिटीज खुलीं इनके लिए तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहूंगा, लेकिन राजस्थान में जिनकी आवश्यकता है, जोधपुर में ला यूनिवर्सिटी बननी चाहिए, उदयपुर में एग्रीकल्चर यूनवर्सिटी बननी चाहिए। खास तौर से राजस्थान में संस्कृत विश्वविद्यालय बने, इसकी भी मांग की जा रही थी। प्रयत्न उस समय शुरू कर दिये गये थे। ये यूनिवर्सिटीज खुलीं, यह हमारे राजस्थान के लिए एक उपलब्धि है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में

(डा. रतन लाल जाट)

पिछली सरकार ने काफी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया था। आंकड़े इस बात को बताएंगे कि कांग्रेस पार्टी को लम्बे समय तक, 40 साल तक राज करने का मौका मिला, उस समय अगर हम कालेजेज की पोजीशन का देखें तो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कांग्रेस शासन में 1980 से 1990 के वर्षों में, यानी 10 वर्षों में खोले गये मात्र चार कालेज, जबकि बी.जे.पी. के 1990 से 1998 तक के समय में खुले 32 कालेज। गवर्नमेंट कालेज की बात कर रहा हूं। उपाध्यक्ष महोदय, जहां प्राइवेट कालेज की बात करतें हैं, 1980 से 1990 में खुले 39 कालेज और बी.जे.पी. के शासन में 1990 से 1998 में खुले 47 कालेज।

महिला शिक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, वे आंकड़े भी आपके सामने बताना चाहूंगा। 1952 से 1990 तक गर्ल्स कालेज थे केवल 45 और 1990-1998 में बी.जे.पी. के शासन में 58 खोल दिये गये। 1990 तक गवर्नमेंट गर्ल्स कालेज थे केवल 7, 1990 से 1998 तक आठ वर्ष के बी.जे.पी. के शासन में खुले 29 कालेज। महिला शिक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान पिछली सरकार का रहा है। यानि तिगुनी से भी ज्यादा वृद्धि की गयी।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो तीन साल का खर्चा बताओ? आपकी किस बात की उपलब्धि है? हमारी सरकार ने 1999 में एक साल में 17 कालेज खोले हैं, 17 गवर्नमेंट कालेज।

डा. रतन लाल जाट : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये मैं आंकड़े बताना चाह रहा हूं, ये आंकड़े सरकार के पास उपलब्ध हैं। इसको वैरीफाई करना चाहे कर ले कि किस प्रकार से महिला शिक्षा में तीन गुनी वृद्धि कालेजेज में की थी। कहां सात कालेज थे और कहां उनतीस कालेज हो गये। प्राइवेट गर्ल्स कालेज बी.जे.पी. के आठ वर्षों में खुले 37, यानि कोई भी जिला उस समय पोस्ट ग्रेजुएट कालेज के बिना नहीं रह गया था।

उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम जनजाति क्षेत्र की बात करते हैं जिनके वोटों के आधार पर ये सत्ता में आने की बात करते हैं, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अपने समय में...

श्री सी.पी. जोशी : आपने इतने कालेज खोले उनके लिए धन्यवाद, खाली जानकारी के लिए यह बता दें कि उनके साथ-साथ कितनी पोस्टें क्रिएट करके भरी गयीं?

डा. रतन लाल जाट : मैं वही बता रहा हूं। मैं वही जनजाति क्षेत्र का निवेदन करना चाह रहा हूं।

एक माननीय सदस्य : दो प्रोफेसर तो यहां आ गये आप।

डा. रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, जनजाति क्षेत्र में केवल मात्र खुले थे तीन कालेज— डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, जबकि आठ वर्षों में बी.जे.पी. शासन में खुले पांच कालेज— सागवाड़ा, सलूम्बर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा (गर्ल्स) और कुशलगढ़। नये सैक्शन खोले। लड़कों की

(डा. रतन लाल जाट)

यह स्थिति थी कि एक-एक सैक्शन में 80-80 लड़कें बिठाये जाते थे और पढ़ाई में व्यवधान पैदा होता था। 80 की संख्या को कम कर 60-60 लड़कों के नये सैक्शन भी खोले और छात्रों की संख्या को भी उसमें कम किया गया था। सत्र के नियमितीकरण का प्रयत्न किया गया था। काफी अच्छी उपलब्धि उसमें रही थी। अटैंडेंस की अनिवार्यता उस समय लागू की गयी थी। लगभग एक हजार नये लैक्चरर आठ वर्षों में उस समय भर्ती किये गये थे। उस समय एक हजार लैक्चररर्स की बात कर रहा हूं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री सी. पी. जोशी : आठ साल में न?

डा. रतन लाल जाट : आठ साल की ही बात कर रहा हूं मैं। ये कालेज खोले, वह भी आठ साल की बात कर रहा हूं। बी.जे.पी. के शासन की उपलब्धि की बात कर रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यूनिवर्सिटी में, कालेज में टेम्प्रेरी टीचर की प्राब्लम काफी लम्बे समय से चली आ रही है। माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस बात का काफी अच्छी तरह से पता है कि 15-15, 20-20 साल से लोग वहां टेम्परेरी चल रहे हैं। जो प्राध्यापक यूनिवर्सिटी, कालेज में पढ़ा रहे हैं उनके बच्चों ने वहां शिक्षा प्राप्त कर ली, डिग्री लेकर वहां से निकल गये लेकिन उनके पिताजी आज दिन तक शायद उस पोस्ट पर परमानेंट नहीं हो पाये। एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति रही है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इन अस्थाई व्याख्याताओं की प्राब्लम्ब को निश्चित रूप से वे हल करेंगे।

यूनिवर्सिटी में और कालेज में मेरा सुझाव है कि आज दिन तक कई ट्रेडीशनल कोर्सेज जो चले आ रहे हैं, समय की आवश्यकता को देखते हुए उन यूनिवर्सिटी और कालेज में जाब ओरिएंटेड कोर्सेज हमें निश्चित रूप से शुरू करने चाहिए। मैं, उपाध्यक्ष महोदय, तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से निवदेन करना चाहूंगा कि राजस्थान में हमें प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध हो सके, उद्योगों के हिसाब से और अन्य व्यवसायों की मांग के हिसाब से हमें इंजीनियर मिल सकें, आई.टी.आई. ट्रेंड प्रशिक्षु मिल सकें, उस दृष्टिकोण से इंजीनियरिंग महाविद्यालय, पोलीटैक्निक, ओद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोले गये। अभी तकनीकी शिक्षा के दृष्टिकोण से राज्य में सात-सात इंजीनियरिंग कालेज हैं, पन्द्रह प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज हैं। अभी निजी क्षेत्र में नौ इंजीनियरिंग कालेज खोलने की बात कही गयी है, या जो खोले गये हैं, उसके लिए तो, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, अच्छी बात की है। लेकिन इन कालेजेज के खोल देने के बावजूद भी आज दिन तक हमारे कालेज की संख्या को अगर हम देखें तो केवल सम्भाग स्तर पर एक-एक इंजीनियरिंग महाविद्यालय की सुविधाएं उपलब्ध हो पायी हैं। हमें इस सुविधा को जिला स्तर

(डा. रतन लाल जाट)

तक और नीचे ले जाना होगा। निजी क्षेत्र के अन्दर और इंजीनियरिंग कालेज खोलने की आवश्यकता है। खास तौर से कम्प्यूटर शिक्षा की जो शुरूआत की गयी है उसको हमें और आगे बढ़ाना होगा। पंचायत समितियों में खास तौर से औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किये जाने की बहुत आवश्यकता है। मैं कुछ आंकड़े पिछली सरकार की तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से जो उपलब्धि रही है उसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा। 1990 से पहले आई.टी.आई. थीं राजस्थान में केवल 53 और 1990-98 के आठ वर्षों के बी.जे.पी. के शासन में खुलीं 53. कहां तो चालीस साल में 53 और कहां आठ में 53, यानि तकनीकी शिक्षा में एक महत्वपूर्ण योगदान पिछली सरकार का रहा है। महिला पोलीटैक्निक कालेजेज की संख्या के दृष्टिकोण से भी देखे तो 1990 से पहले मात्र 180 थे लेकिन 1990 से 1998 के आठ वर्ष के बी.जे.पी. के शासनकाल में हो गये 480. कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा पोलिटैक्निक कालेज की दृष्टि से, यह मैं बता रहा हूं। आंकड़े आपके सामने हैं। मेरा तो सुझाव है कि राज्य में तकनीकी शिक्षा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है और उसके विस्तार की आवश्यकता को देखते हुए—

श्री संयम लोढ़ा : आपने इंजीनियरिंग कालेज कितने खोले हैं, वह बता दें आप तो ?

डा. रतन लाल जाट : मैं उसी की बात कर रहा हूं। मैंने आपको धन्यवाद दे दिया। जो खोले हैं उसके लिये धन्यवाद दे दिया और हमने खोले हैं उनको सुनने के लिए आप तैयार रहे। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बोले जब बता देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया बिराजें।

डा. रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, निजी निवेश के माध्यम से टैक्निकल एजुकेशन विस्तार के दृष्टिकोण से मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, एम.बी.ए. मैनेजमेंट/बिजनस इंस्टीट्यूट इन सबको आगे बढ़ाया जाना चाहिए ताकि हमारे प्रदेश का जो पैसा बाहर के प्रदेशों में जा रहा है वह जाने से रुक सके। खास तौर से नयी सदी की चुनौतियों के अनुरूप युवा पीढ़ी को शैक्षणिक रूप से तैयार करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।

सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास की भी आवश्यकता है और उसके लिए वातावरण बनाने की जरूरत है। उपाध्यक्ष महोदय, जहां हम युवा पीढ़ी को रोजगार देने की बात करते हैं, आज सरकारी नौकरियां तो उनको मिल नहीं रही है। इस दृष्टिकोण से तकनीकी एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा का विस्तार और उसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी आज के समय की एक आवश्यकता है।

(डा. रतन-लाल जाट)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा और माननीय शिक्षा मंत्रीजी को कुछ सुझाव भी देना चाहूंगा उच्च शिक्षा के दृष्टिकोण से, कि हमारा जो एकेडेमिक कलैण्डर है जिस पर प्रति वर्ष चर्चा होती है उसको कड़ाई से लागू किया जाना चाहिये। परिणाम समय पर घोषित हो, परीक्षा प्रणाली की गुणवत्ता मेनटेन हो, उसकी आवश्यकता है। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार हो, उस नाते से माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि व्याख्याताओं के रिफ्रैशर कोर्स और ओरिएंटेशन प्रोगाम समय-समय पर आयोजित किये जाने चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि उन रिफ्रैशर कोर्सेज और ओरिएंटेशन कोर्सेज में व्याख्याता नियमित रूप से भाग लें।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की जो कैरियर एडवांसमेंट स्कीम है उसमें टीचर्स को भी शीघ्र उसका लाभ देना चाहिये। उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के दृष्टिकोण से मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की कक्षाओं में पाठ्यक्रम एम्प्लायमेंट ओरिएंटेड हों। एक और निवेदन है कि पिछले काफी लम्बे समय से राजस्थान में कालेज प्राध्यापकों के लगभग 400 पद रिक्त पड़े हैं, उनकी अतिशीघ्र पूर्ति करें ताकि शिक्षा में हम अच्छा सहयोग कर सकें। राजस्थान यूनिवर्सिटी जिसका हमारे इस प्रदेश में ही नहीं, इस देश में नाम रहा है, हम उसका किस प्रकार से नाम और रोशन कर सकते हैं उस नाते मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर जिसका शैक्षणिक जगत में काफी महत्वपूर्ण स्थान रहा है, इसको केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलवाने के लिए उच्च स्तरीय प्रयत्न करने की आवश्यकता है। मैं सोचता हूं कि अगर यह उपलब्धि हो जाती है तो राजस्थान विश्वविद्यालय का पहले भी नाम था और सैंट्रल यूनिवर्सिटी बनने के बाद और इसका नाम होगा।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली 18 अप्रैल को इसी सत्र के दौरान राजस्थान के प्रोफेसर्स, लैक्चरर्स और शैक्षणिक समुदाय के प्राध्यापकों को स्टेच्यू सर्किल पर इक्ट्ठा होना पड़ा, उन्हें सड़कों पर आना पड़ा। वे किस कारण से आये थे, माननीय शिक्षा मंत्रीजी को इस बात का बहुत अच्छी तरह से पता है। लम्बे समय से उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था। उनकी जायज मांगों को माना नहीं जा रहा था। उनकी मांगों को नजरंदाज किया जा रहा था। उनकी मांगों के प्रति उदासीनता बरती जा रही थी। यही कारण था कि उनको मिलने वाले न्यू पे स्केल के फिक्सेशन के जो एरियर्स थे, लम्बे समय से उसका भुगतान नहीं हुआ था। उन एरियर्स के बारे में कुलाधिपति महोदय द्वारा वित्त विभाग में उनके सचिव को निर्देश दिये गये थे कि इन शिक्षकों के एरियर्स की राशि का तुरंत भुगतान किया जाए। लेकिन

(डा. रतन लाल जाट)

उसकी कोई पालना नहीं की गयी। अब माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने इस पर विचार किया है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन ऐसी क्या परिस्थिति पैदा हो गयी कि लम्बे समय से उन शिक्षकों को उनके जो वाजिब एरियर थे पे फिक्सेशन के बाद, वे मिल नहीं पाये थे। जो आदेश उन्होंने दिये थे किस प्रकार के हास्यास्पद आदेश थे, जो शिक्षकों को एरियर मिलेगा वह कैसे मिलेगा? कि एडेड कालेज हैं उनमें तो नकद भुगतान होगा, जो गवर्नमेंट कालेज हैं उनका एरियर जी.पी.एफ. में जमा होगा और जो यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं उनका एरियर राज्य सरकार पी.डी. खाते खोलेगी और उसमें डालेगी। यानि तीन-तीन तरह के आदेश उन शिक्षकों के पे-फिक्सेशन के एरियर के बारे में किये गये थे। उपाध्यक्ष महोदय, उन टीचर्स का पे-फिक्सेशन के एरियर का 73 करोड़ रुपये का अमाउंट पिछले दो सालों से केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को प्राप्त हो गया था, लेकिन ये उनको लेकर बैठे रहे, उनको दिया नहीं गया था और इसी कारण 18 अप्रैल को उन शिक्षकों को इक्ट्ठा होकर सड़कों पर आना पड़ा।

श्री उपाध्यक्ष : अब मेरा निवेदन सुन लें।

डा. रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

श्री राजेन्द्र पारीक : उपाध्यक्ष महोदय, जो लिख कर दिया हुआ है वह पूरा पढ़कर ही बैठेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : बैठ जाओ।

श्री राजेन्द्र पारीक : किसी भी अधिकारी ने इनको जो लिख कर दिया है वह पूरा नहीं पढ़ेंगे तो वह अधिकारी खा जाएगा।

डा. रतन लाल जाट : मैं सोचता हूं, पारीक साहब, आप भी थोड़ा इस पर अपना वक्तव्य देकर देख लें, पता लग जाएगा।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यह आपके राज की पोल है कि अधिकारी हमको भाषण बनाकर देते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अब ये तो आपकी पुरानी कलाएं हैं। आप कला मर्मज्ञ हैं और इतनी कला आप जानते हैं कि अधिकारी ला-लाकर आपको लिखकर दे देते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजें, प्लीज।

श्री राजेन्द्र पारीक : और आपके माननीय सदस्य उनका वाचन कर देते हैं, उससे हम भी लाभान्वित होते ही हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब अधिकारी हमारे प्रति सिंसियर हैं। आपको मानते ही नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक : अधिकारी तो सिंसियर हैं ही राजस्थान के, इसमें तो कहना-सुनना ही क्या है?

श्री उपाध्यक्ष : बिराजें, आप कहां इनसे बहस कर रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इनकी आदत है, पांच मिनट से ज्यादा बैठकर...

डा. रतन लाल जाट : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, कि अभी वाइस चांसलर कोआर्डिनेशन कमेटी के द्वारा एक सब कमेटी बनायी गयी है और उस सब कमेटी के द्वारा राजस्थान में विश्वविद्यालयों के लिए एक समान अधिनियम बनाने की बात की गयी है। उस समान अधिनियम का जो प्रारूप उन्होंने बनाया है, उसमें देखना होगा कि परिवर्तन की आवश्यकता है। आगे जाकर वह अधिनियम के रूप में यहां पेश होगा। सभी यूनिवर्सिटीज के लिए कामन एक्ट बने, मैं उसके विरोध में नहीं हूं। लेकिन उस सब कमेटी ने जो प्रारूप बनाया है उसको अगर माननीय मंत्री महोदय देखें तो आप पाएंगे कि इसमें काफी विरोधाभास है। इस प्रारूप को देखने से लगता है कि विश्वविद्यालय की आर्थिक और शैक्षणिक स्वायत्ता को ध्वस्त करने का प्रयत्न किया गया है। उसमें क्या प्रोविजन किये गये हैं, देखिये। उस सब कमेटी ने जो एक कामन एक्ट सभी यूनिवर्सिटी के लिए बनाने की बात रखी है उसमें उन्होंने रखा है कि विश्वविद्यालय स्तर की किसी भी कमेटी में शिक्षकों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे। यानि शिक्षा जगत में कहीं अच्छी चर्चाओं के माध्यम से अपना सुझाव देना चाहे, रखना चाहे, कोई शिक्षक प्रतिनिधि उसमें नहीं होगा। अभी हमारे कई एम.एल.एज. यूनीवर्सिटीज में कई जगह मैम्बर्स हैं। लेकिन जो नया प्रारूप बनाया गया है उसमें विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में विधान सभा के प्रतिनिधि जो विधान सभा सदस्य होते हैं, वे भी नहीं होंगे। विश्वविद्यालय के बोर्ड आफ मैनेजममेंट में दो सचिव या उसके प्रतिनिधि सदस्य होंगे। शैक्षणिक परिषद् में शिक्षकों के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं होंगे। किसी भी कमेटी में छात्रों का भी कोई प्रतिनिधि नहीं होगा। हम शैक्षिक जगत में सबको साथ लेकर चलें- इस नाते विद्यार्थी वर्ग का प्रतिनिधि हो, शिक्षकों का प्रतिनिधि तो हो, विधायक महोदय जन प्रतिनिधि के नाते शैक्षणिक जगत में अपना सहयोग करने के लिए उसमें हों, लेकिन नये प्रारूप में उन्होंने किसी प्रतिनिधि को नहीं रखा है। उपाध्यक्ष महोदय, उसमें क्या रखा है? जन प्रतिनिधियों की सभा सीनेट को समाप्त कर दिया गया है। कुलपतियों को अत्यधिक शक्ति सम्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। विश्वविद्यालयों का प्रशासन परोक्ष रूप से सरकारी अफसर चलाएं इस प्रकार का उसमें किया गया है। खास तौर से शिक्षकों को दण्डित करने के प्रावधान इस प्रकार के बनाये गये हैं कि दोषी शिक्षक को बिना सुने दण्डित किया जा सके। इन सब बातों से पता लगता है कि राज्य सरकार की मंशा विश्वविद्यालयों को

(डा. रतन लाल जाट)

सरकारी कार्यालयों में बदलने की है। यह प्रारूप सब कमेटी ने अभी बनाया है, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जन प्रतिनिधियों, छात्र प्रतिनिधियों, शिक्षक प्रतिनिधियों का आज दिन तक हर क्षेत्र में प्रतिनिधित्व चलता आ रहा है, हम शिक्षा जगत में सुधार करना चाहते हैं तो इस प्रारूप पर दुबारा विचार करने की आवश्यकता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीतमल।

श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति पर अपने विचार व्यक्त करना चाहूंगा। शिक्षा मानव के सर्वांगीण विकास का एक महत्वपूर्ण पहलू है जिस पर माननीय सदस्यों ने अपने महत्वपूर्ण सुझाव व्यक्त किये हैं। हमारा पूरा क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है, लम्बे समय से शिक्षा में उपेक्षित रहा है। शिक्षाकर्मी योजना हो, लोक जुम्बिश योजना हो, अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र हो, डी.पी.ई.पी. हो, राजीव गांधी पाठशाला हो, दूरदराज, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब, आदिवासी, पिछड़े हुए, जनजाति के 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को किस तरह से शिक्षा मुहैया कराई जाए— इसके बारे में सरकार ने जो प्रयास किये हैं उसके लिए तो मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। वर्तमान समय में शिक्षा के माध्यम से जो क्रांतिकारी परिवर्तन ग्रामीण इलाकों में लाया जा रहा है, निश्चित रूप से यह कदम आने वाले समय में हमारे जनजाति के, पिछड़े हुए वर्ग के लिए वरदान साबित होगा। उपाध्यक्ष महोदय, पंचायती राज का विकेन्द्रीकरण करके प्रारम्भिक शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं, प्रारम्भिक शिक्षा को सरकार ने पंचायती राज को सौंपने का काम किया है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा को पंचायती राज के अधीन देकर आपने प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक तरीके से अगर अपनी सोच नहीं रखी, इस पंचायती राज के जरिये शिक्षा का राजनीतिकरण किया जा रहा है। शिक्षक अपनी सच्ची आत्मा के साथ एक विद्यालय के अंदर अध्यापन करा रहा था। मैं मानता हूं कि आज छात्रों के अनुपात में शिक्षक होने चाहिए, नितान्त अनिवार्य है, परन्तु मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर मैं आपको ताजा उदाहरण देता हूं। एक-एक शिक्षक के साल में तीन-तीन बार जी.ओ. आये हैं। जो शिक्षक अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता है और ड्यूटी पर समय से नहीं जाता है, गलत दिशा में जाता है उसे पनिश्मेंट मिले, इस बात को तो मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन एक अच्छा शिक्षक समय पर विद्यालय पहुंचे, विद्यालय के छात्रों के प्रति रुचि दिखाकर अच्छा रिजल्ट देने का काम करे, उसका भी अगर साल के अंदर तीन-तीन बार ट्रांसफर होता है तो यह बड़े दुःख का विषय है।

(श्री जीतमल खांट)

मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, इतना ही नहीं, मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर समानीकरण के नाम पर एक प्रकार से लूट की प्रक्रिया शुरू हुई है। पहली मर्तबा ऐसा देखने को मिला है कि जो शिक्षक या तो प्रधान की मंशा के विपरीत गये या जिला प्रमुख की मंशा के विपरीत गये शिक्षक की मनोवृत्ति को देखा और समानीकरण के नाम पर वहां से दूसरी दूर-दराज की पंचायतों में खदेड़ा गया। मैं चाहूंगा कि समानीकरण में सुधार करें। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सत्ता के विकेन्द्रीकरण के नाम पर जो प्रारम्भिक शिक्षा विभाग आपने पंचायती राज को सौंपा है, आपको गम्भीरतापूर्वक विचार करके पुनः प्रारम्भिक शिक्षा विभाग को अलग कर देना चाहिए। नहीं तो इसी तरह से शिक्षा का राजनीतिकरण होता रहा तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कस्बों के पास के जितने भी छोटे-छोटे विद्यालय हैं वहां पर आवश्यकता से ज्यादा अध्यापक मौजूद रहते हैं, वहां पर कोई पोस्ट वेकेंट नहीं है। लेकिन बांसवाड़ा जैसे दूर-दराज के क्षेत्रों में सैकण्डरी स्कूल हो या हायर सैकण्डरी स्कूल हो, लम्बे समय से पद रिक्त पड़े रहते हैं। मैं चाहूंगा कि राजस्थान के दक्षिणी जिलों, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में लम्बे समय से जो पद रिक्त पड़े हैं, उन्हें आप अविलम्ब भरिये। बड़ी मुश्किल से हायर सैकण्डरी और सीनियर तक अपनी कड़ी मेहनत के साथ वहां पहुंचने का काम बच्चों ने किया है, शिक्षकों के अभाव में अगर समय पर उसको लाभ नहीं मिलेगा, शिक्षक समय पर नहीं आएंगे, पद रिक्त रहेंगे तो गरीब मां-बाप और उस गरीब छात्र के साथ खिलवाड़ होगा। मैं चाहूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें।

शिक्षकों के साथ-साथ, शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में आज भी एक से आठ तक के बालक कक्षा कक्षों के अभाव होने से बाहर बैठ कर शिक्षा ग्रहण करते हैं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि उस इलाके में जहां विद्यालयों के अंदर कक्षा कक्षों का अभाव है, इसे महत्वपूर्ण समझ कर इस कमी को पूरा कराएं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जितने भी विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, विशेष रूप से मेरे विधान सभा क्षेत्र की बात मैं कहना चाहूंगा कि एक से आठ तक जितने भी विद्यालयों का निर्माण कराया गया है, चाहे वह किसी एजेंसी के माध्यम से हो, पंचायत समिति के माध्यम से हो या चाहे वह एजेंसी कोई स्वयंसेवी रही हो, बारिश के समय में एक भी ऐसा विद्यालय नहीं है जहां बच्चे बैठ सकें तथा अध्ययन कार्य कर सकें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में 90 परसेंट विद्यालय ऐसे हैं जहां बारिश के समय या तो अध्यापक को छुट्टी कर देनी पड़ती है या बच्चे को बाहर किसी के घर पर बैठाना पड़ता है। जिस भी एजेंसी के माध्यम से उन भवनों का निर्माण कराया गया है,

(श्री जीतमल खांट)

आज निश्चित रूप से वे बड़ी जर्जर अवस्था में हैं। बच्चों के साथ में कभी भी धोखा हो सकता है, वे कभी भी दब कर मरने की स्थिति में आ सकते हैं, यह स्थिति है।

मैं अभी मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक विद्यालय के आकस्मिक दौरे पर गया था। मैंने वहां पर जाकर प्रधानाध्यापकजी से पूछा कि आपका विद्यालय इतनी जर्जर हालत में कैसे है। उस समय पंचायत के सरपंच भी मेरे साथ में थे। कहने लगे, विधायकजी, अभी भूकम्प का झटका आया है जिसके कारण से यह बिल्डिंग जर्जर हालत में हो गई है। मैं कहना चाहता हूं, हालत इतने खराब हैं कि भूकम्प का झटका नहीं आने के पहले भी विद्यालय की हालत बहुत खराब थी, आज भी हालत खराब है। जो भी बिल्डिंग का निर्माण करें, उसकी ओर, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप ध्यान नहीं देंगे, तो उस क्षेत्र की शिक्षा वरदान की जगह अभिशाप सिद्ध होगी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे विद्यालयों की हालत पर भी आपका ध्यान जाए, गम्भीरतापूर्वक उसमें विचार करें। इतना कह कर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री जुगलजी काबरा।

श्री जुगल काबरा (जोधपुर शहर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शिक्षा, कला और संस्कृति की मांग पर मैं अपने विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। शिक्षा किसी भी राष्ट्र तथा समाज के लिए विशेष महत्व रखती है। यह प्रयास किया जाता है कि भावी पीढ़ी को संस्कारित करने के लिए, शिक्षित और दीक्षित करने के लिए हम इस तरह की शिक्षा नीति का सृजन करें कि वह आने वाले समय की चुनौतियों का मुकाबला कर सके।

आजादी के 53 साल बाद हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में शिक्षा के ढांचे को लेकर अभी भी कई तरह की बहस चल रही है। पूर्व में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा केन्द्रीय सरकार ने कई शिक्षा आयोग गठित किये। उनकी सिफारिशें आयीं, उन पर कार्यान्वयन प्रारम्भ हुआ, किन्तु कुलमिलाकर परिणाम हमेशा एक ही रहा। हम निरन्तर शिक्षण संस्थाओं का विकास करते जा रहे हैं, संख्या बढ़ाते जा रहे हैं, किन्तु इसका लाभ रोजगार सृजन में किस तरह से हो इसकी कोई सुसंगत नीति आज तक हम नहीं बना पाये हैं। मान्यवर, हरेक क्षेत्र के नागरिक यह चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में शिक्षा का विस्तार और विकास हो। इसीलिए चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी एजुकेशन हो अथवा कालेज एजुकेशन हो, हर जगह यह मांग दोहरायी जाती है कि हमारे यहां स्कूल खुले, महाविद्यालय खुले, उच्च विद्यालय खुलें। किन्तु इन सबके लिए जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति सम्भव नहीं हो पाती। आज भी हम पूरे प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को लें तो हम पाएंगे कि हमारे प्राथमिक विद्यालय इस

(श्री जुगल काबरा)

तरह के भवनों में चल रहे हैं जिनकी हालत जर्जर है, बच्चों को बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। न उनमें फर्नीचर है, न प्रकाश व्यंवस्था है, न रोशनी है, न खुली हवा है, न इन विद्यालय भवनों में टायलेट्स का कोई प्रबन्ध है और छात्रा विद्यालयों की स्थिति तो बहुत ज्यादा दयनीय है। (व्यवधान) इन सारे हालात के लिए आवश्यक है कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ आकर्षण भी पैदा किया जाए। आज हम बात करते हैं निजी शिक्षण संस्थाओं की जो अंग्रेजी माध्यम से चल रही हैं तथा जिनके प्रति आम नागरिक का आकर्षण है। अभिभावक यह चाहते हैं कि मेरा बालक या बालिका अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों से अध्ययन प्राप्त करके यह प्रयास करे कि वह जीवन में किसी काम्पीटीशन में सफल हो। अंग्रेजी माध्यम से पढ़ने का मात्र एक यही आकर्षण है कि वहां शायद अच्छी शिक्षा मिलेगी। सरकारी विद्यालयों के मुकाबले इन विद्यालयों के अंदर सभी प्रकार के नागरिकों का रूझान बना हुआ है। मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से कि हम भी अपने संस्थागत ढांचे को इस तरह से सुदृढ़ करें और साथ ही साथ हम अपनी शिक्षा नीति के अंदर भी व्यावहारिक परिवर्तन करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो सब जगह अभिभावक और नागरिक यह चाहते हैं कि हमारे बालक, बालिकाओं को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा मिले। तो हमें भी शहरी विद्यालयों के अंदर जो प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं उनमें कम से कम एक सैक्शन अंग्रेजी माध्यम से प्रारम्भ कर देना चाहिए। आपके पास में बी.एड. ट्रेंड टीचर्स हैं जो अंग्रेजी माध्यम से आसानी से प्राइमरी एजुकेशन सम्पादित कर सकते हैं। आपने जो निर्णय लिया है तीसरी कक्षा में अंग्रेजी विषय के रूप में पढ़ाने का, उसका बहुत अच्छा स्वागत सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमें अपनी शिक्षा की नीति के अंदर परिवर्तन करते हुए यह कोशिश करनी चाहिए कि आवश्यकता के अनुरूप हम बालकों को शिक्षा प्रदान करें।

मान्यवर, अभी चर्चा के दौरान हमारे कई साथियों ने इस बात का उल्लेख किया कि पिछली सरकार ने कई स्कूलों को बंद कर दिया जिसके कारण ये निजी शिक्षण संस्थाएं कुकरमुत्तों की तरह पूरे प्रदेश के अंद फैल गई और अभिभावकों को मजबूरन अपने बच्चों को इन स्कूलों के अंदर भेजना पड़ा। किन्तु नयी सरकार ने आने के साथ ही यह प्रयास किया कि जिन दूर-दराज के गांवों और ढाणियों के अंदर बालक किसी भी सूरत में पढ़ने के लिए कोई साधन नहीं पाते थे उनके खुद के गांव और ढाणी के अंदर राजीव गांधी स्वर्ण जयंती पाठशाला खोल दी जाए ताकि वे बालक-बालिकाएं स्वयं अपने गांव और ढाणी के अंदर शिक्षा प्राप्त कर सकें।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, यह भी कहा गया कि इन राजीव गांधी विद्यालयों के अंदर अपरिपक्व, अनक्वालिफाइड टीचर्स को लगा दिया गया है। किन्तु आप ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी दौरा कीजिए, आपको यह जानकर संतोष होगा, आज आम नागरिक खुश है कि इस सरकार ने बच्चों को पढ़ाने के लिए एक तोहफा हमें दिया है। बच्चे किसी भी सूरत में पढ़ने के लिए 4-5-6 किलोमीटर नहीं जा पाते थे या उनके अभिभावक उन्हें 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर ले जाकर स्कूल में पढ़ा नहीं पाते थे, न स्कूल छोड़ने जा सकते थे, न स्कूल से वापस लेकर आ सकते थे, किन्तु अब उनके खुद के गांव के अन्दर, ढाणी के अन्दर विद्यालय खुल गया है इसलिए उन्हें शिक्षा का बहुत बड़ा सम्बल मिला है और उनमें बहुत अधिक खुशी छाई है। इसके लिए मैं वर्तमान सरकार, मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

मान्यवर, उर्दू शिक्षा के प्रति भी वर्तमान सरकार ने निर्णय लिया है। मदरसों के माध्यम से जो विद्यालय चल रहे थे उनको भी राजीव गांधी पाठशाला के साथ में जोड़ कर यह प्रयास किया गया है कि जो बालक उर्दू माध्यम से मदरसों के अन्दर शिक्षा ग्रहण करते थे उन्हें भी राजीव गांधी विद्यालयों के माध्यम से सब तरह की शिक्षा का लाभ प्राप्त हो सके।

मान्यवर, इसके साथ ही साथ नयी सरकार ने हर एक पंचायत समिति में आदर्श विद्यालय खोलने का निर्णय किया है जिसमें विषयवार अध्यापकों के माध्यम से बच्चों का शिक्षण करवाया जाएगा और साथ में यह प्रयास किया जाएगा कि उन्हें कम्प्यूटर एजुकेशन के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध करायी जाएं। यह कदम भी स्वागत योग्य है।

मान्यवर, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हम अपनी शिक्षा नीति पर गहन चिन्तन और चर्चा करें और शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाएं। पर हम केवल मात्र ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स बना देते हैं। अभी हमारे प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्य कह रहे थे कि आपने जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बनाये हैं, चाहे बी.एड. हो, चाहे एस.टी.सी. हो, हमारे नौजवान साथी यह प्रयास करते हैं कि वे ट्रेनिंग करके किसी तरह से रोजगार प्राप्त कर लें। किन्तु सरकार के पास में साधन सीमित हैं, व्यवस्थाएं हैं नहीं। इसलिए उन्हें पूरी एजुकेशन लेने के बाद भी रोजगार नहीं मिल पाता है। यह प्रयास किया जाना चाहिए कि हम अपनी शिक्षा को वोकेशनल एजुकेशन के साथ में जोड़ें और जो नयी शिक्षा व्यवस्था है, चाहे कम्प्यूटर एजुकेशन या अन्य दूसरी तरह की टैक्निकल एजुकेशन है उसके माध्यम से उन्हें रोजगार प्रदान करने का प्रयास करें। इसके लिए राज्य सरकार को गम्भीर चिंतन और मनन करके अपनी शिक्षा नीति के ऊपर कुछ नयी सोच देनी चाहिए।

मान्यवर, बालिका शिक्षा के बढ़ावे के लिए बहुत अच्छे प्रयास किये जा रहे हैं,

(श्री जुगल काबरा)

इसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहूंगा। 1 से 12 कक्षा तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसी तरह से निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराने का जो प्रयास किया जा रहा है 1 से 8 तक की कक्षाओं में बालिकाओं को, यह भी एक स्वागत योग्य कदम है।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं ने शिक्षा को केवल प्राफिट मेकिंग व्यवसाय बना लिया है। उनमें और जो शिक्षण संस्थाएं आजादी के पहले से समाज सेवा के उद्देश्य से शिक्षण प्रदान करने के लिए काम कर रही थीं, उनके अन्दर आपको फर्क करना पड़ेगा। पुरानी संस्थाएं जिनसे बहुत अच्छे-अच्छे लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस., राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, लेखक निकले हैं उन शिक्षण संस्थाओं के अनुदान को अगर राज्य सरकार...

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : यह मिलता है। यह विधायक बैठे हैं, 80 वर्ष की संस्था, उनको तो अनुदान ही नहीं देते हैं पूरा।

श्री जुगल काबरा : मैं, पण्डितजी, आपकी भावना को ही निवेदन कर रहा हूं।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : मैं आपके विचारों से सहमत हूं।

श्री जुगल काबरा : जो पुरानी शिक्षण संस्थाएं हैं जो कि प्राफिट मेकिंग उद्देश्य से नहीं चल रही हैं उन शिक्षण संस्थाओं के अनुदान को यथावत ज़ारी रखा जाना चाहिए। बल्कि आवश्यकता तो इस बात की है कि उनको सुदृढ़ करने के लिए उनका अनुदान बढ़ाया जाए। किन्तु प्योरली एक जेबी संस्था बना कर केवल व्यवसाय करने के लिए जो संस्थाएं चलायी जा रही हैं उन संस्थाओं के ऊपर निश्चित तौर पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और उन्हें किसी तरह का सरकारी अनुदान नहीं दिया जाना चाहिए।

इसके साथ ही साथ, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निजी शिक्षण संस्थाओं में शिक्षण शुल्क के ऊपर भी कोई नियम कायदे बनाये जाने चाहिए। निजी शिक्षण संस्थाएं अंग्रेजी माध्यम का नाम रख कर अनाप-शनाप शिक्षण शुल्क वसूल करती हैं। अपनी मर्जी से पाठ्यक्रम लागू करके मनमर्जी से पाठ्यक्रम की राशि वसूल की जाती है। इसके साथ ही हर साल ड्रेस बदलने के नाम पर अभिभावक और विद्यार्थियों का शोषण किया जाता है। इस तरह की बातों के ऊपर मैं चाहूंगा कि राज्य सरकार अंकुश लगाने का प्रयास करे ताकि गरीब मध्यम वर्ग के लोग जो अंग्रेजी पढ़ने के लोभ से इन शिक्षण संस्थाओं के चंगुल में फंस जाते हैं, उनको शोषण का शिकार नहीं होना पड़े।

मान्यवर, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जिन महाविद्यालयों को अनुदान के आधार पर चलाया जा रहा है उन महाविद्यालयों के बारे में राज्य सरकार को थोड़ी उदारता से विचार करना चाहिए। मान्यवर, आज स्थिति यह बनी हुई है कि जो लैक्चरर्स

(श्री जुगल काबरा)

रिटायर हो गये हैं उनकी जगह दूसरे लैक्चरर्स लगाने पर राज्य सरकार ने पाबंदी लगा दी है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि चाहे सरकारी विद्यालय हों, चाहे अनुदान प्राप्त महाविद्यालय हों, उनके अन्दर जो टीचर्स रिटायर हो गये हैं, उनकी सैंक्शंड पोस्ट को भरने के लिए राज्य सरकार उन पोस्ट के अगेंस्ट में मिलता है उस अनुदान को भी उन्हें बराबर दिया जाना चाहिए।

मान्यवर, कुछ विसंगतियां हमारी सरकार के आदेशों में भी रहती हैं। एक तरफ राज्य सरकार कहती है कि हर एक महाविद्यालय के अन्दर प्रिंसिपल की नियुक्ति आवश्यक है तो दूसरी तरफ यह कहती है कि अगर प्रिंसिपल रिटायर हो गया तो वहां पर आप दूसरा प्रिंसिपल अपाइंट नहीं कर सकते। इस विसंगति को कैसे दूर किया जाएगा, इसके बारे में भी राज्य सरकार को निर्णय करना चाहिए। जहां तक प्रिंसिपल रिटायर हो गया वहां प्रिंसिपल अपाइंट करने की मैनेजमैंट को स्वीकृति प्रदान की जानी चाहिए ताकि अच्छी तरीके से कोई योग्य प्रिंसिपल वहां पर सलैक्ट होकर अपने महाविद्यालय का शिक्षण संचालन कर सके।

इसके साथ ही साथ, चाहे प्राइमरी एजुकेशन हो, सैकण्डरी एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन में और हायर एजुकेशन में पुस्तकालयों की स्थिति वाकई बहुत ही दयनीय है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसके लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए कि प्राइमरी एजुकेशन के अन्दर बुक बैंक के माध्यम से पुस्तकालयों को सुदृढ़ कर सके। हायर एजुकेशन के लिए अच्छे किस्म की रेफरेंस बुक्स के साथ में पुस्तकालय का निर्माण करें ताकि गरीब विद्यार्थी जिनको रेफरेंस बुक्स नहीं मिल पाती हैं या जो अच्छी पुस्तकें नहीं खरीद पाते हैं, वे इन पुस्तकालयों का लाभ प्राप्त कर सके।

मान्यवर, भारत सरकार की जो योजनाएं आती हैं, हमें पक्ष-विपक्ष के विवाद में नहीं पड़ कर उन योजनाओं की क्रियान्विति के प्रति गम्भीर होना चाहिए। जिन योजनाओं में 85 प्रतिशत पैसा भारत सरकार की तरफ से मिलता है और राज्य सरकार को केवल 15 प्रतिशत लगाना पड़ता है, उनका शत-प्रतिशत लाभ लेने के लिए हमको पूरा प्रयास करना चाहिए। इस बारे में कोई भी अधिकारी किसी तरह की शिथिलता बरतता है तो, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपको उस मामले को थोड़ी गम्भीरता से और थोड़ी सख्ती से लेना चाहिए।

मान्यवर, बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन की कार्य पद्धति के ऊपर अभी काफी कुछ इस सदन के अन्दर चर्चा की गयी है। मैं कहना चाहूंगा कि बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन ने बहुत अच्छे तरीके से इस साल ही नहीं, पिछले साल भी परीक्षाओं का संचालन किया। कुछ इस तरह के लोग हैं जिनके द्वारा बोर्ड के ऊपर दवाव बना कर एक एडमिशन कार्ड बनाने के लिए 5 रुपये और 10 रुपये की मांग की

(श्री जुगल काबरा)

जाती है कि अगर 5 रुपये और 10 रुपये वहां कर्मचारियों को दिये जाएंगे तनख्वाह के अलावा, वे एडमिशन कार्ड बनाएंगे। ऐसे लोगों पर अंकुश लगाने के लिए जब बोर्ड प्रशासन ने कुछ सख्ती की और दूसरे लोगों से एडमिशन कार्ड बनाने का प्रयास किया तो कम्प्यूटर के अन्दर गलत डेटाज फीड करने का कर्मचारियों द्वारा प्रयास किया गया, गलत सूचनाएं दी गयीं या फोटो के सैट बदल दिये गये। इस तरह की जो साजिश है इस साजिश को रोकने के लिए मैं चाहूंगा, शिक्षा मंत्रीजी, आप बोर्ड के प्रशासन को निर्देश दें कि ऐसे लोगों के साथ में सख्ती से निपटा जाए। यहां की परीक्षा पद्धति और जो परीक्षा का कार्यक्रम और उसकी विश्वसनियता को किसी भी तरह से प्रभावित करने का जिन्होंने प्रयास किया है उन लोगों के साथ सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी बोर्ड आफ सैकण्डरी एजुकेशन के प्रशासन ने जिस तरीके से परीक्षाओं का संचालन करवाया है वह स्वागत योग्य है। कहीं भी कोई नकल की कार्यवाही नहीं होने दी गयी, कहीं भी कापीइंग की कोशिश नहीं की गयी, प्रश्न पत्र लीक करने के प्रयास को कहीं सफल नहीं होने दिया गया। इसलिए बोर्ड के प्रशासन को इस सदन के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, कुछ यूनिवर्सिटी टीचर्स की प्राब्लम्स भी माननीय सदस्यों ने यहां उठायी। यूनिवर्सिटी कैरियर एडवांसमेंट स्कीम पिछले लम्बे समय से विचाराधीन है। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि टीचर्स की इस मांग के ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उन्हें लाभ दिलाने में आप मदद करें। आप स्वयं विश्वविद्यालयी शिक्षा से सम्बन्धित रहे हैं इसलिए आपको इस बारे में ज्यादा एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आशा करता हूं कि आपकी उदारता का लाभ शिक्षक समुदाय को मिलेगा।

इसके साथ-साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन निरीह लोगों की बात करना चाहता हूं जो मूक हैं, बधिर हैं, जिनके विद्यालय चल रहे हैं। उनके अनुदान की राशि को भी बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और उनके लिए सैपरेट कोर्स बनाये जाने की आवश्यकता है। सामान्य बालक के लिए जो कोर्स बनाया गया है और वह जो न बोलने वाला और न सुनने वाला बालक है उसका कोर्स समान रहे और वह उसके साथ में काम्पीटीशन करे, यह सम्भव नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि राजस्थान के अन्दर मूक, बधिर विद्यालयों में जो शिक्षण दिया जाता है, ऐसे विद्यार्थियों के लिए अलग से कोर्स बने और उनको कुछ रियायत दी जाए। ऐसी शिक्षण संस्थाएं चाहे वे निजी क्षेत्र के अन्दर चल रही हों या सरकारी क्षेत्र में चल रही हों उनको अनुदान देने में विशेष उदारता बरती जाए ताकि ऐसे लोगों को अच्छे सक्षम अध्यापकों के माध्यम से शिक्षण करवाया जा सके।

(श्री जुगल काबरा)

मान्यवर, बहुत ही संक्षेप में अपनी बात निवेदन करना चाहूंगा। मैं शिक्षा मंत्रीजी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जोधपुर के अन्दर विधि विश्वविद्यालय स्थापित किया। साथ ही कृषि विश्वविद्यालय इन्होंने उदयपुर के अन्दर स्थापित करवाया और संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर में स्थापित करवाया। इन तीनों विश्वविद्यालयों की स्थापना नितान्त ही आवश्यक थी, इसके लिए भी मैं राज्य सरकार को बधाई देना चाहता हूं। मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी को निवेदन करना चाहूंगा कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कालेज के अन्दर कुछ डिपार्टमैंट्स हैं—आर्किटैक्ट, इंजीनियरिंग, कम्प्यूटर एप्लायंसेज और केमिकल इंजीनियरिंग, इनके अंदर कुछ पोस्टें आपने फ्रीज कर रखी हैं जिनकी वजह से वहां के बच्चों को अपना कोर्स पूरा करने में बहुत बड़ी समस्या आ रही है और उनकी रैकग्निशन को भी खतरा पैदा हो गया है। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ टैक्निकल एजुकेशन ने यह शर्त लगा दी है कि अगर इन डिपार्टमैंट्स में प्रापर संख्या में टीचर्स नहीं होंगे तो इनकी रैकग्निशन को समाप्त कर दिया जाएगा। जो बच्चे इन डिपार्टमैंट्स में पढ़ रहे हैं, हायर एजुकेशन के बच्चे हैं और इनको इस कोर्स के पूरा करते ही रोजगार मिलने की पूरी सम्भावना है, बहुत अच्छे कोर्स चल रहे हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि जहां कहीं भी इस तरह के रोजगारोन्मुख कोर्सेज चल रहे हों उन कोर्सेज के लिए आपको टीचर्स की सैंक्शन करनी चाहिए।

इसी के साथ मैं एक बार पुनः राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में जो प्रयास किये जा रहे हैं उन सब की सराहना करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी का और शिक्षा मंत्रीजी का आभार ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने राजस्थान को शिक्षा के क्षेत्र में नयी दिशा देने का प्रयास किया है। इसके साथ ही मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जयहिन्द।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय अनुदान की मांग संख्या-24 के पारित होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : अनुदान की मांग संख्या-24 के पारित होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया। डा. करण सिंह यादव।

मांग संख्या-24 पर विचार

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन जब इस वक्त माननीय शिक्षा मंत्रीजी के जवाब को सुनने को उत्सुक है, मैं नहीं चाहता कि मैं लम्बा समय खींचू। शुरूआत करूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी को उनके अच्छे कार्यों के लिए बधाई देते हुए, चाहे शिक्षा के सार्वजनीकरण का मामला हो, खूब सारे विद्यालय खोलने का मामला हो, क्रमोन्नत करने का मामला हो, नये आदर्श विद्यालय खोलने का मामला हो, राजस्थान विश्वविद्यालय का मामला हो, इन सब के लिए माननीय शिक्षा मंत्री बधाई के पात्र हैं।

मैं यहां माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा राजस्थान की सबसे शीर्षस्थ एजुकेशन संस्था राजस्थान विश्वविद्यालय की तरफ, और ध्यानाकर्षित इस बात पर करना चाहूंगा, मैंने गत सैशन में एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान विश्वविद्यालय में आरक्षण के नियमों की कितनी पालना होती है। राजस्थान विश्वविद्यालय में एक हजार से अधिक अध्यापकों में कितने लोग अनुसूचित जाति के हैं, कितने लोग अनुसूचित जनजाति के हैं, कितने लोग अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न के उत्तर में बताया था कि उनके पास में 304 अस्थायी शिक्षक आज की तारीख में मौजूद हैं और उन 304 अस्थायी शिक्षकों के अन्दर सात शिक्षक ऐसे हैं जो इन जातियों से, इन वर्गों से सम्बन्ध रखते हैं। प्रदेश की सबसे शीर्षस्थ संस्था में आरक्षण नियमों की इतनी अवहेलना की गयी है। मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा शिक्षा मंत्रीजी का कि सन् 1990 के अन्दर वी.आई. राजगोपाल साहब ने एक बड़ी थीसिस लिखी थी यूनिवर्सिटी के कार्य-कलापों को एग्जामिन करने के लिए। उसकी रिपोर्ट में कहा था कि यह वह संस्था है जहां पर अम्बेडकर और गांधी के सिद्धान्त की कम्प्लीट अवहेलना की गयी है। यही नहीं, पिछली सरकार ने जाने से पहले तुरत-फुरत में एक आर्डिनेंस तैयार करवाया और 167 व्याख्याताओं को आर्डिनेंस के माध्यम से नियोजित करने का षड्यंत्र रचा। 167 व्याख्याता वे थे अभी जिनके मामले में माननीय रतन लालजी साहब फरमा रहे थे कि जिनका कोई विज्ञापन नहीं दिया गया, कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। किसी तरह का पद का विज्ञापन नहीं करके, कोई इंटरव्यू नहीं करके बैकडोर एंट्री से भर्ती कर लिया गया और वे एडहाक तरीके से आज तक प्रमोट होते रहे। यही नहीं, वे 167 तक ही सीमित नहीं रहे, राजस्थान के वर्तमान फाइनेंस मिनिस्टर जब एजुकेशन मिनिस्टर थे तब, उनके द्वारा एक कमेटी गठित की गयी। उन्होंने स्वयं ने यूनिवर्सिटी के सलैक्शंस को देखा, उसमें यह कहा गया कि इस यूनिवर्सिटी के अन्दर सलैक्शन के अन्दर इतनी अनियमितताएं की गयी हैं जिनका कोई सानी नहीं है। मैं सदन में आखिरी समय इस बात के लिए लेना चाहूंगा कि आज भी ऐसे लोग-बाग सक्रिय

(डा. करण सिंह यादव)

हैं जो संवेदना के नाम पर इन सब अध्यापकों को, इन सब प्राध्यापकों को नियमित करवाना चाहते हैं आर्डिनेंस लाकर। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कीजिये लेकिन, शिक्षा मंत्रीजी, आप यह आश्वासन भी दीजिये कि जब आप इनको नियमित करें तो इनके अन्दर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की जो आरक्षित सीटें हैं उनको भरने के लिए आप किस तरह प्रयास करेंगे। एक तरफ वाइस चांसलर महोदय थे जो कह गये कि यूनिवर्सिटी को यूनिट मानकर उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जाए। दूसरे वाइस चांसलर महोदय आये उन्होंने दे दिया कि नहीं, हमको सब्जैक्ट की एक यूनिट मानकर आरक्षण किया जाए। ये सारी जो नीतियां हैं, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप अपने भाषण में इनका खुलासा करेंगे और आश्वस्त करेंगे कि आप इन वर्गों के हिमायती हैं और इन वर्गों के बारे में आप सोचते हैं।

मैं दो मिनट का समय लेना चाहूंगा। नारी सशक्तीकरण का वर्ष है, महिला शिक्षा के बारे में हम सब बात कर रहे हैं। मैं बहुत खेद के साथ में अपने विचार कहना चाहता हूं कि कोई सरकार यह निर्णय लेकर बैठ जाए कि हम आज के बाद में कहीं कालेज नहीं खोलेंगे। मेरे बहरोड़ में या सपोटरा में या दूदू में या गांव के अन्दर...

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम में।

डा. करण सिंह यादव : टोडाभीम में आकर कौन कालेज खोलेगा? पिछली सरकार की एक योजना थी कि आप 30 लाख रुपये जमा करा दीजिये, आप बिल्डिंग बना दीजिये, आपकी लड़कियों का कालेज हम चालू कर देंगे। आप 90 लाख रुपये जमा करा दीजिये, आप बिल्डिंग बना दीजिये, आपका कालेज सरकार अधिग्रहीत कर लेगी। मुझे दो साल अपना लंग पावर यूज करते हुए हो गये, मैं माननीय शिक्षा मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि महिला शिक्षा के मामले में सरकार की क्या नीति है। यह कह देना कि आप अपना कालेज खोल लो, अपनी मर्जी आये वह फीस ले लो, यह बात तो हो नहीं सकती। मुझे जानकारी है कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी जो विद्वान हैं, गुणवान हैं, प्रतिभावान हैं और स्वयं शिक्षक हैं, उन्होंने इस बारे में सोचा है। मैं आशा करता हूं कि आज आपका जो भाषण होगा उसके अन्दर आप कोई नीति देंगे, नयी महिला शिक्षा के लिए खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर महिला शिक्षा के बारे में। शहर के अन्दर महिला शिक्षा की बहुत सारी कालेज खुली हुई हैं लेकिन बहरोड़ कस्बे के अन्दर ग्रामीण इलाके में या दूदू में या सपोटरा में या टोडाभीम के अन्दर लड़कियों की कालेज खोलने के लिए हम क्या जन सहयोग पैदा कर सकें, इस मामले में भी मैं आज चाहूंगा कि आप अपने विचार देंगे।

(19.00 बजे)

(डा. करण सिंह यादव)

मैं एक अपनी व्यथा और माननीय मंत्रीजी के सामने रखना चाहता हूं। एक तरफ हम रोजगारोन्मुखी शिक्षा की बात कर रहे हैं। आपने खूब सारे इंजीनियरिंग कालेज खोल दिये, बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं। पर, मंत्रीजी, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि आई.टी.आई. कालेज कोई व्यापारी आकर नहीं खोलता। आपके झुंझुनूं के अन्दर जो आई.टी.आई. खुली है, वह तो जो सेठ साहब थे उस गांव के, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए खोली। उनको सरकार ने कालेज दे दी, हमारे मंत्रीजी उसका जाकर उद्‌घाटन करके आ गये और जब वहां पर महिला कालेज चालू नहीं हुआ तो गांव वाले लोगों ने उनको ताना दिया तब उन्होंने आकर आपसे निवेदन किया कि, साहब, वहां कालेज नहीं खुल रही तो कम से कम आप आई.टी.आई. खोल दीजिये। उन्होंने आपको 40 लाख रुपये देकर कालेज खोला, लेकिन बहरोड़ में आज 40 लाख रुपये देकर भवन बनाकर आई.टी.आई. देने वाला नहीं है। आई.टी.आई. में पढ़ने वाले गरीब वर्गों के वे लोग होते हैं जो 10वीं के बाद में फिटर, मैकेनिक, आयल मैकेनिक, छोटे-छोटे काम और छोटे-छोटे ट्रेड से अपनी रोजी-रोटी कमाने वाले होते हैं। उनके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि सन् 1999 के अन्दर जब तकनीकी शिक्षा मंत्री थे माननीय चौधरी साहब, उन्होंने चार आई.टी.आई. की घोषणा की थी। एक आई.टी.आई. की घोषणा की अपने स्वयं के पीपाड़ में या बिलाड़ा में, एक की राजसमन्द में, एक झुंझुनूं के अन्दर और एक मेरे बहरोड़ के अन्दर। आपका स्वप्न था कि हर पंचायत समिति के ऊपर एक आई.टी.आई. खुले। वह आई.टी.आई. अनाउंस हो गई, उसके लिए जगह आबंटित हो गई। आपने इंस्पैक्शन कर लिया। आपने पहले साल में उसका बजट रखा, दूसरे साल में इसके लिए बजट नहीं रखा। झुंझुनूं में आई.टी.आई. माननीया सुमित्रा सिंहजी ने अपने प्रभाव से खुलवाई और पैसा देकर खुलवाई। मुझे यह भी जानकारी में आया है कि शायद बिलाड़ा या पीपाड़ में आई.टी.आई. के लिए आपने कुछ प्रावधान किया है। मेरा निवेदन है, इस गरीब बहरोड़ की जनता और राजसमन्द के जो मेरे भाई बैठे हैं, इनके लिए आप सदाशयता दिखाएं और बहरोड़ और राजसमन्द की आई.टी.आई. की भी यहां घोषणा करें। अधिक नहीं समय लेते हुए...(व्यवधान) मैं तो उनकी बात कह रहा हूं, जिनकी पहले घोषणा हो चुकी है। जिन आई.टी.आई. की घोषणा हो चुकी, हमने इलाके में जाकर लोगों को कह दिया, अखबारों में फोटो खिंचवा ली, बयान दे दिया कि हमारे यहां पर हमारी सरकार आई.टी.आई. खोल रही है। ऐसी स्थिति में...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक : काकरवाड़ा भी करवा दें आप।

डा. करण सिंह यादव : इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्षजी, आपने मेरा नाम नहीं

(डा. करण सिंह यादव)

होते हुए भी मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : आप में से एक माननीय सदस्य 10 मिनट के लिए कोई बोलना चाहे? कोई भी माननीय सदस्य बोलना चाहें। (व्यवधान) एक। एक। रामनारायणजी आप बोल रहे हैं? रामनारायणजी। आप कल बोल लेना। माननीय सदस्य, आपका सब्जेक्ट कल है आज नहीं है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है "इस जुल्म को देखा है तवारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई।" ऐसी सजा जोशीजी हमको देना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन था इनको कि हमारे क्षेत्र का ध्यान रखें, वहां कुछ स्कूल खोलें। मेरे और इनके बड़े अच्छे संबंध हैं पर पता नहीं क्यों न्याय नहीं कर रहे हैं। यही कहना चाहता हूं बस। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : रामनारायणजी। आर्डर, आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण विश्नोई (फलौदी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज मांग संख्या-24 के ऊपर जो मैंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं उसके संबंध में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे से पूर्व दोनों ही पक्षों के सदस्यों ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला और एक विचार उभरकर सामने आया है कि राजस्थान के अन्दर शिक्षा की गुणवत्ता किस प्रकार से बढ़ाई जाए और शिक्षा के दृष्टिकोण से पिछड़े हुए प्रदेश में पिछले सालों के अन्दर जो अच्छी उन्नति हुई है, उसको हम आगे किस प्रकार से सुदृढ़ कर सकते हैं।

मान्यवर, अभी आपने देखा कि बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कहा कि पिछली सरकार के समय कुछ ऐसे लोग थे जिनको हमने भामाशाह योजना के नाम से "भामाशाह" कहना शुरू कर दिया था। लेकिन जन सहयोग जहां कहीं भी सम्भव नहीं था वहां कालेज नहीं खुल पा सकेंगे, महाविद्यालय नहीं खुल पा सकेंगे या प्राथमिक और उच्च प्राथमिक क्रमोन्नत नहीं हो सकेंगे। उन लोगों को प्रोत्साहित करके और उनके द्वारा करोड़ों रुपये की राशि लगाकर शिक्षा के अन्दर विस्तार करने की जो योजना पूर्ववर्ती सरकार ने बनाई थी, आप में से बहुत-से सामने बैठने वाले माननीय सदस्यों ने उस समय बड़ा भारी शोर-शराबा किया था कि शिक्षा का बेचान किया जा रहा है, शिक्षा बेची जा रही है, शिक्षा राजस्थान में बहुत महंगी की जा रही है। पर आज सब सदस्य इस बात को अनुभव कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार प्राथमिक विद्यालयों को और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकार एक ही जवाब दे रही है कि बजट में पैसा नहीं है, इसके आधार पर हम कोई नया विद्यालय क्रमोन्नत नहीं करेंगे। मान्यवर, अगर ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर किसी विद्यार्थी ने प्राथमिक शिक्षा पास की है और उच्च प्राथमिक विद्यालय उसके गांव से 10-10, 15-15 किलोमीटर की दूरी पर है तो वह किस

(श्री रामनारायण विश्नोई)

प्रकार से शिक्षा प्राप्त कर सकेगा? ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि राज्य सरकार जन सहयोग से इस भामाशाह योजना को लागू करे। अगर कोई भी लोग इस तरह से आगे आते हैं और पैसा देकर क्रमोन्नत करवाते हैं तो उसी योजना के तहत शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए।

मान्यवर जो मेरे पूर्ववर्ती सदस्यों ने कहा है, बहुत कुछ उस समय भी विरोध हुआ था। कांग्रेस शासन में लगातार पिछले 40-45 सालों में शिक्षा का स्तर बनाया जा रहा था, हर गांव में, ढाणी में प्राथमिक विद्यालय खोले गये थे, वहां पर ट्रेंड टीचर्स को लगाया गया था। उस योजना से हटकर राजीव गांधी के नाम से राजीव गांधी पाठशाला योजना शुरू की गई। उस समय हमारी तरफ से इसका बहुत विरोध किया गया था कि इससे ग्रामीण शिक्षा का स्तर गिर जाएगा। आज मैं, मान्यवर, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी को बताना चाहता हूं कि गांवों के अन्दर ऐसे उदाहरण भी आपको मिलेंगे, जहां राजीव गांधी पाठशाला के अन्दर 1200 रुपये पाने वाले मैट्रिकुलेट, सरपंच के रिश्तेदार अध्यापक ने 500 रुपये में अपना सब-कांट्रेक्ट करके दूसरे आदमी को बैठा दिया। शिक्षा का काम आप करते रहो गांव के अन्दर। बेरोजगार आदमी 500 रुपये लेकर 30-40 बच्चों को लेकर बैठा हुआ है। वह तो समय पास करने के लिए रुपये देकर बैठा है। हमने जाकर उन अध्यापकों से पूछा कि यह स्कूल कौन चला रहा है? तो कहते हैं कि सरपंच साहब का लड़का यहां पर टीचर है, उसने फलां आदमी को यह स्कूल चलाने के लिए लगा रखा है। वह तो अपने घर में काम कर रहा है। बच्चों से जब यह पूछा कि राजस्थान के शिक्षा मंत्री का नाम क्या है, तो कहते हैं कि हमारे मास्टर साहब नहीं बता सकते तो हमें तो कोई पता नहीं। यह स्थिति है कि ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर बच्चों की शिक्षा का स्तर किस प्रकार से बढ़ाया जा रहा है।

मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने कहा कि मौजूदा युग कम्प्यूटर युग है, शिक्षा के बिना आगे कोई आधार बन नहीं सकता। ऐसे समय के अन्दर मजबूर होकर गांव के बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाते हैं। बहुत से सदस्यों ने कहा कि गांव के अन्दर प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल अलग से चलना शुरू हो गई है और ज्यादा फीस देकर बच्चों को वहां पढ़ना पड़ता है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस राजीव गांधी पाठशाला योजना को बन्द करके वापस जिस तरह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के अन्दर शिक्षित अध्यापक लगाये जाया करते थे, उन अध्यापकों को लगाकर उसी तरह से प्राथमिक पाठशालाएं शुरू कीजिये। शिक्षा मंत्रीजी को ज्ञान है इस बात का कि पब्लिक फण्ड से राजीव गांधी पाठशालाओं में अध्यापक लगाये गये थे। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस बात से आपको पाबन्द कर दिया है कि आइंदा अपनी मर्जी से आप किसी भी अध्यापक को वहां नहीं लगा सकते।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

सरपंच ने अगर कह दिया कि मेरे बोर्ड का या गांव का रहने वाला यह आदमी है, मैं इसके अन्दर अध्यापक लगाऊंगा, उस बात पर भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने कह दिया है कि यह पब्लिक फण्ड है, यह कोई प्राइवेट सर्विस नहीं है। इसके लिए आपको गांव के अन्दर सूचना निकालनी पड़ेगी, आपको यह कहना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा जो शिक्षित आदमी है वह अगर लगना चाहता है तो उसको लगाना पड़ेगा। यही कारण है कि एक और योजना बनाई हुई थी कि 5-10 हजार राजीव गांधी पाठशालाएं और खोलेंगे और एक प्रकार से मनमर्जी के अनुसार गांव में हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्त्ताओं को लगा सकेंगे। उस बात में एक रुकावट पैदा हो गई है और आप इस पर विचार करने जा रहे हैं कि इस बाधा से किस प्रकार से आगे आया जाए। यह बाधा एक ही तरीके से निपटायी जा सकती है कि आपको जो बेरोजगार शिक्षित, एस.टी.सी. ट्रेंड और बी.एड. जो अध्यापक मिल रहे हैं गांवों में, उनको लगाकर वापस उसी शिक्षा के आधार पर पुराना स्तर कायम करना चाहिए।

मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अन्दर ऐसा कोई भी ग्राम पंचायत मुख्यालय नहीं था जहां पर उच्च प्राथमिक विद्यालय नहीं खोला गया हो। जबकि आज स्थिति यह है कि पिछले दो सत्रों के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र फलौदी के अन्दर एक भी उच्च प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत नहीं किया, न किसी माध्यमिक विद्यालय को सीनियर माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया। यह स्थिति है उस क्षेत्र में जहां 232 गांव पिछले लगातार तीन साल से अकाल पीड़ित हैं। जोधपुर से सौ-डेढ़ सौ किलोमीटर दूरी पर गांवों में आने-जाने में बाधा उत्पन्न हो रही है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, जुलाई, 1999 के अन्दर फलौदी में महाविद्यालय की स्थापना की, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पर जुलाई, 1999 के बाद की क्या स्थिति है? आज वहां पर राज्य सरकार की तरफ से महाविद्यालय चलाने के लिए कोई बिल्डिंग नहीं है। आई.टी.आई. संस्था के पांच कमरे लेकर केवल फर्श के ऊपर बैठ कर विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। कोई वहां पर फर्नीचर की व्यवस्था नहीं है, कोई विज्ञान की प्रयोगशाला और प्रयोगशाला सामग्री उपलब्ध नहीं है। व्याख्याता वहां पर लगा हुआ है नहीं। यह स्थिति दो साल का समय निकलने के बाद भी। महाविद्यालय खोल कर आपने वहां जो भर्ती हुए थे करीब डेढ़ सौ विद्यार्थी, उन विद्यार्थियों का भविष्य अंधकार में डाल दिया। ऐसी स्थिति में मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जहां पर आपने महाविद्यालय खोला वहां पर बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख कर जल्दी से जल्दी व्याख्याता लगाया जाए। फर्नीचर और प्रयोगशाला का जो भी सामान है, उसकी व्यवस्था की जाए।

(श्री रामनारायण विश्नोई)

बिल्डिंग बनाने के लिए राज्य सरकार की तरफ से बराबर बजट उपलब्ध करवा कर इस महाविद्यालय को सुचारू रूप से चलाने की व्यवस्था करें।

मान्यवर, मैं आपसे इसी संबंध में एक निवेदन और करना चाहता हूं। पिछले सत्र में भी बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा था लोक जुम्बिश योजना के बारे में। ग्रामीण क्षेत्रों में 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे और बच्चियों जो स्कूल में जाने से वंचित रह गये थे, उनको 1995 से लेकर 1997-98, '99 तक चिह्नित करके लोक जुम्बिश योजना के अन्दर लिया गया था। प्राइमरी स्कूल के अन्दर या आज के राजीव गांधी स्कूलों में प्राइमरी शिक्षा 3-3, 4-4 सालों में जो पास किया करते थे उनको 6-6 महीने लोक जुम्बिश योजना में प्राइमरी स्तर तक शिक्षा देकर बच्चों को तैयार किया गया था। जिन खण्डों के अन्दर लोक जुम्बिश की परियोजना चलती थी वहां के सब लोगों ने इसकी सराहना की थी। बीच में आपने अपनी हठधर्मी की वजह से लोक जुम्बिश योजना को बंद करने की कोशिश की। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बारे में वापस केन्द्र सरकार की तरफ से और डी.एफ.ई.डी. की तरफ से पैसा आया है, इस दफा चार सौ करोड़ रुपये उसके ऊपर खर्च होंगे। उसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों के अन्दर जो बच्चे और बच्चियां स्कूल नहीं जा सकी थीं, समय पर स्कूलों में उन्होंने वापस शिक्षा ग्रहण करनी शुरू कर दी है।

मान्यवर, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, इस पर विचार आवश्यक है। इसके लिए कौंसिल फार हायर एजुकेशन की स्थापना करके आप इसमें आगे बढें। वर्तमान समय में जिस प्रकार से टैक्निकल एजुकेशन बढ़ रही है उसके स्तर को हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए आपकी कोशिश होनी चाहिए।

मैं इस समय आपका ज्यादा समय नहीं लेकर, मान्यवर, एक निवेदन करना चाहूंगा कि शिक्षा विभाग के अन्दर आपकी सरकार आने के बाद के दो साल में बिना सोचे-समझे और लॉ डिपार्टमैंट से राय किये बिना जो-जो भी निर्णय आपने लिए हैं उन निर्णयों से अदालतों में विवाद बढ़े हैं। चाहे ट्रांसफर के मामले हों, चाहे डी.पी.सी. के प्रमोशन के मामले हों, चाहे किसी भी प्रकार के और दूसरे मामले हों, उन विवादों में 60-70% मुकदमों में उच्च न्यायालय की तरफ से आपको हार का मुंह देखना पड़ा। इससे बहुत बुरा असर पड़ता है डिपार्टमैंट के अन्दर। इसलिए मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप कोई भी कदम उठाएं शिक्षा के जगत के अन्दर, सोच-विचार कर कानूनी सलाह लेकर उठाएं। संवैधानिक धाराओं के मुताबिक अगर आपका वह कदम सही नहीं उतरता है तो उसमें आप अपनी हठधर्मी करके निर्णय लेने का कार्य बंद करें। मेरा आपसे यही निवेदन है, धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी पार्टी को समय दिया है, केवल 5-5 मिनट का समय दीजिये।

श्री कन्हैया लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मात्र तीन मिनट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र की मैं बात कहना चाह रहा था, मैं वैसे ही नहीं बोलता हूं।

श्री हीरासिंह चौहान : केवल 5-5 मिनट ही दीजिये, हमारी समस्या है।

श्री उपाध्यक्ष : आपके एक माननीय सदस्य ने एक घंटा और 10 मिनट लिया है।

श्री कन्हैया लाल : मैं कभी बोलता ही नहीं हूं वैसे भी।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, इसका कोई कारण नहीं होता है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये। प्लीज।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे अपने एरिये की समस्या है जिसको हम कहेंगे। पार्टी की ओर से नाम दिया गया है, पांच मिनट लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : अलाउ किया उन्हें जिनका नाम नहीं था। मैंने रिक्वैस्ट की उनको बोलने के लिए।

श्री सी. पी. जोशी : बाद में बोल लेना।

श्री कन्हैया लाल : मैं मेरे क्षेत्र की बात बता रहा हूं, खाली तीन मिनट दे दें हमको।

श्री हीरासिंह चौहान : माननीय उपाध्यक्षजी, केवल पांच मिनट चाहिए मुझे। माननीय उपाध्यक्षजी, सत्ता पक्ष से नाम नहीं आया तो हमको नहीं बुलाया जा रहा है। उधर से नाम होता तो हमको भी बुला लिया जाता। यह कोई कारण नहीं होता है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, (व्यवधान)... 10 मिनट और लग जाएंगे। 10 मिनट और हम लेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सबसे अधिक बोलते हो। ये रामनारायणजी कभी बोलते नहीं हैं इसलिए मैंने इनसे रिक्वैस्ट की।

श्री हीरासिंह चौहान : नहीं, नहीं, अधिक बोलने का नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रिक्वैस्ट की है, आपने नहीं की। मैंने रिक्वैस्ट की है कि आप बोले।

श्री हीरासिंह चौहान : हमारे पाली जिले में घपला हो रखा है, जिला परिषद् को नैगेटिव कर रखा है। जिस प्रकार से हालात खराब किये हैं उनको मैं यहां नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा?

श्री सी. पी. जोशी : परसों बोलना, परसों।

श्री उपाध्यक्ष : और अवसर आएंगे आपके पास। और अवसर आएंगे आपको बोलने के लिए।

श्री सी. पी. जोशी : परसों बोल लेना, परसों। परसों बोल लेना पंचायतीराज की डिमाण्ड पर।

श्री हीरासिंह चौहान : परसों किस पर बोलेंगे ?

श्री सी. पी. जोशी : पंचायतीराज की डिमाण्ड पर बोल लेना।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोल लेना। एप्रोप्रिएशन बिल, फाइनेंस बिल बहुत अवसर हैं। माननीय मंत्रीजी।

श्री हीरासिंह चौहान : ...(व्यवधान) जिला परिषद् में जो भी व्यवस्था है वह सारी बेकार पड़ी है।

श्री कन्हैया लाल : आदिवासियों के साथ अन्याय है यह तो। एक अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति...

श्री सी. पी. जोशी (शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये। मैं उन सभी माननीय सदस्यों का भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने आज के वाद-विवाद में भाग लिया। मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि वाद-विवाद में भाग लेने वाले भूतपूर्व सरकार के शिक्षा मंत्री भी हैं, भूतपूर्व उच्च शिक्ष मंत्री भी हैं। मैं समझता था कि अभी तक जो हम कार्यवाही कर रहे थे उसके संबंध में वे हमारा मार्गदर्शन करेंगे और उनके अनुभवों का लाभ लेकर हम राजस्थान में शिक्षा के परिदृश्य को बदलने की कोशिश करेंगे। पर, मान्यवर, आप जानते हैं कि एक गिलास में यदि आधा गिलास पानी भरा हो तो एक व्यक्ति कह सकता है कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है और दूसरा व्यक्ति कह सकता है कि आधा गिलास खाली है। मुझे तकलीफ इसी बात की है कि हमारे विपक्ष के सदस्य यह कहते हैं कि आधा गिलास खाली है। मैं उन लोगों में हूं जो कहता हूं कि आधा गिलास पानी भरा हुआ है। हमने ढाई साल में जो कार्य किये उनकी यदि हम सही ढंग से व्याख्या करें तो बहुत सी भ्रांतियों का निराकरण हो जाएगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात प्रारम्भ करने से पहले इकानामिक टाइम्स का एक एडीटोरियल है उस पर खास तौर से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सभी माननीय सदस्यों का। इसलिए कहना चाहता हूं कि इस नयी सदी में हम इन चीजों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो शिक्षा के क्षेत्र में हम कितनी ही आदर्श बातें कर लें, आने वाले समय में उन चीजों के संबंध में हम सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। 50 साल पहले किसी ने भी आई.टी.आई. में पालीटैक्निक में, इंजीनियरिंग कालेज में ड्राइवर की ट्रेनिंग नहीं ली थी। किसी ने प्रिंटर्स की ट्रेनिंग नहीं ली थी, किसी ने गार्डनर की ट्रेनिंग नहीं ली थी। लेकिन जैसे ही गाड़ियां आयीं, लोगों ने ड्राइविंग सीखी। ड्राइवर की उनको नौकरी मिल गयी और लोग जॉब के साथ लग गये। जो अच्छे पढ़ने वाले थे वे बाहर जाकर विश्वविद्यालय में पढ़े और आगे जाकर विश्वविद्यालय की शिक्षा का लाभ लेकर समाज को उन्होंने लाभ दिया। आज 50 साल बाद हमें नये सिरे से सोचने की आवश्यकता है जब

(श्री सी.पी. जोशी)

सरकार की नौकरियों की व्यवस्था कम होती जा रही है। चाहे स्टेट राजस्थान हो, चाहे दिल्ली की सरकार हो, अब नयी जॉब अपर्चुनिटी क्रियेट नहीं कर सकती, लोगों को जॉब की व्यवस्था नहीं कर सकती। दूसरी तरफ जितने भी माननीय सदस्य हैं उनके मन में कल्पना है कि हमारे यहां कालेज खुलना चाहिए, टोडाभीम में भी कालेज खुलना चाहिए, नगर में भी खुलना चाहिए, बहरोड़ में भी खुलना चाहिए। लेकिन, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कालेज खोलने की जो मन में कल्पना लेकर चल रहे हैं उनको आगे आने वाले 50 साल के परिदृश्य की कल्पना नहीं है। इसलिए मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो एक वोकेशनल लर्निंग का एक एडीटोरियल लिखा है इकानामिक टाइम्स में, आपकी परमिशन हो तो उसको पढ़ देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर चर्चा की जाए। उसके आधार पर हम चर्चा करें और उसके बाद हम निर्णय करें तो, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम इस डिबेट की सार्थकता को ठीक ढंग से कर सकेंगे। इसलिए मैं आपकी परमिशन से इसको कोट करना चाहता हूं।

"It used to be assumed that education was a passport to employment but no longer. Statistics reveal that the higher the education, the greater are the chances of being unemployed in India. Yet, many pursue learning, ostensibly because it costs so little. Job market analysis say that while there are shortage of middle level technically qualified supervisors, there is an overwhelming glut of those trained in arts, commerce and science." यह पूरा एक आर्टिकल मैंने मेंशन किया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्लानिंग कमीशन है उसने भी एक बात कही है, जिस पर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। "The Ninth Plan document recognises the reason as high private rates of returns on higher education, to a large extent resulting from low private costs. The plan document had also noted that while shortages of middle level technical and supervisory skills are often experienced, graduates and post-graduates in arts, commerce and science constitute a large proportion of the educated unemployed." उपाध्यक्ष महोदय, 50 साल बाद हम राजस्थान के संदर्भ में स्टेटिस्टिक्स को कलैक्ट करके देखें— मैंने आंकड़े इक्ट्ठे करके देखे हैं तो एस.सी., एस.टी. और माइनोरिटी के लड़के जो कालेज में पढ़ रहे हैं बी.ए., बी.काम., बी.एससी. में, उनके मन में कल्पना नहीं है। उनके मां-बाप जो उनको पढ़ा रहे हैं

(श्री सी.पी.जोशी)

उनके मन में कल्पना नहीं है कि अगले 10 साल बाद जो लड़का बी.ए., बी.क़ाम., बी.एससी. की डिग्री लेकर जाएगा, उसका भविष्य क्या होगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारी सरकार की क्या मंशा है, आने वाले समय में नौजवान पीढ़ी के सामने जॉब की अपर्चुनिटी है के संबंध में जो चुनौतियां हैं हम शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन नहीं करेंगे तो सीमित संसाधनों से हम अपनी जिम्मेदारी का ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर पाएंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी है इस बात की और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सभी लोगों को जिन्होंने राजस्थान में साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने में अपना योगदान दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी देना चाहता हूं, उन अध्यापकों को भी देना चाहता हूं, एन.एफ.ई. के लोगों को भी देना चाहता हूं जिन्होंने साक्षरता के क्षेत्र में राजस्थान को आगे बढ़ाया। राजस्थान साक्षरता के क्षेत्र में हिन्दुस्तान में आगे बढ़ा, गर्ल्स लिटरेसी में हम आगे बढ़े। उपाध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष के माननीय नेता के सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। आंकड़े इसलिए रखना चाहता हूं कि एक तरफ तो हम यह कहते हैं कि साक्षरता के प्रतिशत को बढ़ाने में हमारी भूमिका रही है। जिन आधारों पर हम बनना चाहते हैं उन आधारों पर हम जो काम कर रहे हैं उनके संबंध में भी चर्चा की जानी चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, यह कहा गया कि 1993 में 99 तक जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब प्राइमरी स्कूल खुले कुल 6061 और हमारी सरकार बनी उसके बाद हमने राजीव गांधी पाठशालाओं का अभिनव प्रयोग किया। राजीव गांधी पाठशालाओं के लिए इनके मन में कल्पना यह है कि राजीव गांधी पाठशालाएं केवल पहली और दूसरी की है। राजीव गांधी पाठशालाएं पहली-दूसरी की नहीं हैं, राजीव गांधी पाठशालाएं पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी और पांचवीं तक हैं और आने वाले समय में पांच साल बाद ये राजीव गांधी स्वर्ण जयंती प्राथमिक पाठशालाएं कहलाएंगी। इसलिए हमने इसको बड़े ढंग से आगे बढ़ाया है। 2 साल में हमने इस प्रयोग को प्रारम्भ किया, इसके पीछे मंशा यह है।

उपाध्यक्ष महोदय, इनका एक आंकड़ा यह भी है कि पांच साल में हमने मिडल स्कूल खोले 3481 हमने दो साल में 2000 मिडल स्कूल खोले। जो सीनियर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल खोले उनके संबंध में अभी डाक्टर साहब ने निवेदन किया था कि उनके समय में 1994 से 98 तक 730 सैकण्डरी स्कूल खुले, 505 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल खुले। हमने खोले हैं 600 सैकण्डरी स्कूल और 400 सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल। यदि हम एक आधार माने, यदि स्कूल खोलने से साक्षरता बढ़ी तो इन आंकड़ों को कम्पेयर कर लें।

लेकिन मैं इन आंकड़ों पर नहीं जाना चाहता। मैं दूसरे आंकड़े पर आना चाहता

(श्री सी.पी.जोशी)

हूं। दूसरा आंकड़ा यह हो सकता है कि हमने इंटरवेंशन किया। इंटरवेंशन किया शिक्षाकर्मी का, एन.एफ.ई. का, लोक जुम्बिश का। ये तीन इंटरवेंशन बी.जे.पी. के राज में हुए हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आंकड़ा देना चाहूंगा कि बी.जे.पी. के राज में शिक्षाकर्मी में जो पैसा खर्च हुआ है वह 93.33 करोड़ रुपया खर्च हुआ है। लोक जुम्बिश के सैकण्ड फेज में खर्च हुआ है। 130.67 करोड़ रुपया और एन.एफ.ई. में खर्च हुआ है 25 करोड़ रुपया। कुल खर्च हुआ है 249 करोड़ रुपया। जिसके आधार पर साक्षरता में हमारा कंट्रीब्यूशन है, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम अगले पांच साल में जो खर्चा कर रहे हैं वह है 782.38 करोड़ रुपये डी.पी.ई.पी. में। लोक जुम्बिश के थर्ड फेज में हम खर्च करेंगे 395 करोड़ रुपये और शिक्षाकर्मी में हम खर्च करेंगे 164 करोड़ रुपये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मंत्री महोदय, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं पर मुझे दुःख इस बात का है कि यह जो आप खर्चा करने वाले हैं इसको गिना कर आप ढाई साल का अपना पाप नहीं धो सकते हो।

श्री सी. पी. जोशी : आप मेरी पूरी बात समझो फिर बोलना। आप समझ ही नहीं रहे हो। मैं तो आपको कह रहा हूं कि जिस आधार पर आप श्रेय लेना चाहते हैं कि साक्षरता को पिछले पांच साल में हमने बढ़ाया, वह श्रेय हमें मिलना चाहिये। उस आधार पर बताना चाहते हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं आपको यही कह रहा हूं कि यह जो आप बता रहे हैं कि लोक जुम्बिश, शिक्षाकर्मी, डी.पी.ई.पी. यह जो पीरियड था यह बेकार चला गया, इसमें काम नहीं हुआ, अब आप आगे के प्लान को बता कर हमको समझाइए।

श्री सी. पी. जोशी : मैं वही तो कह रहा हूं, और क्या कह रहा हूं? मैं यही कह रहा हूं कि पिछले पांच साल में आपके समय में शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुआ उसमें क्या-क्या चीजें नहीं हुई जिसके आधार पर हम कह रहे हैं कि हमने शिक्षा में आगे बढ़ाया। एक काम जैसा मैंने बताया कि आपने स्कूल खोले, दूसरा काम हो सकता है इंटरवेंशन किया हमने शिक्षाकर्मी का किया, लोक जुम्बिश का किया। ये जो आधार हो सकते हैं इनको आधार माने तो हम अगले पांच साल में जो करेंगे उसमें इतना ज्यादा खर्च होगा। आप अभी श्रेय ले रहे हैं 704 करोड़ रुपये का, हम आगे के पांच साल में क्या करेंगे, यह तो बताना पड़ेगा। पिछले पांच साल में एक्सटर्नल एजेंसी से जो पैसा खर्च हुआ है वह अमाउंट है केवल मात्र 249 करोड़ रुपये और हमारे टाइम में जो एक्सटर्नल एजेंसी से खर्च होगा जिसमें डी.पी.ई.पी. का भी सम्मिलित है, जिसमें लोक जुम्बिश का थर्ड फेज भी सम्मिलित है, जिसमें शिक्षाकर्मी का फेज भी सम्मिलित है, उसमें कुल खर्चा होगा 1342 करोड़ रुपये। अगले तीन साल में जो परिप्रेक्ष्य बदलने वाले हैं उसकी कल्पना आपको इस आधार पर करनी पड़ेगी।

(श्री सी.पी.जोशी)

249 करोड़ का श्रेय भी लेना चाहते हैं, स्कूल खोलने के नाम पर भी आप श्रेय लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं तीसरी बात और कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि यह जो राजीव गांधी पाठशाला का प्रयोग है वह प्रयोग खराब है। मुझे कहते हुए तकलीफ है। गुलाब चन्दजी कटारिया कमिटेड पार्टी के वर्कर हैं, अच्छे नेता हैं, उसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जो राजीव गांधी पाठशाला का हमने प्रयोग किया तब हमें जानकारी नहीं थी, हमने जानकारी उपलब्ध की वह जानकारी आपके सामने रखना चाहता हूं। आसाम में यह प्रोग्राम चल रहा है, केरल में यह प्रोग्राम चल रहा है, मध्य प्रदेश में यह प्रोग्राम चल रहा है, महाराष्ट्र में यह कार्यक्रम चल रहा है, उड़ीसा में यह कार्यक्रम चल रहा है और उत्तर प्रदेश में जहां इनकी सरकार है, वहां यह प्रोग्राम चल रहा है, वैस्ट बंगाल में यह कार्यक्रम चल रहा है।

राजीव गांधी पाठशाला में कितने क्वालिफाइड आदमी हैं मैं यह भी बताना चाहता हूं। राजीव गांधी पाठशाला में 11847 आदमी लगे हुए हैं उनकी संख्या बताना चाहता हूं। एम.एड. पास हैं 2 लड़के, बी.एड. पास हैं 1374 लड़के। बी.एससी. और एस.टी.सी. पास हैं 293 लड़के, अधिस्नातक हैं 514 लड़के, स्नातक हैं 3325 लड़के, सीनियर हायर सैकण्डरी हैं 4439 लड़के और सैकण्डरी हैं 1959 लड़के और 8वीं पास लड़के हैं 1610. उपाध्यक्ष महोदय, ये 1610 लड़के कहां से हैं, मैं यह भी बताना चाहता हूं जिससे स्थिति साफ हो जाए। ये लड़के हैं बांसवाड़ा, बाड़मेर, डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, राजसमन्द, सिरोही और उदयपुर से। उपाध्यक्ष महोदय, हम यह कहना चाहते हैं कि 8वीं पास पढ़ा रहे हैं। अगर शिक्षा के साथ कम्पेरिजन कर रहे हैं, जब शिक्षाकर्मी योजना हमने लागू की, जिसके नाम से हम साक्षरता का श्रेय लेना चाहते हैं उसकी भी स्थिति सुन लो। 530 लड़के हैं स्नातक, 1730 लड़के हैं सीनियर हायर सैकण्डरी, 1600 लड़के हैं सैकण्डरी, 2288 लड़के 8वीं पास हैं और 208 लड़के 5वीं पास हैं। और ये कुल 6366 लड़के हैं, इनमें से 39 प्रतिशत लड़के 8वीं और 5वीं पास हैं। उसमें शिक्षा में कम्प्रोमाइज नहीं हुआ? उसमें क्वालिटी से कम्प्रोमाइज नहीं हुआ? क्वालिटी में कम्प्रोमाइज इसलिए हुआ कि राजीव गांधी का नाम जुड़ा हुआ है? इसलिए 8वीं पास से हम पढ़ा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, अभी फलौदी से आने वाले सदस्य ने कहा मैं गया था, सरपंच से पूछा, किस सरपंच से पूछा? हमने अभी कोई राजीव गांधी पाठशाला नहीं खोली है। आपके जमाने में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, पंचायत के चुने हुए सरपंच थे। कहते हैं कांग्रेसीकरण कर दिया, कांग्रेस के आदमियों को भर दिया तो क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता यह कहना चाहते हैं कि 9184 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का सरपंच था ही

(श्री सी.पी.जोशी)

नहीं? सभी सरपंच कांग्रेस के थे? हमने एक भी लिस्ट बनाकर नहीं दी है, जो पंचायत के पैरा टीचर्स का चयन किया है वह चयन किया है पंचायत के चुने हुए सरपंच ने और हमें कह दिया गया कि कांग्रेसीकरण कर दिया गया। पंचायती राज में हमारा कमिटमैंट ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं है कि पंचायती राज को एम्पावर करो। हमारा कमिटमैंट है, हमने पूछा भी नहीं कि पंचायती राज में किस पार्टी का आदमी है, किस का चयन करेगा और हमने निर्णय किया कि वह उस आदमी को चयन करने के लिए काम करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज गर्व के साथ कहना चाहता हूं, हमने सोशियलिज्म का काम किया है। हमने सोच-समझ कर फैसला किया। किसी भी पंचायत में, किसी भी पार्टी का चुना हुआ सरपंच हो, हमने कंडीशन डाल दी। नम्बर एक, एक किलोमीटर में स्कूल नहीं है, जिस वार्ड में यह स्कूल आइडेंटिफाई होगी उस वार्ड का जो करेक्टरस्टिक होगा उसी आदमी का पैरा टीचर होगा। मुझे कहते हुए आज गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी का चुना हुआ सरपंच भी होगा, कम्युनिस्ट पार्टी का चुना हुआ सरपंच होगा। हमने जो नियम और कानून बनाये, उनसे 10949 जो पैरा टीचर्स बनाये हैं, उसमें 6333 जो पैरा टीचर्स हैं वे एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी. के हैं। हमारे मन में कल्पना है कि गांव के गरीब आदमी की पढ़ाई की व्यवस्था कैसी होनी चाहिये। आज एक किलोमीटर का वार्ड कौनसा है, किसी पंचायत का एस.सी. का वार्ड है, किसी पंचायत का एस.टी. का वार्ड है जो पंचायत मुख्यालय से तीन किलोमीटर, चार किलोमीटर दूरी पर है, उसका बच्चा पढ़ने के लिए दो किलोमीटर नहीं जाएगा। पंचायत मुख्यालय पर 10वीं की स्कूल बनी हुई है, 12वीं की स्कूल बनी हुई है, पंचायत मुख्यालय पक्की सड़क से जुड़ा हुआ है, पंचायत मुख्यालय पर बिजली की व्यवस्था है वहां तो स्कूल चलेंगे लेकिन उस पंचायत के 2/3 भाग में रहने वाला जो हैण्डवर्क करने वाला आदमी है उसका बच्चा पढ़ने इसलिए नहीं जा सकता कि दो-तीन किलोमीटर की डिस्टेंस बढ़ी हुई है।

हमारा कमिटमैंट इस बात के लिए कि कैसे हम इस काम को करें। सभी माननीय सदस्य ने कहा कि कोर्ट ने फैसला कर दिया है। कोर्ट ने फैसला यह किया है, माननीय फलौदी से आने वाले सदस्य, कि आप वार्ड के राइडर को नहीं लगा सकते हैं। अब भी जो राजीव गांधी पाठशालाओं में चयन कर रहे हैं 7300 आदमियों का, 3300 आदमी सैकण्ड टीचर के कर रहे हैं, उसमें भी कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि अगर सरपंच एस.सी. का है तो पैरा टीचर भी एस.सी. का बनेगा। एस.सी. का आदमी राजस्थान का कोई भी आदमी आ सकता है। एस.टी. का कोई भी आदमी आ सकता है। अब जितने भी आदमी बनेंगे उसमें 66 परसेंट आदमी या तो एस.सी. के होंगे या एस.टी. के या ओ.बी.सी. के होंगे

(श्री सी.पी.जोशी)

क्योंकि हमारा कमिटमैंट है उनके प्रति। इसलिए कोर्ट ने भी उस फैसले को अपहोल्ड किया है।

हमने एक नया प्रयोग और किया है और वह प्रयोग यह किया है कि गांव में हमारी पढ़ी-लिखी बहन शादी करके चली जाती है, बी.ए. पास है। खूब अच्छी शादी करने के बाद उसका हसबैण्ड नौकरी कर रहा है शहर में, उसकी क्षमताओं का उपयोग नहीं हो रहा, उसकी शिक्षा का उपयोग नहीं हो रहा। इसलिए हमने फैसला किया है कि राजस्थान की 9184 अपर प्राइमरी स्कूल हैं पंचायत मुख्यालय की, वहां पढ़ाने का काम केवल मात्र पैरा फीमेल टीचर करेंगी। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि 9184 पैरा फीमेल टीचर का सलैक्शन भी पंचायत के माध्यम से करवा रहे हैं और अगले डेढ़ महीने में हम 30,000 आदमियों को माइण्ड ब्लोगलिंग बताना चाहता हूं कोई मन में कल्पना नहीं की होगी। कमिटमैंट किसी पार्टी का होता है, कमिटेड आदमी आर.एस.एस. का होता है, कमिटेड आदमी कम्युनिस्ट पार्टी का होता है, हमारा भी कमिटमैंट है सोशल कमिटमैंट। 30,000 आदमियों को हम ट्रेनिंग देंगे। एक दिन की ट्रेनिंग नहीं है। राजीव गांधी पाठशालाओं में जो लोग भर्ती हुए हैं उन लोगों ने दो बार ट्रेनिंग ली है, एक दिन से लगाकर 33 दिन तक रेजीडेंशियल ट्रेनिंग ली है। हमने खाने की व्यवस्था की है, पढ़ाने का काम किया है और उसके बाद वे पढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी तरह से 30,000 आदमी भी एक महीने की ट्रेनिंग लेंगे और ट्रेनिंग लेने के बाद पढ़ाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री हैं, वहां क्वालिफिकेशन क्या है? वहां पैरा टीचर की क्वालिफिकेशन केवल मैट्रिक है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य मंत्री दसवीं के लड़कों से पढ़ाने का काम करे तो उसका क्वालिफिकेशन का कम्प्रोमाइज नहीं होगा? वहां यह व्यवस्था नहीं होगी। राजस्थान में अगर यह फैसला करें तो क्या कम्प्रोमाइज कर देंगे? उड़ीसा में सरकार आपके साथ कालेबोरेशन कर रही है, उड़ीसा ने क्वालिफिकेशन कर रखी है? उड़ीसा ने क्वालिफिकेशन कर रखी है केवल दसवीं पास। हायर सैकण्डरी भी नहीं है। यह मैं उदाहरण देना चाहता हूं माननीय विपक्ष के उप नेता को जब कोई बात हम करें तो उस बात को समझ कर करें कि यह प्रयोग जो कर रहे हैं यह प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री भारत सरकार के, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम किया। यही डी.पी.ई.पी. लोक जुम्बिश और जितने भी इंटरवेंशन है उनको एक अम्ब्रेला में लाकर जहां ब्रिजगैप करना है उसका कार्यक्रम किया। उन आदमियों को कितना पैसा देंगे, उनकी क्वालिफिकेशन कितनी है, यह बात हम नहीं पूछते हैं। लेकिन एक सक्सैसफुल कार्यक्रम राजस्थान में लागू हो जाए राजस्थान के नौजवान मुख्य मंत्री के मन में कल्पना हो कि सन् 2003 तक राजस्थान को सम्पूर्ण साक्षर करना चाहते हैं और सम्पूर्ण साक्षर करने के लिए

(श्री सी.पी. जोशी)

एक तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तब मन में खतरा होता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो जाएगी। चयन में कोई लिस्ट कांग्रेस पार्टी कार्यालय से नहीं गई है। कांग्रेस के इतने एम.एल.ए. बैठे हुए हैं इतने मंत्री बैठे हुए हैं किसी ने पैरा टीचर के सलैक्शन की लिस्ट नहीं दी है। हमने पूरा भरोसा किया है पंचायत के चुने हुए प्रतिनिधियों पर क्योंकि हमारा कमिटमैंट है, पंचायती राज का हम एम्पावरमैंट करना चाहते हैं। इसलिए माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि यह कहना बहुत सरल है। आज राजीव गांधी पाठशाला के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी संख्या सात लाख के समथिंग हैं, हमने प्रवेशोत्सव से बढ़ाकर राजस्थान में लिटरेसी का प्रतिशत इतना ज्यादा कर लिया है पर ये सात लाख गांवों और ढाणियों में रहने वाले बच्चें हैं, ये पढ़ने के लिए आएंगे, यह व्यवस्था किसने की है? पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर किसी भी स्टेट ने, मैं वर्ड कह रहा हूं कि किसी भी स्टेट ने आज दिन तक स्कूल भवन का काम नहीं किया। मध्य प्रदेश की ई.जी.एस. स्कीम की हम बात करते हैं और दूसरी स्कीम को भी लागू करते हैं लेकिन राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश है जिसने राजीव गांधी पाठशाला खोली भी नहीं और आज के दिन हमने 10,000 भवन तो बना कर खड़े कर दिये। दो-ढाई साल में इतना बड़ा भवन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया राजीव गांधी पाठशाला में। हमारे सहाड़ा से आने वाले सदस्य ने कहा कि टी.एफ.सी. और यह कर दिया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए तकलीफ है, टी.एफ.सी. का पैसा कब आ गया था? टी.एफ.सी. का पैसा आपके जमाने में आ गया था। टी.एफ.सी. का पैसा आपके जमाने में कितना आया था? 200 करोड़ रुपये आया था। कहां खर्च हो गया था? सरपंच ने कच्ची सड़क बनाने के लिए, नाली बनाने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। हमें मालूम था इस पैसे का दुरुपयोग होगा। भ्रष्टाचार के कारण गांव-गांव के जो हालात बन गए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी की 33 सीटें आई हैं। उस पैसे का सदुपयोग कैसे हो, इसलिए हमने फैसला किया है कि राजीव गांधी पाठशाला बनेगी अकाल राहत में मजदूर करेंगे। किसी भी गांव में जाकर खड़े हो जाएं, आज राजीव गांधी पाठशाला का भवन वहां खड़ा होने लगता है, वहां पर बिल्डिंग बन जाती है, अच्छी बिल्डिंग बन जाती है। कितनी बिल्डिंग गिरी हुई हैं? वहां? भारतीय जनता पार्टी के किसी सरपंच ने शिकायत की? किसी ने की कि यहां बिल्डिंग खराब बनी है या गिर गई है? क्योंकि वहां हमने यह नहीं पूछा कि बनाने वाला सरपंच कांग्रेस का था। वह बी.जे.पी. का था जो भी सरपंच था पंचायत का चुना हुआ था, उसको हमने अधिकार दिया और उससे कहा कि स्कूल बिल्डिंग का भवन बनाए। हमने पोलिटिकल फैसला नहीं किया, हमने चुने हुए सरपंच के अधिकार को वंचित नहीं

(श्री सी.पी.जोशी)

किया, हमने बिल्डिंग बनाई है। उप नेता महोदय, 9184 पंचायतों में 10-15-25 दो हजार आपकी पार्टी के सरपंच भी होंगे, या तो उन्होंने भी भ्रष्टाचार किया है, उन्होंने बिल्डिंग ठीक नहीं बनाई है। अगर बिल्डिंग बनाई है तो हमारा कमिटमैंट हैं, उसको आपको कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा कि शार्ट पीरियड में हिन्दुस्तान के इतिहास में इस तरीके से पैसे का सदुपयोग करके हमने अकाल राहत के काम को विकास से जोड़कर उदाहरण खड़ा किया राजीव गांधी पाठशाला में। किसी भी बाहर के इलाके में खड़े होकर देख सकते हैं कि पढ़ाने का क्या काम कर रहे हैं। इसलिए हमारे मन में कल्पना है, हम कल्पना लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं पर आज हमने स्कूल नहीं खोले। हमारे माननीय विधायक जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, हमने स्कूल नहीं खोली। इस बार एक भी स्कूल नहीं खोली, एक भी सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली, एक भी हायर सैकण्डरी स्कूल नहीं खोली क्योंकि हमारा कमिटमैंट है हमें मालूम है कि वित्तीय संसाधनों की कमी होने के कारण पिछले दो साल में स्कूल खोले, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी स्कूल खोले, मिडल स्कूल खोले, हम अध्यापकों की व्यवस्था नहीं कर सके। इसलिए पहला कमिटमैंट बन जाता है हमारा कि सीनियर हायर सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी स्कूल में हम हैडमास्टर की व्यवस्था करें, सब्जैक्ट टीचर की व्यवस्था करें, फिर एक्सपांशन का काम आगे करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि हमने स्कूल खोलने का फैसला नहीं लेने के साथ-साथ यह भी फैसला किया है कि राजस्थान में 529 पद आर.पी.एस.सी. के माध्यम से हैडमास्टर के भरे जाएंगे। 1283 सब्जैक्ट टीचर के आर.पी.एस.सी. के माध्यम से भरे जाएंगे। इसके लिए रिक्वीजीशन दे दिया और जून तक यह रिक्वीजीशन पूरा हो जाएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो पूरी तैयारी की है मैं बताना चाहता हूं। माननीय कटारिया साहब गर्दन हिला रहे हैं इसलिए कहना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं कह रहा हूं, ढाई साल तो आपने योजना बनाने में गुजार दिये, यह कह रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आप पहले पूरी बात सुन लीजिये मेरी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ढाई साल में क्या किया, यह बताइये आप। आगे क्या करेंगे...(व्यवधान) ढाई साल में क्या हुआ, यह बताइये।

श्री सी. पी. जोशी : आप पेशेंस रखें, इतनी जल्दी नहीं है। अभी शिक्षा मंत्री के पद पर आने में टाइम लगेगा, अभी दो-तीन साल इंतजार करना पड़ेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : ढाई साल में क्या हुआ, वह भी हमको बता दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने 1999-2000 में स्कूल व्याख्याताओं के 2038 पद की डी.पी.सी. करवाई है। आपने कितनी कराई थी?

(श्री सी.पी.जोशी)

हमने 2038 लैक्चरर्स की डी.पी.सी. करवाई है और लोगों को लैक्चरर बनाकर, सब्जैक्ट प्रमोशन किया। हमने 1999-2000, 2000-2001 में द्वितीय श्रेणी के 4231 आदमियों की डी.पी.सी. करवाई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब, आप इकट्ठा पूछ लेना।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं प्रार्थना इनसे यह कह रहा हूं कि मैंने जो डी.पी.सी. की पिछले पांच सालों में उसको भी साफ पढ़ लो, उसके बाद आपको कुछ कहना हो तो मुझे कहना।

श्री सी. पी. जोशी : कह दूंगा, पांच साल बाद कर दूंगा अभी तो दो साल ही हुए हैं। पांच साल से कम्पेयर नहीं करें। पांच साल में भी बता देंगे, कोई भी आंकड़ा आपसे पीछे नहीं रहेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक डी.पी.सी. नहीं हुई है।

श्री सी. पी. जोशी : माननीय कटारिया साहब, कोई भी आंकड़ा आपसे पीछे नहीं रहेगा। अभी तो ढाई साल ही हुए हैं, ढाई साल के आप देख लीजिए, फिर बात करें अपन।

मैं कहना चाहता हूं कि लैक्चरर की डी.पी.सी. करने के बाद, 1283 आर.पी.एस.सी. की वेकेन्सी करने के बाद सारे स्कूल जो इंटीरियर में खोले हैं दो साल में, उनके सब्जैक्ट के टीचर हम भर देंगे, वहां पर टीचर की व्यवस्था हम कर देंगे। जैसा कि चाहते हैं कि स्कूल खोलने से पहले सब्जैक्ट टीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए, हम यह व्यवस्था सही ढंग से कर देंगे। इसी तरह से हमने 4231 सैकण्ड ग्रेड के टीचर को डी.पी.सी. से प्रमोट करके लगाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने इसी तरह से 2000-2001 में 476 और 1980 में 556 आदमियों को हैडमास्टर डी.पी.सी. से प्रमोट करके लगाया है। 666 प्रिंसिपल को डी.पी.सी. करके प्रमोट करके लगाया है। दो साल के मैंने आंकड़े बताये। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारे मन में भी कल्पना है। स्कूल खोल दें पर अध्यापक नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर की व्यवस्था नहीं है तो शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता।

माननीय कटारिया साहब, हमने क्वालिफिकेशन को एक साथ कम्प्रोमाइज कर दिया, पर हमें यह भी तो पूछना पड़ेगा कि हमने बाइस हजार टीचर को समानीकरण करके एलीमैंट्री सैटअप में लगाया। वह बाइस हजार टीचर क्लास में नहीं पढ़ा सकते। आज हमने कोशिश की है, आठवीं स्कूल के अन्तर्गत 1:6 का रेशो है। आज भी कुछ जगह नहीं है लेकिन हमने कोशिश की और कहते हुए प्रसन्नता है कि आज 1:5 के रेशो में हर यू.पी.एस. के अन्दर व्यवस्था करने की हमने चेष्टा की है। आपने अखबार में कहा, मंत्रीजी आप घोषणा करके गये, सब्जैक्ट टीचर की व्यवस्था नहीं है। मैंने घोषणा की थी मार्च में। अभी मैंने प्रारम्भ कर दिया, विभाग से मैंने फैसला करवा दिया। प्रक्रिया के अन्तर्गत अगली जुलाई में

(श्री सी.पी.जोशी)

राजस्थान की 9184 पंचायत मुख्यालयों की जितनी अपर प्राइमरी स्कूल हैं वहां पर सब्जैक्ट टीचर लगे। यह व्यवस्था हमने कर दी है। सिक्स टू एट के अन्दर व्यवस्था कर दी है। हमने व्यवस्था की है कि हैडमास्टर जो होगा यू.पी.एस. का उसका सलैक्शन करके लगाएंगे। और वह जो यू.पी.एस. का हैडमास्टर होगा, पंचायत के अन्दर जैसा आप कहते हैं निरीक्षण होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए, उस पंचायत के सुपरविजन का काम पंचायत का हैडमास्टर करेगा। यह भी निर्णय हमने लिया है।

मैं आपकी बातों से सहमत हूं। मैं यह नहीं कहता। आप मुझे एक भी उदाहरण दें। आपने भामाशाह का भी कार्यक्रम लागू किया, आपने गार्गी योजना लागू की, हमने भी कोशिश की। हमने उसको आगे बढ़ाया। हमने प्रियदर्शनी पुरस्कार लागू किया। एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. की महिला बच्ची आगे आती है उनको एवार्ड करने के लिए पांच हजार रुपये का प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया। हमने तीसरी, चौथी, पांचवीं में जो बच्चियां पढ़कर आएंगी, आठवीं की स्कूल में फर्स्ट बच्ची जो आएगी उसके लिए स्कालरशिप की व्यवस्था की। जो कदम आपने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए किये हैं उनको बढ़ाते हुए हम एक कदम आगे बढ़े हैं। राजस्थान में 9184 पैरा टीचर्स को पहली बार नैट के अन्दर लेकर काम करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय विपक्ष के नेता के मन में बात थी आपने बातें बतायीं। जितने उदाहरण दिये, जो-जो आपने बातें बतायीं, प्रमोशन में बेईमानी की, मान्यता में कमी हुई इसकी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े विभाग में गलती होगी, मैं मना नहीं करना चाहता। मैं आपको अधिकार देना चाहता हूं। माननीय कटारिया साहब, ढाई साल में आपका कोई पत्र मेरे पास नहीं आया, जिस पत्र में यह लिखा हो कि यह गड़बड़ी हुई, उस गड़बड़ी के बाद मैंने कोई कार्यवाही नहीं की हो तब तो मुझे दोष देना चाहिये। आप आज मुझे खड़ा करके कह दें कि इस विभाग में कोटा के अंदर एक उस्मान गनी का सलैक्शन पैरा टीचर में गलत हुआ है, राजस्थान के दस हजार पैरा टीचर्स का गलत हुआ? तो यह एबेरेशन से हम कोई जनरल फैसला करना चाहे, यह फैसला तो ठीक नहीं हो सकता।

आपने उदाहरण दिया कि भांकरोटा में यह हुआ है, स्वामी यह कह रहा है। जितने आपने उदाहरण दिये, मैं ईमानदारी से आपसे कहना चाहता हूं जैसा आपका कमिटमैंट है, हमारा भी कमिटमैंट है। हम किसी भ्रष्ट आदमी को प्रोजेक्ट नहीं करना चाहते। पर साइमलटेनियसली पोलिटिकल लिबरेज भी नहीं रहना चाहते। हम यहां पर तो आकर कह दें और ढाई साल में हम कभी बतावें नहीं, काम नहीं किया, वह नहीं किया।

(श्री सी.पी.जोशी)

माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत साहब बैठे हुए हैं, विपक्ष के सीनियर नेता हैं। मैं इनसे मिलता रहता हूं, इनसे प्रेरणा भी लेता रहता हूं। पर आज दिन तक यह नहीं लिखा कि बाली विधान सभा क्षेत्र में सैकण्डरी स्कूल खोलनी है, हायर सैकण्डरी स्कूल खोलनी चाहिये। मैं क्यों खोलूं? बाकी लैटर तो मुख्य मंत्री को लिखते हैं कि जौ की प्राइस क्या होगी, उसका क्या होगा। इसका लैटर भी उनको होगा। यह तो इनको अधिकार है, पर एक विधान सभा क्षेत्र का एम.एल.ए. होने के नाते इनके मन में कल्पना नहीं होनी चाहिये कि बाली में सैकण्डरी स्कूल कहां खुलनी चाहिये, हायर सैकण्डरी स्कूल कहां खुलनी चाहिये, मिडल स्कूल कहां खुलनी चाहिये? ढाई साल में यदि एक पत्र लिखा हो माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने, कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में यह स्कूल खुलनी चाहिये, तब तो मेरी समझ में आता है कि स्कूल खुलनी चाहिये। हम भी एबेरेशन में कह दें, बाली में स्कूल नहीं खुली। नहीं खुली, समझ में आता है। पर जो विपक्षी सदस्य हैं, हमारे पास आ रहे हैं, मिल रहे हैं, अपनी बात को कर रहे हैं, हमने उनका भी ध्यान रखा। वहां भी स्कूल खोली हमने। पोलिटिकल कंसल्टेन्सी से नहीं करना चाहते। लेकिन यहां पर डॉक में खड़ा करने के लिए हम कह दे कि विपक्ष के यहां पर नहीं खोली तो फिर तो जनता को यह भी बताना पड़ेगा कि जो विपक्ष का नेता है, वह जनता के प्रति कमिटेड नहीं है। क्योंकि आगे चुनाव लड़ना नहीं बाली से। वहां पर स्कूल खुले, नहीं खुले, हमें क्या मतलब है? हम यहां बात कहने किसलिए आते हैं? उपाध्यक्ष महोदय, ये भी बातें आत्मलोचन से करनी पड़ेंगी। यदि हम सरकार को डॉक में डालना चाहते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारी बनती है। उस जिम्मेदारी को मंत्री को भी लिख कर भेजे कि हमने अमुक तारीख को लैटर लिख कर भेजे, ये आपके यार्डस्टिक हैं, उन यार्डस्टिक के बाद आपने काम नहीं किया, तब समझ में आती है कि हमने गलती की। आज याचिका होती है, याचिका से प्रस्ताव आते है। याचिका होती है उसमें हमने मापदण्ड बना रखे हैं। हम पसन्द करें या नहीं करें, विपक्ष के साथी यदि याचिका लिख रहे हैं और वह काननू नियम में आता है तो हमें स्कूल खोलनी पड़ती है। इसलिए मैं समझता हूं कि आज हमने कोई पोलिटिकल कंसीडरेशन के आधार पर स्कूल खोलने का फैसला नहीं किया। हमने कोशिश यह की है कि जहां जस्टिफिकेशन हो। हम भी कोई साधु जमात के आदमी नहीं हैं, हम भी पोलिटिकल पार्टी के आदमी हैं। हमारी पार्टी सत्ता में आयी है, हमारा कार्यकर्ता हमसे आशा करता है, तो पोलिटिकल निर्णय करते हैं इतने बेईमान हैं। इतने साधु भी नहीं हैं कि हमें मालूम ही नहीं पड़े, स्कूल खोल दो। ऐसा क़ाम तो हम नहीं करते हैं। लेकिन पोलिटिकल निर्णय करते हैं, इसी लेवल पर करते हैं। जहां भी मापदण्ड के आधार पर स्कूल खुलना है वहां मापदण्ड के आधार पर

(श्री सी.पी. जोशी)

स्कूल खोलने में कोई राजनीतिक भेदभाव हम नहीं करेंगे। यह बात मैं झुंझुनूं से आने वाली माननीय सदस्या को कहना चाहता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम ऐसा नहीं करेंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक निवेदन करना चाहता हूं, अभी ग्रांट-इन-एड की बात की कटारिया साहब ने। सहाड़ा से आने वाले माननीय विधायक ने कहा कि प्राइवेट सैक्टर के साथ जुड़ना चाहिये। माननीय कटारिया साहब कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में यह होना चाहिये। मुझे कंट्राडिक्शन ही समझ में नहीं आया। आज भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है, अटल बिहारी वाजपेयीजी ने इंफ्रास्ट्रक्चर की कमेटी बनायी जिसमें रिपोर्ट आयी है। उस रिपोर्ट में क्या आधार बनाया है? उसमें आधार बनाया कि प्राइवेट सैक्टर के अंदर स्कूल को एजुकेशन के साथ जोड़ा जाए। माननीय कटारिया साहब, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं। आज का युग हम पसन्द करें या नहीं करें, वित्तीय संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। आप भी सत्ता में आ जाएं तो वित्तीय संसाधनों के कोष के आधार पर फैसले करने पड़ेंगे।

हमने किसी भी अनुदान की संस्था का अनुदान बन्द नहीं किया है। मैं फिगर देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन्होंने सैकण्डरी का फिगर दिया, मैं सैकण्डरी के फिगर को ही आधार बनाना चाहता हूं। आपने सैकण्डरी के फिगर में कहा कि 39 करोड़ रुपये हम दे रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इनके राज में 1994-99 में 20 करोड़ रुपये मिलते थे, फिर 21 करोड़ रुपये, फिर 26 करोड़ रुपये, फिर 33 करोड़ रुपये, फिर 35 करोड़ रुपये। 39 करोड़ रुपये का आंकड़ा तो हमारे जमाने में हुआ। 39 करोड़ से हम 40 करोड़ पर बढ़े हैं। यदि हमारे मन में करने का नहीं होता तो ग्रांट-इन-एड कम होने चाहिये थी। फिर ग्रांट-इन-एड ज्यादा क्यों हुई? हमने यह बात नहीं की। हमने जो कहा है वह यह कहा है कि जो ग्रांट-इन-एड के नियम हैं, उन नियमों में परिवर्तन करने का समय आ गया है। आज यदि ग्रांट-इन-एड के नियम में परिवर्तन नहीं करेंगे तो जैसा आपने कहा, मैं भी सहमत हूं, जो प्राइवेट संस्थाएं चला रहे हैं, उनको संस्थाएं चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे कोर्ट के फैसले आ रहे हों, चाहे और किसी कारण से आ रहे हों, उनको भी अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करना पड़ेगा। सरकार को भी ग्रांट-इन-एड के रूल में परिवर्तन करना पड़ेगा। अब नया कंसैप्ट आ गया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम यह बात कह सकते हैं कि क्वालिफाइड टीचर्स से हम कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम यह राइडर डाल सकते हैं कि वहां बी.ए., बी.एड. आदमी जरूर पढ़ाएंगे। हम यह राइडर डाल सकते हैं कि प्राइवेट कालेज में नेट-स्लेट लड़का ही पढ़ाएगा और उसकी

(श्री सी.पी.जोशी)

सर्विस कंडीशन क्या होगी? वेलफेयर स्टेट का जो काम था, जिसके कारण हमारी फाइनेंस पोजीशन इस तरह की बन गयी है, नये सर्विस रूल्स के संबंध में न केवल राजस्थान सरकार को सोचना पड़ेगा बल्कि प्राइवेट मैनेजमैंट को भी इस संबध में सोचना पड़ेगा। ये चर्चाएं उनके साथ बैठकर हमने की हैं। अब आप इसका हिसाब-किताब लगाकर तैयारी नहीं करेंगे तो आने वाले पांच सालों में ग्रांट कम होती जाएगी। आप अनुदान की बात करते रहें और उसको नहीं दे पाएं, वह कम होती रहे और इस तरह की बातें चलती रहें तो नये सिरे से इन प्राइवेट संस्थाओं को भी सचेत करना होगा कि वे अपने काम के तरीके में परिवर्तन करे। सरकार स्वयं उनके साथ बैठकर नियम और कानून में परिवर्तन करे जिससे इन कानूनों में परिवर्तन करके हम छूट दे सके तो वह आदमी पढ़ाने का काम भी कर सके, संस्थाओं को चलाने का काम भी कर सके। इस आधार पर हमने संस्थाओं के साथ काम करने का निर्णय लिया है। हमने किसी भी संस्था की ग्रांट-इन-एड बन्द नहीं की है, मैं यह बात यहां कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। मुझे मालूम है कि जिस हिसाब से आपने डिबेट को वाइण्ड-अप कराया है तो आपके मन में एक कल्पना है कि मैं इस डिबेट को जल्दी समाप्त करूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कालेज एजुकेशन के संबंध में बात नहीं कहूंगा या टैक्निकल एजुकेशन के संबंध में बात नहीं कहूंगा या कला, संस्कृति के संबंध में बात नहीं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अपनी मांग के संबंध में तो बोल दिया, बाकी मांगों के संबंध में नहीं बोला।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान में कालेज का जो परिदृश्य है उस पर ही ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं हमारे माननीय सदस्यों का। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में सरकारी कालेजों के संबंध में हमने जानकारी ली तो हमने कोशिश की और राजस्थान के जो हमारे बच्चे नैट और स्लेट कर रहे हैं, इनकी जानकारी हमने ली। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे पास इसका सैट अवेलेबल है। हमने कालेज में नैट-स्लेट पास लड़का जो क्वालिफाइड एग्जामिनेशन है लेक्चरर बनने का, उसकी संख्या के लिए हमने राजस्थान में एनरोलमैंट कराया। 3273 लड़के हैं। राजस्थान में 3,273 लड़के नैट स्लेट पास हैं जो यू.जी.सी. की क्वालिफिकेशन है, रिक्वायरमैंट है लेक्चरर की। आज 3,273 लड़कों की जॉब की जो अपर्चुनिटी हमारे नियम और कानून और संविधान में जितने भी अमेंडमैंट हुए उनसे इन लोगों को जाब की अपर्चुनिटी नहीं मिल सकती। या तो हम लोगों को फ्रस्टेट कर दें, पोस्टें क्रीएट ही नहीं करें या हम नये सिरे से सोचे कि कैसे इनके टेलेंट का हम उपयोग ले सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मन में कल्पना है। हमने पिछली बार भी सोची

(श्री सी.पी.जोशी)

थी, अब उसको लेजिटिमेट करना चाहते हैं, कानून के साथ जांच करवाना चाहते हैं कि कानूनी यह वैलिड रहता है कि नहीं रहता है, क्योंकि हम कोई भी निर्णय लेंगे वह जुडिशियल स्क्रूटनी में जाता है, हम दुबारा इस बात को सोच रहे हैं कि क्यों नहीं नये सिरे से एक नयी व्यवस्था का प्रारम्भ किया जाए। हम हर जगह पर चाहे वह कालेज हो, चाहे स्कूल हो रजिस्टर्ड सोसायटी बनाना चाहते हैं। जैसे आपके जमाने में मेडिकेयर रिलीफ सोसायटी रजिस्टर हुई, ठीक उसी पैटर्न पर हम स्कूल और कालेज के अंदर एक सोसायटी रजिस्टर करना चाहते हैं। सोसायटी रजिस्टर करने के बाद हमारे पास संसाधन नहीं हैं, हम लोगों को छूट देना चाहते हैं जो अपने कालेज के अंदर सब्जैक्ट खोलना चाहते हैं, अपने सब्जैक्ट के अंदर क्लास को अपग्रेड करना चाहते हैं, यू.जी. को पी.जी. में करना चाहते है। तो वह रजिस्टर्ड सोसायटी है उनको हम यह कानूनी अधिकार देना चाहते हैं कि क्वालिफाइड आदमी जो नैट स्लेट पास हो उसके साथ वह अपना वर्किंग रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करके जो कोर्ट ने अपहैल्ड कर रखा है उसके आधार पर पढ़ाने का काम करें। एम.एल.ए. अपने फण्ड से पैसा दे, दानदाता अपने फण्ड से पैसा दे। स्कूलों में सब्जैक्ट खोलना है, किसी कालेज को अपग्रेड करना है, कालेज में पी.जी. क्लासेज शुरू करनी हैं नये सिरे से ये चीजें सम्भव हैं कि नहीं, इस संबंध में हम कानून की व्यवस्था को एक्सप्लोर कर रहे हैं। हमारे मन में कल्पना है कि यदि यह ठीक हो जाता है तो हम राजस्थान में अपनी नौजवान पीढ़ी के लोगों की क्षमताओं का उपयोग लेकर वित्तीय संस्थानों की बाध्यता होने के बाद भी जस्टिफिकेशन कर सके, क्वालिफाइड टीचर से पढ़ा कर हम यह काम करें सके। कितनी कानून में इसकी स्क्रूटनी होगी, यह अभी मैं आपके सामने कमिट इसलिए नहीं करना चाहता कि हमें लॉ डिपार्टमैंट से वे करना पड़ेगा कि कितनी यह लॉ की दृष्टि से करेगी। लेकिन हमारे मन में कल्पना है कि हम किस तरह से इन चीजों को आगे बढ़ा सके।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कालेज खोलने का। मैं आपसे भी निवेदन करना चाहता हूं, इसी पैटर्न पर कोई भी दानदाता, कोई भी संस्था, कोई भी रजिस्टर्ड बाडी यदि कालेज स्टार्ट करना चाहती है, नैट स्लेट पास करने वाले लड़कों के साथ एक एग्रीमैंट करके जाना चाहती है तो तीन साल तक यदि आप काम करें, उसके बाद राजस्थान सरकार सोचेगी कि सरकार कालेज बनाएं कि नहीं। तीन साल तक आपको यह काम करना पड़ेगा। चाहे एम.एल.ए. फण्ड से करें, चाहे दानदाताओं से करें। हम जहां भी कालेज खोलना चाहे इन परिस्थितियों के बाद कालेज खोलना उन बच्चों के साथ अन्याय है। बी.ए., बी.एससी. की डिग्री की रेलेवेंसी नहीं है। उसके बाद भी आप समझते हैं कि वहां कालेज की उपादेयता है तो, माननीय

(श्री सी.पी.जोशी)

उपाध्यक्ष महोदय, हम इस व्यवस्था पर भी चर्चा कर सकते हैं।

डा. करण सिंह यादव : क्योंकि बी.ए. के बाद शादी हो जाती है। सबसे बड़ी उपादेयता है फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम। (व्यवधान)

श्री सी. पी. जोशी : आपको अधिकृत किया है, आप पैसा लेकर शुरू करिये।

डा. करण सिंह यादव : लड़कियां सिर्फ जॉब के लिए नहीं पढ़तीं, मंत्री महोदय।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपकी बात से सहमत हूं। आपको अधिकृत किया है, पैसा लाइये, रजिस्टर करिये, खोलिये। कौन मना कर रहा है? हम आपकी मदद करेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधनों की कमी के बाद मैं यहां कमिट कर दूं कि कालेज खुल जाएगा और कालेज नहीं खुल पाए, तब भी व्यवस्था ठीक नहीं है। इसलिए नये सिरे से हम इन संसाधनों की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत क्या व्यवस्थाएं कर सकते हैं, इस संबंध में मैंने एक उदाहरण देकर कहा है। न केवल कालेज के संबंध में, विषयों के संबंध में भी। आज राजस्थान में 1000 से ज्यादा स्कूल हैं जहां साइंस फैकल्टी नहीं है, कामर्स फैकल्टी नहीं है। गांव का आदमी साइंस नहीं पढ़ेगा, कामर्स नहीं पढ़ेगा। हम टैक्निकली कितनी बात कर पाएं, उसको लाभ नहीं मिल पाएगा। किसी न किसी तरह से वहां पर सीनियर हायर सैकण्डरी स्कूल में भी साइंस और कामर्स फैकल्टी खुल सके, इस व्यवस्था को करने के संबंध में भी हम विद्यालय समितियों को रजिस्टर करा कर इस काम को करना चाहते हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कटारिया साहब ने कहा कि आप कम्प्यूटर एजुकेशन चाहते हैं। माननीय, आप जब मंत्री थे तो मैंने पता लगाया, आपके जमाने में 137 कम्प्यूटर आये थे। आई.टी. की जो टैक्नोलोजी है, यह बहुत जल्दी ओब्सोलीट होती है। 486 आउटडेटेड हो गया। आज पेंटियम थ्री की जगह पेंटियम फोर आ गया। आज हमने सोच समझकर फैसला किया है कि राजस्थान सरकार के रिसोर्सेज डम्प नहीं हों, बंद नहीं हो जाएं। हमने वन टाइम कम्प्यूटर खरीद लिया, दो साल में कम्प्यूटर टैक्नोलोजी बदल गयी तो राजस्थान सरकार का सारा पैसा ब्लाक हो जाएगा। इसलिए हमने सोच समझकर निर्णय लिया है कि आई.टी. के क्षेत्र में मैन पावर को ट्रेण्ड करने के लिए हम प्राइवेट सैक्टर से नेगोशिएट करेंगे। हमने टैक्निकल बिड की, उसके बाद हमने फैसला किया। माननीय कटारिया साहब, पंजाब में कितना पैसा है, जाकर पता लगाना। कर्नाटक में कितना पैसा है, जाकर पता लगाना। तमिलनाडु में कितना पैसा है, पता लगाना। राजस्थान स्टेट जो है उस स्टेट का सबसे कम पैसा है। आज हम यह शून्य करेंगे। आज हमने कालेज में कम्प्यूटर एजुकेशन शून्य कर दी तो लड़के जो एमटेक और आई.सी के लिए पांच हजार, चार हजार रुपये लेकर जगह-जगह यह काम करवाने का काम कर रहे थे,

(श्री सी.पी.जोशी)

हमने यह खोल कर हमारा कमिटमैंट पूरा किया है कि राजस्थान का जो लड़का ग्रेजुएट है, बी.ए., बी.एससी., बी.काम. करके निकलेगा, वह जैसे हिन्दी, इंग्लिश पढ़कर जा रहा है उसी तरह से कम्प्यूटर का एक पेपर भी पास करके जाएगा। उसकी चाइस रहेगी कि बाद में वह क्या काम करेगा।

उपाध्यक्ष महोदय, एक स्कीम हमने और आगे हाथ में ली है। उपाध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं, मैंने आपको कोट किया है, आज जिस तरह की आई.टी. की सूचना उपलब्ध है जैसे गाड़ी आने के बाद चलाने वाला आदमी बिना बी.ई. डिग्री लिए गाड़ी चला रहा है, नयी गाड़ी चला रहा है और काम कर रहा है, ठीक उसी प्रकार नये युग में यदि बारहवीं पास लड़का हमारी आई.टी. की चीजों को समझ ले, उसको हम ट्रेण्ड कर सकें तो उनको उसका लाभ मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार आई.टी.आई. जितने भी राजस्थान में हैं उन आई.टी.आई. में प्राइवेट सैक्टर के साथ एक एग्रीमैंट करना चाहती है टेण्डर निकाल कर Because we want to be transparent. हमें किसी में इन्टरेस्ट नहीं है, किसी के साथ करें। कोई भी आई.टी. का सेंटर राजस्थान में अपने लोगों को ट्रेंड करे। हमारा जो टैक्निकल एजुकेशन का बोर्ड है वह एग्जाम लेगा उनका। वह सर्टिफिकेट पास कर लेगा तो सर्टिफिकेट पास वाला आदमी नौकरी कर सकेगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगले दो वर्ष में राजस्थान में कम से कम पांच हजार ऐसे नौजवानों की आवश्यकता है जो आई.टी. की ट्रेनिंग लेकर आएंगे और कम्प्यूटर एजुकेशन स्कूल के साथ इम्पार्ट कर सकेंगे। यह काम हम करना चाहते हैं। हम आई.टी. के अन्दर नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एक सर्टिफिकेट कोर्स, जिस सर्टिफिकेट कोर्स को चलाने के लिए प्राइवेट सैक्टर का आदमी अपने यहां सेंटर लगा सकेगा। वहां से पढ़ा-लिखा हुआ आदमी इस बोर्ड के एग्जामिनेशन की परीक्षा देकर यदि पास हो जाएगा तो उसको सर्टिफिकेट देकर हम एम्प्लायमैंट की अपर्चुनिटी को अवेल करेंगे। नौजवान पीढ़ी के लोगों में एक व्यवस्था करने का काम हम हमारे दिमाग में रखकर आगे बढ़ना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे विश्वास है, वित्तीय संसाधनों की कमी के बाद हमने टैक्निकल एजुकेशन के संबंध में कोशिश की है। अभी नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि सारे कालेज आपने जयपुर के अन्दर खोल दिये। उपाध्यक्ष महोदय, हमने जो नयी एन.ओ.सी. दी हैं उनमें अधिकांश कालेज जयपुर के बाहर हैं, राजस्थान के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के अन्दर।

मोहम्मद माहिर आजाद : मैंने केवल इंजीनियरिंग कालेज की बात की है। इंजीनियरिंग कालेज सारे जयपुर में, प्राइवेट सैक्टर में।

श्री सी. पी. जोशी : आप दो मिनट सुन लें। प्राइवेट सैक्टर की इंजीनियरिंग कालेज की जो नयी एन.ओ.सी. दी है हमने, वह एन.ओ.सी. राजस्थान के अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट के अन्दर है।

मोहम्मद माहिर आजाद : वह इसमें नहीं है। जो आपने दी उसी पर तो बोलेंगे हम।

श्री सी. पी. जोशी : अभी तो यह है, आगे जो एन.ओ.सी. है, मान्यवर, जो कालेज खुलेंगे तब बात करेंगे। हमारा काम एन.ओ.सी. देने का है। जो नयी एन.ओ.सी. दी है इंजीनियरिंग कालेज की उसमें हमने यह ध्यान रखा है कि कनसंट्रेशन एक डिस्ट्रिक्ट के अन्दर नहीं हो जाए। कोटा के अन्दर, झालावाड़ के अन्दर, उदयपुर के अन्दर, भरतपुर के अन्दर और झुंझुनूं के अन्दर, जिन-जिन डिस्ट्रिक्ट में लोग खोलना चाहते हैं वहां पर हमने हर जगह एन.ओ.सी. दी है जिससे प्राइवेट इंजीनियरिंग कालेज, जयपुर की जगह दूसरी जगह भी खुल सकें। यह व्यवस्था हमने पहले ही आपने जो कहा उसका ध्यान रख कर की है।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ बातें कटारियाजी ने कही हैं, उन्होंने जो कहा, निश्चित तौर पर उनको जानकारी देना जरूरी है। उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा कि लूणकरणसर में फर्जी भुगतान हुआ है। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैंने विभाग से जानकारी ली है। 13.04.2001 को पुलिस के अन्दर नौ आदमियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर दी है और हमने लिख दिया कि इस केस को परस्यू किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय कटारियाजी ने यह कहा कि आपने फीस इतनी बढ़ा दी, फीस बढ़ाने से बोर्ड में इतने लड़के कम हो गये। मैं तो आपको बहुत गम्भीर मानता हूं, मानता हूं कि आप आंकड़ों के बिना बात नहीं करते। उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंकड़ें मंगा कर देखे हैं। राजस्थान में 2000 में लड़के बैठे थे 4,96,839 और अभी 5,71,932 लड़के बैठे हैं। आपकी सूचना किस आंकड़ें से है मुझे जानकारी नहीं है कि फीस बढ़ने से बोर्ड में लड़के कम बैठे हैं। मैंने जो आंकड़े इक्ट्ठे किये हैं उनके अनुसार 1997 में हैं 4,31,759, 1998 में 4,78,634, 1999 में 5,01,636, 2000 में 4,96,839 और 2001 में 5,71,932। ये मैंने आंकड़ें इसलिए दिये हैं कि आपने यह कहा था कि बोर्ड में परीक्षा की फीस बढ़ने के कारण लड़के बोर्ड की परीक्षा में नहीं बैठ पाये, उनकी संख्या कम हो गयी। इसलिए मैंने आपकी जानकारी के लिए कहा कि हमारे पास जो सूचना उपलब्ध है उसमें यह नहीं लगता।

आपने दो-तीन केसों पर ध्यान आकर्षित किया। आपने कहा लोक जुम्बिश में जो डेयरी में एल.डी.सी. है उसके बारे में। मैं समझता हूं कि आप जिम्मेदार हैं, यह जो लेडी है यह पहले ही लोक जुम्बिश में काम कर रही थी। लोक जुम्बिश में काम करने के पहले, आपके

(श्री सी. पी. जोशी)

जमाने में पहले जब लोक जुम्बिश में सलैक्शन हुआ तब वह डेयरी में काम कर रही होगी। उसके बाद हमने लोक जुम्बिश में जब लिया है तो लोक जुम्बिश के अनुभव के आधार पर लिया। आज के दिन वह डेयरी से डाइरेक्ट लोक जुम्बिश में नहीं आयी है, डेयरी से लोक जुम्बिश में आपके समय ही इसका सलैक्शन हुआ है। उसी के आधार पर इसको रिक्रूटमैंट दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसको देख लेंगे।

ठीक इसी प्रकार आपने डा. गणेश निगम का नाम लिया है। यह भी लोक जुम्बिश का एम्प्लायी है हमारे समय से पहले ही। अभी तो लोक जुम्बिश के इन्टरव्यू हुए हैं, सलैक्शन मेरे पास आये नहीं हैं। लेकिन आपने स्पेसिफिक उदाहरण दिये हैं तो मेरा फर्ज बन जाता है कि आप जिस जिम्मेदारी से ये बातें कह रहे हैं, मैं उनकी जानकारी लेकर आपको भी सूचित कर दूं कि हमने इस तरह की नियुक्ति लोक जुम्बिश में नहीं की है। कोई एलडीसी. इस तरह बन जाए, यह काम हमने नहीं किया है। ये जो दोनों व्यक्ति हैं जिनके आपने नाम दिये हैं, ये पूर्व में लोक जुम्बिश के एम्प्लायी थे। यह लोक जुम्बिश के एम्प्लायी बने उसके पहले डेयरी में एलडीसी. होंगे, होंगे यह जानकारी मुझे नहीं है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मेरा कहना है कि लोक जुम्बिश में आप काम करे या मैं करूं, यह सारा लोक जुम्बिश का अपना सैटअप है। जब जानकारी में चीज आयी कि एक एलडीसी. डीईओ. की ग्रेड में आ गया, मेरे ध्यान में भी आता तो मैं भी इसको ध्यान से देखता। मगर कोई सीमा होती है। एक एलडीसी. जिसको एजुकेशन से कोई लेना-देना नहीं, बीएड. नहीं, कुछ नहीं, उसका चाहे किसी ने भी किसी लेवल पर किया, उसको देखने की आवश्यकता है। चाहे मेरे मंत्री रहते हुए किसी अधिकारी ने किया, चाहे आपके रहते हुए किया लेकिन इस विषय को जरूर देखा जाना चाहिए कि एक एलडीसी. डीईओ. की रैंक पर आकर लोक जुम्बिश में बैठ जाता है तो कहीं इसका पक्ष लेने वाला कोई व्यक्ति तो नहीं बैठा है जो इसको लाभ देने की दृष्टि से इन सीटों पर लाकर के बैठाता है? चाहे वह किसी के ही समय हो।

श्री सी. पी. जोशी : मैं समझता हूं कि लोक जुम्बिश के सलेक्शन में इतना लेटिट्यूड था, यही बोन आफ कंटेंशन था हमारे समय में।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, कटारिया साहब का बहुत जवाब दे दिया, इतने सदस्य बोले हैं इनका भी तो कोई जवाब दो।

मोहम्मद माहिर आजाद : हमारा जवाब तो दो, केवल कटारियाजी का जवाब दे रहे हो। हम बैठे हैं, एक घंटे से सुन रहे हैं।

श्री सी. पी. जोशी : आप रुको तो सही। यह भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं, उनके अनुभव का मैं लाभ लेकर और आगे बढ़ना चाहता हूं तो मेरा धर्म बनता है कि उनकी बातों का जवाब दूं। नहीं तो ऐसा लगेगा कि वह जो बात कह रहे हैं, उन बातों के संबंध में मैं खुद पार्टी हूं, बोल नहीं रहा हूं। इसका मतलब यह सब गलत बात हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे माननीय सदस्य भी लालायित हैं कि उन्होंने भी जो बात कही, इसका कुछ थोड़ा-बहुत जवाब मिले।

श्री सी. पी. जोशी : दूसरे माननीय सदस्यों का जवाब देने से पहले अंत में मैं माननीय कटारियाजी से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री रामस्वरूप : इनका कितना ही भला सोच लो, ये अपना भला नहीं सोच सकते। इसलिए आप तो हमारा ही भला सोचो, छोड़ो इनको।

श्री सी. पी. जोशी : भले या बुरे की बात नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, बड़ी सादड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं, आप हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे मन में वही कल्पना है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में कैसा परिवर्तन करें। आपको मैं अधिकार देता हूं कि जब भी आपको महसूस हो कि ये चीजें हो रही हैं, आप हमारे ध्यान में लाएं, हम निष्ठापूर्वक ईमानदारी से कोशिश करेंगे कि उनको करैक्ट करके शिक्षा का जो राजस्थान का टैम्पो बना हुआ है उसको हम खतम नहीं होने दें। 2003 तक सम्पूर्ण शिक्षा का जो लक्ष्य हासिल करने का है, उस काम को करेंगे।

आपने कुछ ध्यान आकृष्ट किया माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सम्बन्ध में। एक पेपर के सम्बन्ध में आपने कहा है। मैंने अभी जानकारी ली है। लेबोरेट्री से मैंने जांच करा कर मंगवायी हैं। वह क्वालिटी पेपर वहीं था। जो बातें मैं कह रहा हूं, बिना जानकारी के मैं नहीं कहूंगा। फिर भी आपके मन में कोई बात है तो उन चीजों पर ध्यान रख कर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कार्यक्रमों के अन्दर यदि कोई सुधार करने की आवश्यता है तो निश्चित तौर पर उसको भी करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, एक भ्रांति "भास्कर" अखबार में आ गयी तो मेरी ड्यूटी बन जाती है कि मैं उसका ध्यान आकर्षित करूं। पांचवीं क्लास तक की अखबार में, "भास्कर" में आयी है, यह स्थिति नहीं है। जो फैसला हुआ है वह यह हुआ है कि तीसरी, चौथी और पांचवीं में जो लड़का मेन एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है उसको एक सप्लीमैंट्री का और अधिकार मिलेगा। सप्लीमैंट्री के बाद फेल हो जाएगा तो फेल ही होगा। यह भ्रांति बन गयी है कि तीसरी, चौथी और पांचवीं में बिना परीक्षा के होंगे, यह नहीं है। केवल मात्र ड्राप आउट की रेट कम हो, उसको रिटेन करने के लिए हम...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : ऐसी स्थिति में आप बता दीजिये कि ड्राप आउट्स की रेट क्या है? क्लासवाइज बताइये। मतलब, प्राथमिक पाठशाला में, मिडल स्कूल में, मैट्रिक में कितने ड्राप आउट्स की संख्या है?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे डिटेल आप बताएंगे तो मेरे पास तो जो आंकड़ा है वह बता रहा हूं आपको।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपके पास आंकड़े सब हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूं।

श्री सी. पी. जोशी : नहीं, मेरे पास आंकड़े तो नहीं, आप मेरा टैस्ट लेना चाहते हैं। आप चाहते हो कि कोई आदमी आपके सामने बिना उसके नहीं निकले। आप चाहते हो कि डॉक में डाल कर बता सकूं। आप तो मेरे सीनियर हैं, 40 साल का अनुभव है, मैं आपसे काम्पीट नहीं करना चाहता।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : यदि आपके पास आंकड़े हों तो आप यह बता दीजिये कि ड्राप आउट्स में परसेंटेज कितना है?

श्री रामस्वरूप : आप कहो तो मेरे पास रखे हैं सारे आंकड़े।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो डिटेल आपने मांगी है, मैं निश्चित तौर पर आपको भिजवा दूंगा। जो ड्राप आउट्स की रेट है, आपने सही प्रश्न उठाया, हम राजीव गांधी पाठशाला में पैरा टीचर्स को कंफर्म करने की जो बात सोच रहे हैं, उसके पीछे हमारी मंशा है। आज राजस्थान में जो 100 में से 70 प्राइमरी स्कूल हैं उनमें पांचवीं क्लास में 30 का भी एवरेज नहीं है। 30 बच्चे भी पांचवीं क्लास में नहीं हैं। पहली क्लास में जो बच्चे हैं उनकी संख्या 65 से 70 है। पहली क्लास के बच्चों का ज्यादा होने का कारण, फिक्टीशियल एनरोलमैंट इसलिए भी है कि हमने पोषाहार के साथ जोड़ रखा है। पर, उपाध्यक्ष महोदय, पांचवीं क्लास में जो लड़का है उसका एवरेज 30 से ज्यादा नहीं आ रहा। पहली, दूसरी और तीसरी के छात्र, चौथी और पांचवीं के 70 स्कूलों में 40 और 45 का एवरेज है। दो टीचर हम लगाते हैं तो 12800/- रुपये में दो टीचर हम लगा रहे हैं। हमारी मंशा यह है कि किसी तरह से राजस्थान में पांचवीं क्लास में बच्चों का रीटेंशन है, हम पांच के ऊपर जाएं और कम से कम तीस बच्चे हों पांचवीं क्लास में तब आगे जाकर उसकी ड्राप आउट की रेट है उसको हम रिटेन करें।

(20.00 बजे)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह सवाल नहीं है सारी शिक्षा की एफिशिएंसी, आपके मैनेजमेंट की एफिशिएंसी इन पर डिपैण्ड करती है कि कोई पहली क्लास में भर्ती हो जाए वह पूरी शिक्षा प्राप्त करे इसीलिए मैंने पूछा है। ड्राप आउट की संख्या से इस बात का अन्दाजा लगाया जा सकता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में क्या कमी है। कोई चौथी में छोड़ जाए, कोई पांचवीं में छोड़ जाए, कोई छठी

(श्री भैरोंसिंह शेखावत)

क्लास में भी छोड़ दे और कोई मैट्रिक में छोड़ दे तो ड्राप आउट के आधार पर ही आपने जो कुछ भाषण दिया है उसका इवेल्युएशन हो सकता है कि हमारी शिक्षा पद्धति में कितना सुधार हुआ। ड्राप आउट की संख्या जितनी कम होगी उसी से इस बात का पता लगेगा।

श्री सी. पी. जोशी : विपक्ष के नेताजी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। इस ड्राप आउट की रेट को कम करने के लिए हमने पैरा टीचर का कंसैप्ट दिया है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इसीलिए पूछ रहा हूं कि ड्राप आउट की संख्या कितनी गिरी है?

श्री सी. पी. जोशी : Just now I don't have. अभी मेरे पास है नहीं यहां।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इसके बारे में मेरा एक सुझाव है। ड्राप आउट की जो संख्या आती है वह सही नहीं आती है। उसका कारण यह है कि हम पहले दिन के एडमिशन को लेकर संख्या को गिनते हैं, जबकि संख्या को अगर ठीक तरह से कैलकुलेट करें तो परीक्षा के समय करे कि वार्षिक परीक्षा में हमारे कितने बच्चे थे। हम सब लोग बढ़ा-चढ़ा कर फिगर बताकर अपने आपकी वाहवाही लूटना चाहते हैं। एक्चुअल फिगर आएगा वार्षिक परीक्षा में कि पहली क्लास में कितने बच्चे बैठे। आप और मैं तीस चालीस साल पहले पढ़े तब भी मुझे कभी याद नहीं है कि पहली क्लास का जो मेरा साथी था वह मेरे साथ पढ़ते-पढ़ते सातवीं तक नहीं आया हो। बहुत गिरते हैं। लेकिन इन आंकड़ों का मायाजाल है, इसके कारण से विभाग की छवि बिगड़ रही है। इस ड्राप आउट को लो आप परीक्षा के समय की संख्या के आधार पर, तब सही पकड़ में आएगा कि वास्तव में ड्राप आउट है या केवल मैनीपुलेट की हुई संख्या है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, माफ करना। ड्राप आउट के मामले में अभी आपने कटारियाजी का जवाब देते हुए बताया, मुझे याद नहीं इन्होंने कितनी संख्या बतायी थी कि इतने विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठ सकते। आपने कहा कि नहीं, परीक्षा में ज्यादा बैठे हैं। मैं आपसे एक जानकारी करना चाहूंगा कि हायर सैकण्डरी क्लासेज में कितने लड़के थे जिन्होंने एडमिशन लिया और कितने लड़कों ने परीक्षा दी?

श्री सी. पी. जोशी : Just now I don't have the figures.

श्री भैरोंसिंह शेखावत : फिगर नहीं है तो यह कहने की आवश्यकता भी नहीं है।

श्री सी. पी. जोशी : आवश्यकता है। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। I don't have figures here. वे फिगर कौनसे दिए हैं, इन्होंने जो फिगर दिए हैं वही हैं जो मैं दे रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : ...कि आज के आंकड़े जो आपने दिये हैं वे गलत हैं। आप इनकी फिगर ले लीजिए और कितने लड़कों ने एक्जामिनेशन दिया, यह फिगर दे दीजिए। मैं यह पूछना चाहता हूं कि मैट्रिक में या किसी भी क्लास में कितने लड़के थे, एडमिशन कितने लड़कों ने लिया और एग्जामिनेशन में कितने एपीयर हुए?

श्री सी. पी. जोशी : माननीय विपक्ष के नेताजी, आप जो बात कह रहे हैं आप उसको आधार मान लें जिन लड़कों ने एग्जाम दिये हैं। मेरे दोनों यार्डस्टिक ठीक हैं। मैंने जो यार्डस्टिक दिये हैं, वे वह हैं जो लोग बोर्ड की परीक्षा में बैठे हुए हैं, उसमें मैंने फिगर दिये हैं। यही माननीय कटारिया साहब ने कहा है। आप पूछो इनसे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह कहा होगा लेकिन मैं तो वह जानकारी करना चाहता हूं।

श्री सी. पी. जोशी : आपको जानकारी कल दे दूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, माहिर आजादजी ने दो बातें कही हैं उर्दू टीचर के सम्बन्ध में। उपाध्यक्ष महोदय, कुछ तो वहां पर कोर्ट केसेज हो गये हैं और जिस परीक्षा के संबंध में आपने निवेदन किया उसके सम्बन्ध में जानकारी यह है कि वह यूनिवर्सिटी है ही नहीं, इसलिए कुछ डिग्री जो हैं उनमें वैरीफिकेशन करने में प्राब्लम है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, उर्दू टीचर्स का रिक्रूटमैंट करने की हमारे मन में जो कल्पना है उसके पीछे मंशा यह थी कि राजस्थान का जो माइनोरिटी का लड़का है, राजस्थान की माइनोरिटी संस्थाओं से पढ़ता है उसको प्राथमिकता मिले। यदि हमने इसको खुली छुट दे दी तो बाहर का व्यक्ति जो डिग्री करके आएगा वहां पर भर्ती हो जाएगा और राजस्थान का माइनोरिटी का लड़का वहीं का वहीं रह जाएगा। हमारे रैगुलर टीचर हैं, जब बाहर के लड़के आ गये, ये आ गये उसको प्रिकाशन लेने के लिए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि जब तक हम उसकी डिग्री का वैलिडिटी चैक नहीं कर लें तब तक हम इस चक्कर में नहीं फंसेंगे। कल की डेट में फिक्टीशियस डिग्री के लोग उर्दू में आ जाएं, टीचर बन जाएं और माइनोरिटी के लोग सरकार पर आरोप लगाएं कि आपने ऐसे लोगों को भर्ती कर दिया, इसलिए कोर्ट के आर्डर और डिग्री का वैरीफिकेशन होने के बाद हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री जुगल काबरा : माननीय मंत्रीजी, राजस्थान में उर्दू के लिए बी.एड. चालू कर दीजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय शिक्षा मंत्रीजी, इसमें एक भी लड़का बाहर का नहीं है। ये डिग्रियां जरूर दूसरी होती हैं, इनके सेंटर राजस्थान में ही हैं। यहीं के मूल निवासी हैं, यहीं से ट्रेनिंग की है। ये

(मोहम्मद माहिर आजाद)

कोई बाहर पढ़कर नहीं आते। परीक्षा भी यहीं होती है। केवल सेंटर जैसे कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका सेंटर कहीं भी हो सकता है। यह भ्रांति आपके दिमाग में है, ये कहीं बाहर के नहीं हैं। यहां के मूल निवासी हैं, यहीं जन्म है। पहली से लेकर आगे यहीं पढ़े हैं आप वैरीफाई करवा लीजिए। उर्दू साफ्टवेयर कम्प्यूटर जो है उसके बारे में भी आप जरा बताएं।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, उर्दू साफ्टवेयर के सम्बन्ध में मुझे जानकारी दी है, मैं जानकारी लेने के बाद करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में एक बात मैं कला एवं संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मंत्रीजी आज यहां नहीं हैं। जिस माननीय सदस्यों ने कट मोशन दिये हैं, कला एवं संस्कृति की जो हमारी नीति बन रही है, इस विभाग का स्वर्ण जयंती का काम हमने किया, हमें 26 जनवरी को अवार्ड मिला है। कला एवं संस्कृति विभाग के सम्बन्ध में जिन माननीय सदस्यों ने अपनी बात रखी है, मैं आपकी भावनाओं से माननीय मंत्रीजी को अवगत कराऊंगा और कला एवं संस्कृति विभाग में हम कोशिश करेंगे, जो काम हो सकेंगे वे हम करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जो मांग संख्या है जिस पर मैंने प्रस्ताव रखा है, उसको पास किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्रीमती कमलाजी। (व्यवधान) आर्डर। अभी एक माननीय मंत्री और हैं।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मुझे तो इनसे पूछना है, उनसे नहीं पूछना है।

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लो आप भी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, एक सवाल उठा था, प्राइमरी एजुकेशन को आप पंचायत समिति में मानते हैं या पंचायत समिति से विदड्रा कर लिया गया है? यह एक पालिसी का मामला है, मैं यह जानना चाहता हूं। दूसरा, टीचर-स्टूडेंट रेशो आप जब कायम करते हैं तो उसमें पहली क्लास के लड़कों को, दूसरी क्लास के लड़कों को काउंट नहीं करते हैं। काउंट नहीं करते हो तो पहली क्लास में एडमिशन हो गया और लड़के आपने कहा कि उसमें 60 या 50 होते हैं और पांचवीं क्लास तक के जो लड़के हैं, उस स्कूल में डेढ़ सौ हो गये और तीसरी-चौथी-पांचवीं में वहां 70 लड़के हैं तो कौन पढ़ाएगा पहली और दूसरी क्लास हो? इसमें थोड़ा-सा स्पष्ट करें।

श्री सी. पी. जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, 73वें संशोधन के बाद 29 सब्जैक्ट्स

(श्री सी.पी.जोशी)

जिनमें प्राइमरी एजुकेशन ही नहीं, सैकण्डरी एजुकेशन तक पंचायती राज में ट्रांसफर होना है। यह हम चाहे या नहीं चाहे, संविधान की व्यवस्था है। अभी तो राजस्थान सरकार ने एलीमेंट्री एजुकेशन को ही ट्रांसफर किया है। उन नियमों में कमी के लिए आपने ध्यान आकर्षित किया है उसको ठीक करेंगे। पंचायती राज के अन्तर्गत ही है, पंचायती राज के सुपरविजन में ही काम होगा।

दूसरा, जैसाकि माननीय सदस्य ने प्रश्न पूछा, टीचर ट्रेनिंग के कंसैप्ट को बदलना चाहते हैं, मल्टीग्रेड ट्रेनिंग करना चाहते हैं कि कैसे वे बच्चों को एक साथ पढ़ाने का काम कर सके। अभी राजस्थान में, माननीय कटारिया साहब यहां बिराजे हुए हैं, पहली क्लास के बच्चों को काउंट करके टीचर नहीं दिया जाता है, पहली क्लास के बच्चों को 10 प्रतिशत के हिसाब से काउंट किया जाता है। पहली क्लास की समस्या को, जैसे जैसे हमारा रिटेशन बढ़ेगा उस पर भी ध्यान लगाकर जो काम करना है, वह करने की कोशिश करेंगे।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक सवाल मुझे करना है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी का भाषण एक्सप्रेस ट्रेन की तरह से हो रहा था—

श्री रामस्वरूप : विद्वान हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, विद्वान हैं। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन शायद आपने यह बात कही थी कि बाली क्षेत्र में एजुकेशन के सम्बन्ध में मैंने आपसे कोई मांग नहीं की इसलिए आपने कोई स्कूल नहीं खोले या कालेज नहीं खोले। यह बात सही है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : मैंने यह कहा कि माननीय विपक्ष के नेता का कोई पत्र कि बाली में कहां स्कूल खुलना चाहिए, शिक्षा मंत्री के रूप में मुझे प्राप्त नहीं हुआ इसलिए मुझे जानकारी नहीं है। वहां के जो जागरूक विधायक हैं वे कहां स्कूल खोलना चाहते हैं, कहां मापदण्ड हैं, यह मुझे जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : इसका मतलब यह है कि विधायक आपको पत्र लिखेंगे, उन्हीं विधायकों के आप स्कूल खोलेंगे, कालेज खोलेंगे या क्रमोन्नत करेंगे? जो आपको पत्र नहीं लिखेंगे उनके यहां इस प्रकार की कार्यवाही नहीं होगी।

श्री सी. पी. जोशी : मैं आपसे अपेक्षा करता था, आप डैमोक्रेटिक सैट अप जानते हैं, याचिका के प्रोविजन हैं। आप मुझे पत्र नहीं लिखते क्योंकि मैं छोटा आदमी हूं, आप मुख्य मंत्री को पत्र लिखते। आप मुझे नहीं लिखते तो समझ में आता है। आपका यह जो अधिकार है, याचिका के रूप में आप कभी तो कहते।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह सही है। आप इस झगड़े में मत पड़िये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो सीधी जानकारी करना चाहता हूं कि मैंने आपको पत्र नहीं लिखा, आपकी खुशामद नहीं की, आपके यहां हाजिरी नहीं दी इसलिए आप किसी क्षेत्र में कोई काम नहीं खोले इस प्रकार की स्थिति राज्य सरकार की नीति है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : सरकार की नीति है, जनता के सामने विधायक जैसा काम करे, मैसेज जाना चाहिए। हमारी और कोई नीति नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कहूं, आप मेरी सुनिए। वह सही है। जनता के सामने मंत्री किस प्रकार का काम करे, यह दिग्दर्शन आपने दिया है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि हमारी पोलिटिकल पार्टी है, हम पोलिटिकल आधार पर काम करते हैं। आपने थोड़ी देर पहले ही यह बात कही है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा है वह रिकार्ड में है। I don't want to contradict it.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने अपने भाषण में अभी कहा है।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा वह रिकार्ड में है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विपक्ष के नेता महोदय, यह तो होता आया है। यह कोई नयी बात तो हुई नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आपने किया होगा, मैंने नहीं किया। बड़ा सीरियस मैटर है। उपाध्यक्ष महोदय, यह नीति का सवाल है। मान लीजिए कोई एम.एल.ए. आपको चिट्ठी नहीं लिखे, कोई एम.एल.ए. आपके सामने मांग नहीं रखे तो लोग तो यह उम्मीद करें कि जिस सरकार को राजनीतिक आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में काम नहीं करना है, और जहां उचित होगा वहां सरकार निश्चित रूप से निर्णय लेगी। पर आप यह कहे कि किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी तो उसके स्कूल नहीं खुलेंगे।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हमने लिखी तो भी नहीं खोला।

श्री सी. पी. जोशी : आपने लिखी तो मैं आपको आपका जवाब दे दूंगा। आपने लिखी है तो मैंने कहां स्कूल खोली है, बता दूंगा आपको। आपने चाहा है स्कूल खोला है। आपके क्षेत्र में स्कूल खोली है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं खोली।

श्री सी. पी. जोशी : फिर आप कहेंगे। स्कूल खोली है बता दूंगा।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्री ने लिख दिया था, फैक्स भेज दिया था उसके बाद भी खारची विधान सभा में एक भी स्कूल नहीं खोली।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कहां खोला और कहां नहीं खोला, यह नीति सम्बन्धी प्रश्न है। यदि कोई मैम्बर आपसे मांग नहीं करेगा तो उस जगह आप किसी स्कूल खोलने का या स्कूल को क्रमोन्नत करने का काम नहीं करेंगे? यह बता दीजिए।

श्री सी. पी. जोशी : मैंने कहा है कि हम नीति के अनुसार काम करेंगे। विधायक कितने जागरूक हैं, यह बताया है मैंने। हम क्यों नहीं खोलेंगे आपके यहां? आपके मापदण्ड होंगे तो हम खोलेंगे, क्या तकलीफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : विधायक जागरूक हैं इसका सर्टिफिकेट आपसे...

श्री सी. पी. जोशी : आप इतना टची क्यों फील कर रहे हैं? आप पहली बार एक्सपोज हुए हैं कि आप अपने काम को करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उसमें क्या तकलीफ है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं ऐसा समझता हूं पहली बार तो गवर्नमैंट एक्सपोज हुई है।

श्री सी. पी. जोशी : पहली बार नहीं है। मैंने धृष्टता की है कि एक विधायक के रूप में आप काम कर रहे। इसमें मैंने गलती क्या की है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : पहली बार तो गवर्नमैंट एक्सपोज हुई है कि गवर्नमैंट की खुशामद करेंगे वहीं काम होगा। गवर्नमैंट को चिट्ठी लिखेंगे वहीं काम होगा।

श्री हरिसिंह (महुवा) : यह व्यवस्था कटारियाजी ने डाली है। मैं आपको याद दिला रहा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बैठ जाइये।

श्री हरिसिंह (महुवा) : कटारियाजी यह सब एम.एल.एज. के कहने से जिसके पत्र जाते थे और जो लोग इनकी खुशामद करते थे उन्हीं के यहां खोलते थे। मैंने कभी चिट्ठी नहीं लिखी, मेरे यहां नहीं खोला। यह आपने परम्परा डाली है। आपने परम्परा डाली है, कटारियाजी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप चीफ व्हिप हैं। दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं कि बाली क्षेत्र में कौनसा काम होना चाहिए था जो आपने नहीं किया और केवल इसलिए नहीं किया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा?

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, एक जवाब और दिला दें। उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : कोई जवाब है क्या?

श्री सी. पी. जोशी : मैं जरूरी थोड़े ही है कि हर चीज का जवाब दूं?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आप बताइये।

श्री सी. पी. जोशी : हरेक का जवाब देना जरूरी नहीं है। मैंने जो जवाब देना है दे दिया। विधायक के रूप में आपने कोई सूचना ढाई साल में नहीं दी।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : हां, मैंने नहीं दी है।

श्री सी. पी. जोशी : आपका जवाब देने में मुझे क्या है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : नहीं, यह नहीं है। आप यह बताइये कि कोई काम होना था क्या जो मेरे पत्र के अभाव में आपने नहीं किया?

श्री सी. पी. जोशी : मुझे जानकारी नहीं है, आप ही...

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी नहीं है तो बोलते क्यों हो? (व्यवधान) इस तरह की परम्परा डाल रहे हो।

श्री सी. पी. जोशी : जानकारी है कि एक विधायक के रूप में अपने कर्तव्य का आप निर्वहन नहीं कर रहे हैं। यह बात मैंने कही है, इसमें क्या तकलीफ है?

श्री भैरोंसिंह शेखावत : आज कोई मैम्बर यह कहे कि मेरे यहां हैण्ड पम्प लगाओ वहीं हैण्ड पम्प लगेगा क्या? यह गलत है, बिलकुल गलत है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। श्रीमती कमलाजी।

श्री हरजीराम बुरड़क : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय शिक्षा मंत्रीजी स्कूलें खोल रहे हैं लेकिन कटारियाजी को मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी खोलने ही नहीं देते थे। इनको कहते थे तो, साहब, मुख्य मंत्री ने मना कर रखा है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह चाहता हूं कि रोज रोज का यह खतम हो जाए।

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने मंत्री को पत्र दिया और कहा कि सी.एम. साहब से लिखवाकर लाओ, मैंने सी.एम. साहब से फैक्स करवा दिया, झोजावर और निषल स्कूल के लिए, मगर उनको खोल दिया क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : एक बार मैंने कौनसा खोला, नहीं खोला, आधा घंटे की चर्चा करा दी जाए। मैं उसके लिए तैयार हूं कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है, मेरे को इसमें कोई भय नहीं लगता है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कटारिया साहब।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं चाहता हूं कि एक दिन आधे घण्टे की चर्चा हो जाए कि मैंने कौनसा स्कूल खोला और नहीं खोला। आपके कागज सहित मैं लेकर आ जाता हूं। मैं सोचता हूं कि 98 प्रतिशत लोगों की जहां आवश्यकता थी वहां मैंने नियम के अनुसार नहीं मानते हुए भी विद्यालय खोले। आप चाहो तो मैं विधान सभा वाइज लिस्ट जो बनी हुई है वह कल हाउस में लाकर आपके सामने रख सकता हूं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। माननीय श्रीमती कमलाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है,...

श्री उपाध्यक्ष : वह जवाब देंगे ही नहीं।

श्री सुरेन्द्र व्यास : जवाब मत दो, रिकार्ड पर...(व्यवधान)

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जवाब नहीं देंगे तो इस तरह की + + + बात क्यों करते हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : उन्होंने कहा कि मेरे को जानकारी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : जानकारी नहीं है तो बोलते क्यों हैं?

श्री उपाध्यक्ष : बोलते तो इसलिए हैं कि मंत्री हैं तो जवाब देना पड़ता है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मंत्री को जवाब देना पड़ता है तो जिम्मेदारी के साथ जवाब दें। यह जवाब देने का तरीका नहीं है। यह बिलकुल जिम्मेवारी नहीं है। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विपक्ष के...

श्री सी. पी. जोशी : क्या तरीका नहीं है? मुझे जानकारी है, पूछिये आप क्या पूछना चाहते हैं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं कम से कम आपसे यह एक्सपैक्ट नहीं करता था।

श्री सी. पी. जोशी : मुझे जानकारी नहीं है। मेरे पास रिकार्ड है कि एक विधायक के रूप में आपने मुझे पत्र नहीं लिखा है, यह जानकारी है।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं नहीं लिखता पत्र।

श्री सी. पी. जोशी : आपके बजट में क्या प्रोवीजन था कि स्कूल खुलेगी, आपको मालूम होना चाहिए था स्कूल खुलवानी है। नहीं खुली, मुझे क्या तकलीफ है इसमें।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मेरी सुन लीजिए। कोई मंत्री यह नहीं कह सकता कि मैंने हैण्ड पम्प के लिए चिट्ठी लिखी हो, कोई मंत्री यह नहीं कह सकता कि मैंने सड़क के लिए चिट्ठी लिखी हो, कोई मंत्री यह नहीं कह सकता कि मैंनें बिजली का कनेक्शन लेने के लिए चिट्ठी लिखी है। मैं ऐसा समझता हूं, अगर मुझे कहना होता तो महीने में दो-चार बार तो अपन मिलते ही हैं, मैं कह सकता था। मुझे इस बात की उम्मीद है कि मेरे क्षेत्र में बिना कहे ही वह काम होगा जो होना वाजिब है। वह काम कोई रोक नहीं सकता मैं तो इस विश्वास से, इस आधार पर चल रहा हूं। और आप यह कह रहे हैं मैंने चिट्ठी नहीं लिखी इसलिए काम नहीं किया। आप बता दीजिए कौनसा...

श्री सी. पी. जोशी : आइन्दा ध्यान रखेंगे कि आपने हम पर इतना विश्वास कर रखा है। आपके विश्वास को बनाये रखेंगे।

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं आपसे निश्चित रूप से कहता हूं कि आइन्दा भी मैं आपकी खुशामद करने के लिए कभी तैयार नहीं होऊंगा। अगर आवश्यकता पड़ी, अगर मेरे क्षेत्र की उपेक्षा की तो मैं निश्चित रूप से विधान सभा में मामला उठाऊंगा। मैं मंत्रियों को पत्र लिखकर उनकी + + + नहीं करना चाहता।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय कमलाजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : क्या यह सही है कि मुख्य मंत्रीजी ने ये निर्देश शिक्षा मंत्रीजी को दिये कि कांग्रेस के विधायकों के आप स्कूल खोलेंगे और विपक्ष के विधायकों के मुख्य मंत्रीजी खुद तय करेंगे।

डा. (श्रीमती) कमला : कोई ऐसा निर्देश नहीं है। यह मनगढंत बात है।

श्री रामस्वरूप : टोडाभीम की जनता की ओर से मैं खुशामद करता हूं आप तो कालेज खोलिये टोडाभीम में।

डा. (श्रीमती) कमला (संस्कृत, शिक्षा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिस विभाग की मांग के बारे में माननीय सदस्यों के समक्ष कुछ बिन्दु प्रस्तुत करना चाहती हूं उस विभाग की वित्तीय काया बहुत छोटी है। उसके कार्यकलापों का कलेवर भी बहुत संक्षिप्त है और माननीय सदस्यों ने पूरे दिन भर में जो उल्लेख किये उन उल्लेखों में तो अति और अत्यधिक सीमित दायरे में ही इसका उल्लेख है। फिर भी जैसा भी उल्लेख है, जो भी उसका विवरण है वह प्रतिवेदन में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मैं माननीय सदस्यों के माध्यम से यह बात प्रतिपादित करना चाहती हूं कि इस विभाग की जो इतनी छोटी काया है और इसके कार्य-कलापों का जो इतना छोटा कलेवर है, उसके आजादी के 53 वर्षों तक इतना छोटा रखने से इस देश को और इस समाज को और अगर हम विस्तार से सोचे तो मानव मात्र को कितना नुकसान हो रहा है, कितनी हानि हो रही है और कितना व्यर्थ का हम व्यवस्थाएं कर रहे हैं, जिनकी आवश्यकता ही शायद न पड़ती। तो एक तरफ मैं आप से यह निवेदन करना चाहती हूं कि अब तक जितनी-सी इस की छोटी काया रखी गयी है वह हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध हो रही है। और आगे इसकी काया तो त्वरित गति से बढ़ाना क्यों आवश्यक है, यह भी मैं आपके सामने प्रतिपादित करना चाहती हूं। बहुत ही दृढ़ता के साथ, बड़ी कटिबद्धता के साथ और उतनी ही विनम्रता के साथ कि समाज और शासन जब तक इस वस्तुस्थिति को नहीं समझेगा, इसे नहीं अपनाएगा, इसे इसका अधिकारिक स्थान नहीं देगा और इसकी श्रेष्ठता और सर्वाधिक उपयोगिता को महसूस नहीं करेगा। तो हम शायद और भी पिछड़ते चले जाएंगे।

संस्कृत एक भाषा तो है ही। भाषा भी अपने आप में बहुत उत्कृष्ट भाषा है, बहुत वैज्ञानिक भाषा है और दुनिया की मानी

+ + + शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

(डा.(श्रीमती) कमला)

हुई उन भाषाओं में से है जो आज सर्वाधिक कम्प्यूटर ग्राह्य भाषा मानी जा रही है दुनिया भर के वैज्ञानिक-क्षेत्र में। लेकिन भाषा अकेली नहीं है। इस भाषा के अन्दर रचित संस्कृत वाङ्मय युगों-युगों से परीक्षित और अनुभूत ज्ञान और विज्ञान के आधार पर हमारे पूर्वजों ने हमारे ऋषि-मुनियों ने, तपस्वियों ने, विद्वानों ने तैयार करके हमें एक इतनी अनुपम सौगात दी हुई है जिसे हम केवल इसलिए काम में नहीं ले पा रहे हैं कि हम उस भाषा को नहीं समझ पा रहे। आज जिस स्थिति में हम हैं इस भाषा के सन्दर्भ में, उसका मूल कारण यह रहा कि जिस युग में संस्कृत आम बोली थी, आम भाषा थी, लिखने वाले, पढ़ने वाले विद्वान और सामान्य जन इस भाषा में ही अपना व्यवहार करते थे। वह जमाना अगर निरन्तर उन्हीं राजनीतिक परिस्थितियों पर चलता रहता और एक युग से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वही परम्पराएं और व्यवस्थाएं कायम चली आतीं तो यह स्थिति आज नहीं होती। लेकिन बीच में आक्रमणकारियों के कारण से व्यवधान पड़े, अनेक प्रकार के शासन तंत्र यहां आये जिससे ये धरातल में चले गये, गुप्तवास में चले गये, वह सारी की सारी लिंकेज खतम हो गयी। जब हम जागे आजादी के बाद में तब तक कई पीढ़ियां और कई युग बीत चुके थे और उस बीच में इस भाषा का कोई स्थान हमारे देश में नहीं रह पाया। इसलिए जितना अपार ज्ञान, अपरिमित ज्ञान, विज्ञान का भण्डार हमारे लिए हमारे पूर्वज छोड़ गये थे वह आज अंधेरी कोठरियों में ही बंद है जिसका लाभ हम नहीं ले पा रहे हैं। संस्कृत के बारे में मैं इतनी कटिबद्धता से इसलिए नहीं जूझ रही हूं कि कोई वर्ग विशेष के मंत्रोच्चारण से हम अभिभूत हैं, या कोई पुरोहित कर्मकाण्डों से हम प्रभावित हैं या किन्हीं और कारणों से। मैं यह मानती हूं कि अगर आज देश में बड़े पैमाने पर त्वरित गति से, व्यापक तौर पर संस्कृत के अध्ययन-अध्यापन की, शोध की, अनुसंधान की व्यवस्थाएं की जाएं तो वह जो ज्ञान-विज्ञान का अपरिमित भण्डार है उसको हम आज समाज और राष्ट्र के सामने ला सकते हैं। आज जो वैज्ञानिक प्रयोगशालाएं हम तैयार करेंगे, वे 20 वर्ष में अपने नतीजे देंगी। वह परीक्षित और अनुभूत ज्ञान आज आपके दरवाजे पर, आपके मकानात में, आपके धरातल पर मौजूद है। उसका आप क्यों नहीं उपयोग करना चाहते? सिर्फ मंत्रोच्चार और भाषा के रूप में संस्कृत का अस्तित्व नहीं है, यह विज्ञान की एक बहुत बड़ी धरोहर है। क्या आप वास्तु शास्त्र को विज्ञान नहीं मानते? वेदों में जो प्रकृति का, वेदों में जो पदार्थ का, वेदों में जो जीव का, उनके आपस में गुणधर्मों का, उनकी शक्तियों का, उनके आपस में घर्षण का, उनके सृजन का जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया हुआ है उन सबको हम क्यों नहीं समझना चाहते? उनके ज्ञान को हम क्यों नहीं अपनाना चाहते? आयुर्विज्ञान, आयुर्वेद अपने आप

(डा. (श्रीमती) कमला)

में एक बहुत बड़ा विज्ञान है। यह सब पूरे के पूरे तत्वों का निराकरण करके और उनका तार्किक आधार पर परीक्षण करके तैयार किया हुआ है।

आज जितनी वनस्पतियां हैं, पेड़-पौधे हैं, जितनी भी धरती में धातुएं हैं उन सबका एक-एक का विश्लेषण किया हुआ है। पत्ती कौनसे पेड़ की, कौनसी पत्ती, छाल, जड़, उसकी लकड़ी में क्या गुण धर्म हैं और उसका क्या उपयोग हो सकता है। हमें उसे कैसे उपयोग में लेना चाहिये और किस तरह से वह मनुष्य के जीवन को स्वस्थ बना सकती है। वातावरण को साफ रख सकती है। पर्यावरण को शुद्ध रख सकती है।

यज्ञ अपने आप में एक विज्ञान है। इसमें जो समिधा डाली जाती है, उसमें कौन-कौनसी प्रकार की समिधाएं हैं, क्या उनके गुण धर्म हैं। कौनसी इस तरह के कीटाणुओं के नाश करती है। कौनसी प्रदूषित वातावरण को शुद्ध करती है। सुबह और शाम के जो हवन की प्रथा थी वह क्यों रखते हैं। जो भी वातावरण प्रदूषित होता था उसको यज्ञ के माध्यम से शुद्ध करते थे।

आज ज्योतिष शास्त्र है, खगोल शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र है, ये सारे के सारे शास्त्र अपने आप में विज्ञान आधारित हैं, परीक्षित हैं, अनुभूत हैं। हमें उनको समझने में कठिनाई है इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। आज हमने वास्तु शास्त्र को मानना शुरू किया। ज्योतिष को भी मानना शुरू किया है। हमने योग को भी मानना शुरू किया है इसलिए कि उनमें से कुछ विदेशों में जाकर लौट कर आ गये। योग के बजाय योगा बन कर आ गये तो हम उसका प्रशस्ति गान करते हैं। लेकिन हम अपने ही घर में कितने बेगाने हैं, कितने उपेक्षित हैं? कितने अपने उच्च स्थान को नीचे डाल कर बैठे हैं? यह हम महसूस नहीं कर रहे हैं। ज्ञान का अपरिमित भण्डार जो कि हमारी धरोहर है उसमें हम चाहते हैं कि उन ग्रन्थों के साथ में वेद, वेदांग, शास्त्रों के साथ हमारा संस्कृत का विद्वान बैठे और उनके साथ आज का वैज्ञानिक जिस विषय के भी वे वैज्ञानिक हैं, वे बैठें। आधुनिकतम तकनीक से तैयार हुई हमारी परीक्षण शालाएं हों, उनमें बैठकर हमारा विद्वान उसका ट्रांसलेशन करके बताएं। उसको आज का वैज्ञानिक अपनी भाषा में ले और उसका परीक्षण कर साबित करे कि यह परीक्षित ज्ञान-विज्ञान सचमुच में सही है तो हमें इसका लाभ मिलेगा। हमारे देश में पहले से ही इतना अथाह भण्डार उपलब्ध है, इसलिए मैं चाहती हूं कि संस्कृत के अध्ययन, अध्यापन की व्यापक व्यवस्था की जाए। जो भण्डार हमारे पास मौजूद हैं उसको लिया जाए। आज आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कितने आगे तक की उसमें सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं। उस पर हमें सोचने की जरूरत है। इसलिए इसे मात्र किसी भाषा का या कर्मकाण्ड का एक स्वरूप देकर हम जो उपेक्षित कर रहे हैं वह उचित नहीं है।

(डा. (श्रीमती) कमला)

दूसरी तरफ मैं आपसे वह निवेदन करना चाहती हूं कि आज के इस युग में, आज के इस जमाने में मानव का जिस तरह से मतिभ्रम हो रहा है, जिस तरह से उसकी मानसिकता विकृत हो रही है, जिस तरह से अपराध और आतंकवाद बढ़ रहे हैं और नैतिक मूल्यों में गिरावट हो रही है, इंसान की अभिलाषाएं, इन्सान की लालसाएं, इंसान का दृष्टिकोण किस तरह से गिर रहा है इन सबको हम किस तरह रोक सकते हैं। एक श्रेष्ठ वर्चस्वपूर्ण इन्सान जिसके लिए हम सारी विकास की रचना रची जा रही है, उसको अगर हम नहीं देखेंगे तो हम कहां तक पहुंच पाएंगे? हमारा जो जीवन दर्शन है, हमारा जो दर्शन विज्ञान है उसने इस बात को कहा है। वह आज हमें पूरी डिटेल के साथ में, पूरे विस्तार के साथ में समाज को देना पड़ेगा। हम अगर एक सात्विक जीवन, शुद्ध विचार, एक अच्छा आचार, वसुधैव कुटुम्बकम का जो विचार दिया है उसके साथ अगर नहीं चलेंगे तो यह समाज और सारी दुनिया जो आज आग के ढेर पर बैठी है वह कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकती है। अगर हम चाहते हैं कि एक अच्छा संसार बने, एक सुखमय समाज बने जिसमें एक श्रेष्ठ नागरिक रहे और उससे श्रेष्ठ नागरिकता और मानवता पनपे तो यह जीवन दर्शन हमें अपनाना होगा। ये सारे प्रदूषण और विकृतियां जो आज समाज में आ रही हैं या दुनिया में आ रही हैं, उनको रोके जाने के कोई प्रयास किये जाए तो आज हमारे संस्कृत में समाहित जो जीवन दर्शन है, जो धर्म शास्त्र हैं—उच्चतम जीवन की धारणाओं को, जीवने जीने को हमने धर्म का नाम दिया है ना कि मंदिर, मस्जिद की दीवारों को—वह हम जब तक नहीं अपनाएंगे, ये साम्प्रदायिक दंगे और तनाव भी खतम नहीं हो सकते हैं। इसलिए यह एक अपार मूल्यवान जो निधि हमारे पास है, इसको हम जल्दी से जल्दी समझ लें। समाज और शासन इसको अपनाएं और इसके आधार पर मार्ग प्रशस्त करें तो मैं समझती हूं कि छोटी-सी काया में भी बहुत बड़ा मर्म है। भौतिक काया पैसे की, कार्य-कलापों की उसके बीच में अगर आत्मा नहीं है, मर्म नहीं है तो वह निरर्थक है, थोथी है। इसलिए हमें आज इसकी महान आवश्यकता है। मैं चाहती हूं कि आप सबके माध्यम से आम समाज तक यह बात पहुंचे, शासन तक पहुंचे, विधायिका तक पहुंचे और हम इसके लिए अच्छे प्रावधान कर सके, ज्यादा प्रावधान कर सके।

आज जो मुझे सम्मान मिला, डीलिट. का, वाचस्पति का, वह मुझे इसलिए नहीं मिला कि मैं कोई शिक्षा मंत्री हूं। वरन मैंने संस्कृत के अन्दर समाहित जो हमारे देश का अपार ज्ञान-विज्ञान का भण्डार है, दर्शन का है, जीवन जीने की शैली का है, इसको मैंने जगह-जगह प्रतिपादित किया है। दिल्ली में राष्ट्रीय अधिवेशन में किया है, लालबहादुर शास्त्री विश्वविद्यालय में किया है, यहां हमारा जो अधिवेशन हुआ

(डा. (श्रीमती) कमला)

है उसमें किया है कि हमें इसकी बहुत आवश्यकता है। इसका उपयोग करना हमारे लिए एक बड़ा दायित्व है। इसी कारण से मुझे उन्होंने सम्मानित किया। मैं वह अपना सम्मान नहीं मानती, वह संस्कृत के लिए कटिबद्धता के साथ काम करने के एक प्रयास का सम्मान है, मैं इतना ही मानती हूं। मैं समझती हूं कि आप इन बातों में हमारा योगदान करेंगे और आगे के लिए कुछ मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत-बहुत...

मोहम्मद माहिर आजाद : संस्कृत को आगे बढ़ाने की योजना क्या है, आप तो यह बताओ।

डा. (श्रीमती) कमला : संस्कृत को आगे बढ़ाने की एक योजना... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें।

डा. (श्रीमती) कमला : संस्कृत को आगे बढ़ाने की हमारी जो योजना है वह यह है कि हर वर्ष विद्यालयों को क्रमोन्नत करने में, नये खोले जाने में चाहे विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, प्रशिक्षण संस्थान हैं उनके ऊपर जो वित्त की पाबंदी लगी होती है उस पाबंदी को कम से कम करके हमें अधिक से अधिक उदारता के साथ मौका दिया जाना चाहिये। आज हमें जितने विद्यालयों की जरूरत है, जितने विद्यालयों को क्रमोन्नत करने की आवश्यकता है, जितने ट्रेंड टीचर्स की आवश्यकता है, उसमें मामूली-सा हमारे लिए प्रावधान होता है, तो हम अपनी भावनाओं को संकुचित करके रह जाते हैं। दूसरी तरफ जो विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, यह अभी मात्र एक आइटम बना है। इस विश्वविद्यालय को बनाने में, इसको अपने लक्ष्य पूरे करने में आज बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। बहुत सारे लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। हम उसको बनाने के लिए भी चेष्टा कर रहे हैं। उसमें विशेष रूप से एक अनुसंधान केन्द्र की हमने इसलिए व्यवस्था की है कि हम सिर्फ डिग्री वाला, पीएच.डी. वाला अनुसंधान ही नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि वेद-वेदांगों, शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उसका वैज्ञानिक और व्यावहारिक विश्लेषण होकर उसकी उपयोगिता का आज के संदर्भ में प्रकाशन होना चाहिये, उजागर होना चाहिये। इस तरह का अनुसंधान उसमें करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा वित्तीय संसाधन, ज्यादा से ज्यादा भौतिक व्यवस्थाएं इन सारे मामलों को बढ़ाने के लिए, इन कार्यक्रमों को और संस्कृत के अध्यनन, अध्यापन और अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए हमें उपलब्ध हों। आप लोगों का मन माना, आपका सहयोग इसमें अधिकाधिक कारगर हो सकेगा, इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को...

श्री भैरोंसिंह शेखावत (नेता, प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, यूं आप एक्सप्रेस मत चलाओ। मैं एक बात पूछ लूं?

श्री उपाध्यक्ष : मैं समझता था कि आप पूछना नहीं चाहते।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया (रतनगढ़) : मैं ग्यारह बजे से बैठा हूं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : एक मिनट, पण्डितजी। मैं कमलाजी को इस भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने संस्कृत की आवश्यकता को प्रतिपादित करते हुए संस्कृत के सम्बन्ध में जिस प्रकार के विचार व्यक्त किये हैं, मैं समझता हूं कि सदन को इससे निश्चित रूप से लाभ उठाना चाहिए। वास्तव में शिक्षा मंत्री का भाषण तो यही था। शिक्षा मंत्री के रूप में इन्होंने जो भाषण दिया वह तो ठीक है, इससे यह नहीं कि आपने क्या किया, मैंने क्या किया। इस प्रशंसा का, आलोचना का विषय शिक्षा नहीं है। सारगर्भिक भाषण था। मैं बधाई इस बात की भी देता हूं कि आपको संस्कृत के कारण उपाधि मिली है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि संस्कृत के विकास के लिए जितनी भी जो कुछ कार्यवाही हो सकती है आप तो कर ही रही हैं, हम भी सरकार से निवेदन करेंगे कि संस्कृत के सम्बन्ध में यदि साधनों की कमी है, वह साधनों की कमी को पूरा किया जाए। अच्छा होता कि हमारे शिक्षा मंत्रीजी इसी विचारधारा से शिक्षा के सम्बन्ध में बोलते। ये तो आंकड़ों में चले गये, हमने यह किया, आपने यह किया।

श्री उपाध्यक्ष : ये संस्कृत में बोलीं और ये हिन्दी में बोले।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : वह भी हिन्दी में ही बोली हैं, लेकिन ये जिस ढंग से बोले हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : रतनगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य संस्कृत का श्लोक सुनाएंगे, संस्कृत का श्लोक तो आया ही नहीं।

श्री भैरोंसिंह शेखावत : मैं इतना कह सकता हूं कि इनके स्तर की और उनके स्तर की तुलना की जाए तो एक आसमान पर है और एक धरती के नीचे है।

श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : यह तो आपकी अपनी सोच है। आपको बाली का कह दिया इस वजह से हमारे शिक्षा मंत्रीजी को नीचे गिरा रहे हो?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ पांच मिनट। आज मैंने शिक्षा के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचार सुने, लेकिन किसी ने नहीं बताया कि शिक्षा का मतलब यह है। यह तो अभ्युदय, निःश्रेय, सहसिद्धि, सहमर्ध है।

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

आंकड़े तो आपने बता दिए लेकिन वास्तव में शिक्षा क्या है, यह किसी वक्ता ने अपने भाषण में नहीं बताया। मैं कमलाजी की वक्तृत्व शक्ति पर उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके माध्यम से राजस्थान के मुख्य मंत्री जो यहां विराजमान हैं, उनको इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं, आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने मेरे पत्र पर, उनको मैंने पत्र लिखा था कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय बहुत लम्बे अर्से से विचाराधीन है और इसका कोई न कोई निराकरण होना चाहिए और मैं यह चाहता हूं कि इसकी क्रियान्विति हो। आप उसका शिलान्यास करें और उसका आप उद्घाटन करें। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए भूमि आबंटित कर दी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : पण्डितजी, यह तो पत्र लिखने के बाद हुआ न? पत्र ही लिख देते तो काहे का झगड़ा था?

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : कमलाजी का प्रयास, नहीं, डाक्टर कमलाजी का प्रयास जारी था और मुझे उनका इशारा हुआ कि आप संस्कृत विश्वविद्यालय के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखें। मैंने उनके आदेश की अनुपालना की और मेरी विनती पर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कृपा की जिससे कि राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की भूमि अलाट हो गई और कुलपति नियुक्त हो गये कुल सचिव नियुक्त हो गये। अब भवन बनाने की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि संस्कृत वह भाषा है कि उसके पढ़े बिना भारतीय संस्कृति का ज्ञान नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति का पोषण करने वाली और उसकी समृद्धि और अभिवृद्धि को कायम करने वाली एकमात्र भाषा है तो संस्कृत है। इसके लिए राज को और समाज को, दोनों को सोचना पड़ेगा। राज के बारे में तो यह है, पहले भी कहते थे कि हमारे पास बजट नहीं है। अब भी माननीय वित्त मंत्रीजी ने कुछ चेष्टा करके उसको कुछ सम्भाला है लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु पर्यन्त जितने भी क्रिया-कर्म होते हैं उनमें सब में संस्कृत होती है। नामकरण संस्कार में__

श्री उपाध्यक्ष : भाषण थोड़े ही हो रहा है यहां। यहां तो केवल मंत्रीजी से प्रश्न पूछो। आप पहले बोलते न, आप डिबेट में पहले बोलते।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : वैवाहिक संस्कार में, सब कामों में मृत्यु पर्यन्त संस्कृत का उपयोग है। अब हमारे सामने एक ही प्रश्न है कि हम संस्कृत

(श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया)

विश्वविद्यालय के भवन को राजस्थान में खड़ा करें।

मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि एक साथ कुछ न दे सकें तो किस्तों में दीजिए, बाकी हम दानदाताओं के माध्यम से करेंगे। डा. कमलाजी, आप हिम्मत रखो।

डा. (श्रीमती) कमला : मेरी हिम्मत में अगर कमी होती तो यह विश्वविद्यालय नहीं बन पाता। मैं खुद हिम्मत रखती हूं, तभी यह बना है और माननीय मुख्य मंत्रीजी का पूरा सहयोग रहा है। लेकिन समाज और शासन में इसकी जो मान्यता की कमी है वह तो समय की युगधारा है, उसको बदलने के लिए हम सबको चेष्टा करनी चाहिए।

श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया : नहीं, बदलेंगे और यह भवन बनेगा निश्चित रूप से, मेरी ऐसी मान्यता है।

मांग संख्या-24 का पारण

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 24—शिक्षा, कला एवं संस्कृति के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपए 33,98,01,01,000 (तैंतीस अरब, अठानवे करोड़, एक लाख, एक हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 2 मार्च, 2001 के प्रातः 11 बजे के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.38 बजे 2 मार्च, 2001 के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-158 की सूची)

परिशिष्ट "क"

गत दो वर्षों में वक्फ सम्पत्तियों के रखरखाव के लिए गठित की गई कमेटियों की सूची

क्र.सं.	वक्फ कमेटी का नाम	गठन की दिनांक
1	2	3
1.	वक्फ जायदाद कस्बा निम्बाहेड़ा, चित्तौड़	15.5.2000
2.	मदरसा मोहम्मदिया एहले हदीस मस्जिद एहले हदीस बाड़ी, धौलपुर	30.5.2000
3.	वक्फ कमेटी कस्बा बयाना जिला भरतपुर	30.5.2000
4.	वक्फ कमेटी तहसील बाड़ी, जिला धौलपुर	30.5.2000
5.	वक्फ जायदाद ग्राम बमोर, टोंक	30.5.2000
6.	वक्फ जायदाद मस्जिद रामसरा जिला हनुमानगढ़	6.6.2000
7.	जिला वक्फ कमेटी, हनुमानगढ़	6.6.2000
8.	जिला मुस्लिम वक्फ कमेटी, गंगानगर	9.6.2000
9.	वक्फ जायदाद सूरतगढ़, जिला गंगानगर	9.6.2000
10.	दरगाह अब्दुल कादरशाह, रामबाग रोड, जयपुर	14.6.2000
11.	वक्फ़ जायदाद तहसील अलीगढ़ जिला टोंक	14.6.2000
12.	वक्फ जायदाद घाटी वाले बाबा, आमेर रोड, जयपुर	17.6.2000
13.	वक्फ जायदाद मस्जिद कपूर की बगीची, अजमेर	26.6.2000
14.	वक्फ जायदाद जामा मस्जिद भरतपुर एवं शहर भरतपुर	11.7.2000
15.	वक्फ सम्पत्ति जिला, बारां	20.7.2000
16.	वक्फ जायदाद आबू रोड जिला सिरोही	26.7.2000

1	2	3
17.	वक्फ जायदाद मुस्लिम मुसाफिर खाना चमनपुरा, उदयपुर	28.7.2000
18.	वक्फ जायदाद ग्राम मथानिया तहसील ओसिया, जोधपुर	28.7.2000
19.	जिला वक्फ कमेटी, जैसलमेर	28.7.2000
20.	वक्फ कमेटी मुस्लिम मुसाफिर खाना, एम.डी.रोड, जयपुर	3.8.2000
21.	वक्फ जायदाद मस्जिद नूरानी, सांगानेर, जिला जयपुर	5.8.2000
22.	मुस्लिम मुसाफिर खाना जमीयतुल कुरेश भिण्डों का रास्ता, जयुपर	7.8.2000
23.	वक्फ जायदाद हिण्डौन सिटी, जिला करौली	8.8.2000
24.	जिला वक्फ कमेटी, दौसा	8.8.2000
25.	वक्फ जायदाद सुजानगढ़ शहर, जिला चूरू	18.8.2000
26.	वक्फ जायदाद मस्जिद गोलमदाजान मोती चौक, जोधपुर	26.8.2000
27.	वक्फ जायदाद करबला शरीफ रामगढ़ मोड़, जयपुर	30.8.2000
28.	वक्फ कमेटी मदरसा फैजुल कुरआन, कोठी यकीन शाह, जयपुर	1.9.2000
29.	वक्फ कमेटी कब्रिस्तान रेवडी की कोठी, जयपुर	6.9.2000
30.	वक्फ कमेटी दरगाह कदमरसूल बासबदनपुरा, जयपुर	7.9.2000
31.	वक्फ कमेटी तहसील मांगरोल जिला बारां	17.9.2000
32.	वक्फ कमेटी दरगाह हजरत निजामुद्दीन छोटी खाटू, नागौर	30.10.2000
33.	वक्फ कमेटी कस्बा कोटपूतली, जिला जयपुर	11.12.2000
34.	वक्फ कमेटी मस्जिद शाहू शाहजी का तकिया, जोधपुर	18.12.2000
35.	वक्फ कमेटी हजरत अ. मलिक शाह उर्फ तनाह पीर दरगाह कमेटी मण्डोर, जोधपुर	18.12.2000

1	2	3
36.	वक्फ कमेटी शाह मसिउल्ला मस्जिद व कब्रिस्तान खेतानाड़ी, जोधपुर	18.12.2000
37.	वक्फ कमेटी दरगाह हज़रत आशिक हुसैन उर्फ शेरों के पिजरें वाले बाबा, कोटा	23.12.2000
38.	वक्फ कमेटी जामा मस्जिद काफला बाजार, टोंक	30.12.2000
39.	वक्फ कमेटी मस्जिद कोडे शाह, जयपुर	30.12.2000
40.	कब्रिस्तान हिफाजत कमेटी, टोंक	30.12.2000
41.	वक्फ कमेटी मस्जिद नवाब उस्मान खां, चार दरवाजा जयपुर	30.12.2000
42.	वकफ कमेटी दरगाह शहबाज अली, झोटवाड़ा रोड, जयपुर	5.1.2001
43.	वक्फ कमेटी जिला धौलपुर	9.1.2001
44.	वक्फ कमेटी ग्राम खेडी राडान तह. लक्ष्मणगढ़, सीकर	12.1.2001
45.	वक्फ कमेटी तहसील मालपुरा, जिला टोंक	12.1.2001
46.	वक्फ कमेटी शहर एवं तहसील खेतड़ी, जिला झुंझुनूं	12.1.2001
47.	वक्फ कमेटी कब्रिस्तान रेजीडेंसी व संबंधित जायदाद	12.1.2001
48.	वक्फ कमेटी मस्जिद व मदरसा कस्साबपुरा शहीद अब्दुज हमीद नगर, जयुपर	18.1.2001
49.	शिया वक्फ जायदाद इमामबाड़ा मोमीन अली मौहल्ला पन्नीगरान, जयपुर	18.1.2001
50.	वक्फ कमेटी मस्जिद भटियारान स्टेशन, दौसा	18.1.2001
51.	वक्फ कमेटी जिला झालावाड़	18.1.2001
52.	वक्फ कमेटी दरगाह हजरत हमीदुद्दीन चिश्ती उर्फ मिट्ठे महाबली वाके गांगरोन झालरापाटन, झालावाड़	22.1.2001

1	2	3
53.	वक्फ कमेटी तहसील अन्ता, जिला बारां	27.1.2001
54.	वक्फ कमेटी ग्राम रामसर तह. नसीराबाद, अजमेर	27.1.2001
55.	वक्फ कमेटी तहसील केकड़ी, जिला अजमेर	27.1.2001
56.	वक्फ कमेटी दरगाह हाज़िब शतकरबार नरहड़, झुंझुनूं	01.2.2001
57.	वक्फ कमेटी मस्जिद शेखान (फिदालियान) चौ. रामान्द्रजी जयपुर	9.2.2001
58.	वक्फ कमेटी मस्जिद सइदिया काली पल्टन, टोंक	5.3.2001
59.	वक्फ कमेटी तहसील भिनाय, जिला अजमेर	12.2.2001
60.	जामा मस्जिद, कब्रिस्तान, ईदगाह, मदरसा, श्रीगंगानगर	13.3.2001
61.	वक्फ कमेटी दरगाह पंजाबीशाह, रावलजी का बन्धा, जयपुर	13.3.2001
62.	वक्फ कमेटी, कोटा	24.3.2001
63.	वक्फ कमेटी कब्रिस्तान व दरगाह विलासत शाह, बासबदनपुरा, जयुपर	24.3.2001
64.	जिला वक्फ कमेटी, बीकानेर	24.3.2001
65.	दरगाह बाबा फजलेउद्दीन रह. अलेह गुफा शरीफ गंगाधर झालावाड़	24.3.2001
66.	वक्फ कमेटी तहसील अटरू, जिला बारां	24.3.2001
67.	वक्फ कमेटी मस्जिद व सराय मौहल्ला बिसायतियान (मेवाती), जयपुर	24.3.2001
68.	वक्फ कमेटी तहसील सांगानेर	24.3.2001
69.	वक्फ कमेटी ईदगाह मस्जिद वाले सांगानेर, जिला जयपुर	24.3.2001
70.	वक्फ कमेटी ग्राम डूंगरी कलां तहसील फुलेरा, जिला जयपुर	27.3.2001

1	2	3
71.	वक्फ कमेटी मस्जिद मौहल्ला मेड़तिया सिलावटान पीपाड़ सिटी, जोधपुर	7.9.2000
72.	वक्फ कमेटी मस्तान बाबा दरगाह (गल्ला) कमेटी, पाली	12.10.2000
73.	वक्फ कमेटी मुस्लिम मुसाफिर खाना, बस स्टैण्ड पाली	12.10.2000
74.	वक्फ कमेटी हजरत शहीद पीर दुल्हेशा चौटीला, पाली	13.10.2000
75.	वक्फ कमेटी मस्जिद व दरगाह हजरत शेख अलाउद्दीन साहब सांगानेर मस्जिद व दरगाह सेमो.दरवेश चि. मोती डूंगरी, जयपुर	22.11.2000
76.	वक्फ कमेटी दरगाह अब्बन शाह परी की जाल प्रतापपुर, सांचौर	27.11.00
77.	वक्फ कमेटी, पाली शहर	12.10.2000

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-162 का विवरण) परिशिष्ट "अ"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

CATEGORY WISE RATES

Rate in Paise/unit

S. No.	Category	Pre-Revised rates	Nov.' 99 Onwards
1	2	3	4
1.	**DOMESTIC**		
	(i) First 50 Units/Month	112	155*
	(v) Balance above 50 Units/Month	151 (Av)	220*
2.	**NON DOMESTIC**		
	(i) First 100 Units/Month	185	264
	(iv) Balance above 100 Units/Month	238(Av)	304
3.	**PUBLIC STREET LIGHTING**		
	(a) In Panchayat//Municipal areas having population below one Lakh	100	154**
	(b) In Cities & Towns having population one Lakh & above	130**	184**
4.	**AGRICULTURE SERVICE**		
(A)	**METERED SUPPLY**		
1.	Connections in Rural Areas :		
	(a) Wells released under normal agriculture Tariff	50	70
	(b) Wells released under Nursery category till conversion	–	140#

1	2	3	4
2.	**connections in Urban Areas & Connections receiving Supply from continuous/24 hours Supply feeders**		
	(a) Wells released before 1.1.95	50	110
	(b) Wells released on and after 1.1.95	50	140
	(c) Agriculture connections in Farm Houses	—	220

NOTE :

* (a) In Rural Areas only, a rebate of 10% under Domestic category in the above rate of charges shall be allowed.

* (b) In Rural & Urban Areas, a rebate of 5-Paise per Unit under Domestic category in the above rate of charge shall be allowed if the consumer uses 'Solar water heating system' after approval by Jaipur Discom.

** If the 'Timer' is provided, a rebate of 30 Paise/Kwh shall be allowed.

w.e.f. billing month of December, 1999.

S. No.	Category	Pre-Revised rates	Nov. '99 Onwards
1	2	3	4
4.	**AGRICULTURE SERVICE : (Contd.)**		
(B)	**FLAT RATE SUPPLY**		
(i)	**Connection in Rural Areas**		
(a)	Wells released under normal agriculture Tariff	Rs. 32/HP/Month to Rs. 43/HP/Month Av Rs. 38.25/HP/Month	Rs. 60/HP/ Month
(b)	Connections released under Special General Agriculture Connection Scheme of 96-97	Rs. 32/HP/Month to Rs. 43/HP/Month Av Rs. 38.25/HP/Month	Rs. 60/HP/ Month*
(ii)	Connections in Urban Areas and connections receiving supply from continuous/24 hours supply feeders		
(a)	Wells released before 1.1.95	Rs. 32/HP/Month to Rs. 43/HP/Month Av Rs. 38.25/HP/Month	Rs. 95/HP/ Month
(b)	Wells released on and after 1.1.95	Rs. 32/HP/Month to Rs. 43/HP/Month Av Rs. 38.25/HP/Month	Rs. 120/HP/ Month

1	2		3	4
(C)	MISCELLANEOUS SUPPLY (AGRICULTURE) (Populträng Farming & Fisheries only)			
(i)	Connections in Urban Areas and connections receiving Supply from continues/24 Hours supply feeders :		–	140
(ii)	Connections in Rural Areas		–	110
5.	**SMALL INDUSTRIES**		169 (Av)	203
6.	**MEDIUM INDUSTRIES**		204	236
7.	**BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD**		215	236
8.	**LARGE INDUSTRIES**		225	259

* This rate shall be applicable from the month in which other General category well connections having priority of the same month and year are relased under general Agriculture category quota in that village.

परिशिष्ट "ब"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

(DEPARTMENT OF COMMERCIAL OPERATION)

STATEMENT INDICATING MISCELLANEOUS CHARGES

S. No.	PARTICULARS	Before B.M. Mar., 99	From B.M. Mar.,99 to Feb. 00
1	2	3	4
	FIXED SERVICE CHARGES		
1.	**Domestic Consumers**		
	(in Rs/month/connection)		
	(a) Consumption upto 25 units/month/connection	12	12
	(b) consumption more than 25 units and upto 200 units/month/connection	12	16
	(c) Consumption more than 200 units/month/conn.	20	27
2.	**Non Domestic Consumers**		
	(In Rs/month/connection)		
(i)	**LT Supply**		
	(a) Consumption upto 200 units/month/connection	10	25
	(b) Consumption more than 200 units/month/conn	25	45
(ii)	**HT Supply**	550	750
3.	**Agriculture Consumers**	12	15
	(In Rs/month/connection)		

1	2	3	4
4.	**Small Industrial Consumers**		
	(In Rs/month/connection)		
	(a) Consumption upto 200 units/month/connection	18	25
	(b) Consumption more than 200 units/month/conn	25	35
5.	**Medium Industrial Consumers**		
	(In Rs/month/connection)		
	(i) LT Supply	40	50
	(ii) HT Supply	550	750
6.	**Mixed Load Consumers**		
	(In Rs/month/connection)		
(i)	**LT Supply**		
	(a) Consumption upto 200 units/month/connection	18	25
	(b) Consumption more than 200 units/month/conn.	25	35
(ii)	**HT Supply**	550	750
7.	**Large Industrial Consumers**		
	(In Rs/month/connection)		
	(i) Upto 33KV Supply	550	750
	(ii) Above 33KV Supply	1200	1500
8.	**Replacement of PT fuses including Resealing**	375	550
9.	**Charges for attendence of fuseman at consumer's premises during any function (Max 6 Hours)**	110	150

1	2	3	4
	METERS		
(a)	**HIRE OF METERS**		
(i)	**Regulare Supply**		
	(In per meter/month)		
	(i) 220/230 Volts single phase meter	10	15
	(ii) 440/460 Volts poly phase meter	22	30
(iii)	**LT metering equipment**		
	(a) CT Meter	30	30
	(b) Current Transformer (in per set/month)	100	100
	(c) Maximum demand indicator	250	250
	(d) KVAH Meter	250	250
(iv)	**11 KV metering equipment**		
	(a) Trivector meter	800	800
	(b) CTPT set (in per set/month)	800	800
(v)	**33 KV metering equipment**		
	(a) Trivector meter	800	800
	(b) CTPT set (In per set/month)	2000	2000
(vi)	**EHT metering equipment**		
	(a) Trivector meter	800	800
	(b) CTPT set (In per set/month)	5500	9000
(vii)	**Time Switch**	50	100
(II)	**Temporary Supply**		
	(Per month or part there of)		
	(i) Single phase meter	15	25
	(ii) Poly phase meter	40	50

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

(DEPARTMENT OF COMMERCIAL OPERATIONS)

STATEMENT INDICATING MISCELLANEOUS CHARGES

S. No.	PARTICULARS	From B.M. of Mar., 2000 onwards
1	2	3
1.	**Service connection**	
	(II) Temporary Supply	
	(iv) Service rendered charges	
	(Rs/per service)	
	(a) Single phase service	150
	(b) Poly phase service	300
2.	**Reconnection Fees**	
	(In Rs.)	
	(a) Low tension service	
	(i) Single Phase	100
	(ii) Poly Phase	300
	(b) High tension service	1000
	(c) Extra high tension service	5000
3.	**Resealing charges**	
	(If found broken)	
	(In Rs)	

1	2	3
	(a) Meter box	50
	(b) Terminal cover of meter (Single phase)	100
	(c) Terminal cover of meter (Poly phase)	200
	(d) Maximum demand indicator	1000
	(e) Potential fuses	2000
	(f) Meter body (Single phase).	200
	(g) Meter body (Poly phase)	500
	(h) HT/EHT Metering Panel	3000
4.	**Replacement of broken glass**	
	(per glass)	
	(In Rs)	
(I)	**Meter**	
	(a) Single phase	70
	(b) Poly phase	200
(II)	**Meter Box**	25

S. No.	PARTICULARS	From B.M. of Mar., 2000 onwards
1	2	3
	FIXED SERVICE CHARGES	
1.	**Domestic Consumers**	
	(In Rs/month/connection)	
	(a) Consumption upto 50 units/month/ connection	15
	(b) Consumption more than 50 units/month/ connection	30
2.	**Non Domestic Consumers**	
	(In Rs/month/connection)	
(i)	**LT Supply**	
	(a) Consumption upto 200 units/month/connection	25
	(b) Consumption more than 200 units/month/conn.	45
(ii)	**HT Supply**	750
3.	**Agriculture consumers**	15
	(In Rs/month/connection)	
4.	**Small Industrial Consumers**	35
	(In Rs/month/connection)	
5.	**Medium Industrial Consumers**	
	(In Rs/month/connection)	

1	2	3
	(i) LT Supply	50
	(ii) HT Supply	750
6.	**Mixed Load Consumers**	
	(In Rs/month/connection)	
	(i) LT Supply	35
	(ii) HT Supply	750
7.	**Large Industrial Consumers**	
	(In Rs/month/connection)	
	(i) Upto 33KV Supply	750
	(ii) Above 33KV Supply	1500
8.	**Replacement of PT fuses Including Resealing**	550
9.	**Charges for attendance of fuseman at consumer's premises during any function (Max 6 Hours)**	150

S. No.	PARTICULARS	From B.M. of Mar., 2000 onwards
1	2	3
	METERS	
(a)	**HIRE OF METERS**	
(i)	**Regular Supply**	
	(In per meter/month)	
	(i) 220/230 Volts single phase meter	15
(ii)	**440/460 Volts poly phase meter**	30
(iii)	**LT metering equipment**	
	(a) CT Meter	40
	(b) Current Transformer (In per set/month)	100
	(c) Maximum demand indicator	330
	(d) KVAH Meter	330
	(e) LT Trivector meter	700
(iv)	**11KV metering equipment**	
	(a) Trivector meter	800
	(b) CTPT set (in per set/month)	900
(v)	**33KV metering equipment**	
	(a) Trivector meter	800
	(b) CTPT set (in per set/month)	2200
(vi)	**EHT metering equipment**	
	(a) Trivector meter	800
	(b) CTPT set (In per set/month)	9000
(vii)	**Time Switch**	100

परिशिष्ट "स"

JAIPUR VIDYUT VITRAN NIGAM LIMITED

ELECTRICITY DUTY

Rate in Paise/unit

S. No.	Category	Before b.m. Apr-99	From b.m. Apr 99 to Mar-00	From b.m. Apr-00 onwards
1.	DOMESTIC	10	20	25
2.	NON DOMESTIC	10	20	25
3.	PUBLIC STREET LIGHTING	10	20	25
4.	AGRICULTURE SERVICE			
	(a) Metered Supply	1	2	4
	(b) Flat Rate Supply		– 5% of Flat rate –	
5.	SMALL INDUSTRIES	10	20	25
6.	MEDIUM INDUSTRIES	10	20	25
7.	BULK SUPPLY FOR MIXED LOAD	10	20	25
8.	LARGE INDUSTRIES	10	20	25

परिशिष्ट-3

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष से लाभान्वित व्यक्ति

163. **श्री जनार्दन गहलोत** (करौली) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बजट में कितनी राशि का प्रावधान किया है ?

(2) उक्त रक्षा कोष के लिए सरकार को कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये ?

(3) उक्त प्रार्थना-पत्रों में से कितने प्रार्थना-पत्रों का निष्पादन हुआ है और उन पर कितनी राशि कितने व्यक्तियों को सहायतार्थ दी गई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) इस कोष में अब तक राज्य सरकार ने 14.00 करोड़ का अंशदान किया है।

(2) उक्त रक्षा कोष हेतु सरकार को कुल 1086 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं।

(3) उक्त प्रार्थना पत्रों में से 791 व्यक्तियों को 356.25 लाख रुपये की सहायता स्वीकृत की गयी है। सूची संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

जिला सीकर में वृद्धावस्था पेंशन

164. **श्री अमराराम** (धोद) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वृद्धावस्था व राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं विधवा तथा विकलांग पेंशन देने के क्या मानदण्ड हैं ? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला सीकर में 1 अप्रैल, 1999 को कितने व्यक्तियों को वृद्धावस्था, विधवा एवं विकलांग पेंशन मिलती थी और एक जनवरी, 2001 को कितने व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है ?

(3) क्या गलत तरीके से जिनकी पेंशन बन्द हो गयी है उसे सरकार वापस शुरू करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) वृद्धावस्था व राष्ट्रीय वृद्धावस्था एवं विधवा तथा विकलांग पेंशन स्वीकृत करने के निम्न प्रमुख मानदण्ड हैं :—

(अ) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन

1- 65 वर्ष या इससे अधिक आयु के दीनहीन महिला एवं पुरुष।

2- इन व्यक्तियों की प्रतिवर्ष आय 1500/- रुपये से अधिक न हो।

(समाज कल्याण मंत्री)

3- उक्त वर्णित श्रेणी में अकेली रहने वाली महिला अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति, विकलांग, भूमिहीन कृषक एवं मजदूरों को प्राथमिकता।

4- यदि पति एवं पत्नी दोनों पृथक रूप से पात्रता रखते हैं, तो दोनों को उक्त पेंशन स्वीकृत की जाती है।

(ब) राज्य वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृत करने हेतु निम्नांकित प्रमुख मापदण्ड हैं

1- वृद्ध पुरुष 58 वर्ष तथा अधिक आयु के निराश्रित हो।

2- वृद्ध महिला 55 वर्ष तथा अधिक आयु की निराश्रित हो।

3- उक्त व्यक्तियों के जीवन निर्वाह के लिए कोई आय न हो।

4- जिनके 20 वर्ष से अधिक उम्र का पुत्र न हो।

5- राजस्थान का मूल निवासी इसके लिये पात्र व्यक्ति माना गया है।

(स) विधवा पेंशन हेतु निम्न प्रमुख मापदण्ड है

1- किसी भी आयु की निराश्रित विधवा हो।

2- राजस्थान की मूल निवासी हो।

3- जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक उम्र का पुत्र न हो।

(द) विकलांग पेंशन हेतु प्रमुख मापदण्ड

1- 8 वर्ष या इससे अधिक राजस्थान का निवासी जो अपाहिज या अपंग अन्धे हैं, व अपना आजीविका के कमाने के अयोग्य या असमर्थ है।

2- उनके पास कोई जीवन निर्वाह का साधन न हो।

3- जिनके 20 वर्ष या इससे अधिक का पुत्र न हो।

नियमों की प्रति आदिनांक संशोधनों के साथ परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला सीकर में 1 अप्रैल, 1999 को कुल 20467 व्यक्तियों को पेंशन मिल रही थी, जिनमें से 15689 को वृद्धावस्था पेंशन, 2946 विधवा पेंशन तथा 1832 विकलांगों को पेंशन मिल रही थी और एक जनवरी, 2001 को कुल 26208 व्यक्तियों को पेंशन मिल रही है जिनमें से 19284 को वृद्धावस्था पेंशन, 3970 विधवा पेंशन एवं 2954 को विकलांग पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

(3) पेंशन नियमों के अन्तर्गत पात्रता रखने वाले व्यक्तियों की पेंशन बन्द नहीं की गई तथा नियमानुसार भुगतान हो रहा है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

निर्माण कार्यों की बकाया राशि

165. डा. के. सी. चौधरी (ब्यावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों की कितनी रकम ठेकेदारों की कब से बकाया है? उक्त राशि ठेकेदारों की बकाया रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी किसकी है? क्या बकाया राशि के भुगतान करने की किसी स्तर पर जिम्मेदारी तय है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों की ठेकेदारों की 1439.33 लाख रुपये की राशि मुख्यतम: वर्ष 1995-1996 में 2000-2001 की बकाया है। बजट एवं साख सीमा के अभाव के कारण ठेकेदारों की राशि बकाया है। सम्भागवार बकाया राशि का विवरण निम्न प्रकार है :

क्र.सं.	सम्भाग का नाम	बकाया राशि (लाखों में)	कब से बकाया	बकाया रहने के कारण
1.	जयपुर जोन प्रथम	107.69	मई 1999 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
2.	जयपुर जोन द्वितीय	22.15	जून 1999 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
3.	अजमेर जोन	293.40	वर्ष 1999-2000 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
4.	जोन कोटा	159.50	फरवरी 1996 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
5.	जोन बीकानेर	183.82	वर्ष 1999-2000 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
6.	जोन जोधपुर	346.86	जनवरी 2001 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
7.	जोन उदयपुर	325.91	जनवरी 2001 से मार्च 2001	उपर्युक्त बजट एवं साख सीमा का अभाव
	योग	**1439.33**		

(2) भुगतान की राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उपलब्ध बजट व साख सीमा के अनुसार सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा भुगतान किया जाता है।

महाविद्यालयों में रिक्त पद

166. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) कालेज शिक्षा निदेशालय के अधीन संचालित समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कुल कितने पद रिक्त हैं? प्रत्येक महाविद्यालयवार एवं विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पदों को राज्य सरकार कब तक भरने का विचार रखती है? क्या उक्त पदों के भरने में आरक्षित सूची का उपयोग राज्य सरकार द्वारा किया जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में 962 व्याख्याताओं के पद रिक्त हैं जिनमें से 92 व्याख्याता दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति/लम्बे अवकाश/अनुपस्थित चल रहे हैं एवं 109 पद जो 1999-2000 में प्रारम्भ किये गये नवीन महाविद्यालयों के हैं जिनमें सेवानिवृत/डेप्यूटेशन/पार्ट टाइम व्याख्याताओं द्वारा ही अध्यापन कराये जाने की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार वास्तविक रिक्तियां 761 है। 962 व्याख्याताओं की महाविद्यालयवार एवं विषयवार रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर रखे जाने हेतु उपलब्ध है। (परिशिष्ट "1")

(2) वास्तविक रिक्त पदों में से 400 व्याख्याताओं के चयन की अर्थना राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को शीघ्र ही भिजवाई जा रही है। जी, हां। आवश्यकतानुसार उक्त पदों के भरने में आरक्षित सूची का उपयोग किया जायेगा।

VACANT POST OF LECTURER'S AS ON 20.03.2001

परिशिष्ट "1"

S. No.	College	D& P	Eco.	Eng.	Ge-og	Hin-di	Hi-st.	H. Sc-	Ph-il.	Pol. Sc.	Pub. Ad m.	Psy.	Sa-ns.	So-ci.	Sin-di	Ur-du	GP-EM	Jain logy	Lib. Sc.	Mu-sic (I)	Mu-sic (V)	Per-sia	Raj.	Stat.	Tex D& P	Co-mp. Sc.	Bot.	Che-m.	Geo-logy	Ma-th.	Phy.	Zool	AB-ST	B. A.	EA-FM	Law	To-tal
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1.	Ajmer			3	1									4							1							4					1			1	15
2.	Alwar Arts			1	7	3				3			1	1																						1	17
3.	Alwar R.R.																											1			-2	1	1				1
4.	Banswara	1	2	2	4	2	2			3			3	2													3	5		1		2	1		1		34
5.	Baran		1	2	2	2	2			4				1													3	1				1					19
6.	Barmer			2		3	2		1	2			1																			2	1				14
7.	Beawar		2		1	1							1	2													1	1				4	2				15
8.	Bharatpur MSJ		1	5	3	4			1	4			7														3	2			1		1		1	1	34
9.	Bhilwara MLV		3	1		2	2			1	3			1													1	2		1		1	1		2		21
10.	Bikaner Dungar			3		2	1			2	3			4		1											1	8	3	1	2	1	2			1	35
11.	Bundi	2	1	1	1	1	3			2			3								1						3	3						1		-1	21
12.	Chimanpura				3	2				3			3														1	1				2	1				16
13.	Chittorgarh				2	3	2			3			2	2													1					1					16
14.	Churu			1	5					2			1														2	3				3					17
15.	Dausa		1			3								1																					-1		4
16.	Deedwana			1	4	3	1			1	1		3													1	1	1	2			1		1			21
17.	Dholpur		1			2	1			1																	1	1			-1	2					8
18.	Dungarpur		2	1	2	4	4	1		4			3	6													1	1			1	2	1	1			34
19.	Jaisalmer					1				2																						1					4
20.	Jalore		1		1	3	2			1																						2	1				11
21.	Jhalawar				2	1	1			2			4	4													1	4			1						20
22.	Kaladera		1		1	2				3																	1	1		-1							8
23.	Karauli		1	1	1	4	1			1			1	1													3	1			-1	2					16

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
24.	Kisangarh			1		2				1																							2		-1		5
25.	Kota	4	1	2	1	2	1			4	5		1	7													1	5		1		1				3	39
26.	Kota Comm.																																	1			1
27.	Kothputli		1		1	2	2			1																	1	1					1				10
28.	Nagaur		3	2		1																					4	2		1	1	2					16
29.	Nathdwara	2	1			1							2	1														3							1		11
30.	Neem ka Thana			1	3	2	2		2	1			1														2					1			1		16
31.	Pali		1		1	1	1											1														1	3	1	2		12
32.	Pratapgarh					1	1						1	1													2				1			1	1		9
33.	Rajgarh				1	1	2			1																		1				2					8
34.	Sambhar Lake									1																				-1	-1		1	1			1
35.	Sawai Madhopur					1	1			1			1														2	2			-1	4					11
36.	Shahpura			1	3	2	1			1			2	1																		1	1				13
37.	Sikar			2		3	1			8	3		1	1													3	3		-1		6	1	1		1	33
38.	Sirohi			1		1	2			2			1	1														2				1	1		1		13
39.	Sri. Ganganagar		2	2	1	1	1			2																		1		1	1		1				13
40.	Sujangarh																										1					1	2	1			5
41.	Tonk				1	1	1				2		2			1											3	1				3					15
42.	Alwar Girls			1		1	1	1		1		1	3								1													1			11
43.	Bharatpur Girls			1		1		3	2			1	2														1	3				1	1				16
44.	Bhilwara Girls		1	1	1	1			-1				1	1							1						1	3				1	1		1		13
45.	Bikaner Girls			1				1		2	1			1													1	1				2					10
46.	Kota Girls			1		2		1		1				3			1			1	1				1		2	3				1	2				20
47.	Sri Ganganagar Girls		1	1		3	1	1		3			1	3														1				1					16
48.	Udaipur Meera	1		2		1		1	1	1			3								1	1		1							1		3	1	1		19

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
49.	Abu Road		1							1																				1							3
50.	Amet																																	1	1		2
51.	Balotra									2																								1			3
52.	Bandikui					4	1			5				1																							11
53.	Bayana					1	1			1																											3
54.	Behror			1		1				1			1																								4
55.	Bhawanimandi					1				1																											2
56.	Bhinmal			1						1			1	1														1						1			6
57.	Bibi Rani				1	1	1			2			1																								6
58.	Deeg				1	1				1																											3
59.	Deoli				1																												-1				0
60.	Gangapur City			1		1				2																	1	1				1					7
61.	Govindgarh		1	1		1				2			1																								6
62.	Hindoncity									1			1																								2
63.	Kekri			1		1				1																											3
64.	Khetri		1	2	3	3		1		3				1													1				1		1				17
65.	Kushalgarh		1			1				2				1																							5
66.	Lalsoth					1	1			1																							1	1	1		6
67.	Malpura				1	1				1			1																								4
68.	Mandalgarh				1	1				1																											3
69.	Mandapiya									1																	1	1				2	1		1		7
70.	Mertactiy		1			1	1			2																	1	1			1	1					9
71.	Nasirabad																																				0
72.	Nimbahera						1			1																							1				3
73.	Nohar				3	1	2																				1	1					1		1		10
74.	Nokha						1			1				1													1	1			1	1					7

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
75.	Phalodi						1																				1			1	1						4
76.	Rajsamand																										1			1	1						3
77.	Ramganjmandi			1			1																										1		1		4
78.	Ramgarh																										1				1						2
79.	Ratangarh					1																													1		2
80.	Sagwara	1																																			1
81.	Salumber						1			1			1	2																			1		1		7
82.	Sardarsahar		1	1		1								1				1													-1						4
83.	Shivganj					1	1			1																								1			4
84.	Suratgarh			1		1	1																														3
85.	Taranagar					1																												1			2
86.	Ajmer Girls																																				0
87.	Balotra Girls																																				0
88.	Banswara Girls					2	1	1		1											1																6
89.	Baran Girls					2		2		2																											6
90.	Barmer Girls								1	1																											2
91.	Bundi Girls					1																															1
92.	Chittor. Girls						1																														1
93.	Chomu Girls					1				1																											2
94.	Dausa Girls		1			1																															2
95.	Dungarpur Girls									1				1																							2
96.	Jaisalmer Girls																																				0
97.	Jalore Girls			1		1	1							1																							4
98.	Jhalawar Girls							2																													2
99.	Jhunjhunu Girls					3	1			3				2																							9
100.	Karauli Girls																																				0

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
101.	Kotputli Girls					1				1																											2
102.	Nagaur Girls						1	2		1																											4
103.	Nathdwara Girls			1				1																													2
104.	Neem Ka Thana (Girls)					1				2																								-1			2
105.	Pali Girls	1				1																													1		3
106.	Piparcity Girls			1																																	1
107.	Ratangarh Girls							1																													1
108.	S. Madhopur (Girls)			1			1																														2
109	Shahpura Girls					1				1																											2
110.	Sirohi Girls																																				0
111.	TonkGirls					1																															1
	TOTAL	**12**	**35**	**58**	**64**	**121**	**62**	**19**	**7**	**12**	**18**	**2**	**62**	**61**	**0**	**2**	**1**	**2**	**0**	**2**	**7**	**0**	**0**	**1**	**1**	**1**	**60**	**78**	**5**	**6**	**8**	**62**	**39**	**16**	**18**	**7**	**962**
	(Agri. Subject)	Ag-ro	AH-DS	Ent.	Bio	Bot.	Eco.	Edu.	En-gg.	Ha.rt	Live	PBG	PP	Soil																							
	Chimanpra																																				0
	S. Madhopur																																				
	Directorate																																				0
	Total (Agri.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																							0
	Grand Total																																				**962**

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं हेतु किट

167. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि महिला एवं बाल विकास द्वारा मेडिकल किट क्रय किये जाने की निविदा आमंत्रित की गई है? यदि हां, तो निविदा की प्रति व कुल कितनी राशि की मेडिकल किट तैयार कराये जाने पर प्रावधान है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि मेडिकल किट तैयार कर प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र पर भेजे जायेंगे? यदि हां, तो प्रदेश भर के लिए कुल कितने किट भेजे जाएंगे और प्रत्येक किट में कौन-कौन से आइटम होंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता की योग्यता पांचवीं पास ही है? यदि हां, तो क्या उक्त कार्यकर्ताओं को नर्सिंग प्रशिक्षण दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या मेडिकल किट सप्लाई से पूर्व इनका नर्सिंग प्रशिक्षण करने का विचार है और नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार आई.सी.डी.एस. को आबंटित उक्त बजट को स्वास्थ्य विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। विभाग द्वारा भारत सरकार से प्राप्त दिशा निर्देशों के संदर्भ में सामान्य आई.सी.डी.एस. के अन्तर्गत 162.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत के मेडिकल किट क्रय करने की निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जी, हां। 191 परियोजनाओं के 27233 आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रति केन्द्र एक किट के हिसाब से मेडिकल किट भिजवाए जाएंगे। मेडिकल किट में सम्मलित की जाने वाली सामग्री की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जोब ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल किट में दी गई दवाइयों के प्रयोग की जानकारी दी जाती है। महिला पर्यवेक्षक/ए.एन.एम. आंनगबाड़ी कार्यकर्ताओं को इस किट के प्रयोग हेतु मार्ग दर्शन दिया जाता है।

(4) जी, नहीं। मेडिकल किट क्रय की कार्यवाही भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार की जाती रही है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पुष्कर (अजमेर) में पर्यटन गाइड सेवा

168. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या पर्यटन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार पुष्कर में देशी एवं विदेशी पर्यटकों की बाहुल्यता को देखते हुए पर्यटन गाइड सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री ललित भाटी)

(2) क्या सरकार पुष्कर में पर्यटन विकास की दृष्टि से टूरिस्ट बस सेवा उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी, नहीं। पुष्कर में पृथक से पर्यटक गाइड सेवा उपलब्ध कराने का कोई विचार नहीं है। अजमेर में वर्तमान में दो राज्य स्तरीय गाइड उपलब्ध हैं जिनकी सेवाएं पुष्कर के लिए भी ली जाती है। अजमेर जिले में स्थानीय गाइडों की सेवा के विस्तार हेतु गत वर्ष माह मई में प्रार्थना पत्र आमंत्रित किये गये थे, परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण चयन प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी। दिनांक 11.4.2001 को स्थगन आदेश निरस्त हो गया है तथा अब अजमेर जिले के लिए 100 स्थानीय गाइडों हेतु चयन प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में कोई योजना विचाराधीन नहीं है। निगम द्वारा समय-समय पर पर्यटकों की मांग के अनुसार प्रचलित दरों पर वाहन सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

जिला पाली में गांधी ग्राम योजना हेतु चयनित ग्राम

169. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा गांधी ग्राम योजना, पूर्णरूप से निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायतों के सर्वतोमुखी ग्रामीण विकास के आदर्श के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई?

(2) जिला पाली में भू-संरक्षण विभाग ने किस-किस पंचायत समिति के किस-किस ग्राम पंचायत का चयन किस आधार पर किया?

(3) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में पूर्णरूप से निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत इसाली का चयन किस आधार पर नहीं किया गया तथा मात्र सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायत माण्डा का चयन किस आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) गांधी ग्राम योजना राज्य सरकार द्वारा राजस्थान की प्रत्येक पंचायत समिति से एक ग्राम का चयन कर जल ग्रहण विकास एवं अन्य सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रमों में समन्वित क्रियान्वयन के आधार पर उसे सर्वतोमुखी ग्रामीण विकास के आदर्श के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से प्रारम्भ की गई है। योजनान्तर्गत चयन हेतु निर्विरोध निर्वाचित सरपंचों वाली ग्राम पंचायतों के ग्रामों को प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान है।

(2) जिला पाली में दिनांक 17.2.2001 को आयोजित गांधी ग्राम योजना की जिला शासकीय परिषद् की

(कृषि मंत्री)

बैठक में, जिसमें जिला कार्यकारिणी समिति के सदस्य भी उपस्थित थे, सभी पहलुओं पर व्यापक विचार-विमर्श कर पंचायत समितिवार ग्रामों का चयन किया गया है, जिसकी सूची परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) पंचायत समिति मारवाड़ जंक्शन में पूर्णरूप से निर्विरोध निर्वाचित ग्राम पंचायत ईसाली के ग्राम का चयन इस आधार पर नहीं किया गया, क्योंकि उक्त ग्राम पंचायत का न तो जिला शासकीय परिषद् की दिनांक 17.02.2001 को आयोजित बैठक तक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था और न ही बैठक में उपस्थित किसी जन प्रतिनिधि द्वारा उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम के चयन हेतु नाम प्रस्तावित किया गया।

मात्र सरपंच के निर्विरोध निर्वाचन वाली ग्राम पंचायत माण्डा के ग्राम का भी यद्यपि उक्त बैठक की तिथि तक चयन हेतु प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ था, परन्तु बैठक में उपस्थित जन प्रतिनिधि द्वारा ग्राम पंचायत माण्डा के ग्राम का नाम प्रस्तावित किये जाने पर व्यापक विचार विमर्श के उपरान्त अनुमोदन कर चयन किया गया।

परिशिष्ट "अ"

गांधी ग्राम योजना

दिनांक 17.2.2001 को शासकीय परिषद् की बैठक में ब्लाकवार चयनित गांवों की सूची

क्र.सं.	पंचायत समिति	ग्राम पंचायत	गांव का नाम	क्या ग्राम पंचायत के सरपंच निर्विरोध है हां/नहीं
1.	पाली	साकदड़ा	साकदड़ा	हां
2.	रोहट	गडवाडा	जैतपुर	हां
3.	सोजत	करमादासपटा	करमादास पटा	हां
4.	जैतारण	देवरिया	देवरिया	हां
5.	देसूरी	बागोल	बागोल	हां
6.	बाली	सैणा	सैणा	हां
7.	सुमेरपुर	सिंदरू	सिंदरू	हां
8.	मारवाड़ जंक्शन	माण्डा	फूलिया	हां
9.	रानी	खाटूकड़ा	खाटूकड़ा	नहीं
10.	रायपुर	कलालिया	कलालिया	नहीं

ह०/-
उप निदेशक
जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण
पाली

नदबई (भरतपुर) में अनियमित विद्युत आपूर्ति

170. श्री यशवन्त सिंह (रामू) (नदबई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) की कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति व्यवस्था खराब है? क्या किसानों को निर्धारित समय व निरन्तर सप्लाई नहीं की जाती है? यदि हां, तो इस हेतु क्या-क्या कारगर उपाय किये जा रहे हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र नदबई (भरतपुर) के ग्रामीण क्षेत्रों में ब्लाक समय में 6 से 8 घंटे नियमित तीन फेज में बिजली दी जाती रही है व सायंकाल को सिंगल फेज विद्युत घरेलू उपयोग के लिए सभी क्षेत्रों में दी जाती रही है। कभी-कभी उत्तरी ग्रिड में बिजली की कमी आने के कारण अथवा तकनीकी खराबी होने के कारण सिस्टम में बिजली की कमी हो जाती है। इस कारण उपरोक्त व्यवस्था में व्यवधान आ जाता है। उपलब्धता में कमी के समय अन्य राज्यों तथा केन्द्रीय विद्युत गृहों से बिजली खरीद कर इस कमी को यथासमय दूर करने के निरन्तर प्रयास किये जाते हैं।

जिला नागौर में नर्सिंग कर्मियों के रिक्त पद

171. श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : क्या चिकित्सा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में कुल कितने नर्स श्रेणी द्वितीय, प्रथम एवं ए.एन.एम. (एम.पी.डब्ल्यू. महिला) के कुल कितने पद सृजित हैं? सूची श्रेणीवार सदन की मेज पर रखें।

(2) जिला नागौर में नर्स प्रथम व द्वितीय व ए.एन.एम. के कुल कितने पद सृजित हैं और उनमें से कितने पद रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(4) नर्स श्रेणी द्वितीय के कुल कितने व्यक्ति आर.एन.सी. से प्रशिक्षण के बाद रजिस्टर्ड हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वांछित सूचना परिशिष्ट "क" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(2) वांछित सूचना परिशिष्ट "ख" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

(3) जी, हां। रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही जारी है।

(4) दिनांक 12.4.2001 तक नर्स श्रेणी-द्वितीय के 16725 व्यक्ति आर.एन.सी. से रजिस्टर्ड हैं जिनका ब्यौरा परिशिष्ट "ग" सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

परिशिष्ट "क"

राज्य में नर्स श्रेणी प्रथम, नर्स श्रेणी द्वितीय एवं ए.एन.एम. (एम.पी.डब्ल्यू. महिला) के पद निम्नप्रकार से श्रेणीवार सृजित है

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या
1.	नर्स श्रेणी प्रथम	2000
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	9891
3.	ए.एन.एम.	12271

परिशिष्ट "ख"

जिला नागौर में नर्स श्रेणी प्रथम, नर्स श्रेणी-द्वितीय एवं ए.एन.एम. के स्वीकृत एवं रिक्त पद निम्नप्रकार हैं

क्र.सं.	पद का नाम	स्वीकृत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या
1.	नर्स श्रेणी प्रथम	51	31
2.	नर्स श्रेणी द्वितीय	342	129
3.	ए.एन.एम.	668	66

परिशिष्ट "ख"

जनरल नर्सिंग अभ्यर्थियों के रजिस्ट्रेशन का वर्षवार विवरण

क्र.सं.	वर्ष	कुल रजिस्ट्रेशन संख्या
1	2	3
1.	1965	1049
2.	1966	217
3.	1967	522
4.	1968	292
5.	1969	305
6.	1970	251
7.	1971	202
8.	1972	199
9.	1973	255
10.	1974	259
11.	1975	226
12.	1976	222
13.	1977	261
14.	1978	258
15.	1979	285
16.	1980	227
17.	1981	225
18.	1982	301
19.	1983	410
20.	1984	568

1	2	3
21.	1985	599
22.	1986	470
23.	1987	167
24.	1988	367
25.	1989	984
26.	1990	1195
27.	1991	509
28.	1992	716
29.	1993	917
30.	1994	299
31.	1995	254
32.	1996	664
33.	1997	279
34.	1998	697
35.	1999	732
36.	2000	1012
37.	2001(12.4.2001)	390
	कुल रजिस्ट्रेशन	**16725**

ह०/-
रजिस्ट्रार,
राजस्थान नर्सिंग काउंसिल
जयपुर

जनजाति उपयोजना में परियोजना अधिकारी के पद पर प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति

172. श्री शंकरलाल अहारी (चौरासी) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या जनजाति उपयोजना क्षेत्र में परियोजना अधिकारी के पद वरिष्ठ राजस्थान प्रशासनिक सेवा के पद हैं? यदि हां, तो क्या उक्त पदों पर प्रशासनिक अधिकारी कार्यरत है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त पदों पर प्रशासनिक अधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। जनजाति उपयोजना क्षेत्र में परियोजना अधिकारी के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी से तथा उप परियोजना अधिकारी (प्रतापगढ़ एवं आबूरोड) के पद राजस्थान प्रशासनिक सेवा की साधरण वेतन श्रृंखला से भरे जाने का प्रावधान है। वर्तमान में परियोजना अधिकारी, उदयपुर तथा उप परियोजना अधिकारी, आबूरोड के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी पदस्थापित है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की कमी एवं पदस्थापन के पश्चात् इन अधिकारियों के स्थानान्तरण के कारण उक्त पदों पर अधिकांशतः अन्य सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित किया जाता है अथवा किसी अन्य अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार दिया जाता है।

(2) जी, हां। राज्य सरकार उक्त पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदस्थापित करने का विचार रखती है। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को इन पदों पर पदस्थापित करने के प्रयास किये जा रहे हैं।

उपखण्ड नवलगढ़ (झुंझुनूं) के अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

173. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि मैसर्स लाटाला कंसट्रेक्शन कम्पनी को झुंझुनूं जिले के नवलगढ़ सब डिवीजन क्षेत्र में कुल बारह सड़कों के निर्माण का ठेका एग्रीमेंट नं. 168 वर्ष 1999-2000 द्वारा दिया गया था जिसके अनुसार कार्य शुरू होने की तारीख 2.12.1999 तथा कार्य पूर्ण होने की तारीख 1.6.2000 थी?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य शुरू ही नहीं किये गये? यदि हां, तो ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त ठेकेदार को अभी तक ब्लैक लिस्ट नहीं किया गया है तथा उसको आगे भी ठेके पर दिये जा रहे हैं?

(श्री शिवनाथ सिंह)

(4) उक्त कार्य को करवाने हेतु विभाग से विभागीय अधिकारियों द्वारा कब-कब पत्र/नोटिस आदि दिये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से ठेकेदार ने फायदा उठाया है? अब उक्त कार्यों को पूर्ण करवाने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) जी, हां। ठेकेदार द्वारा उक्त कार्य शुरू नहीं किये। ठेकेदार को 2% धरोहर राशि एवं 5% परफोरमेंस गारंटी राशि जब्त कर ली गई है।

(3) जी, हां। इससे सम्बन्धित कार्यवाही विचाराधीन है। उक्त ठेकेदार को आगे ठेके नहीं दिये जा रहे हैं।

(4) उक्त कार्यों को करवाने हेतु समय-समय पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता द्वारा पत्र/नोटिस दिये गये हैं जिनका विवरण निम्नप्रकार है :—

(5) जी, नहीं। इन कार्यों को करवाना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

---

1. अधिशासी अभियन्ता दि.18.2.2000
पत्र सं.1063 सा.नि.वि.
खण्ड झुंझुनूं
2. अधिशासी अभियन्ता दि.21.3.2000
पत्र सं.10774
3. अधिशासी अभियन्ता दि.31.3.2000
पत्र सं.1-11054
4. अधिशासी अभियन्ता दि.16.5.2000
पत्र सं.2-2166
5. अधिशासी अभियन्ता दि.29.5.2000
पत्र सं.3-3128

एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर को आई.आई.टी. की मान्यता

174. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या तकनीकी शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान की कौन-कौन सी इंजीनियरिंग कालेजों को भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् ने आई.आई.टी. के लिए चुना है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि एम.बी.एम. इंजीनियरिंग कालेज, जोधपुर भी आई.आई. टी. का दर्जा लेने हेतु चयन किया गया है? यदि हां, तो कब? उक्त कालेज को आई.आई.टी. का दर्जा अब तक नहीं दिये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या सरकार इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर को स्वायत्तता प्रदान करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान के किसी भी इंजीनियरिंग महाविद्यालय को आई.आई.टी. के लिए नहीं चुना गया है।

(2) जी, नहीं।

(3) विश्वविद्यालय से राज्य सरकार द्वारा कुछ बिन्दुओं पर जानकारी ली जा रही है। यथासमय गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जावेगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों को प्रदत्त मानदेय

175. **श्री रामस्वरूप** (टोडाभीम) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि भारत सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं/सहायकों के मानदेय में वृद्धि की है? यदि हां, तो कितनी? क्या सरकार उक्त व्यक्तियों को बढ़ा हुआ मानदेय देने का विचार रखती है?

(2) क्या जिस आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने 5 वर्ष की सेवा लगातार पूर्ण कर ली उसे 30 रुपये का इंक्रीमेंट दिया जाता है? क्या सैकण्डरी उत्तीर्ण करने वाली कार्यकर्ताओं को भी 30 रुपये का अतिरिक्त मानदेय उसके मूल मानदेय में जोड़ कर दिया जाता है? यदि हां, तो आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ऐसे कार्यकर्ताओं को 60 रुपये का मानदेय बढ़ाकर देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में ऐसे कितने मामले हैं जिनको ऐसा लाभ दिया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी, हां। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में पूर्व प्रचलित दरों में 25 प्रतिशत की तथा सहायिका के मानदेय में 30 प्रतिशत की वृद्धि की थी। राज्य सरकार द्वारा बढ़े हुए मानदेय की स्वीकृति दिनांक 22.7.1997 को ही प्रसारित कर दी थी। यह वृद्धि 16.5.1997 से प्रभावी है।

(2) जी, हां। 5 वर्ष की लगातार सेवा पूर्ण करने पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के मानदेय में प्रतिमाह 31/- रुपये की वृद्धि की जाती है। जी, हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(3) जी, नहीं।

(4) विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम के अन्तर्गत संचालित बाल विकास परियोजना, नादौती एवं टोडाभीम के कार्यकर्ताओं, जिनको लाभ दिया गया है, की सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

राजस्थान सरकार

महिला एवं बाल विकास विभाग

परिशिष्ट "अ"

क्रमांक : एफ2 (बजट/प.स./सीएसएस/मबावि/97/43238 जयपुर, दिनांक : 22.7.97

प्रेषक : उप शासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग
राजस्थान, जयुपर

प्रेषित : निदेशक
महिला एवं बाल विकास, विभाग
राजस्थान, जयुपर

विषय : आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं के मानदेय वृद्धि के सम्बन्ध में।

विषयान्तर्गत भारत सरकार मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास विभाग, नयी दिल्ली के पत्र क्रमांक : 14-32/97-सी.डी.-1, दिनांक : 29.5.97 के द्वारा आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता एवं सहायिका के मानदेय में क्रमशः 25% एवं 30% वृद्धि के फलस्वरूप दिनांक : 16.5.97 से निम्नानुसार वृद्धि करने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय, की ओर से एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र.सं.	**श्रेणी**	**मानदेय की विद्यमान दर प्रतिमाह रु.**	**मानदेय की नवीन दर 16.5.97 से प्रभावी प्रतिमाह रु.**
अ.	**आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता**		
1.	नान मैट्रिक	350.00	438.00
2.	नान मैट्रिक जिन्हें 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा का अनुभव हो।	375.00	469.00
3.	नान मैट्रिक जिन्हें 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा का अनुभव हो।	400.00	500.00
4.	मैट्रिक	400.00	500.00
5.	मैट्रिक जिन्हें 5 वर्ष की अवैतनिक सेवा का अनुभव हो।	5425.00	531.00
6.	मैट्रिक जिन्हें 10 वर्ष की अवैतनिक सेवा का अनुभव हो।	450.00	563.00
ब.	**सहायिकाएं**	**200.00**	**260.00**

इन कार्यकर्त्ताओं की सेवाओं को शासित करने वाली अन्य शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

उपरोक्त व्यय निम्न लेखामद से वहन होगा :—

2236	—	पोषण
02	—	पोषक भोजन तथा सुदेय का वितरण
101	—	विशेष पोषण कार्यक्रम
I	—	महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम द्वारा
(II)	—	एकीकृत बाल विकास योजना (सी.एस.एस.)

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई.डी. संख्या : 2209, दिनांक : 8.7.97 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

ह०/-
उपशासन सचिव,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
राजस्थान, जयपुर

परिशिष्ट "ब"

विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में कार्यरत कार्यकर्ताओं की सूची, जिन्हें मानदेय 5 वर्ष एवं 10 वर्ष का लाभ दिया गया है

क्र.सं	आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	माया	अजीजपुर
2.	सावित्री	भीमपुर
3.	सुशीला	मनकपुरा
4.	विमला	भैसीना
5.	सावित्री	दातली
6.	भगवान देवी	भैंसा
7.	तुलसा	महरौली
8.	लक्ष्मी	झाडीसा
9.	इन्द्रा	मेहन्दीपुर
10.	माया	नांगललाट
11.	सुशीला	नांगललाट
12.	सुशीला	पाटोली
13.	गणगौरी	पाडला
14.	शांति	पाडला
15.	उर्मिला	साकरवाड़ा
16.	रामा	मूडा
17.	कैलाशी	डोकरा
18.	सरोज	पदमपुरा
19.	अंगूरी	पदमपुरा
20.	रुकमणी	बेरोज
21.	विमला	गज्जुपुरा
22.	सुशीला	दादनपुर
23.	बेबी	शहराकर
24.	उर्मिला	खोहरा
25.	कमला	खोहरा
26.	मीना	मान्नौज
27.	द्रोपदी	बीजलना
28.	अय्योद्धा	ऐदलपुर
29.	फूलवती	राजौर
30.	लड्डो	करीरी
31.	धनवती	खानपुर
32.	कंवरबाई	गाजीपुर
33.	शकुन्तला	खेड़ी
34.	पुष्पा	मेरेड़ा
35.	कमला	मडेरू
36.	किरण	जेचड़ी
37.	पुष्पा	मातासूला
38.	छोटी	गोपालपुरा
39.	मोना	मिर्जापुर

1	2	3	1	2	3
40.	सीता	सुजानपुरा	55.	पुष्पा	महस्वा
41.	प्रेमलता	खिरखिड़ी	56.	शकुन्तला	किरवाड़ा
42.	विभा	बिशनपुरा चारण	57.	कमला	निसूरा
43.	शांति	मांचड़ी	58.	विमला	निसूरा
44.	कमला	मोरड़ा	59.	रामदुलारी	भोपुर
45.	माया	गढी मोरड़ा	60.	पिस्ता	पहाड़ी
46.	शकुन्तला	लपावली	61.	पुष्पा	कमालपुरा
47.	कमाली	कंजौली	62.	सोनकली	धवान
48.	दांखा	नागलशेष	63.	लक्ष्मी	गांवड़ी
49.	रूपबाई	नागलशेष	64.	प्रेमलता	आरेज
50.	कृष्णा	भण्डारी	65.	प्रेमदेवी	भैंसा
51.	स्नेहलता	शेखपुरा प्रथम	66.	विद्या	कमालपुरा
52.	चन्द्रा	उरेदेन	67.	कमलेश	बहादुरपुर
53.	मुन्नी	महस्वा	68.	विद्या	राणौली
54.	सुआबाई	महस्वा			

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, नादौती जिला करौली के आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सूची जिन्हें पांच से दस वर्ष की लगातार सेवा पर इन्क्रीमेंट का लाभ

क्र. सं.	नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	केन्द्र
1	2	3
1.	श्रीमती भरोसी देवी	शहर
2.	श्रीमती रुकमणी देवी	सोप
3.	श्रीमती तारा देवी	सोप
4.	श्रीमती कैलाशी देवी	सोप
5.	श्रीमती उर्मिला देवी	कुजेला
6.	श्रीमती अमरुति देवी	कुजेला
7.	श्रीमती ललिता देवी	कैमला
8.	श्रीमती विद्या देवी	कैमला
9.	श्रीमती रुकमणी देवी	कैमला
10.	श्रीमती मीना देवी	बरदाला
11.	श्रीमती कैलाशी देवी	बरदाला
12.	श्रीमती प्रेमबाई	खडाचैनपुर
13.	श्रीमती रतनदेवी	बागोर
14.	श्रीमती कमला देवी	बागोरी
15.	श्रीमती प्रेमबाई	नार्थसचित
16.	श्रीमती प्रेम देवी	टालसर
17.	श्रीमती फूला देवी	गावड़ी
18.	श्रीमती केसन्ता देवी	भौडवाड़ा
19.	श्रीमती मुथरी देवी	चिरावड़ा
20.	श्रीमती शांति देवी	रैवासा
21.	श्रीमती गीता देवी	गढ़मोरा
22.	श्रीमती प्रेम देवी	गढ़मोरा
23.	श्रीमती शांति देवी	रायसवा
24.	श्रीमती कमला देवी	खोयली
25.	श्रीमती प्रेमलता	लोधा
26.	श्रीमती शीला सैन	गोठरा
27.	श्रीमती राम भरोसी	दलपुरा
28.	श्रीमती प्रेमदेवी शर्मा	अलुदा
29.	श्रीमती उच्छव बाई	उनीसा
30.	श्रीमती अनोखी देवी	सलावद
31.	श्रीमती सुशीला देवी	सलावद
32.	श्रीमती कमला देवी	गढखेड़ा
33.	श्रीमती शांति देवी	तालचिंग
34.	श्रीमती किलाणी देवी	मीनापट्टी
35.	श्रीमती अशोक देवी	राजपुर
36.	श्रीमती प्रेम देवी	रामपुरा
37.	श्रीमती निर्मला देवी	सामका नाहरा
38.	श्रीमती प्रेमलता	बाड़ा
39.	श्रीमती हेमलता	राजाहेड़ा

1	2	3	1	2	3
40.	श्रीमती उषा देवी	तिमावा	58.	श्रीमती धन्नी देवी	केमटी
41.	श्रीमती आशा देवी	धोलिटा	59.	श्रीमती मन्तरा देवी	केमटी
42.	श्रीमती शारदा देवी	रिंगसपुरा	60.	श्रीमती विद्या देवी	खेड़ला
43.	श्रीमती प्रेम देवी	पाल	61.	श्रीमती कंचन देवी	रलावता
44.	श्रीमती कान्ता देवी	पाल	62.	श्रीमती भगवती देवी	रौसी
45.	श्रीमती नर्बदा देवी	भंवरवाड़ा	63.	श्रीमती अंगूरी देवी	रौसी
46.	श्रीमती सुशीला देवी	गुणा	64.	श्रीमती चन्द्र कला	ढहारिया
47.	श्रीमती ईमानी देवी	मुहाना	65.	श्रीमती प्रेम देवी	आधिवोड
48.	श्रीमती गीता देवी	गुढ़ाचन्द्री	66.	श्रीमती मुन्नी देवी	भालूपाड़ा
49.	श्रीमती सन्तरा देवी	गुढ़ाचन्द्री	67.	श्रीमती शकुन्तला देवी	तेसगांव
50.	श्रीमती सिया देवी	नादौती	68.	श्रीमती हरवेजी	बीसाखेड़ा
51.	श्रीमती सुशीला देवी	नादौती	69.	श्रीमती प्रभा देवी	शहर
52.	श्रीमती मिथलेश देवी	बाढकेमरी	70.	श्रीमती मीना देवी	लड़ावद
53.	श्रीमती विमला देवी	भीलापाड़ा	71.	श्रीमती भगवती देवी	गढखेड़ा
54.	श्रीमती पार्वती देवी	बाड़ावाजिदपुर	72.	श्रीमती कृष्णा देवी	सन्देड़ा
55.	श्रीमती शारदा देवी	केमटी	73.	श्रीमती रुकमणी देवी	गुढ़ाचन्द्रजी
56.	श्रीमती सन्तोष देवी	केमटी	74.	श्रीमती मधु जैन	नादौती
57.	श्रीमती गीता देवी	केमटी	75.	श्रीमती राजकुमारी	तेसगांव

जिला चूरू से जल ग्रहण कलस्टर कार्य

176. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत जिला चूरू में वर्ष 2000-2001 में कितने जल कलस्टरों की स्वीकृति जारी की गई तथा स्वीकृत जल ग्रहण कलस्टरों का अनुमोदन किस स्तर पर कराया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति चूरू के अन्तर्गत जल ग्रहण कलस्टर ग्राम रीबिया में दिनांक 10 जनवरी, 2000 को स्वीकृति की गई? यदि हां, तो क्या इसकी क्रियान्वयन एजेन्सी जल ग्रहण विकास व भू-संरक्षण विभाग, झुंझुनूं को बनाया गया?

(3) क्या यह भी सही है कि दिनांक 17 जनवरी, 2000 को ग्राम पंचायत रीबिया के वार्ड संख्या 9 की सभा आयोजित की गई जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि जल ग्रहण कलस्टर खसरा नम्बर 1 से लेकर लगातार 2000 बीघा तक स्वीकृत किया जावे? यदि हां, तो प्रस्ताव अनुसार कार्यवाही क्यों नहीं हुई?

(4) क्या यह सही है कि जल ग्रहण कलस्टर रीबिया (चूरू) में ली गई भूमि का चयन गलत किया गया तथा कोई शिकायत जिला कलक्टर चूरू को की गई? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) डी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत जिला चूरू में वर्ष 2000-2001 में जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग को 18 जल ग्रहण कलस्टर की स्वीकृतियां जिला जल ग्रहण सलाहकार समिति चूरू की बैठक दिनांक 2.12.2000 में दी गई थी, जिसका अनुमोदन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की शासकीय परिषद् की बैठक दिनांक 30.12.2000 में किया गया। विवरण परिशिष्ट-1 सदन की पटल पर रख दिया गया है।

(2) पंचायत समिति चूरू के अन्तर्गत ग्राम रीबिया में जल ग्रहण कलस्टर स्वीकृत हुआ है किन्तु यह स्वीकृति दिनांक 10.1.2000 को न होकर दिनांक 10.1.2001 को हुई है। उप निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, झुंझनूं को इस कार्य, हेतु परियोजना क्रियान्वयन एजेन्सी बनाया है।

(3) ग्राम पंचायत, रीबिया के वार्ड संख्या 9 की सभा दिनांक 17.01.2000 को आयोजित न की जाकर दिनांक 17.01.2001 को आयोजित की गई थी, जिसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि जल ग्रहण कलस्टर खसरा नं. 1 से लगातार 2000 बीघा तक स्वीकृत किया जावे परन्तु दिनांक 07.02.2001 को आयोजित ग्राम सभा, रीबिया की बैठक में उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया गया, अतः इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

(भू-जल मंत्री)

(4) जल ग्रहण कलस्टर रीबिया (चूरू) में ली गई भूमि का चयन गलत नहीं किया गया है। यह चयन ग्राम पंचायत के प्रस्तावानुसार किया गया है। अतिरिक्त कलक्टर (विकास) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू के माध्यम से दिनांक 23.02.2001 को ग्राम रीबिया के निवासियों द्वारा एक शिकायत जो की परिशिष्ट-2 ए एवं 2 बी पर संलग्न है। उप निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, झुंझुनूं तथा सहायक कृषि अभियंता, जल ग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण, चूरू को प्राप्त हुई है, जो कि अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की भूमि की योजना में शामिल नहीं करने तथा खसरावार लगातार भूमि परियोजना में सम्मिलित नहीं करने के संबंध में है। उक्त शिकायत के संबंध में दिनांक 05.03.2001 को ग्राम रीबिया में सरपंच की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की जाकर 6 अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की परियोजना क्षेत्र से लगती हुई 22.98 हैक्टेयर भूमि को सम्मिलित की गई भूमि के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव सहायक कृषि अभियन्ता, जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, चूरू द्वारा जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, चूरू को आवश्यक अनुमोदन हेतु दिनांक 31.03.2001 को भेजा जा चुका है। (परिशिष्ट-4)

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला धौलपुर की विद्युत वितरण व्यवस्था

177. **श्री जसवंत सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला धौलपुर में ऐसे कितने गांव हैं जिनमें विद्युतीकरण होने के बावजूद भी ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं?

(2) उक्त जिले के अन्दर वर्तमान में ऐसे कितने ट्रांसफार्मर हैं जिन्हें खराब होने के पश्चात् भी बदलवाये नहीं गये हैं?

(3) उक्त जिले के उप खण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था के सुधार के लिए क्या कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? क्या बाड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन लगाया जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक कर दी जावेगी?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर में 11 के.वी./एल.टी.लाइन क्षतिग्रस्त होने व कनेक्शन हेतु आवेदन पत्र प्राप्त न होने से विद्युतीकृत घोषित होने के बावजूद भी 87 गांवों में ट्रांसफार्मर नहीं लगाये गये हैं।

(2) उक्त जिले में खराब व जलने वाले ट्रांसफार्मरों से जुड़े उपभोक्ताओं द्वारा बिलों की राशि जमा नहीं करवाने के कारण 26 ट्रांसफार्मर नहीं बदले गये हैं।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) धौलपुर जिले के उप खण्ड बाड़ी में विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिए करौली से सरमथुरा एवं धौलपुर से बाड़ी 33 के.वी. लाइन प्रस्तावित है। बाडी में 132 के.वी. ग्रिड सब-स्टेशन विश्व बैंक से प्राप्त होने वाली ऋण सहायता से बनाया जाना प्रस्तावित था किन्तु विश्व बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण सहायता में देरी तथा वांछित संसाधन उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को क्रियान्वित नहीं किया जा सका। इस योजना को आने वाले वर्षों में संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जिला बूंदी के चिकित्सकों द्वारा अनियमितताएं

178. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जिला बूंदी में चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दर से अधिक फीस वसूली जा रही है? यदि हां, तो सरकार ने अब तक ऐसे चिकित्सकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है? क्या उक्त जिले में चिकित्सकों द्वारा निर्धारित दर से फीस वसूलने की रसीदें मरीजों को दी जा रही है? यदि हां, तो कितने चिकित्सकों द्वारा रसीदें देकर फीस वसूल की गई?

(2) क्या यह सही है कि लोक सेवकों को 5000/- रुपये से अधिक की सम्पत्ति या वैभव की वस्तु खरीदने से पहले सरकार को सूचित करना/स्वीकृति लेना अनिवार्य है? यदि हां, तो कितने चिकित्सकों के द्वारा स्वीकृति ली गई है।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारियों की सम्पत्ति के बारे में सरकार ने कोई सर्वे कराया है? क्या उक्त अधिकारियों ने बेनामी अथवा परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर सम्पत्तियां खरीदी हैं? क्या उक्त सम्बन्ध में सरकार ने कोई जांच कराई है? यदि हां, तो कब?

उत्तर

(1) जी, नहीं, शेष प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता। निर्धारित दर से फीस लेकर रसीद देने वाले चिकित्सकों की सूची संलग्न है।

(2) जी, हां। 5000/- रुपये से अधिक की सम्पत्ति या वैभव की वस्तु खरीदने की जिला चिकित्सालय बूंदी के 12 चिकित्सकों ने सरकार को सूचित करना बताया है, 4 चिकित्सकों ने ए.सी.आर. में उल्लेखित करना अंकित किया है तथा 10 चिकित्सकों ने कुछ भी अंकित नहीं किया है। उक्त चिकित्सकों की सूची संलग्न है।

(3) जी, नहीं। विभाग के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई जांच नहीं कराई।

परिशिष्ट "अ"

क्र. सं.	नाम, चिकित्सक व पद	फीस किस दर से ली जा रही है	क्या बीमार को रसीद दी जा रही है	क्या लेटर पैड (चिकि. पत्र पर क्रमांक अंकित किये हुये हैं)	सेवाकाल में क्या निम्नांकित सामान क्रय किया है? यदि हां, तो संख्या लिखें						स्वीकृति ली हो तो क्रमांक अंकित करें या सूचना दी है
					मकान	कार	स्कूटर	टीवी	वीसीआर	कम्प्यूटर	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	डा. एम. एस. सिंघवी, व.वि. (नेत्र)	प्रेक्टिस नहीं कर रहा है			1	2	1	1	1	—	सूचना दी जा चुकी है।
2.	डा. सुरेश चन्द गर्ग, व.वि. (सर्जरी)	अवकाश पर होने से सूचना उपलब्ध नहीं हुई									
3.	डा. (श्रीमती) शशिबाला सक्सैना, व.वि. (स्त्री रोग)	दिन 40/- रात्रि 50/-	हां, आयकर में प्राइवेट प्रेक्टिस दर्शायी है	हां	नहीं	1	एक	1	—	—	सूचना दी जा चुकी है।
4.	डा. बी. एल. चौवीसा, व.वि. (मेडि.)	दिन 40/- रात्रि 50/-	हां	हां	मकान नहीं प्लाट	1	1	1	—	—	सूचना दी है।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	डा. बी.एन.माथुर कवि. (बालरोग) पद विरुद्ध व.वि.(बालरोग)	दिन 30/- रात्रि 35/-	हां	हां	1	1	1	1	—	—	सूचना दी है।
6.	डा.बी. एस. व्यास, कवि.(निश्चेतन)	एनपीए प्राप्त कर रहा है।	एनपीए प्राप्त कर रहा है।	प्रैक्टिस नहीं	निर्माणाधीन	हां	—	हां	हां	नहीं	सूचना दी है।
7.	डा.डी.के.गुप्ता, कवि. (शल्य)	दिन 35/- रात्रि 40/-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	
8.	डा. मधूसुदन शर्मा, कवि.(अस्थी रोग)	दिन 30/- रात्रि 35/-	हां	हां	निर्माणाधीन	—	मोटर साइकल	1	1	—	एस.सी.आर. में सूचना दी गई है।
9.	डा. लोकेश कुमार शर्मा, कवि.(नेत्र)	दिन 35/- रात्रि 40/-	हां	हां	एक निर्माणाधीन	1	1	—	नहीं	नहीं	एस.सी.आर. में सूचना दी गई है।
10.	डा. चन्द्र प्रभा जोशी, कवि.(पैथोलोजी)	एनपीए मिलता है।	प्रैक्टिस नहीं करती		अपने पति डा. लोकेश शर्मा के पास रहती हैं। दोनों की सम्पत्ति सम्मिलित है।						
11.	डा. अनिता बाला सक्सैना, कवि. (स्त्री रोग)	दिन 30/-	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	डा. अरविन्द शर्मा, क.वि. (रेडियोलोजिस्ट)		प्रेक्टिस नहीं करता		हाऊसिंग बोर्ड का मकान है।	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं
13.	डा. के.सी. गगरानी, क.वि. (शिशुरोग)	दिन 35/- रात्रि 40/-	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	एस.आर. में सूचना अंकित है।
14.	डा. महेश शर्मा, चिकि. अधि.	दिन 25/- रात्रि 30/-	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	
15.	डा. धनराज मधुर, चि.अ.	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	सूचित कर दिया गया है।
16.	डा. ओ.पी. वर्मा, चि.अ.		प्रेक्टिस नहीं कर रहा है		हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	
17.	डा. हंसराज मंगल, चि.अ.		प्रेक्टिस नहीं कर रहा हूं		नहीं	नहीं	एक	हां	नहीं	नहीं	
18.	डा. संजय शर्मा, चि.अ.	दिन 25/- रात 30/-	हां.	हां.	हां.	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	सूचित कर दिया है।
19.	डा. वी.एन. माहेश्वरी, चिकित्सा अधिकारी	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	
20.	डा. ओम प्रकाश शर्मा, चिकि. अधि.	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	एक	एक	नहीं	1	नहीं	नहीं	सूचित कर दिया।

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	डा. सुरेश जैन, चि.अ.	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	
22.	डा. मनोज जैन, चि.अ.	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	हां	हां	हां	नहीं	नहीं	सूचना दे दी गई है।
23.	डा. आर.एन. शर्मा, दन्त चि.अ.	दिन 35/- रात 40/-	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	राजस्थान आवासन मण्डल का मकान राज्य सरकार से लोन प्राप्त कर क्रय किया है।
24.	डा. बाबू लाल मीणा, चि.अ.	प्रेक्टिस नहीं करता हूं			नहीं	नहीं	1	1	नहीं	नहीं	
25.	डा. गजानन्द वर्मा, चि.अ.	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	हां	नहीं	नहीं	सूचना दी है।
26.	डा. (श्रीमती) शकुन्तला भाटिया, चिकित्सा अधिकारी	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	सूचना दी है।
27.	डा. (श्रीमती) सीमा अरोड़ा, चिकित्सा अधिकारी	दिन 25/- रात 30/-	हां	हां	नहीं	हां	नहीं	नहीं	नहीं	नहीं	स्वीकृति नहीं है।

जिला बाड़मेर के लम्बित वृद्धावस्था पेंशन प्रकरण

179. **श्री वृद्धिचन्द जैन** (बाड़मेर) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करें :—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष सरकार ने अभियान चला कर वृद्धावस्था पेंशन के मामले विभिन्न जिलों में स्वीकृत किये थे? यदि हां, तो जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि जिला बाड़मेर में इक्कीस हजार वृद्धावस्था पेंशन के मामले स्वीकृत हुये, परन्तु उनमें से किसी का भी अभी तक भुगतान नहीं किया गया? यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या सरकार इस वर्ष अभियान चला कर 31 मार्च, 2001 तक स्वीकृत मामलों का भुगतान शीघ्र करेगी? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) यह सही है कि गत वर्ष सरकार ने अभियान चलाकर वृद्धावस्था पेंशन के मामले विभिन्न जिलों में स्वीकृत किये थे। जिलेवार संख्या विवरण परिशिष्ट "अ" पर अंकित है।

(2) जिला कलक्टर से प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बाड़मेर में वृद्धावस्था पेंशन के 20050 (विधवायें सम्मिलित हैं) प्रकरण स्वीकृत हुये हैं तथा यह सही नहीं है कि उसमें किसी का भी अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन प्रकरणों को माह अगस्त, 2000 से तथा वृद्धावस्था विधवा तथा विकलांग पेंशन को स्वीकृत तिथि से ही नियमित भुगतान हो रहा है।

(3) जांच के पश्चात् पात्र पाये गये मामलों में भुगतान पर कोई रोक नहीं है।

परिशिष्ट "अ"

क्र.सं.	जिला	स्वीकृत पेंशनरों की संख्या	विशेष
1	2	3	4
1.	अजमेर	8,655	
2.	अलवर	21,095	
3.	बांसवाड़ा	4,326	
4.	बारां	20,781	
5.	बाड़मेर	20,656	
6.	भरतपुर	24,136	
7.	भीलवाड़ा	26,220	वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000 एवं 2000-2001 चार वर्षों के विवरण शामिल हैं।
8.	बीकानेर	4,159	
9.	बूंदी	11,678	
10.	चित्तौड़गढ़	5,204	
11.	चूरू	36,091	
12.	दौसा	24,736	
13.	धौलपुर	2,688	
14.	डूंगरपुर	9,990	
15.	हनुमानगढ़	891	
16.	जयपुर	8,204	
17.	जैसलमेर	6,314	
18.	जालौर	3,697	

1	2	3	4
19.	झालावाड़	11,514	
20.	झुंझुनूं	271	
21.	जोधपुर	3,600	
22.	करौली	12,742	
23.	कोटा	9,948	
24.	नागौर	30,223	
25.	पाली	1,884	
26.	राजसमन्द	16,617	
27.	सवाईमाधोपुर	25,119	
28.	सीकर	13,904	
29.	सिरोही	779	
30.	श्रीगंगानगर	4,755	
31.	टोंक	13,173	
32.	उदयपुर	19,554	

जिला चूरू में सड़कों पर व्यय

180. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य में वर्ष 2000-2001 में कुल कितनी नयी सड़कों के निर्माण हेतु बजट में प्रावधान किया था? उक्त में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ तथा इस हेतु कितनी राशि व्यय की गई?

(2) राज्य में सड़कों की मरम्मत व अपग्रेडेशन हेतु कुल कितनी राशि का वर्ष 2000-2001 में व्यय करने का प्रावधान किया गया था? फरवरी, 2001 तक कुल कितने किलोमीटर सड़कों की मरम्मत व अपग्रेडेशन किया गया और उनमें कितनी राशि का व्यय हुआ?

(3) खण्ड चूरू द्वारा विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कितनी राशि स्वीकृत की गई तथा कितनी राशि का वास्तविक व्यय हुआ और कितनी सड़कों का निर्माण व मरम्मत की गई?

(4) वर्ष 2000-2001 में बी.ओ.टी. योजना अन्तर्गत कुल कितने प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए तथा इस योजना अन्तर्गत कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2000-2001 में कुल 1362 नयी सड़कों के निर्माण हेतु बजट में 158.72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। उक्त में 104 कि.मी. सड़क का निर्माण हुआ तथा इस हेतु 15.55 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

(2) राज्य में सड़कों की मरम्मत व अपग्रेडेशन हेतु कुल 102.57 करोड़ रुपये राशि का प्रावधान वर्ष 2000-2001 में किया गया था। फरवरी, 2001 तक कुल 1117 कि.मी. सड़कों की मरम्मत व अपग्रेडेशन किया गया और 56.78 करोड़ राशि का व्यय हुआ।

(3) विभाग के खण्ड चूरू को विभिन्न विभागीय योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2000-2001 में कुल 144.09 लाख रुपये की राशि आबंटित की गई जिसके विरुद्ध 89.98 लाख रुपये का व्यय हुआ तथा 465.83 कि.मी. में सड़क निर्माण व मरम्मत का कार्य करवाया गया।

(4) वर्ष 2000-2001 में बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत कुल 9 प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुये जिनका विवरण निम्नप्रकार है :—

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

क्र.सं.	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी.)	लागत राशि (करोड़ों में)	वर्तमान स्थिति
1.	खैरवाड़ा-डूंगरपुर	20	3.69	कार्य पूर्ण
2.	हनुमानगढ़-सूरतगढ़	20	6.43	निर्माणाधीन
3.	झालावाड़-इन्दौर	20	7.15	निर्माणाधीन
4.	सिरोही-अनादरा	17	7.29	निर्माणाधीन
5.	बांसवाड़ा-डूंगरपुर	72	11.43	निर्माणाधीन
6.	दीगोद-लाडपुरा	21	4.59	विचाराधीन
7.	मंगलाना-मकराना	21	6.54	विचाराधीन
8.	फतेहपुर नगर बाइपास आर.ओ.बी.	8.3 एवं आर.ओ.बी.	7.70	विचाराधीन
9.	बर-बिलाड़ा	39.0	25.0	विचाराधीन

उपरोक्त योजनान्तर्गत 20 किमी. सड़क का निर्माण हुआ है।

सब्जी मण्डी छीपाबड़ौद (बारां) में बैठक कर की वसूली

181. श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) एवं **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) पंचायत समिति, छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में गुमटी वालों एवं सब्जी वालों से बैठक टैक्स वसूले जाने का निर्णय किस दिनांक से लिया गया ?

(2) क्या निर्णय ली गई दिनांक से बैठक टैक्स लेना शुरू कर दिया गया था ? यदि हां, तो किस दिनांक से ?

(3) उक्त बैठक टैक्स वसूले जाने की क्या प्रक्रिया है ?

(4) क्या वर्तमान में छीपाबड़ौद में लगी सभी गुमटियों एवं सब्जी वालों से बैठक टैक्स वसूला जा रहा है। यदि हां, तो कब से ?

(5) उक्त बैठक टैक्स की रसीद किसके द्वारा काटी गई एवं वसूली गई राशि बैंक में कब-कब जमा करवाई गई ?

(श्री प्रताप सिंह सिंघवी)

(6) उक्त बैठक टैक्स से प्राप्त राशि का क्या उपयोग कब-कब लिया गया तथा क्या उसके लिए वित्त समिति की स्वीकृति ली गई थी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पंचायत समिति छीपाबड़ौद की ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में गुमटी वालों एवं सब्जी वालों से टैक्स वसूल किये जाने का निर्णय दिनांक 1.3.2000 को लिया गया।

(2) जी, नही। दिनांक 25.5.2000 से बैठक टैक्स लेना शुरू किया गया।

(3) बैठक टैक्स टोकन पद्धति के आधार पर वसूल किया जाता है। टोकन पद्धति का तात्पर्य निर्धारित राशि की छपी रसीद से है, जिसमें राशि लिखी हुई होती है। केवल दिनांक एवं प्राप्ति के हस्ताक्षर करना शेष रहता है तथा ऐसी टोकन रसीदों की क्रम वार बुकें (टोकन) होती है।

(4) जी, नहीं। आय कम होने के कारण ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 24.3.2001 के प्रस्ताव संख्या 3 की अनुपालना में बैठक टैक्स की वसूली बंद कर दी गई।

(5) उक्त बैठक टैक्स की रसीद श्री रजाक मोहम्मद, श्री दिलीप सिंह भाटी, श्री छोटू लाल सुमन एवं श्री राजमल चक्रधारी द्वारा काटी गई। वसूल की गई राशि बैंक में नहीं बल्कि ग्राम पंचायत में जमा करवाई गई।

(6) बैठक टैक्स से प्राप्त राशि के उपयोग का विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है। वित्त समिति के अस्तित्व में न होने के कारण इसकी स्वीकृति नहीं ली गई।

परिशिष्ट "अ"

ग्राम पंचायत छीपाबड़ौद में बैठक टैक्स से प्राप्त राशि का उपयोग विवरण

क्र. सं.	माह का नाम	प्राप्त राशि	व्यय का दिनांक	व्यय का मद	व्यय राशि
1.	मई, 2000	2393	31.05.2000	सफाई कर्मचारियों की झाड़ू एलाउंस	2240/-
2.	जून, 2000	7522	03.06.2000	1. नफीज रेडियो एलाउंस	250/-
			12.06.2000	2. प्याउ मटकी मजदूरी	1950/-
			14.06.2000	3. नल सामान मजूदरी	850/-
			19.06.2000	4. विविध खर्चा	100/-
			20.06.2000	5. पुलिया मरम्मत	524/-
			28.06.2000	6. स्टेशनरी, प्रिंटर्स खर्च	2304/-
3.	जुलाई, 2000	4243	01.07.2000	1. अखबार/विविध	114/-
			12.07.2000	2. विविध खर्च	1760/-
			22.7.2000	3. विविध खर्च	748/-
4.	अगस्त, 2000	1244	11.8.2000	सफाई कर्मचारी मसक	1200/-
5.	सितम्बर, 2000	—	—	—	—
6.	अक्टूबर, 2000	4522	3.10.2000	1. रावण पूतला	2500/-
			11.10.2000	2. झाड़ू एलाउंस	120/-
7.	नवम्बर, 2000	3842	—	—	—
8.	दिसम्बर, 2000	3446	8.12.2000	विविध खर्च	7157/-
9.	जनवरी, 2001	3604	—	—	—
10.	फरवरी, 2001	2798	—	—	—

जिला अजमेर में स्वैच्छिक स्थानान्तरण

182. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या सरकार ने विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों के स्वैच्छिक स्थानान्तरण 1 दिसम्बर, 1998 के बाद अजमेर जिले से बाहर किये हैं? यदि हां, तो कितने?

(2) क्या उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दिये थे? यदि नहीं, तो फिर स्वैच्छिक स्थानान्तरण कैसे हुए?

(3) क्या बिना प्रार्थना पत्र के स्थानान्तरण स्वैच्छिक किये गये को सरकार निरस्त करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी, हां। एक शीघ्रलिपिक व एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के स्वैच्छिक स्थानान्तरण 1 दिसम्बर, 1998 के बाद अजमेर जिले से बाहर किये गये हैं।

(2) जी, हां। स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना पत्र दिये गये थे।

(3) जी, नहीं। स्वैच्छिक स्थानान्तरण प्रार्थना पत्रों के आधार पर किये गये थे। सरकार उन्हें निरस्त करने का विचार नहीं रखती है।

बड़ी सादड़ी (चित्तौड़गढ़) में प्रस्तावित 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन

183. श्री गुलाब चन्द कटारिया (बड़ी सादड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 2001 के मध्य 132 के.वी. के कितने ग्रिड सब स्टेशन बनाने की स्वीकृति दी गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन बन कर तैयार हो गये हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि बड़ी सादड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ? यदि हां, तो क्यों? अब उक्त कार्य कब तक पूर्ण होकर जनता को समर्पित कर दिया जायेगा।

उत्तर

(1) वर्ष 1995 से फरवरी, 2001 के मध्य 132 के.वी. के 81 ग्रिड सब स्टेशन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत बनाने की स्वीकृति दी गई। सूची परिशिष्ट "अ" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) उक्त स्वीकृत 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशनों में से 32 ग्रिड सब स्टेशन बन कर तैयार हो गये हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर सदन के पटल पर रख दी गई है।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) जी, हां। बड़ी सादड़ी में 132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन का कार्य प्रगति पर है, इसके लिए वांछित प्रावधान वार्षिक योजना में किये गये हैं एवं इसको वर्ष 2001-02 में पूर्ण कर जनता को समर्पित किये जाने की सम्भावना है।

परिशिष्ट "अ"

132 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन (1995-फरवरी, 2001)

क्र.सं.	नाम
1.	नावां सिटी
2.	लालगढ़ केन्ट
3.	रायला
4.	डग
5.	मानसरोवर (जयपुर)
6.	श्री डूंगरगढ़
7.	कामां
8.	सांगरिया
9.	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड (जोधपुर)
10.	रिखबदेव
11.	एस.एम.एस. स्टेडियम (जयपुर)
12.	रानी
13.	बड़ी सादड़ी
14.	रामपुरा डाबड़ी
15.	कुशखेड़ा
16.	मथानिया
17.	श्रीकरणपुर

क्र.सं.	नाम
18.	गडरा रोड
19.	पीपाड़ सिटी
20.	खैरथल-मण्डावर (अलवर)
21.	सावा (चित्तौड़गढ़)
22.	लाम्बा जाटन
23.	लूणकरणसर
24.	सार्दूलशहर
25.	सावा (बाड़मेर)
26.	केलवाड़ा
27.	चाकसू
28.	बादनूं
29.	वैशालीनगर
30.	एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर
31.	उणियारा
32.	टोडाभीम
33.	राजाखेड़ा
34.	तिजारा

क्र.सं.	नाम	क्र.सं.	नाम
35.	खेड़ली	58.	देसूरी
36.	मालाखेड़ा	59.	इटावा
37.	भुसावर	60.	नैनवां
38.	बाड़ी	61.	रामगंजमण्डी
39.	लाडनूं	62.	कपासन
40.	मौलासर	63.	नाथद्वारा
41.	चितावा	64.	सीसरमा
42.	सांजू	65.	बेगूं
43.	अजीतगढ़	66.	चांदगोठी
44.	मनोहरपुर	67.	तारानगर
45.	मन्ड्रेला	68.	रायसिंहनगर
46.	सूरजगढ़	69.	बीदासर
47.	सिकन्दरा	70.	नोहर
48.	रानौली	71.	नापासर
49.	खूड़	72.	थानागाजी
50.	जोबनेर	73.	सोयला
51.	मारखी	74.	बागोट
52.	बग्गड़	75.	इन्दो का बाला, कोलायत
53.	मण्डावा	76.	बागीदौरा
54.	नाडोल	77.	शिव
55.	जोझावर	78.	कुमावास
56.	मण्डोर	79.	आमेट
57.	सिवांना	80.	बयाना
		81.	सीतापुरा

परिशिष्ट "ब"

वर्ष 1995 से फरवरी, 2001 के मध्य स्वीकृत 132 के.वी. सब स्टेशनों में से बनकर तैयार हुए सब स्टेशनों की सूची

क्र.सं.	सब स्टेशन का नाम	क्र.सं.	सब स्टेशन का नाम
1.	नावां	17.	मोलासर
2.	रायला	18.	सीसरमा
3.	डग	19.	चितावा
4.	मानसरोवर (जयपुर)	20.	बीदासर
5.	श्रीडूगरगढ़	21.	सूरजगढ़
6.	सांगरिया	22.	मण्डोर
7.	कामां	23.	बेगूं
8.	रिखबदेव	24.	सिवाना
9.	चोपासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर	25.	बग्गड़
10.	रानी	26.	कुशखेड़ा
11.	रामपुरा डाबड़ी	27.	मथानिया
12.	लालगढ़ केन्ट (उद्योग विहार)	28.	गडरारोड
13.	लम्बा जाटान	29.	सावा (चित्तौड़गढ़)
14.	एम.डी.एस. यूनिवर्सिटी, अजमेर	30.	आमेट
15.	नापासर	31.	चाकसू
16.	नाथद्वारा	32.	बयाना

राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा निरीक्षण

184. श्री जगमाल सिंह यादव (तिजारा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राज्य सरकार में नर्सिंग संस्था खोलने हेतु राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने क्या मानदण्ड निर्धारित कर रखें हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मानदण्डों के अनुसार राजस्थान नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो निरीक्षण किया उसके अनुसार क्या यह संस्थान सभी मानदण्ड पूर्ण करते हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) प्रथम वर्ष में उक्त संस्थानों में किन-किन छात्रों को प्रवेश दिया गया?

(4) क्या उक्त संस्थानों ने प्रवेश के समय भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों का अनुसरण किया है?

उत्तर

(1) मानदण्डों की प्रति संलग्न है।

(2) राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा 26 निजी संस्थाओं का निरीक्षण किया गया उनमें से 8 संस्थाओं को इण्डियन नर्सिंग काउंसिल द्वारा मान्यता दे दी गई है। इस प्रकार कुल 13 संस्थाओं के प्रकरण राजस्थान नर्सिग काउंसिल की सिफारिश के पश्चात् इण्डियन नर्सिंग काउंसिल के पास मान्यता हेतु विचाराधीन है। शेष 5 संस्थाओं का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल द्वारा निरीक्षण में कमियां पाये जाने के फलस्वरूप प्रकरण अभी तक राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पुनः निरीक्षण हेतु विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(3) सूची संलग्न है।

(4) जी, हां।

(प्रति व सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खेलकूद आश्रम छात्रावास, लोधा (बांसवाड़ा) के छात्रों को देय सुविधाएं

185. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) खेलकूद आश्रम छात्रावास, लोधा (बांसवाड़ा) के छात्रावासी बालकों को क्या-क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या खेलकूद आश्रम छात्रावास, लोधा को खेलकूद सम्बन्धी उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं?

(3) उक्त आश्रम छात्रावास की स्थापना से वर्ष 2000 तक खेल सामग्री पर कितनी राशि का व्यय हुआ? उक्त खेल सामग्री किन-किन फर्मों से कब खरीदी गई? उक्त खरीद हेतु निविदाएं कब आमंत्रित की गई?

उत्तर

(1) खेलकूद आश्रम छात्रावास के आवासीय छात्रों को भोजन एवं नाश्ते पर 40/- रुपये प्रतिदिन प्रति छात्र व्यय किया जाता है। भोजन एवं नाश्ते का मीनू परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। आवासीय छात्रों को अन्य सामग्री हेतु पुराने छात्र को 1795/- रुपये एवं नये छात्र को 1895/- रुपये नकद दिये जाते हैं अन्य देय सामग्री की सूची परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी, हां। खेल छात्रावास में खेलकूद हेतु विभिन्न खेल उपकरण उपलब्ध कराये जा रहे हैं।

(3) एकलव्य खेल छात्रावास, लोधा के लिए खेल उपकरण क्रय करने पर रु. 2,72,908/- व्यय हुये हैं। रु. 2,54,258/- के तीरन्दाजी उपकरण वर्ष 1998 में भारतीय तीरन्दाजी संघ, नयी दिल्ली से तथा रु. 17,950/- की खेल सामग्री वर्ष 1999 में मैसर्स आ.को. स्पोर्टस, नयी दिल्ली से क्रय की गई। उक्त सामग्री हेतु निविदाएं आमंत्रित नहीं की गई थीं क्योंकि उक्त फर्में भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार से अनुमोदित फर्में हैं।

परिशिष्ट "1"

खेल छात्रावास छात्रों का मीनू

क्र.सं.	नाम सामग्री	देय मात्रा	दर
1	2	3	4
1.	आटा	कुल 600 ग्राम (दो समय चपाती)	5.00
2.	खाद्य तेल	30 ग्राम प्रतिदिन	1.50
3.	दाल	80 ग्राम प्रतिदिन	3.00
4.	मसाले	30 ग्राम प्रतिदिन	1.50
5.	चाय	150 मिग्रा. (दिन में दो बार)	2.00
6.	बिस्कुट (पारले-जी)	4 नग (एक बार)	1.20
7.	दलिया मीठा	200 ग्राम (एक बार)	2.00
8.	ब्रेड	4 नग (एक बार)	1.50
9.	जेम/मक्खन	20 ग्राम (एक बार)	2.75
10.	हरी सब्जी	150-150 ग्राम (दो बार)	5.00

1	2	3	4
11.	दही/रायता	100 ग्राम (एक बार)	1.80
12.	चावल	50-50 ग्राम (दो बार)	2.00
13.	अचार मिक्स	15-15 (दो बार)	1.80
14.	सलाद	50-50 ग्राम (दो बार)	1.50
15.	अण्डा/अंकुरित चना	अण्डा 1 प्रतिदिन अंकुरित चना 100 ग्राम प्रतिदिन	1.75
16.	दूध मीठा	200 ग्राम प्रतिदिन	2.80
17.	(पोष्टिक आहार/मिठाई विशेष भोजन)	250 ग्राम प्रति पखवाड़े प्रति डाइट 30/- रुपये फिक्स	2.00
18.	ईंधन	1.500 किग्रा.	—
	योग लगभग रुपये		**39.10**
	अधिकतम (प्रति छात्र)		**40/- रु.**

परिशिष्ट "2"

खेल छात्रावास के छात्रों को देय अन्य सामग्री का विवरण

क्र. सं.	सामग्री का नाम	मात्रा	पुराने छात्रों को देय राशि	नये छात्रों को देय राशि
1.	पाठ्यपुस्तकें/स्टेश्नरी	आवश्यकतानुसार	400/-	400/-
2.	फीस पुनर्भरण	शाला/बोर्ड शुल्क	200/- (वास्तविक या जो कम हो)	200/- (वास्तविक या जो कम हो)
3.	ट्रेक सूट	एक जोड़ी	500/-	500/-
4.	अण्डरवियर, बनियान	दो-दो जोड़ी	80/-	80/-
5.	केनवास शू व मोजे सहित (एक जोड़ी, दो जोड़ी)	—	90/-	90/-
6.	हवाई चप्पल	एक जोड़ी	30/-	30/-
7.	टावेल	एक नग	15/-	15/-
8.	पौशाक	पेण्ट शर्ट दो जोड़ी हाफ पेण्ट व सफेद शर्ट एक नग	400/-	400/-
9.	ऊनी स्वेटर	एक नग दो वर्ष में एक बार	—	100/-
10.	कैनवास शू पालिस	आवश्यकतानुसार	20/-	20/-
11.	टूथपेस्ट व ब्रश	आवश्यकतानुसार	60/-	60/-
	योग		**1795/-**	**1895/-**

पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ की सड़कों का रखरखाव

186. श्री सुरेन्द्र जाड़ावत (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या पंचायत समित चित्तौड़गढ़ की ग्राम पंचायत सावा, कन्नौज एवं नाहरगढ़, सड़क का रखरखाव आवश्यक है? क्या उक्त सड़क के रखरखाव के लिए जो राशि प्रतिवर्ष मिलनी चाहिए वह नहीं मिलती है?

(2) क्या उक्त कार्य के लिए टेण्डर आदि भी करवा दिए गए थे? यदि हां, तो वर्ष 1998-99 में प्लान स्वीकृति के बाद उक्त कार्य क्यों नहीं कराया गया?

(3) वर्ष 1998-99 में शम्भूपुरा से नाहरगढ़ सड़क के लिए प्लान में स्वीकृत राशि 60.00 लाख रुपये अब पुनः कब तक मंजूर कर दिये जायेंगे? उक्त सड़क का रिन्यूबल किन-किन वर्षों में किया गया है? क्या कन्नौज बाइपास का कोई प्रावधान है? यदि हां, तो कब तक बनाया जायेगा।

उत्तर

(1) जी, हां। उक्त सड़क के रखरखाव के लिए जो राशि प्रतिवर्ष मिलनी चाहिये वह वित्तीय अभाव के कारण नहीं मिलती है।

(2) वर्ष 1998-99 में उक्त कार्य की प्लान में कोई स्वीकृति नहीं थी किन्तु वर्ष 1999-2000 में उक्त कार्य के लिए प्लान कार्य की स्वीकृति के पश्चात् टेण्डर करवाये गये थे किन्तु राज्य सरकार द्वारा प्लान कार्यों पर रोक लगाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई।

(3) वर्ष 1998-99 में शम्भूपुरा से नाहरगढ़ के लिए प्लान में रु. 60.00 लाख की स्वीकृति नहीं थी किन्तु वर्ष 1999-2000 में इसकी स्वीकृति प्राप्त हुई थी। उक्त सड़क पर वर्षवार किये गये रिन्यूबल का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	कि.मी. रिन्यूबल
1974-1975	11/0 से 16/0
1985-1986	0/0 से 7/0
1988-1989	7/0 से 9/0
1998-1999	16/0 से 17/0
2000-2001	9/0 से 11/0

जी, नहीं। कन्नौज बाइपास का कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट-4

(तारांकित प्रश्न संख्या-161 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में ड्रिप संयंत्रों पर सहायक निदेशक उद्यान श्रीगंगानगर द्वारा अधिक अनुदान भुगतान की गयी राशि का कम्पनीवार विवरण

क्र. सं.	नाम कम्पनी	वसूल की जाने वाली राशि (रुपये)		
		1997-98	1998-99	योग
1.	अजय इण्ड. कार्पो.	231098	37521	268619 (अक्षरे दो लाख अडसठ हजार छह सौ उन्नीस)
2.	आईडीएल.	25566	9554	35120 (अक्षरे पैंतीस हजार एक सौ बीस)
3.	परीक्षित	—	324082	324082 (अक्षरे तीन लाख चौबीस हजार बयासी)
4.	नोसिल	5098	—	5098 (अक्षरे पांच हजार अठयानवे)
5.	पायोनियर	—	61234	61234 (अक्षरे इकसठ हजार दो सौ चौतीस)
6.	रूंगटा	—	35354	35354 (अक्षरे पैंतीस हजार तीन सौ चौवन)
	योग.	**261762**	**467745**	**729507 (अक्षरे सात लाख उन्नतीस हजार पांच सौ सात)**

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-300 की प्रति)

CHAPTER-VIII

ACQUISITION AND DISPOSAL OF LAND

44. Power to purchase or lease by agreement—The Authority may an agreement with any person for the purchase, leasing or exchange by the Authority from such person, of any land which the Authority is authorised to acquire or any interest in such land.

45. Power to State Government to acquire land— (1) Where, on any representation from the Authority, it appears to the State Government that, in order to enable the Authority to perform any of its function or to discharge any of its duties or to exercise any of its powers, or to carry out any of its projects or schemes or development programmes, it is necessary that any land in any part of the Jaipur Region should be acquired, the State Government may acquire the land 1[under and in accordance with the provisions of the land Acquisition Act, 1894 (Central Act 1 of 1894)]

(2) [2][Omitted]

(3) [2][Omitted]

(4) [2][Omitted]

(5) [2][Omitted]

(6) [2][Omitted]

परिशिष्ट-6

(अतारांकित प्रश्न संख्या-304 की सूची)

विधान सभा क्षेत्र बांसवाड़ा के अन्तर्गत आने वाले उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप केन्द्रों के नामों की सूची

1. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, परतापुर
2. उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरेड़ी बड़ी

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

1. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कोहाला,
2. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धलकिया
3. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, गढ़ी
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालोदा
5. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भीमपुर
6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लोहारिया
7. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंजना
8. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बोरी

उप केन्द्र

1. गोरडी
2. कूपड़ा
3. चिडियावासा
4. लोधा
5. खोड़न
6. मेतवाला
7. डडूका
8. बड़गांव
9. लोधाजाहंगीर
10. पीपलता
11. निचंला घंटाला
12. सेवना
13. मोयावासा
14. नाटावाड़ा
15. बस्सी चंदन सिंह
16. नडियादा बड़ा
17. अखेपानजी का गढ़ा
18. नवागांव

19. लोडदा
20. बोटिया
21. खेरन का पारड़ा
22. खेड़ा
23. बेड़वा
24. भगोरा
25. राठियापाड़ा
26. माखिया
27. पाराहेड़ा
28. कोटड़ा बड़ा
29. ठिकरिया
30. चोपासांग
31. करणपुरा
32. भीमसोन
33. सागवाड़िया
34. वजाखरा
35. रोहिड़ा
36. पिछोड़ा बड़ा
37. सुजाजी का गढ़ा
38. वाकावाड़ा
39. उम्बाड़ा
40. हिम्मत सिंह का गढ़ा
41. रूझिया
42. साजिया
43. भटवाड़ा

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-307 का विवरण)

जयपुर जिले के ए.एन.एमः नर्सिंग कर्मियों के लम्बित चयनित वेतनमान के प्रकरणों की सूची

1.	नाथूलाल वर्मा, नर्स-I	निदेशालय स्तर पर लम्बित
2.	राम प्रसाद जारवाल, नर्स-I	सेवा सत्यापन के अभाव में लम्बित
3.	शम्भू दयाल, नर्स-II	निदेशालय स्तर पर लम्बित
4.	मंजूलता शर्मा, नर्स-II	सेवावृद्धि के अभाव में लम्बित
5.	सत्य नारायण शर्मा, नर्स-II	बकाया अवकाश प्रकरण के कारण लम्बित
6.	धूणीलाल, नर्स-II	—
7.	अनम्मा लोसफ, नर्स-II	—
8.	छीतर मल जाट, नर्स-II	सेवा सत्यापन के अभाव में लम्बित
9.	गिर्राज कोली, नर्स-II	अवकाश प्रकरण के कारण लम्बित
10.	राजेन्द्र सक्सैना, नर्स-II	अवकाश प्रकरण बकाया होने के कारण
11.	ओम प्रकाश बंगाली	—
12.	गिरधारी लाल पायल, नर्स-II	निदेशालय स्तर पर लम्बित
13.	पर्चवाली, नर्स-II	—
14.	सरोजनी सी.के., एल.एच.वी.	सेवा सत्यापन के अभाव में
15.	एलिअम्मा सी.एम., एच.एच.वी.	निदेशालय स्तर पर लम्बित
16.	अवतार कौर, एल.एच.वी.	निदेशालय भेजा जा चुका है

17.	अमालू कुट्टी, एल.एच.वी.	निजी पत्रावली के अभाव में लम्बित
18.	श्रीमती मधु शर्मा, ए.एन.एम.	सेवा सत्यापन एवं सेवावृद्धि के अभाव में
19.	सुशीला वर्मा, ए.एन.एम.	—
20.	चन्द्र देवी, ए.एन.एम.	—
21.	मंजू जैन, ए.एन.एम.	सेवा सत्यापन के अभाव में
22.	स्व. राजलक्ष्मी, ए.एन.एम.	—
23.	कमला स्वामी, ए.एन.एम.	—
24.	अनम्मा, ए.एन.एम.	—
25.	मधूबाला सैनी, ए.एन.एम.	विभागीय जांच विचाराधीन
26.	तारा चौहान, ए.एन.एम.	—
27.	सुमित्रा देवी, ए.एन.एम.	—
28.	मेरी मोरसली, ए.एन.एम.	—
29.	रामेश्वरी जोशी, ए.एन.एम.	—

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-308 की सूची)

जिले का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	उपलब्ध एक्स-रे मशीनों की संख्या	खराब एक्स-रे मशीनों की संख्या एवं कब से खराब है	
1	2	3	4	5
1. बाड़मेर	सामान्य चिकित्सालय, बाड़मेर	3	—	
	राजकीय चिकित्सालय, बालोतरा	1	—	
	क्षय निवारण केन्द्र, बाड़मेर	1	1	7/1993
	सामु. स्वा. केन्द्र, चौहटन	1	1	6/1990
	सामु. स्वा. केन्द्र, सीवाना	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, समदड़ी	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, धोरीम्ना	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, बायतू	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, सिणधरी	1	—	—
2. जालौर	सामान्य चिकित्सालय, जालौर	1	—	—
	टी.बी. क्लिनिक, जालौर	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, आहौर	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, भीनमाल	1	1	एक वर्ष से
	सामु. स्वा. केन्द्र, सायला	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, रानीवाड़ा	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, सांचौर	1	—	—
3. जैसलमेर	जवाहर चिकित्सालय, जैसलमेर	3	—	—
	क्षय निवारण केन्द्र, जैसलमेर	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, पोकरण	1	—	—

1	2	3	4	5
	सामु. स्वा. केन्द्र, रामगढ़	1	—	—
	प्राथमिक स्वा. केन्द्र, नाचना	1	—	—
4. जोधपुर	सामु. स्वा. केन्द्र, बिलाड़ा	2	1	1.6.70 (नीलामी योग्य)
	सामु. स्वा. केन्द्र, पीपाड़शहर	2	1	वर्ष 1969 नीलामी योग्य
	सामु. स्वा. केन्द्र, बालेश्वर	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, भोपालगढ़	1	1	5.1.84 नीलामी योग्य
	सामु. स्वा. केन्द्र, ओसियां	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, शेरगढ़	1	—	—
	सामु. स्वा. केन्द्र, बाप	1	—	—
	राज. चिकित्सालय, फलौदी	2	1	वर्ष 1992 नीलामी योग्य
	राज. चिकित्सालय, मण्डौर	1	—	—
	राज. चिकित्सालय, पावटा	1	—	—
	टी.बी. क्लिनिक, जोधपुर	1	—	—
	संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	14	9 जिनमें से 5 को नीलामी की कार्यवाही की जा रही है। एक मशीन नीलाम कर दी गई है एवं तीन मशीनें खराब चल रही हैं।	
	उम्मेद चिकित्सालय, जोधपुर	4	1 मशीन दिनांक 7.2.2000 से खराब चल रही है।	
	मथुरादास माथुर चिकित्सालय, जोधपुर	3	2 क्रमशः 3 व 4 साल से खराब चल रही हैं।	

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-324 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

क्र.सं.	कार्य का नाम	राशि (लाखों में)
	साधारण मरम्मत कार्य (रामपुरा जाहोता रायथल सड़क)	
1.	कि.मी. 4/500 से 22/0 (वर्ष 1997-1998) 13.50 कि.मी.	7.64 लाख
2.	कि.मी. 11/0 से 13/0 पेच रिपेयर कार्य अकाल राहत कार्य संम्वत् 2056 के अन्तर्गत (वर्ष 2000-2001)	1.41 लाख
3.	कि.मी. 0/0 से 11/0 तक विभागीय लेबर द्वारा (वर्ष 2000-2001)	0.60 लाख

परिशिष्ट "अ"

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-329 की सूची)

राजसमन्द जिले में आमेट खण्ड एवं देवगढ़ उप खण्ड के अन्तर्गत कार्यरत 132 के.वी. एवं 33/11 के.वी. सब स्टेशन/स्थापित क्षमता एवं ऊर्जा आपूर्ति का विवरण

क्र. सं.	ग्रीड सब स्टेशन का नाम	सब स्टेशन की स्थापित क्षमता (एम.वी.ए.)	आबंटित भार (मेगावाट)	ऊर्जा आपूर्ति का विवरण (लाख यूनिट में)					
				अक्टू. 2000	नव. 2000	दि. 2000	जन. 2001	फरवरी 2001	स्रोत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	132/33 के.वी. आमेट स्वीकृत भार 25 एम.वी.ए.								
2.	33/11 के.वी. सब स्टेशन								
1.	आमेट	1 × 3.15 एवं 1 × 1.6	4.00	17.40	16.88	17.51	14.88	19.71	132 के.वी. आमेट
2.	गूगली	2 × 3.15	3.00	11.29	11.32	11.22	11.12	11.50	कांकरोली

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	सरदारगढ़	2 × 3.15	3.50	14.23	14.53	13.80	14.60	14.40	कांकरोली
4. 5.	देवगढ कुआथल	1 × 1.6, 1 × 1.5, 1 × 1.00	2.00	11.61	11.26	11.68	9.92	13.15	आमेट
6. 7.	भीम लसानी	1 × 1.6, 1 × 1.00 1 × 1.6	2.00	8.95	8.46	8.37	7.71	7.03	आसीन्द
8.	चारभुजा	1 × 1.6, 1 × 1.00	1.50	6.03	6.73	6.41	6.74	6.59	कांकरोली
9.	केलवाड़ा	1 × 1.00	1.00	3.88	3.52	3.20	3.10	3.18	कांकरोली

ह०/-
प्रावैधिक सहायक
अधीक्षण अभियन्ता, (उ.वृ.)
अजमेर डिस्काम, उदयपुर

- परिशिष्ट "ब"

आमेट खण्ड व देवगढ़ उप खण्ड में श्रेणीवार स्वीकृत सम्बद्ध भार

(स्वीकृत भार किलोवाट में)

क्र.सं.	श्रेणी	आमेट खण्ड	देवगढ़ उप खण्ड
1.	कृषि	7880	2461
2.	घरेलु	23310	8763
3.	उद्योग-लघु	14830	3622
4.	उद्योग-मध्यम	7120	999
5.	उद्योग-वृहत्	8248	—
	योग	**61388**	**15845**
	कुल स्वीकृत भार	**61.38 मेगावाट**	**15.84 मेगावाट**

ह०/-
प्रावैधिक सहायक
अधीक्षण अभियन्ता, (उ.वृ.)
अजमेर डिस्काम, उदयपुर

परशिष्ट-11

(अतारांकित प्रश्न संख्या-333 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर में 33 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन की सूची निम्नानुसार है

क्रमांक	33/11 के. वी. ग्रेड सब स्टेशन का नाम	क्षमता (के.वी.ए.)
1	2	3
1.	जामसर	1 × 1000
2.	खाजूवाला	1 × 3150
3.	रूणिया बड़ावास	1 × 3150
4.	नापासर	1 × 3150
5.	नाल	1 × 1600
6.	आर.डी. 710	1 × 1600
7.	आर.डी. 750	1 × 0630
8.	छत्तरगढ़	1 × 1600
9.	बैलासर	1 × 1600
10.	आरडी. 620 पूगल	1 × 1600
11.	मुण्डसर	1 × 3150
12.	पूगल	1 × 1350
13.	लूणकरणसर	1 × 3150, 1 × 1600

1	2	3
14.	शेखसर	1 × 1000
15.	महाजन	1 × 0500
16.	हरियासर	1 × 0500
17.	बामनवाला	1 × 0500
18.	लालेरा	1 × 0500
19.	अर्जुनसर	1 × 0500
20.	नोरंगदेसर	1 × 1600
21.	नाल एयरफोर्स	1 × 160
22.	रामसर	1 × 3150
23.	किलचु	1 × 3150

ह०/-
(के. सी. माथुर)
प्रावै. सहा. उप मुख्य अभियन्ता, (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्काम, जोधपुर

परिशिष्ट-12

(अतारांकित प्रश्न संख्या-335 का विवरण)

परिशिष्ट "अ"

गाड़िया लुहारों को भवन निर्माण वर्ष 1999-2000 में निम्न जिलों में दी गई स्वीकृत राशि का विवरण

जिला	स्वीकृत राशि
झुंझुनूं	1,73,000
हनुमानगढ़	32,500
अलवर	12,500
सीकर	1,54,000
जैसलमेर	1,75,000
जोधपुर	4,20,000
झालावाड़	35,000
सवाईमाधोपुर	1,54,000
चित्तौड़गढ़	4,03,000
डूंगरपुर	1,33,000
योग	**16,92,000**

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-337 का विवरण)

परिशिष्ट "क"

शिक्षा विभाग द्वारा मूक बधिर शैक्षणिक संस्थाओं को गत दो वर्षों में दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण

क्र.सं.	नाम संस्था	अनुदान राशि	
		1998-99	1999-2000
1.	मूक बधिर विद्यालय केशवपुरा, कोटा	1,08,181	1,96,301
2.	बाधित बाल विकास केन्द्र, कोटा	5,01,282	5,92,495
3.	श्री जगदम्बा मूक बधिर विद्यालय विशिष्ट उप्रा.वि., श्रीगंगानगर	14,59,545	13,56,108
4.	श्री जगदम्बा मूक बधिर विद्यालय विशिष्ट उप्रा.वि., श्रीगंगानगर	3,40,339	2,47,795
5.	मरूधर मूक बधिर विद्यालय, बीकानेर	1,58,648	3,31,594
6.	मूक बधिर विद्यालय, उदयपुर	7,86,057	6,80,946
7.	गांधी मूक बधिर विशिष्ट संस्थान, जोधपुर	1,82,197	2,41,385
8.	बधिर विद्यालय, अजमेर	13,79,481	15,03,681

परिशिष्ट "ब"

समाज कल्याण विभाग द्वारा गत दो वर्षों में दी जाने वाली अनुदान राशि का विवरण

क्र. सं.	नाम स्वयं सेवी संस्था	संस्था की गतिविधियां	पारित अनुदान राशि	
			1998-99	1999-2000
1.	जोधपुर बधिर कल्याण समिति, जोधपुर	मूक बधिरों हेतु सिलाई एवं कैनिंग व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए	60,750	91,052
2.	बाधित बाल विकास केन्द्र, कोटा	मूक बधिरों हेतु छात्रावास व्यवस्था एवं सफाई	5,34,717	3,85,507
3.	स्वामी विवेकानन्द मूक बधिर विद्यालय, बांदीकुई, दौसा	मूक बधिरों हेतु शिक्षण, प्रशिक्षण के लिए	36,000	2,21,130
4.	विकलांग कल्याण समिति, उदयपुर	मूक बधिरों हेतु छात्रावास व्यवस्था	2,28,114	1,14,000
5.	बाधित बाल विकास समिति, अजमेर	मूक बधिर कारपेंटर एवं सिलाई प्रशिक्षण हेतु	28,440	29,520
6.	मूक बधिर एवं मंद बुद्धि संस्थान, बांसवाड़ा	मूक बधिर हेतु शिक्षण व्यवस्था	69,640	72,090
7.	वेलफेयर इण्डिया सोसायटी, कोटा	मूक बधिरों हेतु सिलाई प्रशिक्षण एवं छात्रावास हेतु	69,000	3,09,720

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-342 की प्रति)

परिशिष्ट "अ"

स्थानीय खाद्य सामग्री — श्री गंगानगर जिले के लिए (पंजीरी एवं राजस्थान मिक्स)

(1) 6 माह से 2 वर्ष तक के बच्चों के लिए 60 ग्राम पंजीरी पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

(2) 2 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों के लिए 80 ग्राम पंजीरी तथा 80 ग्राम राजस्थान मिक्स पोषाहार प्रति लाभान्वित (वैकल्पिक एक दिन छोड़ कर एक दिन) (सप्ताह में 3-3 दिन)

(3) 6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं महिलाओं के लिए 160 ग्राम. राजस्थान मिक्स पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

स्थानीय खाद्य सामग्री (विश्व बैंक) के तहत

(1) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 80 ग्राम पंजीरी पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

(2) 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे, गर्भवती एवं महिलाओं के लिए 160 ग्राम राजस्थान मिक्स पोषाहार प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत पोषाहार

(1) 0-3 वर्ष के कुपोषित बच्चों को 75 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

(2) 0-3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों को 150 ग्राम प्रति लाभान्वित प्रतिदिन (सप्ताह में 6 दिन)

केयर

(1) 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों हेतु 65 ग्राम सी.एस.बी., 8 ग्राम एस.आयल।

(2) 6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं तथा किशोर बालिकाओं को 130 ग्राम सी.एस.बी., 16 ग्राम एस.आयल।

विश्व खाद्य कार्यक्रम

(1) 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए 80 ग्राम इण्डिया मिक्स अथवा 80 ग्राम सी.एस.बी.।

(2) 6 माह से 6 वर्ष तक के अतिकुपोषित बच्चे, गर्भवती तथा धात्री महिलाएं तथा किशोर बालिकाओं को 160 ग्राम इण्डिया मिक्स अथवा 160 ग्राम सी.एस.बी.।

सभी स्रोतों का पोषाहार 0-3 वर्ष के बच्चों एवं गर्भवती तथा धात्री महिलाओं को पाक्षित आधार (सप्ताह में 6 दिन मानते हुए) पर सूखा ही घर ले जाने के लिए दिया जाता है। 3-6 वर्ष के बच्चों को पोषाहार आंगनबाड़ी केन्द्र पर पका कर दिया जाता है, किन्तु पंजीरी पोषाहार RTE (खाने के लिए तैयार) होने के कारण पकाने की आवश्यकता नहीं है।

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-345 की सूची)

परिशिष्ट "अ"

ग्रामीण विकास में अन्य विभागों से विशेष चयन/प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची

क्र.सं.	नाम अधिकारी/कर्मचारी	पद	विवरण
1	2	3	4
1.	श्री आर. के. गोयल	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	प्रतिनियुक्ति पर
2.	श्री आर. के. कपूर	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	विशेष चयन
3.	श्री सीताराम गुप्ता	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	विशेष चयन
4.	श्री अरिजीत बनर्जी	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	प्रतिनियुक्ति पर
5.	श्री एम.डी. काबरा	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	विशेष चयन
6.	श्रीमती मधु पोखरणा	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	विशेष चयन
7.	श्री एस.सी.दिनकर	परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव	विशेष चयन
8.	श्री सोमेन्द्र शर्मा	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
9.	श्री एस.सी. माथुर	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
10.	श्री के.वी. रायसिंघानी	परियोजना अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर

1	2	3	4
11.	श्री बी.एल. जैन	परियोजना अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर
12.	श्री के.पी. सिंह	परियोजना अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर
13.	श्री विजय शर्मा	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
14.	श्री वी.एन. माथुर	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
15.	श्री अंजनी कुमार नाग	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
16.	श्री आर.के. शर्मा	परियोजना अधिकारी	विशेष चयन
17.	श्री पूरण मल माहेश्वरी	परियोजना अधिकारी	प्रतिनियुक्ति पर
18.	श्री राजेश लुहाड़िया	सहायक अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति पर
19.	श्री अशोक नागौरी	कनिष्ठ अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति पर
20.	श्री ओम प्रकाश शर्मा	कनिष्ठ अभियन्ता	प्रतिनियुक्ति पर